वार्षिक रिपोर्ट 2018–19
ANNUAL REPORT **2018-19**

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम
एक परिवार एक बैंक

प्रौद्योगिकी के साथ उन्नति
SCALING UP WITH TECHNOLOGY

महा सुपर आवास ऋण

- ऋण राशि की कोई अधिकतम सीमा नहीं
- आयु सीमा– 65 वर्ष
- पुर्नभुगतान अवधि 30 वर्ष तक
- आकर्षक ब्याज दरें
- कोई छिपे हुए प्रभार नहीं
- 10 लाख तक का उपभोक्ता ऋण

MAHA SUPER HOUSING LOAN

- No Upper Limit of Loan Amount
- Age limit upto 65 years
- Repayment period up to 30 years
- Attractive Interest Rates
- No Hidden Charges
- Consumer Loan upto Rs. 10 lakhs

अधिक जानकारी हेतू कृपया संपर्क करें / For details please call us on : 8010 614 614

*नियम व शर्तें लागू

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

*T&C Apply

टोल फ्री क्रं.: 1800-233-4526 | वेबसाइट : www.bankofmaharashtra.in | नेट बैंकिंग: https://www.mahaconnect.in

अपने इंटरनेट बैंकिंग की जानकारी तथा यूजर आई-डी/पासवर्ड या अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड का क्रमांक/सीवीवी/ओटीपी किसी को भी फोन या ई-मेल के माध्यम से साझा न करें.

Do not share your internet banking details, such as, user ID / Password or your Credit / Debit card number / CVV / OTP with anyone, either over phone or through email.

अनुक्रमणिका INDEX

क्र. No.	विषय सूची	Contents	पृठ क्र. Page No.
1.	निदेशक मंडल	Board of Directors	2
2.	महाप्रबंधकगण	General Managers	3
3.	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का कथन	Statement of Managing Director & CEO	4
4.	प्रगति एक नज़र में	Progress at a glance	7
5.	निदेशकों की रिपोर्ट	Directors' Report	8
	– प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण	- Management Discussion and Analysis	8
	– वर्ष 2018-19 का कार्य निष्पादन	- Performance Highlights 2018-19	8
	– बैंक की महत्वपूर्ण योजनाएं / परियोजनाएं	- Important Schemes/Projects of the Bank	21
	– निगमित सामाजिक दायित्व	- Corporate Social Responsibility	23
	– अग्रणी बैंक योजना	- Lead Bank Scheme	24
	– सहायक कंपनियां/संयुक्त उद्यम और प्रायोजित संस्थाएं	- Subsidiaries/Joint Ventures and Sponsored Institutions	25
	– राजभाषा नीति का कार्यान्वयन	- Implementation of Official Language Policy	27
	– निदेशकों की जिम्मेदारी का कथन	- Directors' Responsibility Statement	28
	– निदेशक मंडल में परिवर्तन	- Changes in the Board of Directors	29
	- व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट	- Business Responsibility Report	29
	– आभार	- Acknowledgements	29
6.	कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट	Corporate Governance Report	35
7.	तुलनपत्र	Balance Sheet	68
8.	लाभ व हानि लेखा	Profit & Loss Account	69
9.	महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	Significant Accounting Policies	79
10.	खातों पर टिप्पणियां	Notes on Accounts	85
11.	नकदी प्रवाह का विवरण	Cash Flow Statement	122
12.	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	Auditors' Report	124
13.	बेसल III प्रकटन	Basel III Disclosuers	131
14.	समेकित वित्तीय विवरण	Consolidated Financial Statements	164
15.	व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट	Business Responsibility Report	199

16वीं वार्षिक साधारण बैठक का नोटिस संलग्न
NOTICE FOR 16TH ANNUAL GENERAL MEETING ENCLOSED

सांविधिक लेखा परीक्षक STATUTORY AUDITORS

पी पारीख एंड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार	**एम डी गुजराती एंड कंपनी** सनदी लेखाकार	**पी जी भागवत** सनदी लेखाकार	**के गोपाल राव एंड कंपनी** सनदी लेखाकार
P Parikh & Associates Chartered Accountants	**M D Gujrati & Co** Chartered Accountants	**P G Bhagwat** Chartered Accountants	**K Gopal Rao & Co.** Chartered Accountants

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम
एक परिवार एक बैंक

(**प्रधान कार्यालय :** 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005)
(**Head Office:** 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005)

निदेशक मंडल/ BOARD OF DIRECTORS

31-03-2019 की स्थिति के अनुसार / As on 31-03-2019

श्री ए. एस. राजीव — **Shri A. S. Rajeev**
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ — Managing Director & CEO

श्री ए. सी. राउत — **Shri A. C. Rout**
कार्यपालक निदेशक — Executive Director

श्री हेमन्त टम्टा — **Shri Hemant Tamta**
कार्यपालक निदेशक — Executive Director

श्रीमती वंदिता कौल
Smt. Vandita Kaul

श्री जी. श्रीकुमार
Shri G. Sreekumar

श्री आर. तामोधरन
Shri R. Thamodharan

डॉ. अर्चना आर. धोलकिया
Dr. Archana R. Dholakia

श्री दीनदयाल अग्रवाल
Shri Deendayal Agrawal

श्री लक्ष्मीनारायण रथ **Shri Laxminarayan Rath**
मुख्य सतर्कता अधिकारी Chief Vigilance Officer

महाप्रबंधकगण / GENERAL MANAGERS

31-03-2019 की स्थिति के अनुसार / As on 31-03-2019

श्री टी. वी. रमण मूर्ती
Shri T. V. Raman Murthy

श्री रमेश बी. क्षीरसागर
Shri Ramesh B. Kshirsagar

श्रीमती नलिनी श्रीरामन
Smt. Nalini Shriraman

डॉ. एन. मुनिराजु
Dr. N. Muniraju

श्री एन. राम बाबु
Shri N. Ram Babu

श्री वी. पी. श्रीवास्तव
Shri V. P. Srivastava

श्री पी. आर. खटावकर
Shri P. R. Khatawkar

श्री उन्नम आर. राव
Shri Unnam R. Rao

श्री एम. जी. महाबळेश्वरकर
Shri M. G. Mahabaleshwarkar

श्री ए. एस. राजीव
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का कथन

प्रिय शेयरधारकों,

मैं आपके बैंक की 16वीं वार्षिक साधारण बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले दो वर्ष भारतीय बैंकिंग उद्योग के लिए चुनौतीपूर्ण रहे, जिसके दौरान बढ़ती हुई अनर्जक आस्तियों और आस्ति गुणवत्ता में समग्र ह्रास के परिणामस्वरूप अधिकांश बैंकों को सतत रूप से तिमाही आधार पर हानि का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी उधारी क्षमता और पूंजी पर असर पड़ा। वित्तीय वर्ष 2018-2019 को भारतीय बैंकिंग उद्योग हेतु उल्लेखनीय वर्ष कहा जा सकता है, क्योंकि सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जान फूंकने तथा उनके पुनरुत्थान के लिए विभिन्न कदम उठाए गए, जिसके परिणामस्वरूप ऋण उठाव में वृद्धि हुई।

पहली तिमाही में 8.2% की पर्याप्त वृद्धि के पश्चात् भारतीय अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 2018-19 की अनुवर्ती तिमाहियों में लगभग 7% के सुखद स्तर पर रही। यह निजी खपत में अधोमुखी वृद्धि, स्थिर निवेश में मध्यम वृद्धि और मंद निर्यात के कारण हुआ। तथापि भारत अपनी मजबूत बुनियाद के आधार पर सर्वाधिक तेजी से वृद्धि करने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में रहा। भारत विश्व बैंक की 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' इंडेक्स 2018 में 23 स्थानों की बढ़ोत्तरी कर 77वें रैंक पर आ गया। क्रय शक्ति क्षमता (पर्चेसिंग पॉवर पैरिटी) के अनुसार हम 9.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की जीडीपी के साथ तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। भारत ने 4,750 से अधिक प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप के साथ विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्ट-अप बेस का स्थान बनाए रखा।

विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था विमुद्रीकरण और जीएसटी कार्यान्वयन के प्रभावों से उबरकर फिर मजबूती से आगे बढ़ रही है। सुदृढ़ निजी खपत और विभिन्न सुधार उपायों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2020 में लगभग 7.5% तक की वृद्धि अपेक्षित है। दबाव की एक प्रदीर्घ अवधि के पश्चात् खराब आस्तियों के दूर हो जाने, सकल अनर्जक आस्ति अनुपात में गिरावट और प्रावधान व्याप्ति अनुपात में सुधार के कारण बैंकिंग क्षेत्र सुधार की राह पर अग्रसर दिखाई देता है जो कि सकारात्मक संकेत है।

अंतरिम बजट में विभिन्न योजनाएं आरंभ की गई हैं यथा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, पीएम किसान कार्यक्रम, कृत्रिम मेधा पर राष्ट्रीय कार्यक्रम की निर्मिति, जीएसटी पंजीकृत एमएसएमई इकाईयों हेतु 1 करोड़ के ऋण पर दो प्रतिशत ब्याज सबवेन्शन और विजन 2030 से भारत के बेहतर सामाजिक और भौतिक संरचना के प्रति अग्रसर होना अपेक्षित है।

Shri A. S. Rajeev
Managing Director & CEO

STATEMENT OF MANAGING DIRECTOR & CEO

Dear Shareholders,

I extend a very warm welcome to each one of you to the 16th Annual General Meeting of your Bank. The past couple of years have been testing for Indian Banking industry with rising NPAs, and overall deterioration of asset quality resulting in successive quarterly losses for most of the Banks; thereby hampering their lending capacity and capital. FY 2018-2019 may be called a breakthrough year for Indian Banking Industry as several steps were taken by Government to breathe air into Public Sector Banks and revive them resulting in increase in the credit off take.

From healthy growth of 8.2% in the first quarter, Indian economy eased to about 7% in the subsequent quarters of financial year 2018-19 due to declining growth of private consumption, tepid increase in fixed investment, and muted exports. However India still remains one of the fastest growing major economies, based on its strong fundamentals. India moved up by 23 places in the World Bank's Ease of Doing Business Index 2018, inching upto 77th rank. In terms of purchasing power parity, we are the third largest economy with GDP of US $ 9.5 trillion. India has retained its position as the third largest start-ups base in the world with over 4,750 technology start-ups.

As per World Bank latest report, Indian economy has bounced back strongly from the impact of demonetisation and GST implementation. It is expected to grow by around 7.5 % in FY 2020, based on robust private consumption and various reform measures. After a prolonged period of stress, the banking sector appears to be on course to recovery as the load of impaired assets recedes; declining gross NPA ratio and improving Provision Coverage Ratio, being positive signals.

Various Schemes introduced in the interim budget like Pradhan MantriShram Yogi Mandhan, PM KISAN programme, creation of National programme on Artificial intelligence, two per cent interest subvention on loan of 1 crore for GST registered MSME units, and Vision 2030 are expected to push up India towards better social and physical infrastructure.

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु आपके बैंक की वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है, यह एक महत्वपूर्ण अवसर है, जो हमें विगत 12 माह का विश्लेषण करने और भविष्य की योजनाओं की ओर उन्मुख होने का अवसर प्रदान करता है।

आपके बैंक का कार्यनिष्पादन

आपकी संस्था के प्रति आपकी अटूट आस्था और विश्वास के कारण बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऐसे पहले कुछ बैंकों में था जो त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) से बाहर आया।

मुझे यह सूचित करते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2018-2019 की चौथी तिमाही में ₹72.38 करोड़ का निवल लाभ दर्ज किया है। इस प्रकार जोशीले निष्पादन से वर्ष की समाप्ति हुई और हम वित्तीय वर्ष 2019-2020 में भी इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

आपके बैंक का 1832 शाखाओं का शाखा नेटवर्क है, जिसमें से 1043 शाखाएं ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं। बैंक की देशभर में उपस्थिति है। बैंक के पास अपने ग्राहकों के हितों के लिए बेहतर सेवा प्रदान करने हेतु 12913 कर्मचारियों का प्रतिबद्ध और समर्पित कार्य-बल है।

31.03.2019 को कुल व्यवसाय ₹234116.79 करोड़ रहा।

- 31 मार्च, 2019 को कुल जमाराशियां ₹140650.09 करोड़ रहीं और सकल अग्रिम ₹93466.70 करोड़ रहे।
- कासा जमाराशियों में 5.25% (वर्ष-दर-वर्ष आधार पर) की वृद्धि हुई और 31 मार्च, 2019 को यह ₹69829.81 करोड़ रही। यह कुल जमाराशियों का 49.65% हैं।
- जमाराशियों की लागत विगत वर्ष के 5.31% से वर्ष-दर-वर्ष आधार पर कम होकर 31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि हेतु 4.99% रही।
- निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के 2.32% से सुधरकर मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष में 2.53% रहा।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु परिचालनगत लाभ पिछले वर्ष के ₹2191.40 करोड़ से सुधरकर ₹2197.61 करोड़ रहा।
- 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु निवल हानि ₹4783.88 करोड़ रही (31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु ₹1145.65 करोड़ की निवल हानि के तुलनात्मक)
- सकल एनपीए और निवल एनपीए क्रमशः 16.40% (₹15324.49 करोड़) और 5.52% (₹4559.33 करोड़) रहे।
- बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 31 मार्च, 2019 को 11.86% रहा, जो कि बेसल-III मानदंडों के अनुसार 10.875% के अपेक्षित स्तर से अधिक है।
- सीइटी 1 अनुपात न्यूनतम अपेक्षित 7.375% की तुलना में 9.88% रहा।

वर्ष के दौरान, बैंक ने नई कारोबार पहलें की जो कि निम्नानुसार हैं -

- विशेष सेवाएं प्रदान करने के लिए उच्च नेट-वर्थ वाले व्यक्तियों (एचएनआई) हेतु प्रीमियम बचत बैंक जमा योजना 'पर्पल प्रीविलेजेस'
- एटीएम में केन्द्रीकृत ई-निगरानी प्रणाली : एक पूर्व-सक्रिय प्रणाली, जो कि केन्द्रीकृत रूप से निगरानी/ नियंत्रित होती है और टू-वे कम्युनिकेशन, अलार्म बजने तथा हूटर प्रणाली द्वारा घुसपैठिए/ अजनबी व्यक्ति को पहचानने की क्षमता रखती है। यह प्रणाली इन स्थानों पर सुरक्षा गार्डों की जरूरत को अनपेक्षित करती है।
- इंटरनेट बैंकिंग में यूजर डिफाइन्ड सीमाओं की सुविधा।
- मोबाइल बैंकिंग - पंजीकृत विदेशी मोबाइल क्रमांक के माध्यम से ओवरसीज ग्राहकों हेतु पंजीकरण।
- बैंक ने अपना यूपीआई मोबाइल एप्लीकेशन 'महा-यूपीआई' आरंभ किया।
- रुपे प्लैटिनम कार्ड ग्राहकों को जारी किए जा रहे हैं।
- सीबीएस के अंतर्गत ई-केवाईसी उपलब्ध कराया गया जो कि एक ऑनलाइन आधार प्राधिकरण प्रक्रिया है।
- पीएसबी59 मिनट योजना आरंभ की गई है जिसके अंतर्गत सिद्धांत रूप से अनुमोदन दिया जाएगा।

It gives me immense pleasure to place before you the Annual Report and Financial statement of your Bank for year ended 31 March 2019. This is an important occasion, giving us an opportunity to revisit past 12 months and ahead to future plans.

Performance of your Bank

With the help of your unbending trust and reliance on your Institution, Bank of Maharashtra was one of the first few Banks to have emerged out of Prompt Corrective Action (PCA).

I am also pleased to inform you that your Bank has registered a Net Profit of ₹ 72.38 crore in Q4 of FY 2018-2019 thus ending on a high note and we are committed to carry forward this momentum in FY 2019-2020 as well.

Your Bank has a branch network of 1832 branches of which 1043 branches are located in rural and semi urban areas. Bank has PAN India presence. Bank has committed and dedicated work force of 12913 employees to serve its customers.

Total business stood at ₹234116.79 crore as on 31.03.2019.

- As on 31.03.2019, total deposits stood at ₹140650.09 crore & Gross advances at ₹93466.70 crore.
- CASA deposits increased by 5.25% (Y-o-Y), to ₹69829.81 crore as on March 31 2019, constituting 49.65 % of total deposits.
- Cost of deposits has come down on Y-o-Y basis to 4.99% for period ended March 31 2019 from 5.31% a year ago
- Net Interest Margin (NIM) improved to 2.53% in year ended March 2019 as against 2.32% in year ended March 2018.
- Operating profit for FY 2018-19 stood at ₹2197.61 crore, improved from ₹ 2191.40 crore, a year ago.
- Net loss for the year ended March 31, 2019 was ₹4783.88 crore (as compared to net loss of ₹1145.65 crore in year ended March 31, 2018).
- Gross NPAs and Net NPAs stood at 16.40% [₹15324.49 crore] and 5.52% [₹4559.33 crore] respectively.
- Bank had Capital Adequacy ratio of 11.86% as on March 31 2019, above the required level of 10.875% as per Basel – III norms.
- CET 1 ratio stood at 9.88% as against minimum required 7.375%

During the year, your Bank had taken new business initiatives as under:

- Premium Savings Bank Deposit Scheme "Purple Privileges" for High Net worth Individuals (HNIs) for providing specialized services.
- Centralized e-Surveillance System at ATMs: A proactive system, which is centrally monitored / controlled & has the capability to detect & deter intruders / unknown persons by use of two-way communication, blowing Alarm & Hooter Systems. The system obviates the need to have security guards at these locations.
- Facility for user defined Limits in Internet banking.
- Mobile Banking – Registration for overseas customers via registered foreign mobile number.
- Bank launched 'Maha-UPI', its UPI mobile application.
- Rupay "Platinum" Cards being issued to customers.
- e-KYC, an online Aadhaar Authentication process is made available under CBS
- PSB59 Minutes Scheme has been started under which in-principal approval would be given

भविष्य की ओर

हमारे लिए यह अनिवार्य है कि हम वित्तीय वर्ष 2019-20 में भी वृद्धि की गति को बनाए रखें और इसे बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने हेतु हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में सुधार तथा आरएएम पर ध्यान केन्द्रित करते हुए हमारे ऋण संविभाग में वृद्धि के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

ग्राहक बैंकिंग सुविधा पर स्पष्ट फोकस के साथ बैंकों की परिचालन क्षमता में संवर्धन हेतु बहुत सी पहलें प्रक्रियाधीन हैं । संवर्धित और परिष्कृत विनियामक व्यवस्था के साथ बैंकिंग क्षेत्र और अधिक निपुण बनने की ओर अग्रसर है।

ए. एस. राजीव
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

Way forward

It's imperative for us to carry the momentum of growth in FY 2019-20 as well and the same can be achieved by means of increasing our credit portfolio by focusing on RAM and improving our digital platforms for providing better customer service.

A number of initiatives are underway to improve the operational efficieny of Banks: with the clear focus on ease of customer banking. With the enhanced and improvised Regulatory regime, the banking sector is set to be much more proficient.

A. S. Rajeev
Managing Director & CEO

प्रगति एक नजर में Progress at a Glance

(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)						
	2013-14	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
प्रदत्त पूंजी Paid up Capital	1427	1063	1168	1168	2598	2753
आरक्षितियां Reserves	5941	7004	7619	6211	7346	2986
कुल जमाराशियां Total Deposits	**116803**	**122119**	**138990**	**139053**	**138981**	**140650**
वृद्धि % Growth %	23.61	4.55	13.82	0.05	(0.05)	1.20
कुल जमाराशियों में कासा का अंश CASA Share in Total deposits	35.89	37.09	36.67	44.89	47.74	49.65
अग्रिम Advances	**90369**	**101210**	**111240**	**101537**	**94645**	**93467**
वृद्धि % Growth %	18.29	12.00	9.91	(8.72)	(6.79)	(1.24)
रिटेल अग्रिम Retail Advances	10769	11817	12568	15792	16547	18806
प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम Priority Sector Advances	**34826**	**39095**	**41485**	**40388**	**40709**	**35431**
कृषि Agriculture	13091	15521	17175	17960	15067	15220
सूक्ष्म व लघु उद्यम Micro and Small Enterprises	**18597**	**20657**	**22144**	**20419**	**16283**	**13633**
अल्पसंख्यक वर्ग को अग्रिम Advances to Minority Sections	2265	3264	3037	2921	2887	2924
अजा/अजजा वर्ग को अग्रिम Advances to SC / ST Sections	1512	1643	1684	1738	2333	16667
निर्यात ऋण Export Credit	1949	1301	1226	1213	1210	1200
कुल आय Total Income	12851	13671	14072	13570	12602	12397
कुल व्यय Total Expenditure	10845	11316	11727	11743	10411	10199
परिचालन लाभ Operating Profit	2006	2355	2345	1827	2191	2198
निवल लाभ Net Profit	386	451	101	(1373)	(1146)	(4784)
शाखाओं की संख्या Number of Branches	1854	1880	1895	1897	1846	1832
एटीएम की संख्या Number of ATMs	1827	1849	1861	1878	1864	1858
प्रमुख निष्पादन अनुपात (%) Key Performance Ratios (%)						
पूंजी पर्याप्तता अनुपात-बेसल III (%) Capital Adequacy Ratio- Basel III (%)	10.79	11.94	11.2	11.18	11.00	11.86
प्रति शेयर आय Earning Per Share	4.56	4.5	0.91	(11.75)	(8.98)	(14.26)
प्रति शेयर बही मूल्य Book Value Per Share	66.69	65.61	63.36	46.96	23.73	10.24
प्रति कर्मचारी व्यवसाय Business Per Employee	14.39	15.74	18.18	18.54	18.07	18.13
प्रति कर्मचारी लाभ (₹ लाख में) Profit Per Employee (₹ in lakhs)	2.68	3.18	0.73	(10.58)	(8.86)	(37.05)
औसत आस्तियों पर आय Return on Average Assets	0.3	0.33	0.07	(0.86)	(0.73)	(3.01)
लागत आय अनुपात Cost to Income Ratio	54.43	51.75	52.12	60.98	55.24	58.39
सकल अनर्जक आस्ति अनुपात Gross NPA ratio	3.16	6.33	9.34	16.93	19.48	16.40
निवल अनर्जक आस्ति अनुपात Net NPA ratio	2.03	4.19	6.35	11.76	11.24	5.52
प्रावधान कवरेज अनुपात Provision Coverage Ratio	56.15	46.57	45.04	44.48	58.71	81.49
ऋण- जमा अनुपात Credit- Deposit ratio	77.37	82.88	80.03	73.02	68.10	66.45
समायोजित निवल बैंक ऋण से प्राथमिकता ऋण (* निवेश छोड़कर) Priority Credit to Adjusted Net Bank Credit (* Excluding investment)	44.03	41.76	39.82	34.99	38.63	*36.13

निदेशकों की रिपोर्ट

आपके निदेशक 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित तुलन-पत्र, लाभ व हानि खाते और व्यवसाय एवं परिचालन पर रिपोर्ट के साथ बैंक की वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष सहर्ष प्रस्तुत करते हैं।

1. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण:

1.1 आर्थिक और बैंकिंग परिदृश्य 2018-19

वैश्विक विकास ने 2018 में कच्चे तेल की अस्थिर कीमतों, भू-राजनैतिक तनावों और बढ़ती व्यापार प्रतिस्पर्धाओं के माहौल को कुछ कम किया है। विशेष रूप से उभरते बाजार वाली अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी बहिर्वाह और आस्ति मूल्य अस्थिरता के साथ वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़ा है।

घरेलू स्तर पर, 2018-19 की पहली छमाही में तेजी से जीडीपी वृद्धि हुई, जिसने विमुद्रीकरण और वस्तुएं व सेवा कर के कार्यान्वयन के क्षणिक प्रभाव को कम कर दिया। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा 2018-19 के दौरान बैंक ऋण वृद्धि में एक मजबूत पुन:प्रवर्तन किया गया और एनबीएफसी ने भारतीय वित्तीय प्रणाली में समग्र सुधार का सुझाव दिया।

भारतीय बैंक तेजी से जोखिम प्रबंधन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक (भारिबैं) ने ऋण जानकारी का एक व्यापक डेटाबेस, सार्वजनिक ऋण रजिस्ट्री (पीसीआर) स्थापित करने का निर्णय लिया है, जो सभी हितधारकों के लिए सुलभ है। दिवाला व दिवालियापन कोड (इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ट्सी कोड) से बैंकिंग सेक्टर को मजबूती मिलने की संभावना है।

1.2 2019-20 के लिए आउटलुक

वैश्विक आर्थिक स्थितियों में सुधार, नीति निर्माताओं के लिए अल्पावधि तथ्यों, जो संकटों का सामना करने का अपरिहार्य हिस्सा है, से फोकस हटाकर दीर्घकालिक चुनौतियों का निपटान करने और विकास के प्रति गहरी पैठ बना चुकी बाधाओं को दूर करने के लिए बेहतर अवसर प्रदान करता है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत की जीडीपी वृद्धि मध्यम रूप से 7.5 प्रतिशत से बढ़ने की संभावना है, जो निरंतर निवेश सुदृढ़ीकरण, विशेष रूप से निजी-सुधारित निर्यात कार्यनिष्पादन और लचीली खपत से प्रेरित है। पुनर्मुद्रीकरण और कम उधारी लागत से निजी खपत व्यय में वृद्धि होने की संभावना है। हालांकि कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

केंद्रीय अंतरिम बजट 2019-20 में प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन, पीएम-किसान कार्यक्रम आरंभ करने, मुद्रा, स्टार्ट अप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया पर ध्यान केंद्रित करके अधिक तकनीकी नौकरियों पर ध्यान केंद्रित करने तथा एमएसएमई और ट्रेडर्स सशक्तिकरण के संबंध में विभिन्न प्रस्ताव एवं इस प्रकार घरेलू व्यापार और सेवाओं का समर्थन, वृद्धि के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा।

दिवाला व दिवालियापन कोड (इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ट्सी कोड) में संशोधन और फ़िनटेक कंपनियों द्वारा तैयार की जा रही ब्लॉक चैन प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) को बड़े पैमाने पर अपनाने के रूप में नवोन्मेष से बैंकिंग क्षेत्र का भी लाभान्वित होना अपेक्षित है।

2. व्यवसाय व जमाराशियों का कार्य-निष्पादन 2018-19:

1. आपके बैंक का कुल व्यवसाय 31.03.2018 के ₹ 233626.38 करोड़ की तुलना में 31.03.2019 को ₹234116.79 करोड़ रहा।
2. कुल जमाराशियां पिछले वर्ष के ₹138981.18 करोड़ की तुलना में ₹ 140650.09 करोड़ रहीं।
3. कासा जमाराशियां 31.03.2018 के ₹66345.44 करोड़ की तुलना में बढ़कर 31.03.2019 को ₹69829.81 करोड़ रुपये रहीं, जिसमें ₹3484.37 करोड़ की वृद्धि दर्ज हुई। 31.03.2019 को कुल जमाराशियों से कासा का हिस्सा 49.65% रहा।

DIRECTORS' REPORT

Your Directors have pleasure in presenting the Annual Report of the Bank with the audited Balance Sheet, Profit & Loss Account and the Report on Business and Operations for the year ended March 31, 2019.

1. MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS:

1.1 Economic and Banking Scenario 2018-19

Global growth has shed some momentum in 2018 in an environment of volatile crude prices, geopolitical tensions and escalating trade wars. Financial conditions especially in the emerging market economies have tightened with capital outflows and asset price volatility.

Domestically, a pickup in GDP growth took hold in the first half of 2018-19, having shrugged of the transient effects of demonetization and implementation of the Good and Services Tax. A strong revival in bank credit growth during 2018-19 by private and public sector banks and NBFC's suggests an overall improvement in the health of the Indian Financial System.

Indian banks are increasingly focusing on adopting integrated approach to risk management. Reserve Bank of India (RBI) has decided to set up Public Credit Registry (PCR) an extensive database of credit information which is accessible to all stakeholders. The Insolvency and Bankruptcy Code is expected to strengthen the banking sector.

1.2 Outlook for 2019-20

The improvement in global economic conditions offers greater scope for policymakers to shift from a short-term focus that is inevitably part of coping with crises, towards addressing longer-term challenges and eliminating deep-rooted barriers to development.

India's GDP growth is expected to accelerate moderately to 7.5 per cent in Fiscal Year 2019-20, driven by continued investment strengthening, particularly private-improved export performance and resilient consumption. The private consumption expenditure is expected to receive a boost from remonetisation and lower borrowing costs. Rise in crude prices could however play a spoilsport.

The various proposals in the Union Interim Budget 2019-20 with regards to launching of Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan, PM-KISAN programme, focus on more technical jobs by focus on schemes like MUDRA, Start up India and Stand Up India and Empowering MSME and Traders and thus supporting domestic trade and services will act as a catalyst for growth.

Banking sector is also expected to be benefitted by the amendment in Insolvency and Bankruptcy Code and the innovations in form of massive adoption of Artificial intelligence and Blockchain technology being undertaken by the fintech companies.

2. PERFORMANCE HIGHLIGHTS 2018-19:

1. Total Business of your Bank stood at ₹234116.79 crore as on 31.03.2019 as against ₹ 233626.38 crore as on 31.03.2018.
2. Total deposits stood at ₹ 140650.09 crore as compared to ₹ 138981.18 crore last year.
3. CASA deposits increased to ₹ 69829.81 crore as on 31.03.2019 from ₹ 66345.44 crore as on 31.03.2018, registering a growth of ₹ 3484.37 Crore. Share of CASA to total deposits stood at ₹ 49.65% as on 31.03.2019.

4. बड़े कॉर्पोरेट अग्रिमों पर निर्भरता के बजाय खुदरा अग्रिमों पर ध्यान केंद्रित करने की बैंक की नीति के परिणामस्वरूप बैंक के सकल अग्रिम 31.03.2018 के ₹ 94645.20 करोड़ की तुलना में 31.03.2019 को ₹ 93466.70 करोड़ रहे।

5. परिचालन लाभ 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के ₹2191.40 करोड़ की तुलना में 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए ₹2197.61 करोड़ रहा।

6. प्रति कर्मचारी व्यवसाय 31.03.2018 के ₹18.07 करोड़ की तुलना में 31.03.2019 को बढ़कर ₹18.13 करोड़ रहा। प्रति शाखा व्यवसाय के लिए अनुरूप आंकड़े क्रमश: ₹127.79 करोड़ तथा ₹126.56 करोड़ रहे।

2.1 ऋण का क्षेत्रवार विनियोजन

विवरण	31.03.2019 को बकाया ₹ करोड़ में	कुल बकाया से प्रतिशत	31.03.2018 को बकाया ₹ करोड़ में	कुल बकाया से प्रतिशत
उद्योग	36,491.52	39.04%	44,671.77	47.20%
इसमें से				
i. अवसंरचनात्मक	8,844.99	9.46%	8,927.06	9.43%
ii. रसायन, डाई व पेन्ट इत्यादि	2,219.63	2.37%	1,930.20	2.04%
iii. पेट्रोलियम	365.33	0.39%	341.74	0.36%
iv. लोहा व स्टील	1,844.24	1.97%	4,699.00	4.96%
v. एनबीएफसी व व्यापार	10,672.69	11.42%	14,182.77	14.99%
vi. इंजीनियरिंग	2,942.93	3.15%	3,246.19	3.43%
vii. निर्माण	5.21	0.01%	5.04	0.01%
viii. अन्य उद्योग	9,596.50	10.27%	11,339.77	11.98%
कृषि	15,220.30	16.28%	15,066.63	15.92%
एमएसएमई	13,632.94	1.46%	15,940.00	16.84%
आवास	12,052.10	12.89%	13,572.69	14.34%
शिक्षा	1,086.53	1.16%	995.25	1.05%
निर्यात	1,200.04	1.28%	1,209.66	1.28%
वाणिज्यिक भू संपदा	2,324.14	2.49%	31,89.00	3.37%
सकल अग्रिम	93,466.70		94,988.00	

2.2 गुणवत्ता और एनपीए प्रबंधन

1. बैंक ने सभी अंचल कार्यालयों में "आस्ति वसूली कक्षों (एआरसी)" की स्थापना की है ताकि उन्नयन और एनपीए वसूली के लिए ध्यान केंद्रित करने के प्रयास सुनिश्चित किए जा सकें।

2. बैंक ने अपने अंचलों में बड़े एनपीए खातों, विशेषकर जहां कानूनी कार्रवाई चल रही है, के लिए बारह आस्ति वसूली शाखाएं (एआरबी) भी स्थापित की हैं, ताकि अनुवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।

3. इसके साथ ही बैंक ने प्रधान कार्यालय में एक अलग विभाग के माध्यम से दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन वर्टिकल की स्थापना की है, जिसके अंतर्गत बैंक ने दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और पुणे में 4 (चार) दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन (एसएएम) शाखाओं की स्थापना की है, जहां ₹5 करोड़ और उससे अधिक के शेषवाले एनपीए की निगरानी की जाती है। एनपीए वसूली में सुधार हेतु केन्द्रित अनुवर्तन किया जाएगा।

4. लोन ट्रैकिंग कक्ष की स्थापना की गई है, जहां बैंक स्लिपेजेस/ दबावग्रस्त खातों के उधारकर्ताओं के साथ दैनिक आधार पर टेलिफोन से अनुवर्तन करता है और अतिदेयों के पुनर्भुगतान पर जोर दिया जाता है। इसके परिणामस्वरूप वसूली में सुधार और एनपीए में कोटिउन्नयन होगा।

4. Gross advances of the Bank stood at ₹ 93466.70 crore as on 31.03.2019 in comparison to ₹94645.20 crore as on 31.03.2018 as a result of Bank's policy to focus more on retail advances instead of dependence on big corporate advances.

5. Operating Profit stood at ₹ 2197.61 Crore for the year ended 31.03.2019 as against ₹ 2191.40 crore for year ended 31.03.2018.

6. Business per Employee increased to ₹ 18.13 crore as on 31.03.2019 as against ₹ 18.07 crore as on 31.03.2018. Corresponding figures for Business per Branch are ₹ 127.79 crore and ₹ 126.56 Crore respectively.

2.1 Sectoral Deployment of Credit

Particulars	O/s as on 31.03.2019 ₹ crore	Percentage to total O/s	O/s as on 31.03.2018 ₹ crore	Percentage to total O/s
Industry	36,491.52	39.04%	44,671.77	47.20%
Of which				
i. Infrastructure	8,844.99	9.46%	8,927.06	9.43%
ii. Chemicals, Dyes, Paints etc	2,219.63	2.37%	1,930.20	2.04%
iii. Petroleum	365.33	0.39%	341.74	0.36%
iv. Iron and Steel	1,844.24	1.97%	4,699.00	4.96%
v. NBFCs and Trading	10,672.69	11.42%	14,182.77	14.99%
vi. Engineering	2,942.93	3.15%	3,246.19	3.43%
vii. Construction	5.21	0.01%	5.04	0.01%
viii. Other Industries	9,596.50	10.27%	11,339.77	11.98%
Agriculture	15,220.30	16.28%	15,066.63	15.92%
MSME	13,632.94	1.46%	15,940.00	16.84%
Housing	12,052.10	12.89%	13,572.69	14.34%
Education	1,086.53	1.16%	995.25	1.05%
Exports	1,200.04	1.28%	1,209.66	1.28%
Commercial Real estate	2,324.14	2.49%	31,89.00	3.37%
Gross Advances	93,466.70		94,988.00	

2.2 Quality and NPA Management

1. Bank has set up "Asset Recovery Cells (ARC)" at all zonal offices to ensure focused efforts for upgradation and NPA recovery.

2. Twelve Asset Recovery Branches (ARBs) have also been set up across the Zones for large NPA a/cs more particularly where legal actions are in progress so as to make focused follow up.

3. Further, Bank has established Stressed Assets Management Vertical by way of a separate department at H.O. under which Bank has started (four) Stressed Assets Management (SAM) branches in Delhi, Mumbai, Hyderabad and Pune, where NPAs with balance of ₹5 crore and above is monitored. Focused follow up is undertaken to improve NPA recovery.

4. The Loan Tracking Cell has been established where Bank undertakes telephonic follow up on daily basis with borrowers of stressed accounts / slippages and repayment of overdues has enabled in improving recovery and upgradation of NPAs.

5. इरादतन चूककर्ताओं की पहचान, बट्टे खाते में वसूली की बढ़ोत्तरी, डीआरटी/ सरफेसी अधिनियमों के अंतर्गत कार्रवाई को गति प्रदान करने के लिए बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय में अलग कक्षों की भी स्थापना की है।

6. बैंक स्वप्रेरणा से गैर भेदभावपूर्ण और गैर विवेकाधीन एक बारगी निपटान (ओटीएस) योजनाओं को लागू कर रहा है। इन योजनाओं के अंतर्गत कार्यनिष्पादन की निगरानी प्रधान कार्यालय के वसूली विभाग द्वारा दैनिक आधार पर की जाती है। वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक ने ऐसी निम्नलिखित ओटीएस योजनाओं की शुरूआत की है :

1) **'घर घर दस्तक योजना 2018-19'** (जीजीडीवाई- 2018-19) की शुरूआत रू.100 लाख तक के लघु एनपीए उधारकर्ताओं के लिए की गई।

2) **महा-रियायत योजना (एमआरवाई):** महा-रियायत योजना (एमआरवाई) ₹1 करोड़ से अधिक से लेकर ₹50 करोड़ तक के लेजर शेष वाले एनपीए के लिए आरंभ की गई।

3) **सीएसएमएसएसवाई -2017:** महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य में किसानों के लिए 'छत्रपति शिवाजी महाराज शेतकरी सम्मान योजना 2017' (सीएसएमएसएसवाई -2017) नामक ऋण राहत योजना की घोषणा की है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तावित सीएसएमएसएसवाई -2017 के अंतर्गत बैंक ने विनिर्दिष्ट एनपीए खातों के एकबारगी निपटान के लिए एक योजना की शुरूआत की है।

4) **जय किसान फसल ऋण माफी योजना :** मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य में किसानों के लिए 'जय किसान फसल ऋण माफी योजना' नामक ऋण राहत योजना की घोषणा की है। इस संबंध में बैंक ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित जय किसान फसल ऋण माफी योजना के अंतर्गत ₹ 2 लाख तक के कृषि फसल ऋण खातों के एकबारगी निपटान के लिए एक योजना की शुरूआत की है।

बैंक ने दौरे, पत्र, नोटिस, वसूली शिविर, लोक अदालतों, महाबैंक अदालतों, सरफेसी / डीआरटी अधिनियम के माध्यम से चूककर्ता उधारकर्ताओं पर गहन अनुवर्ती कार्रवाई की है, रिज़ॉल्यूशन एजेंटों/ वसूली एजेंटों की सेवाएं ली जाती हैं, ताकि शीघ्र निपटान हो सके। बैंक ने दिवाला और दिवालियापन कोड 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत भी विभिन्न बड़े एनपीए उधारकर्ताओं के विरूद्ध कार्रवाई शुरू की है।

अनर्जक आस्तियों की स्थिति निम्नानुसार है;

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.19 के अनुसार राशि	31.03.18 के अनुसार राशि	प्रतिशत (+/-)
सकल एनपीए	15,324.49	18,433.23	(16.86%)
अग्रिमों का %	16.40%	19.48%	XXX
निवल एनपीए	4,559.33	9,641.09	(52.71%)
अग्रिमों का %	5.52%	11.24%	XXX
नकदी वसूली	2,570.11	1,960.51	31.09%

2.3 विदेशी मुद्रा कारोबार

(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19	2017-18	प्रतिशत (+/-)
कुल एफईएक्स व्यवसाय टर्नओवर	812,351.14	589,806.00	37.73 %
व्यापारी व्यवसाय टर्नओवर	37,311.51	30,687.93	21.58 %
एफईएक्स व्यवसाय में लाभ	132.39	110.16	20.18 %

5. The Bank has also set up separate Cells at its Head Office for identification of Wilful Defaulters, increasing recovery in Written Off accounts, gearing up the actions under DRT / SARFAESI Acts.

6. Bank has been implementing Suo Motu non-discriminatory and non-discretionary One Time Settlement (OTS) Schemes. Monitoring of the performance under the schemes is undertaken by Recovery Department, Head Office on daily basis. During 2018-19, the Bank introduced following OTS schemes:

1) **"Ghar Ghar Dastak Yojana 2018-19"** (GGDY-2018-19) was introduced for Small NPA borrowers up to ₹100 lakh.

2) **Maha-Riyayat Yojana (MRY):** Maha-Riyayat Yojana (MRY) was introduced for NPAs having ledger balance above ₹1 crore and up to ₹50 crore.

3) **CSMSSY -2017:** The Government of Maharashtra announced a loan waiver scheme, named as "Chhatrapati Shivaji Maharaj Shetkari Samman Yojana 2017" (CSMSSY -2017) for farmers in the State of Maharashtra. The Bank introduced a scheme for one time settlement of Specified NPA accounts under CSMSSY - 2017 as proposed by Government of Maharashtra.

4) **Jai Kisan Fasal Rin Mafi Yojana:** The Government of Madhya Pradesh announced a loan waiver scheme named as "Jai Kisan Fasal Rin Mafi Yojana" for the farmers in the state of Madhya Pradesh. In this regard, Bank has introduced a scheme for one time settlement of Agriculture Crop Loan accounts upto ₹ 2 lakh under Jai Kisan Fasal Rin Mafi Yojana as proposed by Government of Madhya Pradesh.

Bank has also made intensive follow up with the defaulting borrowers through visits, letters, notices, Recovery Camps, Lok Adalats, Mahabank Adalats, actions under SARFAESI / DRT Act; services of Recovery Agents / Resolution Agents are engaged so as to have an early resolution. The Bank has also initiated action under the provisions of the Insolvency & Bankruptcy Code 2016 against various large NPA borrowers.

Position of Non-Performing Assets is as under;

(₹ in crore)

Particulars	Amt. as on 31.03.19	Amt. as on 31.03.18	Percentage of (+/-)
Gross NPA	15,324.49	18,433.23	(16.86%)
% to advances	16.40%	19.48%	XXX
Net NPA	4,559.33	9,641.09	(52.71%)
% to advances	5.52%	11.24%	XXX
Cash Recovery	2,570.11	1,960.51	31.09%

2.3 Foreign Exchange Business

(₹ in crore)

Particulars	2018-19	2017-18	Percentage of (+/-)
Total FEX Business Turnover	812,351.14	589,806.00	37.73 %
Merchant Business Turnover	37,311.51	30,687.93	21.58 %
Profit in FEX Business	132.39	110.16	20.18 %

'ए' श्रेणी शाखा के रूप में मुंबई स्थित टीआईबीबी के अतिरिक्त बैंक के ग्राहकों की अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक के पास देश भर में 35 बी श्रेणी की शाखाएं हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए मर्चेन्ट व्यवसाय ₹37311.51 करोड़ रहा।

2.4 निवेश

एसएलआर और गैर-एसएलआर निवेश में निवेश का ब्रेकअप निम्नानुसार दिया गया है:

- 31.03.2019 को सकल निवेश ₹60,163.68 करोड़ रहा, जिसमें से ₹34,170.60 करोड़ एसएलआर प्रतिभूतियां और ₹25,993.08 करोड़ गैर-एसएलआर प्रतिभूतियां हैं। 31.03.2019 को अतिरिक्त एसएलआर प्रतिभूतियां ₹6827.27 करोड़ रही।
- निवल निवेश (प्रावधानों का निवल) 31.03.2018 के ₹43,622.80 करोड़ की तुलना में 31.03.2019 को ₹59,697.05 करोड़ रहा। परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत निवेश का 58.88% शामिल है, जबकि विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस) 31.03.2019 को कुल निवेश पोर्टफोलियो का 41.11% बनाते हैं। निवेश गतिविधि से निवल ब्याज आय पिछले वर्ष के दौरान ₹2,962.41 करोड़ से बढ़कर ₹3689.61 करोड़ हो गई (24.55% की वृद्धि).
- 31.03.2019 को गैर-निष्पादन निवेश ₹266.04 करोड़ रुपए रहा.

2.5 व्यापारी बैंकिंग :

वर्ष के दौरान बैंक ने जारीकर्ता और भुगतानकर्ता एजेंट (आईपीए) के रूप में अपने ग्राहकों के लिए ₹8360 करोड़ (पिछले वर्ष ₹36445 करोड़) के वाणिज्यिक पत्र के 52 मामले (पिछले साल 75 मामले) का संचलन किया है।

2.6 उधारियां :

31 मार्च 2019 को बैंक की उधारियां निम्नानुसार पुनःवित्त सहित, ₹10,149.17 करोड़ रहीः

विवरण	31.03.2019 को राशि	31.03.2018 को राशि	प्रतिशत (+/-)
कुल उधारियां	10149.17	4063.71	149.75
जिनमें से एलएएफ के अंतर्गत भारिबैं उधारियां	1500.00	0.00	-
जिनमें से बाजार आरईएफओ उधारियां	2003.63	0.00	-
जिनमें से टीआरईपीएस (जी-सेक) उधारियां	3277.48	0.00	-
जिसमें से पुनः वित्त			
नाबार्ड	140.00	280.00	(50.00)
एक्जिम बैंक	0.00	67.57	-
एनएचबी	92.62	185.26	(50.01)
मुद्रा	0.00	182.53	
जिनमें से बॉण्ड्स और डिबेंचर पूंजी लिखतों के रूप में उधारियां	3100.00	3300.00	(6.06)
भारत से बाहर उधारियां	35.39	48.31	(26.74)
अन्य	0.05	0.05	-

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, बैंक ने मोचन दिनांक को ₹200 करोड़ की राशि के लिए बेसल II/ बेसल III बॉण्डों का मोचन किया. बैंक ने इसके आस्ति देयता प्रबंधन के भाग के रूप में उधारियां लीं.

2.7 निक्षेपी सेवाएं

- बैंक सितंबर 1999 से ही भारतीय केंद्रीय निक्षेपी सेवाएं लिमिटेड (सीडीएसएल) का निक्षेपी सहभागी (डीपी) है.
- बैंक में मूल सेवा डी-मैट खाता सुविधा (बीएसडीए) का शुभारंभ किया.

Bank has 35 B Category branches across the country catering to the International business needs of the customers of the Bank apart from TIBB at Mumbai as "A" category branch. The Merchant Business for FY 2018-19 stood at ₹ 37311.51Crore.

2.4 Investment

The breakup of Investments into SLR & Non-SLR investments is given below:

- The Gross Investments as on 31.03.2019 stood at ₹ 60,163.68 crore, of which ₹ 34,170.60 crore are SLR securities and ₹ 25,993.08 crore are Non-SLR Securities. The excess SLR securities as on 31.03.2019 stood at ₹ 6827.27 crore.
- The net investments (net of provisions) stood at ₹59,697.05 crore as on 31.03.2019 as compared to ₹43,662.80 crore as on 31.03.2018. Investments under Held to Maturity (HTM) category consisted of 58.88%, while Available for Sale (AFS) comprised of 41.11% of total investment portfolio as of 31.03.2019. The net interest income from investment activity increased to ₹3,689.61 crore from ₹2,962.41 crore during the last year (growth of 24.55%).
- The Non-Performing Investments stood at ₹266.04 crore as on 31.03.2019.

2.5 Merchant Banking:

The Bank handled 52 issues (previous year 75 issues) of Commercial paper amounting to ₹8360 crore (previous year ₹36445 crore) for its clients as an Issuing and Paying Agent (IPA) during the year.

2.6 Borrowings:

The borrowing of the Bank as on 31st March 2019 stood at ₹10,149.17 crore including re-finance as under:

Particular	Amount as on 31.03.2019	Amount as on 31.03.2018	Percentage of (+/-)
Total Borrowing	10149.17	4063.71	149.75
of which Borrowing RBI under LAF	1500.00	0.00	-
of which Borrowing Market REPO	2003.63	0.00	-
of which Borrowing TRePS (G-Sec)	3277.48	0.00	-
of which Refinance from			
NABARD	140.00	280.00	(50.00)
EXIM BANK	0.00	67.57	-
NHB	92.62	185.26	(50.01)
MUDRA	0.00	182.53	
Of which Borrowings in the form of Bonds & debentures capital instruments	3100.00	3300.00	(6.06)
Borrowings outside India	35.39	48.31	(26.74)
Others	0.05	0.05	-

During the FY 2018-19, Bank has redeemed Basel II /Basel III Compliant Bonds for an amount ₹ 200 crore on the redemption date. Bank undertook borrowing as part of its asset liability management.

2.7 Depository Services

- Bank is Depository Participant (DP) of Central Depository Services of India Ltd. (CDSL) since September 1999.
- The Bank has also introduced Basic Services DEMAT Account Facility (BSDA)

2.8 बैंकएश्योरेन्स

बैंकएश्योरेंस व्यवसाय करने हेतु बैंक कॉर्पोरेट एजेंट है। बैंक ने निम्नलिखित बीमा कंपनियों के साथ गठबंधन व्यवस्था की है: जीवन बीमा

- भारतीय जीवन बीमा निगम
- अवीवा लाइफ इंश्योरेंस
- रिलायंस निप्पान लाइफ इंश्योरेंस

सामान्य बीमा

- यूनाइटेड इंडिया इन्श्योरेंस
- फ्यूचर जेनराली इंश्योरेंस

स्वास्थ्य बीमा

- यूनाइटेड इंडिया इन्श्योरेंस
- सीग्ना टीटीके हेल्थ इन्श्योरेंस

वर्ष 2018-19 के दौरान कार्यनिष्पादन: (₹ करोड़ में)

बीमा	पॉलिसियों की संख्या	प्रीमियम	कमीशन
जीवन	10640	67.23	10.07
सामान्य	116842	38.54	5.93
स्वास्थ्य	31203	18.43	3.46
कुल	158685	124.19	19.46

2.9 सरकारी कारोबार

शाखाओं द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान, कुल 721999 प्रत्यक्ष कर चालान और 49276 अप्रत्यक्ष करों के चालान वसूले गए. चालू वर्ष के दौरान केंद्र/ राज्य सरकार से कर वसूली व्यवसाय और अन्य व्यवसाय से ₹5.35 करोड़ का कुल कमीशन प्राप्त हुआ.

वरिष्ठ नागरिकों को सेवा के रूप में, बैंक केन्द्रीय पेंशन प्रोसेसिंग कक्ष (सीपीपीसी) पुणे में केन्द्र सरकार, रक्षा, रेलवे और टेलिकॉम के 110914 से भी अधिक पेंशनरों की मासिक पेंशन की गणना कर उसे खाते में जमा करने का कार्य कर रहा है. वर्ष 2018-19 के लिए सरकारी व्यवसाय (पेंशन) पर ₹14.04 करोड़ का कमीशन प्राप्त हुआ.

सरकार प्रायोजित लघु बचत योजनाएं यथा सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) और सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसए) सभी शाखाओं के माध्यम से ग्राहकों के लिए उपलब्ध की गई है.

2.10 आय, व्यय और लाभप्रदता

बैंक की कुल आय वित्तीय वर्ष 2017-18 में ₹12602.47 करोड़ से वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹12397.06 करोड़ की हो गई.

विस्तृत आय/ व्यय घटक निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19	2017-18	अंतर (प्रतिशत)
अग्रिमों/ बिलों पर ब्याज/ छूट	6566.64	7072.71	(7.16)
निवेशों पर आय	3689.61	2962.41	24.55
अंतर बैंक उधारी पर ब्याज एवं अन्य ब्याज	593.35	1061.30	(44.09)
कुल ब्याज आय	**10849.60**	**11096.41**	(2.22)
गैर ब्याज आय	1547.46	1506.06	2.75
कुल आय	**12397.06**	**12602.48**	(1.63)
जमा पर ब्याज	6750.94	7133.17	(5.36)
उधारी पर ब्याज	29.57	11.49	157.35
अन्य ब्याज व्यय	335.61	562.02	(40.29)
कर्मचारी व्यय	1794.17	1618.06	10.88

2.8 Bancassurance

Bank is corporate agent for carrying out Bancassurance business. Bank has made tie up arrangements with following insurance companies: Life Insurance

- LIC of India
- Aviva Life Insurance
- Reliance Nippon Life insurance

General Insurance

- United India Insurance
- Future General Insurance

Health Insurance

- United India Insurance
- Cigna TTK Health Insurance

Performance during the year 2018-19: (₹ in crore)

Insurance	No. of Policies	Premium	Commission
Life	10640	67.23	10.07
General	116842	38.54	5.93
Health	31203	18.43	3.46
Total	158685	124.19	19.46

2.9 Government Business

During the year 2018-19, 721999 challans of Direct Taxes and 49276 challans of Indirect taxes were collected by the branches. Total commission to the tune of ₹5.35 Crore was received on Tax collection business from Central/state Government and other business in current year

As a service to senior citizens, the Bank is processing and crediting monthly pension payments of more than 110914 Central Government, Defence, Railway and Telecom pensioners at Central Pension Processing Cell (CPPC), Pune. The commission on Government Business (Pension) for the Year 2018-19 is ₹ 14.04 Cr.

Government Sponsored Small Saving Schemes like Public Provident Fund (PPF), Senior Citizen Saving Scheme (SCSS) and Sukanya Samruddhi Account (SSA) is now made available to customers through all Branches

2.10 Income, Expenditure and Profitability

The total income of the Bank stood at ₹ 12397.06 crore in FY 2018-19 as compared to ₹12602.47 crore in FY 2017-18.

The detailed income/ expenditure components are as under:

(₹ in crore)

Particulars	2018-19	2017-18	Variation (per cent)
Interest / discount on advances / bills	6566.64	7072.71	(7.16)
Income on investments	3689.61	2962.41	24.55
Interest on interbank lending & other Interest	593.35	1061.30	(44.09)
Total interest income	**10849.60**	**11096.42**	(2.22)
Non-interest income	1547.46	1506.05	2.75
Total Income	**12397.06**	**12602.47**	(1.63)
Interest on deposits	6750.94	7133.17	(5.36)
Interest on borrowings	29.57	11.49	157.35
Other Interest expenditure	335.61	562.02	(40.29)
Staff expenses	1794.17	1618.06	10.88

(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19	2017-18	अंतर (प्रतिशत)
अन्य परिचालनगत व्यय	1289.16	1086.33	18.67
कुल गैर ब्याज व्यय	**3083.33**	**2704.39**	14.01
कुल व्यय	**10199.45**	**10411.07**	(2.03)
परिचालनगत लाभ	2197.61	2191.40	0.28
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	6981.49	3337.05	109.21
निवल लाभ	(4783.88)	(1145.65)	317.57

2.11 वित्तीय अनुपात

विवरण	2018-19	2017-18
ईपीएस (₹)	(14.26)	(8.98)
आय से लागत का अनुपात (प्रतिशत)	58.39	55.24
आस्तियों पर आय(प्रतिशत)	(3.01)	(0.73)
इक्विटी पर आय (प्रतिशत)	(207.99)	(42.43)
प्रति शेयर बही मूल्य (₹)	10.24	23.73
प्रति शाखा लाभ (₹ लाख में)	(261.13)	(62.06)
प्रति कर्मचारी लाभ (₹ लाख में)	(37.05)	(8.86)
प्रति शाखा कारोबार (₹ करोड़ में)	127.79	126.56
प्रति कर्मचारी कारोबार (₹ करोड़ में)	18.13	18.07
औसत कार्यकारी निधियों से प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	6.82	7.03
औसत कार्यकारी निधियों से प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याजी आय	0.97	0.95
निवल ब्याज मार्जिन (प्रतिशत)*	2.53	2.32
औसत कार्यकारी निधियों से प्रतिशत के रूप में परिचालनगत लाभ	1.38	1.39
औसत कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में स्टाफ खर्च	1.13	1.03
नेटवर्थ (₹ करोड़)	5859.73	6159.92
सीआरएआर(%) (बेसल III)	11.86	11.00
जिसमें से, टियर I सीआरएआर (%) (बेसल III)	9.91	9.01

***औसत ब्याज अर्जक आस्तियों के आधार पर गणना की गई**

2.12 भारत सरकार से पूंजी

भारत सरकार ने दो ट्रैन्च में ₹ 4703 करोड़ की अतिरिक्त पूंजी लगाई है ; 31.12.2018 को ₹4498 और 21.02.2019 को ₹205 करोड़.

2.13 नेटवर्थ

बैंक का नेटवर्थ ₹ 6159.92 करोड़ की तुलना में 31.03.2019 को ₹5859.73 करोड़ हो गया.

2.14 पूंजी पर्याप्तता अनुपात

बेसल-III मानदंडों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा न्यूनतम निर्धारित 10.875% (सीसीबी सहित) के पूंजी पर्याप्तता अनुपात की तुलना में 31.03.2019 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 11.859 % रहा. सामान्य इक्विटी टियर-I 9.883% रहा.

2.15 लाभांश : आपके निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कोई भी लाभांश प्रस्तावित नहीं किया क्योंकि बैंक ने हानि उपचित की है.

(₹ in crore)

Particulars	2018-19	2017-18	Variation (per cent)
Other Operating expenses	1289.16	1086.33	18.67
Total Non-interest expenses	**3083.33**	**2704.39**	14.01
Total Expenses	**10199.45**	**10411.07**	(2.03)
Operating Profit	2197.61	2191.40	0.28
Provisions and Contingencies	6981.49	3337.05	109.21
Net Profit/(Loss)	(4783.88)	(1145.65)	317.57

2.11 Financial Ratios

Particulars	2018-19	2017-18
EPS (₹)	(14.26)	(8.98)
Cost to Income Ratio (percent)	58.39	55.24
Return on assets (percent)	(3.01)	(0.73)
Return on equity (per cent)	(207.99)	(42.43)
Book value per share (₹)	10.24	23.73
Profit per Branch (₹ in lakh)	(261.13)	(62.06)
Profit per employee (₹ in lakh)	(37.05)	(8.86)
Business per Branch (₹ in crore)	127.79	126.56
Business per employee (₹ in crore)	18.13	18.07
Interest income as per cent to Average working funds	6.82	7.03
Non-Interest income as per cent to average working funds	0.97	0.95
Net Interest Margin (per cent)*	2.53	2.32
Operating Profit as per cent to average working Funds	1.38	1.39
Staff expenses as a percent to average working funds	1.13	1.03
Net worth (₹ Crore)	5859.73	6159.92
CRAR (%) (Basel III)	11.86	11.00
Of which, Tier I CRAR (%) (Basel III)	9.91	9.01

* Calculated on the basis of average interest earning assets.

2.12 Capital from Government of India

The Government of India has infused total additional capital of ₹ 4703 crore in two tranches; ₹4498 crore on 31.12.2018 and ₹205 crore on 21.02.2019.

2.13 Networth

The Bank's Net Worth stood at ₹ 5859.73 crore as on 31.03.2019 as against ₹ 6159.92 crore.

2.14 Capital Adequacy Ratio

The Capital Adequacy ratio stood at 11.859 % as on 31.03.2019, against the minimum of 10.875% (including CCB) prescribed by RBI in terms of Basel III norms. The Common Equity Tier 1 Ratio stood at 9.883%.

2.15 Dividend : Your Board do not propose any dividend for the FY 2018-19, as the Bank has incurred loss.

3. संसाधन : शाखा नेटवर्क, मानव संसाधन, आईटी अवसंरचना, ग्राहक अनुक्रियाशीलता और अन्य:

3.1 शाखा/ एटीएम नेटवर्क

31.03.2019 को बैंक शाखा नेटवर्क में कुल 1832 शाखाएं थीं, जो सभी राज्यों तथा 4 संघशासित क्षेत्रों में फैली हुई है. इस शाखा नेटवर्क में विदेशी मुद्रा, सरकारी कारोबार, खजाना एवं अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, औद्योगिक वित्त, लघु उद्योग तथा उच्च तकनीक कृषि क्षेत्रों की विशेषज्ञ शाखाएं, पेंशन भुगतान शाखा, स्व-सहायता समूह इत्यादि विशेषीकृत शाखाएं शामिल हैं.

दिनांक 31.03.2019 को शाखाओं का क्षेत्रवार वर्गीकरण नीचे सारणी में दिया गया है:

क्र.	वर्गीकरण	31.03.2019 को	31.03.2018 को
1	ग्रामीण	615	616
2	अर्ध-शहरी	426	427
3	शहरी	325	329
4	महानगरीय	466	474
	कुल	**1832**	**1846**

अपने परिचालन खर्चों को कम करने के बैंक के प्रयासों के भागस्वरूप, यह सुनिश्चित करते हुए कि ग्राहकों को कोई असुविधा नहीं हो, बैंक ने वर्ष के दौरान 14 शाखाओं का विलय किया है, जो एक दूसरे के करीब स्थित थीं.

एटीएम नेटवर्क

	31.03.2019	31.03.2018
ऑफसाइट	552	559
ऑनसाइट	1306	1305
कुल	**1858**	**1864**

3.2 मानव संसाधन प्रबंधन

बैंक ने व्यापक मनुष्यबल नीति लागू की है, जिसमें उपयुक्त और आवश्यकता आधारित कर्मचारियों को नियुक्त/ तैयार करने, प्रशिक्षण, कार्य संवर्धन, बेहतर कार्यनिष्पादन की पहचान व पुरस्कार, कैरियर निर्माण, कल्याण के माध्यम से कर्मचारियों को संस्था में बनाए रखने तथा उनके विकास हेतु योजना दी गई है.

भर्ती : वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक ने निम्नानुसार कर्मचारियों की भर्ती की :

वेतनमान श्रेणी I के 520 अधिकारियों, 4 सुरक्षा अधिकारी, 1 फायर इंजीनियर, 17 सनदी लेखाकार, 4 सिविल इंजीनियर, वेतनमान श्रेणी II में 2 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, 2 ऋण जोखिम अधिकारी, 1 बाज़ार जोखिम अधिकारी, 1 सिविल इंजीनियर, 1 मुख्य प्रबंधक तुलन पत्र, वेतनमान श्रेणी IV में परियोजना मूल्यांकन के लिए 7 अधिकारियों की भी भर्ती की.

बैंक ने 290 लिपिकों की भी भर्ती की.

वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, त्याग पत्र, सेवा से हटाने इत्यादि एवं मृत्यु के कारण 1044 कर्मचारी सेवा में नहीं रहे.

2018-19 के दौरान अधिकारियों के लिए अंतर्वेतनमान पदोन्नति प्रक्रिया आयोजित की गई. उम्मीदवारों को निम्नानुसार पदोन्नति प्रदान की गई :

कप्रवेश्रे-I से मप्रवेश्रे- II	मप्रवेश्रे- II से मप्रवेश्रे- III	मप्रवेश्रे- III से वप्रवेश्रे- IV	वप्रवेश्रे- IV से वप्रवेश्रे-V	वप्रवेश्रे-V से वप्रवेश्रे- VI	वप्रवेश्रे- VI से उकावेश्रे- VII
1080	103	103	35	15	5

वर्ष 2018-19 के दौरान 149 अंशकालिक अधीनस्थ कर्मचारी को अधीनस्थ कर्मचारी किया गया, 3 लिपिकों को वेतनमान श्रेणी I अधिकारी में पदोन्नति दी गई.

3. RESOURCES: BRANCH NETWORK, HUMAN RESOURCES, IT INFRASTRUCTURE, CUSTOMERS RESPONSIVENESS AND OTHERS:

3 .1 Branch/ATM Network

As on 31.03.2019, the total branch network comprised of 1832 branches spread across all the States and 4 union territories. The branch network includes specialized branches in the area of foreign exchange, Government business, Treasury and International Banking, Industrial Finance, Small Scale Industry and Hi-tech agriculture, Pension Payment, Self Help Groups etc.

Area wise classification of branches as on 31.03.2019 is given in the table below:

Sr. No.	Classification	As on 31.03.2019	As on 31.03.2018
1	Rural	615	616
2	Semi-Urban	426	427
3	Urban	325	329
4	Metro	466	474
	Total	**1832**	**1846**

As part of Bank's endeavor to curtail its operating expenses, Bank has merged 14 branches during the year, which were in close vicinity of each other, ensuring that no discomfort was caused to the customers.

ATM NETWORK

	31.03.2019	31.03.2018
Offsite	552	559
Onsite	1306	1305
Total	**1858**	**1864**

3.2 Human Resources Management

The Bank has put in place a comprehensive HRM Policy that provides the road map for acquiring appropriate & need based human resources, its development through training, job enrichment, reward and recognition for better performance, career progression, welfare and retention.

Recruitment: During the year 2018-19 the Bank has recruited employees as under:

520 Officers in Scale I, 4 Security Officers, 1 Fire Engineer, 17 Chartered Accountants 4 Civil Engineers, 2 Electrical Engineers in Scale II, 2 Credit Risk Officers, 1 Market Risk Officer, 1 Civil Engineer, 1 CM Balance Sheet, 7 Officers for Project Apprisal, in Scale IV.

The Bank has also recruited 290 Clerks.

During the year, 1044 employees ceased to be in service on account of retirement, VRS, resignation, termination etc. and death.

Inter scale promotions of officers were carried out during 2018-19. Following number of candidates were promoted.

JMGS-I TO MMGS-II	MMGS-II to MMGS III	MMGS-III TO SMGS-IV	SMGS-IV TO SMGS-V	SMGS-V TO SMGS-VI	SMGS-VI TO TEGS-VII
1080	103	103	35	15	5

During the year 2018-19, 149 Part Time Sub-staff employees were absorbed in Sub-staff cadre, 3 Clerks were promoted to Officer Cadre in Scale I.

31.03.2019 के अनुसार लिंग अनुपात सहित संवर्गवार कार्मिक स्थिति निम्नानुसार है :

श्रेणी	पुरुष	%	महिला	%	कुल
अधिकारी	4813	72.33	1841	27.67	**6654**
लिपिक	2937	65.31	1560	34.69	**4497**
अधीनस्थ कर्मचारी	1570	89.10	192	10.90	**1762**
कुल	**9320**	72.18	**3593**	27.82	**12913**

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति समुदायों को अग्रिमों के संवितरण एवं वसूली में सर्वोच्च 3 शाखाओं को भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के नाम से चल ट्राफी से सम्मानित किया गया.

बैंक के औद्योगिक संबंध अच्छे हैं.

बैंक भारत सरकारी की आरक्षण नीति का अनुपालन करता है. आरक्षण नीतियों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने हेतु तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग सार्वजनिक रूप से अक्षम कर्मचारियों के साथ-साथ भूतपूर्व सैनिकों की शिकायतों के निवारण हेतु प्रधान कार्यालय एवं सभी अंचल कार्यालयों में विशेष कक्ष कार्यरत हैं. बैंक ने प्रधान कार्यालय स्तर पर मुख्य संपर्क अधिकारी को नामित किया है तथा अंचल कार्यालयों में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कक्ष की स्थापना की गई है. आरक्षण नीति के कार्यान्वयन तथा अन्य संवैधानिक संरक्षणों एवं साथ ही व्यवसाय वृद्धि में सहभागिता के संबंध में चर्चा हेतु वर्ष के दौरान एससी/ एसटी/ ओबीसी कर्मचारी संगठन के साथ आवधिक बैठकों का आयोजन किया गया.

अनुकंपा नियुक्तियां - भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार तैयार किए गए अक्षमता के कारण दोहन या निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों के 'अनुकंपा नियुक्तियों'/ एक्स ग्रेशिया एकमुश्त रकम का भुगतान करने की योजना को कार्यान्वित किया गया. वर्ष 2018-19 के लिए अनुकंपा नियुक्तियों का विवरण और पूर्व-अनुदान एकमुश्त राशि का भुगतान निम्नानुसार है:

अनुकंपा नियुक्तियां		पूर्व-अनुदान का भुगतान	
संवर्ग	**कर्मचारियों की संख्या**	**कर्मचारियों की संख्या**	**प्रदत्त राशि**
लिपिक	10	1	7,00,000/-
अधीनस्थ कर्मचारी	19	शून्य	शून्य

अंशदायी समूह बीमा मेडिक्लेम पॉलिसी सभी कर्मचारियों सहित सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए अंशदायी समूह बीमा मेडिक्लेम पॉलिसी का नवीनीकरण 01.04.2018 से किया गया है तथा वर्तमान कर्मचारियों के लिए बीमा की रकम बढ़ाकर ₹10.00 लाख की गई. पॉलिसी के नवीनीकरण के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

कर्मचारी	कर्मचारियों की संख्या	प्रीमियम भुगतान (₹ लाख में)
विद्यमान	719	100.48
सेवानिवृत्त	1662	229.52
कुल	2381	330.00

भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान के पाठ्यक्रमों एवं प्रतिष्ठित संस्थानों से एमबीए एवं सीएफए के पाठ्यक्रमों के संबंध में **परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति** तथा नकद प्रोत्साहन/मानधन का भुगतान किया जाता था जिसके अंतर्गत पाठ्यक्रमों की सूची में अतिरिक्त पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है जिनके शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी; इसके साथ अब परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु कुल 35 पाठ्यक्रमों को पात्र घोषित किया गया है.

किसी स्थान पर **ड्यूटी के दौरान** अधिकारी की दुर्घटना/ जख्मी होने पर **अस्पतालीकरण व्ययों की 100% प्रतिपूर्ति** के साथ उसे विशेष छुट्टी प्रदान करने की नीति तैयार की गई है.

प्रशिक्षण गतिविधियां :

वर्तमान एवं उभरते हुए व्यावसायिक अवसरों के संबंध में विभिन्न स्तरों पर कौशल के अभाव के नियमित आवधिक निर्धारण की ओर ध्यान दिलाने हेतु बैंक के पास एक प्रशिक्षण प्रणाली उपलब्ध है। वर्ष के दौरान ऋण में कौशल निर्माण,

Cadre wise staff position as of 31.3.2019 with sex ratio percentage is as under:

Category	Male	%	Female	%	Total
Officers	4813	72.33	1841	27.67	**6654**
Clerks	2937	65.31	1560	34.69	**4497**
Sub-staff	1570	89.10	192	10.90	**1762**
Total	**9320**	72.18	**3593**	27.82	**12913**

The top three branches in disbursement and recovery of advances to SC/ST community were awarded Rolling Trophy in name of Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar.

The Bank has healthy industrial relations.

The Bank has been complying with the reservation policy of Govt. of India. Special Cells at Head Office and all Zonal Offices are functioning to monitor the implementation of the reservation policies and to redress grievances of SC/ST/OBC & Physically challenged employees as well as ex-servicemen. The Bank has designated Chief Liaison Officers at Head Office and has set up SC/ST Cells at all Zonal Offices. During the year periodical meetings were held with SC/ST/OBC Employees Association to discuss implementation of reservation policy and other constitutional safe guards and also to facilitate involvement in business growth.

Compassionate Appointments-A Scheme for 'Compassionate Appointments' / Payment of Ex-gratia lump-sum amount to /of heirs of employees dying in harness or retiring due to incapacitation framed as per the directives of Government of India, has been implemented. The details of compassionate appointments and payment of Ex-gratia lump-sum amount for the year 2018-19 is as under:

Compassionate Appointments		Payment of Exgratia	
Cadre	**No.of employees**	**No.of employees**	**Amount paid**
Clerk	10	1	7,00,000/-
Sub-staff	19	Nil	Nil

The **Contributory Group Insurance Mediclaim Policy** for all employees including retired employees, has been renewed w.e.f. 1.4.2018 and the Sum insured for existing employees is upto ₹10.00 Lacs. The details of renewal of policy are as under:

Employees	No.of Employees	Premium paid (₹ in lakh)
Existing	719	100.48
Retired	1662	229.52
Total	2381	330.00

The **reimbursement of examination fees &** payment of cash incentive / Honorarium in respect of courses from Indian Institute of Banking & Finance, MBA from reputed Institutions & CFA has been widened by adding courses in the list of courses for reimbursement of fees; thereby making total 35 courses eligible for reimbursement of examination fees.

A policy for granting special leave and **100% reimbursement of hospitalization expenses** to officers when he/she meets with an accident / injury **while on duty** is in place.

Training Activities:

The Bank has a training system which facilitates attention to regular periodic assessment of skill gaps at various levels in relation to existing and emerging business opportunities. Skill

विदेश विनिमय, ग्राहक संबंध प्रबंधन, विभिन्न उत्पादों एवं सेवाओं का विपणन, ऋण निगरानी एवं वसूली, जोखिम प्रबंधन, तकनीक आधारित बैंकिंग, शाखा प्रबंधन, सांविधिक, कानूनी एवं नीतिगत आवश्यकताओं का अनुपालन तथा प्रतिरोधक सतर्कता के संबंध में विशेष ध्यान दिया गया.

एसएमई को वित्तपोषण, रिटेल उधारी, कृषि वित्त, सॉफ्ट कौशल एवं ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए.

01.04.2018 से 31.03.2019 की अवधि के दौरान प्रशिक्षित कर्मचारियों का संवर्गवार ब्यौरा निम्नानुसार है :

संवर्ग	कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षण के कुल दिन	प्रशिक्षित कर्मचारी
अधिकारी	197	584	5272
लिपिक	115	329	2023
अधीनस्थ कर्मचारी	57	133	1042
कुल	**369**	**1046**	**8337**

3.3 प्रौद्योगिकी पहलें

वर्ष 2018-19 बैंक के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन का वर्ष रहा। 2018-2019 के दौरान बैंक की विभिन्न प्रमुख आईटी परियोजनाएं शुरू की गई और सफलतापूर्वक आरंभ/उन्नत की गई, जो निम्नानुसार सूचीबद्ध की गई हैं:

1. बैंक में विभिन्न स्थलों पर बैंक ने 607 स्व-अद्यतन पासबुक प्रिंटर कियोस्क और 106 थोक नोट स्वीकरण मशीनों और 75 कैश रिसायकलर्स का कार्यान्वयन किया. इसे ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति/ संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए जारी रखा जाएगा.
2. बैंक ने अपनी वर्तमान लीज्ड लाइन की बैंडविड्थ को 2 एमबीपीएस तक उन्नत करने के लिए बीएसएनएल से गठबंधन किया है. 31.03.2019 को 1640 लीज्ड लाइन की बैंडविड्थ को 2 एमबीपीएस तक उन्नत किया गया है. हमारी प्रणाली को अधिक लचीला बनाने के लिए, बैंडविड्थ को एयरटेल, वोडाफोन, सिफी और टीसीएल सहित अतिरिक्त नेटवर्क सेवा प्रदाताओं से उपलब्ध कराया गया है. अब तक 813 शाखाओं में दोहरी सेवा प्रदाता हैं.
3. सीबीएस सिस्टम के साथ स्विफ्ट का समन्वयन 27.04.2018 को प्राप्त किया गया है.
4. (NCMC) - बैंक ने NCMC कार्ड जारी करने के लिए नियर फील्ड कम्युनिकेशन का उपयोग करते हुए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) का कार्यान्वयन किया है. बैंक की स्थिति 08.01.2019 से बंद उपयोगकर्ता समूह (क्लोज्ड यूज़र ग्रुप) के अंतर्गत लाइव है.
5. बैंक पुणे नगर निगम (PMC) एमएसईडीसीएल बिल भुगतान को बीबीपीएस प्लेटफॉर्म पर कॉर्पोरेट बिल भुगतान समाधान प्रदान कर रहा है.
6. ध्वनिपूर्ण घोषणा के साथ टोकन डिस्प्ले के लिए कतार प्रबंधन प्रणाली के साथ डिजिटल मीडिया साइनेज सिस्टम को 16.01.2019 को शिवाजी नगर शाखा में पायलट आधार पर लाइव किया गया है. समन्वित कतार प्रबंधन प्रणाली प्राथमिक रूप से 100 शाखाओं में लागू की जाएगी.
7. हमारे आईटी डिवीजन के लिए अगस्त 2015 में आईएसओ 27001: 2013 प्रमाणन प्राप्त किया गया, जिसमें प्र.का.- आईटी, डीसी, डीआर और सीबीएस परियोजना कार्यालय शामिल हैं. बैंक सतत रूप से अनुपालन सुनिश्चित कर रहा है और वर्ष 2016-17, 2017-18 और हाल ही में 2018-19 के लिए भी आईएसओ 27001:2013 प्रमाणन की निरंतरता के लिए सर्विलेंस लेखा परीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा किया है.
8. बैंक को डेबिट कार्ड पर्यावरण सुरक्षा के अनुपालन के लिए पहला PCI DSS प्रमाणपत्र 12.09.2014 को और बाद के वर्षों के लिए 12.09.2015, 12.09.2016, 12.09.2017 और हाल ही में 06.11.2018 को प्रदान किया गया.

building in credit, Forex, customer relationship management, marketing of products and services, credit monitoring and recovery, risk management, technology based banking, branch management, complying with statutory, legal and policy requirements and preventive vigilance received special attention during the year.

Training programs were also held on thrust areas like financing MSMEs, retail lending, agriculture finance, soft skills and rural development.

Cadre-wise Break up of Employees trained during the period 1.4.2018 to 31.03.2019 are as under-

Cadre	No. of Programmes	Training Days	Employees Trained
Officers	197	584	5272
Clerks	115	329	2023
Substaff	57	133	1042
Total	**369**	**1046**	**8337**

3.3 Technology Initiatives

The Year 2018-2019 was a Technology Upscaling year for the Bank. The Bank had taken up & successfully initiated / upscaled various Major IT Projects during 2018-19 which are enumerated as under:

1. The Bank has implemented 607 Self Update Pass Book Printing Kiosks, 106 Bunch Note Acceptor Machines and 75 Cash Recyclers at various locations across the Bank. The same shall be continued to ensure fulfilment of customer requirements/ satisfaction.
2. The Bank has a tie up with BSNL for upgrading the Bandwidth of the existing Leased Lines to 2 Mbps. As on 31.03.2019, bandwidth of 1640 leased lines is upgraded to 2 Mbps. In order to make our systems more resilient, bandwidth is made available from Additional Network Service Providers including Airtel, Vodafone, Sify and TCL. So far 813 branches have dual service providers.
3. Integration of SWIFT with CBS System is achieved on 27.04.2018.
4. (NCMC) – The Bank has implemented National Common Mobility Card (NCMC) using Near Field Communication for issuance of NCMC Cards. Bank's status is Live under Closed User Group from 08.01.2019.
5. Bank is offering corporate bill payment solution to Pune Municipal Corporation (PMC) MSEDCL bill payments on BBPS platform.
6. Digital Media Signage System with the Queue Management System for token display with sound announcement is made live on Pilot basis at Shivaji Nagar Branch on 16.01.2019. The Integrated Queue Management System will be implemented across 100 branches initially.
7. The ISO 27001: 2013 certification was achieved for our IT division covering HO-IT, DC, DR and CBS Project Office in August 2015. Bank is ensuring continued compliance & successfully completed the Surveillance Audit for the continuation of ISO 27001: 2013 Certification for the year 2016-17, 2017-18 and recently 2018-19 as well.
8. The first PCI DSS certificate was awarded towards compliance of Debit Card environment security to the Bank on 12.09.2014 and for subsequent years on 12.09.2015, 12.09.2016, 12.09.2017 and recently on 06.11.2018.

9. बेहतर ग्राहक अनुभव के लिए 05.09.2018 से नेक्स्ट जेनेरेशन कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग मॉड्यूल कार्यान्वित किया गया. प्रत्येक कॉर्पोरेट उपयोगकर्ता के पास उपयोगकर्ता विशिष्ट प्रति लेन-देन, प्रति दिन सीमा विकल्प उपलब्ध हो सकता है. कॉर्पोरेट उपयोगकर्ता "पूछताछ और विवरण देखना" के लिए व्यू ऑनली सुविधा ले सकते हैं. स्वचालित इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड निर्माण और फॉरगॉट पासवर्ड कार्यप्रणाली उपलब्ध है.

10. बैंक सक्रिय रूप से भीम आधार पे भुगतान चैनल को बढ़ावा दे रहा है और 31.03.2019 को 29205 व्यापारी ऑन-बोर्ड हैं.

11. एटीएम और ग्राहकों की सुरक्षा व संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीकृत ई-निगरानी प्रणाली 15 और एटीएमों पर लागू की गई, जिससे इस प्रणाली के अंतर्गत कुल 475 एटीएम कवर किए गए हैं. इसे शीघ्र ही और अधिक एटीएम में विस्तारित किया जाएगा.

12. बैंक ने सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) लागू की है, सरकारी एजेंसियां सीधे प्राप्तकर्ता बैंक खाते में भुगतान करने के लिए इसका उपयोग करती हैं. 31.03.2019 को, बैंक के पास पीएफएमएस के तहत 46323 खाते थे और इन खातों में कुल शेष ₹4,936.11 करोड़ था.

13. बैंक अपने कासा खातों के लिए अलग-अलग वेरिएंट जैसे वीजा इएमवी, रूपे क्लासिक, रूपे प्लैटिनम आदि में रूपे और वीजा डेबिट कार्ड जारी करता है. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी कार्ड EMV चिप आधारित हैं. बैंक का कुल कार्ड आधार 31.03.2019 को 52.83 लाख रहा.

14. हमारे इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से करों के ऑनलाइन भुगतान, यूटिलिटी बिल भुगतान, ऑनलाइन शॉपिंग / ई-कॉमर्स, रेलवे आरक्षण, एलआईसी प्रीमियम भुगतान, ई-एसबीटीआर आदि की सुविधा और बैंक के साथ डीमैट खाता खोलने और कर जमा विवरण 26AS देखने के लिए विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं.

15. **एनपीए और वसूली:** निम्नलिखित पहलें की गईं:

    क. एनपीए की दैनिक निगरानी में सहायता के लिए शाखाओं / अंचलों / प्रधान कार्यालय के लिए गतिशीलता (मोबिलिटी) एप्लिकेशन.

    ख. ऋण निगरानी / एनपीए की वसूली, चालू माह के लिए संभावित एनपीए, चालू माह के लिए नए स्लिपेज, SMA0, SMA1, SMA2, स्टॉक विवरण समाप्ति के मामले, अगले 30 दिनों में कार्यशील पूंजी सीमा समाप्त होने, समयबद्ध दस्तावेज, कार्यशील पूंजी पर टर्नओवर तुलना, प्रतिभूति समाप्त होना और प्रतिभूति उपलब्ध न होने के मामले, बीमा उपलब्ध न होना या समाप्त होना, मूल्यांकन समाप्त होना, सिबिल अस्वीकृति से संबंधित डेटा तत्वों के मामले में विभिन्न अपवाद, बीजी अवधि समाप्त आदि के लिए आंतरिक वेब आधारित अनुप्रयोग हैं।

    ग. एनपीए वसूली में प्रगति के विवरण पर विभिन्न आंतरिक डैशबोर्ड, एनपीए और वसूली की क्षेत्रवार स्थिति, वसूली पर विभिन्न योजनाएं.

    घ. ऑनलाइन ओटीएस पोर्टल.

    ड. दैनिक आधार के साथ ही मासिक मुद्रांकन पर आईआरएसी संचलन के प्रबंधन के लिए सीबीएस में प्रावधान और आस्ति वर्गीकरण.

    च. ईएमआई अनुस्मारकों के लिए उधारकर्ताओं को एसएमएस.

16. बैंक के पास मजबूत सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ISMS) ढांचा है. बैंक ने आंतरिक और बाहरी ग्राहकों के लिए गोपालकृष्ण समिति द्वारा अनुशंसित प्रमुख सुरक्षा पहलों को भी लागू किया है.

17. बैंक ने अत्याधुनिक तकनीकी के साथ साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र (CSOC) लागू किया है, जिसमें निम्नलिखित शामिल है -

    क. सुरक्षा सूचना और घटना प्रबंधन (SIEM) समाधान

    ख. उन्नत हमलों का मुकाबला करने के लिए एंटी-एडवांस परसिसटेंट थ्रेट (एंटी-एपीटी) समाधान.

    ग. सर्वर पर महत्वपूर्ण फ़ाइलों हेतु अनधिकृत परिवर्तनों का पता लगाने के लिए फ़ाइल समन्वय निगरानी (FIM)

9. Next generation Corporate Internet Banking Module is implemented w.e.f. 05.09.2018 for better customer experience. Each Corporate user can have user specific per transaction, per day limit option available. Corporate Users can also avail View only facility for “Enquiry and Statement Viewing”. Automated Internet Banking Password Generation and Forgot Password functions are available.

10. The Bank is actively promoting BHIM Aadhaar Pay payment channel and 29205 Merchants are on-boarded as on 31.03.2019.

11. Centralized e-Surveillance system is implemented at 15 more ATMs taking the total count to 475 ATMs being covered under this system; ensuring safety and security of ATMs & Customers. This will be extended across more ATMs shortly.

12. Bank has implemented Public Financial Management System (PFMS) which is used by Government Agencies to make payments directly into the recipients Bank Account. As on 31.03.2019, Bank had 46323 Accounts under PFMS & the total balance in these accounts was ₹4936.11 Crore

13. The Bank issues Rupay and Visa debit cards in different variants such as Visa EMV, Rupay Classic, Rupay Platinum etc. to its CASA Accounts. As per RBI guidelines, all the cards are EMV Chip based. The total card base of the bank stands at 52.83 Lakh as on 31.03.2019

14. Various facilities are being provided through our Internet Banking platform for facilitating online payment of taxes, utility bill payments, online shopping / e-commerce, railway reservation, LIC premium payment, e-SBTR etc. and facility for viewing tax credit statement 26AS and Demat account with the Bank.

15. **NPA and Recovery:** Following initiatives were undertaken:

    a. Mobility application for Branches/Zones/Head Office to assist in daily monitoring of NPA.

    b. Internal web based applications for credit monitoring/ recovery of NPA, potential NPAs for current month, fresh slippages for current month, SMA0 , SMA1, SMA2, Stock statement expiry cases, working capital limit expiring in next 30 days, time barred documents, turnover comparison on working capital, security expired and security not available cases, insurance not available or expired, valuation expired, various exceptions in case of data elements related to CIBIL rejections, BG expired etc.,

    c. Various internal dashboards on details of progress in NPA Recovery, Sector Wise Position of NPA and Recovery, various schemes on recovery.

    d. Online OTS Portal

    e. Asset Classification and provisioning in CBS for managing the IRAC movement on daily basis as well as monthly stamping

    f. SMS to borrowers for EMI reminders.

16. Bank has robust Information Security Management System (ISMS) framework in place. Bank has also implemented major security initiatives recommended by Gopalakrishna Committee for internal and external customers.

17. Bank has implemented Cyber Security operations Centre (CSOC) with state of the art technologies including,

    a) Security Information and Event Management (SIEM) solution

    b) Anti-Advanced Persistent Threat (Anti-APT) Solution for combatting advanced attacks.

    c) File Integrity Monitoring (FIM) for detecting unauthorized changes to critical files on Servers

घ. विशेषाधिकार पहचान प्रबंधन उपकरण (पीआईएम) जो लॉगिन के लिए दो कारक प्रमाणीकरण वाले सभी विशेषाधिकार उपयोगकर्ताओं के लिए विशेषाधिकार उपकरणों, सर्वरों और अनुप्रयोगों तक पहुंचने के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल-आधारित समेकन है.

ड. नेटवर्क विसंगतियों की पहचान करने के लिए नेटवर्क बिहेवियरल एनॉमली डिटेक्शन (NBAD) उपकरण.

च. फ़िशिंग हमलों से निपटने के लिए बैंक एंटी-फ़िशिंग, एंटी-ट्रोजन और एंटी-रॉग सेवाएं भी प्राप्त कर रहा है.

18. बैंक ने **दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) और शीघ्र चेतावनी संकेतक (ईडब्ल्यूएस) समाधानों के साथ ऋण जीवन चक्र प्रबंधन सॉफ्टवेयर (एलएलएमएस)** के कार्यान्वयन की शुरुआत की है.

19. बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव और डेटा इंटीग्रिटी के मुद्दों को हल करने के लिए उन्नत विशेषताओं के साथ सीबीएस फ्रंट एंड वर्जन अपग्रेडेशन शुरू किया गया है.

20. मोबाइल आधारित सीटीएस एप्लिकेशन उपयोगकर्ता अनुकूल और लागत प्रभावी समाधान है। तीन शाखाओं में POC सफलतापूर्वक लागू किया गया था और ये तीनों शाखाएँ सेवा शाखा चेन्नई यानि CTS के साउथ ग्रिड से जुड़ी हुई हैं, जहाँ एप्लिकेशन प्रदाता (मोबाइल आधारित CTS) बैंक को सेवाएं प्रदान कर रहा है.

21. बैंक को मध्यम बैंकों के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ आईटी जोखिम प्रबंधन और साइबर सुरक्षा पहल के लिए आईबीए बैंकिंग टेक्नॉलॉजी अवार्ड प्राप्त हुआ.

22. **हनीपॉट समाधान:** बैंक ने पहल की है और सक्रिय खतरे का पता लगाने के लिए अवधारणा का प्रमाण (POC) के एक भाग के रूप में डिसेप्टिव तकनीकी लागू की है.

3.4 बैंक द्वारा की गई ग्राहक उन्मुख पहल

बैंक ने गोईपोरिया समिति, डॉ. एस. एस. तारापोर समिति एवं दामोदरन समिति की सभी बड़ी सिफारिशों का कार्यान्वयन करते हुए ग्राहक सेवा के उच्च मानकों को अपनाया है ताकि संपूर्ण वर्ष के दौरान ग्राहक संतोष सुनिश्चित किया जा सके.

भारतीय बैंकिंग संहिता एवं मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) के सदस्य के रूप में बैंक ने ग्राहक एवं एमएसएमई के प्रति बैंक संहिता की वचनबद्धता को अपनाया है.

बैंक ने 'माई फोल्डर' नामक एक फोल्डर मुद्रित किया है जिसके अंतर्गत ग्राहक सेवा की सभी नीतियों, सेवा प्रभारों पर जानकारी, सरकार के योजनाबद्ध ऋणों पर दिशानिर्देश, लोकपाल एवं बीसीएसबीआई संहिता का समावेश है. इसका मुद्रण मराठी, हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषाओं में करके सभी शाखाओं एवं अंचल कार्यालयों को इसकी आपूर्ति की गई है तथा मांग करने पर ये सभी ग्राहकों को उपलब्ध कराया जाता है.

'जमा', 'चेकों की वसूली', 'शिकायतों का निपटान', 'मुआवजा', 'मृतक जमाकर्ताओं के निपटान संबंधी प्रचालनगत कार्यविधि' एवं ग्राहक अधिकार नीति पर विधिवत दस्तावेजीकृत नीतियों का निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन किया गया है.

ग्राहक सेवा समितियों का सभी शाखाओं में गठन किया गया है तथा इनकी बैठकें मासिक आधार पर नियमित आयोजित की जाती हैं. प्रधान कार्यालय में ग्राहक सेवा पर स्थायी समिति एवं अंचल कार्यालय में अंचल स्तरीय ग्राहक सेवा समितियां नियमित रूप से बैठक का आयोजन करके ग्राहक से संबंधित विभिन्न मामलों की समीक्षा करती है तथा लगातार ग्राहक सेवा में सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाती है.

ग्राहक सेवा पर निदेशक मंडल की समिति तिमाही आधार पर बैठक आयोजित करके ग्राहक सेवा की गुणवत्ता, ग्राहक की शिकायतों के निपटान पर निगरानी रखती है एवं ग्राहक संतोष सुनिश्चित करती है.

ग्राहक शिकायतों पर तत्परता से कार्रवाई करने हेतु एक पूर्ण संगठित शिकायत तंत्र का गठन किया गया हैं. भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार बैंक ने शिकायतें दाखिल करने अथवा ग्राहकों द्वारा सेवाओं पर सुझाव/ प्रतिसूचना प्रदान करने तथा उनकी प्रतिसूचनाओं/ शिकायतों की पावती प्रदान करने हेतु इंटरनेट आधारित तंत्र, मानकीकृत जन शिकायत निपटान प्रणाली (एसपीजीआरएस) का आरंभ किया है.

d) Privilege Identity Management Tool (PIM) a centralized portal-based console to access the privilege devices, servers and applications for all privilege users with two factor authentication for login.

e) Network Behavioural Anomaly Detection (NBAD) tool for detecting network anomalies.

f) Bank is also availing Anti-Phishing, Anti-Trojan and Anti-Rouge services to take care of phishing attacks.

18. The Bank has initiated implementation of **Loan Life Cycle Management software (LLMS) with Document Management System (DMS) and Early Warning Signals (EWS) solutions.**

19. CBS Front End version upgradation with enhanced features has been initiated for better user experience and resolving data integrity issues

20. Mobile based CTS application is user friendly and cost effective solution. POC was successfully implemented at three branches and these three branches are linked to Service Branch Chennai i.e. South Grid of CTS where the application provider (Mobile based CTS) is providing the services to the Bank.

21. The Bank received IBA Banking Technology award for Best IT Risk Management and Cyber Security Initiatives under Medium Banks

22. **Honeypot solution:** Bank has taken initiative and deployed deception technology as a part of Proof of Concept (POC) for active threat hunting

3.4 Customer Centric Initiatives taken by the Bank

The Bank has pursued high standards of customer service to ensure customer satisfaction throughout the year by implementing all major recommendations of Goiporia Committee, Dr. S.S. Tarapore Committee and Damodaran Committee.

As a member of Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI), Bank has adopted Code of Bank's Commitment to Customer and Bank's Code of Commitment to MSMEs.

Bank has printed folder called as "My Folder" containing all customer service policies, information on service charges, guidelines on Government Schematic Loans, Ombudsman and BCSBI Codes. The same is printed in Marathi, Hindi and English and supplied to all branches and Zones for making the same available to all customers on demand.

Duly documented policies approved by the Board, on "Deposit", "Collection of Cheques", "Redressal of Grievances", "Compensation" , "Operational Procedure for Settlement of Claims of Deceased Depositors" and Customer Rights Policy are in place.

Customer Service Committees are formed at all branches and their meetings are conducted regularly on monthly basis. The Standing Committee on Customer Service at Head Office and Zonal Level Customer Service Committees at Zones, meet regularly to address and review various customer related matters and to take steps, for an improvement, on an ongoing basis.

The Committee of the Board on Customer Service meets on quarterly basis to monitor the quality of the customer service, redresses of customer grievances and to ensure customers satisfaction.

Full-fledged grievances Redressal machinery is in place to respond promptly to customer grievances. The Bank has started internet based mechanism, Standardized Public Grievances Redressal System (SPGRS) for lodging the complaints or to give suggestions / feedback on services by the customers and for providing acknowledgement and status of their feedback / complaints as per the directions of Government of India.

क्र.	विवरण	2018-19	2017-18
1	वर्ष के आरंभ में ग्राहक शिकायतें	388	54
2	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें	8395	8348
3	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतें	8638	8014
4	वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतें	145	388

3.5 केवाईसी/ एएमएल

अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों/ धन शोधन निवारक (एएमएल) मानकों/ आतंकवादी गतिविधियों को वित्तपोषण की रोकथाम (सीएफटी) और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलएल) 2002 के अंतर्गत बैंक की प्रतिबद्धताएं.

बैंक के निदेशक मंडल से अनुमोदित केवाईसी-एएमएल-सीएफटी नीति है, इन नीतियों के आधार पर बैंक केवाईसी मानदंड, एएमएल मानक और सीएफटी उपाय लागू करता है. पूर्ण केवाईसी अनुपालन में ग्राहकों के साथ-साथ कर्मचारियों को भी शिक्षित करना शामिल है. इसके लिए बैंक ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं.

ग्राहकों के लाभार्थ बैंक की वेबसाइट पर केवाईसी दस्तावेजों की व्यापक सूची अपलोड की गई है. कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए बैंक के प्रशिक्षण संस्थानों में केवाईसी-एएमएल-सीएफटी पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं.

3.6 जोखिम प्रबंधन

बैंक ने जोखिम को प्रभावी रूप से अभिनिर्धारित करने, उसके मापन, निगरानी और प्रबंधन करने के लिए जोखिम प्रबंधन नीतियां और रणनीतियां लागू की हैं और बैंक की समग्र जोखिम उठाने की क्षमता के अनुरूप नियंत्रण प्रणालियां स्थापित की हैं. बैंक ने निदेशक मंडल स्तर पर जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में बैंक स्तर पर जोखिम की निगरानी करती है. बैंक द्वारा बैंक के शीर्ष प्रबंधन की अध्यक्षतावाली उप समितियों का भी गठन किया गया है.

बैंक बेसल III पूंजी विनियामकों के अधीन प्रकटन आवश्यकताओं पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है.

3.7 ब्रांड इमेज

बैंक की ब्रांड इमेज विकसित करने के दृष्टिकोण से बैंक ने सामाजिक उद्देश्यों के साथ अपने विभिन्न उत्पादों व प्रायोजकों का प्रचार किया है.

बैंक ने बेंगलूरू में एनएआर (रूडसेटी की राष्ट्रीय अकादमी) बिल्डिंग को अनुदान/ प्रायोजन दिया है. हानि में होने के कारण बैंक वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधियां नहीं कर सका. तथापि, बैंक विभिन्न प्रकार के मीडिया यथा प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, रेडियो या आउटडोर में बैंक के उत्पादों का प्रचार करने में सक्रिय रहा. प्रोपर्टी रिटेल एक्सपो में एवं अन्य जगहों पर प्रायोजन करने के कारण नए ग्राहकों तक पहुंच बनाने तथा बैंक के ब्रांड इमेज में बढ़ोत्तरी हुई.

3.8 नागरिक अधिकार पत्र

वर्ष 2000-01 से बैंक ने नागरिक अधिकार पत्र स्वीकार किया है. इस अधिकार पत्र में ग्राहकों के प्रति बैंक के दायित्वों व कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है. नागरिक अधिकार पत्र को बैंक की सभी शाखाओं और बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है. शाखाओं की कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निम्नानुसार हैं -

- देश के सभी भागों में बैंक की सभी शाखाओं द्वारा जन सामान्य को अधिक सक्रिय और जोर-शोर से ग्राहक सेवाएं प्रदान करनी चाहिए.
- सभी मूल्य वर्ग के नए/ बेहतर गुणवत्ता वाले नोटों व सिक्कों की मांग की पूर्ति करना.
- कटे-फटे नोटों को बदलन, और
- संव्यवहार या विनिमय के लिए सिक्के व नोट स्वीकार करना
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग कतार

Sr. No.	Particulars	2018-19	2017-18
1	Customer complaints at the beginning of the year	388	54
2	Complaints received during the year	8395	8348
3	Complaints redressed during the year	8638	8014
4	Complaints pending at the end of the year	145	388

3.5 KYC/ AML

Know Your Customer (KYC) norms / Anti Money Laundering (AML) standards / Combating of Financing of Terrorism (CFT) and Obligation of Bank under Prevention of Money Laundering Act (PMLA) 2002.

The Bank has Board approved KYC-AML-CFT Policy in place. The said Policy is the foundation on which the Bank's implementation of KYC norms, AML standards and CFT measures is based. The full KYC compliance entails staff education as well as customer education for which the following measures are taken by the Bank.

A comprehensive list of KYC documents is uploaded on the Bank's web site for the benefit of customers. Regular training sessions are conducted on KYC-AML-CFT guidelines at the Bank's training establishments to sensitize the employees.

3.6 Risk Management

The Bank has put in place Risk Management Policies and Strategies to identify, measure, monitor and manage risk efficiently and establish control systems in line with the Bank's aggregate Risk Appetite. Bank has constituted Risk Management Committee at Board level to monitor the risk at Bank level in accordance with RBI Guidelines. Bank has also constituted sub-committees headed by Top Management of Bank.

The Bank is compliant to the RBI guidelines on disclosure requirements under Basel III Capital Regulations.

3.7 Brand Image

With a view to develop Brand Image of Bank, Bank publicizes its various products and sponsors with social cause.

Bank has extended Donations/Sponsorships to NAR (National Academy of RUDSETI) Building at Bangalore. Being in loss, Bank could not perform CSR Activities during the year. However, Bank was aggressive in publicity of Bank's products in all the media vehicles, be it Print, Electronic, Radio, or Outdoor. Sponsorships in Property Retail Expos and others have enhanced the Bank's brand image and in reaching to new customers.

3.8 Citizen's Charter

The Bank has adopted the Charter since 2000–01, which details the duties and responsibilities of the Bank towards its customers. The charter is displayed at all the branches and Bank's website. Some of important responsibilities of Branches are;

- All branches of banks in all parts of the country should provide the customer services, more actively and vigorously to the members of public.
- Meeting the demands for fresh / good quality notes and coins of all denominations.
- Exchanging soiled notes, and
- Accepting coins and notes either for transactions or exchange.
- Separate queue for senior citizens

4. सामाजिक/ सूक्ष्म आर्थिक विकास

4.1 प्राथमिकता क्षेत्र को उधारी

बैंक का यह सतत प्रयास रहा है कि लघु और सीमान्त कृषकों, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों, फुटकर व्यापारियों, पेशेवरों व स्वनियोजित व्यक्तियों, महिला उद्यमियों तथा आर्थिक रूप से कमजोर किन्तु उद्यमशील व्यक्तियों को उत्पादक प्रयोजनों हेतु समय पर अबाधित रूप से ऋण उपलब्ध कराते हुए समान और सुस्थिर आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जाए.

प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत 31 मार्च 2019 को प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत (निवेश को छोड़कर) कुल बकाया अग्रिम ₹35431.14 करोड़ थे, जो समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) के 36.13% रहे.

4.2 कृषि

वर्ष 2018-19 के दौरान कृषि और सहायक गतिविधियों के लिए बैंक ने ₹6372 करोड़ के ऋण वितरित किए. कृषि क्षेत्र के लिए कुल बकाया अग्रिम दिनांक 31.03.2019 को ₹15120 करोड़ (1.74% की वृद्धि) के स्तर पर पहुंच गए. बैंक ने वर्ष 2018-19 के दौरान कृषि के अंतर्गत निवेश ऋण की वृद्धि पर ध्यान केन्द्रित किया और ₹2456 करोड़ का संवितरण किया. बैंक ने वर्ष के दौरान एफपीओ के वित्तपोषण हेतु पीओसीआरए/ स्मार्ट परियोजना के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार के साथ तथा सूक्ष्म सिंचाई गतिविधियों, फार्म मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए खेत तालाब निर्माण कंपनी, सूक्ष्म सिंचाई कंपनी, ट्रैक्टर निर्माताओं के साथ राणनीतिक गठबंधन भी किया है. बैंक द्वारा कृषक उत्पादक संस्था (एफपीओ) को वित्तपोषण के लिए लघु कृषक कृषि-व्यवसाय संघ (एसएफएसी) के साथ ऋण गारंटी हेतु करार किया गया है. बैंक महाराष्ट्र सरकार की कृषि ऋण माफी योजना का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन कर रहा है. 31 मार्च 2019 तक बैंक द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत 2.39 लाख कृषकों के ऋण खातों में ₹1418 करोड़ जमा किए गए.

किसानों को झंझट मुक्त ऋण प्रवाह प्रदान करते हुए कृषि के लिए अग्रिमों में वृद्धि हेतु सभी शाखाओं के लिए बैंक ने जागरुकता/ सुग्राही कार्यक्रम चलाए।

4.2.1 महाबैंक किसान क्रेडिट कार्ड

इस योजना ने विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रियता अर्जित की जहां इसका सफलतापूर्वक और तेजी से प्रचार किया जा रहा है. बैंक ने किसानों को कुल 126509 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए. 31.03.2019 को एमकेसीसी लाभार्थियों को ऋण प्रवाह ₹8632 करोड़ के स्तर तक पहुंच गया है.

4.3 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का अग्रदूत माना जाता है. ये उद्योग कम निवेश वाले उद्यमों को प्रोत्साहित करने और शहरों की ओर प्रवास को रोकने के लिए स्थानीय कौशल और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करते हैं. आकर्षक व कम ब्याज दर पर वित्त उपलब्ध कराए जाते हैं. बैंक की वेबसाइट पर ऑनलाइन पूछताछ पोर्टल उपलब्ध कराया गया है.

बैंक ने पहले से ही एमएसई के लिए सरलीकृत ऋण आवेदन को अपनाया है और उसे बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया है. बैंक ने सूक्ष्म और छोटे उद्यमों के प्रति बैंकों की प्रतिबद्धता संहिता को भी अपनाया है.

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (प्राथमिकता) को बैंक की उधारी 31.03.2019 को ₹14664 करोड़ (निवेश सहित) की रही. मार्च, 2019 को प्राथमिकता के अधीन सूक्ष्म उद्यमियों को अग्रिम एएनबीसी का 7.19% रहा जबकि आरबीआई का लक्ष्य 7.50% है.

इस वर्ग में वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए बैंक ने ट्रक/ ट्रैक्टर/ वाहन/ पैसेंजर कार विनिर्माताओं के साथ रणनीतिक गठबंधन किया है. विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला संवर्ग के सूक्ष्म उद्यमियों की हैण्ड होल्डिंग और उन्हें ऋण देना सुगम बनाने के लिए बैंक ने 'भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट' एवं 'दे-आसरा' फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित किया है.

4. SOCIO/MICRO ECONOMIC DEVELOPMENT:

4.1 Priority Sector Lending

It has been the constant endeavor of the Bank to facilitate equitable and sustainable economic development by timely and hassle-free availability of credit for productive purposes to Small and Marginal Farmers, Micro and Small Enterprises, Retail Traders, Professional and Self Employed, Women Entrepreneurs and entrepreneurs from economically weaker sections.

The outstanding advances under Priority Sector (excluding investment) as of 31st March 2019, aggregates to ₹35431.14 crore constituting 36.13% of the Adjusted Net Bank Credit (ANBC).

4.2 Agriculture

Bank disbursed ₹ 6372 Crore for agriculture and allied activities during the year 2018-19. The total outstanding advances to agriculture sector reached a level of ₹ 15120 Crore as on 31.03.2019 (growth of 1.74 %). Bank focused on growth of investment credit under Agriculture during the year 2018-19 and disbursed ₹ 2456 Crore. Bank also entered into strategic tie-ups with Tractor Manufacturers, Micro Irrigation Companies, Farm Pond Construction Company for promoting farm mechanization, micro irrigation activities and also with Govt. of Maharashtra under POCRA / SMART Project for financing to FPO during the year. Bank has entered into an Agreement for Credit Guarantee with Small Farmers Agri-Business Consortium (SFAC) for financing to Farmer Producer Organizations (FPOs). Bank is successfully implementing farm loan waiver scheme of Govt of Maharashtra. Till 31st March 2019, Bank credited ₹ 1418 crore to 2.39 lakh farmers loan accounts under the aforesaid scheme.

The Bank undertook awareness/sensitization programmes for all the branches for increasing advances to agriculture by providing hassle free credit to farmers

4.2.1 Mahabank Kisan Credit Card

This scheme gained popularity especially in rural areas where it is being propagated successfully and vigorously. Bank has issued total 126509 Kisan Credit Cards to farmers. Credit flow to MKCC beneficiaries has reached to a level of ₹8632 Crore as on 31.03.2019.

4.3 Micro, Small and Medium Enterprises (MSME)

MSMEs are recognized as a major growth engine for the Indian economy. They generate opportunities for direct and indirect employment by facilitating use of natural resources and local skills to stem the tide of migration to urban areas and promote low investment enterprises. Finance is made available to viable enterprises at an attractive and low rate of interest. Online enquiry portal is made available on the Bank's website.

Bank has already adopted Simplified Loan Application for MSEs and the same is displayed on the Bank's website. Bank has also adopted Bank's Code of Commitment to Micro and Small Enterprises.

The Bank's lending to Micro, Small and Medium Enterprises (Priority) is ₹14664 Crore (including investments) as on 31.03.2019. Advances to Micro enterprises under priority are 7.19 % of ANBC against RBI target of 7.50 % as of March 2019.

For promoting finance under this category, Bank has entered into strategic tie up arrangements with Truck / Vehicle / Passenger car manufacturers. Bank has also entered into MoU with "Bhartiya Yuva Shakti" Trust and "de-Asra" foundation for Credit facilitation and hand holding of the Micro entrepreneurs especially under Women and SC/ST categories.

एमएसएमई प्रस्तावों के शीघ्र निपटान के लिए सभी अंचल कार्यालयों में केन्द्रीय प्रोसेसिंग कक्ष स्थापित किया गया है.

4.3.1 मुद्रा

बैंक द्वारा ₹10 लाख तक विनिर्माण, व्यापार और सेवाओं में संलग्न गैर-कृषि उद्यमों की ऋण आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के आरंभ से ही बैंक इस खंड पर विशेष ध्यान दे रहा है. इस खंड के अंतर्गत आय निर्माण हेतु दिए गए ऋण प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत मुद्रा ऋण कहलाते हैं तथा तदनुसार उन्हें नामांकित किया जाता है.

31.03.2019 को बैंक ने ₹2550 करोड़ के लक्ष्य के बदले पीएमएमवाई के अंतर्गत ₹2130 करोड़ की मंजूरी दी. बैंक ने सरकार द्वारा पीएमएमवाई के अधीन आबंटित लक्ष्य का 83.53% प्राप्त किया.

बैंक ने दिनांक 16.09.2015 को मुद्रा कार्ड का शुभारंभ किया और 31.03.2019 तक 6852 मुद्रा कार्ड जारी किए.

4.3.2 सीजीटीएमएसई योजना के अंतर्गत कवरेज

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए भारत सरकार की क्रेडिट गारंटी निधि योजना के अधीन ₹200.00 लाख तक की ऋण सुविधाओं को शामिल किया गया है, जहां बैंक द्वारा कोई समर्थक प्रतिभूति एवं तृतीय पक्ष गारंटी की मांग नहीं की जाती। मार्च 2019 तक बैंक ने इस योजना के अंतर्गत 1562 उधारकर्ताओं को ₹321.52 करोड़ के ऋण मंजूर किए हैं.

बैंक चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार की नई पहल पीएसबी ऋण पोर्टल पर वित्तपोषक के रूप में शामिल हुआ है और ₹231 करोड़ के 738 मामले मंजूर किए.

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी एमएसएमई पुनर्गठन दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन किया है तथा ₹412 करोड़ राशि के 7556 खातों का पुनर्गठन किया है.

4.3.3 चयनित खंडों को बैंक का विगोपन

(₹ करोड़ में)

क्र.	क्षेत्र	31.03.2019	31.03.2018	वृद्धि % (+/-)
1	सूक्ष्म / एसएचजी वित्त	208	151	37.74
2	कमजोर वर्ग	11423	11324	0.87
3	अजा/ अजजा लाभार्थी	1667	2333	-28.54
4	अल्पसंख्यक समुदाय	2924	2887	1.28

5. बैंक की महत्वपूर्ण योजनाएं/परियोजनाएं:

5.1 रिटेल क्षेत्र को ऋण प्रवाह

बैंक वेतनभोगी व्यक्तियों, पेशेवरों, व्यावसायिकों और पेंशनरों को आवासीय संपत्तियां/ जमीन खरीदने, घर की मरम्मत/ नवीनीकरण, उपभोक्ता वस्तुओं, दुपहिया/ चार पहिया वाहन खरीदने, शिक्षा और अन्य वैयक्तिक आवश्यकताओं आदि हेतु रिटेल ऋण उपलब्ध करा रहा है. बैंक का रिटेल ऋण संविभाग ₹18,806 करोड़ है.

(₹ करोड़ में)

क्र.	योजना	संक्षिप्त विवरण	मार्च 19 को संविभाग	अनर्जक आस्ति %
1	महा सुपर आवास ऋण योजना	चूंकि आवास क्षेत्र महत्वपूर्ण खंड है, बैंक के पास सभी आर्थिक खंडों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न आवास ऋण योजनाएं हैं. बैंक 'नए/ वर्तमान आवास के निर्माण/ खरीदी, वर्तमान घर/ फ्लैट की मरम्मत/ नवीकरण/ तबदीली, प्लॉट की खरीदी और उस पर निर्माण' के लिए आवास ऋण प्रदान करता है.	12052.94	4.41

Centralized Processing Cells have been set up at all Zonal Offices for speedy disposal of MSME proposals.

4.3.1 MUDRA

Bank is giving special attention to credit needs of the non-farm enterprises engaged in manufacturing, trade and services upto ₹10 Lakh. With the introduction of Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY) Bank is giving special attention to this segment. Loans given to this segment for income generation are known as MUDRA loans under Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY) and branded accordingly.

Bank sanctioned ₹ 2130 Crore under PMMY against the target of ₹ 2550 Crore as on 31.03.2019. Bank achieved 83.53% of target allotted by Government under PMMY.

Bank has launched MUDRA Card on 16.9.2015 and till date issued 6852 MUDRA Cards as on 31.3.2019.

4.3.2 Coverage under CGTMSE Scheme

Under Credit Guarantee Fund Scheme for Micro, Small and Medium Enterprises of Government of India credit facilities up to ₹200.00 lakh are covered, wherein no collateral security and third party guarantee are insisted by the Bank. The Bank has sanctioned loans of ₹ 321.52 Crore to 1562 borrowers under this scheme up to March 2019.

Bank has on boarded as Financier on the PSB loan portal, a new initiative of the Govt. of India during the financial year and sanctioned 738 cases amounting ₹ 231 crore.

Bank has implemented the MSME Restructuring guidelines issued by Reserve Bank of India and have restructured 7556 accounts amounting to ₹412 crore.

4.3.3 Banks exposure to select segments

(₹ in Crore)

Sr. No.	Sector	As on 31.03.2019	As on 31.03.2018	% increase (+/-)
1	Micro / SHG Finance	208	151	37.74
2	Weaker Sector	11423	11324	0.87
3	SC/ST beneficiaries	1667	2333	-28.54
4	Minority Community	2924	2887	1.28

5. IMPORTANT SCHEMES/ PROJECTS OF THE BANK:

5.1. Credit Flow to Retail Sector

Bank is providing retail loans for salaried persons, professionals, businessmen and pensioners for purchase of housing properties/ plots, repair/ renovation of house, purchase of consumer durables, two/four wheeler vehicles, education and loan for other personal needs etc. The retail loan portfolio of the Bank is ₹ 18806 Crore.

(₹ in Crore)

SN	Scheme	Brief Description	Portfolio as of Mar'19	NPA %
1	Maha Super Housing Loan Scheme	Housing Sector being the thrust area, Bank has various Housing Loan schemes in place to meet the needs of all economic segments. Bank offers housing loan for "purchase / construction of new / existing house / flat, repairs / renovation / alteration of existing house / flat, purchase of plot and construction thereon"	12052.94	4.41

(₹ करोड़ में)

क्र.	योजना	संक्षिप्त विवरण	मार्च 19 को संविभाग	अनर्जक आस्ति %
2	महासुपर कार ऋण योजना और महाबैंक वाहन ऋण योजना	बैंक ने व्यक्तियों (18 वर्ष और उससे अधिक आयु) के लिए वैयक्तिक उपयोग (किराया/ यात्री आवागमन के लिए नहीं) नए फोर व्हीलर यथा कार, जीप, मल्टी यूटिलिटी वेहिकल (एमयूवी), एसयूवी की खरीदी के लिए योजना आरंभ की.	1317.35	2.97
3	मॉडल शिक्षा ऋण योजना	बैंक आईबीए के दिशानिर्देशों के अनुसार मॉडल शिक्षा ऋण योजना का कार्यान्वयन करता है और भारत और विदेश में उच्च शिक्षा/ अध्ययन के लिए सभी मेधावी और योग्य विद्यार्थियों (भारतीय) हेतु झंझट मुक्त शिक्षा ऋण प्रदान करता है। बैंक ने प्रीमियर संस्थानों के लिए प्रस्ताव के अंतर्गत विशिष्ट उत्पाद के रूप में भारत में प्रीमियर शिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित पाठ्यक्रमों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता/ सहयोग उपलब्ध कराने हेतु तथा इस खंड के अंतर्गत उपलब्ध अवसर को प्राप्त करने के लिए महास्कॉलर ऋण योजना की शुरूआत की है. बैंक द्वारा रिटेल पोर्टफोलियो में व्यवसाय के नियमित प्रवाह के लिए प्रीमियर संस्थानों के साथ गठबंधन करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है.	1086.60	6.90
4	स्व अधिकृत संपत्तियों के बदले ऋण	बैंक ने स्व अधिकृत संपत्तियों के बदले ऋण की शुरुआत की है जिसके अंतर्गत संपत्ति के बदले उधारकर्ता को ऋण प्रदान किया जाता है. इस ऋण का उद्देश्य विभिन्न व्यक्तिगत आवश्यकताओं यथा बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, चिकित्सा उपचार, यात्रा व्यय, वाहन या हाई-टेक गैजेट की खरीद, अन्य घरेलू आवश्यकताओं आदि की पूर्ति करना है.	146.69	0.19
5	महाबैंक टॉप अप ऋण योजना	वर्तमान आवास ऋण उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण सहयोग प्रदान करने के साथ-साथ टॉप अप ऋण की अतिरिक्त सुविधा के साथ अन्य बैंकों के वर्तमान आवास ऋणों का अभिग्रहण करने के लिए बैंक ने 'महाबैंक टॉप-अप ऋण योजना' का आरंभ किया है. इस योजना के अंतर्गत आवास के नवीकरण/ सजावट/ मरम्मत के लिए, बच्चों की शिक्षा, बच्चों के विवाह, चिकित्सा खर्चों, वाहन या हाई-टेक गैजेट खरीदने तथा अन्य घरेलू आवश्यकताओं आदि के लिए ऋण प्रदान किया जाता है।	235.70	0.78

(₹ in Crore)

SN	Scheme	Brief Description	Portfolio as of Mar'19	NPA %
2	Maha Super Car Loan Scheme and Mahabank vehicle Loan scheme	Bank has launched schemes for purchase of New four wheeler i.e. Car, Jeep, Multi Utility vehicles (MUVs), SUV etc. for personal use.(i.e. not for hiring/ferrying passengers) for individuals (18 years and above).	1317.35	2.97
3	Model Education Loan Scheme	Bank is implementing Model Education Loan Scheme as per IBA guidelines and provides hassle free Education loan to all meritorious and deserving students (Indian National) for pursuing higher studies / education in India and abroad. Bank has introduced Mahascholar Education loan Scheme to provide financial assistance/ support to meritorious students for pursuing higher studies / education in courses conducted by the Premier Educational Institutions in India as a differentiated product as an offering for the premier institutions and to tap the available opportunities under the segment. Bank is also focusing on tie ups with premier institutions to have continuous flow of business in the retail portfolio.	1086.52	6.90
4	Loan Against Self-Occupied Property	Bank has introduced Loan Against Self-Occupied Property in which loan is given to the borrower against the property. The end use of the loan is for meeting varied personal needs like Children's Education, marriage of children, medical treatment, travel/ tour expenses, buying vehicle or hi-tech gadgets, other domestic needs etc.	146.69	0.19
5	Mahabank Top up Loan Scheme	In order to extend additional credit support to existing housing loan borrowers as well takeover of existing housing loans of other banks with additional facility of Top-up Loan, Bank has launched "Mahabank Top Up loan Scheme". Under this scheme credit is extended for repair / renovation / furnishing of house, children's education, marriage of children, medical treatment, buying a vehicle or hi-tech gadgets and other domestic needs etc	235.70	0.78

(₹ करोड़ में)

क्र.	योजना	संक्षिप्त विवरण	मार्च 19 को संविभाग	अनर्जक आस्ति %
6	महाबैंक स्वर्ण ऋण योजना	आकर्षक आस्ति के रूप में स्वर्ण ऋण की संभावनाओं का लाभ उठाने और अन्य वैयक्तिक खर्च जिसमें विवाह, उच्च शिक्षा, चिकित्सा आकस्मिकताओं, व्यवसाय यात्रा इत्यादि शामिल हैं, की पूर्ति के लिए बैंक ने दिनांक 26.09.2014 से प्रभावी रिटेल ऋण उत्पाद "महाबैंक स्वर्ण ऋण योजना" का आरंभ किया है.	106.69	2.38
7	महाबैंक आधार ऋण योजना	हमारे वर्तमान पेंशन खाताधारकों को उनके वैयक्तिक खर्चों, धार्मिक यात्राओं, चिकित्सा, घरेलू आवश्यकताओं इत्यादि की पूर्ति के लिए बैंक ने 'महाबैंक आधार ऋण योजना' का पुनःआरंभ किया.	526.48	1.12

5.2 ऋणों का केंद्रीकृत प्रक्रियाकरण

बैंक ने समयबद्ध ऋण के लिए टीएटी में सुधार हेतु अपने सभी 30 अंचलों में वाणिज्यिक अग्रिमों की प्रोसेसिंग और मंजूरी हेतु केंद्रीकृत प्रोसेसिंग कक्षों (सीपीसी) की स्थापना की है.

इसके अतिरिक्त सभी अंचलों में रिटेल ऋण के लिए कुल 31 सीपीसी कार्य कर रहे हैं. भविष्य में बैंक द्वारा स्थानीय आवश्यकता और व्यवसाय क्षमता के अनुसार सीपीसी रिटेल की संख्या में बढ़ोत्तरी की जाएगी.

5.3 द्वार पर (डोर स्टेप) बैंकिंग सेवाएं

बैंक द्वारा उच्च मूल्य वाले अपने ग्राहकों के लिए द्वार पर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं. इसके अंतर्गत ग्राहक के द्वार पर निगमित एवं रिटेल नकदी पिकअप तथा सुपुर्दगी एवं चेक संग्रहण सेवाएं शामिल हैं.

5.4 वैकल्पिक सुपुर्दगी चैनल

5.4.1 इंटरनेट/एसएमएस/फोन बैंकिंग

पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष इंटरनेट बैंकिंग में 18%, फोन बैंकिंग में 28% तथा एसएमएस बैंकिंग में 33% की वृद्धि हुई.

आईबी उपयोगकर्ताओं के लिए महासिक्योर के माध्यम से नेट सुरक्षा में वृद्धि और लगातार अनुवर्तन के फलस्वरुप उपयोगकर्ताओं की संख्या/ ऑनलाईन संव्यवहारों में उल्लेखनीय वृद्धि होने की अपेक्षा है.

वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभिन्न चैनलों के माध्यम से 11 करोड़ से अधिक के डिजीटल संव्यवहार किए गए।

5.4.2 मोबाइल बैंकिंग

1. पंजीकरण में वृद्धि हेतु महामोबाइल कार्य प्रणाली को ग्राहक उन्मुख एवं सरलीकृत किया गया है.
2. इंटरनेट एवं नई महामोबाइल कार्यप्रणाली पर एक मैनुअल तैयार किया गया है और उसे सभी फील्ड कर्मचारियों को तत्काल संदर्भ तथा प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादों के विपणन हेतु भेजा गया है.

6. निगमित सामाजिक दायित्व:

बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा पुणे जिले के हड़पसर और भिगवण में स्थित ग्रामीण विकास केंद्रों द्वारा किसानों के लाभार्थ वर्मी कंपोज्ड, खारी मिट्टी का पुनर्विकास, मिट्टी की जांच इत्यादि जैसी विभिन्न प्रकार की विकासात्मक गतिविधियां चलाई जाती हैं. बैंक ने ग्रामीण विकास केंद्र (आरडीसी) भिगवण में मार्डेफ ट्रस्ट के माध्यम से मिट्टी जांच प्रयोगशाला (एसटीएल) स्थापित की है. वर्ष 2018-19 में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में 5506 मिट्टी तथा जल नमूनों का परीक्षण किया गया और तदनुसार परामर्श दिया गया. पुणे, अहमदनगर, सोलापुर और सातारा जिलों के किसान इस प्रयोगशाला का लाभ उठा रहे हैं.

(₹ in Crore)

SN	Scheme	Brief Description	Portfolio as of Mar'19	NPA %
6	Mahabank Gold Loan Scheme	With a view to tap the potential of gold loans as a lucrative asset and to cater to the needs of meeting other personal expenses, whatsoever which include personal expenditure for varied needs like marriage, higher education, medical emergencies, business travel etc, Bank has launched a retail loan product as "Mahabank Gold Loan Scheme" w.e.f. 26.09.2014.	106.69	2.38
7	Mahabank Aadhar Loan Scheme	To cater to the needs of our existing pension account holders in meeting their personal expenses, pilgrimage, medical and domestic needs etc; Bank has re-launched "Mahabank Aadhar Loan Scheme".	526.48	1.12

5.2. Centralized Processing of loans

Bank has established Centralized Processing Cells (CPCs) for processing and sanctioning commercial advances at all its 30 Zones to improve the TAT in facilitating timely credit.

In addition, total 31 CPCs for retail credit are functioning in all Zones. In future Bank will increase the number of CPC Retail as per location requirement and business potential.

5.3 Door Step Banking Services

Bank is providing Door Step Banking Services for its high end Customers. The services include corporate and retail cash pickup and delivery & cheque collection services.

5.4 Alternate Delivery Channels

5.4.1 Internet /SMS/Phone Banking

There was an increase of 18% in Internet Banking, 28% in Phone Banking and 33% in SMS banking over the previous year.

With continuous follow up and increase in net security through the Mahasecure for IB users, substantial rise in users/online transactions is expected.

In the current financial year over 11 crore digital transactions were carried out through various channels.

5.4.2 Mobile Banking

1. Maha Mobile functionality has been customized and simplified for increasing enrolments.
2. A user manual on Internet Banking & New Maha Mobile functionality is prepared & sent to field staff for ready reference & marketing of the technology based products.

6. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY:

The Rural Development Centers at Hadapsar- Pune and Bhigwan in Pune district of Maharashtra have been undertaking various rural developmental activities for the benefit of farmers' viz. Vermi compost, re-development of saline Soils, soil testing etc. Bank has established Soil Testing Lab (STL) through MARDEF Trust at RDC Bhigwan. The Soil Testing Laboratory has analyzed 5506 Soil and Water samples in the year 2018-19 and accordingly counseling is done. Farmers from the districts of Pune, Ahmednagar, Sholapur and Satara are taking benefit of the lab.

बैंक द्वारा स्थापित महाबैंक कृषि अनुसंधान और ग्रामीण विकास फाउंडेशन (मारडेफ) नामक न्यास विभिन्न प्रकार के ग्रामीण सुधार कार्यक्रम और परियोजनाएं चलाता है. मारडेफ कृषि के विभिन्न विषयों पर किसानों को प्रशिक्षण देता है. मार्डेफ ट्रस्ट ने ग्रामीण विकास केंद्र आरडीसी भिगवण और हड़पसर के किसानों हेतु 156 प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यान्वित किए तथा अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक 10753 किसान लाभान्वित हुए.

बैंक ने ग्रामीण युवाओं तथा महिलाओं को छोटे व्यवसायिक उद्यमों के माध्यम से स्वरोजगार हेतु कौशल अर्जन करने हेतु प्रशिक्षण देने के लिए सात महाबैंक स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (एमसेटी) की स्थापना की है. संस्थान के पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, अमरावती, जालना, ठाणे तथा नाशिक में सात प्रशिक्षण केंद्र हैं. संस्थान ने अब तक 1203 प्रशिक्षण बैचों को आयोजन किया है तथा अब तक 30307 शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया है. सेटलमेंट दर 70 प्रतिशत है.

बैंक द्वारा गठित ग्रामीण महिला व बाल विकास मंडल (जीएमवीबीवीएम) एक गैर सरकारी संगठन है. यह संगठन स्व-सहायता समूहों के गठन, पोषण, प्रशिक्षण और उन्हें बैंक ऋण से सम्बद्ध करने का कार्य सक्रिय रूप से कर रहा है.

बैंक ने बैंकिंग योजनाओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सात अग्रणी जिलों यथा पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, सातारा, जालना, ठाणे व पालघर में वित्तीय साक्षरता केन्द्रों का शुभारंभ किया है.

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान एफएलसीसी द्वारा 77141 लाभार्थियों से संपर्क किया गया.

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थाओं (आरसेटी) द्वारा 198 प्रशिक्षण बैच आयोजित किए गए तथा 5061 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया.

7. अग्रणी बैंक योजना:

7.1 अग्रणी बैंक योजना

महाराष्ट्र राज्य के सात जिलों यथा औरंगाबाद, जालना, नाशिक, पुणे, सातारा, ठाणे व पालघर में अग्रणी बैंक का उत्तरदायित्व बैंक के पास है. प्रत्येक वर्ष अन्य बैंकों और संबंधित जिले के जिलाधीश के सहयोग से बैंक जिला ऋण योजना बनाकर कार्यान्वित करता है.

7.2 राज्य स्तरीय बैंकर समिति

बैंक, महाराष्ट्र राज्य में राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) का संयोजक है और राज्य की वार्षिक ऋण योजना बनाता है. वर्ष 2018-19 के लिए प्राथमिकता क्षेत्र योजना ₹4,34,591/- करोड़ की थी जो देश में सबसे बड़ी योजना में से एक थी. महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न विशेष बैठक में योजना का अनुमोदन हुआ था. राज्य वार्षिक ऋण योजना, प्राथमिकता क्षेत्र की उधारी और राज्य में सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए नियमित तिमाही बैठकों का आयोजन भी राज्य स्तरीय बैंकर समिति करती है. राज्य स्तरीय बैंकर समिति की नियमित बैठकों के अलावा राज्य स्तरीय बैंकर समिति द्वारा विभिन्न सदस्य बैंकों, राज्य सरकार, राज्य सरकार की एजेंसियों, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड और केंद्र सरकार के मध्य समन्वय करने के लिए अन्य विभिन्न बैठकों का आयोजन भी किया जाता है. राज्य स्तरीय बैंकर समिति राज्य में 16,700 से अधिक बैंक शाखाओं के बीच समन्वय का कार्य करती है.

राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) प्राकृतिक अपदाओं के समय, यदि कोई हो, राहत उपायों के संबंध में आवश्यक दिशानिर्देशों को जारी करने, विशेष बैठकों के आयोजन और जहां आवश्यक हुआ वहां सदस्यों का मार्गदर्शन करने में बहुत ही सक्रिय रही है. राज्य स्तरीय बैंकर समिति का समन्वयक होने के नाते बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाय) का समन्वयन महाराष्ट्र राज्य में कर रहा है. राज्य में कुल 248 लाख खाते खोले गए. खाता खोलने के उद्देश्य से राज्य को पहले ही संतृप्त घोषित किया गया है. तथापि, खाता खोलने की प्रक्रिया जारी है. एसएलबीसी राज्य में केंद्र सरकार की अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के कार्यान्वयन का समन्वय करती है.

A Trust viz. Mahabank Agricultural Research and Rural Development Foundation (MARDEF) established by the Bank, undertakes various projects and village improvement programmes. MARDEF is imparting training to farmers on various subjects in agriculture. Trust has implemented 156 training programmes for farmers at RDC Bhigwan and Hadapsar and has benefited 10753 farmers from April 2018 to March 2019.

The Bank has established Seven Mahabank Self Employment Training Institutes (MSETI) for providing training to rural youth and women to enable them to acquire skills for self-employment through small business enterprises. The Institute has seven centers located at Pune, Nagpur, Aurangabad, Amravati, Jalna, Thane and Nasik. The Institute has so far conducted 1203 training batches & imparted training to 30307 educated unemployed youths. The settlement rate is 70 per cent.

Gramin Mahila Va Balak Vikas Mandal (GMBVM), an NGO formed by Bank of Maharashtra is actively involved in formation, nurturing, training and ensuring linkage of SHGs to Bank Credit.

The Bank has opened Financial Literacy Centers in seven Lead Districts namely Pune, Nasik, Aurangabad, Satara, Jalna,Thane and Palghar for creating awareness about banking schemes.

FLCCs have contacted 77141 beneficiaries during FY 2018-19.

Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs) have conducted 198 training batches and trained 5061 candidates during FY 2018-19.

7. LEAD BANK SCHEME:

7.1 Lead Bank Scheme

The Bank has Lead Bank responsibility in seven districts of Maharashtra State viz. Aurangabad, Jalna, Nasik, Palghar, Pune, Satara and Thane. Every year district credit plans for the districts are prepared and implemented with the cooperation of other banks as well as in coordination with District Collectors of respective Districts.

7.2 State Level Bankers' Committee

The Bank is the Convenor of State Level bankers' Committee (SLBC) for the State of Maharashtra and prepares State Annual Credit Plan. The Priority Sector plan for the year 2018-19 was for ₹ 4,34,591 crore which is one of the highest in the country. The same was approved in a special meeting held under the Chairmanship of Hon'ble Chief Minister of Maharashtra. SLBC also ensures holding of quarterly meetings regularly to oversee the implementation of State Annual Credit Plans, Priority Sector lending and Govt. sponsored schemes in the State. Apart from regular SLBC meetings, various other meetings are also organized by SLBC to coordinate between various members banks, State Government, Government Agencies, Reserve Bank of India, NABARD and the Central Government. SLBC coordinates a network of more than 16,700 bank branches in the state.

SLBC has always been very proactive in the event of natural calamities if any, by issuing necessary guidelines in respect of relief measures, organizing special meetings and guiding the members whenever necessary.As SLBC convener, Bank of Maharashtra coordinated implementation of Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) in the State of Maharashtra. A total of 248 lakh accounts have been opened in the State. The State has already been declared as saturated for the purpose of opening of accounts. However, the process of opening of accounts is continued. SLBC also coordinates implementation of other Social Security schemes of the Central Government in the State.

एसएलबीसी महाराष्ट्र को पीएमजेडीवाई खातों का सर्वाधिक आधार सीडिंग करने हेतु वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली से पुरस्कार प्राप्त हुआ है.

7.3 वित्तीय समावेशन योजना/प्रधानमंत्री जन-धन योजना:

योजना	विवरण	2018-19	2017-18
एफआई योजना	बीसीए द्वारा संव्यवहारों की संख्या (लाख में)	133.17	110.74
	संव्यवहारों की राशि (₹ करोड़ में)	7546.75	5764.23
पीएमजेडीवाय	पीएमजेडीवाय खातों की संख्या (लाख में)	56.67	51.57
	जिनमें से आधार सीडेड	50.36	42.57
	आधार सीडिंग का %	88.87	82.55%
	जिनमें से मोबाइल सीडिंग	43.84	38.97
	मोबाइल सीडिंग का %	77.36	75.57%
	पीएमजेडीवाय खातों में शेष (करोड़ में)	1466.43	1148.93
	प्रति खाता औसत शेष वास्तविक	2587	2228
	शून्य शेष पीएमजेडीवाय खाते	15.35	16.02

प्रधानमंत्री जन-धन योजना की शिकायतों का निवारण करने के लिए बैंक का 18001022636 टोल फ्री क्रमांक वाला पूर्ण विकसित कॉल सेंटर है.

स्थानीय भाषाओं में वित्तीय साक्षरता की सामग्री तैयार कर शाखाओं और बैंक मित्रों को उपलब्ध की गई है ताकि वित्तीय साक्षरता कैंपों के दौरान इन्हें खाताधारकों में वितरित किया जा सके.

वित्तीय साक्षरता शिविरों का आयोजन महाराष्ट्र के जिलों के विभिन्न विद्यालयों में किया जा रहा है. सभी कौशल केंद्रों / आईटीआई को वित्तीय साक्षरता परियोजना के अधीन चिन्हित किया गया है.

बैंक को भारतीय बैंकिंग संस्थान, वित्तीय सेवाएं विभाग तथा इकॉनॉमिक टाईम्स जैसी प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन हेतु पुरस्कृत किया गया है.

8. सहायक कंपनियां / संयुक्त उद्यम और प्रायोजित संस्थाएं:

8.1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य निष्पादन

महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (एमजीबी) एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, जिसका प्रायोजन बैंक ने किया है और जिसका मुख्यालय महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में है. दिनांक 31.03.2019 बैंक के परिचालन क्षेत्रों में बैंक की कुल शाखाएं 413 हैं जो महाराष्ट्र राज्य के 36 जिलों में से 17 जिलों में स्थित हैं.

सभी 413 शाखाएं और नियंत्रक कार्यालय सीबीएस के अधीन हैं. वर्ष 2017-18 के दौरान महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक ने 05 नई शाखाएं खोली हैं.

कार्यनिष्पादन विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- बैंक द्वारा ₹15690.86 करोड़ का कुल व्यवसाय प्राप्त किया गया.
- बैंक द्वारा दूसरी बार परिचालन लाभ ₹200.00 करोड़ पार कर ₹229.96 करोड़ परिचालन लाभ प्राप्त किया गया.
- 31.03.2019 को निवल लाभ ₹86.52 रहा.
- बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए प्रमुख कार्यनिष्पादन बिंदु मानदंडों में प्रायोजक बैक द्वारा दिए गए एमओयू डीएपी के अंतर्गत अधिकांश लक्ष्यों को प्राप्त किया गया है, जो कि निम्नानुसार है :

S L B C Maharashtra has received award for highest Aadhar seeding of PMJDY accounts from Department of Financial Service, MOF New Delhi.

7.3. FINANCIAL INCLUSION / PMJDY

Scheme	Particulars	2018-19	2017-18
FI Plan	No of Transactions by BCA (in lakhs)	133.17	110.74
	Amount of transactions (₹ in crore)	7546.75	5764.23
PMJDY	No. of PMJDY accounts (in lakhs)	56.67	51.57
	Of Which Aadhaar Seeded	50.36	42.57
	% OF Aadhaar Seeding	88.87	82.55%
	Of Which Mobile Seeding	43.84	38.97
	% of Mobile Seeding	77.36	75.57%
	Balance in PMJDY A/c (in crore)	1466.43	1148.93
	Average Bal. per account actual	2587	2228
	Zero Bal. PMJDY A/cs (in lakh)	15.35	16.02

The Bank has a full-fledged call center with toll free number 18001022636 for redressal of PMJDY grievances.

The Financial Literacy material has been prepared in vernacular languages and supplied to all Branches / Bank Mitra for supplying the same to accountholders during FLC camps.

Financial literacy camps are organized in different schools in districts of Maharashtra. All skilling centers /ITI's are mapped under financial literacy project

Bank has been awarded for excellent performance in the field of financial inclusion from prestigious institutes like IBA, DFS, and Economic Times.

8. SUBSIDIARIES/JOINT VENTURES AND SPONSORED INSTITUTIONS:

8.1 Performance of Regional Rural Bank

Maharashtra Gramin Bank (MGB) is a Regional Rural Bank sponsored by the Bank, having its Head Office at Aurangabad, Maharashtra State. Total no of branches as on 31.3.2019 stood at 413 in its area of operation covering 17 out of 36 districts of Maharashtra state.

All 413 branches and controlling offices are now under CBS. MGB had opened 5 new branches during the year 2017-18.

Performance highlights are as under:

- Bank has achieved total business of ₹15690.86 Crore.
- Bank for the second time in a row crossed ₹200.00 Cr operating profit by achieving ₹229.96 Cr operating profit.
- Net profit stood as ₹ 86.52 Crore as on 31.03.2019.
- Bank has achieved most of the target under MoU DAP given by sponsor Bank for the financial year 2018-19 in the major key performance parameters, as under:

(₹ करोड़ में)

अनु.	कार्यनिष्पादन मानदंड	वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए लक्ष्य	31.03.2019 को वास्तविक उपलब्धि
1	कुल जमा में वृध्दि (%)	12.51	17.38
2	जमा की लागत (%)	5.01	5.02
3	पूंजी की लागत	5.14	5.10
4	परिचालन लाभ	200.00	229.96
5	निवल लाभ	85.00	86.52
6	गैर ब्याज आय	91	75.87
7	प्रति कर्मचारी परिचालनगत लाभ	0.118	0.139
8	प्रति शाखा परिचालनगत लाभ	0.487	0.557
9	प्रति कर्मचारी निवल लाभ	0.050	0.052
10	प्रति शाखा निवल लाभ	0.207	0.209
11	औसत आय की लागत	50.37	47.38
12	निवल ब्याज मार्जिन	3.51	3.55
13	एनपीए समापन	390.00	291.88
14	बट्टे खातों में वसूली	4	3.13

प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत आबंटित 898 उप सेवा क्षेत्र और 80 वार्डों का सर्वेक्षण बैंक खाता रहित परिवारों के अभिनिर्धारण हेतु किया गया. बैंक ने सभी आबंटित उप सेवा क्षेत्रों में बीसीए तैनात किए. 31.03.2019 तक कुल 13.71 लाख पीएमजेडीवाई खाते खोले गए तथा पीएमजेडीवाई खाता धारकों को 8.53 लाख रूपे एटीएम डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं. महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक ने पीएमजेजेबीवाय, पीएमएसबीवाय तथा एपीवाय एवं साथ ही भारत सरकार, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा घोषित पीएमएमवाय योजना में सक्रियता से भाग लिया.

वर्ष 2018-19 के दौरान विशेषताएं

1. केन्द्रीय केवाईसी रजिस्टरी (सीकेवाईसीआर) को ऑन बोर्ड किया गया, भीम यूपीआई प्लेटफॉर्म को ऑन बोर्ड किया गया.
2. भुगतान प्राप्ति की आधारभूत संरचना की स्थापना तथा माईक्रो एटीएम, भीम आधार भुगतान उपकरणों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में डिजीटल भुगतान किए गए.
3. एसएचजी संव्यवहारों के लिए बीसी पॉइंट पर दोहरा अधिप्रमाणन
4. नाबार्ड की वित्तीय समावेशन निधि के अंतर्गत बैंक द्वारा दो 'मोबाइल एटीएम वैन' की शुरूवात की गई.
5. आधार नामांकन केंद्रों की स्थापना
6. पीएमएलए - 2012 के अंतर्गत बैंक द्वारा एएमएल, केवाईसी तथा सीएफटी मॉड्यूल कार्यान्वित किया गया
7. एनएसीएच का होस्ट टू होस्ट (एच2एच) कार्यान्वयन

8.2 मेटको का कार्यनिष्पादन

वर्ष 1946 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की 100 % अनुषंगी कंपनी दि महाराष्ट्र एक्जिक्यूटर एण्ड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि. (मेटको) की स्थापना निम्नलिखित बैंकिंग सहायक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए हुई:

- ➢ वसीयतों का मसौदा तैयार करना और निष्पादन करना, परामर्श देना
- ➢ निजी न्यासों / सार्वजनिक न्यासों का मसौदा तैयार करना, प्रबंधन और परामर्श देना

(Amount in Crore)

Sr	Performance Parameter	Target FY 2018-19	Actual as on 31.03.2019
1	Growth in Total Deposit (%)	12.51	17.38
2	Cost of Deposit (%)	5.01	5.02
3	Cost of Funds	5.14	5.10
4	Operating Profit	200.00	229.96
5	Net Profit before tax	85.00	86.52
6	Non-Interest Income	91	75.87
7	Operating Profit per employee	0.118	0.139
8	Operating Profit per Branch	0.487	0.557
9	Net Profit per employee	0.050	0.052
10	Net profit per branch	0.207	0.209
11	Cost to Income Ratio	50.37	47.38
12	Net Interest Margin	3.51	3.55
13	Closing NPA	390.00	291.88
14	Recovery in Write off	4	3.13

Under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana surveys of all allotted 898 SSAs and 80 wards were conducted for identification of households having no bank account. The Bank has covered all allotted SSAs by engaging BCAs. Total 13.71 lakh PMJDY accounts have been opened till 31.03.2019 and 8.53 lakh RuPay ATM debit cards have been issued to PMJDY account holders. Maharashtra Gramin Bank has actively participated in the PMJJBY, PMSBY and APY as well as the PMMY scheme declared by GoI, DFS.

Highlights during the Year 2018-19

1. On boarding to Central KYC Registry (CKYCR), on boarding to BHIM UPI platform.
2. Establishment of payment acceptance infrastructure and digital payments in rural are through micro ATMs, BHIM Aadhar payment devices.
3. Dual authentication at BC points for SHG transactions.
4. Bank has introduced Two "Mobile ATM Van" under financial inclusion funds of NABARD.
5. Setting up of Aadhar Enrollment centers.
6. Bank implemented AML, KYC & CFT module under PMLA-2012.
7. Host to Host (H2H) implementation of NACH.

8.2 Performance of METCO

The Maharashtra Executor & Trustee Company Pvt. Ltd., the 100% subsidiary of Bank of Maharashtra was established in 1946 with an aim to provide services auxiliary to banking such as:

- ➢ Consultation, Drafting & Execution of will
- ➢ Consultation, Drafting and Management of Private Trusts / Public Trusts

- एटर्नी के रूप में निवेशों एवं आवास संपत्तियों का प्रबंधन
- अवयस्क की संपत्ति की संरक्षकता
- संपत्ति की खरीदी / बिक्री के लिए परामर्श देना

कंपनी पुणे में स्थित है और पुणे, वाशी-मुंबई, ठाणे और नागपुर में इसकी शाखा इकाईयां हैं. कंपनी लगभग 1008 निजी और सार्वजनिक न्यासों का प्रबंधन करती है. वर्ष के दौरान जुड़ी नई वसीयतों की संख्या 32 रही, इस प्रकार कंपनी की अभिरक्षा और निष्पादन में वसीयतों की कुल संख्या 1155 हो गई है. कंपनी द्वारा वर्तमान में 21 ग्राहकों की चल एवं अचल दोनों संपत्तियों का प्रबंधन मुख्तारनामे के अंतर्गत किया जा रहा है. विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम के अंतर्गत कंपनी 99 पालिसियों के संबंध में न्यासी का कार्य करती है और 2 मामलों में न्यायालय ने अवयस्क की संपत्ति का संरक्षक कंपनी को बनाया है. कंपनी द्वारा करीब-करीब 20 न्यासों के प्रबंधकीय न्यासी के रूप में कार्य किया गया तथा गरीब लोगों की मदद कर अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को उत्प्रेरक बनाया. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा लगभग 100 लाभार्थियों के लिए लगभग ₹25 लाख प्रदान किया गया.

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए मेटको का निवल लाभ ₹82.74 लाख है.

9. राजभाषा नीति का कार्यान्वयन:

वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक ने राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं :

1) बैंक को बेहतर राजभाषा कार्यान्वयन हेतु राजभाषा के क्षेत्र का श्रेष्ठतम पुरस्कार 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' प्रदान किया गया है। बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री ए. सी. राउत ने 14 सितंबर, 2018 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित भव्य कार्यक्रम में माननीय उप राष्ट्रपति श्री एम. वेंकय्या नायडू के करकमलों से यह पुरस्कार प्राप्त किया।

2) बैंक को बेहतर राजभाषा कार्यान्वयन हेतु 22 दिसंबर, 2018 को नई दिल्ली में प्रतिष्ठित 'स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट' पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बैंकिंग उद्योग में यह पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम बैंक बनने का श्रेय हमारे बैंक को प्राप्त हुआ।

3) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मुंबई को बेहतर राजभाषा कार्यान्वयन हेतु राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। हमारा बैंक इस समिति का संयोजक बैंक है।

4) बैंक को बेहतर राजभाषा कार्यान्वयन हेतु मुंबई की प्रतिष्ठित संस्था आशीर्वाद द्वारा 'विशेष पुरस्कार' प्रदान किया गया।

5) अन्य बैंकों द्वारा संयोजित विभिन्न नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन हेतु हमारे बैंक के कोलकाता, रायपुर, जयपुर और अमरावती अंचलों को पुरस्कार प्रदान किए गए।

6) बैंक के प्रधान कार्यालय, पुणे में 09 अक्तूबर, 2018 को हिन्दी दिवस समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री ए. सी. राउत द्वारा की गई और मुख्य अतिथि के रूप में विख्यात हिन्दी फिल्म अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता श्री रजा मुराद उपस्थित हुए। इस अवसर पर श्री आर. पी. मराठे, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री आर. के. गुप्ता, कार्यपालक निदेशक और श्री राजकिरण भोईर, महाप्रबंधक भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अखिल भारतीय आंतरिक राजभाषा ट्रॉफी योजना के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए।

7) बैंक के सभी राजभाषा अधिकारियों के लिए पुणे में अखिल भारतीय राजभाषा सेमिनार का आयोजन किया गया। बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री आर. पी. मराठे ने सेमिनार का उद्घाटन किया।

8) बैंक की मासिक ई-पत्रिका 'राजभाषा ई-प्रगति' प्रति माह नियमित रूप से प्रकाशित की गई। एक नई पहल के रूप में दिव्यांगजनों के लाभ हेतु 'राजभाषा ई-प्रगति' का ब्रेल लिपि में भी प्रकाशन किया गया।

- Management of investments & house properties as attorney
- Guardianship of minor's property
- Consultation for sale/purchase of property

The Company is located at Pune having its branch units at Pune, Vashi-Mumbai, Thane and Nagpur. It is managing about 1008 Public & Private Trusts. During the year, additional 32 Wills were added making total 1155 Will in its custody for execution. At present, the Company manages properties both movable and immovable of 21 clients under the Power of Attorney. The Company also acts as the Trustees in respect of 99 policies under Married Women's Property Act and as Court appointed Guardian of minor's property in 2 cases.The Company also acts as Managing Trustees of nearly 20 trusts and catalysts its social responsibility by extending help to poor people. During the Current FY Company has extending approx. ₹25 lacs to nearly 100 beneficiaries.

The net profit of METCO for F.Y. 2018-19 was ₹ 82.74 lakh.

9. IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE POLICY:

During the year 2018-19, the Bank has achieved various remarkable achievements in the field of Official Language implementation:

1. Bank was awarded "Rajbhasha Kirti Puraskar" for better implementation of Rajbhasha Hindi, which is the highest award for Rajbhasha. Shri A. C. Raut, Executive Director, Bank of Maharashtra received this prestigious award at the hands of Hon'ble Vice President of India, Shri M. Venkaiah Naidu in a grand function arranged at Vigyan Bhawan, New Delhi on 14th September, 2018.
2. Bank was awarded prestigious Skoch Order-of-Merit Award on 22 December, 2018 at New Delhi for Better Implementation of Rajbhasha. In Banking Industry, our bank is the first to receive this Award for Hindi Implementation.
3. The Town Official Language Implementation Committee, Mumbai has secured Third Prize from the Rajbhasha Vibhag, Ministry of Home Affairs, Government of India for better implementation of Hindi. Our Bank is the convenor Bank for the committee.
4. Bank was awarded "Vishesh Puraskar" by the Mumbai based prestigious Institution 'Aashirvad' for better use of Hindi during the year.
5. Various Town Official Language Implementation Committees convened by other Banks have awarded Kolkata, Raipur, Jaipur and Amaravati Zones for excellent implementation of Official Language.
6. Hindi day function was arranged at Head Office, Pune on 09th October, 2018. Shri A. C. Raut, Executive Director of the Bank presided over the function. Shri Raza Murad, renowned Hindi actor and social worker was the Chief Guest. Shri R. P. Marathe, MD & CEO, Shri R.K. Gupta, Executive Director & Shri Rajkiran Bhoir, General Manager were also present in the function. Winners of the All India Internal Rajbhasha Trophy Scheme of the Bank were awarded during the function.
7. An All India Rajbhasha Seminar was organized in Pune for all the Hindi Officers of the Bank. Shri R. P. Marathe, Managing Director & CEO of the Bank inaugurated the seminar.
8. Monthly Rajbhasha E-Magazine 'Rajbhasha E-Pragati' is being regularly published every month. As a new initiative Rajbhasha E-Pragati in Brail script is also published for

9) बैंक ऑफ महाराष्ट्र मुंबई, पुणे, सोलापुर, लातूर और जळगांव में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) का संयोजक बैंक है। वर्ष के दौरान इन समितियों की बैठक और विभिन्न गतिविधियां नियमित रूप से निर्धारित अनुसूची के अनुसार संपन्न की गई।

10) वर्ष के दौरान राजभाषा संसदीय समिति द्वारा हमारे दिल्ली अंचल कार्यालय, इंदौर अंचल कार्यालय, मुंबई अंचल कार्यालय और राजकोट शाखा (अहमदाबाद अंचल) को भेंट दी और बैंक के राजभाषा कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। समिति के माननीय सदस्यों ने बैंक के राजभाषा के प्रगामी प्रयोग और बैंक द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन हेतु आरंभ की गई नई पहलों पर संतोष व्यक्त किया।

10. सुरक्षा:

बैंक द्वारा बैंक की संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक सुरक्षा नीति बनाई गई है. नीति के अंतर्गत निम्नलिखित का समावेश किया गया है :-

1. शाखाओं, प्रशासनिक कार्यालयों, करंसी चेस्ट, डेटा सेंटर, अन्य महत्वपूर्ण केंद्रों पर बैंक की संपत्तियों जैसे नकदी, स्वर्ण, दस्तावेज व मूल्यवान वस्तुओं की रक्षा करना तथा नकदी व मूल्यवान वस्तुओं हेतु सुरक्षा के उपाय करना.
2. बैंकिंग व्यवसाय को सहज व सामान्य रूप से चलाने के लिए स्टॉफ, भेंटकर्ताओं तथा ग्राहकों के लिए सुरक्षित, संरक्षित तथा अनुकूल वातावरण का निर्माण करना.
3. मानव निर्मित तथा प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए उपाय.

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान आनेवाले खतरे, वर्तमान अपराधिक परिदृश्यों, अपराध पैटर्न, बैंक डकैती के तौर तरीकों व सुरक्षा भंग की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए विश्लेषण के पश्चात बैंक में भौतिक सुरक्षा आवश्यकताओं हेतु सक्रिय कदम उठाए गए तथा आगजनी की घटनाओं से बचाव तथा सुरक्षा कर्मचारियों और अन्य बैंक कर्मचारियों को किसी भी संभावित घटना से बचाव हेतु प्रशिक्षित किया गया है.

11. सचिवीय लेखा परीक्षा:

सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (लिस्टिंग विनियम) के विनियम 24ए तथा सेबी के दिनांक 08 फरवरी, 2019 के परिपत्र क्र. परि./सीएफडी/सीएमडी1/27/2019 के अनुसरण में बैंक ने मेसर्स आप्टे जोशी एन्ड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव, पुणे को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बैंक की सचिवीय लेखा परीक्षा करने हेतु सचिवीय लेखा परीक्षक नियुक्त किया है. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है.

पुनरीक्षाधीन वर्ष के लिए कोई सचिवीय लेखा परीक्षा क्वालिफिकेशन नहीं है.

12. निदेशकों के दायित्व का कथन:

निदेशक पुष्टि करते हैं कि दिनांक 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक खाते तैयार करते समय :

- ➢ यदि कोई महत्वपूर्ण विचलन हुआ है तो उसका उचित स्पष्टीकरण देने के साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लागू लेखा मानकों का पालन किया गया.
- ➢ भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार लेखा नीतियां तैयार की गई और उनको सतत आधार पर लागू किया गया. यदि कोई परिवर्तन किए गए तो उनका उचित प्रकटन किया गया है.
- ➢ वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक के कार्यकलापों और वर्ष के लिए लाभ की सही और सत्य स्थिति दर्शाने के लिए उचित और विवेकपूर्ण निर्णय लिए गए और अनुमान लगाए गए.
- ➢ भारत में बैंकों को शासित करने वाले लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेख रखने के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई; और

the benefit of differently abled employees of the Bank.

9. Bank of Maharashtra is the convenor Bank for Town Official Language Implementation Committee (TOLIC) in Mumbai, Pune, Solapur, Latur & Jalgaon. Meetings of these committees were held regularly during the year and various activities of the committees were organized throughout the year as per the schedule.

10. Committee of Parliament on Official Language visited our Delhi Zonal Office, Indore Zonal Office, Mumbai Zonal Office & Rajkot branch, (Ahmedabad Zone) during the year and reviewed Official Language Implementation work of the Bank. The honorable members of the Committee expressed their satisfaction regarding progressive use of Hindi and the implementation of new initiatives by the Bank.

10. SECURITY:

The Bank has put in place a comprehensive Security Policy covering the entire Security arrangements in the Bank. The policy covers the following:-

1. Protect the bank's assets such as Cash, Gold, Documents and Valuables at branches, Administrative offices, Currency chests, Data Centre, other critical centres and Security measures for Cash and Valuables.
2. Create a secure, safe and conducive environment for Staff, visitors and customers to conduct smooth and normal banking business.
3. Measures to counter manmade disasters and natural calamities.

During the FY 2018-19, proactive steps have been taken on the physical security requirements in the Bank after analysis of the threat perception, current crime scenario, crime pattern, modus operandi of bank robberies, breaches of security and fire incidents besides equipping and training the security personnel and other bank staff to counter any eventuality.

11. SECRETARIAL AUDIT:

Pursuant to Regulation 24A of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI Circular No. CIR/CFD/CMD1/27/2019 dated February 08, 2019, Bank had appointed M/s. Apte Joshi & Associates, Practicing Company Secretaries, Pune as a Secretarial Auditor to undertake Secretarial audit of Bank for the financial year 2018-19. The Secretarial Audit Report is annexed to this Report.

There is no Secretarial audit qualification for the year under review.

12. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT:

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended 31.03.2019:

- ➢ The applicable accounting standards of the Institute of Chartered Accountants of India, have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any;
- ➢ The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, are consistently applied and proper disclosures are made for changes, if any;
- ➢ Reasonable and prudent judgment and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and the profit of the Bank for the year.
- ➢ Proper and sufficient care was taken for maintenance of adequate accounting records in accordance with the

➢ सतत आधार पर लेखे तैयार किए गए.

13. निदेशक मंडल में परिवर्तन:

वर्ष 2018-19 के दौरान, निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं.

➢ श्री आर. तामोधरन को दिनांक 30.06.2018 से बैंक के शेयरधारक निदेशक पद पर पुनर्नियुक्त किया गया.

➢ श्री ए. एस. राजीव ने दिनांक 02.12.2018 से बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में श्री आर. पी. मराठे के स्थान पर पदभार ग्रहण किया, जिन्होंने बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में अपना कार्यकाल दिनांक 30.11.2018 को पूर्ण किया था.

➢ श्री हेमन्त टम्टा को केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 31.12.2018 से बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री आर. के. गुप्ता के स्थान पर नियुक्त किया गया, जिन्होंने बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में अपना कार्यकाल दिनांक 30.12.2018 को पूर्ण किया था.

➢ डॉ. अर्चना धोलकिया को केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 01.03.2019 से बैंक के निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया, उन्होंने बैंक के निदेशक के रूप में अपना पूर्व का कार्यकाल दिनांक 27.01.2019 को पूर्ण किया था.

14. व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट:

सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं व प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुसार बैंक की व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट (बीआरआर) 2018-19 बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर प्रदर्शित की गई है. इसकी भौतिक प्रति प्राप्त करने के इच्छुक सदस्य बैंक के कंपनी सचिव को लिख सकते हैं.

15. आभार:

बैंक के सर्वांगीण विकास हेतु भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, भारतीय बैंक संघ तथा स्टॉक एक्सचेंजों और डिपॉजिटरीज से प्राप्त मूल्यवान मार्गदर्शन एवं समर्थन के लिए तथा ग्राहकों व शेयर धारकों द्वारा दिए गए प्रश्रय, प्रतिनिधियों और सहयोगियों द्वारा दिए गए सहयोग और "महाबैंक परिवार" के सभी कर्मचारियों की समर्पित प्रतिबध्दता और बैंक के समग्र विकास में उनके योगदान के प्रति निदेशक मंडल कृतज्ञतापूर्वक आभार व्यक्त करता है.

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

स्थान : पुणे
दिनांक : 29 अप्रैल, 2019

(ए. एस. राजीव)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

provisions of applicable laws governing banks, in India; and

➢ The accounts have been prepared on a going concern basis.

13. CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS:

During the year 2018-19, the following changes took place in the Board of Directors:

➢ Shri R. Thamodharan was reappointed as Shareholder Director of Bank w.e.f 30.06.2018.

➢ Shri A.S. Rajeev took charge as Managing Director & CEO of the Bank w.e.f 02.12.2018 in place of Shri R.P. Marathe, who completed his term as MD & CEO of Bank on 30.11.2018.

➢ Shri Hemant Tamta was appointed as Executive Director of the Bank by the Central Government w.e.f 31.12.2018 in place of Shri R.K. Gupta, who completed his term of Executive Director of Bank on 30.12.2018.

➢ Dr. Archana Dholakia was reappointed by Central Government as Director of Bank w.e.f 01.03.2019. She completed her earlier term as Director of Bank on 27.01.2019.

14. BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT:

As per the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Business Responsibility Report (BRR) 2018-19 of the Bank has been hosted on the Bank's website i.e www.bankofmaharashtra.in. Any member interested in obtaining a physical copy of same may write to the Company Secretary of the Bank.

15. ACKNOWLEDGEMENT:

The Board of Directors wishes to express sincere gratitude to Government of India, Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India, Insurance Regulatory and Development Authority, Indian Banks' Association, Stock Exchanges and Depositories for their valuable advice and support; to the customers and shareholders for their patronage; to the correspondents and associates for their co-operation and to all the members of staff of "Mahabank Family" for their unstinted commitment and contribution to the overall development of the Bank.

For and on behalf of the Board of Directors

Place : Pune
Date : 29th April, 2019

(A.S. RAJEEV)
Managing Director and CEO

फॉर्म क्र. एमआर-3

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और कंपनियों के
नियम 9 के अनुसार (नियुक्ति और पारिश्रमिक कार्मिक)
नियम, 2014 और सेबी के दिनांक 08 फरवरी, 2018 के परिपत्र
परि/सीएफडी/सीएमडी1/ 27/2019 के अनुसार]

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

प्रति,
सदस्यगण,
बैंक ऑफ महाराष्ट्र,

हमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र (इसके पश्चात बैंक कहा गया है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे कॉर्पोरेट पद्धतियों के पालन का सचिवीय लेखा परीक्षा आयोजित की है। सचिवीय लेखा परीक्षा इस प्रकार से की गई थी जिससे हमें कॉरपोरेट आचार / सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने का उचित आधार प्राप्त हुआ।

बैंक द्वारा रखे गए बैंक की बहियां, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तिकाएं, प्रपत्र और फाईल की गई विवरणियां व अन्य अभिलेख और बैंक, इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के आधार पर, हम एतद्वारा सूचित करते हैं कि हमारी राय में, बैंक ने 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष को समाप्त अवधि के दौरान निम्न में उल्लेखित सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और साथ ही बैंक के पास उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र इस सीमा तक मौजूद हैं, जिसके आधार पर इसके पश्चात निम्नानुसार रिपोर्टिंग की गई है :

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु बैंक की बहियों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तिकाएं, प्रपत्र और फाईल की गई विवरणियां व अन्य अभिलेख की जांच की है :

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम, लागू सीमा तक ;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआर') और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और विनियमों और उसके अंतर्गत बनाए गए उपनियम;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक बनाए गए नियम और विनियम ;

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश निर्धारित हैं: -

- (क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011;
- (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताओं की सूची) विनियम, 2015
- (ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (आंतरिक व्यापार का निषेध) विनियम, 2015;
- (घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का निर्गम) विनियम, 2018;
- (ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014;
- (च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धकरण) विनियम, 2008;
- (छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम और शेयर हस्तांतरण एजेंट के लिए रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में **(वर्ष के दौरान लागू नहीं)**
- (ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का डीलिस्टिंग) विनियम, 2009; **(वर्ष के दौरान लागू नहीं)**
- (झ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति पुनर्खरीद) विनियम, 1998; **(वर्ष के दौरान लागू नहीं)**
- (ञ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गमन बैंककार) विनियम, 1994;
- (ट) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंकर्स) विनियम, 1992;
- (ठ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार सहभागी) विनियम, 1996/2018;
- (ड) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर ट्रस्टी) विनियम, 1993;
- (ढ) विशेष रूप से बैंक के लिए लागू अन्य कानून:
  - (i) बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण और स्थानांतरण) अधिनियम, 1970 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के साथ पढ़ा गया।
  - (ii) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970

(iii) बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर और मीटिंग) विनियम, 2004

(iv) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934

(v) बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949

(vi) बैंकर बुक एविडेंस एक्ट, 1891

(vii) बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006

(viii) बैंकिंग कंपनियाँ (अभिलेखों के संरक्षण की अवधि) नियम, 1985

(ix) प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी)तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002

(x) धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 तथा मनी धनशोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 हमने निम्नलिखित के प्रयोज्य खंडों के अनुपालन की भी जांच की है :

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक - लागू नहीं

(ii) बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ बैंक द्वारा किए गए सूचीबद्धता करार ;

समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक ने वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु वित्तीय विवरणों के अनुसूची 18 के मद क्र.9.7 में घोषित किए गए प्रलंबित शुल्क/ प्रभारों अथवा प्रदत्त पेनाल्टी तथा जहां बैंक को कारण बताओ नोटिस मिले हैं उन्हें छोड़कर बैंक ने अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि

कार्यपालक निदेशकगण, गैर-कार्यपालक निदेशक और स्वतंत्र निदेशकों के उपयुक्त संतुलन के साथ बैंक का निदेशक मंडल विधिवत गठित किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल के गठन में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में किए गए समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 29 जून 2018 से 01 नवंबर 2018 तक की अवधि हेतु बैंक के बोर्ड पर केवल एक पूर्णकालिक निदेशक रहे, क्योंकि न्यायिक कार्यवाही प्रलंबित होने के कारण बैंक के दो पूर्णकालिक निदेशकों के संचलन अधिकार हटाए गए थे।

साथ ही, बोर्ड की बैठकों के आयोजन हेतु सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिए गए, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट आवश्यकता के अनुसार कम से कम 15 दिन पूर्व भेजे गए, केवल कुछ मामलों को छोड़कर जहां नोटिस 15 दिन से कम के अंतराल पर, किंतु न्यूनतम सात दिन पूर्व भेजे गए जैसा कि एलओडीआर 2015 के अंतर्गत अपेक्षित है, और बैठक में सार्थक सहभागिता हेतु तथा बैठक से पूर्व कार्यसूची की मदों पर आगामी सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु एक समुचित प्रणाली विद्यमान है।

अधिकांश निर्णयों का क्रियान्वयन किया जाता है, जबकि असहमत सदस्यों के विचारों को कार्यवृत्त के भाग के रूप में अभिलेखित किया जाता है।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लागू विधियों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु तथा इसकी निगरानी के लिए बैंक के परिचालनों और आकार के अनुसरण में बैंक में पर्याप्त प्रणालियां और पद्धतियां है। तथापि समीक्षाधीन अवधि के दौरान कतिपय मामलों में विनियामक प्राधिकारियों द्वारा बैंक पर पेनाल्टी लगाई गई है और इसे बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के मद क्र.9.7 में घोषित किया गया है।

मैं/ हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान बैंक ने

(i) अधिमान आधार पर भारत सरकार को ईक्विटी शेयर जारी किए;

(ii) परिपक्वता पर टियर II बॉण्डों को रिडीम किया ;

(iii) कर्मचारी शेयर खरीद योजना के माध्यम से पात्र कर्मचारियों को ईक्विटी शेयर जारी किए;

(iv) कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 180 के अनुसरण में सदस्यों द्वारा कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिए गए।

(v) कोई विलय/ समामेलन / पुनर्सरचना आदि नहीं किया,

(vi) कोई विदेशी तकनीकी समझौता नहीं किया।

कृते आप्टे जोशी और असोसिएट,

कंपनी सचिव

राघवेंद्र जोशी

दिनांक : 29/04/2019 **भागीदार**

स्थान : पुणे **एफसीएस : 4478 सीपी : 8774**

Form No. MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH 2019
[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and rule
No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration Personnel)
Rules, 2014 and as per SEBI Circular No CIR/CFD/CMD1/27/2019 dated February 08, 2019]

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH 2019

To,
The Members,
Bank of Maharashtra,

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by Bank of Maharashtra (hereinafter called the Bank). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Bank's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March 2019 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed, and other records maintained by the Bank for the financial year ended on 31st March 2019 according to the provisions of:

(i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder, to the extent applicable;

(ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;

(iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;

(iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;

(v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'): -

- (a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
- (b) Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015
- (c) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
- (d) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018;
- (e) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014;
- (f) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008;
- (g) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client (Not applicable during the year)
- (h) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009; (Not applicable during the year)
- (i) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998; (not applicable during the year)
- (j) Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) Regulations, 1994;
- (k) Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992;
- (l) Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 1996/2018;
- (m) Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustee) Regulations, 1993;
- (n) other laws applicable specifically to the Bank:
  - (i) The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with The Banking Regulation Act, 1949.
  - (ii) The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.
  - (iii) Bank of Maharashtra (Shares and Meeting) Regulations, 2004.
  - (iv) Reserve Bank of India Act, 1934.
  - (v) Banking Regulations Act, 1949.
  - (vi) Banker's Book Evidence Act, 1891.
  - (vii) Banking Ombudsman Scheme, 2006.
  - (viii) The Banking Companies (Period of Preservation of Records) Rules, 1985.

(ix) The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFESI) Act, 2002 and The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

(x) The prevention of Money Laundering Act, 2002 and The Prevention of Money Laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

(i) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India. - Not Applicable

(ii) The Listing Agreements entered into by the Bank with BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited;

During the period under review the Bank has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc., mentioned above except the bank has received show cause notices and awarded penalty or delayed fees/ charges as disclosed by the Bank in point no.9.7 of Schedule 18 to financial statements for FY 2018-19.

We further report that

The Board of Directors of the Bank is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors and Independent Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act. During the year under review, there was only one Whole Time Director on the Board of Bank for the period i.e. 29th June, 2018 to 01st November, 2018 as two Whole Time Directors of Bank were divested of their functional powers pending the judicial proceedings. However, functional powers of these Directors were restored w.e.f. 02nd November 2018.

Further, adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least 15 days in advance as per the requirement, except in few instances, where the notice were sent with a gap of less than 15 days but at least seven days in advance as required under LODR 2015, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Majority decision is carried through, while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the minutes.

We further report that there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines. However, penalties have been imposed on the Bank by Regulatory Authorities in certain cases during the period under review and same is disclosed by Bank in point no.9.7 of Schedule 18 of financial statements for FY 2018-19.

I/we further report that during the audit period, the Bank has

(i) Issued Equity Shares to Government of India on Preferential basis;

(ii) Redeemed Tier II Bonds on maturity;

(iii) Issued Equity Shares to eligible employees through Employees Share Purchase scheme;

(iv) taken no major decisions by the members in pursuance to Section 180 of the Companies Act, 2013;

(v) No Merger / amalgamation / reconstruction etc.;

(vi) No Foreign Technical Collaborations.

For Apte Joshi & Associates,

Company Secretaries

Raghavendra Joshi

Partner

FCS: 4478 CP: 8774

Date: 29/04/2019

Place: Pune

अनुलग्नक - ए

प्रति,
सदस्य,
बैंक ऑफ महाराष्ट्र,

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाए।

1. सचिवीय अभिलेख का रखरखाव बैंक के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेख पर एक राय व्यक्त करना है।
2. हमने लेखापरीक्षा पद्धतियों का पालन किया है जो सचिवीय अभिलेख की सामग्री की यथार्थता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सही तथ्य सचिवीय अभिलेख में परिलक्षित होते हैं। हमारा मानना है कि प्रक्रिया और व्यवहार, हमने अपनी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान किया।
3. हमने बैंक के खाता बहियों और वित्तीय अभिलेख की यथार्थता और उपयुक्तता की पुष्टि नहीं की है।
4. जहां भी आवश्यक हो, हमने विधियों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के होने आदि के बारे में प्रबंधन प्रकथन प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू विधियों , नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी परीक्षा जांच के आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो बैंक की भावी अर्थक्षमता के लिए एक आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या क्षमता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है।

कृते आप्टे जोशी और असोसिएट,

कंपनी सचिव

राघवेंद्र जोशी

दिनांक : 29/04/2019 — **भागीदार**

स्थान : पुणे — **एफसीएस : 4478 सीपी : 8774**

Annexure - A

To,
The Members,
Bank of Maharashtra,

Our report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
2. We have followed the audit practices and process as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the process and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.
3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and book of Accounts of the Bank.
4. Wherever required, we have obtained the management representation about the Compliance of laws, rules and regulations and happening of events, etc.
5. The Compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedure on test basis.
6. The Secretarial audit report is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For Apte Joshi & Associates,

Company Secretaries

Raghavendra Joshi

Date: 29/04/2019 — **Partner**

Place: Pune — **FCS: 4478 CP: 8774**

वर्ष 2018-19 के लिए निगमित अभिशासन (कार्पोरेट गवर्नेन्स) पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट

1. निगमित अभिशासन (कार्पोरेट गवर्नेन्स) पर बैंक का दर्शन:

बैंक ऑफ महाराष्ट्र निगमित अभिशासन (कार्पोरेट गवर्नेन्स) की संकल्पना व महत्व को मान्यता देता है और बैंक न केवल संवैधानिक आवश्यकताओं का पालन करता है, अपितु स्वैच्छिक रूप से सुदृढ़ कंपनी अभिशासन (कार्पोरेट गवर्नेन्स) पद्धतियों को तैयार कर उनका पालन करता है। शेयरधारकों, ग्राहकों, सरकार और समग्र रूप से समाज सहित सभी हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए बैंक हमेशा हरसंभव प्रयास करता है। कंपनी अभिशासन (कार्पोरेट गवर्नेन्स) पर बैंक का दर्शन है कि सभी स्तरों पर पारदर्शिता, जिम्मेदारी और न्यायसंगतता के उत्कृष्ट मानक स्थापित करना और व्यवसायिकता, सामाजिक कार्यों के प्रति प्रतिसाद, ठोस व्यापारिक पद्धतियां और परिचालनगत कुशलता के द्वारा अधिकतम गुणवत्ता को सुनिश्चित करना। ये कार्य शेयरधारकों के मूल्य को अधिकाधिक संवर्धित करने और शेयरधारकों के हितों की रक्षा करने हेतु बैंक को कारोबार के उच्च मानक बनाए रखने में सक्षम बनाते हैं।

2. निदेशक मंडल:

2.1 निदेशक मंडल का संमिश्र बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970, सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक/ भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार शासित होता है।

बैंक वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्यम है। शेयरधारक निदेशक की नियुक्ति को छोड़कर निदेशकों की सभी श्रेणियों का नामांकन/ नियुक्ति बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 के प्रावधानों के अनुसरण में भारत सरकार द्वारा की जाती है।

बैंक के निदेशक मंडल में दो महिला निदेशकों सहित कार्यपालक और गैर-कार्यपालक निदेशकों का एक इष्टतम संमिश्र है। 31 मार्च, 2019 की समाप्ति पर निदेशक मंडल में 8 निदेशक शामिल थे जिनमें से 3 कार्यपालक निदेशक और 5 गैर-कार्यपालक निदेशक थे, जिसमें 3 स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। निदेशक मंडल के अध्यक्ष एक कार्यपालक निदेशक हैं। स्वतंत्र निदेशक कुल निदेशक मंडल का 38% हैं। बैंक के निदेशक मंडल में 2 महिला निदेशक शामिल हैं जो क्रमशः गैर-कार्यपालक निदेशक और स्वतंत्र निदेशक का पद धारित करती है।

बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 तथा भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश बैंक के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति के लिए अपेक्षित निम्नलिखित कौशल, विशेषज्ञता या सक्षमता विनिर्दिष्ट करते हैं :

(i) लेखांकन, (ii) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, (iii) बैंकिंग, (iv) सहकारिता, (v) अर्थशास्त्र, (vi) वित्त, (vii) विधि, (viii) लघु उद्योग, (ix) सूचना प्रौद्योगिकी, (x) सार्वजनिक नीति इत्यादि

बैंक के निदेशक मंडल में उपर्युक्त विशेषज्ञ ज्ञान/ कौशल तथा अनुभव शामिल है, जिससे सतत व्यवसाय वृद्धि के माध्यम से मूल्य निर्माण हेतु सक्षम वातावरण बनाया जा सकेगा।

Report of the Board of Directors on Corporate Governance for the year 2018-19

1. Bank's philosophy on Corporate Governance:

Bank of Maharashtra recognizes the principles and importance of Corporate Governance and has been complying with not only the statutory requirements, but also has voluntarily formulated and adhered to a set of strong Corporate Governance practices. The Bank has always strived hard to best serve the interest of all its stakeholders including Shareholders, Customers, Government and Society at large. The Bank's philosophy on Corporate Governance is to bestow high standard of transparency, fairness and accountability for performance at all levels and to ensure and achieve excellence through professionalism, social responsiveness, sound business practices and optimum efficiency. This in turn enables the Bank to maintain a high level of business ethics to maximize the shareholders' value and to protect their interest.

2. Board of Directors:

2.1. The Composition of the Board is governed by the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Banking Regulation Act, 1949 and Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, SEBI (Listing Obligations Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Reserve Bank of India / Govt. of India guidelines issued from time to time.

Bank is a Public Sector Undertaking under the administrative control of Ministry of Finance. The nomination / appointment of all categories of Directors are done by the Government of India in accordance with provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 except the appointment of Shareholder Director.

The Bank's Board has an optimum combination of Executive and Non-Executive Directors including two Woman Directors. The Board of Directors of Bank as on 31st March 2019, comprised of 8 Directors, out of which 3 were Executive Directors and 5 were Non-executive Directors, which includes 3 Independent Directors. The Chairman of the Board is a Executive Director. The Independent Directors constitute 38% of the total Board strength. The Bank has two Woman Directors on the Board who are holding offices as Non - Executive Director and Independent Director respectively.

The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Banking Regulation Act, 1949 and Government of India/ Reserve Bank of India guidelines prescribes the following skills, expertise or competencies required for appointment of Directors on the Board of Bank.

(i) Accountancy, (ii) Agriculture and Rural Economy, (iii) Banking, (iv) Co-operation, (v) Economics, (vi) Finance, (vii) Law, (viii) Small-scale industry, (ix) Information Technology (x) Public Policy etc.,

The Board of Directors of Bank have above professional knowledge/ skill sets and experience thereby bringing about an enabling environment for value creation through sustainable business growth.

2.2 बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 7(2) की शर्तों के अनुसार बैंक के कारोबार के सामान्य पर्यवेक्षण, निदेशन और प्रबंधन का अधिकार निदेशक मंडल के पास होता है। निदेशक मंडल के उत्तरदायित्वों में शामिल है - नीतियां तैयार करना, नई पहल करना, कार्य निष्पादन की समीक्षा करना और बैंक द्वारा किए गए विनियामक व संविधिक अनुपालन का पर्यवेक्षण करना, बैंक के विभिन्न प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित अधिकारों का प्रत्यायोजन करना और बैंक के विभिन्न कार्यस्थ प्राधिकारियों को वित्तीय अधिकारों के बाहर दी गई वित्तीय मंजूरियों का अनुमोदन कर समग्र पर्यवेक्षण करना।

31 मार्च, 2019 को बैंक के निदेशक मंडल का सम्मिश्र निम्नानुसार है:

2.2 In terms of Section 7(2) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970, the general superintendence, direction and management of the business of the Bank vests with the Board of Directors. The responsibilities of the Board include formulation of policies, new initiatives, performance review, and supervision over Regulatory and Statutory compliances of the Bank, delegating financial powers to various functionaries and exercising overall supervision, according financial sanctions beyond the powers delegated to various functional authorities of the Bank..

The composition of Board of Directors of the Bank as on 31st March, 2019 is as under:

अ. क्र. Sr. No.	नाम Name	धारित पद Position held	31.03.2019 को धारित बैंक शेयरों / परिवर्तनीय लिखितों की संख्या No. of equity shares/ convertible instruments of the Bank held as on 31.03.2019	बैंक की उप-समितियों की सदस्यता No. of member ship in Sub Committees of the Bank	अभ्युक्तियां (बैंक में/अन्य कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप (सूचीबध्द इकाईयों सहित) Remarks (nature of appointment in the Bank / other Companies (including listed Entities)
1	श्री ए. एस. राजीव Shri A.S. Rajeev	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ Managing Director & CEO	शून्य NIL	12	केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 02.12.2018 से बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए Appointed as the Managing Director and CEO of the Bank w.e.f. 02.12.2018 by the Central Government.
2	श्री ए. सी. राउत Shri A.C.Rout	कार्यपालक निदेशक Executive Director	शून्य NIL	14	केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 31.03.2017 से बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए. Appointed as the Executive Director w.e.f. 31.03.2017 by the Central Government.
3	श्री हेमन्त टम्टा Shri Hemant Tamta	कार्यपालक निदेशक Executive Director	शून्य NIL	14	केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 31.12.2018 से बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए. आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक्जीक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि. के बोर्ड के अध्यक्ष/निदेशक भी हैं। Appointed as the Executive Director w.e.f. 31.12.2018 by the Central Government. He is also the Chairman/Director on the Board of the Maharashtra Executor and Trustee Company Pvt. Ltd.
4	श्रीमती वंदिता कौल Smt. Vandita Kaul	निदेशक (गैर- कार्यपालक) सरकार द्वारा नामित Director (Non-Executive) Government Nominee	शून्य NIL	11	केन्द्र सरकार द्वारा 11.05.2017 से निदेशक के रूप में नामित की गईं। आप भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति स्वत्व की केंद्रीय रजिस्ट्री के निदेशक मंडल में निदेशक हैं। Nominated as a Director w.e.f. 11.05.2017 by the Central Government. She is Director on the Board of Central Registry of Securitisation Asset Reconstruction and Security Interest of India.
5	श्री जी. श्रीकुमार Shri G. Sreekumar	निदेशक (गैर- कार्यपालक) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित Director (Non-Executive) RBI Nominee	शून्य NIL	06	केन्द्र सरकार द्वारा 10.06.2014 से निदेशक के रूप में नामित किए गए। Nominated as a Director w.e.f. 10.06.2014 by the Central Government.
6	श्री आर. तामोधरन Shri R. Thamodharan	निदेशक (गैर- कार्यपालक) शेयरधारक प्रतिनिधि Director (Non-Executive) Representing Shareholders	100	09	दिनांक 30.06.2018 से शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित किए गए। वे टिडेल पार्क लिमिटेड के निदेशक मंडल में नामित निदेशक हैं। Elected as Shareholder Director w.e.f. 30.06.2018. He is Nominee Director on the Board of Tidel Park Ltd.,

7	डॉ. अर्चना रविन्द्रराय धोलकिया Dr. Archana Ravindrarai Dholakia	निदेशक (गैर- कार्यपालक) Director (Non-Executive)	शून्य NIL	06	केन्द्र सरकार द्वारा 01.03.2019 से निदेशक के रूप में पुनर्नामित की गईं। Renominated as a Director w.e.f. 01.03.2019 by the Central Government.
8	श्री दीनदयाल अग्रवाल Shri Deendayal Agrawal	निदेशक (गैर- कार्यपालक) Director (Non-Executive)	शून्य NIL	08	केन्द्र सरकार द्वारा 26.07.2016 से निदेशक के रूप में नामित किए गए। वे तीन फाउंडेशनों के निदेशक मंडल में निदेशक हैं। Nominated as a Director w.e.f. 26.07.2016 by the Central Government. He is Director on the Board of three Foundations.

स्वतंत्र निदेशकत्व की संख्या :

लिस्टिंग विनियमों के विनियम 17(ए) के अनुसार बैंक के स्वतंत्र निदेशक सात सूचीबद्ध कंपनियों से अधिक में स्वतंत्र निदेशक के रूप में सेवाएं नहीं दे सकते। साथ ही बैंक के प्रबंध निदेशक किसी सूचीबद्ध इकाई में स्वतंत्र निदेशक के रूप में सेवाएं नहीं दे सकते।

2.3 वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक के निदेशक मंडल के गठन में परिवर्तन

- श्री आर. तामोधरन को 30.06.2018 से बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया। उन्होंने 29.06.2018 को बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में तीन वर्षों की अपनी पूर्व कार्यावधि पूर्ण की।
- श्री ए. एस. राजीव ने 02.12.2018 से श्री रविंद्र पी. मराठे के स्थान पर बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला। श्री रविंद्र पी. मराठे ने 30.11.2018 को बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के रूप में अपनी कार्यावधि पूर्ण की।
- श्री हेमन्त टम्टा को 31.12.2018 से केन्द्र सरकार द्वारा श्री आर. के. गुप्ता के स्थान पर बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। श्री आर. के. गुप्ता ने 30.12.2018 को बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में अपनी कार्यावधि पूर्ण की।
- डॉ. अर्चना धोलकिया को 01.03.2019 से केन्द्र सरकार द्वारा पुनः बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने 27.01.2019 को बैंक के निदेशक के रूप में तीन वर्षों की अपनी पूर्व कार्यावधि पूर्ण की।

2.4 वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान नियुक्त निदेशकों की प्रोफाइल:

2.4.1 श्री आर. तामोधरन

नाम	श्री आर. तामोधरन
जन्म दिनांक	15.03.1959
आयु	60 वर्ष
शैक्षणिक योग्यता	बी.एससी. (भौतिक शास्त्र), एसीए
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970/ 1980 की धारा 9 (3) (i) के अंतर्गत 3 वर्षों की अवधि के लिए दिनांक 30.06.2018 से बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में पुनर्निर्वाचित किए गए।
अनुभव	श्री आर. तामोधरन सनदी लेखाकार हैं जिन्हें भारतीय जीवन बीमा निगम में विभिन्न वरिष्ठ पदों का 33 वर्षों से भी अधिक का अनुभव है। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों जैसे लेखा, लेखा परीक्षा, वित्त, कराधान तथा व्यवसाय आयोजना इत्यादि में कार्य किया है। उन्होंने भारतीय जीवन बीमा निगम के अंचल प्रबंधक तथा कार्यपालक निदेशक (निवेश) के रूप में कार्य किया। साथ ही उन्होंने मई, 2009 से जून, 2014 तक एलआईसी (इंटरनैशनल) बीएससी (सी) (बहरीन) के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के रूप में भी कार्य किया।

Number of Independent Directorships:

As per Regulation 17A of the Listing Regulations, Independent Directors of the Bank do not serve as Independent Director in more than seven listed companies. Further, the Managing Director of the Bank does not serve as an Independent Director in any listed entity.

2.3 Changes in Composition of Board of Directors of Bank during the year 2018-19:

- Shri R. Thamodharan was reappointed as Shareholder Director of Bank w.e.f 30.06.2018. He completed his earlier term of three years as Shareholder Director of Bank on 29.06.2018.
- Shri A.S. Rajeev took charge as Managing Director & CEO of the Bank w.e.f 02.12.2018 in place of Shri Ravindra P. Marathe, who completed his term as Managing Director & CEO of Bank on 30.11.2018.
- Shri Hemant Tamta was appointed as Executive Director of the Bank by the Central Government w.e.f 31.12.2018 in place of Shri R.K. Gupta, who completed his term of Executive Director of Bank on 30.12.2018.
- Dr. Archana Dholakia was reappointed by Central Government as Director of Bank w.e.f 01.03.2019. She completed her earlier term of three years as Director of Bank on 27.01.2019.

2.4 Profile of Directors appointed during the financial year 2018-19:

2.4.1 Shri R. Thamodharan

Name	Shri. R. Thamodharan
Date of Birth	15.03.1959
Age	60 years
Qualification	B.Sc (Physics), ACA
Nature of appointment as Director	Re-elected as the Shareholder Director of the Bank w.e.f. 30.06.2018 u/s 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 for a period of 3 years.
Experience	Shri R. Thamodharan is Chartered Accountant having more than 33 years of experience with LIC of India holding various senior positions. He has worked in various fields such as Accounts, Audit, Finance, Taxation and Business planning etc., He worked as Executive Director (Investment) and Zonal Manager at LIC of India. He also worked as Managing Director and CEO of LIC International BSC (C) (Bahrain) from May 2009 to June 2014.

अन्य कंपनियों में निदेशक के पद धारण की स्थिति	वे टिडेल पार्क लिमिटेड, चेन्नै के निदेशक मंडल में भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रतिनिधित्व करने वाले नामित निदेशक हैं।

2.4.2 श्री ए. एस. राजीव

नाम	श्री ए. एस. राजीव
जन्म दिनांक	15.05.1964
आयु	54 वर्ष
शैक्षणिक योग्यता	गणित में स्नातक के साथ ही एफसीए, एमबीए, डीआईएसए तथा सीएआईआईबी की व्यावसायिक अर्हता।
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970/ 1980 की धारा 9 (3) (ए) के अंतर्गत 3 वर्षों की अवधि के लिए दिनांक 02.12.2018 से बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए।
अनुभव	श्री ए. एस. राजीव के पास तीन बैंकों यथा सिंडिकेट बैंक, विजया बैंक और इंडियन बैंक में लगभग तीन दशकों का विपुल व्यावसायिक बैंकिंग अनुभव है। वे एक क्वालिफाइड चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं, उन्हें कॉर्पोरेट ऋण, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, ट्रेजरी, जोखिम प्रबंधन, ऋण निगरानी और पर्यवेक्षण, एनपीए प्रबंधन, आयोजना और विकास, मानव संसाधन, वित्त, लेखा और कराधान, सतर्कता, कॉर्पोरेट अभिशासन, निरीक्षण और लेखा परीक्षा, साइबर सुरक्षा और सहायक कंपनियों सहित बैंकिंग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विपुल अनुभव और विशेषज्ञता प्राप्त है। इंडियन बैंक में कार्यपालक निदेशक बनने के पश्चात वे एनपीसीआई तथा बैंक की 2 अनुषंगियों मेसर्स इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेस लिमिटेड तथा मेसर्स इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड के निदेशक बने। उन्होंने भारतीय रिज़र्व बैंक/ भारत सरकार द्वारा गठित विभिन्न समितियों के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है। विजया बैंक में महाप्रबंधक एवं सीएफओ के रूप में उन्होंने कार्य किया। उन्होंने एडवांस्ड लीडरशिप प्रोग्राम, ईडीपी, जोखिम प्रबंधन, आईएफआरएस, फाइनान्सिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, डेरिवेटिव्ज इत्यादि सहित भारत में तथा विदेश में विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहभाग लिया।
अन्य कंपनियों में निदेशक के पद धारण की स्थिति	शून्य

2.4.3 श्री हेमन्त टम्टा

नाम	श्री हेमन्त टम्टा
जन्म दिनांक	06.03.1962
आयु	57 वर्ष
शैक्षणिक योग्यता	एल.एल.बी., एमबीए तथा आईसीबीएफ (इंटेंसिव कोर्स इन बैंकिंग एंड फायनान्स)

Directorship held in other Companies	He is a Nominee Director representing LIC of India on the Board of Tidel Park Ltd., Chennai

2.4.2 Shri A.S. Rajeev

Name	Shri A.S. Rajeev
Date of Birth	15.05.1964
Age	54 years
Qualification	Mathematics Graduate with professional qualifications of FCA, MBA, DISA and CAIIB.
Nature of appointment as Director	Appointed as Managing Director and Chief Executive officer of Bank w.e.f 02.12.2018 u/s 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 for a period of 3 years.
Experience	Shri A.S. Rajeev is having about three decades of professional banking experience in three Banks, viz., Syndicate Bank, Vijaya Bank and Indian Bank. A qualified Chartered Accountant, he has vast exposure and expertise in all important areas of Banking including Corporate Credit, International Banking, Treasury, Risk Management, Credit Monitoring & Supervision, NPA Management, Planning & Development, Human Resources, Finance, Accounts & Taxation, Vigilance, Corporate Governance, Inspection & Audit, Cyber Security and Subsidiaries. After becoming Executive Director of Indian Bank, he was Director of NPCI and two of the Bank's Subsidiaries, M/s. IndBank Merchant Banking Services Ltd. and M/s. Ind Bank Housing Ltd. He had also worked as member of various committees constituted by RBI/ Government. He worked as CFO & General Manager in Vijaya Bank. He has attended various professional Training programmes, both within India and abroad, including on Advanced Leadership Programme, EDP, Risk Management, IFRS, Financing Infrastructure Projects, Derivatives, etc.
Directorship held in other Companies	Nil

2.4.3 Shri Hemant Tamta

Name	Shri Hemant Tamta
Date of Birth	06.03.1962
Age	57 years
Qualification	LLB, MBA and ICBF (Intensive Course in Banking & Finance)

निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970/ 1980 की धारा 9 (3) (ए) के अंतर्गत 3 वर्षों की अवधि के लिए दिनांक 31.12.2018 से बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए।
अनुभव	श्री हेमन्त कुमार टम्टा का बैंकिंग में 33 वर्षों से भी अधिक का व्यापक करियर रहा है। उन्होंने वर्ष 1985 में केनरा बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में करियर आरंभ किया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में उनकी नियुक्ति से पूर्व वे केनरा बैंक की रिटेल एसेट विंग के प्रमुख थे। उनके नेतृत्व में बैंक ने इस खंड में उच्चतम वृद्धि दर्ज की। श्री हेमन्त कुमार टम्टा ने अपने कार्यकाल के दौरान बैंकिंग में विभिन्न महत्वपूर्ण असाइनमेंट किए और बैंक की कोर नीतियों के परिष्करण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्हें बैंकिंग के विभिन्न खंडों का व्यापक अनुभव हैं और उन्होंने केनरा बैंक की शाखाओं तथा प्रशासनिक कार्यालयों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। वे केनरा बैंक के फ्लैगशिप दिल्ली सर्कल साथ ही नागपुर और आगरा सर्कलों के प्रमुख भी रहे।
अन्य कंपनियों में निदेशक के पद धारण की स्थिति	आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक्जीक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि. के बोर्ड के अध्यक्ष/ निदेशक भी हैं।

2.4.4 डॉ. अर्चना धोलकिया

नाम	डॉ. अर्चना रविंद्रराय धोलकिया
जन्म दिनांक	04.12.1955
आयु	63 वर्ष
शैक्षणिक योग्यता	बी.कॉम., एम.ए, अर्थशास्त्र में पी.एचडी.
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970/ 1980 की धारा 9 (3) (एच) के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि के लिए दिनांक 01.03.2019 से निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त की गई।
अनुभव	वे अर्थशास्त्र की प्राध्यापक हैं तथा गुजरात विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ सोशल सायन्सेस की भूतपूर्व निदेशक हैं। वे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया (ई-डीआईआई), अहमदाबाद की प्रतिष्ठित प्राध्यापक हैं। उन्हें विश्वविद्यालयों और संस्थानों में शिक्षण, अनुसंधान तथा परामर्श का 32 वर्षों से भी अधिक का अनुभव है।
अन्य कंपनियों में निदेशक के पद धारण की स्थिति	शून्य

2.5 निदेशक मंडल की बैठकें:

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान निदेशक मंडल की बैठकें निम्नलिखित दिनांकों पर कुल 17 बार संपन्न हुई जबकि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970/ 1980 के खंड 12 के अधीन न्यूनतम 6 बैठकें निर्धारित हैं।

Nature of appointment as Director	Appointed as Executive Director of Bank w.e.f 31.12.2018 u/s 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 for a period of 3 years.
Experience	Shri Hemant Kumar Tamta has had a prolific career in banking, spanning over 33 years. In 1985, he started as a Probationary Officer with Canara Bank. Prior to his appointment in Bank of Maharashtra, he headed the Retail Asset Wing of Canara Bank. Under his leadership, the bank recorded the highest-ever growth in this segment. Shri Hemant Kumar Tamta has held various important assignments in banking during his tenure and was instrumental in the refinement of the bank's core policies. He comes with a wealth of experience across segments of banking and has worked in different roles across the branches and administrative offices of Canara bank. He has also headed the flagship Delhi Circle of Canara Bank, as well as Nagpur and Agra Circles.
Directorship held in other Companies	He is also the Chairman/Director on the Board of the Maharashtra Executor and Trustee Company Pvt. Ltd.

2.4.4 Dr. Archana Dholakia

Name	Dr. Archana Ravindrarai Dholakia
Date of Birth	04.12.1955
Age	63 years
Qualification	B.Com, M.A., Ph.D in Economics.
Nature of appointment as Director	Reappointed as Director of the Bank w.e.f. 01.03.2019 u/s 9 (3) (h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 for a period of one year.
Experience	She is a Professor of Economics and former Director at School of Social Sciences at Gujarat University. She is distinguished professor at Entrepreneurship Development Institute of India, (E-DII), Ahmedabad. She has more than 32 years of teaching, research and consulting experience at Universities and Institutions.
Directorship held in other Companies	NIL

2.5 Board Meetings:

During the Financial Year 2018-19, 17 meetings were held on the following dates as against minimum of 6 meetings prescribed under Clause 12 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980.

04.05.2018	25.05.2018	29.06.2018	06.07.2018	12.07.2018	03.08.2018	04.09.2018
03.10.2018	30.10.2018	02.11.2018	29.11.2018	28.12.2018	04.01.2019	23.01.2019
31.01.2019	26.02.2019	14.03.2019				

समिति की उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की अपनी कार्य अवधि के दौरान उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं :

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री आर. पी. मराठे	01.04.2018 से 30.11.2018	11	03
श्री ए. एस. राजीव	02.12.2018 से 31.03.2019	06	06
श्री आर. के गुप्ता	01.04.2018 से 30.12.2018	12	04
श्री ए. सी. राउत	01.04.2018 से 31.03.2019	17	17
श्री हेमन्त टम्टा	31.12.2018 से 31.03.2019	05	05
श्रीमती वंदिता कौल	01.04.2018 से 31.03.2019	17	13
श्री जी. श्रीकुमार	01.04.2018 से 31.03.2019	17	16
श्री आर. तामोधरन	01.04.2018 से 31.03.2019	17	16
डॉ. अर्चना आर. धोलकिया	01.04.2018 से 31.03.2019	17	15
श्री दीनदयाल अग्रवाल	01.04.2018 से 31.03.2019	17	17

2.6 आचार संहिता:

निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों अर्थात सभी महाप्रबंधकों वाली बैंक की कोर प्रबंधन टीम हेतु आचारसंहिता निदेशक मंडल द्वारा सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुपालन में अनुमोदित की गई है। उक्त आचारसंहिता बैंक की वेबसाईट www.bankofmaharashtra.in पर उपलब्ध है। बैंक के बोर्ड के सभी सदस्यों तथा बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

2.7 बैंक के पास उनके निदेशकों के लिए बैंक में उनकी भूमिका, अधिकार तथा जिम्मेदारी के संबंध में परिचय कार्यक्रम है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक के निदेशकों द्वारा भाग लिए गए इन परिचय / प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा बैंक की वेबसाईट www.bankofmaharashtra.in पर उपलब्ध है।

2.8 बैंक के किसी भी निदेशक का आपस में कोई रिश्ता नहीं है।

3. वार्षिक साधारण बैठक :

बैंक के शेयरधारकों की 15वीं वार्षिक साधारण बैठक दिनांक 21 जून, 2018 को अप्पासाहेब जोग हॉल, प्रधान कार्यालय, 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे-411005 में संपन्न हुई जिसमें निम्नांकित निदेशक उपस्थित थे:

04.05.2018	25.05.2018	29.06.2018	06.07.2018	12.07.2018	03.08.2018	04.09.2018
03.10.2018	30.10.2018	02.11.2018	29.11.2018	28.12.2018	04.01.2019	23.01.2019
31.01.2019	26.02.2019	14.03.2019				

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Board Meetings held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Shri R.P. Marathe	01.04.2018 to 30.11.2018	11	03
Shri A.S. Rajeev	02.12.2018 to 31.03.2019	06	06
Shri R.K. Gupta	01.04.2018 to 30.12.2018	12	04
Shri A.C. Rout	01.04.2018 to 31.03.2019	17	17
Shri Hemant Tamta	31.12.2018 to 31.03.2019	05	05
Smt. Vandita Kaul	01.04.2018 to 31.03.2019	17	13
Shri G. Sreekumar	01.04.2018 to 31.03.2019	17	16
Shri R. Thamodharan	01.04.2018 to 31.03.2019	17	16
Dr. Archana R. Dholakia	01.04.2018 to 31.03.2019	17	15
Shri Deendayal Agrawal	01.04.2018 to 31.03.2019	17	17

2.6 Code of Conduct:

The Code of Conduct for Board of Directors and Senior Management Personnel i.e. Core Management team comprising all General Managers of Bank has been approved by the Board of Directors in compliance with SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The said Code of Conduct is posted on the Bank's website www.bankofmaharashtra.in. All the Board Members and Senior Management Personnel of Bank have affirmed the compliance of the code.

2.7 The Bank has the familiarization programme for its Directors with regard to their roles, rights and responsibilities in the Bank. The details of familiarization/ training programmes attended by the Directors of the Bank during the financial year 2018-19 are available on the Bank's website *www.bankofmaharashtra.in*.

2.8 None of the Directors of the Bank has any relationships inter-se.

3. Annual General Meeting:

The Annual General Meeting of the shareholders of the Bank was held on the 21st June, 2018 at Appasaheb Joag Hall, Head Office, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune – 411 005 where following Directors were present.

1	श्री ए. सी. राउत	कार्यपालक निदेशक
2	श्री दीनदयाल अग्रवाल	भारत सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक और निदेशक मण्डल की लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष

4. निदेशक मंडल की समितियां:

निदेशक मंडल ने निम्नलिखित समितियों का गठन किया है और विभिन्न कार्यक्षेत्रों में अधिकारों का प्रत्यायोजन किया है।

4.1 प्रबंधन समिति:

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970/1980 के प्रावधानों के अंतर्गत निदेशक मंडल की पांच सदस्यीय प्रबंधन समिति (एमसी) का गठन किया गया है। प्रबंधन समिति के कार्य और कर्तव्य निम्नानुसार हैं :

क) ऋण व निवेश प्रस्तावों की मंजूरी देना

ख) ऋण समझौता/बट्टे खाते में डालने के प्रस्तावों को मंजूरी देना

ग) परिसर/क्वार्टर्स व अन्य वस्तुओं को अधिग्रहित करने से संबंधित प्रस्ताव अनुमोदित करना तथा

घ) निदेशक मंडल द्वारा संदर्भित कोई अन्य विषय।

समीक्षा अवधि के दौरान निम्नलिखित तारीखों को समिति की 12 बैठकें हुईं:

04.05.2018	11.06.2018	19.07.2018	03.08.2018	04.09.2018	26.09.2018	23.10.2018
28.11.2018	20.12.2018	07.02.2019	06.03.2019	25.03.2019	-	--

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री आर. पी. मराठे	01.04.2018 से 30.11.2018	8	3
श्री ए. एस. राजीव	02.12.2018 से 31.03.2019	04	04
श्री आर. के गुप्ता	01.04.2018 से 30.12.2018	09	04
श्री ए. सी. राउत	01.04.2018 से 31.03.2019	12	12
श्री हेमन्त टम्टा	31.12.2018 से 31.03.2019	03	03
श्री जी. श्रीकुमार	01.04.2018 से 31.03.2019	12	12
श्री आर. तामोधरन	01.04.2018 से 31.03.2019	05	05
डॉ. अर्चना धोलकिया	01.04.2018 से 31.03.2019	10	08

31 मार्च 2019 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही :

i	श्री ए. एस. राजीव	अध्यक्ष
ii	श्री ए. सी. राउत	सदस्य
iii	श्री हेमन्त टम्टा	सदस्य
iv	श्री जी. श्रीकुमार	सदस्य
v	डॉ. अर्चना धोलकिया	सदस्य

1	Shri A. C. Rout	Executive Director
2	Shri Deendayal Agrawal	Director appointed by Govt. of India and Chairman of Audit Committee of the Board

4. Committees of Board:

The Board has constituted the following committees and delegated powers in different functional areas.

4.1 Management Committee:

The Management Committee (MC) of the Board is constituted with five members as per provisions of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980. Functions and duties of the Management Committee are as under:

a) Sanction of credit and investment proposals,

b) Sanction of loan compromise / write off proposals,

c) Approve proposals relating to acquiring of premises/ quarters and other procurements

d) Any other matter referred by the Board:

The Committee met 12 times during the period under review on the following dates:

04.05.2018	11.06.2018	19.07.2018	03.08.2018	04.09.2018	26.09.2018	23.10.2018
28.11.2018	20.12.2018	07.02.2019	06.03.2019	25.03.2019	-	--

The details of attendance of the Directors at the aforesaid meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri R.P. Marathe	01.04.2018 to 30.11.2018	08	03
Shri A.S. Rajeev	02.12.2018 to 31.03.2019	04	04
Shri R.K. Gupta	01.04.2018 to 30.12.2018	09	04
Shri A.C.Rout	01.04.2018 to 31.03.2019	12	12
Shri Hemant Tamta	31.12.2018 to 31.03.2019	03	03
Shri G. Sreekumar	01.04.2018 to 31.03.2019	12	12
Shri R. Thamodharan	01.04.2018 to 31.03.2019	05	05
Dr. Archana Dholakia	01.04.2018 to 31.03.2019	10	08

The composition of the Committee as on 31st March, 2019 is as under::

i	Shri A.S. Rajeev	Chairman
ii	Shri A.C. Rout	Member
iii	Shri Hemant Tamta	Member
iv	Shri G. Sreekumar	Member
v.	Dr. Archana Dholakia	Member

4.2 निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति:

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन किया गया है। समिति के प्रत्यायोजित कार्य निम्नानुसार हैं:

क) निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) बैंक के संपूर्ण लेखा परीक्षा कार्य संचालन की देखरेख के साथ-साथ मार्गदर्शन भी प्रदान करती है। समग्र लेखा परीक्षा कार्यप्रणाली के अंतर्गत बैंक का आंतरिक निरीक्षण एवं आंतरिक लेखा परीक्षा का गुणवत्ता नियंत्रण, संचालन तथा संगठन सहित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निरीक्षण तथा बैंक की बाह्य/ सांविधिक लेखा परीक्षा का अनुवर्तन शामिल है।

ख) आंतरिक लेखा परीक्षा के विषय में निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति बैंक में अनुवर्तन की दृष्टि से आंतरिक निरीक्षण/लेखा परीक्षा कार्य की गुणवत्ता-प्रणाली की पर्याप्तता, गुणवत्ता और प्रभावोत्पादकता की समीक्षा करती है। निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति विशेषज्ञ व अति विस्तृत शाखाओं सहित सभी असंतोषजनक योग्यताक्रम वाली शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा भी करती है।

ग) विशेष रूप से यह समिति अंतर-शाखा समायोजन खातों, नोस्ट्रो खातों और अंतर-बैंक खातों में समाधान न की गई व लंबे समय से बकाया प्रविष्टियों, विभिन्न शाखाओं में लेखा बहियों के बकाया मिलान, धोखाधड़ी और गृहवेक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का अनुवर्तन करती है।

घ) निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति अनुपालन अधिकारी से भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन से संबंधित तिमाही रिपोर्टें प्राप्त कर उनकी समीक्षा करती है।

ड.) निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति संगामी लेखा परीक्षा के अंतर्गत किए गए कार्य पर निगरानी रखती है और सांविधिक लेखा परीक्षा की टिप्पणियों एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण के अवलोकनों का अनुपालन करती है।

च) निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों की नियुक्ति का अनुमोदन करती है और वार्षिक/ अर्धवार्षिक/ त्रैमासिक खातों और रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पहले सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों के साथ बातचीत भी करती है। यह समिति लॉंग फार्म लेखा परीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर) में उठाए गए सभी मुद्दों का भी अनुवर्तन करती है।

छ) निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अधीन सौंपे गए अन्य मुद्दों पर भी कार्य करती है.

वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति की 10 बैठकें हुईं। बैठकों के दिनांक निम्नानुसार हैं:

03.05.2018	20.06.2018	06.07.2018	02.08.2018	04.09.2018
29.10.2018	20.11.2018	23.01.2019	30.01.2019	13.03.2019

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री दीनदयाल अग्रवाल	01.04.2018 से 31.03.2019	07	07
श्री आर. तामोधरन	01.04.2018 से 31.03.2019	04	04
श्री आर. के. गुप्ता	01.04.2018 से 30.12.2018	07	02
श्री ए. सी .राउत*	01.04.2018 से 31.03.2019	10	10
श्री हेमन्त टम्टा	31.12.2018 से 31.03.2019	03	03

4.2. Audit Committee of the Board:

Pursuant to the directives of Reserve Bank of India, Audit Committee of Board of Directors (ACB) is constituted. The delegated functions of the Committee are as under:

a) ACB provides direction as also oversees the operation of the total audit function of the Bank. Total audit function implies the organization, operationalisation, quality control of internal audit and inspection within the Bank and follows up on the statutory / external audit of the Bank and inspection of RBI.

b) As regards internal audit, ACB reviews the internal inspection/ audit function in the Bank – adequacy of the system, its quality and effectiveness in terms of follow up. ACB also reviews inspection reports of specialized and extra large branches and all branches with unsatisfactory ratings.

c) It specifically focuses on the follow up of Inter-Branch Adjustment Accounts, Un-reconciled long outstanding entries in Inter-Bank Accounts and Nostro Accounts, Position of balancing of books at various branches, frauds and all other major areas of housekeeping.

d) ACB obtains and reviews quarterly reports from the Compliance Officer relating to implementation of various Government and RBI guidelines.

e) ACB monitors the reports under concurrent audit, compliance of observations of statutory audit and RBI inspection.

f) ACB approves the appointment of Statutory Central Auditors and also interacts with the Statutory Central Auditors before finalization of the annual / half-yearly / quarterly accounts and reports. It also follows up all the issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR).

g) ACB to take care of other issues entrusted to it under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

During the year, the ACB met 10 times and the dates of the meetings are as under:

03.05.2018	20.06.2018	06.07.2018	02.08.2018	04.09.2018
29.10.2018	20.11.2018	23.01.2019	30.01.2019	13.03.2019

The details of attendance of the Directors at the meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri Deendayal Agrawal	01.04.2018 to 31.03.2019	07	07
Shri R. Thamodharan	01.04.2018 to 31.03.2019	04	04
Shri R.K. Gupta	01.04.2018 to 30.12.2018	07	02
Shri A.C. Rout*	01.04.2018 to 31.03.2019	10	10
Shri Hemant Tamta	31.12.2018 to 31.03.2019	03	03

श्रीमती वंदिता कौल	01.04.2018 से 31.03.2019	10	07
श्री जी. श्रीकुमार	01.04.2018 से 31.03.2019	10	09
डॉ. अर्चना धोलकिया	01.04.2018 से 31.03.2019	03	03

* श्री ए. सी. राउत ने आमंत्रित सदस्य के रूप में एसीबी बैठक में सहभाग लिया।

श्री चंद्रकांत भागवत, कंपनी सचिव, निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

31 मार्च 2019 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i.	श्री आर. तामोधरन	अध्यक्ष
ii.	श्री हेमन्त टम्टा	सदस्य
iii.	श्रीमती वंदिता कौल	सदस्य
iv.	श्री जी. श्रीकुमार	सदस्य

4.3 निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति:

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसरण में निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है, इस समिति में चार निदेशक सदस्य हैं. समिति समन्वित जोखिम प्रबंधन, जिसमें ऋण जोखिम सहित बैंक के विभिन्न जोखिम विगोपन शामिल हैं, नीति और रणनीति तैयार करती है।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 05 बैठकें हुईं।

20.06.2018	05.09.2018	20.12.2018	30.01.2019	14.03.2019

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री आर. पी. मराठे	01.04.2018 से 30.11.2018	02	00
श्री ए. एस. राजीव	02.12.2018 से 31.03.2019	03	03
श्री आर. के. गुप्ता	01.04.2018 से 30.12.2018	03	01
श्री ए. सी. राउत	01.04.2018 से 31.03.2019	05	05
श्री हेमन्त टम्टा	31.12.2018 से 31.03.2019	02	02
श्री आर. तामोधरन	01.04.2018 से 31.03.2019	01	01
डॉ. अर्चना धोलकिया	01.04.2018 से 31.03.2019	04	04
श्री दीनदयाल अग्रवाल	01.04.2018 से 31.03.2019	01	01

31 मार्च 2019 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i.	श्री ए. एस. राजीव	अध्यक्ष
ii.	श्री ए. सी. राउत	सदस्य
iii.	श्री हेमन्त टम्टा	सदस्य
iv.	डॉ. अर्चना धोलकिया	सदस्य

4.4 हितधारकों की संबंध समिति:

निदेशक मंडल द्वारा बैंक के शेयरधारकों/ निवेशकों की शिकायतों के निवारण की देखरेख के लिए 'हितधारकों की संबंध समिति' का गठन किया गया। समिति में चार सदस्य हैं।

Smt Vandita Kaul	01.04.2018 to 31.03.2019	10	07
Shri G. Sreekumar	01.04.2018 to 31.03.2019	10	09
Dr. Archana Dholakia	01.04.2018 to 31.03.2019	03	03

*Shri A.C. Rout attended the ACB Meetings as invitee member.

Shri Chandrakant Bhagwat, Company Secretary, acts as the Secretary to ACB.

The composition of the Committee as on 31st March, 2019 is as under:

i.	Shri R. Thamodharan	Chairman
ii.	Shri Hemant Tamta	Member
iii.	Smt. Vandita Kaul	Member
iv.	Shri G. Sreekumar	Member

4.3 Risk Management Committee of the Board:

The Risk Management Committee of the Board has been constituted with four Directors as members of the Committee as per the guidelines issued by Reserve Bank of India to devise policies and strategies for Integrated Risk Management containing various risk exposures of the Bank including the credit risk.

The Committee met 05 times during the year as under.

20.06.2018	04.09.2018	20.12.2018	30.01.2019	14.03.2019

The details of attendance of the Directors at the meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri R.P. Marathe	01.04.2018 to 30.11.2018	02	00
Shri A. S. Rajeev	02.12.2018 to 31.03.2019	03	03
Shri. R. K. Gupta	01.04.2018 to 30.12.2018	03	01
Shri A.C. Rout	01.04.2018 to 31.03.2019	05	05
Shri Hemant Tamta	31.12.2018 to 31.03.2019	02	02
Shri R. Thamodharan	01.04.2018 to 31.03.2019	01	01
Dr. Archana Dholakia	01.04.2018 to 31.03.2019	04	04
Shri Deendayal Agrawal	01.04.2018 to 31.03.2019	01	01

The composition of the Committee as on 31st March, 2019 is as under:

i.	Shri A.S.Rajeev	Chairman
ii.	Shri A.C.Rout	Member
iii.	Shri Hemant Tamta	Member
iv	Dr. Archana Dholakia	Member

4.4 Stakeholders Relationship Committee:

The Stakeholders Relationship Committee was formed by the Board to oversee the grievances redressal of Shareholders/ Investors of the Bank. The Committee consist of four members.

वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 04 बैठकें हुईं।

03.05.2018	03.08.2018	29.10.2018	13.03.2019

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री आर. तामोधरन	01.04.2018 से 31.03.2019	04	04
श्री आर. के. गुप्ता	01.04.2018 से 30.12.2018	03	01
श्री ए. सी. राउत	01.04.2018 से 31.03.2019	04	04
श्री हेमन्त टम्टा	31.12.2018 से 31.03.2019	01	01
डॉ. अर्चना आर. धोलकिया	01.04.2018 से 31.03.2019	04	01
श्री दीनदयाल अग्रवाल	01.04.2018 से 31.03.2019	03	03

31 मार्च 2019 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i. श्री आर. तामोधरन — अध्यक्ष
ii. श्री ए. सी. राउत — सदस्य
iii. श्री हेमन्त टम्टा — सदस्य
iv. श्री दीनदयाल अग्रवाल — सदस्य

वर्ष के दौरान शेयरधारकों के संबंध में प्राप्त और निपटाई गई शिकायतों की स्थिति निम्नानुसार हैं:

01.04.2018 को लंबित शिकायतों की संख्या	0
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	146
वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	146
31.03.2019 को लंबित शिकायतों की संख्या	0

बैंक के निवेशकों की शिकायतों और स्टॉक एक्सचेंज के अनुपालन के संबंध में श्री चंद्रकांत भागवत, कंपनी सचिव को बैंक का अनुपालन अधिकारी पदनामित किया गया है।

4.5 शेयर अंतरण समिति:

निदेशक मंडल द्वारा 'हितधारकों की संबंध समिति' के साथ ही 'शेयर अंतरण समिति' का गठन किया जो कि शेयरों के अंतरण, ट्रान्समिशन, नाम हटाए जाने के आवेदन इत्यादि का अनुमोदन करती है। समिति के 3 सदस्य हैं। बोर्ड ने आवेदनों के तत्काल निपटान हेतु 05.11.2016 से कार्यपालकों की शेयर अंतरण संवीक्षा समिति को शेयरों के संबंध में अंतरण के आवेदनों, हस्तांतरण और नाम हटाने इत्यादि के अनुमोदित आवेदनों हेतु प्राधिकारी प्रत्यायोजित किया है।

निम्नलिखित तारीखों को समिति की 03 बैठकों का आयोजन किया गया।

03.08.2018	29.10.2018	13.03.2019

The Committee met 04 times during the year as under.

03.05.2018	03.08.2018	29.10.2018	13.03.2019

The details of attendance of the Directors at the meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri R Thamodharan	01.04.2018 to 31.03.2019	04	04
Shri R.K. Gupta	01.04.2018 to 30.12.2018	03	01
Shri A.C. Rout	01.04.2018 to 31.03.2019	04	04
Shri Hemant Tamta	31.12.2018 to 31.03.2019	01	01
Dr. Archana Dholakia	01.04.2018 to 31.03.2019	04	01
Shri Deendayal Agrawal	01.04.2018 to 31.03.2019	03	03

The composition of the Committee as on 31st March, 2019 is as under:

i. Shri R Thamodharan — Chairman
ii. Shri A.C.Rout — Member
iii. Shri Hemant Tamta — Member
iv. Shri Deendayal Agrawal — Member

The position of complaints in respect of Shareholders received and resolved during the year is as under:

Number of complaints pending as on 01.04.2018	0
Number of complaints received during the year	146
Number of complaints resolved during the year	146
Number of complaints pending as on 31.03.2019	0

Shri Chandrakant Bhagwat, Company Secretary has been designated as the Compliance Officer of the Bank in respect of compliance to the Stock exchanges and investor grievances of the Bank.

4.5 Share Transfer Committee:

Besides the Stakeholder's Relationship Committee, the Board has formed "Share Transfer Committee" to approve/ note applications of transfer, transmission and name deletion etc., in respect of shares. The Committee consist of three members. The Board has delegated the authority to approve applications of transfer, transmission and name deletion etc., in respect of shares to Share Transfer Scrutiny Committee of Executives w.e.f 05.11.2016 for speedy disposal of applications.

The Committee met 03 times on following dates as under.

03.08.2018	29.10.2018	13.03.2019

बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है :

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री आर. पी. मराठे	01.04.2018 से 30.11.2018	02	00
श्री ए. एस. राजीव	02.12.2018 से 31.03.2019	01	01
श्री आर. के. गुप्ता	01.04.2018 से 30.12.2018	02	00
श्री ए. सी. राउत	01.04.2018 से 31.03.2019	03	03
श्री हेमन्त टम्टा	31.12.2018 से 31.03.2019	01	01
श्री आर. तामोधरन	01.04.2018 से 31.03.2019	03	03
डॉ. अर्चना धोलकिया	01.04.2018 से 31.03.2019	02	02

31 मार्च, 2019 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही :

i. श्री ए. एस. राजीव — अध्यक्ष
ii. श्री ए. सी. राउत — सदस्य
iii. श्री हेमन्त टम्टा — सदस्य
iv. श्री आर. तामोधरन — सदस्य

4.6 बड़ी राशि वाली जालसाजियों की निगरानी हेतु विशेष समिति:

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार यह समिति गठित की गई है। समिति में 5 निदेशक सदस्य हैं जो उच्च मूल्य वाली जालसाजियों की निगरानी करते हैं। समिति का मुख्य कार्य ₹1.00 करोड़ एवं उससे अधिक की सभी जालसाजियों की निगरानी एवं समीक्षा करना है।

वर्ष के दौरान समिति की 04 बैठकें निम्नानुसार हुईं:

03.05.2018	02.08.2018	28.11.2018	30.01.2019

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री आर. पी. मराठे	01.04.2018 से 30.11.2018	03	02
श्री ए. एस. राजीव	02.12.2018 से 31.03.2019	01	01
श्री आर. के. गुप्ता	01.04.2018 से 30.12.2018	03	02
श्री ए. सी. राउत	01.04.2018 से 31.03.2019	04	04
श्री हेमन्त टम्टा	31.12.2018 से 31.03.2019	01	01

The details of attendance of the Directors at the meetings was as under

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure on the committee	Meetings Attended
Shri R.P.Marathe	01.04.2018 to 30.11.2018	02	00
Shri A.S.Rajeev	02.12.2018 to 31.03.2019	01	01
Shri R.K.Gupta	01.04.2018 to 30.12.2018	02	00
Shri A.C.Rout	01.04.2018 to 31.03.2019	03	03
Shri Hemant Tamta	31.12.2018 to 31.03.2019	01	01
Shri R. Thamodharan	01.04.2018 to 31.03.2019	03	03
Dr. Archana Dholakia	01.04.2018 to 31.03.2019	02	02

The composition of the Committee as on 31st March, 2019 is as under:

i. Shri A.S.Rajeev — Chairman
ii. Shri A.C.Rout — Member
iii. Shri Hemant Tamta — Member
iv Shri R. Thamodharan — Member

4.6 Special Committee to Monitor Large Value Frauds:

As per the directions of Reserve Bank of India, the Committee, comprising of five Directors as members, was constituted to monitor large value frauds. The major functions of the Committee include monitoring and review of all the frauds of ₹1.00 crore and above.

The Committee met 04 times during the year as under:

03.05.2018	02.08.2018	28.11.2018	30.01.2019

The details of attendance of the Directors at the meetings of the Committee held during their respective tenures are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure on the committee	Meetings Attended
Shri R.P.Marathe	01.04.2018 to 30.11.2018	03	02
Shri A.S.Rajeev	02.12.2018 to 31.03.2019	01	01
Shri R.K.Gupta	01.04.2018 to 30.12.2018	03	02
Shri A.C.Rout	01.04.2018 to 31.03.2019	04	04
Shri Hemant Tamta	31.12.2018 to 31.03.2019	01	01

श्रीमती वंदिता कौल	01.04.2018 से 31.03.2019	04	03
श्री दीनदयाल अग्रवाल	01.04.2018 से 31.03.2019	04	04

31 मार्च 2019 को समिति की संरचना निम्नानुसार रहीः

i. श्री ए. एस. राजीव — अध्यक्ष
ii. श्री ए. सी. राउत — सदस्य
iii. श्री हेमन्त टम्टा — सदस्य
iv. श्रीमती वंदिता कौल — सदस्य
v. श्री दीनदयाल अग्रवाल — सदस्य

4.7 निदेशकों की पदोन्नति समितिः

वरिष्ठ स्तर पर पदोन्नतियों हेतु अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक/ प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशकों वाली एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति में पांच सदस्य हैं और यह समिति सतर्कता अनुशासनिक मामलों तथा विभागीय कार्रवाइयों की समीक्षा भी करती है, जिसके लिए कार्यपालक निदेशक भी इस समिति के साथ संबद्ध होते हैं।

वर्ष के दौरान समिति की 04 बैठकें निम्नानुसार हुईं:

11.06.2018	26.09.2018	27.12.2018	13.03.2019

समिति की उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री आर. पी. मराठे	01.04.2018 से 30.11.2018	02	01
श्री ए. एस. राजीव	02.12.2018 से 31.03.2019	02	02
श्री आर. के. गुप्ता	01.04.2018 से 30.12.2018	03	02
श्री ए. सी. राउत	01.04.2018 से 31.03.2019	04	04
श्री हेमन्त टम्टा	31.12.2018 से 31.03.2019	01	01
श्रीमती वंदिता कौल	01.04.2018 से 31.03.2019	04	03
श्री जी. श्रीकुमार	01.04.2018 से 31.03.2019	04	04

31 मार्च 2019 को समिति की संरचना निम्नानुसार रहीः

i. श्री ए. एस. राजीव — अध्यक्ष
ii. श्री ए. सी. राउत — सदस्य
iii. श्री हेमन्त टम्टा — सदस्य
iv. श्रीमती वंदिता कौल — सदस्य
v. श्री जी. श्रीकुमार — सदस्य

4.8 ग्राहक सेवा समितिः

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार बैंक की ग्राहक सेवा की गुणवत्ता पर प्राप्त प्रति-सूचनाओं का पुनरीक्षण करने और बैंक की कार्यविधियों और

Smt. Vandita Kaul	01.04.2018 to 31.03.2019	04	03
Shri Deendayal Agrawal	01.04.2018 to 31.03.2019	04	04

The composition of the Committee as on 31st March, 2019 is as under:

i. Shri A.S.Rajeev — Chairman
ii. Shri A.C.Rout — Member
iii. Shri Hemant Tamta — Member
iv. Smt Vandita Kaul — Member
v. Shri Deendayal Agrawal — Member

4.7 Directors' Promotion Committee:

A Committee of Directors consisting of Chairman and Managing Director/ Managing Director and CEO the nominee Directors of Government of India and Reserve Bank of India has been formed for dealing with the promotions at senior level. The Committee consist of five member's and also deals with review of vigilance disciplinary cases and departmental enquiries, for which the Executive Director is also associated with this committee

The Committee met 04 times during the year as under:

11.06.2018	26.09.2018	27.12.2018	13.03.2019

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure on the committee	Meetings Attended
Shri R.P.Marathe	01.04.2018 to 30.11.2018	02	01
Shri A.S.Rajeev	02.12.2018 to 31.03.2019	02	02
Shri R.K.Gupta	01.04.2018 to 30.12.2018	03	02
Shri A.C.Rout	01.04.2018 to 31.03.2019	04	04
Shri Hemant Tamta	31.12.2018 to 31.03.2019	01	01
Smt. Vandita Kaul	01.04.2018 to 31.03.2019	04	03
Shri G. Sreekumar	01.04.2018 to 31.03.2019	04	04

The composition of the Committee as on 31st March, 2019 is as under.

i. Shri A.S. Rajeev — Chairman
ii. Shri A.C. Rout — Member
iii Shri Hemant Tamta — Member
iv. Smt. Vandita Kaul — Member
v. Shri G. Sreekumar — Member

4.8 Customer Service Committee:

As per the directions of the RBI, the Committee was constituted to review a feed-back on quality of customer service in the Bank and to have innovative measures for enhancing the quality of

प्रणालियों में सतत आधार पर सुधार लाकर ग्राहक सेवा की गुणवत्ता सुधारने हेतु नवोन्मेषी उपाय अपनाने के लिए समिति का गठन किया गया है। समिति में चार सदस्य हैं।

वर्ष के दौरान समिति की 04 बैठकें निम्नानुसार हुईं:

20.06.2018	05.09.2018	27.12.2018	13.03.2019

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री आर. पी. मराठे	01.04.2018 से 30.11.2018	02	00
श्री ए. एस. राजीव	02.12.2018 से 31.03.2019	02	02
श्री आर. के. गुप्ता	01.04.2018 से 30.12.2018	03	01
श्री ए. सी. राउत	01.04.2018 से 31.03.2019	04	04
श्री हेमन्त टम्टा	31.12.2018 से 31.03.2019	01	01
श्री आर. तामोधरन	01.04.2018 से 31.03.2019	03	03
श्री दीनदयाल अग्रवाल	01.04.2018 से 31.03.2019	02	02

31 मार्च 2019 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i. श्री ए. एस. राजीव — अध्यक्ष
ii. श्री ए. सी. राउत — सदस्य
iii. श्री हेमन्त टम्टा — सदस्य
iv. श्री आर. तामोधरन — सदस्य

4.9 पारिश्रमिक समिति:

समिति का गठन पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने तथा उन्हें देय कार्यनिष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन राशि को अनुमोदित करने के लिए किया गया था। समिति ने बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को देय कार्यनिष्पादन से जुडी प्रोत्साहन राशि पर निर्णय लेने हेतु दिए गए मानदंडों पर बैंक के मात्रात्मक व गुणात्मक कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन किया। वर्ष 2018-19 के दौरान समिति की ऐसी कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

31 मार्च 2019 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i. श्रीमती वंदिता कौल — अध्यक्ष
ii. श्री जी. श्रीकुमार — सदस्य
iii. श्री आर. तामोधरन — सदस्य
iv. श्री दीनदयाल अग्रवाल — सदस्य

4.10 नामांकन समिति:

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्वाचित शेयरधारक निदेशकों के "उपयुक्त और उचित" स्तर की जांच करने और उसे अनुमोदित करने के लिए समिति का गठन किया गया था. समिति में चार गैर-कार्यपालक निदेशक हैं.

customer service by bringing about on-going improvements in the systems and procedures of the Bank. The Committee consist of four members.

The Committee met 04 times during the year as under:

20.06.2018	05.09.2018	27.12.2018	13.03.2019

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure on the committee	Meetings Attended
Shri R.P. Marathe	01.04.2018 to 30.11.2018	02	00
Shri A.S. Rajeev	02.12.2018 to 31.03.2019	02	02
Shri R.K. Gupta	01.04.2018 to 30.12.2018	03	01
Shri A.C. Rout	01.04.2018 to 31.03.2019	04	04
Shri Hemant Tamta	31.12.2018 to 31.03.2019	01	01
Shri R. Thamodharan	01.04.2018 to 31.03.2019	03	03
Shri Deendayal Agrawal	01.04.2018 to 31.03.2019	02	02

The composition of the Committee as on 31st March, 2019 is as under:

i. Shri A.S. Rajeev — Chairman
ii. Shri A.C. Rout — Member
iii Shri Hemant Tamta — Member
iv Shri R. Thamodharan — Member

4.9 Remuneration Committee:

The Committee was constituted to evaluate the performance of whole time Directors for determining the performance-linked incentive payable to them. The Committee evaluates the qualitative and quantitative performance of the Bank on the given parameters, to decide on the performance linked incentive, admissible to the Whole Time Directors of the Bank. No such meeting of Committee was held during the year 2018-19.

The composition of the Committee as on 31st March, 2019 is as under:

i. Smt. Vandita Kaul — Chairman
ii. Shri G. Sreekumar — Member
iii. Shri R. Thamodharan — Member
iv. Shri Deendayal Agrawal — Member

4.10 Nomination Committee:

In terms of RBI guidelines, the Committee was constituted to examine and accord 'fit and proper' status in respect of the elected Shareholder Directors. The Committee comprised of four non-executive directors.

वर्ष के दौरान समिति की 01 बैठक निम्नानुसार आयोजित की गई:

11.06.2018

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्रीमती वंदिता कौल	01.04.2018 से 31.03.2019	01	01
श्री जी. श्रीकुमार	01.04.2018 से 31.03.2019	01	01
डॉ. अर्चना धोलकिया	01.04.2018 से 31.03.2019	01	01
श्री आर. तामोधरन	01.04.2018 से 31.03.2019	01	00

31 मार्च 2019 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i. श्रीमती वंदिता कौल — अध्यक्ष
ii. श्री जी. श्रीकुमार — सदस्य
iii. डॉ. अर्चना धोलकिया — सदस्य
iv. श्री आर. तामोधरन — सदस्य

4.11 प्रौद्योगिकी समिति:

सूचना प्रौद्योगिकी की उचित रणनीति का चयन करने तथा सूचना प्रौद्योगिकी की सभी रणनीतिक योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करने के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी गवर्नेंस के सभी पहलुओं की देखरेख हेतु निदेशक मंडल की प्रौद्योगिकी समिति का गठन किया गया था। समिति के चार सदस्य हैं।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 03 बैठकें हुईं :

25.04.2018	05.09.2018	27.12.2018

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री ए. एस. राजीव	01.12.2018 से 31.03.2019	00	00
श्री आर. तामोधरन	01.04.2018 से 31.03.2019	03	03
श्री आर. के. गुप्ता	01.04.2018 से 30.12.2018	03	02
श्री ए. सी. राउत	01.04.2017 से 31.03.2018	04	04
श्री दीनदयाल अग्रवाल	01.04.2018 से 31.03.2019	02	02
डॉ. अर्चना आर. धोलकिया	01.04.2018 से 31.03.2019	01	01

31 मार्च 2019 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i. श्री ए. एस. राजीव — अध्यक्ष
ii. श्री ए. सी. राउत — सदस्य
iii. श्री हेमन्त टम्टा — सदस्य

The Committee met 01 time during the year as under:

11.06.2018

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure on the committee	Meetings Attended
Smt. Vandita Kaul	01.04.2018 to 31.03.2019	01	01
Shri G. Sreekumar	01.04.2018 to 31.03.2019	01	01
Dr. Archana Dholakia	01.04.2018 to 31.03.2019	01	01
Shri R. Thamodharan	01.04.2018 to 31.03.2019	01	00

The composition of the Committee as on 31st March, 2019 is as under.

i. Smt. Vandita Kaul — Chairman
ii. Shri G. Sreekumar — Member
iii Dr. Archana Dholakia — Member
iv Shri R. Thamodharan — Member

4.11 Technology Committee:

The Technology Committee of the Board was constituted in the Bank to deal with all aspects of IT Governance including choosing the right IT strategy and monitoring implementation of all strategic IT plans. The Committee consist of four members.

The Committee met 03 times during the year as under:

25.04.2018	05.09.2018	27.12.2018

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri A.S. Rajeev	01.12.2018 to 31.03.2019	00	00
Shri R. Thamodharan	01.04.2018 to 31.03.2019	03	03
Shri R.K. Gupta	01.04.2018 to 30.12.2018	03	02
Shri A.C.Rout	01.04.2017 to 31.03.2018	04	04
Shri Deendayal Agrawal	01.04.2018 to 31.03.2019	02	02
Dr. Archana R. Dholakia	01.04.2018 to 31.03.2019	01	01

The composition of the Committee as on 31st March, 2019 is as under:

i. Shri A. S. Rajeev — Chairman
ii. Shri A.C.Rout — Member
iii. Shri Hemant Tamta — Member

iv. श्रीमती वंदिता कौल सदस्य

v. श्री दीनदयाल अग्रवाल सदस्य

vi. श्री आर. तामोधरन सदस्य

4.12 ऋण अनुमोदन समिति:

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970/80 में संशोधन के अनुसरण में मंडल की ऋण अनुमोदन समिति का गठन दिनांक 10 फरवरी 2012 को किया गया। समिति को व्यक्तिगत ₹250.00 करोड़ तक के, समूह विगोपन हेतु ₹500.00 करोड़ तक के ऋण प्रस्ताव और ऋण समझौता/बट्टे खाते प्रस्तावों के संबंध में बोर्ड द्वारा अधिकार प्रदान किए गए हैं। प्रावधानों के अनुसार समिति की संरचना निम्नानुसार है:

i. अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक/ प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

ii. कार्यपालक निदेशकगण

iii. महाप्रबंधक, ऋण

iv. महाप्रबंधक, समन्वित जोखिम प्रबंधन

v. महाप्रबंधक, वित्तीय प्रबंधन व लेखा

vi. महाप्रबंधक, ऋण प्राथमिकता

vii.महाप्रबंधक, वसूली व विधि सेवाएं

वर्ष के दौरान समिति की 16 बैठकें निम्नानुसार दिनांकों को हुईं।

क्र.	बैठक का दिनांक	क्र.	बैठक का दिनांक
01	10.04.2018	11	02.02.2019
02	24.04.2018	12	12.02.2019
03	09.05.2018	13	22.02.2019
04	29.05.2018	14	18.03.2019
05	14.06.2018	15	27.03.2019
06	27.11.2018	16	29.03.2019
07	18.12.2018		
08	28.12.2018		
09	03.01.2019		
10	24.01.2019		

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री आर. पी. मराठे	01.04.2018 से 30.11.2018	06	06
श्री ए. एस. राजीव	02.12.2018 से 31.03.2019	10	10
श्री आर. के. गुप्ता	01.04.2018 से 30.12.2018	08	07
श्री ए. सी. राउत	01.04.2018 से 31.03.2019	16	16
श्री हेमन्त टम्टा	31.12.2018 से 31.03.2019	08	08

इन बैठकों में निम्नलिखित कार्यपालक भी शामिल हुए:

i. महाप्रबंधक, ऋण

ii. महाप्रबंधक, समन्वित जोखिम प्रबंधन

iii. महाप्रबंधक, वित्तीय प्रबंधन व लेखा

iv. महाप्रबंधक, ऋण प्राथमिकता - आवश्यकतानुसार

v. महाप्रबंधक, वसूली - आवश्यकतानुसार

iv. Smt. Vandita Kaul Member

v Shri Deendayal Agrawal Member

vi Shri R.Thamodharan Member

4.12 Credit Approval Committee:

The Credit Approval Committee of the Board was constituted on 10th February 2012 following the amendment to Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980. The Committee is vested with the powers of the Board with regard to credit proposals up to ₹250.00 crore for individual, ₹500.00 crore for group exposure and loan compromise/write off proposals as delegated by the Board. In terms of the provisions, the constitution of the Committee is as follows.

i. Chairman & Managing Director/ MD & CEO

ii. Executive Director/s

iii. General Manager, Credit

iv. General Manager, Integrated Risk Management

v. General Manager, Financial Management & Accounts

vi. General Manager, Credit Priority

vii. General Manager, Recovery and Legal Services.

The Committee met 16 times during the year on the dates given below.

Sr. No	Date of Meeting	Sr. No	Date of Meeting
01	10.04.2018	11	02.02.2019
02	24.04.2018	12	12.02.2019
03	09.05.2018	13	22.02.2019
04	29.05.2018	14	18.03.2019
05	14.06.2018	15	27.03.2019
06	27.11.2018	16	29.03.2019
07	18.12.2018		
08	28.12.2018		
09	03.01.2019		
10	24.01.2019		

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as Under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri R.P. Marathe	01.04.2018 to 30.11.2018	06	06
Shri A.S. Rajeev	02.12.2018 to 31.03.2019	10	10
Shri R.K. Gupta	01.04.2018 to 30.12.2018	08	07
Shri A.C. Rout	01.04.2018 to 31.03.2019	16	16
Shri Hemant Tamta	31.12.2018 to 31.03.2019	08	08

The meetings were also attended by the following executives.

i. General Manager, Credit

ii. General Manager, Integrated Risk Management

iii. General Manager, Financial Management & Accounts

iv. General Manager, Credit Priority – As per requirement

v. General Manager, Recovery- As per requirement

4.13 मानव संसाधन पर संचालन समिति:

समिति मानव संसाधन से संबंधित विभिन्न मुद्दों/ मामलों पर चर्चा करती है। बैंक ने निदेशक मंडल के परामर्शक के रूप में एचआर क्षेत्र में दो विशेषज्ञों को शामिल किया है जो समिति के सदस्य भी हैं।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 04 बैठकें हुईं :

11.06.2018	26.09.2018	20.12.2018	28.03.2019

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री आर. पी. मराठे	01.04.2018 से 30.11.2018	02	01
श्री ए. एस. राजीव	01.12.2018 से 31.03.2019	02	02
श्री आर. के. गुप्ता	01.04.2018 से 30.12.2018	03	02
श्री ए. सी. राउत	01.04.2018 से 31.03.2018	04	04
श्री हेमन्त टम्टा	31.12.2018 से 31.03.2019	01	01
श्रीमती वंदिता कौल	01.04.2018 से 31.03.2019	04	03

31 मार्च 2019 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i.	श्री ए. एस. राजीव	अध्यक्ष
ii.	श्री ए. सी. राउत	सदस्य
iii.	श्री हेमन्त टम्टा	सदस्य
iv.	श्रीमती वंदिता कौल	सदस्य
v.	श्रीमती एस. ए. पानसे	आमंत्रित बाह्य विशेषज्ञ
vi.	श्रीमती गीतिका कपूर	आमंत्रित बाह्य विशेषज्ञ

4.14 अपीलीय/ पुनरीक्षण प्राधिकारी के रूप में बोर्ड की समिति

यह समिति सतर्कता/ गैर-सतर्कता अनुशासनिक मामलों और विभागीय जांचों की पुनरीक्षा वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसरण में करती है।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 04 बैठकें हुईं :

03.08.2018	28.11.2018	30.01.2019	14.03.2019

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्रीमती वंदिता कौल	01.04.2018 से 31.03.2019	04	04
श्री आर. तामोधरन	01.04.2018 से 31.03.2019	04	03
श्री दीनदयाल अग्रवाल	01.04.2018 से 31.03.2019	04	04
डॉ. अर्चना धोलकिया	01.04.2018 से 31.03.2019	03	03

4.13 Steering Committee on HR:

The Committee discusses various matters/issues related to Human Resources. Bank has inducted two specialists in the area of HR as Advisors to the Board, who are also members of the Committee.

The Committee met 04 times during the year as under:

11.06.2018	26.09.2018	20.12.2018	28.03.2019

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri R.P. Marathe	01.04.2018 to 30.11.2018	02	01
Shri A.S. Rajeev	01.12.2018 to 31.03.2019	02	02
Shri R.K. Gupta	01.04.2018 to 30.12.2018	03	02
Shri A.C. Rout	01.04.2018 to 31.03.2018	04	04
Shri Hemant Tamta	31.12.2018 to 31.03.2019	01	01
Smt. Vandita Kaul	01.04.2018 to 31.03.2019	04	03

The composition of the Committee as on 31st March, 2019 is as under:

i.	Shri A. S. Rajeev	Chairman
ii.	Shri A.C.Rout	Member
iii.	Shri Hemant Tamta	Member
iv.	Smt. Vandita Kaul	Member
v.	Smt. S.A. Panse	Invitee outside expert
vi	Smt. Geetika Kapoor	Invitee outside expert

4.14 Committee of Board as Appellate/ Reviewing authority

This Committee deals with review of vigilance / non-vigilance disciplinary cases and departmental enquiries in line with MOF guidelines.

The Committee met 04 times during the year as under:

03.08.2018	28.11.2018	30.01.2019	14.03.2019

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Smt Vandita Kaul	01.04.2018 to 31.03.2019	04	04
Shri R. Thamodharan	01.04.2018 to 31.03.2019	04	03
Shri Deendayal Agrawal	01.04.2018 to 31.03.2019	04	04
Dr. Archana Dholakia	01.04.2018 to 31.03.2019	03	03

31 मार्च 2019 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i.	श्रीमती वंदिता कौल	अध्यक्ष
ii.	श्री आर. तामोधरन	सदस्य
iii.	श्री दीनदयाल अग्रवाल	सदस्य
iv.	डॉ. अर्चना धोलकिया	सदस्य

4.15 एनपीए वसूली की निगरानी हेतु बोर्ड की समिति:

यह समिति बैंक में एनपीए प्रबंधन की पुनरीक्षा करती है और संग्रहण प्रणाली तथा ऋणों व अग्रिमों की वसूली पर पर्यवेक्षण कर बड़े मूल्य के अनर्जक आस्ति खातों में वसूली कार्यनिष्पादन की निगरानी करती है।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 04 बैठकें हुईं :

11.06.2018	26.09.2018	27.12.2018	13.03.2019

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री आर. पी. मराठे	01.04.2018 से 30.11.2018	02	01
श्री ए. एस. राजीव	01.12.2018 से 31.03.2019	02	02
श्री आर. के. गुप्ता	01.04.2018 से 30.12.2018	03	02
श्री ए. सी. राउत	01.04.2018 से 31.03.2019	04	04
श्री हेमन्त टम्टा	31.12.2018 से 31.03.2019	01	01
श्रीमती वंदिता कौल	01.04.2018 से 31.03.2019	03	03
श्री दीनदयाल अग्रवाल	01.04.2018 से 31.03.2019	02	02

31 मार्च 2019 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i.	श्री ए. एस. राजीव	अध्यक्ष
ii.	श्री ए. सी. राउत	सदस्य
iii.	श्री हेमन्त टम्टा	सदस्य
iv.	श्रीमती वंदिता कौल	सदस्य
v.	श्री दीनदयाल अग्रवाल	सदस्य

4.16 भारत सरकार की वित्तीय समावेशन योजनाओं की प्रगति की पुनरीक्षा और निगरानी हेतु समिति :

यह समिति भारत सरकार की वित्तीय समावेशन योजनाओं की प्रगति की निगरानी और पुनरीक्षा हेतु गठित की गई।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 04 बैठकें हुईं :

03.05.2018	03.08.2018	27.12.2018	14.03.2019

The composition of the Committee as on 31st March, 2019 is as under:

i.	Smt Vandita Kaul	Chairman
ii.	Shri R. Thamodharan	Member
iii	Shri Deendayal Agrawal	Member
iv	Dr. Archana Dholakia	Member

4.15 Committee of Board for monitoring NPA Recovery :

The Committee reviews and monitors NPA Recovery in the Bank provides oversight on collection system and recovery of loans & advances and monitors recovery performance in large value NPA accounts.

The Committee met 04 times during the year as under:

11.06.2018	26.09.2018	27.12.2018	13.03.2019

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri R.P. Marathe	01.04.2018 to 30.11.2018	02	01
Shri A.S. Rajeev	01.12.2018 to 31.03.2019	02	02
Shri R.K. Gupta	01.04.2018 to 30.12.2018	03	02
Shri A.C.Rout	01.04.2018 to 31.03.2019	04	04
Shri Hemant Tamta	31.12.2018 to 31.03.2019	01	01
Smt. Vandita Kaul	01.04.2018 to 31.03.2019	03	03
Shri Deendayal Agrawal	01.04.2018 to 31.03.2019	02	02

The composition of the Committee as on 31st March, 2019 is as under:

i.	Shri A.S. Rajeev	Chairman
ii.	Shri A.C. Rout	Member
iii.	Shri. Hemant Tamta	Member
iv.	Smt. Vandita Kaul	Member
v.	Shri Deendayal Agrawal	Member

4.16 Committee to monitor and review the progress of financial inclusion schemes of the Government of India :

The Committee have been constituted to monitor and review the progress of financial inclusion schemes of the Government of India.

The Committee met 04 times during the year as under:

03.05.2018	03.08.2018	27.12.2018	14.03.2019

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री आर. के. गुप्ता	01.04.2018 से 30.12.2018	03	02
श्री ए. सी. राउत	01.04.2018 से 31.03.2019	04	04
श्री हेमन्त टम्टा	31.12.2018 से 31.03.2019	01	01
श्रीमती वंदिता कौल	01.04.2018 से 31.03.2019	03	03
डॉ. अर्चना धोलकिया	01.04.2018 से 31.03.2019	03	03
श्री दीनदयाल अग्रवाल	01.04.2018 से 31.03.2019	01	01

श्री ए. सी. राउत बैठक में आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल हुए.

31 मार्च 2019 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i. श्री हेमन्त टम्टा अध्यक्ष
ii. श्रीमती वंदिता कौल सदस्य
iii. डॉ. अर्चना धोलकिया सदस्य

4.17 निदेशक मंडल की निर्गम समिति :

यह समिति अधिमानी/क्यूआईपी इत्यादि आधार पर शेयरों के आबंटन और उन्हें जारी करने संबंधी मामलों की निगरानी करने हेतु गठित की गई।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 01 बैठक हुई :

30.03.2019

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री ए. एस. राजीव	02.12.2018 से 31.03.2019	01	01
श्री ए. सी. राउत	01.04.2018 से 31.03.2019	01	01
श्री हेमन्त टम्टा	01.04.2018 से 31.03.2019	01	01

31 मार्च 2019 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i. श्री ए. एस. राजीव अध्यक्ष
ii. श्री ए. सी. राउत सदस्य
iii. श्री हेमन्त टम्टा सदस्य

4.18 क्षतिपूर्ति समिति :

यह समिति कर्मचारी शेयर खरीद योजना से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने और बैंक की ईएसपीएस नीति का निर्माण करने हेतु निदेशक मंडल द्वारा 30.01.2019 को गठित की गई।

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri R.K. Gupta	01.04.2018 to 30.12.2018	03	02
Shri A.C. Rout	01.04.2018 to 31.03.2019	04	04
Shri Hemant Tamta	31.12.2018 to 31.03.2019	01	01
Smt. Vandita Kaul	01.04.2018 to 31.03.2019	03	03
Dr. Archana Dholakia	01.04.2018 to 31.03.2019	03	03
Shri Deendayal Agrawal	01.04.2018 to 31.03.2019	01	01

Shri A.C. Rout attends the meeting as invitee member.

The composition of the Committee as on 31st March, 2019 is as under:

i. Shri Hemant Tamta Chairman
ii. Smt. Vandita Kaul Member
iii. Dr. Archana Dholakia Member

4.17 Issue Committee of the Board:

This Committee is constituted to look after the matters related to issue and allotment of shares on preferential/ QIP and other issues.

The Committee met 01 time during the year as under

30.03.2019

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri A.S. Rajeev	02.12.2018 to 31.03.2019	01	01
Shri A.C.Rout	01.04.2018 to 31.03.2019	01	01
Shri Hemant Tamta	01.04.2018 to 31.03.2019	01	01

The composition of the Committee as on 31st March, 2019 is as under:

i. Shri A. S. Rajeev Chairman
ii. Shri A.C. Rout Member
iii. Shri Hemant Tamta Member

4.18 Compensation Committee

This Committee was constituted by Board on 30.01.2019 to formulate the ESPS policy of Bank and decide the matters related to Employee Share Purchase scheme:

वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 01 बैठक हुईं :

13.03.2019

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री आर. तामोधरन	01.04.2018 से 31.03.2019	01	01
श्रीमती वंदिता कौल	01.04.2018 से 31.03.2019	01	01
श्री जी. श्रीकुमार	01.04.2018 से 31.03.2019	01	01
श्री दीनदयाल अग्रवाल	02.07.2018 से 31.03.2019	01	01

31 मार्च 2019 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i. श्री आर. तामोधरन — अध्यक्ष
ii. श्रीमती वंदिता कौल — सदस्य
iii. श्री जी. श्रीकुमार — सदस्य
iv. श्री दीनदयाल अग्रवाल — सदस्य

4.19 इरादतन चूककर्ताओं की पहचान के लिए समिति :

यह समिति बैंक के इरादतन चूककर्ताओं की पहचान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशो के अनुसार गठित की गई।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 02 बैठकें हुईं :

30.01.2019	30.03.2019

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री ए. एस. राजीव	01.04.2018 से 31.03.2019	02	02
श्री आर. तामोधरन	01.04.2018 से 31.03.2019	01	01
डॉ. अर्चना धोलकिया	01.04.2018 से 31.03.2019	01	01
श्री दीनदयाल अग्रवाल	01.04.2018 से 31.03.2019	02	02

31 मार्च 2019 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i. श्री ए. एस. राजीव — अध्यक्ष
ii. डॉ. अर्चना धोलकिया — सदस्य
iii. श्री दीनदयाल अग्रवाल — सदस्य

4.20 अन्य समितियां:

विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रों की कार्यप्रणाली की समीक्षा और परिचालनगत मार्गदर्शन/मंजूरियों हेतु कार्यपालकों की कुछ अन्य समितियां जैसे आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को), परिसर समिति, उच्च अधिकार प्राप्त सूचना प्रौद्योगिकी समिति, प्रणाली एवं क्रियाविधि समिति, निवेश समिति, उच्च प्रबंधन समिति, उच्च स्तरीय ऋण समिति तथा कार्यपालकों की लेखा परीक्षा समिति इत्यादि समितियां भी हैं।

The Committee met 01 time during the year as under

13.03.2019

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri R. Thamodharan	01.04.2018 to 31.03.2019	01	01
Smt. Vandita Kaul	01.04.2018 to 31.03.2019	01	01
Shri G. Sreekumar	01.04.2018 to 31.03.2019	01	01
Shri Deendayal Agrawal	02.07.2018 to 31.03.2019	01	01

The composition of the Committee as on 31st March, 2019 is as under:

i. Shri R. Thamodharan — Chairman
ii. Smt. Vandita Kaul — Member
iii. Shri G. Sreekumar — Member
iv. Shri Deendayal Agrawal — Member

4.19 Committee for identification of Willful defaulters:

The Committee is constituted as per RBI guideline to identify the willful defaulters of the Bank.

The Committee met 02 times during the year as under

30.01.2019	30.03.2019

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri A.S. Rajeev	01.04.2018 to 31.03.2019	02	02
Shri R. Thamodharan	01.04.2018 to 31.03.2019	01	01
Dr. Archana Dholakia	01.04.2018 to 31.03.2019	01	01
Shri Deendayal Agrawal	01.04.2018 to 31.03.2019	02	02

The composition of the Committee as on 31st March, 2019 is as under:

i. Shri A.S. Rajeev — Chairman
ii. Dr. Archana Dholakia — Member
iii. Shri Deendayal Agrawal — Member

4.20 Other Committees:

There are also other Committees of executives viz., Asset Liability Management Committee (ALCO), Premises Committee, High Power IT Committee, System & Procedure Committee, Investment Committee, Top Management Committee, High Level Credit Committee and Audit Committee of Executives for reviewing functioning in various specific areas and giving operational directions/sanctions.

5. निदेशकों का पारिश्रमिक:

बैंक का अभिशासन बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के अधीन होता है। बैंक गैर-कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित सिटिंग फीस और वास्तविक यात्रा खर्च को छोड़कर किसी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं देता है।

भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक/ एमडी एवं सीईओ और दो कार्यपालक निदेशकों (3 पूर्णकालिक निदेशकों) को वेतन के माध्यम से पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है।

क) वर्ष 2018-19 के दौरान प्रबंध निदेशक एवं सीईओ और कार्यपालक निदेशकों को अदा किए गए वेतन का विवरण निम्नानुसार है -

क्रमांक	नाम	पदनाम	राशि (₹)
1	श्री आर. पी. मराठे	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	1880032.00
2	श्री ए. एस. राजीव	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	914030.00
3	श्री आर. के. गुप्ता	कार्यपालक निदेशक	1926226.90
4	श्री ए. सी. राउत	कार्यपालक निदेशक	2452707.00
5	श्री हेमन्त टम्टा	कार्यपालक निदेशक	594048.00

ख) वर्ष 2018-19 के दौरान निदेशकों को कार्यनिष्पादन से जुडी प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया गया।

ग) बैंक ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कर्मचारी शेयर खरीद योजना के अंतर्गत बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों और अपने कर्मचारियों को इक्विटी शेयरों का प्रस्ताव दिया।

घ) **सीटिंग शुल्क:** भारत सरकार के दिनांक 18 जनवरी, 2019 के परिपत्र के अनुसार निदेशक मंडल और इसकी उपसमितियों की बैठक में सहभाग हेतु सीटिंग शुल्क को निम्नानुसार संशोधित किया गया:

क. बोर्ड बैठक : ₹40,000/- प्रति बैठक

ख. समिति बैठक : ₹20,000/- प्रति बैठक

ग. बोर्ड और समिति की बैठकों की अध्यक्षता : उपर्युक्त के अलावा ₹10,000/- और ₹5,000/- प्रति बैठक

वर्ष 2018-19 के दौरान गैर-कार्यपालक निदेशकों को प्रदत्त कुल सिटिंग फीस निम्नानुसार है: (पूर्णकालिक निदेशकों तथा भारत सरकार के प्रतिनिधि निदेशक और भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतिनिधित्व करने वाले आधिकारिक निदेशक को कोई सिटिंग फीस देय नहीं है)।

अनु. क्र	निदेशक का नाम	प्रदत्त राशि (₹)
01	श्री आर. तामोधरन (भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रदत्त)	8,05,000.00
02	डॉ. अर्चना आर. धोलकिया	6,60,000.00
03	श्री दीनदयाल अग्रवाल	8,00,000.00
	कुल	**22,65,000.00**

इसके अलावा क्रमशः दिनांक 11.06.2018, 26.09.2018, 20.12.2018 और 28.03.2019 को मानव संसाधन पर निदेशक मंडल की स्टीयरिंग समिति की बैठक में सहभागिता हेतु बाह्य विशेषज्ञ श्रीमती एस. ए. पानसे को ₹40,000/- और श्रीमती गितिका कपूर को ₹50,000/- बैठक शुल्क के रूप में भुगतान किया गया।

5. Remuneration of Directors:

The Bank is governed by the Banking Regulations Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. The Bank does not pay any remuneration to the Non-Executive Directors apart from sitting fees as fixed by the Government of India and travel expenses on actual basis.

The Chairman and Managing Director/ MD & CEO and two Executive Directors (3 Whole Time Directors) are being paid remuneration by way of salary as per rules framed by the Govt. of India.

A) The details of salaries paid to MD & CEO and Executive Directors during the year 2018-19 are as under:

Sr. No.	Name	Designation	Amount (in ₹)
1	Shri R.P. Marathe	Managing Director & CEO	1880032.00
2	Shri A.S. Rajeev	Managing Director & CEO	914030.00
3	Shri R.K. Gupta	Executive Director	1926226.90
4	Shri A.C. Rout	Executive Director	2452707.00
5	Shri Hemant Tamta	Executive Director	594048.00

B) No Performance linked Incentive was paid to the Directors during the Financial Year 2018-19:

C) The Bank has offered Equity shares to its Employees and Whole Time Directors of Bank under the Employee Share Purchase Scheme during the FY 2018-19.

D) **Sitting fees:** Government of India vide its communication dated 18th January, 2019 has revised sitting fees for attending meeting of Board and its sub committees as under:

a. Board meeting : ₹40,000/- per meeting

b. Committee meeting : ₹20,000/- per meeting

c. Chairing Board and Committee meeting : ₹10,000/- and ₹5,000/- per meeting in addition to above.

The total Sitting Fees paid to the Non-Executive Directors during the year 2018-19 is as under: (No sitting fee is payable to Whole Time Directors and Director representing Government of India and official Director representing Reserve Bank of India).

Sr. No.	Name of the Director	Amount Paid (₹)
01	Shri R. Thamodharan (paid to LIC of India)	8,05,000.00
02	Dr. Archana Dholakia	6,60,000.00
03	Shri Deendayal Agrawal	8,00,000.00
	Total	**22,65,000.00**

Besides this sitting fees of Rs.40,000/-& Rs.50,000/- is paid to External experts i.e. Mrs. S.A. Panse and Mrs. Gitika Kapoor for attending the meeting of Steering Committee of the Board on HR held on 11.06.2018, 26.09.2018, 20.12.2018 and 28.03.2019 respectively.

6. सर्वसाधारण बैठकें :

6.1 पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित बैंक के शेयरधारकों की सर्वसाधारण बैठकों के विवरण निम्नानुसार हैं:

प्रकार	दिनांक व समय	स्थान	उद्देश्य
तेरहवीं वार्षिक साधारण बैठक	29 जून 2016 को प्रातः 10.00 बजे	अप्पा साहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501,शिवाजी नगर पुणे - 411005	i) वर्ष 2015-16 के लिए लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों को अपनाना। ii) एफपीओ/ राईट्स इश्यू /क्यूआईपी आदि द्वारा पूंजी उगाहने के लिए (विशेष संकल्प)
असाधारण सामान्य बैठक	03 मई, 2017 को प्रातः 10.30 बजे	अप्पा साहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501,शिवाजी नगर पुणे - 411005	भारत सरकार को ईक्विटी शेयरों के अधिमानी आधार पर आबंटन का अनुमोदन (विशेष संकल्प)
चौदहवीं वार्षिक साधारण बैठक	16 जून, 2017 को प्रातः 10.45 बजे	अप्पा साहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501,शिवाजी नगर पुणे - 411005	i) वर्ष 2016-17 के लिए लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों को अपनाना। ii) एफपीओ/ राईट्स इश्यू /क्यूआईपी/अधिमानी आबंटन आदि द्वारा पूंजी उगाहने के लिए (विशेष संकल्प) iii) एक शेयरधारक निदेशक का निर्वाचन (केवल एक नामांकन प्राप्त हुआ था जो उपयुक्त व उचित नहीं पाया गया)
असाधारण सामान्य बैठक	16 फरवरी, 2018 को प्रातः 10.30 बजे	अप्पा साहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501,शिवाजी नगर पुणे - 411005	भारत सरकार को ईक्विटी शेयरों के अधिमानी आधार पर आबंटन का अनुमोदन (विशेष संकल्प)
पंद्रहवीं वार्षिक साधारण बैठक	21 जून, 2018 को प्रातः 10.30 बजे	अप्पा साहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501,शिवाजी नगर पुणे - 411005	i) वर्ष 2017-18 के लिए लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों को अपनाना। ii) एफपीओ/ राईट्स इश्यू /क्यूआईपी/अधिमानी आबंटन आदि द्वारा पूंजी उगाहने के लिए (विशेष संकल्प) iii) 31.03.2018 तक बैंक के संचित घाटे को समंजन करना (विशेष संकल्प)। iv) एक शेयरधारक निदेशक का निर्वाचन (केवल एक नामांकन प्राप्त हुआ था जो उपयुक्त व उचित नहीं पाया गया)

6. General Body Meetings:

6.1 Details of General Body Meetings of shareholders held during the last three years are given below:

Nature	Date & Time	Venue	Purpose
Thirteenth Annual General Meeting	At 10.00 a.m. on 29th June, 2016	Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune-411 005.	i) Adoption of Audited Annual accounts of Bank for the year 2015-16. ii) To raise capital through FPO/ Right issue/ QIP etc., (Special Resolution).
Extra Ordinary General Meeting	At 10.30 a.m. on 03rd May, 2017	Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune-411 005.	i) Issue of equity shares to Government of India on preferential basis (Special Resolution).
Fourteenth Annual General Meeting	At 10.45 a.m on 16th June, 2017	Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune-411 005.	i) Adoption of Audited Annual accounts of Bank for the year 2016-17. ii) To raise capital through FPO/ Right issue/ QIP/ Preferential issue etc., (Special Resolution). iii) Election of one Shareholder director. (Only one nomination was received, which was not found to be Fit and Proper).
Extra Ordinary General Meeting	At 10.30 a.m. on 16th February, 2018	Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune-411 005.	i) Issue of equity shares to Government of India on preferential basis (Special Resolution).
Fifteenth Annual General Meeting	At 10.30 a.m. on 21st June, 2018	Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune-411 005.	i) Adoption of Audited Annual accounts of Bank for the year 2017-18. ii) To raise capital through FPO/ Right issue/ QIP/ Preferential issue etc., (Special Resolution). iii) Set off the accumulated losses of Bank as of 31.03.2018. (Special Resolution). iv) Election of one Shareholder Director.

असाधारण सामान्य बैठक	25 मार्च 2019 को प्रातः 10.30 बजे	अप्पा साहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501,शिवाजी नगर पुणे - 411005	भारत सरकार को ईक्विटी शेयरों के अधिमानी आधार पर आबंटन का अनुमोदन (विशेष संकल्प)

6.2 भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ने समय-समय पर अपना एक प्राधिकृत प्रतिनिधि साधारण बैठकों में भाग लेने के लिए भेजा।

7. पोस्टल बैलेट :

7.1 पुनरीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने कंपनियां (प्रबंधन व प्रशासन) नियम 2014 के नियम 22 के साथ पठित कंपनियां अधिनियम 2013 की धारा 110 के प्रावधानों के अनुसार एक पोस्टल बैलेट आयोजित किया।

बैंक ने पोस्टल बैलेट फॉर्म के साथ पोस्टल बैलेट सूचना बैंक के सदस्यों को उसमें सूचीबद्ध व्यवसाय के लिए उनके अनुमोदन हेतु भेजी। प्रेक्टिसिंग सनदी लेखाकार मेसर्स एस. एन. अनंत सुब्रमणियन एंड कंपनी की सुश्री मालती कुमार को यह पोस्टल बैलेट निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से आयोजित करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त की गई। मतदान भौतिक के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से किया गया।

बैंक ने अपने सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए सीडीएसएल की सुविधाएं संलग्न की हैं। पोस्टल बैलेट की सूचना के साथ ब्यौरेवार निर्देश किट संलग्न की गई ताकि सदस्यों को पोस्ट बैलेट (रिमोट ई-वोटिंग सहित) मतदान की प्रक्रिया की पद्धति और तरीका समझने में सहायता हो।

ई-वोटिंग के अंतिम दिनांक को निम्नलिखित संकल्प पारित किए गए और शनिवार, 16 फरवरी, 2019 को पोस्टल बैलेट फॉर्म प्राप्त किए गए। उक्त मतदान परिणाम संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ बैंक के पंजीकृत कार्यालय पर और साथ ही बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in तथा सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर प्रदर्शित किए गए। दोनों ही संकल्पों को अपेक्षित बहुमत के साथ अनुमोदित किया गया।

पोस्टल बैलेट के परिणामों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

विवरण	प्राप्त वोटों की संख्या	पक्ष में वोटों की संख्या	विपक्ष में वोटों की संख्या
विशेष संकल्प : भारत सरकार को अधिमानी आधार पर समग्रत: ₹4498 करोड़ के बैंक के प्रत्येक ₹10/- के इक्विटी शेयर जारी करना	241,49,89,319	241,49,63,185 (100.00)	26,134 (0.00)
विशेष संकल्प : कर्मचारी शेयर खरीद योजना के अंतर्गत बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों सहित कर्मचारियों को इक्विटी शेयर जारी करना	241,49,70,899	241,29,03,952 (99.91)	20,66,947 (0.09)

Extra Ordinary General Meeting	At 10.30 a.m. on 25th March, 2019	Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune-411 005.	i) Issue of equity shares to Government of India on preferential basis (Special Resolution).

6.2 The Ministry of Finance, Government of India sends their authorized representative to attend the General Meetings of the Bank from time to time:

7. Postal Ballot:

7.1 During the year under review, the Bank has conducted one Postal ballot as per provisions of Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014.

The Bank has sent the Postal Ballot Notice together with Postal Ballot Form to the Members of the Bank for seeking their approval to the businesses listed therein. Ms. Malati Kumar, of M/s. S.N. Anathasubramanian & Co., Practicing Company Secretary was appointed as Scrutinizer for conducting postal ballot in a fair and transparent manner. The voting was conducted through physical mode as well as electronic mode.

The Bank had engaged the services of CDSL to provide e-voting facility to its Members. The Notice of postal ballot was accompanied with detailed instructions kit to enable the members to understand the procedure and manner in which postal ballot voting (including remote e-voting) to be carried out.

The following Resolutions were deemed to have been passed on the last date of e-voting and receipt of Postal Ballot forms i.e. on Saturday, 16th February, 2019. The aforesaid voting results along with the Scrutinizer's Report has been displayed at the Registered Office of the Bank and on the website of the Bank viz. www.bankofmaharashtra.in and CDSL viz. www.evotingindia.com. Both Resolutions were approved with requisite majority.

The details of results of Postal Ballot are as under:

Particulars	No. of votes received	No. of votes in favour	No. of votes against
Special Resolution: Issue of Equity shares of Rs.10/- each of Bank to Government of India aggregating to Rs.4498 crore on preferential basis.	241,49,89,319	241,49,63,185 (100.00)	26,134 (0.00)
Special Resolution: Issue of equity shares to Employees including Whole Time Directors of Bank under Employee Share Purchase Scheme.	241,49,70,899	241,29,03,952 (99.91)	20,66,947 (0.09)

7.2 प्रस्तावित पोस्टल बैलेट के ब्यौरे :

आगामी वार्षिक सामान्य बैठक को या उससे पूर्व पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई विशेष संकल्प किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

8. संप्रेषण के साधन:

बैंक के तिमाही, अर्ध-वार्षिक और वार्षिक वित्तीय परिणामों को निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाता है तथा अंग्रेजी में कम से कम एक राष्ट्रीय दैनिक तथा मराठी में एक स्थानीय दैनिक में प्रकाशित किया जाता है। उपर्युक्त सांविधिक आवश्यकता के अलावा बैंक द्वारा वित्तीय परिणाम हिन्दी दैनिक में भी प्रकाशित किए गए। परिणामों को बैंक की वेबसाईट www.bankofmaharashtra.in पर भी साथ-साथ ही उपलब्ध किया जाता है और शेयर बाजार को प्रस्तुत किया जाता है। बैंक के वित्तीय परिणामों और भावी योजनाओं की घोषणा करने के लिए बैंक विश्लेषक/ संस्थागत निवेशक सम्मेलन, प्रेस विज्ञप्ति/ कॉन्फ्रेंस इत्यादि भी आयोजित करता है।

वर्ष के दौरान बैंक के तिमाही/ अर्ध-वार्षिक/ वार्षिक परिणामों को निम्नलिखित समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया।

को समाप्त अवधि	समाचार पत्र का नाम		प्रकाशन का दिनांक
	अंग्रेजी	मराठी	
जून 2018	बिजनेस स्टैंडर्ड	लोकसत्ता	04.08.2018
सितंबर 2018	फिनांशियल एक्स्प्रेस	लोकसत्ता	31.10.2018
दिसंबर 2018	बिजनेस स्टैंडर्ड	लोकमत	24.01.2019
मार्च 2019	फिनांशियल एक्स्प्रेस	लोकसत्ता	30.04.2019

निवेशकों के साथ संप्रेषण के चैनल :

सभी आवधिक अनुपालन फाइलिंग जैसे कि शेयरधारिता पद्धति, कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, कार्पोरेट घोषणाएं, मीडिया विज्ञप्तियां इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक रूप से बीएसई कार्पोरेट कम्पलायन्स एंड लिस्टिंग सेंटर (द लिस्टिंग सेंटर) और एनएसई इलेक्ट्रॉनिक एप्लिकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम (एनईएपीएस) पर प्रचार हेतु दर्ज किए गए।

9. सामान्य शेयरधारकों का ब्यौरा:

9.1 सोलहवीं वार्षिक साधारण बैठक के विवरण:

खातों पर विचार हेतु निदेशक मंडल की बैठक	दिनांक 29 अप्रैल, 2019
सोलहवीं वार्षिक साधारण बैठक का स्थान, दिनांक और समय	दिनांक 27 जून, 2019 को प्रातः 10.30 बजे, अप्पासाहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर पुणे 411 005 में
वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण	03 जून, 2019
बहियों के बंद होने का दिनांक	20 जून 2019 से 27 जून 2019

9.2 वित्तीय कैलेंडर 2019-20 (अनंतिम):

निम्न को समाप्त अवधि के लिए तिमाही वित्तीय परिणामों का अनुमोदन	अनंतिम समय
30 जून, 2019	14 अगस्त 2019 को या इससे पूर्व
30 सितंबर, 2019	14 नवंबर 2019 को या इससे पूर्व
31 दिसंबर, 2019	14 फरवरी 2020 को या इससे पूर्व
31 मार्च, 2020 (वार्षिक)	18 मई 2020 को या इससे पूर्व

7.2 Details of Proposed Postal Ballots:

No special resolution through Postal Ballot is proposed to be conducted on or before the ensuing Annual General Meeting.

8. Means of Communication:

The quarterly, half yearly and annual financial results of the Bank are duly approved by the Board and published in at least one national Daily in English and one local daily in Marathi as per the Listing Regulations. In addition to the statutory requirement as above Bank has also published the results in Hindi Daily. The results are simultaneously displayed on the Bank's website www.bankofmaharashtra.in and submitted to the Stock Exchanges. Bank also organizes Analysts/ Institutional Investor meets, press conference/releases etc., for announcing Bank's financial results and its future plans.

During the year, quarterly /half yearly /annual results of the Bank were published in the following newspapers.

Period Ended	Name of the Newspaper		Date of publication
	Marathi	English	
June 2018	Business Standard	Loksatta	04.08.2018
September 2018	Financial Express	Loksatta	31.10.2018
December 2018	Business Standard	Lokmat	24.01.2019
March 2019	Financial Express	Loksatta	30.04.2019

Channels of Communication with the investors:

All periodical compliance Filings like Shareholding pattern, Corporate Governance Report, Corporate announcements, media releases etc., are filed electronically on the BSE Corporate Compliance & Listing Centre (the 'Listing Centre') and NSE Electronic Application Processing System (NEAPS) for dissemination.

9. General Shareholder Information:

9.1 Particulars of the Sixteenth Annual General Meeting:

Board Meeting for considering Accounts	29th April, 2019
Date, Time and Venue of Sixteenth AGM.	On 27th June, 2019 at 10.30 a.m. at Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005.
Posting of Annual Report	03rd June, 2019
Dates of Book Closure	20th June, 2019 to 27th June, 2019

9.2 Financial Calendar 2019-20 (Tentative):

Approval of Quarterly Results for period ending	Tentative Time
30th June 2019	On or Before 14th August 2019
30th September 2019	On or Before 14th November 2019
31st December 2019	On or Before 14th February 2020
31st March 2020 (Annual)	On or Before 18th May 2020

9.3 स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबध्द शेयरों के ब्योरे:

बैंक के शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबध्द किए गए हैं:

स्टॉक एक्सचेंज का नाम	स्क्रिप कोड
बीएसई लिमिटेड (BSE) पताः फिरोज जीजीभाय टॉवर्स, 25वीं मंजिल, फोर्ट दलाल स्ट्रीट, मुंबई-400001	532525
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड (NSE) पता : एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट क्र. सी/1, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400051	MAHABANK EQ
इंटरनैशनल सिक्युरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर (ISIN):	INE457A01014

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक सूचीकरण शुल्कों का भुगतान स्टॉक एक्सचेंजों को किया गया है.

9.4 बाजार मूल्य डाटा / बैंक के शेयरों का मूल्य निष्पादनः-

(बाजार मूल्य डाटा रुपए में तथा मात्रा शेयरों की संख्या में)

माह	बीएसई			एनएसई			बीएसई	एनएसई
	उच्च	न्यून	मात्रा	उच्च	न्यून	मात्रा	समापन मूल्य	समापन मूल्य
अप्रैल, 2018	14.90	13.60	1948427	14.95	13.45	12964439	35160	10740
मई, 2018	14.84	12.60	2245159	14.85	12.90	15837201	35322	10736
जून, 2018	14.20	12.25	1517936	14.25	12.20	12830821	35423	10714
जुलाई, 2018	13.50	11.83	1675379	13.45	11.80	10163130	37607	11357
अगस्त, 2018	14.04	12.67	1795512	14.05	12.70	11924444	38645	11681
सितंबर, 2018	13.26	11.06	1471344	13.25	11.05	9051647	36227	10930
अक्तूबर, 2018	14.34	10.73	3923169	14.70	10.70	17479585	34442	10387
नवंबर, 2018	15.25	12.95	1959200	15.30	12.90	16370192	36194	10877
दिसंबर, 2018	15.45	12.02	3361791	14.45	12.00	11513670	36068	10863
जनवरी, 2019	15.90	13.40	4146735	15.95	13.30	29420144	36257	10834
फरवरी, 2019	16.93	12.16	2535821	16.60	12.05	16811227	35867	10793
मार्च, 2019	13.98	12.80	1436653	13.90	12.07	10634447	38673	11624

9.5 प्रति शेयर डाटा:

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
अंकित मूल्य (₹)	10/-	10/-
प्रति शेयर आय (₹)	(14.26)	(8.98)
लाभांश (₹)	शून्य	शून्य
बही मूल्य (₹)	10.24	23.73
निवल लाभ के प्रतिशत के रूप में लाभांश पे-आउट (लाभांश कर को छोड़कर)	शून्य	शून्य

9.6 बैंक विभिन्न बॉण्ड (टीयर I और टीयर II पूंजी) तथा उनके क्रेडिट रेटिंग सहित इंफ्रा बॉण्ड जारी करता है। 31.03.2019 को बकाया बॉण्ड्स के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

क्र	बॉण्ड्स के प्रकार	आईएसआईएन	आबंटन/ जारी करने का दिनांक	मूलधन राशि (रु करोड़ में)	अवधि (माह में)	कूपन दर % (प्रतिवर्ष)	ऋण रेटिंग
1	बेमियादी टीयर I	INE457A09165	30.09.2009	70.00	बेमियादी	9.25	CRISIL A/Stable
2	गौण टीयर 2	INE457A09140	30.09.2009	130.00	115	8.74	ICRA A/ Stable
3	गौण टीयर 2	INE457A09199	31.12.2012	1000.00	120	9.00	ICRA A/ Stable

9.3 Details of listing of shares on Stock Exchanges:

The Bank's shares are listed on following Stock Exchanges:

Name of Stock Exchange	Scrip code
BSE Limited (BSE): Address: Phiroze Jeejeebhoy Towers, 25th Floor, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400001	532525
National Stock Exchange of India Limited (NSE) Address: Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051	MAHABANK EQ
International Security Identification Number (ISIN):	INE457A01014

The annual listing fees for the financial year 2018-19 has been paid to the Stock Exchanges.

9.4 Market Price data / price performance of Bank's Shares:

(Market Price data in Rupees and Volume in number of Shares):

Month	BSE			NSE			SENSEX	NIFTY
	High	Low	Volume	High	Low	Volume	Closing price	Closing price
April, 2018	14.90	13.60	1948427	14.95	13.45	12964439	35160	10740
May, 2018	14.84	12.60	2245159	14.85	12.90	15837201	35322	10736
June, 2018	14.20	12.25	1517936	14.25	12.20	12830821	35423	10714
July, 2018	13.50	11.83	1675379	13.45	11.80	10163130	37607	11357
August, 2018	14.04	12.67	1795512	14.05	12.70	11924444	38645	11681
September, 2018	13.26	11.06	1471344	13.25	11.05	9051647	36227	10930
October, 2018	14.34	10.73	3923169	14.70	10.70	17479585	34442	10387
November, 2018	15.25	12.95	1959200	15.30	12.90	16370192	36194	10877
December, 2018	15.45	12.02	3361791	14.45	12.00	11513670	36068	10863
January, 2019	15.90	13.40	4146735	15.95	13.30	29420144	36257	10834
February, 2019	16.93	12.16	2535821	16.60	12.05	16811227	35867	10793
March, 2019	13.98	12.80	1436653	13.90	12.07	10634447	38673	11624

9.5 Data per share:

Particulars	31.03.2019	31.03.2018
Face Value (₹)	10/-	10/-
EPS (₹)	(14.26)	(8.98)
Dividend (%)	Nil	Nil
Book Value (₹)	10.24	23.73
Dividend Payout (excluding dividend tax) as % of net profit	Nil	Nil

9.6 The Bank has issued various bonds (Tier I and II) and Infra bonds from time to time. The details of outstanding Bonds along with their credit ratings as on 31.03.2019 are given as below:

Sr. No.	Type of Bonds	ISIN	Date of Allotment/ Issue	Principal Amount (Rs. In cr)	Tenor (in Months)	Coupon Rate% (p.a)	Credit Ratings
1	Perpetual Tier 1	INE457A09165	30.09.2009	70.00	Perpetual	9.25	CRISIL A/ Stable
2	Subordinate Tier 2	INE457A09140	30.09.2009	130.00	115	8.74	ICRA A/ Stable
3	Subordinate Tier 2	INE457A09199	31.12.2012	1000.00	120	9.00	ICRA A/ Stable

4	बेसल III टीयर 2	INE457A08035	27.06.2016	500.00	123	9.20	ICRA A/ Stable
5	उच्च टीयर 2	INE457A09157	30.09.2009	100.00	180	8.95	ICRA A/ Stable
6	उच्च टीयर 2	INE457A09173	01.02.2010	300.00	180	8.65	CARE A/ Stable
7	इंफ्रा बॉण्ड	INE457A09207	20.10.2014	1000.00	84	9.40	CARE A+/ Stable
		कुल		3,3100.00			

उपर्युक्त क्रेडिट रेटिंग मार्च 2019 के हैं।

9.7 बैंक द्वारा जारी बांडों के लिए ट्रस्टी के ब्यौरे निम्नानुसार हैं

डिबेंचर ट्रस्टी का नाम	कैटेलिस्ट ट्रस्टीशिप लिमिटेड (पहले जीडीए ट्रस्टीशिप लिमिटेड से जानी जाती थी)
पता	जीडीए हाउस, सर्वे नं 94/95, प्लॉट क्र. 85, भुसारी कॉलनी (राइट) कोथरूड, पुणे 411038, महाराष्ट्र, भारत
फोन क्र.	020-25280081
फैक्स क्र.	020-25280275
ई-मेल	dt@gdatrustee.com

डिबेंचर ट्रस्टी का नाम	एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेस लि.
पता	एक्सिस हाउस, तल मंजिल, वाडिया इंटरनैशनल सेंटर, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वरळी, मुंबई-400 025, महाराष्ट्र, भारत
फोन क्र.	022- 62260054/ 50
ई-मेल	debenturetrustee@axistrustee.com

9.8 ईश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट का ब्यौरा:

एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, (इकाई: बैंक ऑफ महाराष्ट्र), ए-209, दूसरी मंजिल, सी विंग, गोकुल इंडस्ट्रियल इस्टेट, साग बाग, मारोल को-ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एरिया, बी/एच टाइम स्क्वेयर, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400 059

9.9 शेयर अंतरण प्रणाली और निवेशकों एवं शेयरधारकों को सहायता:

मेसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, मुंबई, बैंक के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) कार्यालय में शेयर अंतरण और अन्य सभी निवेशक संबंधी मामलों की देखरेख और कार्यवाहियां की जाती हैं। शेयरधारक, जो अपने शेयर भौतिक रूप में रखते हैं, वे उनके अंतरण विलेख और अन्य कागजात, शिकायतें एवं असुविधाओं को रजिस्ट्रार एवं ट्रान्सफर एजेंट को अथवा निम्नलिखित पतों पर बैंक के निवेशक सेवाएं विभाग में दर्ज करा सकते हैं:

रजिस्ट्रार एवं ट्रान्सफर एजेंट	निवेशक सेवाएं विभाग
एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड (इकाई : बैंक ऑफ महाराष्ट्र) ऑफिस ए-209, दूसरी मंजिल, सी विंग, गोकुल इंडस्ट्रियल इस्टेट, साग बाग, मारोल को-ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एरिया, बी/एच टाइम स्क्वेयर, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400 059 टेलीफोन: (022)-28516020-28516023 ई-मेल : subodh@mcsregistrars.com/ mparase@mcsregistrars.com	बैंक ऑफ महाराष्ट्र निवेशक सेवाएं विभाग लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर पुणे - 411 005 फोन : (020) 25511360 ई-मेल : investor_services@mahabank.co.in

4	Basel III Tier 2	INE457A08035	27.06.2016	500.00	123	9.20	ICRA A/ Stable
5	Upper Tier 2	INE457A09157	30.09.2009	100.00	180	8.95	ICRA A/ Stable
6	Upper Tier 2	INE457A09173	01.02.2010	300.00	180	8.65	ICRA A/ Stable
7	Infra Bond	INE457A09207	20.10.2014	1000.00	84	9.40	CARE A+/ Stable
		Total		3,3100.00			

Above credit ratings are of March 2019.

9.7 The details of the Trustee for the bonds issued by the Bank are as under

Name of the Debenture Trustee	Catalyst Trusteeship Limited (Formerly known as GDA Trusteeship Limited
Address	GDA House, S.N.o 94/95, Plot No 85, Bhusari Colony (Right) Kothrud, Pune - 411038, Maharashtra, India.
Phone Number	020-25280081
Fax Number	020-25280275
E -mail	dt@gdatrustee.com

Name of the debenture Trustee	Axis Trustee Services Ltd
Address	Axis House, Ground Floor, Wadia International Centre, Pandurang Budhkar Marg,Worli Mumbai - 400 025, Maharashtra, India.
Phone Number	022- 62260054/50
E -mail	debenturetrustee@axistrustee.com

9.8 Details of Registrar to an issue and Share Transfer Agents:

MCS Share Transfer Agent Limited, (Unit: Bank of Maharashtra), A-209, 2nd Floor, C-Wing, Gokul Industrial Estate, Sagbaug, Marol Co-op Industrial Area, B/H Times Square, Andheri (E), Mumbai – 400 059.

9.9 Share Transfer System and assistance to the Investors and Shareholders:

Share transfer and all other investor related matters are attended to and processed at the office of the Bank's Registrar and Transfer Agents (RTA), MCS Share Transfer Agent Limited, Mumbai. The shareholders, who hold their shares in physical forms may submit their transfer deeds/ transmission documents, dividend payment grievances and complaints to the RTA or alternatively to Investor Services Department of the Bank at the following addresses:

Registrar & Transfer Agent:	Investor Services Department:
MCS Share Transfer Agent Limited, (Unit: Bank of Maharashtra) Office A-209, 2nd Floor, C -Wing Gokul Industrial Estate, Sagbaug, Marol Co-op Industrial Area, B/H Times Square, Andheri (E), Mumbai – 400 059 Tel: 022 28516020/ 21/ 22/ 23 Email: subodh@mcsregistrars.com/ mparase@mcsregistrars.com	Bank of Maharashtra, Investor Services Department Lokmangal, 1501, Shivajinagar Pune 411 005 Tel: 020 25511360 Email: investor_services@ mahabank.co.in

9.10 शेयरधारिता का वितरण:

31.03.2018 को शेयरधारिता का वितरण निम्नानुसार है:

शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	कुल का %	शेयरों की संख्या	कुल का %
500 तक	161815	86.83	22215373	0.81
501-1000	12123	6.51	10181353	0.37
1001-2000	6203	3.33	9609387	0.35
2001-3000	2042	1.09	5288850	0.19
3001-4000	979	0.53	3538750	0.13
4001-5000	873	0.47	4159366	0.15
5001-10000	1254	0.67	9507854	0.34
10000* से अधिक	1069	0.57	2688670455	97.66
कुल	**186358**	**100.00**	**2753171388**	**100.00**
(* भारत सरकार द्वारा धारित 241,56,40,414 शेयरों का समावेश है)				

9.11 शेयरधारिता का स्वरूप:

दिनांक 31.03.2019 तथा 31.03.2018 को बैंक के शेयरों की शेयरधारिता का स्वरूप निम्नानुसार रहा :

शेयर धारक की श्रेणी	31.03.2019 को		31.3.2018 को	
	धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयर धारण से %	धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयर धारण से %
भारत सरकार	241,56,40,414	87.74	226,09,23,433	87.01
बीमा कंपनियां	16,03,28,275	5.82	16,15,98,754	6.22
भारतीय निवासी व्यक्ति	8,71,77,363	3.17	8,03,93,302	3.09
बैंक/ वित्तीय संस्थान	7,31,52,187	2.66	7,65,86,297	2.95
घरेलू कंपनियां	84,32,445	0.31	1,25,70,583	0.48
अनिवासी भारतीय व्यक्ति	41,32,897	0.15	35,14,886	0.14
विदेशी संस्थागत निवेशक	40,18,074	0.15	25,73,027	0.10
म्युचुअल फंड/ यूटीआई	1,77,608	0.01	1,81,900	0.01
न्यास (ट्रस्ट)	1,12,025	0.00	1,12,125	0.00
विदेशी निगमित निकाय	100	0.00	100	0.00
कुल	**2753,17,1388**	**100.00**	**259,84,54,407**	**100.00**

9.12 शेयरों का डी-मैटीकरण और तरलता :

बैंक के शेयरों का अनिवार्य रूप से डी-मैट स्वरूप में ही क्रय-विक्रय होता है। बैंक के शेयरों के डी-मैटीकरण के लिए बैंक ने दोनों डिपॉजिटरियों यथा नैशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरीज लि. (एनएसडीएल) तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) के साथ समझौते किए हैं। बैंक के इक्विटी शेयरों को आबंटित आईएसआईएन कोड INE457A01014 है। वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक अभिरक्षा शुल्क सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार डिपाजिटरी को भुगतान कर दिया गया है।

31.03.2019 को बैंक के शेयरधारकों द्वारा धारित शेयरों का विवरण निम्नानुसार हैः-

9.10 Distribution of shareholding:

The distribution of shareholding, as on 31.03.2019 is as under:

No. of Shares	No. of Shareholders	% to total	No. of shares	% to total
Up to 500	161815	86.83	22215373	0.81
501 -1000	12123	6.51	10181353	0.37
1001-2000	6203	3.33	9609387	0.35
2001-3000	2042	1.09	5288850	0.19
3001-4000	979	0.53	3538750	0.13
4001-5000	873	0.47	4159366	0.15
5001-10000	1254	0.67	9507854	0.34
Above 10000*	1069	0.57	2688670455	97.66
Total	**186358**	**100.00**	**2753171388**	**100.00**
[* Includes 241,56,40,414 shares held by the Government of India]				

9.11 Shareholding Pattern:

The shareholding pattern of the Bank as on 31.03.2019 and 31.03.2018 was as under:

Category of shareholder	As on 31.03.2019		As on 31.03.2018	
	No. of shares held	% to total holding	No. of shares held	% to total holding
Govt. of India	241,56,40,414	87.74	226,09,23,433	87.01
Insurance Companies	16,03,28,275	5.82	16,15,98,754	6.22
Resident Individuals	8,71,77,363	3.17	8,03,93,302	3.09
Banks/Financial Institutions	7,31,52,187	2.66	7,65,86,297	2.95
Domestic Companies	84,32,445	0.31	1,25,70,583	0.48
Non Resident Individuals	41,32,897	0.15	35,14,886	0.14
Foreign Institutional Investors	40,18,074	0.15	25,73,027	0.10
Mutual Fund/ UTI	1,77,608	0.01	1,81,900	0.01
Trust	1,12,025	0.00	1,12,125	0.00
Overseas Corporate Bodies	100	0.00	100	0.00
Total	**2753,17,1388**	**100.00**	**259,84,54,407**	**100.00**

9.12 Dematerialisation of shares and Liquidity:

Shares of the Bank are traded compulsorily in Demat form only. The Bank has entered into agreements with both the Depositories viz. National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for dematerialization of the Bank's shares. The ISIN code allotted to the Bank's equity shares is INE457A01014. The Annual Custody fees for the financial year 2018-19 have been paid to the depositories as per SEBI guidelines.

Particulars of shares held by the shareholders of Bank as on 31.03.2019 are as under:

श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या		शेयरों की संख्या	
	शेयरधारकों की संख्या	प्रतिशत	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
भौतिक रूप में	44640	23.95	6477683	0.24
डीमैटः				
1. एनएसडीएल	92594	49.69	297781028	10.82
2. सीडीएसएल*	49124	26.36	2448912677	88.95
उप जोड़	141718	76.05	2746693705	99.76
कुल	**186358**	**100.00**	**2753171388**	**100.00**

(*भारत सरकार द्वारा धारित 2415640414 इक्विटी शेयरों सहित)

9.13 शेयरों का डिमैटीकरण - प्रक्रिया :

जिन शेयरधारकों ने अब भी अपने शेयर भौतिक रूप में धारित किए हुए हैं उनसे अनुरोध है कि अपने शेयरों को शीघ्र डिमटेरियलाइज कर लें और डीमैट फॉर्म में शेयरों में व्यवहार करने का लाभ उठाएं। शेयरधारकों की सुविधा के लिए शेयरों को डिमटेरियलाइज करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है :

क. डिमैट खाता डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के पास खोला जा सकता है।

ख. शेयरधारक अपने डीपी को डिमटेरियलाइजेशन अनुरोध फॉर्म (डीआरएफ) मूल शेयर सर्टिफिकेट के साथ प्रस्तुत करें।

ग. डीपी डीआरएफ प्रोसेस करेंगे और डिमटेरियलाइजेशन अनुरोध क्रमांक (डीआरएन) निर्मित होगा।

घ. डीपी डीआरएफ तथा मूल शेयर प्रमाणपत्र पंजीयक एवं अंतरण एजेंट (आरटीए) को प्रस्तुत करेगा जो कि एमसीएस शेयर ट्रान्सफर एजेंट लिमिटेड है।

ङ. आरटीए डीआरएफ को प्रोसेस करेगा और डीपी/ डिपॉजिटरी के अनुरोध की पुष्टि या निरस्त करेगा।

च. अनुरोध की पुष्टि होने पर शेयरधारक को डीपी के पास रखे अपने डीमैट खाते में शेयरों की समरूपी संख्या का जमा प्राप्त होगा।

तथापि दिनांक 08 जून, 2018 की सेबी अधिसूचना क्रमांक सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2018/24 के अनुसार तथा दिनांक 30 नवंबर, 2018 की अधिसूचना क्रमांक सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2018/49 द्वारा आगे के संशोधनों में प्रतिभूतियों का अंतरण प्रभावी करने के लिए अनुरोध 01 एप्रिल, 2019 से प्रोसेस नहीं किए जाएंगे जब तक कि जमाकर्ताओं के पास प्रतिभूतियां डिमटेरियलाइज्ड रूप में धारित न हों। अतः शेयरधारकों से अनुरोध है कि बैंक के इक्विटी शेयरों को तत्काल रूप से डिमटेरियलाइज करने हेतु कार्रवाई करे।

9.14 फोलियो का समेकन :

निवेशकों, सदस्यों जिनके पास एक ही नाम के क्रम में एक से अधिक फोलियो है को सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रयासों का दोहराव और लागत कम करने में बैंक को सक्षम बनाने के लिए अनुरोध है कि उनकी धारिताओं को एक ही फोलियो के अंतर्गत समेकित करे। सदस्य समेकित किए जाने वाले फोलियो क्रमांकों के साथ ही मूल शेयर प्रमाणपत्रों की सूचना देते हुए पंजीयक और अंतरण एजेंटों को लिखें।

9.15 नामांकन :

भौतिक रूप में एकल या संयुक्त रूप से शेयर धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक किसी ऐसे व्यक्ति का नामांकन कर सकता है, जब पंजीकृत शेयरधारक (शेयरधारकों) की मृत्यु होने पर जिसके नाम से शेयर अंतरण योग्य हों। नामांकन फॉर्म बैंक के पंजीयक और शेयर अंतरण एजेंट से प्राप्त किए जा सकते हैं।

डिमैट रूप में धारित शेयरों के संबंध में नामांकन सुविधा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के पास उपलब्ध है जो एनएसडीएल और सीडीएसएल को लागू उप-नियमों और व्यवसाय नियमों के अनुसार है।

Category	No. of shareholders		No. of shares	
	Number of shareholders	Percentage	Number of shares	Percentage
Physical	44640	23.95	6477683	0.24
Demat:				
1. NSDL	92594	49.69	297781028	10.82
2. CDSL*	49124	26.36	2448912677	88.95
Sub-total	141718	76.05	2746693705	99.76
Total	**186358**	**100.00**	**2753171388**	**100.00**

(* Including 2415640414 equity shares held by the Government of India).

9.13 Dematerialization of Shares – Process:

Shareholders who continue to hold shares in physical form are requested to dematerialize their shares at the earliest and avail the benefits of dealing in shares in demat form. For convenience of shareholders, the process of getting the shares dematerialized is given hereunder:

a) Demat account should be opened with a Depository Participant (DP).

b) Shareholders should submit the Dematerialization Request Form (DRF) along with share certificates in original, to their DP.

c) DP will process the DRF and will generate a Dematerialization Request Number (DRN).

d) DP will submit the DRF and original share certificates to the Registrar and Transfer Agents (RTA), which is MCS Share Transfer Agent Limited.

e) RTA will process the DRF and confirm or reject the request to DP/ depositories.

f) Upon confirmation of request, the shareholder will get credit of the equivalent number of shares in his demat account maintained with the DP.

However, as per SEBI Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/24 dated June 8, 2018 and further amendment vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/49 dated November 30, 2018, requests for effecting transfer of securities (except in case of transmission or transposition of securities) shall not be processed from April 1, 2019 unless the securities are held in the dematerialised form with the depositories. Therefore, Shareholders are requested to take action to dematerialize the Equity Shares of the Bank promptly.

9.14 Consolidation of Folios:

In order to enable the Bank to reduce costs and duplicity of efforts for providing services to investors, members who have more than one folio in the same order of names, are requested to consolidate their holdings under one folio. Members may write to the Registrars & Transfer Agents indicating the folio numbers to be consolidated along with the original shares certificates to be consolidated.

9.15 Nomination:

Individual shareholders holding shares singly or jointly in physical form can nominate a person in whose name the shares shall be transferable in case of death of the registered shareholder(s). Nomination forms can be obtained from the Bank's Registrar and Share Transfer Agent.

Nomination facility in respect of shares held in Demat form is available with the Depository Participants as per the bye-laws and business rules applicable to NSDL and CDSL.

9.16 शेयर पूंजी लेखा परीक्षा रिपोर्ट का समाधान :

सेबी द्वारा निर्धारित किए अनुसार बैंक की कुल जारी और सूचीबद्ध पूंजी और केन्द्रीय निक्षेपागार सेवाएं (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) तथा राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) के पास कुल प्रविष्ट पूंजी के समाधान हेतु एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव, सचिवीय (सेक्रेटेरियल) लेखा परीक्षा करता है। यह लेखा परीक्षा प्रत्येक तिमाही में की जाती है और उसकी रिपोर्ट उन स्टॉक एक्सचेंजों में प्रस्तुत की जाती है जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं। यह लेखा परीक्षा पुष्टि करती हैं कि कुल सूचीबद्ध पूंजी और प्रदत्त पूंजी भौतिक रूप में शेयरों की कुल संख्या तथा डिमटेरियलाइज रूप (एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास धारित) में शेयरों की कुल संख्या के समग्र के साथ समझौते में है।

9.17 राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं (एनईसीएस)

नैशनल इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस) लाभांश/ब्याज इत्यादि के भुगतान करने की अनूठी प्रणाली है, जिसके अंतर्गत निवेशक को देय राशि सीधे उसके बैंक खाते में जमा की जा सकती है। बैंक अपने शेयरधारकों को सीधे अपने खाते में लाभांश जमा कराने हेतु यह सुविधा लेने का विकल्प प्रदान करता है। तथापि शेयरधारक का खाता केंद्रीयकृत/ कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) वाली बैंक शाखा में होना चाहिए।

एनईसीएस अधिदेश फॉर्म एजीएम नोटिस के साथ संलग्न है जिसे उन शेयरधारकों द्वारा पंजीयक और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) को भेजा जा सकता है जिन्होंने शेयर भौतिक रूप में धारित किए हुए हैं। जिन शेयरधारकों ने अपने शेयर डिमटेरियलाइज रूप में धारित किए हुए हैं वे अपने बैंक खातों के ब्यौरों का अद्यतन करने के लिए अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से संपर्क करें।

9.18 अदत्त लाभांश

ऐसे शेयरधारक जिन्होंने वित्तीय वर्षों 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए लाभांश वारंट का नकदीकरण न किया हो, वे वारंटों के पुनर्वैधीकरण तथा इसके भुगतान हेतु आवश्यक सहायता के लिए रजिस्ट्रार/ बैंक से उक्त पते पर संपर्क कर सकते हैं।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 10 बी और वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 (जो 16.10.2006 से प्रभावी हुआ) की शर्तों के अनुसार लाभांश की कोई भी राशि जो अदत्त लाभांश खाते में अंतरित की गई है और इस प्रकार के अंतरण के दिनांक से सात वर्षों की अवधि के लिए बिना भुगतान/ बिना दावे के खाते में है, तो उसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 सी (1)/ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के अधीन गठित "निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि" (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाएगा ।

उक्त प्रावधानों के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09 2009-10 और 2010-11 से अदत्त/ दावा न की गई लाभांश की ऐसी सभी राशियों को "निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि" में अंतरित किया गया तथा इसका ब्यौरा बैंक के वेबसाईट में प्रदर्शित किया गया है। वर्ष 2011-12 हेतु दावा न किया गया/ अदत्त लाभांश को विनिर्दिष्ट समय सीमा में उक्त निधि को अंतरित किया जाएगा।

10 अन्य प्रकटन :

10.1 बैंक के सामान्य व्यवसाय को छोड़कर बैंक अपने प्रवर्तकों/ निदेशकों, प्रबंधन, अपनी अनुषंगीय या रिश्तेदारों इत्यादि के साथ किसी ऐसे भौतिक रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष संव्यवहारों में प्रविष्ट नहीं हुआ है जो समग्र रूप से बैंक के हितों पर कोई संभावित विवाद न डालें। संबंधित पक्ष संव्यवहारों पर बैंक की नीति बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर उपलब्ध है। संबंधित पक्ष संव्यवहार इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में खातों पर टिप्पणियों में प्रकट किए गए हैं।

10.2 पुनरीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने पूंजी बाजार संबंधी मामलों से संबंधित सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक पर लगाया गया दंड जिसे वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के बिंदु क्र. 9.6 में प्रकट किया गया है, को छोड़कर सेबी, स्टॉक

9.16 Reconciliation of Share Capital Audit Report:

As stipulated by SEBI, a Practicing Company Secretary carries out Secretarial Audit to reconcile the total admitted capital with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) and the total issued and listed capital of Bank. This audit is carried out every quarter and the report thereon is submitted to the Stock Exchanges where the Bank's shares are listed. The audit confirms that the total Listed Capital and Paid-up Capital is in agreement with the aggregate of the total number of shares in dematerialised form (held with NSDL and CDSL) and total number of shares in physical form.

9.17 National Electronic Clearing Services (NECS):

National Electronic Clearing Services (NECS) is a novel method of payment of dividend/ interest etc. where the amount due to the investor can be directly credited to his/ her Bank account. The Bank offers this service to its shareholders with an option to avail the facility for the direct credit of the dividend in their bank account. However, the Bank account of the shareholders should be in Centralized/ Core Banking Solution (CBS) branch of the Bank.

The NECS mandate form is enclosed to the AGM Notice, which may be sent to the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) by the shareholders, who are holding shares in physical form. Shareholders holding their shares in dematerialized form may contact their respective Depository Participants for updating their bank account details.

9.18 Unpaid Dividends:

The Shareholders who have not encashed the dividend warrants for the financial years 2011-12, 2012-13, 2013-14 and 2014-15 may contact the RTA / Bank on the above address for revalidation of the warrants and necessary assistance for the payment thereof.

In terms of Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Financial Institutions Laws (Amendment) Act 2006, (which has come into force from 16.10.2006), any amount of dividend which is transferred to unpaid dividend account and remains unpaid / unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to "Investor Education and Protection Fund" (IEPF) established under Section 205C(1) of the Companies Act, 1956/ Section 125 of Companies Act, 2013.

In line with the above provisions, all such amounts of dividend remaining unpaid / unclaimed from the financial year 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10 and 2010-11 have been transferred to "Investor Education and Protection Fund". The dividend for the year 2011-12 remaining unclaimed/ unpaid will be transferred to the said fund within the prescribed time limits.

10 Other Disclosures

10.1 Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant related party transactions with its Promoters / Directors, Management, their subsidiaries, or relatives, etc. that may have potential conflict with the interests of the Bank at large. The Bank's policy on Related Party transactions is available on Bank's website i.e. www.bankofmaharashtra.in. The Related Party Transactions are disclosed in the Notes on Accounts in compliance with RBI Guidelines in this regard.

10.2 During the year under review, the Bank has complied with all requirements regarding capital market related matters and no penalties were imposed nor were any strictures passed against the Bank by SEBI, Stock Exchanges or any other

एक्सचेंज या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा पिछले 3 वर्षों के दौरान किसी कानून, दिशानिर्देशों और निर्देशों या पूंजी बाजार से संबंधित किसी अन्य मामले का अनुपालन न किए जाने के कोई दंड नहीं लगाया गया है। जिसे वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु वित्तीय विवरण के अनुसूची-18 के मद क्र.9.7 में प्रकट किया गया है।

10.3 प्रबंधकीय परिचर्चा और विश्लेषण निदेशक मंडल की रिपोर्ट का एक भाग हैं।

10.4 सीईओ तथा सीएफओ प्रमाणन :

बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा मुख्य वित्तीय अधिकारी ने सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(8) के अंतर्गत अपेक्षानुसार 29 अप्रैल, 2019 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बैंक के आंतरिक नियंत्रणों और वित्तीय रिपोर्टिंग पर अपना प्रमाणन दिया है।

10.5 व्हिसिल ब्लोअर पॉलिसी को धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति का भाग बनाया गया है, जिसका अनुमोदन निदेशक मंडल द्वारा किया गया है। यह भी बताया गया है कि किसी भी कर्मचारी को समुचित प्राधिकारियों से संपर्क करने से मना नहीं किया गया है।

10.6 बैंक ने लाभांश वितरण नीति तैयार की है और इसे बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर उपलब्ध किया गया है।

10.7 अपने निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए बैंक ने आचार संहिता को अपनाया है और इसे बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर उपलब्ध किया गया है।

10.8 बैंक ने मटेरियल सब्सिडीयरी नीति तैयार की है और इसे बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर उपलब्ध किया गया है, तथापि वर्तमान में बैंक की कोई मटेरियल सब्सिडीयरी नहीं है।

10.9 बकाया वैश्विक डिपॉजिटरी रसीदें या अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीदें या वारंट या कोई भी परिवर्तनीय लिखत, रूपांतरण तिथि और इक्विटी पर संभावित प्रभावः लागू नहीं

10.10 कमोडिटी मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम और हेजिंग गतिविधियाँः

अनुसूची क्र. 18-खातों पर टिप्पणियां में प्रकटीकरण उपलब्ध कराया गया है।

10.11 विनियमन 32 (7 ए) के अंतर्गत निर्दिष्ट अनुसार पात्र संस्थानों की नियुक्ति या अधिमानी आवंटन या ईएसपीएस के माध्यम से उगाही गई निधियों के उपयोग का विवरण

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान भारत सरकार द्वारा दिसंबर, 2018 में ₹4498 करोड़ और फरवरी, 2019 में ₹205 करोड़ की पूंजी अधिमानी निर्गम आधार पर लगाई गई है। बैंक द्वारा इस तरह की निधियों का पूरा उपयोग बैंक की व्यवसाय वृध्दि के निधियन और पूंजी पर्याप्तता को सुदृढ करने हेतु किया गया है।

बैंक ने सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) के अनुपालन में बैंक की कर्मचारी शेयर खरीद योजना के अंतर्गत अपने कर्मचारियों और पूर्णकालिक निदेशकों को ₹13.17 प्रति शेयर (₹2.63 प्रति शेयर की छूट सहित) पर 10 करोड इक्विटी शेयर जारी करते हुए ₹131.70 करोड की पूंजी उगाही। बैंक ने उक्त शेयर 18.04.2019 को आबंटित किए।

10.12 लागू सीमा तक सेबी (सूची अनिवार्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के प्रावधानों के साथ अनुपालन के संबंध में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) द्वारा जारी प्रमाणपत्र वार्षिक रिपोर्ट का एक भाग निर्मित करता है।

10.13 वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षाः

लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षा का संचालन करने के लिए मैसर्स आप्टे जोशी एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, पुणे के श्री राघवेंद्र जे. जोशी को सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। फर्म द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा के एक भाग के रूप में सेबी लिस्टिंग विनियम, बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 और बैंकिंग विनियम, 1949 के अनुपालन का स्वतंत्र मूल्यांकन किया गया। बैंक के सदस्यों को संबोधित सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट निदेशक मंडल की रिपोर्ट के एक अनुलग्नक के रूप में इस वार्षिक रिपोर्ट का एक हिस्सा निर्मित करती है।

statutory authorities for non-compliance of any law, guidelines and directives or any matter related to Capital Market during last three years except the penalty imposed by the Reserve Bank of India on Bank which is disclosed in point no.9.7 of Schedule 18 of the financial statements for FY 2018-19.

10.3 The Management Discussion and Analysis forms part of the Board of Directors' Report.

10.4 CEO and CFO Certification:

The Chief Executive Officer and the Chief Financial Officer of the Bank have given certification on financial reporting and internal controls of Bank for the financial year 2018-19 to the Board of Directors at their meeting held on 29th April 2019 as required under regulation 17(8) of SEBI (LODR), Regulations, 2015.

10.5 Whistle Blower policy is made a part of the Fraud Risk Management Policy approved by the Board. It is further stated that no employee has been denied access to the appropriate authorities.

10.6 Bank had formulated Dividend Distribution Policy and same is available on Bank's website i.e. www.bankofmaharashtra.in

10.7 Bank had adopted Code of Conduct for its Directors and Senior Management and same is available on Bank's website i.e. www.bankofmaharashtra.in.

10.8 Bank had formulated Material Subsidiary Policy and same is available on Bank's website i.e. www.bankofmaharashtra.in. However, Bank does not have any material subsidiary at present.

10.9 Outstanding Global depository receipts or American depository receipts or warrants or any convertible instruments, conversion date and likely impact on equity: Not applicable

10.10 Commodity price risk or foreign exchange risk and hedging activities:

Disclosure is provided in Schedule No. 18 - Notes to Accounts.

10.11 Details of utilization of funds raised through preferential allotment or qualified institutions placement or ESPS as specified under Regulation 32 (7A).

Government of India had infused capital of Rs.4498 crore in December, 2018 and Rs.205 crore in February, 2019 by way of preferential issue. Such funds were fully utilized by the Bank to improve the capital adequacy ratio and help the business growth of Bank.

Bank has raised capital of Rs.131.70 crore by issue of 10 crore equity shares at Rs.13.17 per share (including discount of Rs.2.63 per share) to its employees and Whole time Directors under the Employee Share Purchase Scheme of Bank in compliance with SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014. Bank had allotted above shares on 18.04.2019.

10.12 The Certificate issued by Statutory Central Auditors (SCAs) in respect of compliance with the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent applicable forms part of the Annual Report.

10.13 Secretarial Audit for Financial Year 2018-19:

Shri Raghavendra J. Joshi of M/s Apte Joshi & Associates, Practicing Company Secretaries, Pune, was appointed as a Secretarial Auditor to conduct Secretarial Audit of the Bank for the financial year ended March 31, 2019 as per the provisions of Listing Regulations. The firm has carried out an independent assessment of the compliance of Banking Regulations, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and SEBI Listing Regulations as a part of the Secretarial audit. The Secretarial Audit Report addressed to the members of the Bank forms part of this Annual Report as an annexure to the Board's report.

10.14 पेशेवर कंपनी सचिव से यह प्रमाणपत्र कि निदेशक मंडल/ निगमित मामले मंत्रालय या ऐसे किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा बैंक के निदेशक मंडल के किसी भी निदेशक को बैंक के निदेशकों के रूप में नियुक्ति या पद पर बने रहने से वंचित या अयोग्य करार नहीं दिया गया है। पेशेवर कंपनी सचिव से प्राप्त किया गया प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

10.15 वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई जब निदेशक मंडल ने निदेशक मंडल की किसी समिति की कोई सिफारिश नहीं मानी थी।

10.16 सांविधिक लेखा परीक्षक जिस नेटवर्क फर्म/ नेटवर्क इकाई से संबंधित हैं उसके सभी सांविधिक लेखा परीक्षकों और सभी इकाईयों को समेकित आधार पर सूचीबद्ध इकाई और उसकी सहायक कंपनियां द्वारा दी गई सेवाओं हेतु कुल शुल्क :

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों को प्रदत्त शुल्क से संबंधित ब्यौरे नोट स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 16 में दिए गए हैं।

10.17 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण:

वर्ष के दौरान दायर और निपटाई गई शिकायतों की संख्या और 31 मार्च, 2019 तक लंबित विवरण निदेशकों की रिपोर्ट में दिए गए हैं।

10.18 अनिवार्य और गैर- अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुपालन के ब्यौरे :

बैंक ने लागू सीमा तक सूचीबद्ध विनियमों की विनियम 46 के उप-विनियम (2) के खंड (ख) से (i) और विनियम 17 से 27 में निर्दिष्ट आवश्यकताओं का विधिवत अनुपालन किया है।

बैंक वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, शेयरधारक निदेशक की नियुक्ति के अतिरिक्त बैंक के बोर्ड में निदेशकों की सभी श्रेणियों का नामांकन/ नियुक्ति भारतीय बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों के अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार द्वारा की जाती है।

बैंक ने सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 27 (1) के संदर्भ में नीचे निर्दिष्ट गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं को अपनाया है।

क्र.	गैर-अनिवार्य आवश्यकताएं	अनुपालन की स्थिति
क.	**निदेशक मंडल** सूचीबद्ध इकाई के खर्च पर अध्यक्ष के कार्यालय को बनाए रखने के लिए एक गैर-कार्यपालक अध्यक्ष का हकदार हो सकता है और अपने कर्तव्यों के निष्पादन में किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति हेतु अनुमति भी दी जा सकती है।	बैंक के निदेशक मंडल की अध्यक्षता प्रबंध निदेशक एवं सीईओ द्वारा की जाती है, बैंक में कोई गैर-कार्यपालक अध्यक्ष नहीं है।
ख.	**शेयरधारक के अधिकार** पिछले छह महीनों में महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय प्रदर्शन की छमाही घोषणा प्रत्येक शेयरधारकों को प्रेषित की जा सकती है।	बैंक के तिमाही/ छमाही/ वार्षिक वित्तीय परिणाम एनएसई और बीएसई को प्रस्तुत किए जाते हैं तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं एवं बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाते हैं। शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से इस प्रकार की जानकारी नहीं भेजी जाती है।
ग.	**लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित राय** सूचीबद्ध संस्था असंशोधित लेखापरीक्षा राय के साथ वित्तीय विवरणों की ओर अग्रसर हो सकती है।	बैंक के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में कोई योग्यता नहीं है।

10.14 A certificate from Company Secretary in practice that none of the directors on the board of the Bank have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of Bank by the Board/ Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority. The certificate obtained from Company Secretary in practice is annexed to this report.

10.15 There was no such instance during FY 2018-19 when the Board had not accepted any recommendation of any committee of the Board.

10.16 Total fees for all services paid by the listed entity and its subsidiaries, on a consolidated basis to the Statutory Auditors and all entities in the network firm/network entity of which the statutory auditor is a part:

Details relating to fees paid to the Statutory Auditors during the financial year 2018-19 are disclosed in Schedule 16 of the Standalone Financial Statements and Consolidated Financial Statements of Bank.

10.17 Disclosures in relation to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013:

The details of number of complaints filed and disposed of during the year and pending as on 31st Marchs, 2019 is given in the Directors' report.

10.18 Details of compliance with mandatory and non - mandatory requirements:

The Bank has duly complied with the requirements specified in Regulations 17 to 27 and clauses (b) to (i) of sub- regulation (2) of Regulation 46 of the Listing Regulations to the extent applicable.

Bank is a Public Sector Undertaking under the administrative control of Ministry of Finance. The nomination / appointment of all categories of Directors on the Board of Bank are done by the Government of India in accordance with provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 except the appointment of Shareholder Director.

Bank has adopted the below specified non-mandatory requirements in terms of Regulation 27(1) of SEBI Listing Regulations:

Sr. No.	Non-mandatory Requirements	Status of compliance
A.	The Board A non-executive chairperson may be entitled to maintain a chairperson's office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.	The Board is chaired by MD & CEO of Bank as the Bank is not having a non-executive Chairperson.
B.	Shareholder Rights A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six-months, may be sent to each household of shareholders.	The quarterly/half yearly/ Annual Financial Results are submitted to NSE & BSE & published in Newspapers and placed on Bank's website. As such, information to Shareholders is not sent individually.
C.	Modified opinion(s) in audit report The listed entity may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion.	There is no qualification in the Auditors report of the Bank.

घ.	**अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के लिए अलग-अलग पद** सूचीबद्ध संस्था अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर अलग-अलग व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है।	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के पद विभक्त कर दिए गए हैं। बैंक के निदेशक मंडल में अध्यक्ष की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाएगी।
ड़.	**आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंग** आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकते हैं।	महाप्रबंधक (निरीक्षण व लेखा परीक्षा) सीधे निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट करते हैं।

D.	Separate posts of chairperson and chief executive officer The listed entity may appoint separate persons to the post of chairperson and managing director or chief executive officer.	The post of Chairman and MD & CEO has been split. The Chairman on the board of Bank will be appointed by Government of India.
E.	Reporting of Internal auditor The internal auditor may report directly to the audit committee.	General Manager (Inspection & Audit) directly reports to the Audit Committee of the Board.

10.19 शेयरधारकों से संप्रेषण में हरित पहल:

"हरित पहल" के लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने अपने दिनांक 21.04.2011 के संप्रेषण क्र.17/95 /2011 सीएल-वी/परि.क्र.17 तथा दिनांक 29.04.2011 के क्र. 18/95/2011 द्वारा शेयरधारकों को इलेक्ट्रानिक मोड से संप्रेषण भेजने की अनुमति दी है। इसका अनुसरण करते हुए, बैंक ने शेयरधारकों को पत्र/मेल भेजते हुए अनुरोध किया कि वे अपने ई-मेल आईडी की बैंक को जानकारी दें / अद्यतित करें, ताकि बैंक की ओर से शेयरधारकों को सूचना/ संप्रेषण/ दस्तावेज इलेक्ट्रानिक मोड से भेजे जा सकें। दिनांक 21 जून 2018 को संपन्न बैंक के शेयरधारकों की पंद्रहवीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना 90544 शेयरधारकों को इलेक्ट्रानिक मोड से भेजी गई।

10.19 Green Initiatives in communication to the Shareholders:

The Ministry of Corporate Affairs, vide its communications No. 17/95/2011 CL-v/Cir No.17 dated 21.04.2011 and No. 18/95/2011, dated 29.04.2011 has allowed sending the communications to the shareholders by electronic mode, as matter of “Green Initiative”. Falling in line with this, the Bank has sent letters/mails to the shareholders, requesting them to inform/ update their email Ids to enable the Bank to send the notices/ communications/ documents to the shareholders by electronic mode. The notices of the fifteenth Annual General Meeting of the Shareholders of the Bank held on 21st June, 2018 were sent to 90,544 shareholders by electronic mode.

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का प्रमाणपत्र / घोषणा

मैं घोषित करता हूं कि निदेशक मंडल ने सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम 2015 के अनुपालन में निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट) निर्धारित की है। आचार संहिता बैंक की वेबसाईट पर भी प्रदर्शित की गई है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि निदेशक मंडल के सभी सदस्य और बैंक के सभी वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान आचारसंहिता के पालन की पुष्टि की है।

कृते बैंक ऑफ महाराष्ट्र

दिनांक : 29 अप्रैल, 2019
स्थान : पुणे

(ए. एस. राजीव)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

Certificate / Declaration of the Managing Director and CEO

I declare that the Board has laid down the Code of Conduct for all Board Members and Senior Management Personnel of the Bank in compliance with SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements), Regulations, 2015. The Code of Conduct is availiable on the website of the Bank.

I further declare that all Board members and Senior Management Personnel of the Bank have affirmed their compliance with the Code of Conduct during the year ended 31st March, 2019.

For Bank of Maharashtra

Date: 29th April, 2019
Place: Pune

(A.S. Rajeev)
Managing Director and CEO

पेशेवर कंपनी सचिव का प्रमाणपत्र

प्रति,
बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सदस्य

विषय : भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 की अनुसूची V और विनियम 34 के अंतर्गत प्रमाणपत्र।

सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (लिस्टिंग विनियम) के विनियम 34 के संबंध में 31 मार्च, 2019 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र ("द बैंक") के निदेशक मंडल के संबंध में संबंधित अभिलेखों और दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर और हमें दी गई जानकारी तथा विवरणों के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड/निगमित मामले मंत्रालय या ऐसे किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल के किसी भी निदेशक को निदेशकों के रूप में नियुक्ति या पद पर बने रहने से वंचित या अयोग्य करार नहीं दिया गया है।

कृते आप्टे जोशी और असोसिएट्स,

कंपनी सचिव
राघवेंद्र जोशी
भागीदार
एफसीएस : 4478 सीपी : 8774

दिनांक : 29 अप्रैल, 2019
स्थान : पुणे

Certificate of the Company Secretary in Practice

To,
The Members
Bank of Maharashtra

Sub: Certificate under Regulation 34 and Schedule V of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

According to the information and explanations given to us and based on the verification of the relevant records and documents related to the Directors of Bank of Maharashtra (“the Bank”) as on March 31, 2019 with respect to the regulation 34 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 [“Listing Regulations”], we certify that none of the Directors on the Board of the Bank have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as directors of Bank by the Securities and Exchange Board of India / Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority.

For Apte Joshi & Associates,

Company Secretaries
Raghavendra Joshi
Partner
FCS: 4478 CP: 8774

Date: 29th April, 2019
Place: Pune

सीईओ/सीएफओ प्रमाणपत्र
[विनियम 17(8)]

सेवा में,
निदेशक मंडल
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
पुणे
हम प्रमाणित करते हैं कि

क. हमने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार :

(1) इन विवरणों में कोई गंभीर असत्य कथन नहीं है अथवा कोई महत्वपूर्ण तथ्य छूटा नहीं है अथवा कोई भ्रामक कथन समाविष्ट नहीं है.

(2) ये विवरण सम्मिलित रूप से बैंक के मामलों की सत्य और उचित छवि प्रस्तुत करते हैं तथा मौजूदा लेखा मानकों, प्रयोज्य विधियों और विनियमनों के अनुसार हैं.

ख. हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक ने कोई भी ऐसा लेनदेन नहीं किया है जो कपटपूर्ण, अवैध अथवा बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करना हो.

ग. हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और इसे बनाए रखने का उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं और यह कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और ऐसे आंतरिक नियंत्रण के परिचालन और उसके स्वरूप की विसंगतियों को, जो हमारी जानकारी में हैं तथा उन्हें परिशोधित करने के लिए हमारे द्वारा उठाए गए/प्रस्तावित कदमों को लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति के समक्ष प्रकट किया है.

घ. हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित की सूचना दी है :

(1) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन.

(2) वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन और जिनका प्रकटन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में किया गया है, और

(3) हमें ज्ञात धोखाधड़ी की विशेष घटनाएं और जिसमें बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग में महत्वपूर्ण भूमिका वाले कर्मचारी या प्रबंधन, यदि कोई हो, की संलिप्तता के दृष्टांत.

वी. पी. श्रीवास्तव
महाप्रबंधक
(वित्तीय प्रबंधन एवं लेखा
और मुख्य वित्तीय अधिकारी)

ए. एस. राजीव
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

दिनांक : 29 अप्रैल 2019
स्थान : पुणे

CEO/ CFO Certificate
[Regulation 17(8)]

To the Board of Directors,
Bank of Maharashtra,
Pune

This is to certify that:

A. We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year ended 31st March, 2019 and that to the best of our knowledge and belief:

(1) These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

(2) These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

B. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.

C. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the Auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

D. We have indicated to the Auditors and the Audit Committee.

(1) Significant changes in internal control over financial reporting during the year;

(2) Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

(3) Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

V. P. Srivastava
General Manager
(FM&A & CFO)

A.S.Rajeev
Managing Director & CEO

Date: 29th April, 2019
Place: Pune

बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरधारकों के लिए लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र

बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सदस्यों के लिए

हमने यथा लागू सीमा तक सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमों, 2015 (लिस्टिंग विनियम) की शर्तों के अनुसार 31.03.2019 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जांच की है.

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है. कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन और उसके कार्यान्वयन तथा कार्यविधि तक हमारी जांच सीमित थी. यह न तो लेखा परीक्षा है तथा न ही बैंक के वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत की अभिव्यक्ति है.

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरण और निदेशकों और प्रबंध तंत्र के प्रतिवेदन के आधार पर हम प्रमाणित करते हैं कि सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमों, 2015 (लिस्टिंग विनियम) में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मानदंडों का बैंक ने अनुपालन किया है.

हमारा यह भी कथन है कि इस तरह का अनुपालन न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता का न ही प्रबंधन द्वारा बैंक के कार्यकलापों की कार्यक्षमता या उसके प्रभावी होने का भावी आश्वासन है.

Auditors' Certificate to the Shareholders of Bank of Maharashtra

To the Members of Bank of Maharashtra

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Bank of Maharashtra for the year ended on 31.03.2019 as stipulated in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), to the extent applicable.

The Compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to the procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and the representations made by the Directors and Management, we certify that the Bank has complied with the norms of Corporate Governance as stipulated in the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations)".

We further state that such compliance is neither an assurance to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

कृते पी पारीख एंड एसोसिएट्स एफआरएनः 107564डब्ल्यू सनदी लेखाकार **for P Parikh & Associates** FRN:107564W Chartered Accountants	**कृते एम डी गुजराती एंड कंपनी** एफआरएन: 005301एन सनदी लेखाकार **for M D Gujrati & Co** FRN: 005301N Chartered Accountants	**कृते पी जी भागवत** एफआरएनः 101118डब्ल्यू सनदी लेखाकार **For P G Bhagwat** FRN: 101118W Chartered Accountants	**कृते के गोपाल राव एंड कंपनी** एफआरएन: 000956एस सनदी लेखाकार **For K Gopal Rao & Co.** FRN: 000956S Chartered Accountants
सीए जितेश जैन भागीदार सदस्यता क्र.: 114920 **CA Jitesh Jain** Parther Membership No: 114920	**सीए मनोहर दास गुजराती** भागीदार सदस्यता क्र.: 081552 **CA Manohar Das Gujrati** Parther Membership No. 081552	**सीए नचिकेत देव** भागीदार सदस्यता क्र.: 117695 **CA Nachiket Deo** Parther Membership No. 117695	**सीए के गोपाल राव** भागीदार सदस्यता क्र.: 018230 **CA K Gopal Rao** Parther Membership No. 018230

स्थान : पुणे
दिनांक : 29 अप्रैल, 2019

Place : Pune
Date : 29th April, 2019

31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2019

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2019 (Current Year)	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March 2018 (Previous Year)
पूंजी एवं दायित्व CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी Capital	1	**2753,17,14**	2598,45,44
आरक्षितियां और अधिशेष Reserves & Surplus	2	**2986,26,94**	7345,50,80
जमाराशियां Deposits	3	**140650,08,64**	138981,17,70
उधारियां Borrowings	4	**10149,17,14**	4063,71,48
अन्य देयताएं एवं प्रावधान Other Liabilities & Provisions	5	**7996,83,30**	3339,89,28
कुल TOTAL		**164535,53,16**	**156328,74,70**
आस्तियां ASSETS			
नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में शेष Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	**7919,98,63**	15809,06,25
बैंकों में शेष, मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Balances with Banks, Money at call & short notice	7	**1234,91,70**	74,89,91
निवेश Investments	8	**59697,05,14**	43622,79,88
अग्रिम Advances	9	**82666,21,11**	85797,27,75
स्थिर आस्तियां Fixed Assets	10	**1775,53,01**	1516,67,60
अन्य आस्तियां Other Assets	11	**11241,83,57**	9508,03,31
कुल TOTAL		**164535,53,16**	**156328,74,70**
आकस्मिक देयताएं Contingent Liabilities	12	**27054,53,73**	23584,23,91
वसूली हेतु बिल Bills for Collection		**4390,31,12**	4196,85,28
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां Significant accounting policies	17		
खातों पर टिप्पणियां Notes on Accounts	18		

अनुसूचियां 1 से 18 खातों का अभिन्न भाग हैं.
The Schedules 1 to 18 form an integral part of the Accounts.

डॉ. अर्चना आर. धोलकिया
निदेशक
Dr. ARCHANA R. DHOLAKIA
Director

आर. तामोधरन
निदेशक
R. THAMODHARAN
Director

वंदिता कौल
निदेशक
VANDITA KAUL
Director

दीनदयाल अग्रवाल
निदेशक
DEENDAYAL AGRAWAL
Director

जी. श्रीकुमार
निदेशक
G. SREEKUMAR
Director

हेमन्त टम्टा
कार्यपालक निदेशक
HEMANT TAMTA
EXECUTIVE DIRECTOR

ए. सी. राउत
कार्यपालक निदेशक
A.C. ROUT
EXECUTIVE DIRECTOR

ए. एस. राजीव
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
A.S. RAJEEV
MANAGING DIRECTOR & CEO

एल. डी. कौंडण्य
सहायक महाप्रबंधक, वि. प्र. व लेखा
L. D. KAUNDANYA
Asst.Gen. Manager, FM&A

वी. पी. श्रीवास्तव
सीएफओ एवं महाप्रबंधक, वि. प्र. व लेखा
V. P. SRIVASTAVA
CFO & General Manager, FM&A

स्थान : पुणे Place : Pune
दिनांक : 29 अप्रैल, 2019 Date : 29th April, 2019

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि खाता
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2019

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31st March 2019 (Current Year)	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) Year ended 31st March 2018 (Previous Year)
I. **आय INCOME**			
अर्जित ब्याज Interest earned	13	**10849,60,26**	11096,40,99
अन्य आय Other Income	14	**1547,45,43**	1506,05,48
कुल TOTAL		**12397,05,69**	**12602,46,47**
II. **व्यय EXPENDITURE**			
व्यय किया गया ब्याज Interest expended	15	**7116,11,61**	7706,67,86
परिचालन व्यय Operating Expenses	16	**3083,32,88**	2704,38,79
प्रावधान और आकस्मिकताएं Provisions & contingencies		**6981,48,84**	3337,04,63
कुल TOTAL		**17180,93,33**	**13748,11,28**
लाभ / हानि PROFIT/LOSS			
वर्ष के लिए निवल लाभ Net Profit for the year		**-4783,87,64**	-1145,64,81
जोड़े : आगे लाया गया लाभ Add: Profit brought forward		**-2543,65,86**	-1391,99,83
जोड़े : निवेश आरक्षिति से आहरण Add: Drawing from Investment Reserve		**-**	20,48,15
कुल TOTAL		**-7327,53,50**	**-2517,16,49**
विनियोग APPROPRIATIONS			
सांविधिक आरक्षिति को अंतरण Transfer to Statutory Reserve		**-**	-
पूंजी आरक्षिति को अंतरण Transfer to Capital Reserve		**32,75,72**	26,49,37
राजस्व आरक्षिति को अंतरण Transfer to Revenue Reserve		**-**	-
विशेष आरक्षिति को अंतरण Transfer to Special Reserve		**-**	-
निवेश आरक्षिति को अंतरण Transfer to Investment Reserve		**-**	-
Proposed dividend (PNCPS)			
प्रस्तावित लाभांश (ईक्विटी) Proposed dividend (Equity)		**-**	-
लाभांश पर कर Tax on Dividend		**-**	-
शेष को तुलनपत्र में आगे ले जाया गया Balance carried over to Balance Sheet		**-7360,29,22**	-2543,65,86
कुल TOTAL		**-7327,53,50**	**-2517,16,49**
प्रति शेयर अर्जन (मूल व डाइल्यूटेड) (₹) Earning per share (Basic & Diluted) (₹)		**-14.26**	-8.98

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां लाभ व हानि खाते के अभिन्न भाग हैं.
The Schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date attached.

कृते पी पारीख एंड एसोसिएट्स	**कृते एम डी गुजराती एंड कंपनी**	**कृते पी जी भागवत**	**कृते के गोपाल राव एंड कंपनी**
एफआरएन: 107564डब्ल्यू	एफआरएन: 005301एन	एफआरएन: 101118डब्ल्यू	एफआरएन: 000956एस
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
for P Parikh & Associates	**for M D Gujrati & Co**	**For P G Bhagwat**	**For K Gopal Rao & Co.**
FRN: 107564W	FRN: 005301N	FRN: 101118W	FRN: 000956S
Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants
सीए जितेश जैन	**सीए मनोहर दास गुजराती**	**सीए नचिकेत देव**	**सीए के गोपाल राव**
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्यता क्र.: 114920	सदस्यता क्र.: 081552	सदस्यता क्र.: 117695	सदस्यता क्र.: 018230
CA Jitesh Jain	**CA Manohar Das Gujrati**	**CA Nachiket Deo**	**CA K Gopal Rao**
Parther	Parther	Parther	Parther
Membership No: 114920	Membership No. 081552	Membership No. 117695	Membership No. 018230

स्थान : पुणे Place : Pune
दिनांक : 29 अप्रैल, 2019 Date : 29th April, 2019

अनुसूची -1 : पूंजी
SCHEDULE- 1 :CAPITAL

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2019 (Current Year)		31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2019 (Previous Year)	
प्राधिकृत पूंजी Authorised Capital				
400,00,00,000 Equity Shares (Previous year 300,00,00,000) of Rs. 10/- each		**4000,00,00**		**3000,00,00**
जारी व अभिदत्त Issued & Subscribed				
275,31,71,388 Equity Shares (Previous year 259,84,54,407) of Rs.10/- each				
प्रारंभिक शेष Opening Balance	**2598,45,44**		1168,33,37	
वर्ष के दौरान वृद्धि Additions during the year	**154,71,70**	**2753,17,14**	1430,12,07	2598,45,44
प्रदत्त पूंजी Paid Up Capital				
क. केंद्र सरकार द्वारा धारित a. Held by Central Government 241,56,40,414 (Previous year 226,09,23,433) Equity shares of Rs.10/- each	**2415,64,04**		2260,92,34	
ख. जनता व अन्य द्वारा धारित b. Held by the Public & Others 33,75,30,974 (Previous year 33,75,30,974) Equity Shares of Rs.10/- each	**337,53,10**		337,53,10	
घटाएं : देय आबंटन राशि Less: Allotment money due	-	2753,17,14	-	2598,45,44
कुल TOTAL		**2753,17,14**		**2598,45,44**

अनुसूची - 2 : आरक्षितियां और अधिशेष
SCHEDULE - 2 : RESERVES AND SURPLUS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2019 (Current Year)		31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2018 (Previous Year)	
I. **सांविधिक आरक्षिति STATUTORY RESERVE**				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	**1252,49,29**		1252,49,29	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	**-**	**1252,49,29**		1252,49,29
II. **पूंजीगत आरक्षिति CAPITAL RESERVE**				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	**330,63,98**		304,14,61	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	**32,75,72**		26,49,37	
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	**-**	**363,39,70**	-	330,63,98
III. **शेयर प्रीमियम SHARE PREMIUM**				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	**5293,71,62**		2937,28,26	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	**50,28,29**	**5343,99,91**	2356,43,36	5293,71,62
IV. **राजस्व व अन्य आरक्षितियां REVENUE AND OTHER RESERVES**				
क) **राजस्व आरक्षिति a) REVENUE RESERVE**				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	**1384,32,63**		1384,32,63	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	**131,24,22**		-	
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	**-**	**1515,56,85**	-	1384,32,63

	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2019 (Current Year)		31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2018 (Previous Year)	
ख) **विशेष आरक्षितियां** b) SPECIAL RESERVE				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	**498,00,00**		498,00,00	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	**-**		-	
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year		**498,00,00**		498,00,00
ग) **पुनर्मूल्यन आरक्षितियां** c) REVALUATION RESERVE				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	**1129,99,14**		1206,45,94	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	**374,35,49**		-	
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	**131,24,22**	**1373,10,41**	76,46,80	1129,99,14
घ) **निवेश आरक्षिति खाता** d) INVESTMENT RESERVE ACCOUNT				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	**-**		20,48,15	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	**-**		-	
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	**-**	**-**	20,48,15	-
V. लाभ व हानि खाते में शेष BALANCE IN PROFIT AND LOSS ACCOUNT	**-7360,29,22**	**-7360,29,22**	-2543,65,86	-2543,65,86
कुल TOTAL		**2986,26,94**		7345,50,80

अनुसूची - 3 : जमाराशियां
SCHEDULE - 3 : DEPOSITS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2019 (Current Year)		31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2018 (Previous Year)	
क A. I. **मांग जमाराशियां DEMAND DEPOSITS**				
i) बैंकों से From Banks	**110,68,73**		203,15,70	
ii) अन्यों से From others	**13052,07,83**	**13162,76,56**	11549,64,61	11752,80,31
II. **बचत बैंक जमाराशियां SAVINGS BANK DEPOSITS**		**56667,03,60**		54592,63,54
III. **मीयादी जमाराशियां TERM DEPOSITS**				
i) बैंकों से From Banks	**106,99,05**		1130,83,91	
ii) अन्यों से From others	**70713,29,43**	**70820,28,48**	71504,89,94	72635,73,85
कुल TOTAL (I, II व III)		**140650,08,64**		138981,17,70
ख B. (i) भारत में शाखाओं की जमाराशियां Deposits of Branches in India		**140650,08,64**		138981,17,70
(ii) भारत से बाहर की शाखाओं की जमाराशियां Deposits of Branches outside India		-		-
कुल TOTAL		**140650,08,64**		138981,17,70

अनुसूची - 4 : उधारियां
SCHEDULE - 4 : BORROWINGS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2019 (Current Year)	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2018 (Previous Year)
I. **भारत में उधारियां BORROWINGS IN INDIA**		
i) भारतीय रिजर्व बैंक Reserve Bank Of India	**1500,00,00**	-
ii) अन्य बैंक Other Banks	**-**	-

		31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2019 (Current Year)		31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2018 (Previous Year)	
	iii) अन्य संस्थान और एजेंसियां Other Institutions and Agencies	**5513,78,46**		715,40,87	
	iv) अन्य उधारियां Other Borrowings				
	क) नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखतें (आईपीडीआई) a) Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	**70,00,00**		70,00,00	
	ख) बांड के रूप में जारी संमिश्र ऋण पूंजी लिखतें b) Hybrid Debt Capital Instruments issued as Bonds	**400,00,00**		400,00,00	
	ग) गौण ऋण बांड c) Subordinated Debt Bonds	**1630,00,00**		1830,00,00	
	घ) इंफ्रा बांड d) Infra Bonds	**1000,00,00**	**10113,78,46**	1000,00,00	4015,40,87
II.	भारत बाहर उधारियां **BORROWINGS OUTSIDE INDIA**		**35,38,68**		48,30,61
	कुल TOTAL (I व II)		**10149,17,14**		4063,71,48
III.	उपर्युक्त I व II में शामिल जमानती उधारियां **SECURED BORROWINGS INCLUDED IN I & II ABOVE**		**6781,11,42**		-

अनुसूची - 5 : अन्य देयताएं और प्रावधान
SCHEDULE - 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2019 (Current Year)		31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2018 (Previous Year)	
I.	देय बिल Bills Payable		**416,59,84**		498,90,27
II.	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-office adjustments (net)		**432,87,65**		-
III.	उपचित ब्याज Interest Accrued		**307,71,54**		188,96,70
IV.	अन्य (प्रावधान सहित): Others (including provisions):				
	i) मानक आस्तियों पर प्रावधान Provision against standard assets	**623,10,68**		549,85,02	
	ii) अन्य देयताएं (प्रावधान सहित) Other liabilities (including provisions)	**6216,53,59**	**6839,64,27**	2102,17,29	2652,02,31
	कुल TOTAL		**7996,83,30**		3339,89,28

अनुसूची - 6 : नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में अधिशेष
SCHEDULE - 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2019 (Current Year)		31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2018 (Previous Year)	
I.	हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट शामिल हैं) Cash in hand (including foreign currency notes)		**699,14,25**		764,39,63
II.	भारतीय रिजर्व बैंक में शेष Balances with Reserve Bank of India				
	i) चालू खातों में In Current Accounts	**6310,84,38**		6644,66,62	
	ii) अन्य खातों में In other Accounts	**910,00,00**	**7220,84,38**	8400,00,00	15044,66,62
	कुल TOTAL (I व II)		**7919,98,63**		15809,06,25

अनुसूची - 7 : बैंकों में शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य धन
SCHEDULE - 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2019 (Current Year)		31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2018 (Previous Year)	
I. भारत में In India				
i) बैंकों में अधिशेष Balances with Banks in				
(क) चालू खाते (a) Current Accounts	**14,99,16**		11,54,92	
(ख) अन्य जमा खाते (b) Other Deposit Accounts	**15,18,56**	**30,17,72**	15,18,56	26,73,48
ii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Money at call and short notice				
(क) बैंकों के पास (a) With Banks	**-**		-	
(ख) अन्य संस्थानों के पास (b) With Other Institutions	**1157,23,03**	1157,23,03	-	-
कुल TOTAL (i व ii)		**1187,40,75**		26,73,48
II. भारत के बाहर Outside India				
बैंकों में अधिशेष Balances with Banks in				
(क) चालू खाते (a) Current Accounts	**-**		-	
(ख) अन्य जमा खाते (b) Other Deposit Accounts	**47,50,95**		48,16,43	
(ग) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन (c) Money at Call & Short Notice	**-**	**47,50,95**	-	48,16,43
कुल TOTAL		**47,50,95**		48,16,43
कुल जोड़ GRAND TOTAL (I व II)		**1234,91,70**		74,89,91

अनुसूची - 8 : निवेश
SCHEDULE - 8 : INVESTMENTS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2019 (Current Year)	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2018 (Previous Year)
क I भारत में निवेश A.I Investments in India in		
क) सरकारी प्रतिभूतियां (खजाना बिलों व जीरो कूपन बांडों सहित) a) Government Securities (inclusive of treasury bills & zero coupon bonds)	**42412,06,09**	38108,70,31
ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां b) Other approved securities	**-**	-
ग) शेयर्स c) Shares	**263,95,75**	356,80,21
घ) डिबेंचर्स और बांड d) Debentures and Bonds	**2444,98,67**	1909,99,18
ड़) सहायक कंपनी और / या संयुक्त उद्यम e) Subsidiaries and/or Joint Ventures	**73,42,11**	73,42,11

		31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2019 (Current Year)		31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2018 (Previous Year)	
	च) अन्य f) Others				
	i) यूटीआई / म्युच्युअल फंडों के यूनिट Units of U T I/ Mutual funds	390,04,59		275,88,69	
	ii) जमा प्रमाणपत्र Certificate of Deposits	14073,23,60		2611,48,61	
	iii) वाणिज्यिक प्रपत्र Commercial Papers	39,34,33		286,50,77	
	iv) पीटीसी PTCs	-		-	
	v) अन्य Others	-	14502,62,52	-	3173,88,07
	कुल TOTAL		59697,05,14		43622,79,88
II.	भारत से बाहर निवेश Investments outside India		-		-
	कुल TOTAL		-		-
	कुल जोड़ GRAND TOTAL (I व II)		59697,05,14		43622,79,88
ख B.	क) भारत में सकल निवेश a) Gross Investments in India	60163,68,47		44162,85,89	
	घटाएं : निवेश पर मूल्यह्रास Less: Depreciation on Investment	95,89,74		80,36,77	
	घटाएं : निवेशों पर प्रावधान Less: Provisions on Investment	370,73,59	59697,05,14	459,69,24	43622,79,88
	निवल निवेश Net Investment		59697,05,14		43622,79,88
	ख) भारत के बाहर सकल निवेश b) Gross Investments outside India	-	-		-
	कुल TOTAL (क एवं ख) (a & b)		59697,05,14		43622,79,88

अनुसूची - 9 : अग्रिम
SCHEDULE - 9 : ADVANCES

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2019 (Current Year)		31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2018 (Previous Year)	
क A.	i) बट्टाकृत व खरीदे गए बिल Bills purchased and discounted	610,24,20		534,35,91	
	ii) नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय ऋण Cash Credits, Overdrafts & Loans repayable on demand	41155,34,62		39857,84,48	
	iii) मीयादी ऋण Term Loans	40900,62,29	82666,21,11	45405,07,36	85797,27,75
	कुल TOTAL		82666,21,11		85797,27,75
ख B.	i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण पर अग्रिमें सहित) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debts)	72556,48,11		80257,35,70	
	ii) बैंक / सरकारी गांरटियों द्वारा संरक्षित Covered by Bank/Government Guarantees	5,22,33		2,34,71	
	iii) अप्रत्याभूत Unsecured	10104,50,67	82666,21,11	5537,57,34	85797,27,75
	कुल TOTAL		82666,21,11		85797,27,75

		31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) **As on 31st March, 2019 (Current Year)**		31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2018 (Previous Year)	
ग C.	I. भारत में अग्रिम Advances in India				
	i) प्राथमिकता क्षेत्र Priority Sector	**33173,96,10**		34882,77,74	
	ii) सार्वजनिक क्षेत्र Public Sector	**7520,95,76**		4723,79,78	
	iii) बैंक Banks	**8,97,45**		,56,31	
	iv) अन्य Others	**41962,31,80**	**82666,21,11**	46190,13,92	85797,27,75
	II. भारत से बाहर अग्रिम Advances outside India		-		-
कुल TOTAL (ग C.I एवं ग C.II)			**82666,21,11**		85797,27,75

अनुसूची - 10 : स्थिर आस्तियां
SCHEDULE - 10 : FIXED ASSETS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) **As on 31st March, 2019 (Current Year)**		31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2018 (Previous Year)	
I	**परिसर Premises**				
	1. विगत वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर (कुछ परिसरों के पुनर्मूल्यांकन के कारण हुई कीमत में वृद्धि शामिल है) At cost as on 31st March of the preceding year (includes increase in the value on account of revaluation of certain premises)	**1561,29,97**		1562,01,55	
	2. वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the Period	**,23,91**		,,	
	3. वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यन के कारण वृद्धि Addition on account of revaluation during the year	**1504,34,63**			
		3065,88,51		1562,01,55	
	4. अवधि के दौरान कमी Deduction during the Period	**1401,91,40**		**,71,58**	
		1663,97,11		1561,29,97	
	5 अद्यतन मूल्यह्रास Depreciation to date	**201,55,30**	**1462,41,81**	338,79,60	1222,50,37
II	प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य Capital Work in Progress		**34,38,07**		30,07,39
III	अन्य स्थिर आस्तियां (फर्नीचर व जड़ वस्तुओं सहित) Other Fixed Assets (including furniture and fixtures)				
	1. विगत वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	**1226,09,50**		1115,93,04	
	2. वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the Period	**128,19,31**		131,68,55	
		1354,28,81		1247,61,59	
	3. वर्ष के दौरान कमी Deduction during the Period	**25,57,56**		21,52,09	
		1328,71,25		1226,09,50	
	4 अद्यतन मूल्यह्रास Depreciation to date	**1049,98,12**	**278,73,13**	961,99,66	264,09,84
जोड़ TOTAL (I व II)			**1775,53,01**		**1516,67,60**

अनुसूची - 11 : अन्य आस्तियां
SCHEDULE - 11 : OTHER ASSETS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2019 (Current Year)	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2018 (Previous Year)
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-office adjustments (net)	-	340,39,03
II. उपचित ब्याज Interest accrued	1111,32,19	937,58,87
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर / स्त्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/tax deducted at source	1168,39,07	1517,69,17
IV. लेखन सामग्री और स्टांप Stationery and Stamps	2,96,26	3,70,50
V. दावों के निपटान हेतु अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियां Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	-	-
VI. अन्य Others * (incl. RIDF)	8959,16,05	6708,65,74
कुल TOTAL (I, II, III, IV, V व VI)	11241,83,57	9508,03,31

* नोटः ₹ हजार में 296,23,904 (पिछले वर्ष निवल डीटीए के ₹ हजार में 261,69,459 तिवल आस्थगित कर आस्ति सहित अन्य आस्तियां
* Note : Others assets include Net Deferred Tax asset of ₹ in thousands 296,23,904 (Previous Year Net DTA ₹ in thousands 261,69,459)

अनुसूची - 12 : आकस्मिक देयताएं
SCHEDULE - 12 : CONTINGENT LIABILITIES

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2019 (Current Year)		31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2018 (Previous Year)	
I. बैंक के विरूद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है Claims against the Bank not acknowledged as debts		1559,63,83		1387,43,47
II. आंशिक चुकता निवेशों के लिए दायित्व Liability for partly paid investments		-		-
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण दायित्व* Liability on account of outstanding forward exchange contracts*		15016,28,24		9781,97,60
IV. संघटकों की ओर से दी गई प्रतिभूतियां Guarantees given on behalf of constituents				
(क) भारत में (a) In India	8664,26,39		8837,63,70	
(ख) भारत के बाहर (b) Outside India	100,75,40	8765,01,79	546,63,27	9384,26,97
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और बाध्यताएं Acceptances,endorsements and obligations		1456,56,65		2705,92,47
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है Other items for which Bank is contigently liable		257,03,22		324,63,40
कुल TOTAL (I, II, III, IV, V व VI)		27054,53,73		23584,23,91

* वायदा विनिमय संविदाओं के संबंध में आकस्मिक देयताओं में बिक्री व खरीद दोनों प्रकार की संविदाएं शामिल हैं
* Contingent liabilities in respect of forward exchange contracts include both sale and purchase contracts

अनुसूची - 13 : अर्जित ब्याज
SCHEDULE - 13 : INTEREST EARNED

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2019 के लिए समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) For the Year Ended 31st March 2019 (Current Year)		31 मार्च 2018 के लिए समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) For the Year Ended 31st March 2018 (Previous Year)	
I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा Interest/Discount on Advances/Bills		6566,64,36		7072,70,61
II. निवेशों पर ब्याज Interest on Investments	3794,53,52		3069,36,49	
घटाएं - निवेशों का परिशोधन Less - Amortisation of Investments	104,92,67	3689,60,85	106,95,63	2962,40,86
III. भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India & other inter bank funds		356,42,07		589,67,93
IV. अन्य Others		236,92,98		471,61,59
कुल TOTAL (I, II, III व IV)		10849,60,26		11096,40,99

अनुसूची - 14 : अन्य आय
SCHEDULE - 14 : OTHER INCOME

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2019 के लिए समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) For the Year Ended 31st March 2019 (Current Year)		31 मार्च 2018 के लिए समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) For the Year Ended 31st March 2018 (Previous Year)	
I.	कमीशन विनिमय और ब्रोकरेज Commission, exchange, and brokerage		**785,63,29**		766,88,79
II.	निवेशों के विक्रय पर लाभ Profit on sale of investments	**276,87,27**		416,08,88	
	घटाएं : निवेशों के विक्रय पर हानि Less : Loss on sale of Investments	**18,13,45**	**258,73,82**	7,45,03	408,63,85
III.	निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ Profit on revaluation of Investments	**-**		-	
	घटाएं : निवेशों के पुनर्मूल्यन पर हानि Less: Loss on revaluation of Investments	**-**	**-**	**-**	-
IV.	भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ Profit on sale of land, buildings and other assets	**1,81,08**		3,20,33	
	घटाएं : भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि Less : Loss on sale of land,buildings and other assets	**1,88,04**	**6,96**	1,98,51	1,21,82
V.	विनिमय संव्यवहारों पर लाभ Profit on Exchange Transactions	**131,81,34**		110,05,09	
	घटाएं : विनिमय संव्यवहारों पर हानि Less: Loss on Exchange Transactions	**1**	**131,81,33**	-	110,05,09
VI.	भारत / विदेश में स्थित संयुक्त उद्यमों और/या सहायक कंपनियों/इत्यादि से लाभांशों के रूप में अर्जित आय Income earned by way of dividends etc. from subsidiaries/ companies and/or Joint Ventures abroad/in India		**1,52,41**		4,10,13
VII.	विविध आय Miscellaneous Income		**369,81,54**		215,15,80
कुल TOTAL (I, II, III, IV, V, VI व VII)			**1547,45,43**		1506,05,48

अनुसूची - 15 : व्यय किया गया ब्याज
SCHEDULE - 15 : INTEREST EXPENDED

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2019 के लिए समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) For the Year Ended 31st March 2019 (Current Year)	31 मार्च 2018 के लिए समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) For the Year Ended 31st March 2018 (Previous Year)
I.	जमाराशियों पर ब्याज Interest on deposits	**6750,93,57**	7133,17,28
II.	भारतीय रिजर्व बैंक / अंतर बैंक उधारियों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India / inter-bank borrowings	**29,57,25**	11,48,75
III.	अन्य Others	**335,60,79**	562,01,83
कुल TOTAL (I, II, III)		**7116,11,61**	7706,67,86

अनुसूची - 16 : परिचालन व्यय
SCHEDULE - 16 : OPERATING EXPENSES

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2019 के लिए समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) For the Year Ended 31st March 2019 (Current Year)	31 मार्च 2018 के लिए समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) For the Year Ended 31st March 2018 (Previous Year)
I.	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	**1794,16,94**	1618,06,28
II.	किराया, कर और बिजली Rent,taxes and lighting	**207,02,51**	201,57,35
III.	मुद्रण और लेखन सामग्री Printing and stationery	**17,48,98**	18,25,84
IV.	विज्ञापन और प्रचार Advertisement and publicity	**15,09,91**	13,39,71
V.	बैंक की संपत्ति पर मूल्य-ह्रास (2017-18 के लिए) Depreciation on Bank's property (For 2017-18)	**241,36,51**	128,59,13
VI.	निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय Directors' fees, allowances and expenses	**62,75**	54,03
VII.	लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (इसमें शाखा लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय शामिल हैं) Auditors' fees and expenses (incl. branch auditors' fees and expenses)	**19,05,58**	15,69,44
VIII.	विधि प्रभार Law Charges	**22,81,29**	17,87,44
IX.	डाक, तार और टेलीफोन आदि Postage, Telegrams, Telephones, etc.	**46,28,71**	40,64,40
X.	मरम्मत और अनुरक्षण Repairs and maintenance	**133,11,14**	106,62,99
XI.	बीमा Insurance	**135,47,30**	134,84,62
XII.	अन्य व्यय Other expenditure	**450,81,26**	408,27,56
कुल TOTAL (I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI व XII)		**3083,32,88**	2704,38,79

अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार :

1.1 ऐसे स्थानों को छोड़कर जहां अन्यथा उल्लेख हो संलग्न समेकित वित्तीय विवरण पूर्व लागत प्रथाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं और यह सामान्यत: अनुमोदित लेखा सिद्धान्तों (जीएएपी) जिसमें सांविधिक प्रावधानों और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाओं, विनियामक/ भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों/ दिशानिर्देश टिप्पणियों का समावेश है.

1.2 **अनुमान का उपयोग**

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन को यह अपेक्षित है कि रिपोर्टाधीन अवधि हेतु आय और व्यय की रिपोर्ट तथा वित्तीय विवरणों के दिनांक को आस्ति और देयताएं (समाश्रित दायित्व सहित) की रिपोर्ट की गई राशि में प्राक्कलन और धारणाओं पर विचार किया जाए. प्रबंधन का यह विचार है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन विवेकपूर्ण और तर्कसंगत है. भविष्य के परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं. लेखा अनुमान में किसी संशोधन की पहचान भविष्यलक्षी प्रभाव से की जाएगी जब तक कि अन्यथा का उल्लेख न हो.

1.3 ऐसे स्थानों को छोड़कर जिनका उल्लेख परिच्छेद 6.1 में किया गया है, राजस्व और लागत को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया गया है.

1.4 राजस्व अभिनिर्धारण, निवेशों व अग्रिमों से संबंधित लेखा नीतियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित विवेकपूर्ण लेखा मानदंडों के अनुसार हैं.

2. विदेशी मुद्रा संव्यवहार :

2.1 विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा पिछले सप्ताह के लिए प्रकाशित साप्ताहिक औसत अंतिम दरों पर निर्धारित किया गया है. तुलनपत्र के दिनांक को विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं का पुनर्मूल्यन विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा प्रकाशित अंतिम दरों पर किया गया है, और परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ / हानि को लाभ व हानि खाते में लेखाबद्ध किया गया है.

2.2 बकाया वायदा एक्सचेंज संविदाओं को संविदात्मक दरों पर दर्शाया गया है और विशिष्ट परिपक्वता अवधियों के लिए ''नियत आय मुद्रा बाजार एवं भारतीय व्युत्पन्न संघ'' (फिमडा) - रायटर द्वारा प्रकाशित मायफर दर अर्थात पीवी01 आधार पर लागू दरों पर बट्टे डालते हुए, फेडाई द्वारा प्रकाशित विनिमय दरों पर तुलन पत्र की दिनांक पर तिमाही आधार पर पुनर्मूल्यांकित/ बाज़ार हेतु चिन्हित किया गया है. पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ/ हानि को लाभ हानि खाते में भारतीय रिजर्व बैंक/ फेडाई दिशानिर्देशों के अनुसार लेखाबद्ध किया गया है और लाभ के मामले में इसका प्रभाव ''अन्य आस्तियों'' और हानि के मामले में इसका प्रभाव ''अन्य देयताओं'' को प्रभारित किया गया है.

2.3 विदेशी मुद्रा में जारी गारंटियों और साख पत्रों के कारण उत्पन्न आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र में, फेडाई द्वारा प्रकाशित अंतिम विनिमय दरों पर दर्शाया गया है.

2.4 अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन के ऋण विगोपन, यदि कोई हो, हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान और पूंजी आवश्यकता की व्यवस्था करनी होगी.

3. निवेश:

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का वर्गीकरण एवं मूल्यन निम्नानुसार किया गया है :

3.1 निवेश निम्नांकित श्रेणियों में वर्गीकृत किए गए हैं:

क. परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)

ख. बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)

ग. व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)

SCHEDULE 17 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. Basis of Preparation of Financial Statements:

1.1 The financial statements are prepared under the historical cost conventions except as otherwise stated and conform to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) which include statutory provisions, practices prevailing within the Banking Industry in India, the regulatory/ Reserve Bank of India ("RBI") guidelines, applicable Accounting Standards/ Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

1.2 **Use of Estimates**

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of Assets and Liabilities (including contingent liabilities) as of the date of financial statements and reported income and expenses for the period under report. Management is of the view that the estimates used in the preparation of financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates. Any revisions to the accounting estimates shall be recognized prospectively unless otherwise stated.

1.3 Revenue and costs are accounted for on accrual basis except as stated in para 6.1 below.

1.4 The accounting policies with regard to Revenue Recognition, Investments and Advances are in conformity with the prudential accounting norms and guidelines issued by Reserve Bank of India from time to time.

2. Foreign Exchange Transactions:

2.1 The foreign currency transactions are translated at the weekly average closing rates for the preceding week as published by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI). Revaluation of foreign currency assets and liabilities as on Balance Sheet date is done at the closing exchange rate published by FEDAI and the resultant profit/ loss is accounted for in the Profit & Loss Account.

2.2 Outstanding Forward Foreign Exchange Contracts are stated at contracted rates and revalued/ marked to market as on quarterly basis and on Balance Sheet date at the exchange rates published by FEDAI for specified maturities by discounting the same at the applicable MIFOR rate published by Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India [FIMMDA] - Reuter, i.e. on PV01 basis. The resulting profit/loss, on revaluation, is recognized in the Profit & Loss Account in accordance with RBI / FEDAI guidelines and the effect is taken to "Other Assets" in case of gain or to "Other Liabilities" in case of loss.

2.3 Contingent Liabilities on account of Guarantees and Letters of Credit issued in foreign currency are stated in the Balance Sheet at the closing exchange rates published by FEDAI.

2.4 Credit exposure of the un-hedged foreign currency exposure, if any, of the constituents shall attract provisioning and capital requirements as per RBI guidelines.

3. Investments:

As per Reserve Bank of India guidelines, the investments are classified and valued as under:

3.1 Investments are classified in the following categories:

a. Held to Maturity (HTM)

b. Available for sale (AFS)

c. Held for trading (HFT)

3.2 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फॉर्म ए की आवश्यकता के अनुसरण में सभी निवेशों को आगे निम्नांकित छह श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

क. सरकारी प्रतिभूतियां
ख. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
ग. शेयर्स
घ. डिबेंचर तथा बांड
ङ. सहायक कंपनियां तथा संयुक्त उद्यम
च. अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युच्युअल फंड यूनिट इत्यादि)

3.3 बैंक अधिग्रहण के समय प्रत्येक निवेश की श्रेणी का निर्धारण करता है और तदनुसार उनका वर्गीकरण करता है. ''व्यापार हेतु धारित'' से ''बिक्री हेतु उपलब्ध'' श्रेणी में अंतरण को छोडकर, निदेशक मंडल के अनुमोदन से वर्ष में एक बार अंतरण की तारीख को अधिग्रहण लागत/ बही मूल्य/ बाजार मूल्य, तीनों में से जो मूल्य कम हो उस पर प्रतिभूतियों का एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में अंतरण किया जाता है. ऐसे अंतरण के कारण यदि कोई मूल्यह्रास लागू होता है तो उसका प्रावधान किया जाता है और तदनुसार प्रतिभूतियों का बही मूल्य समायोजित किया जाता है. एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में अंतरण भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों या उसकी अनुमति से किया जाता है. 'व्यापार के लिए धारित' श्रेणी से निवेशों की 'बिक्री हेतु उपलब्ध' श्रेणी में अंतरण, अपवादात्मक परिस्थितियों जैसे कठिन तरलता स्थितियों के कारण 90 दिनों में प्रतिभूतियों की बिक्री न कर पाने या अत्यधिक उतार-चढाव या बाजार के एक ही दिशा में संचलन के कारण उत्पन्न स्थितियों में ही किया जाएगा.

3.4 रेपो/रिवर्स रेपो :

रेपो और रिवर्स रेपो संव्यवहारों को लेखाबद्ध करने के लिए बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्विर्दिष्ट समान लेखा पद्धति को अपनाया है. रेपो और रिवर्स रेपो संव्यवहारों को सहमत शर्तों पर पुनर्खरीद के समझौते के साथ सहायक उधारियां/ ऋण परिचालन माना जाता है. रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियों को निवेश के अंतर्गत दर्शाया जाना जारी रखा जाता है और रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियों को निवेश में शामिल नहीं किया जाता है. बकाया रेपो/ मीयादी रेपो का प्रकटन उधारियों के रूप में और बकाया रिवर्स रेपो का प्रकटन ऋण के रूप में किया जाता है. लागत और राजस्व का लेखांकन ब्याज व्यय/ आय, जैसा भी मामला हो, के रूप में किया जाता है.

3.5 लागत भारित औसत मूल्य पद्धति के आधार पर निवेशों का निर्धारण किया जाता है.

खंडित अवधि के लिए ब्याज अवधि/ खरीद के समय खंडित अवधि के लिए प्राप्त ब्याज/ स्थिर आय प्रतिभूतियों की बिक्री को राजस्व व्यय के रूप में समझा जाएगा.

निवेश की राशि से निवेश की बिक्री/ खरीद के समय प्रदत्त/ प्राप्त प्रोत्साहन राशि/ ब्रोकरेज की कटौती/योग किया गया है.

3.6 निवेशों का मूल्यन :

क. परिपक्वता तक धारित :

(i) परिपक्वता तक धारित प्रतिभूतियों का मूल्यन भारित औसत लागत पर किया गया है. जहां कहीं लागत, अंकित मूल्य से अधिक है, वहां प्रीमियम का परिशोधन परिपक्वता की शेष अवधि में सीधी रेखा पद्धति से किया गया है. निवेशों के मामले में जहां लागत मूल्य अंकित मूल्य से कम है, इस अंतर पर ध्यान नहीं दिया गया है.

(ii) सहायक प्रतिष्ठानों और संयुक्त उद्यमों में निवेशों के मामले में मूल्यों में आई स्थायी कमी को अभिनिर्धारित तथा प्रावधान किया गया है. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में निवेशों को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया गया है.

(iii) इस श्रेणी में निवेश के विक्रय पर (क) निवल लाभ को पहले लाभ हानि लेखे में लेखाबद्ध किया गया और उसके बाद ऐसे लाभ (लागू कर और आनुपातिक सांविधिक आरक्षिति का निवल) को आरक्षित पूंजी खाते में विनियोजित किया गया तथा (ख) निवल हानि को लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया गया है.

3.2 All the investments are further classified in the following six baskets in conformity with the requirement of Form-A of Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949:

a. Government Securities
b. Other approved Securities
c. Shares
d. Debentures and Bonds
e. Subsidiaries and Joint Ventures
f. Others (Commercial Papers, Mutual Fund Units etc.)

3.3 Bank decides the category of each investment at the time of acquisition and classifies the same accordingly. Shifting of securities from one category to another, other than shifting / transfer from HFT to AFS category, is done once in a year with the approval of Board of Directors, at the least of acquisition cost / book value / market value on the date of shifting. The depreciation, if any, on such shifting is provided for and the book value of the security is adjusted accordingly. The transfer of securities from one category to another is made as per permission from or guidelines of RBI. Transfer / shifting of investments from HFT to AFS category will be executed under exceptional circumstances, like not being able to sell the securities within 90 days due to tight liquidity conditions, or extreme volatility, or market becoming unidirectional.

3.4 REPO / Reverse REPO

The Bank has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of market Repo and Reverse Repo transactions. Repo and Reverse Repo transactions are treated as Collateralized Borrowing / Lending Operations with an agreement to repurchase on the agreed terms. Securities sold under Repo are continued to be shown under investment and Securities purchased under Reverse Repo are not included in investment. Outstanding Repo / Term Repo is disclosed as borrowing and outstanding Reverse Repo is disclosed as lending. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

3.5 Cost of investments is determined on the basis of Weighted Average Price method.

Interest paid for broken period / interest received for broken period at the time of purchase / sale of fixed income securities is treated as revenue expenditure / income.

Brokerage / incentive received / paid at the time of purchase/ sale of investment is deducted / added from the amount of investment.

3.6 Valuation of investments:

a. Held to Maturity:

(i) Securities under the category 'Held to Maturity' are valued at weighted average acquisition cost. Wherever the cost of security is higher than the face value, the premium is amortized over the remaining period of maturity on straight line basis. In case of investments, where the cost price is less than the face value, the difference is ignored.

(ii) In case of investments in subsidiaries and joint ventures permanent diminution in value is recognized and provided for; investment in RRB is valued at carrying cost.

(iii) On sale of investments in this category (a) the net profit is initially taken to profit and loss account and thereafter such profit net of applicable taxes and proportionate transfer to statutory reserve is appropriated to the 'Capital Reserve account'; and (b) the net loss is charged to the Profit & Loss Account.

ख. बिक्री हेतु उपलब्ध :

इस श्रेणी के अंतर्गत वैयक्तिक प्रतिभूतियों को तिमाही आधार पर बाज़ार हेतु चिन्हित (मार्क-टू-मार्केट) किया गया है. केंद्र/राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यन 'नियत आय मुद्रा बाजार एवं भारतीय व्युत्पन्न संघ' (फिमडा) द्वारा घोषित बाजार मूल्यों पर किया गया है. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, डिबेंचर एवं बांड का मूल्यन प्रतिफल, औसत ऋण प्रसार रेटिंग और फिमडा द्वारा सुझाई गई पद्धति से किया गया है. उद्धृत (कोटेड) शेयरों का मूल्यन बाजार दर से किया गया है. अनुद्धृत (अनकोटेड) शेयरों का मूल्यन नवीनतम उपलब्ध तुलनपत्र, अर्थात तत्काल पिछले वर्ष के तुलनपत्र से प्राप्त बही मूल्य से किया गया है तथा यदि नवीनतम तुलनपत्र उपलब्ध नहीं है तो शेयर का मूल्यन ₹1/- प्रति कंपनी/ शेयर किया गया है.

बट्टागत लिखतों में निवेश, जैसे खजाना बिल, जमाराशि प्रमाणपत्र और वाणिज्यिक पेपर्स, जीरो कूपन बांड का मूल्यन, रखाव लागत पर किया गया है. म्यूच्युअल फंड लिखतों का मूल्यन क्रमशः बाजार मूल्य पर अथवा उनकी उपलब्धता के आधार पर पुनर्खरीद मूल्य या निवल आस्ति मूल्य पर किया गया है. आस्ति पुनर्गठन कंपनियों को बेची गई वित्तीय आस्तियों के मामले में आस्ति पुनर्गठन कंपनियों (एआरसी) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों/ पीटीसी में निवेशों का मूल्यन वित्तीय आस्तियों के उन्मोचन मूल्य और निवल बही मूल्य में से (अर्थात बही मूल्य में से किया गया प्रावधान घटाकर) जो भी कम हो, उस कीमत पर किया जाता है.

'बिक्री हेतु उपलब्ध' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत छः उप-श्रेणियों के उपर्युक्त मूल्यांकन के आधार पर :

(i) यदि आंकड़ों का परिणाम अधिमूल्यन है तो इस पर ध्यान नहीं दिया गया है.

(ii) यदि आंकड़ों का परिणाम निवल मूल्यह्रास है तो उसे लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया गया है और इसे देयता भाग में निवेशों पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान खाते में जमा किया गया है.

बशर्ते कि रणनीतिक ऋण पुनर्गठन (एसडीआर) के कार्यान्वन के अनुवर्ती आबंटित इक्विटी शेयरो पर कोई मूल्यह्रास, यदि हो, तो इसे इक्विटी में ऋण के परिवर्तन के दिनांक से स्ट्रेट लाईन आधार पर अधिकतम 4 कैलेंडर तिमाहियों के लिए प्रदान किया जाएगा

(iii) जहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक हो, वहाँ छोड़कर पुनर्मूल्यन के बाद बाज़ार हेतु चिन्हित प्रतिभूतियों के बही मूल्य को बदला नहीं गया है.

(iv) इस श्रेणी में निवेश के विक्रय से हुए लाभ या हानि को लाभ तथा हानि खाते में लेखाबद्ध किया गया है.

ग. व्यापार हेतु धारित :

i. इस श्रेणी के अंतर्गत वैयक्तिक प्रतिभूतियों को मूल लागत पर धारित किया गया है और प्रत्येक माह इन्हें बाजार को अंकित किया जाता है. राज्य/ केन्द्र सरकार के प्रतिभूतियों का मूल्यन भारतीय स्थिर आय मुद्रा बाजार और डेरिवेटिव संघ (फिमडा) द्वारा घोषित बाजार दरों के अनुसार किया गया है. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां और डिबेंचर तथा बॉन्डों का मूल्यन आय कर्व, औसत ऋण अंतर रेटिंग और फिम्डा द्वारा सुझायी गई पद्धति से किया गया है. कोट किए गए शेयरों का मूल्यांकन बाजार दर पर किया गया है.

ii. बट्टाकृत लिखतों में निवेश अर्थात खजाना बिल, जमा का प्रमाणपत्र और वाणिज्यिक प्रपत्र, जीरो कूपन बॉन्ड का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया गया है. म्युचुअल फंड लिखतों का मूल्यांकन उनकी उपलब्धता के आधार पर बाजार दरों या पुनर्खरीदी मूल्य या निवल आस्ति मूल्य के आधार पर किया गया है. प्रतिभूति रसीद/ प्रतिभूति पुनर्निर्माण कंपनियों को बेची गई वित्तीय आस्तियों के संबंध में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी पीटीसी में निवेश को वित्तीय आस्ति के प्रतिदान मूल्य और निवल बहीमूल्य (अर्थात बहिमूल्य (-) धारित प्रावधान) में से कम पर आगे लाया गया है.

iii. निवल समूहवार मूल्यह्रास, यदि कोई है, को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है और दायित्व पक्ष में निवेश (व्यापार हेतु धारित) पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान को जमा किया गया है. यदि कोई निवल वृद्धि हुई है तो उसे छोड़ दिया गया है. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों की अपेक्षा को छोड़कर पुनर्मूल्यांकन के पश्चात प्रतिभूतियों के बहीमूल्य को बदला नहीं गया है.

b. Available for Sale:

The individual securities under this category are marked to market on a quarterly basis. Central/ State Government securities are valued at market rates declared by FIMMDA. Other approved securities, debentures and bonds are valued as per the yield curve, average credit spread rating and methodology suggested by FIMMDA. Quoted shares are valued at market rates. Unquoted shares are valued at break-up value ascertained from the latest available Balance Sheet i.e. Balance Sheet of immediate preceding year and in case the latest Balance Sheet is not available, the same is valued at ₹1/- per company / scrip.

Investments in discounted instruments, viz. Treasury Bills, Certificate of Deposits, Commercial Papers, Zero Coupon Bonds are valued at carrying cost. Mutual Fund Instruments are valued at market rate or repurchase price or net asset value in that order depending on their availability. Investments in Security Receipts (SRs) /Pass Through Certificates (PTCs) issued by Asset Reconstruction Companies (ARCs) in respect of financial assets sold to ARCs are carried at lower of redemption value and net book value (i.e. book value less provision held) of the financial assets.

Based on the above valuation under each of six-sub classifications under `Available for Sale':

(i) If it results in appreciation, the same is ignored.

(ii) If it results in net depreciation, the same is charged to Profit & Loss account and credited to Provision for Depreciation on Investments (AFS) in the liability side.

Provided that, depreciation, if any, on equity shares allotted consequent to implementation of Strategic Debt Restructuring (SDR) shall be provided for over a maximum of 4 calendar quarters on straight line basis from the date of conversion of debt into equity.

(iii) The book value of securities is not changed in respect of marked to market (MTM) except as required by the RBI guidelines.

(iv) Profit or Loss on sale of investment in this category is accounted for in the Profit and loss account.

c. Held for Trading:

(i) The individual securities under this category are held at original cost and are marked to market every month. Central/ State Government securities are valued at market rates declared by FIMMDA. Other approved securities, debentures and bonds are valued as per the yield curve; average credit spread rating and methodology suggested by FIMMDA. Quoted Shares are valued at market rates.

(ii) Investments in discounted instruments, viz. Treasury Bills, Certificate of Deposits, Commercial Papers, Zero Coupon Bonds are valued at carrying cost. Mutual Fund Instruments are valued at market rate or repurchase price or net asset value in that order depending on their availability. Investments in SRs / PTCs issued by ARCs in respect of financial assets sold to ARCs are carried at lower of redemption value and net book value (i.e. book value less provision held), of the financial assets.

(iii) Net basket-wise depreciation if any, is charged to Profit & Loss Account and credited to Provision on Depreciation on Investment (HFT) under liability. Net appreciation, if any is ignored. The book value of the securities is not changed after revaluation except as required by the RBI guidelines.

iv. इस श्रेणी में निवेश के विक्रय पर उत्पन्न लाभ या हानि को लाभ-हानि खाते में लेखाबद्ध किया गया है.

क. पुनर्गठित निवेशों पर शामिल निवेशों पर प्रावधान और उनका वर्गीकरण समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों और उनके द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसरण में किया गया है.

ख. प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के समय उपचित लागत जैसे कि ब्रोकरेज, फीस, कमीशन, कर इत्यादि का पूंजीकरण किया गया है.

च. ब्याज दर स्वैप :

(i) मूल्यांकन :

क) **हेजिंग स्वैप** : आस्ति और देयताओं के लिए हेजिंग ब्याज दर स्वैप को बाजार के लिए अंकित नहीं किया गया है.

ख) **ट्रेडिंग स्वैप** : ट्रेडिंग के उद्देश्य हेतु ब्याज दर स्वैप को बाजार को अंकित किया गया है.

(ii) डेरिवेटिव सौदों पर आय का लेखांकन :

क) **हेजिंग स्वैप:** आय का लेखांकन वसूली के आधार पर किया गया है. यदि कोई निश्चित किया जाने वाला खर्च है तो उसका लेखांकन संचयी आधार पर किया गया है.

ख) **ट्रेडिंग स्वैप** : निपटारा दिनांक पर वसूली के आधार पर आय और खर्च का लेखांकन किया गया है.

(iii) स्वैप समाप्ति पर आय या हानि का लेखा:

क) **हेजिंग स्वैप** : समाप्त हुए स्वैप पर हुई किसी भी हानि या लाभ को (क) स्वैप की शेष बची संविदात्मक अवधि या (ख) आस्ति/ देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, की अवधि के लिए स्वीकार किया गया है.

ख) **ट्रेडिंग स्वैप :** स्वैप समाप्ति पर किसी भी लाभ या हानि को स्वैप समाप्ति के वर्ष में ही आय या खर्च के रूप में स्वीकार किया गया है.

4. अग्रिम:

4.1 दर्शाए गए अग्रिम बट्टे डाले गये खातों, अनर्जक आस्तियों हेतु किए गए प्रावधान, ऋण गारंटी संस्थानों से निपटाए गए दावों, पुनर्भांजित बिलों और पुनर्गठित अग्रिमों के लिए उचित मूल्य में अवनति के लिए प्रावधान का निवल है.

4.2 प्रावधानों और अग्रिमों का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट विवेकपूर्ण मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है.

4.3 पुनर्निर्धारित मानक अग्रिमों पर प्रावधान को छोड़कर अर्जक आस्तियों पर प्रावधान को 'अन्य देयताओं व प्रावधान' शीर्ष में दर्शाया गया है.

4.4 पुनर्निर्धारित/ पुनर्संरचित खातों के संबंध में, पुनर्गठित अग्रिमों के उचित मूल्य में अवनति के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक की दिशानिर्देशों के अनुसार वर्तमान मूल्य आधार पर किया गया है।

4.5 आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी)/ प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) को बेची गई वित्तीय आस्तियों के मामले में यदि विक्रय निवल बहीमूल्य (एनबीवी) से अधिक मूल्य पर हुआ है तो अधिशेष बचाकर रखा जाता है और एससी/ एआरसी को अन्य वित्तीय संपत्तियों की बिक्री के खाते में कमी/ हानि को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है. यदि विक्रय निवल बहीमूल्य (एनबीवी) से कम मूल्य पर हुआ है, (बकाया से कम प्रावधान) तो कमी को लाभ और हानि खाते से नामे किया जाता है. तथापि अगर अधिशेष उपलब्ध है तो इन कमियों को अधिशेष द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा. एनपीए की बिक्री के कारण किसी प्रकार की कमी को अधिशेष द्वारा अवशोषित न के जाने पर उसे 2 वर्षों की अवधि के लिए परिशोधित किया जाएगा.

एनपीए की बिक्री के कारण किए जानेवाले अतिरिक्त प्रावधान को तभी उलटा जाता है जब प्राप्त नकदी (आरंभिक प्रतिफल/ एसआर/ पीटीसी के प्रतिदान के द्वारा) आस्ति के विक्रय निवल बहीमूल्य (एनबीवी) से अधिक हो. आस्तियों के एनबीवी से अधिक की नकदी के लिए ही अतिरिक्त प्रावधान का प्रत्यावर्तन किया जाएगा.

5. स्थिर आस्तियां एवं मूल्यह्रास:

5.1 पुनर्मूल्यांकित और पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर उल्लिखित कतिपय परिसरों को छोड़कर परिसर और अन्य स्थिर आस्तियों को लागत पर लेखाबद्ध किया गया है.

(iv) Profit or loss on sale of investment in this category is accounted for in the Profit & Loss Account.

a. Classification of and provisions on investments, including on restructured investments, are made in accordance with the prudential norms prescribed by and guidelines of RBI from time to time.

b. Costs such as brokerage, fees, commission, taxes etc. incurred at the time of acquisition of securities are capitalized.

f. Interest Rate Swaps:

(i) Valuation:

(a) **Hedging Swaps**: Interest Rate Swaps for hedging assets and liabilities are not marked to market.

(b) **Trading Swaps**: Interest Rate Swaps for trading purpose are marked to market.

(ii) Accounting of income on derivative deals:

(a) **Hedging Swaps**: Income is accounted for on realization basis. Expenditure, if any, is accounted for on accrual basis, if ascertainable.

(b) **Trading Swaps**: Income or expenditure is accounted for on realization basis on settlement date.

(iii) Accounting of gain or loss on termination of swaps:

(a) **Hedging Swaps**: Any gain or loss on the terminated swap is recognized over the shorter of (a) the remaining contractual life of the swap or (b) the remaining life of the asset/ liability.

(b) **Trading Swaps:** Any gain or loss on terminated swap is recognized as income or expenditure in the year of termination.

4. Advances:

4.1 Advances shown are net of write offs, provisions made for non-performing assets, claims settled with the credit guarantee institutions, provision for diminution in fair value for restructured advances and bills rediscounted.

4.2 Classification of advances and provisions thereon are made in accordance with the prudential norms prescribed by and guidelines of RBI from time to time.

4.3 Provision for performing assets, other than provision on standard restructured advances, is shown under the head "Other liabilities and provisions".

4.4 In respect of Rescheduled/ Restructured accounts, provision for diminution in fair value of restructured advances is made on present value basis as per RBI guidelines.

4.5 In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC)/ Securitization Company (SC), if the sale is at a price higher than the NBV, the surplus is retained and utilised to meet the shortfall/loss on account of sale of other financial assets to SC/ARC. If the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. outstanding less provision held) the shortfall is to be debited to the Profit and Loss account. However if surplus is available, such shortfall will be absorbed in the surplus. Any shortfall arising due to sale of NPA will be amortised over a period of two years if not absorbed in the surplus.

Excess provision arising out of sale of NPAs are reversed only when the cash received (by way of initial consideration only/or redemption of SRs/PTC) is higher than the net book value (NBV) of the asset. Reversal of excess provision will be limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset.

5. Fixed Assets and Depreciation:

5.1 Premises and Other Fixed Assets are accounted for at cost except for certain premises, which were revalued and stated at revalued amount.

5.2 पुनर्मूल्यांकित आस्तियों, जिनके संबंध में उच्च मूल्यहास इन पुनर्मूल्यांकित परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर लगाया जाता है, को छोड़कर स्थिर आस्तियों (नीचे उल्लिखित अनुच्छेद 5.3 और 5.4 में उल्लिखित संपत्तियों को छोड़कर) पर मूल्यहास, ह्रासमान शेष पद्धति से नीचे उल्लिखित दरों पर लगाया गया है.

अ.क्र.	आस्तियों की श्रेणी	मूल्यह्रास की दर (%)
1	भवन और परिसर	5.00
2	सेफ सहित सामान्य मदें	18.10
3	इलेक्ट्रिकल	13.91
4	ऑफिस मशीनरी	13.91
5	मोटर वाहन	25.89
6	सेफ डिपॉजिट वॉल्ट	13.91
7	बाईसिकल	20.00

5.3 कंप्यूटरों पर मूल्यहास सरल रेखा पद्धति (एसएलएम) से 33.33% की दर पर किया गया है ताकि भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आस्ति का मूल्यह्रासित मूल्य तीन वर्षों में 1 रुपया रह जाए. कंप्यूटरों में सॉफ्टवेयर, एटीएम और यूपीएस भी शामिल हैं.

5.4 वर्ष के दौरान खरीदी गई संपत्तियों पर पूरे वर्ष का मूल्यहास लगाया गया है. वर्ष के दौरान बेची गई/ त्यागी गई संपत्तियों पर कोई मूल्यहास नहीं लगाया गया है.

5.5 पुनर्मूल्यांकित आस्तियों की लागत के ऊपर पुनर्मूल्यांकित रकम से संबंधित मूल्यह्रास स्थिर संपत्ति के बचे हुए जीवन के आधार पर ह्रासमान शेष पद्धति के आधार पर लगाया गया है जैसा कि उपरोक्त पैरा 5.2 में उल्लेख किया गया है और उसे लाभ व हानि खाते में नामे किया गया है. पूरी तरह से मूल्यह्रासित संपत्तियों पर पुनर्मूल्यन आरक्षिति का परिशोधन अनुमोदित मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा प्रमाणित उनके शेष बचे जीवन के आधार पर किया गया है. इसके अतिरिक्त, समकक्ष राशि को पुनर्मूल्यन आरक्षिति से राजस्व आरक्षिति में अंतरित किया गया है।

5.6 पट्टेवाली भूमि का परिशोधन पट्टा अवधि में सरल रेखा पद्धति (एसएलएम) पर किया गया है.

6. राजस्व अभिनिर्धारण :

6.1 नकदी आधार पर लेखाबद्ध निम्नांकित मदों को छोड़कर, सभी राजस्व और लागतों को संचयी आधार पर लेखाबद्ध किया गया है :-

क. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विवेकपूर्ण मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्ति के रूप में अभिनिर्धारित अग्रिमों एवं निवेशों पर ब्याज

ख. कमीशन से आय यथा-गारंटी, साख पत्र, सरकारी कारोबार, बैंक-बीमा कारोबार, म्युचुअल फण्ड व्यवसाय, जारी क्रेडिट और डेबिट कार्ड और लॉकर किराया

ग. खरीदे गए तथा भांजित बिलों पर अतिदेय अवधि के लिए ब्याज

घ. बीमा दावे

च. डिबेंचर न्यासी व्यवसाय पर पारिश्रमिक

छ. ऋण प्रक्रिया शुल्क

ज. व्यापारी बैंकिंग परिचालन व हामीदारी कमीशन से आय

झ. इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से यूटिलिटी बिल भुगतान सेवाओं पर प्राप्त संव्यवहार प्रसंस्करण शुल्क

6.2 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में अतिदेय जमाराशियों पर देय ब्याज का प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 22.08.2008 के परिपत्र के दिनांक से उपचय आधार पर किया गया है तथा शेष का प्रावधान नवीकरण के समय किया गया है.

7. कर्मचारी अनुलाभ:

परिभाषित अंशदान योजना : परिभाषित अंशदान अनुलाभ योजनाओं के अंतर्गत अदा किए गए/ अदा किए जाने वाले अंशदान को लाभ-हानि खाते को प्रभारित किया गया है.

5.2 Depreciation on fixed assets (other than those referred in para 5.3 and 5.4 below) is provided for on the diminishing balance method at the rates specified below, except in case of revalued assets, in respect of which higher depreciation is provided on the basis of estimated useful life of these revalued assets.

S.N.	Category of Asset	Rate of Depreciation (%)
1	Building & Premises	5.00
2	General items including Safe	18.10
3	Electrical	13.91
4	Office Machinery	13.91
5	Motor Vehicles	25.89
6	Safe Deposit Vault	13.91
7	Bicycle	20.00

5.3 On computers, depreciation is provided at the rate of 33.33% on Straight Line Method (SLM) so as to write down the asset value in three years to Rupee One as per RBI guidelines. Computers include software, ATMs and UPS also.

5.4 Depreciation is provided for full year in respect of assets purchased during the year. No depreciation is provided on assets sold/discarded during the year.

5.5 Depreciation relating to revalued amount over and above the cost of the revalued assets, is provided on diminishing balance method over the residual life of the fixed assets as stated in para 5.2 and is debited to Profit & Loss Account. Revaluation Reserve on fully depreciated properties is amortized on the basis of their residual life as certified by approved valuers. Further Equivalent amount has been transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve

5.6 Leasehold land cost is amortized over the period of lease on SLM basis.

6. Revenue Recognition:

6.1 All revenues and costs are accounted for on accrual basis except the following items, which are accounted for on cash basis:-

a. Interest on Advances and Investments identified as Non-Performing Assets according to the prudential norms and guidelines issued by RBI, from time to time.

b. Income from commission viz., on Guarantees, Letter of Credit, Government business, Bancassuarance, Mutual Fund business, credit & debit cards issued and Locker Rent.

c. Interest for overdue period on bills purchased and bills discounted.

d. Insurance claims.

e. Remuneration on Debenture Trustee Business.

f. Loan Processing Fees.

g. Income from Merchant Banking Operations and Underwriting Commission.

h. Transaction processing fees received on utility bill pay services through internet banking.

6.2 Pursuant to RBI guidelines, the interest payable on overdue term deposit is provided on accrual basis at Saving Bank rate effective from date of RBI circular dated 22.08.2008, on the balance at the time of renewal.

7. Employees' Benefits:

Defined Contribution Plan: The contribution paid/ payable under defined contribution benefit schemes are charged to Profit & Loss Account.

परिभाषित अनुलाभ योजना : परिभाषित अनुलाभ योजनाओं हेतु बैंक की देयताओं का निर्धारण प्रत्येक तिमाही/ वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उपचित मूल्यांकन आधार पर किया गया है. बीमांकिक लाभ और हानि को लाभ व हानि खाते में दर्शाया गया है.

8. **आस्तियों की हानि:**

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 28 - आस्तियों की क्षति के अनुसार पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित स्थिर आस्तियों की हानि, यदि कोई है, को दर्शाया गया है और लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया गया है.

9. **प्रावधान, आकस्मिक देयता और आकस्मिक आस्ति:**

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी मानक 29 'प्रावधान-आकस्मिक देयता और आकस्मिक आस्ति' के अनुसार बैंक ने प्रावधान का निर्धारण केवल तब ही किया है जब किसी पूर्व घटना के कारण उसका वर्तमान में दायित्व उत्पन्न हुआ हो. यह संभव है कि दायित्व का निपटान करने हेतु आर्थिक लाभों से युक्त संसाधनों के बाहरी प्रवाह की आवश्यकता पड़ेगी जब दायित्व की रकम का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकेगा.

वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों का निर्धारण नहीं किया गया है क्योंकि इसके कारण ऐसी आय का निर्धारण हो सकता है जो कभी वसूल न हुई हो.

10. **निवल लाभ, प्रावधान एवं आकस्मिकताएं** :

प्रावधान और आकस्मिकताएं करने के पश्चात निवल लाभ घोषित किए गए हैं, जिसमें निवेश का मूल्य, अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते डालना और कराधान हेतु प्रावधान (आस्थगित करसहित) और धोखाधड़ी और आकस्मिक व्यय/ अन्य सहित अग्रिमों के लिए प्रावधान शामिल हैं.

11. **आयकर :**

वर्ष के लिए किये गये कर प्रावधानों में वर्तमान आयकर और आस्थगित कर की देयताएं शामिल हैं. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 22 की शर्तों के अनुसार कर-योग्य आय तथा लेखा योग्य आय के बीच समय अन्तर और विवेकपूर्ण विचार की शर्त के अधीन आस्थगित कर आस्तियों/ देयताओं की पहचान की गई है. आस्थगित कर आस्तियों/ देयताओं पर कर दरों में परिवर्तिन के प्रभावों को परिवर्तन की प्रभावी अवधि में लाभ और हानि खाते में निर्धारित किया गया है.

आस्थगित कर आस्ति और देनदारियों को कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके मापा जाता है जो कि तुलन पत्र की तारीख द्वारा अधिनियमित या वास्तविक रूप से लागू किए गए हैं.

आस्थगित कर आस्ति की पहचान तब तक है जब तक कि भविष्य में संपत्ति के होने की उचित निश्चितता है. कराधान कानूनों के तहत असंतुलित अवमूल्यन या आगे की हानि के मामलों में, सभी आस्थगित कर संपत्ति केवल तभी पहचानी जाती है, जब इस तरह की परिसंपत्तियों की पूर्ति की आभासी निश्चितता साक्ष्य के आधार पर समर्थित होती है. तुलन पत्र की प्रत्येक तारीख को आस्थगित कर आस्ति की समीक्षा की जाती है और राशि को प्रतिबिंबित करने के लिए उचित रूप से समायोजित किया जाता है जो कि यथोचित/ वास्तविक रूप से निश्चित होना चाहिए.

आयकर के रिफंड पर ब्याज आय का लेखांकन उस वर्ष में लिया गया है जब संबंधित प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया.

आयकर प्राधिकारियों द्वारा उठाई गई मांग उस पर ब्याज सहित तब प्रदान की गई जब ऐसी मांग को उच्च न्यायालय द्वारा कायम रखा गया.

12. **प्रति शेयर अर्जन :**

बैंक द्वारा आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक (एएस - 20) - 'प्रति शेयर अर्जन' के अनुरूप प्रति ईक्विटी शेयर मूल और कम किए गए अर्जन की रिपोर्ट दी गई है. प्रति शेयर मूल कमाई का निर्धारण निवल लाभ को अवधि के लिए बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर किया गया है. प्रति इक्विटी शेयर कम किए गए अर्जन की गणना अवधि के दौरान बकाया डाइल्यूटिव इक्विटी शेयरों और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या का उपयोग कर की गई है.

अवधि के दौरान इक्विटी शेयर जारी करने के लिए यदि प्रतिभूति या अन्य संविदाओं का उपयोग किया जाता है तो प्रति शेयर कम किया गया अर्जन संभावित मन्दन को प्रतिबिंबित करता है जो प्रति शेयर अर्जन में प्रदर्शित हो सकता है.

Defined Benefit Plans: Bank's liabilities towards defined benefit schemes are determined on the basis of an actuarial valuation made at the end of each quarter/financial year. Actuarial gains and losses are recognized in the Profit & Loss Account.

8. **Impairment of Assets:**

Impairment losses if any, on fixed assets including revalued fixed assets are recognized in accordance with Accounting Standard 28- Impairment of Assets issued by the ICAI and charged to Profit & Loss Account.

9. **Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:**

As per the Accounting Standard 29-"Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" issued by ICAI, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of the income that may never be realized.

10. **Net Profit, Provisions and Contingencies:**

The Net Profit disclosed is after making the Provisions and Contingencies which include adjustment to the value of investments, write off of bad debts, provision for taxation (including deferred tax), and provision for advances including cases identified as fraud and contingencies /others.

11. **Income Tax:**

The provision for tax for the year comprises liability towards current Income Tax and Deferred Tax. The deferred tax asset/ liability is recognized, subject to the consideration of prudence, taking into account the timing differences between the taxable income and accounting income, in terms of the Accounting Standard 22 issued by ICAI. The effect of change in tax rates on deferred tax assets and liabilities is recognized in the Profit & Loss Account in the period of applicability of the change.

Deferred tax assets and liabilities are measured using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date.

Deferred tax assets are recognized only to the extent there is reasonable certainty that the assets can be realized in future. In cases of unabsorbed depreciation or carried forward loss under taxation laws, all deferred tax assets are recognized only if there is virtual certainty of realization of such assets supported by convincing evidence. Deferred tax assets are reviewed at each balance sheet date and appropriately adjusted to reflect the amount that is reasonably/ virtually certain to be realized.

Interest income on refund of Income Tax is accounted for in the year the order is passed by the concerned authority.

The demand raised by the Income Tax authorities including the interest thereon is provided for when such demand is upheld by High Court.

12. **Earnings per Share:**

The bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with the Accounting Standard (AS-20) "Earnings Per Share" issued by ICAI. Basic Earnings per share is arrived by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. The diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

Diluted earnings per share reflects the potential dilution that could occur in earnings per share if securities or other contracts to issue equity share are exercised or converted during the period.

अनुसूची 18 : खातों पर टिप्पणियां

(नोट - कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

1. **पूंजी:** (रु. करोड़ में)

क्र.	मदें	31.03.2019	31.03.2018
i)	सीसीबी सहित सामान्य इक्विटी टियर- 1 पूंजी का अनुपात (%)*	9.883	8.974
ii)	टियर- 1 पूंजी का अनुपात (%)	9.912	9.008
iii)	टियर- 2 पूंजी का अनुपात (%)	1.947	1.995
iv)	कुल पूंजी का अनुपात - (सीआरएआर) (%)	11.859	11.003
v)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत (%)	87.74	87.01
vi)	उगाही गई/ भारत सरकार द्वारा लगाई गई इक्विटी पूंजी की राशि	4703.00	3486.55
vii)	अतिरिक्त टियर- 1 पूंजी की राशि (बेमीयादी ऋण लिखतों के माध्यम से)	0.00	0.00
viii)	उगाही गई टियर- 2 पूंजी की राशि	0.00	0.00

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, भारत सरकार ने रु.4703 करोड़ की पूंजी अधिमान्य आधार पर प्रदान की, जिसमें से रू.4498 करोड़ पूंजी की गणना आवंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि के रूप में की गई।

* सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपाद में इसपर विचार किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, बैंक ने बॉन्डों के मोचन की नियत तारीख के अनुसार रु.200.00 करोड़ के लिए बेसल II/बेसल III अनुपालक बॉन्डों का मोचन किया। इसकी जानकारी निम्नानुसार है :

SCHEDULE 18: NOTES ON ACCOUNTS

(Note: Figures in bracket relate to previous year)

1. **Capital:** (Rs.in Crore)

S. N.	Particulars	31.03.2019	31.03.2018
i)	Common Equity Tier 1 Capital ratio including CCB (%)*	9.883	8.974
ii)	Tier 1 Capital Ratio (%)	9.912	9.008
iii)	Tier 2 Capital Ratio (%)	1.947	1.995
iv)	Total Capital Ratio (CRAR) (%)	11.859	11.003
v)	Percentage of the shareholding of Government of India (%)	87.74	87.01
vi)	Amount of Equity Capital raised / Infused by GoI	4703.00	3486.55
vii)	Amount of Additional Tier 1 capital (through Perpetual Debt Instruments)	0.00	0.00
viii)	Amount of Tier 2 Capital raised	0.00	0.00

During the FY 2018-19, Government of India infused capital of Rs. 4703 crores on preferential basis, out of which capital of Rs. 4498 crores was accounted as share application money pending for allotment.

* The same is considered in common Equity Tier 1 capital ratio.

During the FY 2018-19, Bank has redeemed Basel II /Basel III Compliant Bonds for Rs 200.00 crore as per due date of redemption of Bond. Details of the same are as under:

प्रकार Type	आईएसआईएन क्रमांक ISIN No	जारी करने का दिनांक Date of Issue	बॉन्डों की संख्या No. of Bonds	प्रति बॉन्ड अंकित मूल्य रू. Face Value per bond	कूपन दर % Coupon Rate (%)	मांग दिनांक/ मोचन दिनांक Call Date/ redemption Date
अधीनस्थ टियर 2 एसआर VIII Subordinate Tier 2 Sr VIII	INE457A09132	15.01.2008	2000	Rs 10.00 lakh	9.20	15.04.2018

2. **निवेश :**

बैंक ने निवेश संविभाग को क्रमशः 'परिपक्वता तक धारित' (एचटीएम), 'बिक्री हेतु उपलब्ध' (एएफएस) और 'व्यापार हेतु धारित' (एचएफटी) तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का मूल्यन किया है।

(रु. करोड़ में)

श्रेणी	31.03.2019	31.03.2018
एचटीएम	35425.16	30838.17
एएफएस	24271.45	12784.13
एचएफटी	0.44	0.50
कुल निवेश	59697.05	43622.80

2.1 बैंक के कुल निवेश निम्नानुसार हैं। सभी निवेश भारत में किए गए हैं और भारत के बाहर निवेश नहीं हैं। (रु. करोड़ में)

मदें	31.03.2019	31.03.2018
(1) निवेशों का मूल्य		
(i) निवेशों का सकल मूल्य	60163.68	44162.86
(ii) मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	466.63	540.06
(iii) निवेशों का निवल मूल्य	59697.05	43622.80
(2) निवेशों पर मूल्यह्रास हेतु धारित प्रावधानों का संचलन		
(i) प्रारंभिक शेष	540.06	251.38
(ii) जोड़िए : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	348.68	296.33
(iii) घटाइए : वर्ष के दौरान पुनर्लेखांकित किए गए /बट्टे खाते डाले गए अधिक प्रावधान	342.33	7.65
(iv) बट्टे खाते हेतु प्रयुक्त प्रावधान	15.15	0.00
(v) प्रतिभूतियों को परिवर्तित करते समय प्रयुक्त प्रावधान	64.63	0.00
(vi) अंतिम शेष	466.63	540.06

2. **Investments:**

The Bank has classified the investment portfolio into three categories i.e. "Held to Maturity (HTM)", "Available for Sale (AFS)", and "Held for Trading (HFT)" and valued the investments in terms of the Reserve Bank of India (RBI) guidelines.

(Rs in Crore)

Category	31.03.2019	31.03.2018
HTM	35425.16	30838.17
AFS	24271.45	12784.13
HFT	0.44	0.50
Total Investment	59697.05	43622.80

2.1 The Total Investments of the Bank, as under, are made in India and no Investments are made outside India:

(Rs.in Crore)

Items	31.03.2019	31.03.2018
(1) Value of Investments		
(i) Gross Value of Investments	60163.68	44162.86
(ii) Provisions for Depreciation	466.63	540.06
(iii) Net Value of Investments	59697.05	43622.80
(2) Movement of provisions held towards depreciation on investments		
(i) Opening balance	540.06	251.38
(ii) Add: Provisions made during the year	348.68	296.33
(iii) Less: Write off/ Write-back of excess provisions during the year	342.33	7.65
(iv) Provision used for Written-off	15.15	0.00
(v) Provision used for while shifting securities	64.63	0.00
(vi) Closing balance	466.63	540.06

2.1.1 वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2017-18 के लिए एचएफटी से एएफएस श्रेणी तथा एएफएस तथा एचएफटी श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में प्रतिभूति के परिवर्तन के संबंध में ब्यौरे :
Details regarding shifting of securities from HFT to AFS category and securities from AFS & HFT to HTM category for FY 2018-19 and 2017-18

(रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष 2018-19 FY 2018-19	वित्तीय वर्ष 2017-18 FY 2017-18
एचएफटी से एएफएस HFT to AFS	शून्य Nil	484.64
एएफएस से एचटीएम AFS to HTM	999.78*	शून्य Nil

* बैंक ने निदेशक मंडल से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात 27.04.2018 को एएफएस से एचटीएम हेतु रु.999.78 करोड़ (बही मूल्य) की प्रतिभूतियों का एकबारगी अंतरण किया।

*Bank made one time transfer of securities from AFS to HTM for Rs.999.78 crore (book value) on 27.04.2018 after obtaining approval of the Board.

2.1.2 वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2017-18 के लिए एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में अंतरित प्रतिभूतियों के संबंध में ब्यौरे :
Details regarding securities transferred from HTM category to AFS for FY 2018-19 and 2017-18 :

(रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष 2018-19 FY 2018-19	वित्तीय वर्ष 2017-18 FY 2017-18
एचटीएम से एएफएस HTM to AFS	3856.06*	5849.17

* बैंक ने निदेशक मंडल से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात 27.04.2018 को एचटीएम से एएफएस हेतु रु. 3856.06 करोड़ (बही मूल्य) की प्रतिभूतियों का एकबारगी अंतरण किया।

* Bank made one time transfer of securities from HTM to AFS for Rs.3856.06 crore (book value) as on 27.04.2018 after obtaining approval of the Board

2.2.1 रेपो संव्यवहार (अंकित मूल्य के संबंध में) Repo Transactions (In face value terms):

(रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)

ब्यौरे Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया Daily average outstanding during the year	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019
रेपो के अधीन बेची प्रतिभूतियां Securities sold under repo				
i. सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities				
a) रेपो उधारियां (एलएएफ) Repo Borrowing (LAF)	(शून्य) (Nil) (शून्य) (Nil)	330.00 (325.00)	31.00 (20.00)	शून्य Nil (शून्य) (Nil)
b) रेपो उधारियां (मीयादी) Repo Borrowing(Term)	(शून्य) (Nil) (शून्य) (Nil)	1500.00 (शून्य) (Nil)	63.00 (शून्य) (Nil)	1500.00 (शून्य) (Nil)
ii. कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate debt securities	(शून्य) (Nil) (शून्य) (Nil)	(शून्य) (Nil) (शून्य) (Nil)	(शून्य) (Nil) (शून्य) (Nil)	(शून्य) (Nil) (शून्य) (Nil)
रिवर्स-रेपो के अंतर्गत क्रय प्रतिभूतियां Securities purchased under reverse repo				
i. सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities	(शून्य) (Nil) (340.00)	11245.00 (13650.00)	1848.00 (7294.00)	910.00 (8400.00)
ii. कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate debt securities	(शून्य) (Nil)	(शून्य) (Nil)	(शून्य) (Nil)	(शून्य) (Nil)

2.2.2 एलएएफ के अतिरिक्त रेपो संव्यवहार (त्रि-पक्षीय रेपो सहित) Repo Transactions other than LAF (including Tri party Repo):

(रु. करोड़ में) (Rs.in Crore)

ब्यौरे Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया Daily average outstanding during the year	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019
बेची गई प्रतिभूतियां Securities sold				
i. सरकारी प्रतिभूतिया Government Securities	(शून्य) (Nil)	5281.00 (1021.00)	463.00 (163.00)	5281 (Nil)
ii. कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate debt securities	(शून्य) (Nil)	(शून्य) (Nil)	(शून्य) (Nil)	(शून्य) (Nil)
iii. कोई अन्य प्रतिभूतियां Any other securities	(शून्य) (Nil)	(शून्य) (Nil)	(शून्य) (Nil)	(शून्य) (Nil)
क्रय प्रतिभूतियां Securities purchased				
i. सरकारी प्रतिभूतिया Government Securities	(शून्य) (Nil)	9083.00 (7018.00)	2921.00 (1666.00)	1157.00 (शून्य) (Nil)
ii. कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate debt securities	(शून्य) (Nil)	शून्य) (Nil)	(शून्य) (Nil)	(शून्य) (Nil)
iii. कोई अन्य प्रतिभूतियां Any other Securities	शून्य Nil (शून्य) (Nil)	शून्य Nil (शून्य) (Nil)	शून्य Nil (शून्य) (Nil)	शून्य Nil (शून्य) (Nil)

2.3 गैर-एसएलआर निवेशों का संविभाग: Non-SLR Investment Portfolio

2.3.1 गैर एसएलआर निवेशों का निर्गमकर्तावार संमिश्र Issuer composition of Non-SLR Investments:

(रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)

क्र. No.	निर्गमकर्ता Issuer	रकम Amount	निजी प्लेसमेंट की सीमा Extent of Private Placement	निवेश से कम ग्रेड वाली प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Below Investment Grade' Securities	गैर क्रम वाली प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unrated' Securities	असूचीबध्द प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSUs	467.77 (163.16)	455.56 (150.95)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(ii)	वित्तीय संस्थाए FIs	622.37 (370.01)	572.55 (320.19)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(iii)	बैंक Banks	14160.52 (2704.92)	14159.25 (2703.50)	20.00 (15.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(iv)	निजी निगमित निकाय Private Corporate	1214.85 (1406.34)	1193.48 (1384.87)	658.84 (663.03)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(v)	सहायक / संयुक्त उद्यम Subsidiaries/ Joint Ventures	83.53 (83.53)	83.53 (83.53)	लागू नहीं N.A. लागू नहीं N.A.	लागू नहीं N.A. लागू नहीं N.A.	लागू नहीं N.A. लागू नहीं N.A.
(vi)	अन्य Others	9444.05 (4965.15)	9417.06 (4936.27)	131.03 (0.00)	121.03 (0.00)	430.69 (0.00)
	उप जोड़ SUB TOTAL	**25993.09** **(9693.11)**	**25881.43** **(9579.31)**	**809.87** **(678.03)**	**121.03** **(0.00)**	**430.69** **(0.00)**
(vii)	के लिए धारित प्रावधान Provision held towards (i) मूल्यह्रास Depreciation (ii) एनपीआई NPI (iii) पुनर्संरचित खाते एफआईटीएल इत्यादि Restructured Account FITL etc (iv) एसडीआर खातों में एमटीएम मूल्यह्रास पर किया गया प्रावधान Provision Made on MTM Depreciation in SDR Accounts	13.20 (13.77) 128.79 (316.88) 55.07 (67.20) 181.89 (73.27)	XXX	XXX	XXX	XXX
	कुल TOTAL	**25614.14** **(9221.99)**	**25881.43** **(9579.31)**	**809.87** **(678.03)**	**121.03** **(0.00)**	**430.69** **(0.00)**

टिप्पणी :

(i) उक्त (v) में 'सहायक संस्थाएं/संयुक्त उद्यम' होने के कारण तथा (vi) में 'अन्य' होने के कारण निवेश भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार रेटिंग व लिस्टिंग आवश्यकताओं से मुक्त है।

(ii) कॉलम 4, 5, 6 व 7 में रिपोर्ट की गई राशि परस्पर असंबद्ध नहीं है।

(iii) कुल रु. 25614.14 करोड़ (रु. 9221.99 करोड़) के कुल निवेश में रु. 793.67 करोड़ (रु. 875.41 करोड़) के राजस्थान स्पेशल बॉण्ड रु. 96.32 करोड़ (रु. 96.32 करोड़) के यूपी स्टेट पॉवर बॉण्डस रु. 89.67 करोड़ (रु. 89.67 करोड़) के हरियाणा स्टेट स्पेशल बॉन्ड रु. 123.49 करोड़ (रु. 123.49 करोड़) के पंजाब स्टेट स्पेशल बॉन्ड और रु. 7226 करोड़ (रु.2523 करोड़) के पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड शामिल हैं।

*तुलन पत्र की अनुसूची 8 में इन्हें सरकारी प्रतिभूतियों में शामिल किया गया है।

Note:

(i) Investments as in (v) being "Subsidiaries / Joint Ventures & (vi) being "Others" are exempt from rating & listing requirements as per RBI guidelines.

(ii) Amounts reported under columns 4, 5, 6 & 7 may not be mutually exclusive.

(iii) The total investment of Rs.25614.14 crores (Rs.9221.99 crores) includes Rajasthan Special Bonds of Rs.793.67 crores (Rs.875.41 crores), UP State Power Bonds of Rs.96.32 crores (Rs.96.32 crores), Haryana State Special Bonds Rs.89.67 crores (Rs.89.67 crores), Punjab State Special bonds Rs.123.49 crores (Rs.123.49 crores) and Recapitalization Bonds Rs.7226 crores (Rs.2523 crores).

* The same have been included in Gvot. securities in schedule 8 to Balance sheet.

2.3.2 अनर्जक गैर-एसएलआर निवेश

(रू. करोड़ में)

ब्यौरे	31.03.2019	31.03.2018
प्रारंभिक शेष	738.10	655.45
वर्ष के दौरान परिवर्धन	12.26	112.52
वर्ष के दौरान कमी	484.32	29.87
अंतिम शेष	266.04	738.10
किए गए कुल प्रावधान	**128.79**	**3 16.88**

2.4 एचटीएम श्रेणी में/ से स्थानांतरण एवं बिक्री (वर्ष की शुरूआत में एचटीएम श्रेणी में निवेश का बही मूल्य 5% से अधिक बिक्री होने पर लागू)

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, परिपक्वता के लिए धारित श्रेणी के अंतर्गत निवेश के विक्रय पर लाभ के रूप में करों और विनियामक आरक्षितियों का निवल रू. 32.76 करोड़ (रु. 26.49 करोड़) की एक राशि पूंजी आरक्षिति के लिए अंतरित की गई है।

बैंक ने वर्ष के दौरान 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी में वर्गीकृत रु. 104.93 करोड़ (रु. 106.96 करोड़) की प्रतिभूतियों का परिशोधन किया और संबंधित प्रतिभूति के मूल्य को उस सीमा तक कम करते हुए रकम को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक ने रु. शून्य करोड़ (रु. 484.64 करोड़) के लिए एएफएस श्रेणी हेतु एचएफटी श्रेणी से प्रतिभूतियों को परिवर्तित किया। साथ ही, वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक ने रु. 999.78 करोड़ (रु. शून्य) (बही मूल्य) के लिए एचटीएम श्रेणी हेतु एएफएस श्रेणी से प्रतिभूतियों को परिवर्तित किया।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक ने एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी को रु. 3856.06 करोड़ (रु. 5432.53 करोड़) (बही मूल्य) की राशि की प्रतिभूतियां अंतरित की और लाभ व हानि को प्रभारित किया, दिनांक 01.07.2015 के भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों भा.रि.बैंक/ 2015-16/ 97 डीबीआर क्र. बीपी. बीसी.6/21.04.141/2015-16 के अनुसार इस अंतरण के दौरान मूल्यह्रास की राशि रु. शून्य (रु. शून्य) रही।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान एचटीएम श्रेणी को/से प्रतिभूतियों के अंतरण और विक्रय का मूल्य जो निदेशक मंडल के अनुमोदन के साथ एक बारगी अंतरण को छोड़कर है, पूर्वघोषित ओएमओ नीलामियों के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति दिये अनुसार वित्तीय वर्ष के आरंभ एचटीएच श्रेणी में निवेशों के बही मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक नही होना चाहिए।

2.4.1 एचटीएम श्रेणी से पूंजी आरक्षिति में निवेश की बिक्री पर लाभ के अंतरण की गणना

(रू. करोड़ में)

ब्यौरे	2018-19	2017-18
एचटीएम प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ	50.35	40 .51
एचटीएम पर हानि	0.00	0.00
एचटीएम प्रतिभूतियों की बिक्री पर निवल लाभ	50.35	40.51
घटाएं: आयकर	17.59	14.02
उप-जोड़	**32.76**	**26.49**
घटाएं: 25.00% समानुपातिक सांविधिक आरक्षितियों को अंतरण	0.00	0.00
पूंजी आरक्षिति में निवल अंतरण	32.76	26.49

2.3.2 Non performing Non-SLR investments

(Rs. In Crore)

Particulars	31.03.2019	31.03.2018
Opening balance	738.10	655.45
Additions during the year	12.26	112.52
Reductions during the year	484.32	29.87
Closing balance	266.04	738.10
Total provisions held	**128.79**	**316.88**

2.4 Sale and transfers to / from HTM category (applicable if the sale exceeds 5% of book value of investment held in HTM category at the beginning of the year)

As per RBI guidelines an amount of Rs.32.76 crore (Rs.26.49 crore) net of taxes and statutory reserves being profit on sale of investment in "Held to Maturity" category is transferred to Capital reserve.

The Bank has amortized Rs.104.93 crore during the year (Rs.106.96 crore) for securities classified under 'Held to Maturity' category and the amount has been charged to Profit & loss account by reducing value of the respective securities to that extent.

During the FY 2018-19, the Bank has shifted securities from HFT category to AFS category for Rs. Nil crore (Rs. 484.64 crore). Also during FY 2018-19, Bank has shifted securities from AFS category to HTM category for Rs.999.78 crore (Rs. Nil) (Book Value).

During the FY 2018-19, the Bank has transferred securities from HTM category to AFS category amounting to Rs. 3856.06 crores (Rs.5432.53 crores) (Book Value) and charged to Profit & Loss depreciation amounting to Rs. Nil (Rs. Nil) due to such transfer taking in terms of RBI guidelines RBI/2015-16/97 DBR No BP.BC.6/21.04.141/2015-16 dated 01.07.2015.

The value of the sales and transfer of securities to / from HTM category during the financial year 2018-19, excluding one time transfer with the approval of the Board, sales to RBI under pre announced OMO auctions and as permitted by RBI does not exceed 5 percent of the book value of investments in HTM category at the begining of financial year.

2.4.1 Computation of Transfer of Profit on Sale of Investment in HTM Category to Capital Reserve

(Rs. In Crore)

Particulars	2018-19	2017-18
Profit on sale of HTM Securities	50.35	40 .51
Loss on HTM	0.00	0.00
Net Profit on sale of HTM Securities	50.35	40.51
Less: Income Tax	17.59	14.02
Sub- Total	**32.76**	**26.49**
Less: 25.00% proportionate to Transfer to Statutory Reserves	0.00	0.00
Net Transfer to Capital reserve	32.76	26.49

2.4.2 एएफएस एचएफटी से निवेश आरक्षिति में निवेश पर एमटीएम मूल्यह्रास के कारण प्रतिलेखन के अंतरण की गणना

(रू. करोड़ में)

ब्यौरे	2018-19	2017-18	पिछले वर्ष की तुलना में अंतर
एमटीएम मूल्यह्रास एएफएस	95.89	80.37	15.52
एमटीएम मूल्यह्रास एचएफटी	0.00	0.00	0.00
एमटीएम मूल्यह्रास एनपीआई	4.98	2.33	2.65
एसडीआर/एस4ए के अंतर्गत एमटीएम मूल्यह्रास	181.89	73.27	108.62
कुल	**282.76**	**155.97**	**126.79**
निवेश आरक्षिति से गिरावट			
वित्तीय वर्ष2018-19 के दौरान एमटीएम हानियों के लिए किए गए प्रावधान			126.79
घटाएं: 34.944% पर आयकर			44.31
उप-जोड़			**82.48**
घटाएं: 25% की दर पर सांविधिक आरक्षिति को अंतरण			20.62
निवेश आरक्षिति खाते से निवल गिरावट			**61.86**

**वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 31.03.2018 को निवेश आरक्षिति खाते में शून्य शेष बकाया रहने के कारण एएफएस एवं एचएफटी श्रेणियों के अंतर्गत किए गए निवेश के लिए आवश्यक मूल्यह्रास के कारण निवेश आरक्षिति खाते से शून्य गिरावट हुई।*

3. डेरिवेटिव्ज:

3.1 वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप

(रु. करोड़ में)

मदें	31.03.2019	31.03.2018
i) स्वैप करारों का कल्पित मूलधन	शून्य	100.00
ii) यदि प्रतिपक्ष करारों के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा न करें तो इस स्थिति में होने वाली हानियां	शून्य	शून्य
iii) स्वैप करार हेतु बैंक से अपेक्षित संपार्श्विक	शून्य	शून्य
iv) स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम एकत्रीकरण	शून्य	शून्य
v) स्वैप बही का उजित मूल्य (+) प्राप्ति/(-) देय	शून्य	(-)0.85

बैंक ने आईआरएस/ एफआरए हेतु नीति दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। कल्पित मूलधन के संबंध में आईआरएस/ एफआरए की अनुमोदित सीमा रु.2000 करोड़ है। 31 मार्च 2019 के अनुसार बैंक के कल्पित मूलधन के शून्य बकाया स्वैप रहे।

3.1 विनिमय व्यापार ब्याज दर:

(रु.करोड़ में)

क्र.सं.	ब्यौरे	2018-19	2017-18
1	वर्ष के दौरान (लिखत-वार) किए गए विनिमय लेन-देन ब्याज दर डेरिवेटिव का कल्पित मूलधन क. ब्याज दर भविष्य	511.73	827.62

2.4.2 Computation of Transfer of Write Back on account of MTM Depreciation on Investment in AFS HFT to Investment Reserve

(Rs. In Crore)

Particulars	2018-19	2017-18	Diff. over pr year
MTM Depreciation AFS	95.89	80.37	15.52
MTM Depreciation HFT	0.00	0.00	0.00
MTM Depreciation NPI	4.98	2.33	2.65
MTM Depreciation under SDR/S4A	181.89	73.27	108.62
Total	**282.76**	**155.97**	**126.79**
Draw down from Investment Reserve			
Provision made for MTM losses during FY 2018-19			126.79
Less: Income Tax at 34.944%			44.31
Sub-Total			**82.48**
Less: Transfer to Statutory reserve @ 25%			20.62
Net draw down from Investment Reserve Account (eligible)			**61.86**

**During the current Financial Year 2018-19 there is nil drawdown from Investment Reserve Account on account of depreciation required to be made for investment held under AFS & HFT categories, since as on 31.03.2018 there is nil balance outstanding in investment reserve account.*

3. Derivatives:

3.1 Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap

(Rs. in Crore)

Items	31.03.2019	31.03.2018
i) The notional principal of swap agreements	Nil	100.00
ii) Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements	Nil	Nil
iii) Collateral required by the Bank upon entering into swaps	Nil	Nil
iv) Concentration of credit risk arising from the swaps	Nil	Nil
v) The fair value of the swap book **(+)** To receive / **(-)** To pay	Nil	(-)0.85

The Bank has policy guidelines in place for IRS/ FRAs. The approved ceiling for IRS / FRAs in terms of notional principal is Rs. 2000 crore. As on 31st March 2019, the Bank had no outstanding swaps.

3.2 Exchange Traded Interest Rate

(Rs. in Crore)

S.N.	Particulars	2018-19	2017-18
1	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise) a) Interest Rate Future	511.73	827.62

क्र.सं.	ब्यौरे	2018-19	2017-18
2	31 मार्च को बकाया (लिखत-वार) विनिमय लेन-देन ब्याज दर डेरिवेटिव का कल्पित मूलधन	शून्य	शून्य
3	'उच्च प्रभावी' नहीं और बकाया (लिखत-वार) विनिमय लेन-देन ब्याज दर डेरिवेटिव का कल्पित मूलधन	शून्य	शून्य
4	'उच्च प्रभावी' नहीं और बकाया (लिखत-वार) विनिमय लेनदेन ब्याज दर डेरिवेटिव का मार्क-टू-मार्केट मूल्य	शून्य	शून्य

3.3 डेरिवेटिव जोखिम विगोपन का प्रकटन

3.3.1 गुणात्मक प्रकटन:

i) डेरिवेटिव नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है, जिसमें ऋण जोखिम और बाजार जोखिम का मापन भी शामिल है।

ii) उक्त की निगरानी के लिए बैंक में प्रतिरक्षण (हेजिंग) व प्रोसेसेस नीतियां लागू हैं।

iii) तुलनपत्र प्रबंधन हेतु प्रतिरक्षित (हेजिंग) लेनदेन किए गए हैं। जोखिमों की निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए उचित प्रणाली विद्यमान है।

iv) डेरिवेटिव परिचालनों के जोखिम प्रबंधन कार्य के प्रमुख एक उच्च स्तरीय प्रबंधन कार्यपालक होते हैं,जो बैंक के प्रधान कार्यालय को रिपोर्ट करते हैं। स्वैपों की निगरानी नियमित आधार पर कीजाती है।

v) महत्वपूर्ण लेखा-नीतियों की अनुसूची 17 के परिच्छेद 3.5 (एफ) (ii) में विनिर्दिष्ट किए अनुसार, बैंक में प्रतिरक्षित और गैर-प्रतिरक्षित व्यवहारों को अभिलेखबद्ध करने की उचित लेखा नीति विद्यमान है, जिसमें आय निर्धारण, बकाया करारों का मूल्यांकन और ऋण जोखिम को कम करना शामिल है।

vi) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों और चालू विगोपन प्रक्रिया के अनुसार परिकलित संविदा डेरिवेटिव के ऋण विगोपन पर बैंक द्वारा अपेक्षित प्रावधान कर लिए गए हैं।

S.N.	Particulars	2018-19	2017-18
2	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March (instrument-wise)	Nil	Nil
3	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	Nil	Nil
4	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	Nil	Nil

3.3 Disclosures on risk exposure in derivatives

3.3.1 Qualitative Disclosures

i) Derivative policy is approved by the Board, which includes measurement of credit & market risk.

ii) Policy for hedging and processes for monitoring the same are in place.

iii) The hedged transactions are undertaken for Balance Sheet management. Proper system for reporting & monitoring of risks is in place.

iv) Risk Management of derivative operations is headed by a Top Management Executive who reports to Central Office. The swaps are tracked on regular basis.

v) Accounting Policy for recording hedge and non-hedge transactions is in place, which includes recognition of income, valuation of outstanding contracts and credit risk mitigation as given in para 3.5 (f)(ii) of Schedule 17, viz., Significant Accounting Policies.

vi) The Bank has made requisite provision on credit exposure of derivative contracts computed as per current exposure method & as per RBI guidelines.

3.3.2 मात्रात्मक प्रकटन Quantitative Disclosures

(रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)

क्र.सं. S. N.	विवरण Particulars	मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives		ब्याज दर डेरिवेटिव Interest rate derivatives	
		2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
(i)	डेरिवेटिव (कल्पित मूलधन राशि) Derivatives(Notional Principal amount)	15016.28	9781.98	शून्य NIL	100.00
	(a) प्रतिरक्षण (हेजिंग) के लिए For hedging	4593.02	4999.39	शून्य NIL	0.00
	(b) लेनदेन (ट्रेडिंग) के लिए For Trading	10423.26	4782.59	शून्य NIL	100.00
(ii)	बाजार हेतु चिन्हित स्थितियां [1] Marked to Market Position [1]				
	(a) आस्ति (+) Asset (+)	194.76	35.39	शून्य NIL	
	(b) देयताएं (-) Liability (-)	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL	-0.85
(iii)	ऋण विगोपन [2] Credit Exposure [2]	495.09	231.03	शून्य NIL	1.00

क्र.सं. S. N.	विवरण Particulars	मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives		ब्याज दर डेरिवेटिव Interest rate derivatives	
		2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
(iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित असर (100*पीवी 01) Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)				
	क) हेजिंग डेरिवेटिव पर (a) On hedging derivatives	2.07	1.82	शून्य NIL	0.00
	ख) व्यापार डेरिवेटिव पर (b) On trading derivatives	0.04	0.05	शून्य NIL	0.04
(v)	वर्ष के दौरान 100*पीवी 01 अवलोकित अधिकतम और न्यूनतम स्तर Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
	(a) प्रतिरक्षण (हेजिंग) पर On hedging	अधि.Max: 2.53 न्यून.Min: 1.56	अधि.Max :2.06 न्यून.Min :0.31	अधि.Max :NA न्यून.Min : NA	अधि.Max :NA न्यून.Min : NA
	(b) लेनदेन (ट्रेडिंग) पर On trading	अधि.Max: 1.45 न्यून.Min: 0.04	अधि.Max :1.02 न्यून.Min :0.05	अधि.Max :NA न्यून.Min : NA	अधि.Max :0.04 न्यून.Min :0.02

3.4 डेरिवेटिव विगोपन पर मानक प्रावधान:*:

(रु. करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2019	
		ऋण विगोपन (*)	31.03.2019 को मानक अग्रिमों पर लागू प्रावधान
1	ब्याज दर डेरिवेटिव	शून्य	शून्य
2	विदेशी विनिमय डेरिवेटिव	495.09	1.98
3	स्वर्ण संविदा	शून्य	शून्य
4	ऋण चूक स्वैप	शून्य	शून्य
	कुल	**495.09**	**1.98**

* ऋण विगोपन की गणना बेसल III - के जोखिम भारित आस्ति (आरड्ब्ल्यूए) दिशानिर्देशों के अनुसार।

3.5 ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) :

वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक का कोई ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) नहीं है या दिनांक 31 मार्च, 2019 को शून्य है।

3.6 केन्द्रीय व राज्य सरकार प्रतिभूतियों में निवेश के लिए एएफएस संविभाग में मूल्यह्रास हेतु एमटीएम हानियों के लिए प्रावधान के ब्यौरे

बैंक ने जून 2018 को समाप्त तिमाही के लिए एएफएस (ए एवं डी बास्केट) तथा 31 दिसंबर, 2017 और 31 मार्च, 2018 को समाप्त तिमाहियों के लिए एएफएस (ए बास्केट) में धारित निवेशों पर बाजार हेतु चिन्हित (एमटीएम) हानियों के लिए प्रावधानीकरण को विभक्त किया है। यह प्रावधानीकरण जिस तिमाही में हानि उत्पन्न हुई है उस तिमाही से आरंभ कर 4 तिमाहियों पर समान रूप से विभक्त किया गया है। ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

क) 31 दिसंबर, 2017 को समाप्त तिमाही के लिए अपेक्षित प्रावधानीकरण रु.105.82 करोड़ रहा जिसे 31 दिसंबर, 2017 को समाप्त तिमाही से आरंभ कर 4 तिमाहियों पर समान रूप से विस्तार किया जाना है। तद्नुसार 31 मार्च, 2018 को 2 तिमाहियों के लिए प्रावधान के रूप में रु.52.91 करोड़ हेतु प्रावधान किया गया है और शेष रू.52.91 करोड़ के लिए अगली 2 तिमाहियों अर्थात जून, 2018 और सितंबर, 2018 में समान रूप से प्रावधान किया गया है।

3.4 Standard provision on derivative exposure*:

(Rs. in Crore)

S. N.	Particulars	31.03.2019	
		Credit Exposure(*)	Provision as applicable to standard advances as on 31.03.2019
1	Interest Rate Derivative	NIL	NIL
2	Foreign Exchange Derivative	495.09	1.98
3	Gold Contract	NIL	NIL
4	Credit Default Swaps	NIL	NIL
	Total	**495.09**	**1.98**

*Credit Exposure calculated as per RWA guidelines of Basel III.

3.5 Credit Default Swaps (CDS):

The Bank has no credit default swaps during the year 2018-19 or as on March 31, 2019.

3.6 Details of Provision for MTM losses for depreciation in AFS portfolio for investment in Central and State Govt. Securities

The Bank has opted to spread provisioning for mark to market (MTM) losses on investments held in AFS (A Basket) for quarters ended December 31, 2017 and March 31, 2018 and AFS (A & D Basket) for quarter ended June 2018. The provisioning has been spread equally over four quarters, commencing with the quarter in which loss is incurred. Details are as under:

a) Provisioning requirement for quarter ended 31st December 2017 stood at Rs. 105.82 crore, to be spread equally over four quarter commencing from quarter ended 31st Dec 2017. Accordingly, provision has been made for Rs. 52.91 crore being provision for two quarters as on 31st March 2018 and remaining provision for Rs 52.91 crore has also been made in next two quarters equally i.e. June 2018 & Sept 2018.

ख) 31 मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही के लिए अपेक्षित प्रावधानीकरण रु.64.08 करोड़ रहा जिसे 31 मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही से आरंभ कर 4 तिमाहियों पर समान रूप से विस्तार किया जाना है। तदनुसार 31 मार्च, 2018 को 1 तिमाही के लिए प्रावधान के रूप में रु.16.02 करोड़ हेतु प्रावधान किया गया है और शेष रू. 48.03 करोड़ के लिए अगली 3 तिमाहियों अर्थात जून, 2018, सितंबर, 2018 और दिसंबर, 2018 में समान रूप से प्रावधान किया गया है।

ग) 30 जून को समाप्त तिमाही के लिए ए-बास्केट में अपेक्षित प्रावधानीकरण रु.99.20 करोड़ तथा डी बास्केट में रू.26.65 करोड़ रहा जिसे 30 जून, 2018 को समाप्त तिमाही से आरंभ कर 4 तिमाहियों पर समान रूप से विस्तार किया जाना है। तदनुसार ए-बास्केट में रू.99.20 करोड़ तथा डी-बास्केट में रू.26.65 करोड़ के लिए अगली चार तिमाहियों अर्थात जून 2018, सितंबर 2018, दिसंबर 2018 और मार्च 2019 में समान रूप से प्रावधान किया गया है।

3.7 31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि के लिए एएफएस और एचएफटी में किए गए निवेशों पर बाजार मूल्य को बही में अंकित (एमटीएम) हानि हेतु विभक्त प्रावधान के विवरण

हानि होने वाली तिमाही से शुरूआत करते हुए हानि को समान रूप से चार तिमाहियों में विभक्त कर दिसंबर 2017, मार्च 2018 और जून 2018 को समाप्त तिमाहियों के लिए निवेश पर मूल्यह्रास हेतु (एमटीएम) हानियों के लिए प्रावधान:

i. रू.105.82 करोड़ राशि के लिए 31.12.17 को केवल एएफएस ए-बास्केट में (अर्थात केन्द्र तथा राज्य सरकार में निवेश) एमटीएम मूल्यह्रास हुआ था।

ii. रू. 169.90 करोड़ राशि के लिए 31.03.18 को केवल एएफएस ए-बास्केट में (अर्थात केन्द्र तथा राज्य सरकार में निवेश) एमटीएम मूल्यह्रास हुआ है।

iii. रू. 269.10 करोड़ एवं रू. 29.48 करोड़ राशि के लिए 30.06.18 को क्रमशः एएफएस ए एवं डी-बास्केट में (अर्थात केन्द्र तथा राज्य सरकार में निवेश) एमटीएम मूल्यह्रास हुआ है।

b) Provisioning requirement for quarter ended 31st March 2018 stood at Rs. 64.08 crore, to be spread equally over four quarter commencing from quarter ended 31st March 2018. Accordingly, provision has been made for Rs. 16.02 crore being provision for one quarter as on 31st March 2018 and remaining provision for Rs.48.03 crore has also been made in next three quarters equally i.e. June 2018, Sept 2018 & Dec 2018.

c) Provisioning requirement for quarter ended 30th June stood at Rs. 99.20 crore in A-Basket and Rs.26.65 crore in D-Basket, to be spread equally over four quarter commencing from quarter ended 30th June 2018. Accordingly, provision of Rs.99.20 crore in A-Basket and Rs.26.65 crore in D-Basket has been made in four quarters equally i.e. June 2018, Sept 2018, Dec 2018 & March 2019.

3.7 Details of spreading provision for mark to market (MTM) losses on investments held in AFS and HFT for the period ended Mar 31, 2019

Provision for (MTM) losses for depreciation on investment for quarters ended December 2017, March 2018 and June 2018 after spreading the losses equally over up to four quarters, commencing with the quarter in which the loss is incurred is computed as under:

i. As of 31.12.17 there was MTM depreciation in AFS A-basket only (i.e. Investment in Central and State Govt.) for an amount of Rs.105.82 crores.

ii. As of 31.03.18 there is MTM depreciation in AFS A-basket only (i.e. Investment in Central and State Govt.) for an amount of Rs.169.90 crores

iii. As of 30.06.18 there is MTM depreciation in AFS A and D-basket for Rs.269.10 crores and Rs.29.48 crores respectively.

3.7.1 31.12.2017 को समाप्त तिमाही के लिए एमटीएम मूल्यह्रास हानि को एएफएस निवेश पोर्टफोलियो में चार तिमाहियों में समान रूप से विभक्त करना: Spreading MTM depreciation losses in AFS investment portfolio for the quarter ended 31.12.2017 equally over up to four quarters:

(रू. करोड़ में) (Rs. In crores)

पोर्टफोलियो Portfolio	बास्केट-ए Basket-A	30.09.17 को बकाया एमटीएम मूल्यह्रास O/S MTM Dep. as on 30.09.17	31.12.17 को बकाया एमटीएम मूल्यह्रास O/S MTM Dep. as 31.12.17	दिसंबर 17* को समाप्त तिमाही के लिए अतिरिक्त मूल्यह्रास प्रावधान Additional Dep. Provision for Qtr ended Dec 17*	एमटीएम मूल्यह्रास को चार तिमाहियों में समान रूप से विभक्त करना Spreading MTM depreciation equally over up to four quarters			
					प्रथम तिमाही दिसंबर-17 Q1 Dec-17	दूसरी तिमाही मार्च-18 Q2 Mar-18	तीसरी तिमाहीजून-Q3 Jun-18	चौथी तिमाही सितंबर-18 Q4 Sep-18
					25%	50%	75%	100%
एएफएस AFS	केन्द्र तथा राज्य सरकार Central & State Govt.	0.00	105.82	105.82	26.45	52.91	79.36	105.82

नोट: *30.09.17 को समाप्त तिमाही पर रू.105.82 करोड़ की एमटीएम हानि हेतु 31.12.17 को समाप्त तिमाही में अतिरिक्त प्रावधान किए गए।
Note: * For Qtr ended 31.12.17 there was additional provision for MTM losses for Rs. 105.82 crore over Qtr ended 30.09.17

3.7.2 31.03.2018 को समाप्त तिमाही के लिए एमटीएम मूल्यह्रास हानि को एएफएस निवेश पोर्टफोलियो में चार तिमाहियों में समान रूप से विभक्त करना:
Spreading MTM depreciation losses in AFS investment portfolio for the quarter ended 31.03.2018 equally over up to four quarters:

(रू. करोड़ में) (Rs. In crores)

पोर्टफोलियो Portfolio	बास्केट-ए Basket-A	31.12.17 को बकाया एमटीएम मूल्यह्रास O/S MTM Dep. as on 31.12.17	31.03.18 को बकाया एमटीएम मूल्यह्रास O/S MTM Dep. as on 31.03.18	मार्च 18** को समाप्त तिमाही के लिए अतिरिक्त मूल्यह्रास प्रावधान Additional Dep. Provision for Qtr ended Mar 18**	एमटीएम मूल्यह्रास को चार तिमाहियों में समान रूप से विभक्त करना Spreading MTM depreciation equally over up to four quarters			
					प्रथम तिमाही मार्च-18 Q1 Mar-18	दूसरी तिमाही जून-18 Q2 Jun-18	तीसरी तिमाही सितंबर-18 Q3 Sep-18	चौथी तिमाही दिसंबर-18 Q4 Dec-18
					25%	50%	75%	100%
एएफएस AFS	केन्द्र तथा राज्य सरकार Central & State Govt.	105.82	169 .90	64.08	16.02	32.04	48.06	64.08

नोट: **31.12.17 को समाप्त तिमाही में पर रू.64.08 करोड़ की एमटीएम हानि हेतु 31.03.18 को समाप्त तिमाही में अतिरिक्त प्रावधान किए गए।
Note: ** For Qtr ended 31.03.18 there was additional provision for MTM losses for Rs. 64.08 crore over Qtr ended 31.12.17.

3.7.3 30.06.2018 को समाप्त तिमाही के लिए एमटीएम मूल्यह्रास हानि को एएफएस निवेश पोर्टफोलियो में चार तिमाहियों में समान रूप से विभक्त करना:
Spreading MTM depreciation losses in AFS investment portfolio for the quarter ended 30.06.2018 equally over up to four quarters:

(रू. करोड़ में) (Rs. In crores)

पोर्टफोलियो Portfolio	बास्केट Basket	31.3.18 को बकाया एमटीएम मूल्यह्रास O/S MTM Dep. as on 31.3.18	30.06.18 को बकाया एमटीएम मूल्यह्रासO/S MTM Dep. as on 30.06.18	जून 18** को समाप्त तिमाही के लिए अतिरिक्त मूल्यह्रास प्रावधान Additional Dep. Provi-sion for Qtr ended June 18**	एमटीएम मूल्यह्रास को चार तिमाहियों में समान रूप से विभक्त करना Spreading MTM depreciation equally over up to four quarters			
					प्रथम तिमाही जून-18 25% Q1 Jun-18	दूसरी तिमाही सितंबर-18 Q2 Sep-18	तीसरी तिमाही दिसंबर-18 Q3 Dec-18	चौथी तिमाही मार्च 19 Q4 Mar 19
					25%	50%	75%	100%
एएफएस AFS	ए- केन्द्र तथा राज्य सरकार A-Central & State Govt.	169.90	269.10	99.20	24.80	49.60	74.40	99.20
एएफएस AFS	डी- डिबेंजर तथा बॉन्ड D-Debentures & Bonds	2.83	29.48	26.65	6.66	13.32	19.99	26.65

नोट: **31.03.2018 को समाप्त तिमाही पर ए बास्केट एवं डी बास्केट में क्रमश: रू.99.20 करोड़ एवं रू.26.65 करोड़ की एमटीएम हानि हेतु 30.06.18 को समाप्त तिमाही में अतिरिक्त प्रावधान किए गए।

Note: ** For quarter ended 30.06.18 there was additional provision for MTM losses for Rs.99.20 crore and Rs.26.65 crore in A basket and D basket respectively over quarter ended 31.03.2018

3.7.4 भारतीय रिज़र्व बैंक के 31.3.2019 के दिशानिर्देशों के अनुसार एमटीएम हानियों को विभक्त करने के बाद 12 माह के लिए एमटीएम हानियों (एएफएस बास्केट) हेतु प्रावधान निम्नानुसार हैं:

3.7.4.1 एमटीएम हानियों को विभक्त करने के बाद एमटीएम हानि (एएफएस ए बास्केट) प्रावधान

(रू. करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.19 के अनुसार एमटीएम हानियों को विभक्त करने के बाद एमटीएम मूल्यह्रास का प्रावधान
1	दिसंबर 2017 (जून 18 तथा सितंबर 18 तिमाही) को समाप्त तिमाही से संबंधित	52.91
2	मार्च 2018 (जून 18, सितंबर 18 तथा दिसंबर 18 तिमाही) को समाप्त तिमाही से संबंधित	48.06
3	जून 2018 (जून 18, सितंबर 18, दिसंबर 18 तथा मार्च 19 तिमाही) को समाप्त तिमाही से संबंधित	99.20
	उपजोड़ एएफएस-ए बास्केट	**200.17**

3.7.4.2 एमटीएम हानियों को विभक्त करने के बाद एमटीएम हानि (एएफएस डी बास्केट) प्रावधान

(रू. करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.19 के अनुसार एमटीएम हानियों को विभक्त करने के बाद एमटीएम मूल्यह्रास का प्रावधान
1	जून 2018 (जून 18, सितंबर 18, दिसंबर 18 तथा मार्च 19 तिमाही) को समाप्त तिमाही से संबंधित	26.65
	उपजोड़ एएफएस- डी बास्केट	**26.65**

3.7.4.3 एमटीएम हानियों को विभक्त करने के बाद एमटीएम हानि (एएफएस बास्केट) प्रावधान

(रू. करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.19 के अनुसार एमटीएम हानियों को विभक्त करने के बाद एमटीएम मूल्यह्रास का प्रावधान
1	जून 18, सितंबर 18, दिसंबर 18 तथा मार्च 19 तिमाही के लिए प्रावधान	226.83

3.7.4.4 31.03.2019 के अनुसार एमटीएम हानि प्रावधान (एएफएस ए एवं डी बास्केट)

(रू. करोड़ में)

पोर्टफोलियो	बास्केट	31.3.2019 को बकाया एमटीएम मूल्यह्रास
एएफएस	ए- केन्द्र तथा राज्य सरकार	87.68
एएफएस	डी- डिबेंचर तथा बॉन्ड	0.00
	कुल (ए एवं डी बास्केट)	**87.68**

3.7.4 Provision for MTM losses (AFS Basket) for 12 months after spreading of MTM losses as per RBI guidelines as of 31.3.2019 is as under:

3.7.4.1 MTM losses Provision (AFS A Basket) after spreading of MTM Losses

(Rs. In crores)

Sr. No.	Particulars	Provision of MTM depreciation after spreading of MTM losses as of 31.03.19
1	Pertaining to quarter ended Dec 2017 (June 18 and Sep 18 quarter)	52.91
2	Pertaining to quarter ended Mar 2018 (June 18, Sep 18 and Dec 18 quarter)	48.06
3	Pertaining to quarter ended June 2018 (June 18, Sep 18, Dec 18 and Mar 19 quarter)	99.20
	Subtotal AFS-A Basket	**200.17**

3.7.4.2 MTM Losses Provision (AFS D Basket) after spreading of MTM losses

(Rs. In crores)

Sr. No.	Particulars	Provision of MTM depreciation after spreading of MTM losses as of 31.03.19
1	Pertaining to quarter ended June 2018 (June 18, Sep 18, Dec 18 and Mar 19 quarter)	26.65
	Subtotal AFS-D Basket	**26.65**

3.7.4.3 MTM losses Provision (AFS basket) after spreading of MTM losses

(Rs. In crores)

Sr. No.	Particulars	Provision of MTM depreciation after spreading of MTM losses as of 31.03.19
1	Provision for June 18, Sep 18, Dec 18 and Mar 19 quarter	226.83

3.7.4.4 MTM Loss Provision (AFS A and D Basket) as of 31.03.2019

(Rs. In crores)

Portfolio	Basket	O/S MTM Dep. as on 31.3.2019
AFS	A-Central & State Govt.	87.68
AFS	D-Debentures & Bonds	0.00
	Total (A & D Basket)	**87.68**

4 आस्ति गुणवत्ता

4.1 अनर्जक आस्तियां

(रु. करोड़ में)

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
(i) निवल अग्रिमों में निवल अनर्जक आस्तियां (%)	5.52	11.24
(ii) अनर्जक आस्तियों का संचलन (सकल)		
(क) प्रारंभिक शेष	18433.23	17188.71
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	4304.22	5734.87
(ग) वर्ष के दौरान कमी	7412.96	4490.35
(घ) अंतिम शेष	15324.49	18433.23
(iii) निवल अनर्जक आस्तियों का संचलन		
(क) प्रारंभिक शेष	9641.19	11229.56
जोड़ें - ईसीजीसी / डीआईसीजीसी द्वारा निपटाये गये खाते	86.60	101.63
सकल प्रारंभिक शेष	9727.19	11331.19
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	2580.20	4443.31
(ग) वर्ष के दौरान कमी	7719.33	6046.71
(घ) सकल अंतिम शेष	4588.06	9727.79
घटायें - इसीजीसी / डीआईसीजीसी निपटाये गये खाते	28.73	86.60
निवल अंतिम शेष	4559.33	9641.19
(iv) अनर्जक आस्तियों के प्रावधानों का संचलन (मानक आस्तियों के प्रावधानों को छोड़कर)		
(क) प्रारंभिक शेष	8662.34	5794.85
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान*	7226.81	5330.89
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन/बट्टे खाते डालना	5167.42	2463.40
(घ) अंतिम शेष	10721.73	8662.34

*31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही/ वर्ष के दौरान, बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप अनुमोदित नीति के अनुसार अवमानक खातों के संबंध में 15% से 20% तथा संदिग्ध II खातों के संबंध में 40% से 50% त्वरित प्रावधान किया। 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान, अवमानक खातों के संबंध में रू.109.63 करोड़ तथा संदिग्ध II खातों के संबंध में रू.218.57 करोड़ का त्वरित/ अतिरिक्त प्रावधान किया गया।

वसूली में अनिश्चितता को देखते हुए बैंक ने 17 आरबीआई संदर्भित एनसीएलटी खातों के संबंध में रू.4856.98 करोड़ का प्रावधान किया है जो कि 31 मार्च, 2019 के अनुसार बकाया मूल्य का 100% प्रावधान है। एनपीए श्रेणी के अंतर्गत 39 खातों के संबंध में और वसूली में अनिश्चितता को देखते हुए तथा ऐसे खातों में आधारभूत आस्तियों के मूल्य में ह्रास के संबंध में बैंक ने 3449.54 करोड़ का प्रावधान किया है जो कि 31 मार्च, 2019 के अनुसार बकाया मूल्य का 100% प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान दबावग्रस्त आस्ति के संबंध में बैंक द्वारा रू.98 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

निष्पादित के साथ-साथ गैर-निष्पादित आईएलएफएस समूह खातों के संबंध में बैंक ने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान रू.387.53 करोड़ राशि का 100% प्रावधान किया गया है।

4. Asset Quality

4.1 Non-Performing Assets

(Rs.in Crore)

Particulars	31.03.2019	31.03.2018
(i) Net NPAs to Net Advances (%)	5.52	11.24
(ii) Movement of NPAs (Gross)		
(a) Opening balance	18433.23	17188.71
(b) Additions during the year	4304.22	5734.87
(c) Reductions during the year	7412.96	4490.35
(d) Closing balance	15324.49	18433.23
(iii) Movement of Net NPAs		
(a) Opening balance	9641.19	11229.56
Add: ECGC/DICGC Settled amount	86.60	101.63
Gross: Opening Balance	9727.19	11331.19
(b) Additions during the year	2580.20	4443.31
(c) Reductions during the year	7719.33	6046.71
(d) Gross closing balance	4588.06	9727.79
Less ECGC/DICGC Settled amount	28.73	86.60
Net closing Balance	4559.33	9641.19
(iv) Movement of provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
(a) Opening balance	8662.34	5794.85
(b) Provisions made during the year*	7226.81	5330.89
(c) Write-back/write off of excess provisions	5167.42	2463.40
(d) Closing balance	10721.73	8662.34

*During the quarter/year ended March 31, 2019, the Bank has made accelerated provision in respect of Sub Standard Accounts from 15% to 20% and in respect of Doubtful II accounts from 40% to 50% as per the approved Board Policy in line with RBI guidelines. The accelerated/ additional provision made during the year ended March 31, 2019 is Rs.109.63 crore in respect of Sub Standard accounts and Rs.218.57 crore in respect of Doubtful II accounts.

In respect of 17 RBI referred NCLT accounts, looking at the uncertainty in recovery, the Bank holds provision of Rs.4856.98 crore, which represents 100% provision of the outstanding value as on March 31, 2019. In respect of 39 accounts under NPA Category and in view of uncertainty of recovery and deterioration in value of underlying assets in such accounts, Bank holds provision of Rs. 3449.54 crore as on March 31, 2019 which represents 100% provision of the outstanding amount as on March 31, 2019. Further in respect of stressed performing asset during the year ending March 31, 2019 bank holds provision of Rs. 98 crore.

In respect of ILFS group accounts, performing as well as non performing, Bank has made 100% provisioning amounting to Rs. 387.53 crore during the year ended March 31, 2019.

4.2 परिसंपत्ति वर्गीकरण में अंतर और अनर्जक आस्ति के लिए प्रावधान

(रु. करोड़ में)

अनु. क्र.	विवरण	राशि
1	बैंक द्वारा की गई रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च, 2018 को सकल एनपीए	18433.23
2	31 मार्च 2018 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मूल्यांकन के रूप में सकल एनपीए	18562.43
3	सकल एनपीए में विजलन (2-1)	129.20
4	बैंक द्वारा रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2018 को निवल एनपीए	9641.19
5	31 मार्च 2018 तक निवल एनपीए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मूल्यांकन के अनुसार	9453.08
6	निवल एनपीए में विचलन (5-4)	188.11
7	बैंक द्वारा रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2018 को एनपीए के लिए प्रावधान	8662.34
8	31 मार्च 2018 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मूल्यांकन के अनुसार एनपीए के लिए प्रावधान	8979.64
9	प्रावधान में विचलन (8-7)	317.30
10	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कर के बाद रिपोर्ट किया गया निवल लाभ (पीएटी)	-1145.65
11	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए समायोजित (काल्पनिक) कर के बाद निवल लाभ (पीएटी) समायोजन में विजलन को ध्यान में रखते हुए	-1462.95

4.3 आस्ति पुनर्निर्माण हेतु प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

(रु.करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2019	31.03.2018
1.	खातों की संख्या	4	3
2.	प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेचे गए खातों का (प्रावधानों के बाद) कुल मूल्य	219.54	4.26
3.	कुल प्रतिफल	204.43	8.96
4.	पूर्व वर्षों में अंतरित खातों के मामले में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	0.00	0.00
5.	निवल खाता बही मूल्य पर सकल प्राप्ति/ हानि	-15.11	4.70

वर्ष 2018-19 के दौरान, बैंक ने 31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही के दौरान रु.11.26 करोड़ (रु. शून्य) सहित रु.219.54 करोड़ (रू.4.26 करोड़) बही मूल्य की अनर्जक आस्तियां बेचीं, जिसके परिणामस्वरूप अनर्जक आस्तियों में कमी आई।

निवल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक मूल्य का विक्रय प्रदर्शित होने पर एनपीए के विक्रय के कारण अतिरिक्त प्रावधानों की प्रमात्रा को लाभ एवं हानि खाते में रिवर्स कर दिया गया है। दो वर्षों की अवधि में, एनबीवी से कम विक्रय मूल्य होने पर एआईएफआई को कमी का समय-विस्तार करने की अनुमति है। कमी का समय-विस्तार करने की यह सुविधा आवश्यक प्रकटन के अधीन तथा 31 मार्च, 2019 तक विक्रय किए गए एनपीए के लिए उपलब्ध रहेगी।

वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक ने एआरसी को की गई आस्तियों की बिक्री पर रु.15.11 करोड़ की हानि को लेखांकित किया।

4.2 Divergence in Asset Classification and Provisioning for NPAs

(Rs in Crores)

S N	Particulars	Amount
1	Gross NPAs as on March 31, 2018 as reported by the bank	18433.23
2	Gross NPAs as on March 31, 2018 as assessed by RBI	18562.43
3	Divergence in Gross NPAs (2-1)	129.20
4	Net NPAs as on March 31, 2018 as reported by the bank	9641.19
5	Net NPAs as of March 31, 2018 as assessed by RBI	9453.08
6	Divergence in Net NPAs (5-4)	188.11
7	Provisions for NPAs as on March 31, 2018 as reported by the bank	8662.34
8	Provisions for NPAs as on March 31, 2018 as assessed by RBI	8979.64
9	Divergence in provisioning (8-7)	317.30
10	Reported Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2018	-1145.65
11	Adjusted (notional) Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2018 after taking into account the divergence in provisioning	-1462.95

4.3 Details of financial assets sold to securitization / Reconstruction Company for Asset Reconstruction

(Rs. in Crore)

S. N.	Particulars	31.03.2019	31.03.2018
1	No. of accounts	4	3
2	Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	219.54	4.26
3	Aggregate consideration	204.43	8.96
4	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	0.00	0.00
5	Aggregate gain/loss over net book value.	-15.11	4.70

During the year 2018-19, the Bank has sold non-performing assets of the book value of Rs.219.54 crore (Rs.4.26 crore) including Rs. 11.26 crores (Rs. Nil), during the quarter ended March 31, 2019 resulting in reduction of NPAs.

The quantum of excess provisions reversed to the profit and loss account on account of sale of NPAs, where the sale is for a value higher than the net book value (NBV) shall be disclosed. AIFIs are permitted to spread over any shortfall, if the sale value is lower than the NBV, over a period of two years. This facility of spreading over the shortfall shall be available for NPAs sold up to March 31, 2019 and shall be subject to necessary disclosures.

During the year 2018-19, the Bank has accounted for loss of Rs. 15.11 crores incurred on sale of assets to ARC.

4.4 प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनी को वित्तीय आस्तियों की बिक्री और संबंधित मुद्दे
Sale of financial assets to Securitization Company / Reconstruction Company and related issues

(रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)

विवरण Particulars	बैंक द्वारा बेची गई अंतर्निहित अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित Backed by NPAs sold by the bank as underlying		अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों/गैर वित्तीय कंपनियों द्वारा बेची गई अंतर्निहित अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित Backed by NPAs sold by other banks/financial institutions/ non-financial companies as underlying		कुल Total	
	चालू वर्ष Current Year 31.3.2019	पिछला वर्ष Previous Year 31.3.2018	चालू वर्ष Current Year 31.3.2019	पिछला वर्ष Previous Year 31.3.2018	चालू वर्ष Current Year 31.3.2019	पिछला वर्ष Previous Year 31.3.2018
जमानत रसीदों में निवेश का बही मूल्य Book Value of Investment in Security Receipts	129.74*	130.43	0.00	0.00	129.74	130.43

** **टिप्पणी** : बैंक ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान रू.12.77 करोड़ की राशि की सुरक्षा रसीद के अंशदान हेतु आवेदन किया जिससे वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान एसआर प्राप्त हुए, जिसे वित्तीय वर्ष 2018-19 में निवेश के रूप में माना गया।*

*Note:- *Bank had applied for subscription of Security Receipt amounting to Rs 12.77 crores during 2017-18 and as SRs were received during FY 2018-19, the same has been considered as investment in FY 2018-19.*

वर्ष की समाप्ति पर पूंजी में बकाया निवेशों के बही मूल्य के ब्यौरे निम्नानुसार हैं
The details of the book value of investments outstanding at the end of the year in capital are as under:

(रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)

	विवरण Particulars	31.3.2019 को as on 31.3.2019	31.3.2018 को as on 31.3.2018
i)	अंतर्निहित के रूप में बैंक द्वारा बेची गई अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित Backed by NPAs sold by Bank as underlying	336.18*	215.44
ii)	अंतर्निहित के रूप में अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों/गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेची गई अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित Backed by NPAs sold by other Banks /financial institutions / non-banking financial companies as underlying	0.00	0.00
	कुल Total	**336.18**	**215.44**

*नोट : *रु.37.58 करोड़ हेतु मानक आस्तियों के विक्रय से प्रतिभूति रसीदों में निवेश को प्रतिभूति रसीदों में वर्ष की समाप्ति पर बकाया निवेशों के बही मूल्य में शामिल नहीं किया गया। Note: *Investment in security receipt from sale of standard asset of Rs. 37.58 crore has been excluded from book value of investments outstanding at the end of the year in security receipts.*

प्रतिभूति रसीदों में निवेश का प्रकटीकरण Disclosure of investment in Security Receipts
(आरबीआई के दिनांक 01/09/2016 के परिपत्र डीबीआर.क्र.बीपी.बीसी.9/21.04.048/2016-17 के अनुसार)
(As per RBI circular DBR.No.BP.BC.9/21.04.048/2016-17 dated 01/09/2016)

(रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)

	विवरण Particulars	पिछले 5 वर्षों में जारी की गई एसआर SRs issued within past 5 years	5 वर्षों से अधिक से पूर्व में परंतु पिछले 8 वर्षों से भीतर जारी की गयी एसआर SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years	8 वर्षों से अधिक से पहले जारी की गयी एसआर SRs issued more than 8 years ago
i)	बैंक द्वारा बेची गई एनपीए द्वारा समर्थित एसआर का बही मूल्य Book Value of SRs Backed by NPAs sold by the bank as underlying	298.45	34.98	2.75
	(i) के लिए धारित प्रावधान Provision held against (i)	64.72**	0.00	2.75*
ii)	अन्य बैंक/ वित्तीय संस्थाएं/ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां द्वारा बेची गई एनपीए द्वारा समर्थित एसआर का बही मूल्य Book Value of SRs Backed by NPAs sold by other banks / financial institutions / non-banking financial companies as underlying	0.00	0.00	0.00
	(ii) के लिए धारित प्रावधान Provision held against (ii)	0.00	0.00	0.00
	कुल i) + ii) TOTAL i) + ii)	**298.45**	**34.98**	**2.75**

*एमटीएम मूल्यह्रास हेतु प्रावधान सहित *Includes provision towards MTM depreciation

**रु.64.38 करोड़ के लिए बैंक की बहियों में जारी अनुमानित ऋण मानते हुए अंतर्निहित ऋणों के प्रति और रु.0.34 करोड़ के लिए एमटीएम मूल्यह्रास के प्रति प्रावधान सहित
** Includes provision towards MTM depreciation for Rs. 0.34 crore and towards underlying loans, assuming the loans notionally continued in the books of the bank for Rs. 64.38 crore.

नोट : 01.04.2018 से 50% की प्रारंभिक सीमा को घटाकर 10% कर दिया गया है।
Note : From 01.04.2018, the threshold limit of 50% is reduced to 10%

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 13-6-2016 के परिपत्र क्र.बीपी.बीसी. 102/21.04.048/2015-16 के अनुसार प्रावधान वर्ष के दौरान प्रतिभूति कंपनी/ पुनर्निमाण कंपनी को एनपीए की बिक्री में कमी को पूरा करने के लिए शून्य प्रावधान किया गया।

As per RBI circular DBR No. BP.BC.102/21.04.048/2015-16 dated 13.06.2016, Nil provision was made during the year to meet the shortfall in sale of NPA's to Securitization Company/Reconstruction Company.

4.5 अन्य बैंकों से खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के ब्यौरे (रु. करोड़ में)

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
1. (क) वर्ष के दौरान खरीदे गये खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(ख) सकल बकाया	0.00	0.00
2. (क) इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(ख) सकल बकाया	0.00	0.00

4.6 अन्य बैंकों को बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा (रु. करोड़ में)

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
1. वर्ष के दौरान बेचे गये खातों की संख्या	शून्य	शून्य
2. सकल बकाया	0.00	0.00
3. प्राप्त सकल प्रतिफल	0.00	0.00

4.7 प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण (रु. करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण			31-03-2019 (सं./ राशि)	31-03-2018 (सं./ राशि)
1	बैंक द्वारा प्रतिभूतिकरण संव्यवहारों हेतु प्रायोजित एसपीवी की संख्या*			शून्य	शून्य
2	बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि				
3	तुलनपत्र के दिनांक को एमआरआर अनुपालन के प्रति बैंक द्वारा धारित विगोपन की कुल राशि				
	क)	तुलनपत्र बाह्य विगोपन			
		प्रथम हानि			
		अन्य			
	ख)	तुलनपत्र की मदों के अंतर्गत विगोपन			
		प्रथम हानि			
		अन्य			
4	एमआरआर के अलावा प्रतिभूतिकरण संव्यवहारों के प्रति विगोपन की राशि				
	क)	तुलनपत्र बाह्य विगोपन			
		i)	स्वयं के प्रतिभूतिकरण के प्रति विगोपन		
			प्रथम हानि		
			अन्य		
		ii)	तीसरे पक्ष के प्रतिभूतिकरण के प्रति विगोपन		
			प्रथम हानि		
			अन्य		
	ख)	तुलनपत्र की मदों के अंतर्गत विगोपन			
		i)	स्वयं के प्रतिभूतिकरण के प्रति विगोपन		
			प्रथम हानि		
			अन्य		
		ii)	तीसरे पक्ष के प्रतिभूतिकरण के प्रति विगोपन		
			प्रथम हानि		
			अन्य		

4.5 Details of non- performing financial assets purchased from other Banks (Rs. in Crore)

Particulars	31.03.2019	31.03.2018
1 (a) No. of accounts purchased during the year	Nil	Nil
(b) Aggregate outstanding	0.00	0.00
2 (a) Of these, no of accounts restructured during the year	Nil	Nil
(b) Aggregate outstanding	0.00	0.00

4.6 Details of non- performing financial assets sold to other Banks (Rs. in Crore)

Particulars	31.03.2019	31.03.2018
1. No. of accounts sold during the year	Nil	Nil
2. Aggregate outstanding	0.00	0.00
3. Aggregate consideration received	0.00	0.00

4.7 Disclosure relating to Securitization: (Rs. In Crore)

S. N.	Particulars			31-03-2019 (No./ Amount)	31-03-2018 (No./ Amount)
1	No of SPVs sponsored by the bank for securitization transactions*			Nil	Nil
2	Total amount of securitized assets as per books of the SPVs sponsored by the bank				
3	Total amount of exposures retained by the bank to comply with MRR as on the date of balance sheet				
	a)	Off-balance sheet exposures			
		First loss			
		Others			
	b)	On-balance sheet exposures			
		First loss			
		Others			
4	Amount of exposures to securitization transactions other than MRR				
	a)		Off-balance sheet exposures		
		i)	Exposure to own securitizations		
			First loss		
			Loss		
		ii)	Exposure to third party securitizations		
			First loss		
			Others		
	b)	On-balance sheet exposures			
		i)	Exposure to own securitizations		
			First loss		
			Others		
		ii)	Exposure to third party securitizations		
			First loss		
			Others		

4.8 पुनर्संरचित खातों के विवरण

अलग से अनुलग्नक जोड़ा गया है।

4.9 31.03.2019 को दबावग्रस्त आस्तियां (एस4ए) की सतत संरचना

(आरबीआई के दिनांक 10.11.2016 के परिपत्र डीबीआर.क्र.बीपी. बीसी.33/21.04.132/2016-17)

(रु. करोड़ में)

आस्ति वर्गीकरण	खातों की संख्या जहां (एस4ए) लागू किया गया है	बकाया समग्र राशि	बकाया राशि		किए गए प्रावधान
			भाग ए में	भाग बी में	
मानक	3	305.69	294.59	340.65	139.24
एनपीए	2	12.71	0.00	0.00	11.59

4.10 विद्यमान ऋणों की लचीली संरचना

(आरबीआई के दिनांक 10.11.2016 के परिपत्र डीबीआर.क्र.बीपी. बीसी.34/21.04.132/2016-17)

(रु. करोड़ में)

अवधि	लजीलेपन की संरजना के लिए लिए गए उधारकर्ताओं की संख्या	लचीलेपन की संरजना के लिए ली गई ऋण की राशि		लचीली संरचना के लिए उठाए गए ऋणों की अवधि का एक्सपोजर भारित औसत	
		मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	लचीली संरचना लागू करने से पहले	लचीली संरचना लागू करने के पश्चात
विगत वित्तीय वर्ष 2017-18	1	222.82	शून्य	8.53	9.89
चालू वित्तीय वर्ष 2018-19	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

4.8 Particulars of Accounts Restructured

Separate Annexure enclosed

4.9 Sustainable structuring of stressed assets (S4A), as on 31.03.2019

(As per RBI circular DBR.No. BP.BC.33/21.04.132/2016-17 dated 10.11.2016)

(Rs in Crore)

Asset Classification	No of ac-counts where S4A has been applied	Aggregate amount out-standing	Amount outstanding		Provision held
			In Part A	In Part B	
Standard	3	305.69	294.59	340.65	139.24
NPA	2	12.71	0.00	0.00	11.59

4.10 Flexible structuring of Existing Loans

(As per RBI circular DBR.No.BP.BC.34/21.04.132/2016-17 dated 10.11.2016

(Rs in Crore)

Period	No. of borrowers taken up for flexible structuring	Amount of loans taken up for flexible structuring		Exposure weighted average duration of loans taken up for flexible structuring	
		Classified as Standard	Classified as NPA	Before applying flexible structuring	After applying flexible structuring
Previous financial year - 2017-18	1	222.82	Nil	8.53	9.89
Current financial year - 2018-19	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

4.11 रणनीतिक ऋण पुनर्संरचना योजना (जो खाते वर्तमान में स्थिर अवधि के अंतर्गत हैं) Strategic Debt Restructuring Scheme (accounts which are currently under the stand still period)

(रु. करोड़ में) (Rs in Crore)

(दिनांक 10.11.2016 के भारिबैं के परिपत्र डीबीरआर.क्र.बीपी.बीसी.34/21/21.20.132/2016-17 के अनुसार)
As per RBI circular DBR.NO.BP.BC.34/21/21.20.132/2016-17 dated 10-11-2016)

खातों की संख्या जहां एसडीआर लागू किया गया है No of accounts where SDR has been invoked	रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार Amount Outstanding as on the reporting date		खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तिथि के रूप में बकाया राशि जहां इक्विटी के लिए ऋण का रूपांतरण लंबित है Amount outstanding as on reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity is pending		खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तिथि के रूप में बकाया राशि जहां इक्विटी के लिए ऋण का रूपांतरण हुआ है Amount outstanding as on reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity has taken place	
	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA
शून्य - भारतीय रिजर्व बैंक ने 12.02.2018 से एसडीआर योजना को निरस्त किया है Nil- as RBI has repealed the SDR Scheme with effect from 12.02.2018						

4.12 एसडीआर योजना के बाहर स्वामित्व में परिवर्तन (जो खाते वर्तमान में स्थिर अवधि के अंतर्गत हैं) Change in ownership outside SDR Scheme (accounts which are currently under stand still period)

(रु.करोड़ में) (Rs in Crore)

(दिनांक 10.11.2016 के भारिबैं के परिपत्र डीबीरआर.क्र.बीपी.बीसी.34/21/21.20.132/2016-17 के अनुसार)
As per RBI circular DBR.NO.BP.BC.34/21/21.20.132/2016-17 dated 10-11-2016)

खातों की संख्या जहां बैंकों ने स्वामित्व में परिवर्तन का फैसला किया है No of accounts where banks have decided to effect change in ownership	रिपोर्टिंग दिनांक को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date		खातों के संबंध रिपोर्टिंग की दिनांक के रूप में बकाया राशि जहां इक्विटी शेयरों की प्रतिभूति / इक्विटी के प्रतिभूति का रूपांतरण लंबित है Amount outstanding as on reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares is pending		खातों के संबंध में रिपोर्टिंग की तिथि के रूप में बकाया राशि, जहां इक्विटी शेयरों की प्रतिभूति / इक्विटी के प्रति समर्पण के लिए रूपांतरण किया गया है Amount outstanding as on reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/ invocation of pledge of equity shares has taken place		खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तिथि के रूप में बकाया राशि, जहां नए शेयर जारी करने या प्रमोटर इक्विटी की बिक्री के द्वारा स्वामित्व में बदलाव की परिकल्पना की गई है Amount outstanding as onreporting date with respect to accounts where change in ownership is envisaged by issuance of fresh shares or sale of promoters equity	
	के रूप में वर्गीकृत Classified as		के रूप में वर्गीकृत Classified as		के रूप में वर्गीकृत Classified as		के रूप में वर्गीकृत Classified as	
	मानक Standard	एनपीए NPA	मानक Standard	एनपीए NPA	मानक Standard	एनपीए NPA	मानक Standard	एनपीए NPA
शून्य - भारतीय रिजर्व बैंक ने 12.02.2018 से एसडीआर योजना को निरस्त किया है Nil- as RBI has repealed the SDR Scheme with effect from 12.02.2018								

4.13 कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाओं के स्वामित्व में परिवर्तन (जो खाते अभी भी स्थिर अवधि खातों के अंतर्गत हैं)

(आरबीआई के दिनांक 10.11.2016 के परिपत्र डीबीआर.क्र.बीपी. बीसी.34/21.04.132/2016-17)

(रु.करोड़ में)

परियोजना ऋण खातों की संख्या जहां बैंकों ने स्वामित्व में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है	रिपोर्टिंग दिनांक के अनुसार बकाया राशि		
	मानक के रूप में वर्गीकृत	मानक पुनर्संरचना के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
शून्य - भारतीय रिजर्व बैंक ने 12.02.2018 से एसडीआर योजना को निरस्त किया गया है			

वर्ष के अंत में 'अन्य आरक्षितियों' से असंबद्ध प्रावधान नामे किए जाने पर वर्ष 2018-19 के दौरान प्रमात्रा और दबावग्रस्त आस्तियों की स्थायी संरचना के अंतर्गत कोई प्रावधान नहीं किए गए। (आरबीआई के दिनांक 13.06.2016 के परिपत्र डीबीआर.क्र. बीपी. बीसी.103/21.04.132/2015-16 के अनुसार)

4.14 मानक आस्तियों पर प्रावधान

(रु. करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2019	31.03.2018
1	मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	621.13*	549.71
2	फॉरेक्स मानक आस्तियों (डेरिवेटिव विगोपन) हेतु प्रावधान	1.98	0.14
3	अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन हेतु प्रावधान	2.49	4.93
4	डेरिवेटिव ब्याज दर	शून्य	0.00
	कुल	**625.60**	**554.78**

* दबावग्रस्त मानक आस्तियों पर रू.129.87 करोड़ के प्रावधान सहित।

4.15 अस्थिर प्रावधानों के विवरण

(रु. करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2019	31.03.2018
क.	अस्थिर प्रावधानों के खाते में प्रारंभिक शेष	0.00	0.00
ख.	लेखा वर्ष के दौरान किया गया अस्थिर प्रावधान	0.00	0.00
ग.	लेखा वर्ष के दौरान आहरित की गई रकम	0.00	0.00
घ.	अस्थिर प्रावधानों के खातों में अंतिम शेष	0.00	0.00

बैंक का रु.21.06 करोड़ (रु. 21.06 करोड़) का सामान्य प्रावधान है,जो कि बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) की गणना हेतु प्रयुक्त किया जाता है।

4.16 एनपीए और प्रावधानों पर आरबीआई के दिनांक 12.02.2018 के परिपत्र डीबीआर.क्र.बीपी.बीसी.101/21.04.048/2017-18 का प्रभाव

(रु. करोड़ में)

आरबीआई के परिपत्र से प्रभावित ऋणों की राशि (i)	एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए जाने हेतु ऋणों की राशि (ii)	31.03.2019 के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत (ii) में से ऋणों की राशि (iii)	आरबीआई के परिपत्र से प्रभावित अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋणों के लिए अपेक्षित अतिरिक्त प्रावधान (iv)	31.03.2019 द्वारा (iv) में से अभी तक किए गए प्रावधान (v)
शून्य				

4.13 Change in Ownership of Projects under Implementation (accounts which are currently under the stand still period)

(As per RBI circular DBR.No.BP.BC.34/21.04.132/2016-17 dated 10.11.2016)

(Rs in Crore)

No of Project loan accounts where banks have decided to effect change in ownership	Amount outstanding as on the reporting date		
	Classified as Standard	Classified as standard restructured	Classified as NPA
Nil- as RBI has repealed the SDR Scheme with effect from 12.02.2018			

During the year 2018-19 Nil provision was made under sustainable structuring of stressed assets and the quantum if unamortized provision debited to "other reserves" as at the end of the year (As per RBI circular DBR.No.BP.BC. 103/21.04.132/2015-16 dated 13.06.2016)

4.14 Provisions on Standard Assets

(Rs. in Crore)

S.N	Particulars	31.03.2019	31.03.2018
1	Provisions towards Standard Advances	621.13*	549.71
2	Provisions towards Standard Assets (Derivative exposure) Forex	1.98	0.14
3	Provision towards Un-hedged Foreign Currency Exposure	2.49	4.93
4	Interest rate derivative	Nil	0.00
	Total	**625.60**	**554.78**

*Including Provision of Rs.129.87 crores on Stressed Standard Assets.

4.15 Details of floating provision

(Rs. in Crore)

SN	Particulars	31.03.2019	31.03.2018
a	Opening Balance in the floating provisions account	0.00	0.00
b	The quantum of floating provisions made in the accounting year	0.00	0.00
c	Amount of draw down made during the accounting year	0.00	0.00
d	Closing Balance in the floating provisions account	0.00	0.00

The Bank is holding a general provision of Rs.21.06 crore (Rs.21.06 crore) which has been reckoned while computing the provision coverage ratio (PCR) as per RBI permission.

4.16 Impact of RBI circular DBR.No.BP.BC.101/21.04.048/2017-18 dated 12.02.2018 on NPAs & provisions.

(Rs. in Crore)

Amount of loans impacted by RBI Circular (i)	Amount of Loans to be classified as NPA (ii)	As on 31.03.2019 amount of loans out of (ii) classified as NPA (iii)	Additional Provision required for loans classified as NPA as per RBI Circular impact (iv)	Provision out of (iv) already made by 31.03.2019 (v)
Nil				

5. कारोबारी अनुपात:

क्र.	विवरण	31.03.2019	31.03.2018
i	कार्यशील निधियों से ब्याज आय का प्रतिशत	6.82%	7.03%
ii	कार्यकारी निधियों से गैरब्याजी आय का प्रतिशत	0.97%	0.95%
iii	कार्यकारी निधियों से परिचालनगत लाभ का प्रतिशत	1.38%	1.39%
iv	आस्तियों पर आय	(3.01)	(0.73)
v	प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा + अग्रिम) (रु. करोड़ में)	18.13	18.07
vi	प्रति कर्मचारी लाभ (रू. लाख में)	(37.05)	(11.81)

5. Business Ratios

S N	Particulars	31.03.2019	31.03.2018
i	Interest Income as a percentage to Working Funds.	6.82%	7.03%
ii	Non-Interest Income as a percentage to Working Funds.	0.97%	0.95%
iii	Operating Profit as a percentage to Working Funds.	1.38%	1.39%
iv	Return on Assets	(3.01)	(0.73)
v	Business (Deposits + Advances) per employee (Rs. in Crore)	18.13	18.07
vi	Profit per Employee (Rs. in Lakh)	(37.05)	(11.81)

6. आस्ति देयता प्रबंधन:
Asset Liability Management:

आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता पध्दति (रु.करोड़ में)
Maturity pattern of certain items of Assets and Liabilities (Rs. in Crore)

विवरण Particulars	1 दिन 1 day	2 से 7 दिन 2 to 7 days	8 से 14 दिन 8 to 14 days	15 से 30 दिन 15 to 30 days	31 दिन से 2 माह 31 days to 2months	2 माह से अधिक 3 माह तक Over 2 months and up to 3 months	3 माह से अधिक और 6 माह तक Over 3 months up to 6 months	6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक Over 6 months up to 1 year	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक Over 1 year up to 3 years	3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक Over 3 years up to 5 years	5 वर्ष से अधिक Over 5 years	कुल Total
जमाराशियां Deposits	426.57	1732.59	1813.67	3193.24	3898.38	5228.02	9979.94	41257.05	25130.68	43356.08	4633.86	140650.09
अग्रिम Advances	627.78	6232.71	1200.93	4019.74	2065.88	1274.76	8308.95	5772.29	36668.43	11125.19	16170.04	93466.70
निवेश Investments	279.94	1216.70	1646.73	838.04	3447.08	2794.46	2883.00	1336.92	5133.96	2287.75	38299.12	60163.69
उधारियां Borrowings	35.39	5281.11	1500.00	130.00	0.00	0.00	96.62	584.00	22.00	1000.00	1500.05	10149.17
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ Foreign Currency Assets	688.61	2446.98	23.26	1164.59	624.21	553.13	723.60	2559.57	359.84	0.00	0.00	9143.77
विदेशी मुद्रा देयताएँ Foreign Currency Liabilities	772.86	1847.35	822.76	1197.15	296.64	871.78	666.42	2517.62	204.65	37.27	0.00	9234.48

6.1 तरलता कवरेज अनुपात :
Liquidity Coverage Ratio:

मात्रात्मक प्रकटन: (रु.करोड़ में)
Quantitative Disclosure: (Rs in Crore)

		2018-19		2017-18	
		कुल अभारित मूल्य (औसत) Total Un-weighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (average)	कुल अभारित मूल्य (औसत) Total Un-weighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (average)
उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियां High Quality Liquid Assets (HQLAs)					
1	कुल उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियां Total High Quality Liquid Assets		31366.06		22538.72
नकदी बहिर्गमन Cash outflows					

		2018-19		2017-18	
		कुल अभारित मूल्य (औसत) Total Un-weighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (average)	कुल अभारित मूल्य (औसत) Total Un-weighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (average)
2	रिटेल जमाराशियां और छोटे व्यवसायी ग्राहकों से जमाराशियां Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	113293.15	9733.77	110071.86	9423.44
(i)	स्थिर जमाराशियां Stable deposits	31910.82	1595.54	31674.91	1583.75
(ii)	कम स्थिर जमाराशियां Less stable deposits	81382.33	8138.23	78396.95	7839.70
3	अरक्षित थोक निधियन, जिनमें से : Unsecure wholesale funding, of which:	19343.46	11333.58	21146.07	12331.89
(i)	परिचालनगत जमाराशियां (सभी प्रतिपक्ष) Operational deposits (all counterparties)	25.69	6.42	80.31	20.08
(ii)	अपरिचालनगत जमाराशियां (सभी प्रतिपक्ष) Non-operational deposits (all counterparties)	19318.27	11327.16	21065.77	12311.81
(iii)	अरक्षित ऋण Unsecured debt	0.00	0.00	0.00	0.00
4	रक्षित थोक निधियन Secured wholesale funding	806.41	0.00	236.85	0.00
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिनमें से : Additional requirements, of which:	10904.95	1253.97	15760.49	1841.35
(i)	डेरिवेटिव विगोपन और अन्य सहायक आवश्यकताओं संबंधी बहिर्गमन Outflows related to derivatives exposure and other collateral requirements	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधियन की हानि संबंधी बहिर्गमन Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	ऋण और तरलता उत्पाद Credit and liquidity products	10904.95	1253.97	15760.49	1841.35
6	अन्य अनुबंधात्मक निधियन बाध्यताएं Other contractual funding obligations	74.94	74.94	261.87	261.87
7	अन्य आकस्मिक निधियन बाध्यताएं Other contingent funding obligations	15063.76	539.64	13330.16	426.21
8	**कुल नकदी बहिर्गमन Total cash outflows**		**22935.90**		**24284.76**
नकदी अंतर्वाह Cash inflows					
9	रक्षित उधारी (उदा.प्रतिवर्तित रेपो) Secured lending (e.g. reverse repos)	5342.42	0.00	9079.50	0.00
10	पूर्ण निष्पादक विगोपनों से अंतर्वाह Inflows from fully performing exposures	5216.31	4239.11	12918.05	12150.28
11	अन्य नकदी अंतर्वाह Other cash inflows	1877.41	1718.70	1852.22	1746.12
12	**कुल नकदी अंतर्वाह TOTAL CASH INFLOWS**	**12436.14**	**5957.81**	**23849.77**	**13896.40**
			कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value
13	कुल उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियां TOTAL HQLA		31366.06		22538.72
14	कुल निवल नकदी अंतर्वाह TOTAL NET CASH OUTFLOWS		16978.09		10388.36
15	तरलता कवरेज अनुपात (%) Liquidity coverage ratio (%)		184.74%		216.96%

गुणात्मक

तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक के पास भाररहित उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियों (एचक्यूएलए) का पर्याप्त स्टाक है, तरलता दबाव परिदृश्य में 30 कैलेण्डर दिनों की समय सीमा के लिए अपनी तरलता आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसे तत्काल और सरलता से नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है।

एलसीआर का परिकलन 30 कैलेण्डर दिनों की दबावग्रस्त अवधि पर अनुमानित निवल बहिर्वाह द्वारा भाररहित उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियों (एचक्यूएलए) की राशि को विभक्त कर किया जाता है। निवल नकदी बहिर्वाह का परिकलन देयताओं की विभिन्न श्रेणियों (जमाराशियों, प्रत्याभूत व गैर प्रत्याभूत थोक उधारियां) के साथ ही 30 दिनों के भीतर परिपक्व होने वाली आस्तियों से होने वाले अंतर्वाह द्वारा समायोजित अनाहरित प्रतिबद्धताओं और व्युत्पन्न संबंधित विगोपनों हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट बहिर्वाह घटकों को लागू कर किया जाता है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए दैनिक आधार पर औसत एलसीआर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम 100% की आवश्यकता की तुलना में 184.74% रहा है।

7. जमा, अग्रिमों, विगोपन तथा अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण

7.1 जमाराशियों का संकेन्द्रण

(रु. करोड़ में)

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
बीस सबसे बडे जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां	7921.92	8700.22
बैंक की कुल जमाराशियों से बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियों का प्रतिशत	5.63%	6.26%

7.2 अग्रिमों का संकेन्द्रण

(रु. करोड़ में)

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के कुल अग्रिम	13774.44	12290.00
बैंक के कुल अग्रिमों से बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	14.74%	12.99%

7.3 विगोपनों का संकेन्द्रण

(रु.करोड़ में)

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों का कुल विगोपन	15606.14	14744.89
उधारकर्ताओं / ग्राहकों पर में बैंक के कुल विगोपन से कुल अग्रिमों से 20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों के विगोपन का प्रतिशत	14.40%	11.99%

7.4 अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण

(रु. करोड़ में)

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
पहले 4 अनर्जक खातों में कुल विगोपन	2422.31	3068.45

7.5 सकल अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण

(रु.करोड़ में)

विवरण	2018-19	2017-18
दिनांक 1 अप्रैल को सकल अनर्जक आस्तियां (आरंभिक शेष)*	18433.23	17188.71
भिन्नताओं के साथ वर्ष के दौरान (नई अनर्जक आस्तियां) वृद्धि	4304.22	5734.87

Qualitative

The Liquidity Coverage Ratio (LCR) aims to ensure that a bank has an adequate stock of unencumbered High-Quality Liquid Assets (HQLA) that can be converted into cash easily and immediately to meet its liquidity needs for a 30 calendar day liquidity stress scenario

The LCR is calculated by dividing the amount of High Quality Liquid unencumbered Assets (HQLA) by the estimated net outflows over a stressed 30 calendar day period. The net cash outflows are calculated by applying RBI prescribed outflow factors to the various categories of liabilities (deposits, unsecured and secured wholesale borrowings), as well as to undrawn commitments and derivative-related exposures,zzznetted by inflows from assets maturing within 30 days

Average LCR on a daily basis for the year ended 31st March 2019 was 184.74% above RBI prescribed minimum requirement of 100.00%

7. Concentration of Deposits, Advances, Exposure and NPA

7.1 Concentration of Deposits

(Rs. in Crore)

Particulars	31.03.2019	31.03.2018
Total Deposits of Twenty largest Depositors	7921.92	8700.22
Percentage of Deposits of Twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	5.63%	6.26%

7.2 Concentration of Advances

(Rs. in Crore)

Particulars	31.03.2019	31.03.2018
Total Advances of Twenty largest borrowers	13774.44	12290.00
Percentage of Advances of Twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	14.74%	12.99%

7.3 Concentration of Exposure

(Rs. in Crore)

Particulars	31.03.2019	31.03.2018
Total Exposure to twenty largest borrowers / customers	15606.14	14744.89
Percentage of Exposures of Twenty largest borrowers / customers to Total Exposure of the Bank on borrowers / customers	14.40%	11.99%

7.4 Concentration of NPAs

(Rs. in Crore)

Particulars	31.03.2019	31.03.2018
Total Exposure to top four NPA accounts	2422.31	3068.45

7.5 Movement of Gross NPAs

(Rs. in Crore)

Particulars	2018-19	2017-18
Gross NPAs as on 1st April (Opening Balance)*	18433.23	17188.71
Additions (Fresh NPA) during the year including variations	4304.22	5734.87

उपजोड़ (क)	22737.45	22923.58
घटाएं :		
(i) कोटि उन्नयन	262.06	265.09
(ii) वसूलियां (कोटि उन्नत खातों में हुई वसूलियों को छोड़कर)	2024.03	1764.93
(iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते	4163.59	2306.01
(iv) उपर्युक्त (iii) के अंतर्गत दर्शाए गए बट्टे खातों को छोड़कर	963.28	154.32
उपजोड़ (ख)	**7412.96**	**4490.35**
31 मार्च को (लेखाबंदी शेष) सकल अनर्जक आस्तियां (क-ख)	15324.49	18433.23

*दिनांक 24 सितंबर, 2009 के डीबीओडी परिपत्र डीबीओडी.बीपी.बीसी. क्र.46/21.04.048/2009-10 के अनुलग्नक की मद 2 के अनुसार सकल एनपीए

7.6 तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खातों का संचलन

(रु. करोड़ में)

विवरण	2018-19	2017-18
1 अप्रैल को तकनीकी/ विवेकपूर्ण बट्टे खातों का आरंभिक शेष	5254.64	3068.68
जोड़ें : वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते + परिवर्तन	4208.80	2307.77
उपजोड़ (क)	**9463.44**	**5376.45**
घटाएं : वर्ष के दौरान पूर्व तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खातों में हुईं वसूलियां (ख)	275.31	121.81
31 मार्च को लेखाबंदी शेष (क-ख)	9188.13	5254.64

Sub-Total (A)	22737.45	22923.58
Less:		
(i) Up gradations	262.06	265.09
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	2024.03	1764.93
(iii)Technical / Prudential write-off	4163.59	2306.01
(iv) Write-offs other than those under (iii) above	963.28	154.32
Sub-Total (B)	**7412.96**	**4490.35**
Gross NPAs as on 31st March (Closing Balance) (A-B)	15324.49	18433.23

* Gross NPA as per item 2 of Annex to DBOD Circular DBOD.BP.BC. No.46/21.04.048/2009-10 dated September 24, 2009.

7.6 Movement of Technical / Prudential Write off

(Rs. in Crore)

Particulars	2018-19	2017-18
Opening balance of Technical / Prudential written-off accounts as at 1st April	5254.64	3068.68
Add: Technical / Prudential write -offs during the year + variation	4208.80	2307.77
Sub-Total (A)	**9463.44**	**5376.45**
Less: Recoveries made from previous technical / prudential written-off accounts during the year (B)	275.31	121.81
Closing balance as at 31st March (A-B)	9188.13	5254.64

7.7 क्षेत्रवार अग्रिम
Sector-Wise Advances:

(रु.करोड़ में)
(Rs. in Crore)

क्रमांक S.N.		क्षेत्र Sector	2018-19			2017-18		
			बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल अनर्जक आस्तियां Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों से सकल अनर्जक आस्तियों का (%) Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector (%)	बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल अनर्जक आस्तियां Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों से सकल अनर्जक आस्तियों का (%) Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector (%)
क A		**प्राथमिकता क्षेत्र Priority Sector**						
	1	कृषि और सहायक गतिविधियां Agriculture and allied activities	15119.74	2913.81	19.27	14861.48	2284.87	15.37
	2	प्राथमिकता क्षेत्र उधारियों के रूप में पात्र औद्योगिक क्षेत्र को अग्रिम Advances to industries sector eligible as priority sector lending	4319.64	816.89	18.91	5229.95	1527.33	29.20
	3	सेवाएं Services	9407.56	1484.33	15.78	10710.15	1936.00	18.08
	4	वैयक्तिक ऋण Personal loans	6584.20	395.40	6.01	6719.54	434.87	6.47
		उप-जोड़ (क) Sub-total (A)	**35431.14**	**5610.42**	**15.83**	**37521.12**	**6183.07**	**16.48**
ख B		**गैर प्राथमिकता क्षेत्र Non-Priority Sector**						
	1	कृषि और सहायक गतिविधियां Agriculture and allied activities	100.56	0.00	0.00	205.15	205.15	100

	2	उद्योग Industry	21497.06	6875.34	31.98	21542.86	9597.47	44.55
	3	सेवाएं Services	22529.03	2434.08	10.80	20137.83	1526.87	7.58
	4	वैयक्तिक ऋण Personal loans	**13908.91**	**404.65**	**2.91**	**15238.24**	**920.68**	**6.04**
		उप-जोड़ (ख) Sub-total (B)	**58035.56**	**9714.07**	**16.74**	**57124.08**	**12250.17**	**21.44**
		कुल (क+ख) Total (A+B)	**93466.70**	**15324.49**	**16.40**	**94645.20**	**18433.24**	**19.48**

7.8 विदेशों में आस्तियां, अनर्जक आस्तियां व राजस्व

(रु. करोड़ में)

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
कुल आस्तियां	47.51	48.16
कुल अनर्जक आस्तियां	शून्य	शून्य
कुल राजस्व	0.005	0.00

7.9 तुलनपत्र के बाहर प्रायोजित एसपीवी

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
घरेलू	विदेशी
शून्य	शून्य

8. विगोपन:

8.1 स्थावर संपदा (रीयल एस्टेट) क्षेत्र में विगोपन

(रु. करोड़ में)

	श्रेणी	31.03.2019	31.03.2018
क.	प्रत्यक्ष विगोपन	15452.26	18179.94
i)	आवासीय बंधक - जिसमें से रु.25.00 लाख तक के ऋण उधारकर्ता द्वारा अधिग्रहित या अधिग्रहण कीजाने वाली या किराये से दी संपत्ति पर दिये गये ऋण बंधक द्वारा पूर्णतः रक्षित हैं (प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम में शामिल किए जाने के लिए पात्र व्यक्तिगत आवास ऋणों को अलग से दर्शायाजाए)	13032.21 5778.01	14871.31 7204.38
ii)	वाणिज्यिक स्थावर संपदाः वाणिज्यिक स्थावर संपदा पर बंधक द्वारा रक्षित ऋण (कार्यालय भवन, रिटेल स्थान, बहुप्रयोज्य वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, अधिक किरायेदारों वाले वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम स्थान, होटल, भूअधिग्रहण, विकास और निर्माण आदि) निवेश में गैरनिधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं भी शामिल हैं	2420.05	3308.63
iii)	बंधक द्वारा प्रतिरक्षित प्रतिभूतियों (एमबीएस) तथा अन्य रक्षित विगोपनों में निवेश- क) आवासीय ख) वाणिज्यिक स्थावर संपदा	शून्य शून्य	शून्य शून्य
ख)	अप्रत्यक्ष निवेश राष्ट्रीय आवास बैंक और आवासीय वित्त कंपनियों में निधि आधारित और गैर निधि आधारित निवेश	3789.76	2247.61
	रियल इस्टेट क्षेत्र हेतु कुल विगोपन	**19242.02**	**20427.55**

7.8 Overseas Assets, NPAs and Revenue

(Rs. in Crore)

Particulars	31.03.2019	31.03.2018
Total Assets	47.51	48.16
Total NPAs	Nil	Nil
Total Revenue	0.005	0.00

7.9 Off-balance sheet SPVs sponsored

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
Nil	Nil

8. Exposures:

8.1 Exposure to Real Estate Sector

(Rs. in Crore)

S N	Category	31.03.2019	31.03.2018
a)	Direct exposure	15452.26	18179.94
i)	Residential Mortgages - Out of which Loans up to Rs. 25 lakh Lending fully secured by mortgage on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented; (Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances may be shown separately)	13032.21 5778.01	14871.31 7204.38
ii)	Commercial Real Estate - Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.) Exposure also includes non-fund based (NFB) limits.	2420.05	3308.63
iii)	Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures - a. Residential, b. Commercial Real Estate.	Nil Nil	Nil Nil
b)	*Indirect Exposure* Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).	3789.76	2247.61
	Total Exposure to Real Estate Sector	**19242.02**	**20427.55**

8.2 पूंजी बाजार का विगोपन

(रु. करोड़ में)

	विवरण	31.03.2019	31.03.2018
i)	ईक्विटी शेयर,परिवर्तनीय बॉण्ड, परिवर्तनीय डिबेंचरों, ईक्विटी उन्मुख म्यूच्यूअल फंडों की यूनिटों में जिसकी मूलनिधि का निवेश केवल संस्थागत ऋणों में नहीं किया गया है, में प्रत्यक्ष निवेश	68.61	58.48
ii)	व्यक्तियों के ईक्विटी शेयरों (आईपीओ/ ईएसओपीएस सहित), परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों, ईक्विटी उन्मुख म्यूच्यूअल फंडों में निवेश करने हेतु शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों या किसी अन्य प्रतिभूति पर या गैरजमानती आधार पर अग्रिम	शून्य	शून्य
iii)	अन्य किसी प्रयोजन हेतु अग्रिम,जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्यूअल फंडों की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है	0.67	0.46
iv)	अन्य किसी प्रयोजन हेतु अग्रिम,जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्यूअल फंडों की यूनिटों को संपार्श्विक प्रतिभूति माना गया है अर्थात जहां शेयरों/ परिवर्तनीय बॉण्डों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों/ ईक्विटी उन्मुख फंड यूनिटों से इतर प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतः कवर नहीं करती।	50.20	50.39
v)	स्टॉक ब्रोकरों को जमानती और गैरजमानती अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकरों एवं मार्केट मेकरों की ओर से जारी गारंटियां	54.00	107.00
vi)	संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की ईक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान की रकम जुटाने हेतु शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों पर या गैरजमानती आधार पर कॉर्पोरेट को मंजूर ऋण	शून्य	शून्य
vii)	अपेक्षित ईक्विटी प्रवाह/निर्गमों पर कंपनियों को पूरक ऋण	शून्य	शून्य
viii)	शेयरों के प्रारंभिक निर्गम या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्यूअल फंड की यूनिटों के सम्बंध में बैंक द्वारा ली गई हामीदारी प्रतिबध्दताएं	शून्य	शून्य
ix)	मार्जिन व्यापार हेतु स्टॉक ब्रोकरों को वित्तपोषण	शून्य	शून्य
x)	उद्यमी पूंजी निधियों (पंजीकृत व अपंजीकृत दोनों) में सभी विगोपन	20.40	27.08
	पूंजी बाजार में कुल विगोपन	**193.88**	**243.41**

31.03.2019 को समाप्त वर्ष को ऋण के रणनीति पुनर्गठन,जो पूंजी बाजार विगोपन सीमाओं से छूट प्राप्त है, के भाग के रूप में इक्विटी में ऋण के परिवर्तन पर इक्विटी शेयरों में बैंक के प्रत्यक्ष निवेश के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(रु. करोड़ में)

विवरण	31.03.2019		31.03.2018	
	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि
ऋण के रणनीति पुनर्गठन,जो पूंजी बाजार विगोपन सीमाओं से छूट प्राप्त है, के भाग के रूप में इक्विटी में ऋण के परिवर्तन के कारण प्राप्त/आबंटित इक्विटी शेयरों में निवेश	0	0.00	14	129.91

8.2 Exposure to Capital Market

(Rs. in Crore)

S N	Particulars	31.03.2019	31.03.2018
i)	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt	68.61	58.48
ii)	Advances against shares/bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds	Nil	Nil
iii)	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security	0.67	0.46
iv)	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security or shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds ie where the primary security other than shares/convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances	50.20	50.39
v)	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers	54.00	107.00
vi)	Loans sanctioned to corporate against the security of shares/ bonds /debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources	Nil	Nil
vii)	Bridge loans to companies against expected equity flows/issues	Nil	Nil
viii)	Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds	Nil	Nil
ix)	Financing to stockbrokers for margin trading;	Nil	Nil
x)	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	20.40	27.08
	Total Exposure to Capital Market	**193.88**	**243.41**

As on the year ended 31.03.2019, the details of Bank's direct investment in equity shares, on conversion of debt into equity as a part of strategic restructuring of debt which are exempt from Capital Market Exposure limits, is as under:

(Rs. in Crore)

Particulars	31.03.2019		31.03.2018	
	No. of accounts	Amount	No. of accounts	Amount
Investment in equity shares received / allotted on account of conversion of debt into equity as part of a strategic debt restructuring which are exempt from Capital Market Exposure limits	0	0.00	14	129.91

8.3 बैंक द्वारा पार की गई एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) का विवरण

शून्य

8.4 अंतर-समूह विगोपन :

बैंक के अंतर-समूह विगोपन का ब्यौरा निम्नानुसार है

(रु. करोड़ में)

अ. क्र.	विवरण	2018-19	2017-18
1	अंतर-समूह विगोपन की कुल राशि	822.11	872.11
2	20 शीर्ष अंतर-समूह विगोपनों की कुल राशि	822.11	872.11
3	उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल विगोपन की तुलना में अंतर-समूह का प्रतिशत	0.80%	0.81%
4	अंतर-समूह विगोपन की सीमाओं के उल्लंघन का ब्यौरा तथा इस संबंध में विनियामक कार्रवाई यदि कोई हो	शून्य	शून्य

8.5 अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन

(रु. करोड़ में)

अ.क्र.	विवरण	31.03.2019	31.03.2018
1	यूएफसीई पर किया गया अतिरिक्त प्रावधान	2.49	4.93
2	यूएफसीई पर धारित पूंजी	15.78	8.70

बैंक ने अपने घटकों को दिए गए विगोपनों से पैदा होने वाले करेंसी प्रवृत्त ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए नीति लागू की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नीचे किए गए उल्लेख के अनुसार अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपनों (यूएफसीई) को निश्चित करने का और विगोपनों के मूल्यन और उसी प्रकार वृद्धिशील प्रावधानीकरण के द्वारा उसका शमन करने का उल्लेख किया गया है।

क) अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन (यूएफसीई) की राशि की गणना करने संबंधी पद्धति:

घटकों की अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन राशि की गणना करने हेतु रु.10 करोड़ एवं अधिक के विगोपन वाले ग्राहकों से आवधिक आधार पर जानकारी मंगाई जाती है। इस उद्देश्य के लिए अगले पांच वर्षों में परिपक्व होनेवाली मदें अथवा नकदी प्रवाह रखने वाली मदों पर ही विचार किया जाता है। इसके अलावा प्रभावी रूप से संरक्षित, वित्तीय रूप से संरक्षित और/ या प्राकृतिक रूप से संरक्षित मदों को परस्पर सेट ऑफ किया गया है। (वित्तीय संविदा (अर्थात वायदा संरक्षा) के माध्यम से वित्तीय रक्षित और प्राकृतिक रूप से रक्षित संविदा पर भी विचार किया जा सकता है,जब कंपनी परिचालनों से उत्पन्न नकदी प्रवाह में से विदेशी करेंसी विगोपन की जोखिम ऑफ सेट हो गई हो। अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन (यूएफसीई) का परिकलन करने के उद्देश्य से एक विगोपन को प्राकृतिक रूप से रक्षित माना जाता है यदि उसी लेखांकन वर्ष में ऑफ सेटिंग विगोपन परिपक्व हो रहा हो/ या उसके बराबर नकदी प्रवाह हो रहा हो।)

ख) संभावित हानि की मात्रा के अनुमान की पद्धति:

विनिमय दरों में बदलाव के कारण इकाई को होनेवाली हानि की गणना वार्षिक उतार-चढ़ाव पद्धति द्वारा की जाती है। इस प्रयोजन के लिए पिछले दस वर्षों की अवधि के दौरान देखे गए सबसे बड़े वार्षिक उतार-चढ़ाव को विपरीत दिशा में दरों के बदलाव का आधार माना जाता है।

ग) अरक्षित स्थितियों के जोखिम का अनुमान लगाने संबंधी पद्धति तथा तत्संबंधी उपयुक्त प्रावधान

इस प्रकार निकाली गई अनुमानित हानि/ ईबीआईडी के आधार पर घटकों की ओर से बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट मॉडल के आधार पर समेकित अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपनों का परिकलन किया जाता है। इस प्रकार के विगोपनों पर अतिरिक्त प्रावधान करना आवश्यक है और इसके लिए अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होती है।

साथ ही, ऐसे घटकों के मूल्यन को भी तदनुसार पुनर्मूल्यन किया गया जो कि यूएफसीई को कवर करने हेतु समुचित प्रीमियम दर्ज करने के द्वारा उधारकर्ता की जोखिम प्रोफाइल पर आधारित है।

8.3 Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank.

NIL

8.4 Intra-Group Exposures:

The details of the intra-group exposures of the bank are as under;

(Rs. in Crore)

S.N.	Particulars	2018-19	2017-18
1	Total amount of intra-group exposures	822.11	872.11
2	Total amount of top-20 intra-group exposures	822.11	872.11
3	Percentage of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers / customers	0.80%	0.81%
4	Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any	Nil	Nil

8.5 Unhedged Foreign Currency Exposure:

(Rs. In Crore)

S N	Particulars	31.03.2019	31.03.2018
1	Provisioning held on account of UFCE	2.49	4.93
2	Capital held on account of UFCE	15.78	8.70

Bank has put in place a policy for management of currency induced credit risk arising out of exposure to its constituents which inter-alia specifies the mechanism to ascertain Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE) and mitigate the same by pricing the exposure as well as incremental provisioning as under -

a. **Method to ascertain the amount of Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE):**

The amount of UFCE of the constituents is measured by obtaining the periodical information from the clients having exposure of Rs.10 crore and above. For this purpose, items maturing or having cash flows over the period of next five years only are considered. Further, items which are effective hedges, financial hedge and / or natural hedge, of each other are set off. (Financial hedge through a derivative contract (e.g. Forward Cover) and Natural hedge may be considered when cash flows arising out of the operations of the company offset the risk arising out of the Foreign Currency Exposure. For the purpose of computing UFCE, an exposure may be considered naturally hedged if the offsetting exposure has the maturity/cash flow within the same accounting year).

b. **Method to estimate the extent of likely loss:**

The loss to the entity in case of movement in exchange rate is calculated using the annualised volatilities. For this purpose, largest annual volatility seen in the rates during the period of last ten years is taken as the movement of the rate in the adverse direction.

c. **Method to estimate the riskiness of unhedged position and provide appropriately:**

The likely loss / EBID so arrived at is taken as the base, as per which consolidated UFCE on behalf of the constituents is calculated, based on the model specified by the Bank. Such exposure is subjected to additional provisioning and also incremental capital requirement.

Further, the pricing to such constituents is accordingly re-priced based on the risk profile of the borrower by loading an appropriate premium to cover the UFCE.

8.6 गैरजमानती अग्रिम:

दिनांक 31.03.2019 को गैरजमानती अग्रिमों में रु.1095.87 करोड़ (रु.845.90 करोड़) के अग्रिम शामिल थे जो अमूर्त आस्तियों जैसे कि अधिकारों, लाइसेन्स, प्राधिकार इत्यादि पर भार जैसी सहायक प्रतिभूतियों से सुरक्षित थे। इस प्रकार की अमूर्त सहायक प्रतिभूतियों का दिनांक 31.03.2019 को अनुमानित मूल्य रु. 2015.14 करोड़ (रु.1753.85 करोड़) है।

8.7 जोखिम श्रेणीवार देश निवेश

(रु. करोड़ में)

जोखिम श्रेणी	31 मार्च 2019 को विगोपन (निवल)	31 मार्च 2019 को धारित प्रावधान	31 मार्च 2018 को विगोपन (निवल)	31 मार्च 2018 को धारित प्रावधान
नगण्य जोखिम	668.25	0.00	1176.88	0.00
कम जोखिम	249.43	0.00	436.30	0.00
साधारण जोखिम	11.02	0.00	22.75	0.00
साधारणतः कम जोखिम	20.81	0.00	18.80	0.00
साधारणतः उच्च जोखिम	14.76	0.00	13.66	0.00
उच्च जोखिम	0.00	0.00	9.00	0.00
अति उच्च जोखिम	0.00	0.00	0.02	0.00
ऋणेतर जोखिम	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**964.27**		**1677.41**	

8.8 प्रावधान कवरेज अनुपात:

दिनांक 01 दिसंबर, 2009 के परिपत्र क्र. डीबीओडी.क्र.बीपी.बीसी. 64/21.04.048/2009-2010 के निदेशों के अनुसार बैंक ने प्रावधान संरक्षा अनुपात (पीसीआर) का परिकलन किया है जो 81.49% है। इस अनुपात का परिकलन 31.03.2019 के अनर्जक आस्तियों के स्तर के आधार पर किया गया है।

9. विविध:

9.1 वर्ष के दौरान आयकर के लिए किए गए प्रावधान की रकम:

(रू. करोड़ में)

विवरण	2018-19	2017-18
आयकर हेतु प्रावधान	शून्य	शून्य

9.2 ला/हा खाते में व्यय शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गए प्रावधान और आकस्मिकताएं

(रू. करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2019	31.03.2018
1	अनर्जक आस्तियों हेतु किए गए प्रावधान	7226.82	5330.89
2	मानक अग्रिमों के लिए प्रावधान	71.42	--
2	एएफएस/ एचएफटी में निवेश पर मूल्यह्रास	82.81	54.12
3	अनर्जक निवेश पर प्रावधान	--	129.22
4	निवेश पर प्रावधान -सीडीआर/ पुनर्संरचित	112.74	46.74
5	मानक आस्तियों और ऋण अग्रिमो के लिए प्रावधान	1.83	0.00
6	आयकर के लिए प्रावधान	0.00	0.00
7	आस्थगित कर आस्ति/ देयता (निवल)	0.00	0.00
8	एनपीए डब्ल्यू/ ओ (नॉमिनल) के लिए प्रावधान	4.92	0.00

8.6 Unsecured Advances:

Unsecured advances includes Rs. 1095.87 crore (Rs.845.90 crore) as on 31.03.2019 which is collaterally secured by intangible securities such as charge over the rights, licenses, authorities etc. The estimated value of such intangible collateral is Rs. 2015.14 crore (Rs.1753.85 crore) as on 31.03.2019.

8.7 Risk Category wise Country Exposure

(Rs.in Crore)

Risk Category	Exposure (net) as at March 31, 2019	Provision held as at March 31, 2019	Exposure (net) as at March 31, 2018	Provision held as at March 31, 2018
Insignificant Risk	668.25	0.00	1176.88	0.00
Low Risk	249.43	0.00	436.30	0.00
Moderate Risk	11.02	0.00	22.75	0.00
Moderately Low Risk	20.81	0.00	18.80	0.00
Moderately High Risk	14.76	0.00	13.66	0.00
High Risk	0.00	0.00	9.00	0.00
Very High Risk	0.00	0.00	0.02	0.00
Off-credit	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**964.27**		**1677.41**	

8.8 Provisioning Coverage Ratio:

The bank has computed the provision coverage ratio (PCR) as required vide circular No.DBOD.No.BP.BC.64/21.04.048/2009-2010, dated December 1, 2009, which is 81.49%. This ratio has been calculated on the basis of NPA level as on 31.03.2019.

9. Miscellaneous:

9.1 Amount of Provision made for income tax during the year:

(Rs. in Crore)

Particulars	2018-19	2017-18
Provision for Income Tax	Nil	Nil

9.2 Provisions and Contingencies shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account

(Rs. in Crore)

S. N.	Particulars	31.03.2019	31.03.2018
1	Provision towards NPA	7226.82	5330.89
2	Provisions for Standard Advances	71.42	--
2	Depreciation on investments in AFS/HFT	82.81	54.12
3	Provision for Non Performing Investment	--	129.22
4	Provision for Investment - CDR/ Restructure	112.74	46.74
5	Provisions for Standard Assets other than Advances	1.83	0.00
6	Provision for Income tax	0.00	0.00
7	Deferred Tax Asset /Liability (Net)	0.00	0.00
8	Provision for NPA W/O (Nominal)	4.92	0.00

क्र. सं.	विवरण	31.03.2019	31.03.2018
9	अन्य आस्तियों के लिए प्रावधान - नॉमिनल	5.04	0.00
10	धोखाधड़ी के लिए प्रावधान	2.98	8.25
11	अन्य प्रावधान व आकस्मिकताएं टीआईबीडी-एफआईटीएल/ ब्याज/ एसआर टीआईबीडी के लिए प्रावधान	50.19	0.00
12	अन्य प्रावधान व आकस्मिकताएं	0.00	38.20
	उपजोड़(क)	**7560.73**	**5607.42**
	घटायें : प्रतिलेखन/ समायोजन		
1	व्युत्पन्न पर प्रावधान	0.85	0.00
2	आयकर व संपत्ति कर के लिए प्रावधान का प्रतिलेखन	0.00	151.49
3	आस्थगित कर देयता/ आस्ति	345.44	1968.65
4	पुनर्संरचित निवेश प्रावधान का प्रतिलेखन	0.00	0.00
5	अनर्जक निवेशों हेतु प्रावधान का प्रतिलेखन	181.54	0.00
6	मानक अग्रिमों के लिए प्रावधानों का प्रतिलेखन	0.00	105.86
7	पुनर्संरचित अग्रिमों के लिए प्रावधानों का प्रतिलेखन	48.96	26.07
8	अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन के लिए प्रावधान	2.44	2.75
9	अन्य प्रावधान व आकस्मिकताएं	0.00	15.55
	उपजोड़ (ख)	233.79	2270.37
	कुल प्रावधान और आकस्मिकताएं (क - ख)	6981.49	3337.05

9.3 स्थिर आस्तियां:

9.3.1 पुनर्मूल्यांकित आस्तियों पर चालू वर्ष हेतु मूल्यह्रास की राशि रु.131.24 करोड़ को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित से राजस्व आरक्षित में तदनुरूप अंतरण के साथ लाभ व हानि खाते में नामे किया गया।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए पुर्नमूल्यांकित आस्तियों पर मूल्यह्रास रु. 75.75 करोड़ रहा, जिसे पुर्नमूल्यांकन आरक्षित निधि के प्रति समायोजित किया गया।

9.3.2 बैंक की नीति के अनुसार, 31.03.2019 को 124 पात्र संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया गया। वर्ष के अंत में संपत्तियों/ परिसरों में सम्मिलित ऐसे पुनर्मूल्यांकन की सकल राशि रू.1504.35 करोड़ (रू.1401.91 करोड़) रही तथा पुनर्मूल्यांकन पर मूल्यह्रास पर विचार करने पर राशि रू.1373.10 करोड़ (रू.1129.99 करोड़) रही।

9.3.3 31.03.2019 को संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के कारण, पूर्व के रू.1129.99 करोड़ पुनर्मूल्यांकन आरक्षित के डब्ल्यूडीवी को रिवर्स किया गया।

9.3.4 रु.6.54 करोड़ (रु.6.54 करोड़) की लागत वाली 4(4) पुनर्मूल्यांकित आस्तियों/ परिसरों के संबंध में हक विलेखों को कतिपय लंबित/ प्रलंबित औपचारिकताओं के कारण बैंक के पक्ष में अब तक निष्पादित/ पंजीकृत नहीं किया गया था।

9.3.5 पूंजीगत कार्य-प्रगति में निश्चित परिसंपत्तियों की लागत शामिल हैजो अभी तक रिपोर्टिंग तिथि पर उनके इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं। प्रगतिधीन पूंजी कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) में रु.34.39 करोड़ (रु.30.07 करोड़) में किदवई नगर, नई दिल्ली के बिल्डिंग का निर्माण शामिल है। यह संपत्ति एनबीसीसी लिमिटेड से खरीदी गई है और वर्तमान में निर्माणाधीन है और शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को भुगतान का काम पूरा करने के चरण से जुड़ा हुआ है। संपत्ति और भुगतान की शर्तों की प्रकृति के विचार को देखते हुए निर्माणाधीन संपत्ति के तहत पूंजी कार्य की प्रगति में वर्गीकृत किया गया है और तदनुसार प्रकट किया गया है।

S. N.	Particulars	31.03.2019	31.03.2018
9	Provision for other Assets - Nominal	5.04	0.00
10	Provision for fraud	2.98	8.25
11	Other Provisions and Contingencies TIBD-provision for FITL/interest/SR TIBD	50.19	0.00
12	Other provision and contingencies	1.98	38.20
	Sub-total (A)	**7560.73**	**5607.42**
	Less: Write back /adjustments		
1	Provision on Derivatives	0.85	0.00
2	Write-back of provision for Income Tax & Wealth Tax	0.00	151.49
3	Deferred Tax Assets/ Liability	345.44	1968.65
4	Write back of Provision for restructured Investment	0.00	0.00
5	Write back of Provision for Non Performing Investment	181.54	0.00
6	Write back of Provisions for Standard Advances	0.00	105.86
7	Write back of Provisions for Restructured Advances	48.96	26.07
8	Provision for un-hedged foreign currency exposure	2.44	2.75
9	Other provision and contingencies	0.00	15.55
	Sub-total (B)	233.79	2270.37
	Total Provisions & Contingencies (A-B)	6981.49	3337.05

9.3 Fixed Assets:

9.3.1 Depreciation for the current year amounting to Rs 131.24 crore on revalued assets has been debited to profit & loss account, with a corresponding transfer of amount from Revaluation Reserve to Revenue Reserve.

Depreciation on revalued portion of assets for financial year 2017-18 amounting to Rs. 75.75 crore has been adjusted against revalution reserve.

9.3.2 As per bank's policy, revaluation of 124 eligible properties has been done as on 31.03.2019. The gross amount of such revaluation included in properties/premises at the end of the year is Rs.1504.35 crore (Rs.1401.91 crore) and considering the depreciation on revaluation, the closing revalution reserve is Rs.1373.10 crore (Rs.1129.99 crore).

9.3.3 On account of revaluation of properties as on 31.03.2019, the WDV of earlier Revaluation Reserve of Rs.1129.99 crore has been reversed.

9.3.4 The title deeds in respect of 4 (4) revalued properties / premises having cost of Rs. 6.54 crores (Rs. 6.54 crore) were not yet executed / registered in favour of the Bank due to certain pending / delayed formalities.

9.3.5 Capital work-in-progress comprises of the cost of fixed assets that are not yet ready for their intended use at the reporting date. Capital work in progress (CWIP) amounting to Rs. 34.39 crore (Rs. 30.07 crore) includes construction of building at Kidwai Nagar, New Delhi. This property has been purchased from the NBCC Ltd and currently under construction, and payment to Ministry of Urban Development, GOI, is linked with stage of completion of work. Considering the substance of the nature of asset and payment terms, said under construction property is classified as Capital Work in progress and disclosed accordingly.

9.4 आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत दर्शाई गई कालातीत गारंटियों की रकम रु.1956.22 करोड़ (रु.903.55 करोड़) शामिल है, जिन्हें औपचारिकताओं की पूर्ति लंबित होने के कारण निरस्त नहीं किया गया है।

9.5 लंबित दावे और ईसीजीसी के साथ अधिमानित रकम रू.93.77 करोड़ (रू.21.63 करोड़) को प्रावधान की गणना करने के लिए वसूली योग्य माना गया है।

9.6 अनुसूची 5 में दर्शाई गई अन्य देयताओं में अदावाकृत शेयर आवेदन धन के रूप में रु.0.43 करोड़ (रु.0.43 करोड़) की रकम शामिल है।

9.7 वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नानुसार जुर्माना लगाया गया है:

(रु. करोड़ में)

अ.क्र.	दंडों की प्रकृति/ विवरण	राशि
1	भुगतान व निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत दंड	शून्य
2	बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) के अंतर्गत दंड	5.50
3	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा करेंसी चेस्टों पर लगाया गया दंड	0.03
4	अन्य	0.02

9.8 वर्ष के दौरान बैंक द्वारा सभी निपटाई गई ग्राहक शिकायतों के विवरण निम्नानुसार है :

क्र.	विवरण	2018-19	2017-18
(क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	388	54
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	8395	8348
(ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	8638	8014
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	145	388

बैंक ने अब मानकीकृत सार्वजनिक शिकायत निपटान प्रणाली (एसपीजीआरएस) का कार्यान्वयन किया है जो शिकायत प्रबंधन के लिए एक समन्वित प्रणाली है। यह ग्राहकों की शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें शिकायत की स्थिति अद्यतन, ऑटो टाइम बाउंड एक्सेलेशन, रिपोर्टिंग इत्यादि जैसी विशेषताएं हैं।

9.9 वर्ष के दौरान बैंक द्वारा एटीएम संव्यवहारों के कारण निपटाई गई ग्राहक शिकायतों के विवरण निम्नानुसार है:

क्र.	विवरण	2018-19	2017-18
(क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	233	0
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	2939	2490
(ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	3153	2257
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	19	233

9.4 Contingent Liabilities include expired guarantees amounting to Rs. 1956.22 crore (Rs.903.55 crore) which have not been cancelled because of pending completion formalities.

9.5 Claims pending and to be preferred with ECGC amounting to Rs. 93.77 crores (Rs. 21.63 crores) have been considered as realizable for the purpose of computing provision.

9.6 Other Liabilities disclosed in Schedule - 5 include Rs.0.43 crore (Rs.0.43 crore) towards unclaimed Share Application Money.

9.7 During the Current Financial year following Penalties have been imposed:

(Rs in Crore)

S. N.	Particulars/nature of penalties	Amount
1	Penalty under Payment & Settlement Systems Act, 2007	Nil
2	Penalty under section 46(4) of the Banking Regulation Act,1949	5.50
3	Penalty levied by RBI on currency chests	0.03
4	Others	0.02

9.8 The details of Customer complaints **ALL** dealt with by the Bank during the year are as under:

S. N.	Particulars	2018-19	2017-18
(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	388	54
(b)	No. of complaints received during the year	8395	8348
(c)	No. of complaints redressed during the year	8638	8014
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	145	388

Now the bank has implemented Standardised Public Grievances Redress System (SPGRS), which is an integrated system for complaint management. It is an online portal for registering customer complaints with features like complaint status update, auto time bound escalation, reporting etc.

9.9 The details of Customer complaints on account of ATM transactions dealt with by the Bank during the year are as under:

S. N.	Particulars	2018-19	2017-18
(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	233	0
(b)	No. of complaints received during the year	2939	2490
(c)	No. of complaints redressed during the year	3153	2257
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	19	233

9.10 बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित किए गए अधिनिर्णयों के विवरण निम्नानुसार है:

क्र.	विवरण	2018-19	2017-18
(क)	वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित न हुए अधिनिर्णयों की संख्या	0	0
(ख)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की संख्या	0	3
(ग)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की संख्या	0	3
(घ)	वर्ष के अंत में कार्यान्वित न हुए अधिनिर्णयों की संख्या	0	0

9.11 एटीएम संव्यवहारों के कारण बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित किए गए अधिनिर्णयों के विवरण निम्नानुसार है:

क्र.	विवरण	2018-19	2017-18
(क)	वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित न हुए अधिनिर्णयों की संख्या	0	0
(ख)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की संख्या	0	0
(ग)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की संख्या	0	0
(घ)	वर्ष के अंत में कार्यान्वित न हुए अधिनिर्णयों की संख्या	0	0

9.12 चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी)

चालू वर्ष के दौरान बैंक ने रु.शून्य के शून्य ट्रेड क्रेडिट (पिछले वर्ष के दौरान रु.1140.74 करोड़ के 938 ट्रेड क्रेडिट) जारी किए और कंपनी ग्राहकों के लिए ट्रेड क्रेडिट मुहैया कराने हेतु शाखाओं द्वारा विभिन्न अन्य बैंकों के पक्ष में चुकौती आश्वासन पत्र जारी किए गए।

दिनांक 31 मार्च, 2018 को रु.309.72 करोड़ के 312 ट्रेड क्रेडिट के बदले दिनांक 31 मार्च, 2019 को शून्य ट्रेड क्रेडिट बकाया थे।

9.13 बैंक एश्योरेन्स व्यवसाय

बैंक एश्योरेन्स के अधीन रु.19.46 करोड़ (रु.15.40 करोड़) की आय अर्जित की गई। बैंक एश्योरेन्स आय के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	आय का स्वरूप	2018-19	2017-18
1	जीवन बीमा पॉलिसी विक्रय हेतु	10.07	5.93
2	गैर-जीवन बीमा पॉलिसी विक्रय हेतु	9.39	9.47
3	म्युच्युअल फंड उत्पाद विक्रय हेतु	0.02	0.08
4	अन्य (उल्लेख करें)	1.73	1.80
	कुल	**21.21**	**17.28**

9.14 जमाकर्ता शिक्षा एवंजागरूकता निधि (डीईएएफ)

(रु. करोड़ में)

ब्यौरे	2018-19	2017-18
डीईएएफ को अंतरित रकम का आरंभिक शेष	230.89	102.33
जोड़ें - वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित रकम	35.13	131.94
घटाएं - डीईएएफ द्वारा दावों के विरुद्ध प्रतिपूर्ति की गई रकम	3.34	3.38
डीईएएफ को अंतरित रकम का अंतिम शेष	262.68	230.89

9.10 The details of awards passed by the Banking Ombudsman are as under:

S. N.	Particulars	2018-19	2017-18
(a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	0	0
(b)	No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	0	3
(c)	No. of Awards implemented during the year.	0	3
(d)	No. of unimplemented Awards at the end of the year.	0	0

9.11 The details of awards passed by the Banking Ombudsman on account of ATM transactions are as under:

S. N.	Particulars	2018-19	2017-18
(a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	0	0
(b)	No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	0	0
(c)	No. of Awards implemented during the year.	0	0
(d)	No. of unimplemented Awards at the end of the year.	0	0

9.12 Letters of Comfort (LOCs):

During the current year, Nil Trade credits amounting to Rs. Nil (previous year 938 trade credits amounting to Rs.1140.74 crore) were sanctioned by the Bank and Letters of Comfort issued by the branches in favour of various other Banks for arranging trade credit to corporate clients.

As on 31st March 2019, Nil trade credits were outstanding as against 312 trade credits amounting to Rs.309.72 crore as on 31st March, 2018.

9.13 Bancassurance Business

The income earned under Bancassurance is Rs.19.46 crore (Rs.15.40 crore). The details of Bancassurance income are as under:

(Rs. in Crore)

S. N.	Nature of Income	2018-19	2017-18
1	For selling life insurance policies	10.07	5.93
2	For selling non-life insurance policies	9.39	9.47
3	For selling mutual fund products	0.02	0.08
4	Others	1.73	1.80
	Total	**21.21**	**17.28**

9.14 Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)

(Rs in Crore)

Particulars	2018-19	2017-18
Opening balance of amount transferred to DEAF	230.89	102.33
Add: Amount transferred to DEAF during the year	35.13	131.94
Less: Amount reimbursed by DEAF towards claims	3.34	3.38
Closing balance of amount transferred to DEAF	262.68	230.89

9.15 अन्य आस्तियों व अन्य देयताओं के अन्तर्गत पुरानी प्रविष्टियों, नाममात्र खातों सहित अन्य बैंकों / संस्थाओं के पास संव्यवहारों, अंतरशाखा संव्यवहारों के समायोजन/ समाधान/ समापन का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त अन्य आस्तियों/ देयताओं, समाशोधन खातों और कुछ जमा खातों के संबंध में सामान्य खाता बही और अनुषंगी में शेष के बीच समाधान और अचल आस्तियों पर प्रभार तथा अचल आस्तियों के अंतरशाखा अंतरण का कार्य प्रगति पर है। राजस्व पर इनके प्रभाव के साथ ही इनके परिणामी प्रभाव का पता लगाया नहीं जा सकता। प्रबंधन के अभिमत में इनका राजस्व पर परिणामी प्रभाव मामूली है।

10. बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों का उनके लागू होने की सीमा तक निम्नानुसार अनुपालन किया है :

10.1 लेखा मानक 3: नकद प्रवाह विवरण

बैंक अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग करते हुए एएस-3 की आवश्यकताओं के अनुसरण में नकद प्रवाह विवरण तैयार करता है।

10.2 लेखा मानक 5 - अवधि के दौरान शुद्ध लाभ अथवा हानि, पूर्व अवधि मदों और लेखा नीतियों में परिवर्तन

चूंकि आय/ व्यय की पूर्व अवधि मदें कोई महत्वपूर्ण नहीं हैं, अत: उन्हें संबंधित लेखा शीर्षों में प्रभारित/ लेखाबद्ध किया है।

वर्ष के दौरान बैंक ने प्रति शेयर रू.10.54 की दर पर 'कर्मचारी शेयर खरीद योजना के अंतर्गत अपने सभी कर्मचारियों के लिए 10 करोड़ इक्विटी शेयर का प्रस्ताव दिया। शेयरों का आबंटन 18 अप्रैल, 2019 को किया गया।

10.3 लेखा मानक 9- राजस्व निर्धारण

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की अनुसूची 17 में दी गई लेखा नीति क्रमांक 6.1 के अनुसार आय की कुछ मदों का निर्धारण सांविधिक आवश्यकताओं या महत्व के कारण वसूली के आधार पर किया गया है।

10.4 लेखा मानक 11- विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में बदलाव का प्रभाव

वर्ष हेतु लाभ और हानि खाते में विनिमय अंतर जमा के कारण निवल आय रु.131.81 करोड़ (रु.110.05 करोड़) रही।

10.5 लेखा मानक (एएस) -15 (संशोधित 2005) '' कर्मचारी लाभ ''

(क) परिभाषित अंशदान योजनाएं :

(रु. करोड़ में)

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
क) भविष्य निधि	0.47	0.54
ख) कर्मचारी कल्याण निधि में अंशदान - कल्याण निधि आकस्मिकता	0.00	0.00

(ख) परिभाषित लाभ योजनाएँ

क) **पेंशन योजना** - यह रोजगार पश्चात लाभ है,जो कि पेंशनयोग्य सेवा के अधिकतम 33 वर्षों हेतु अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत है। यह निधिगत योजना है।

ख) **उपदान योजना** - यह रोजगार पश्चात लाभ है और यह उपदान संदाय अधिनियम, 1972 यथासंशोधित के अंतर्गत उपदान और कंपनी नियमों के अनुसार उपदान में से उच्चतम के रूप में संदेय है. यह निधिगत योजना है।

ग) **छुट्टी नकदीकरण/प्रतिपूरित अनुपस्थिति -** यह रोजगार पश्चात लाभ है और यह अंतिम वेतन पर आधारित संचयी छुट्टी के 240 दिनों की अधिकतम अवधि हेतु संदेय है। यह गैरनिधि योजना है।

9.15 Work is in progress for adjustment / reconciliation / elimination of inter-branch transactions, transactions with other banks/ institutions, nominal accounts and old entries under other assets and liabilities. Further reconciliation between balances in subsidiary and general ledger in respect of certain deposit accounts, clearing accounts, other assets & liabilities and inter-branch transfer of fixed assets is still under progress. The effect of these including the consequential impact thereof on the revenue is not ascertainable. In the opinion of the management consequential impact thereof on revenue is not material.

10. The Bank has complied with the Accounting Standards issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) to the extent applicable as under:

10.1 Accounting Standard 3- Cash Flow Statement

The bank prepares cash flow statement in line with requirements of AS-3 using indirect method.

10.2 Accounting Standard 5 - Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies.

As prior period items of income/expenditure are not material, the same have been charged/accounted for in respective heads of accounts

During the year the Bank has made an offer of 10 crore number of Equity shares to its employees under "Employees Share Purchase Scheme" at Rs. 10.54 per share. Allotment of the shares was made on April 18, 2019.

10.3 Accounting Standard 9 - Revenue Recognition

As per Accounting Policy No. 6.1, given in Schedule -17 - Significant Accounting Policies, certain items of income are recognized on realization basis on account of statutory requirements or on account of materiality.

10.4 Accounting Standard 11 - Effect of Changes in Foreign Exchange Rates

Net income on account of exchange differences credit to in the Profit and Loss account for the year is Rs. 131.81 crore (Rs.110.05 crore).

10.5 Accounting Standard (AS) 15 (Revised 2005) - "Employee Benefits"

A. Defined Contribution Plans:

(Rs.in Crore)

Particulars	31.03.2019	31.03.2018
a. Provident Fund	0.47	0.54
b. Contribution to Staff Welfare -Welfare Fund Contingency	0.00	0.00

B. Defined Benefit Plans:

a) **Pension Plan**- This is a post-employment benefit, which is 50% of final pay for a maximum of 33 years of pensionable service. This is a funded scheme.

b) **Gratuity Plan**- This is a post-employment benefit and is payable as higher of Gratuity as per Company's Rules and Gratuity under Payment of Gratuity Act 1972 as amended. This is a funded scheme.

c) **Leave Encashment/ Compensated Absences** - This is a post-employment benefit and is payable for a maximum limit of 240 days of accumulated leave based on final pay. This is an unfunded scheme.

I. **परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में बदलाव:**
Change in the Present value of Defined Benefit Obligations:

(रु. करोड़ में)
(Rs.in Crore)

क्र. सं. S N	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS		छुट्टी नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
1	परिभाषित लाभ दायित्वों का आरंभिक वर्तमान मूल्य Opening Present Value of Defined Benefit Obligation	5290.29	4793.48	579.71	482.21	289.16	301.62
2	ब्याज लागत Interest Cost	374.33	350.03	39.43	33.74	20.67	21.73
3	चालू सेवा लागत Current Service Cost	204.37	92.16	22.28	25.95	35.07	18.52
4	पूर्व सेवा लागत Past Service Cost	--	0.00	--	147.86	--	0.00
5	प्रदत्त लाभ Benefits Paid	(422.29)	(375.62)	(132.68)	(90.26)	(40.02)	(40.27)
6	वर्ष हेतु उपचित (लाभ) / हानि Actuarial (Gains)/Losses for the year	294.20	430.24	26.79	(19.79)	(25.88)	(12.44)
7	परिभाषित लाभ दायित्वों का अंतिम वर्तमान मूल्य Closing Present Value of Defined Benefit Obligation	5740.90	5290.29	535.53*	579.71*	279.00	289.16

* दिनांक 27.04.2018 के आईबीए के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक को रु.20 लाख हेतु सीमा में वृद्धि के कारण उपदान पर अतिरिक्त प्रावधान को परिशोधित करने की अनुमति है। तदनुसार बैंक ने मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही से आरंभ कर 4 तिमाहियों पर परिशोधन करने हेतु रु.147.86 करोड़ की सीमा तक अतिरिक्त देयता का प्रक्रमण किया है।

*As per IBA guidelines dated 27.04.2018 the Bank is allowed to amortize additional provision on Gratuity due to increase in limit to Rs. 20 Lakhs. Accordingly the Bank has assessed additional liability to the ex-tent of Rs. 147.86 Crore to be amortized over four quarters starting from quarter ended March 2018

II. **योजनाबद्ध आस्तियों के उचित मूल्य में बदलाव:**
Change in the Fair Value of Plan Assets:

(रु. करोड़ में)
(Rs. in Crore)

क्र. सं. S N	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS	
		31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
1	योजनाबद्ध आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य Opening fair value of plan assets	5361.50	4769.00	441.37	466.80
2	योजनाबद्ध आस्तियों पर अपेक्षित पुर्नअदायगी Expected return on plan assets	437.50	375.80	40.61	41.69
3	किया गया अंशदान Contributions made	350.32	569.70	181.50	26.00
4	प्रदत्त लाभ Benefits paid	(422.29)	(375.62)	(132.68)	(90.26)
5	उपचित लाभ / हानि Actuarial gains/losses	(2.70)	22.62	2.23	(2.86)
6	योजनाबद्ध आस्तियों का समापन उचित मूल्य Closing fair value of plan assets	5724.33	5361.50	533.03	441.37

III. **तुलन पत्र में निर्धारित रकम**
Amount recognized in the Balance Sheet:

(रु.करोड़ में)
(Rs. in Crore)

क्र. सं. S N	विवरण Particulars	निधिक परिभाषित लाभ दायित्व FUNDED DEFINED BENEFIT OBLIGATIONS						गैरनिधिक परिभाषित लाभ दायित्व UNFUNDED DEFINED BENEFIT OBLIGATIONS	
		पेंशन योजनाएं PENSION PLANS		उपदान योजनाएं GRATUITY PLANS		कुल TOTAL		छुट्टी नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.19	31.03.18	31.03.19	31.03.18	31.03.19	31.03.18	31.03.19	31.03.18
1	परिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य Present Value of Defined Benefit Obligations	5740.90	5290.29	535.53	579.71	6276.43	5870.00	279.00	289.16
2	योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Plan Assets	5724.33	(5361.50)	(533.03)	(441.37)	(6257.36)	(5802.87)	0.00	0.00

क्र. सं. S N	विवरण Particulars	निधिक परिभाषित लाभ दायित्व FUNDED DEFINED BENEFIT OBLIGATIONS						गैरनिधिक परिभाषित लाभ दायित्व UNFUNDED DEFINED BENEFIT OBLIGATIONS	
		पेंशन योजनाएं PENSION PLANS		उपदान योजनाएं GRATUITY PLANS		कुल TOTAL		छुट्टी नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.19	31.03.18	31.03.19	31.03.18	31.03.19	31.03.18	31.03.19	31.03.18
3	निर्धारित निवल देयता Net liability to be recognized	16.57	(71.21)	2.50	138.34	19.07	67.13	279.00	289.16
4	तुलनपत्र में निर्धारित अन्य रकम Other amount recognized in the Balance Sheet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	तुलनपत्र में निर्धारित निवल देयता Net liability recognized in the Balance Sheet	16.57	(71.21)	2.50	138.34	19.07	67.13	279.00	289.16

IV. लाभ और हानि खाते में निर्धारित रकम:
Amount recognized in the Profit & Loss Account:

(रु.करोड़ में)
(Rs.in Crore)

क्र. सं. S N	विवरण Particulars	पेंशन योजनाएं PENSION PLANS		उपदान योजनाएं GRATUITY PLANS		छुट्टी नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
1	वर्तमान सेवा लागत Current Service Cost	204.37	92.16	22.28	25.95	35.07	18.52
2	ब्याज लागत Interest Cost	374.33	350.03	39.43	33.74	20.67	21.73
3	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected Return on Plan Assets	(437.50)	(375.80)	(40.61)	(41.69)	0.00	0.00
4	वर्ष हेतु निवल जीवनांकिक (लाभ)/ हानियां Actuarial (Gains)/Losses for the year	296.90	407.61	(24.56)	(16.94)	(25.88)	(12.44)
5	सेवा पश्चात लागत Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	147.86	0.00	0.00
6	निर्धारित व्यय Expense to be recognized	438.10	474.00	45.66	148.93	29.86	27.81
7	वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान/ (प्रतिलेखित) Additional provision made / (write back) during the year	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	कर्मचारी लागत में शामिल और लाभ व हानि खाते में निर्धारित कुल खर्च Net expense recognized in Profit & Loss Account and included in Staff Cost	438.10	474.00	45.66	148.93*	29.86	27.81

* आईबीए के दिशानिर्देशों के अनुसार मार्च 2018 को समाप्त अवधि से 4 तिमाहियों में रू. 20 लाख तक उपदान में सीमा की वृद्धि के कारण बैंक को अतिरिक्त प्रावधान को परिशोधित करने की अनुमति है। तदनुसार, बैंक ने क्रमशः जून 2018, सितंबर 2018 तथा दिसंबर 2018 तिमाही में रू. 36.96 करोड़ व्यय को परिशोधित किया है।

*As per IBA guidelines the Bank is allowed to amortize the additional provision on account of increase in Gratuity limit to Rs. 20 lacs over four quarters from the period ended March 2018. Accordingly Bank has amortised expenses of Rs. 36.96 crores in June 2018, September 2018 and December 2018 quarter respectively.

V. तुलन पत्र में निर्धारित निवल देयता का समाधान
Reconciliation in the Net Liability recognized in the Balance Sheet

(रु. करोड़ में)
(Rs.in Crore)

क्र. सं. S N	विवरण Particulars	पेंशन योजनाएं PENSION PLANS		उपदान योजनाएं GRATUITY PLANS		छुट्टी नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
1	प्रारंभिक निवल देयता Opening Net Liability	(71.22)	24.48	138.34	15.41	289.16	301.62
2	निर्धारित व्यय Expense recognized	438.10	474.00	45.66	148.93	29.86	27.81

क्र. सं. S N	विवरण Particulars	पेंशन योजनाएं PENSION PLANS		उपदान योजनाएं GRATUITY PLANS		छुट्टी नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
3	प्रदत्त अंशदान/ लाभ Contributions/Benefits paid	(350.32)	(569.70)	(181.50)	(26.00)	(40.02)	(40.27)
4	समापन निवल देयता Closing Net Liability	16.57	(71.22)	2.50	138.34*	279.00	289.16

*आईबीए के दिशानिर्देशों के अनुसार मार्च 2018 को समाप्त अवधि से 4 तिमाहियों में रू. 20 लाख तक उपदान में सीमा की वृद्धि के कारण बैंक को अतिरिक्त प्रावधान को परिशोधित करने की अनुमति है। तदनुसार, बैंक ने क्रमशः जून 2018, सितंबर 2018 तथा दिसंबर 2018 तिमाही में रू. 36.96 करोड़ व्यय को परिशोधित किया है।

*As per IBA guidelines the Bank is allowed to amortize the additional provision on account of increase in Gratuity limit to Rs. 20 lacs over four quarters from the period ended March 2018. Accordingly Bank has amortised expenses of Rs. 36.96 crores in June 2018, September 2018 and December 2018 quarter respectively.

VI. योजनाबद्ध आस्तियों पर वास्तविक आय
Actual Return on Plan Assets

(रु. करोड़ में)
(Rs. in Crores)

क्र. सं. S N	विवरण Particulars	पेंशन योजनाएं PENSION PLANS		उपदान योजनाएं GRATUITY PLANS	
		31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
1	योजनाबद्ध आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected return on plan assets	437.50	375.80	40.61	41.69
2	योजनाबद्ध आस्तियों पर जीवनांकिक लाभ (हानि) Actuarial gain (loss) on plan assets	(2.70)	22.62	2.23	(2.68)
3	योजनाबद्ध आस्तियों पर वास्तविक आय Actual return on plan assets	434.80	398.42	42.84	39.01

VII. मूल जीवनांकिक मान्यताएं (धारित औसतों के रूप में व्यक्त)
Principal Actuarial Assumptions (expressed as weighted averages)

(रु. करोड़ में)
(Rs. in Crores)

क्र. सं. S N	विवरण Particulars	पेंशन योजनाएं PENSION PLANS		उपदान योजनाएं GRATUITY PLANS		छुट्टी नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
1	भांजित दर Discount rate	7.37%	7.60%	7.68%	7.72%	7.68%	7.72%
2	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected return on plan assets	8.16%	7.88%	9.20%	8.93%	लागू नही NA	लागू नही NA
3	वेतन वृद्धि की अपेक्षित दर Expected rate of salary increases	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%

ग. अन्य दीर्घावधि लाभ :

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	लाभ व हानि खाते में निर्धारित	
		31.03.2019	31.03.2018
1	पुनर्स्थापन भत्ता	0.20	0.10
2	छुट्टी किराया रियायत	14.85	11.68
3	रजतजयंती पुरस्कार	0.06	(0.12)
	जोड़	**15.11**	**11.66**

C. Other Long Term Benefits:

(Rs.in Crore)

S N	Particulars	Recognized in Profit & Loss Account	
		31.03.2019	31.03.2018
1	Resettlement Allowance	0.20	0.10
2	Leave Fare Concession	14.85	11.68
3	Silver Jubilee Award	0.06	(0.12)
	Total	**15.11**	**11.66**

लेखा मानक 17 - खंड रिपोर्टिंग

बैंक ने अपने प्राथमिक रिपोर्ट करने योग्य क्षेत्रों का अभिनिर्धारण निम्नानुसार किया है :

Accounting Standard 17- Segment Reporting

Bank has identified its primary reportable segments as under:

भाग क : व्यवसाय क्षेत्र
Part A: Business segments

(रु.करोड़ में)
(Rs in crore)

व्यवसाय क्षेत्र > Business Segments >	खजाना Treasury		संस्थागत/थोक बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking		खुदरा बैंकिंग Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations		कुल Total	
विवरण Particulars	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
राजस्व Revenue	4472.65	4205.45	3764.18	3664.35	3753.34	4229.37	406.89	503.31	12397.06	12602.47
परिणाम Result	1263.22	1342.42	(4919.49)	(3946.29)	(1533.73)	(838.02)	60.68	176.11	(5129.32)	(3265.78)
अनाबंटित व्यय Unallocated expenses									0.00	0.00
परिचालन लाभ Operating profit									(5129.32)	(3265.78)
कर आस्थगित करों सहित Taxes including deferred taxes									(345.44)	(2120.14)
असाधारण लाभ / हानि Extraordinary profit/ loss	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	-	-
निवल लाभ Net profit									(4783.88)	(1145.64)
अन्य जानकारियां : Other Information:										
क्षेत्र आस्तियां Segment assets	62703.19	52772.29	51300.76	51366.48	33809.90	36761.07	12590.90	11294.27	160404.75	152194.11
अनाबंटित आस्तियां Unallocated assets									4130.78	4134.64
कुल आस्तियां Total assets									**164535.53**	**156328.75**
क्षेत्र देयताएं Segment liabilities	61826.98	52086.15	49846.16	50086.37	32765.02	35708.42	14357.93	8503.84	158796.09	146384.79
अनाबंटित देयताएं Unallocated liabilities									0.00	0.00
पूंजी और अन्य आरक्षितियां Capital & Other Reserves									5739.44	9943.96
कुल देयताएं Total liabilities									**164535.53**	**156328.75**

क) खजाना क्षेत्र में निवेश, भारत के बाहर के बैंकों में शेष, निवेशों पर उपजित ब्याज और उनसे होने वाली संबंधित आय शामिल हैं।

ख) संस्थागत /थोक बैंकिंग क्षेत्रों में न्यासों, भागीदारी फर्मो, कम्पनियों, सांविधिक निकायों और वैयक्तिक को प्रदत्त सभी अग्रिम शामिल हैं जिन्हें खुदरा बैंकिंग क्षेत्रों में शामिल नहीं किया गया है।

ग) खुदरा बैंकिंग क्षेत्रों में संस्था/ संबंधित को विगोपन शामिल है जहां

i) कुल औसत वार्षिक पण्यावर्त रु. 50 करोड़ से कम है और

ii) एक प्रतिपक्ष में किया गया कुल निवेश बैंक के समग्र खुदरा संविभाग के 0.2% से अधिक नहीं है और

iii) एक प्रतिपक्ष में किया गया अधिकतम समग्र निवेश रु.5.00 करोड़ तक है।

घ) अन्य बैंकिंग परिचालनों के क्षेत्र में ऐसे सभी अन्य बैंकिंग व्यवहार शामिल हैं जिन्हें उपर्युक्त क्षेत्रों के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया है।

भाग ख: भौगोलिक क्षेत्र

चूंकि बैंक के परिचालन केवल भारत के भीतर होते हैं अतः भौगोलिक क्षेत्र लागू नहीं है।

10.7 लेखा मानक 18- संबंधित पक्ष प्रकटन

इस संबंध में विवरण निम्नानुसार हैं

क) संबंधित पक्षों का नाम और उनके संबंधः

(क) बैंक की अनुषंगी कंपनी : दि महाराष्ट्र एक्जिक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि.

a) Treasury segment includes Investment, balances with Banks outside India, Interest accrued on investments and related income there from.

b) Corporate/Wholesale Banking Segments include all advances to trusts, partnership firms, companies, statutory bodies and individuals etc. which are not included in Retail Banking Segments.

c) Retail Banking Segments include exposure to entity/concern where

i. Total average annual turnover less than Rs.50 crore and

ii. No aggregate exposure to one counter party exceeds 0.2% of the overall retail portfolio of the Bank and

iii. The maximum aggregated retail exposure to one counterpart is up to Rs.5 crore.

d) Other Banking Operations segment includes all other banking transaction not covered under segments, specified above.

Part B: Geographical Segment

Since the operations of the Bank are within India only, Geographical Segment is not applicable.

10.7 Accounting Standard 18 - Related party disclosures

The details in this regard are as under:

(A) Name of the Related Parties and their relationship:

(a) Subsidiary of the Bank - The Maharashtra Executor & Trustee Co. Pvt. Limited

(ख) बैंक की सहायक संस्था : महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक

(ग) महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिक

1) श्री आर. पी. मराठे, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (26.09.2016 से 30.11.2018)

2) श्री ए. एस. राजीव, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (02.12.2018 से आज तक)

3) श्री आर. के. गुप्ता, कार्यपालक निदेशक (31.12.2013 से 30.12.2018 तक)

4) श्री ए. सी. राउत, कार्यपालक निदेशक (31.03.2017 से आज तक)

5) श्री हेमन्त कुमार टम्टा, कार्यपालक निदेशक (31.12.2018 से आज तक)

(ख) संबंधित पक्षों से संव्यवहार -

(रु. करोड़ में)

विवरण	31.03.19	31.03.18
वेतन व भत्ते (परिलब्धियों सहित)	0.94	0.74
महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिकों को ऋण व अग्रिम (मंजूर सीमा)	1.53	0.00
महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिकों को ऋण व अग्रिम (बकाया शेष)	1.01	0.22
महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिकों कीजमाराशि (बचत खाते)	0.37	0.36
महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिकों द्वाराजमाराशियों का नियोजन (मीयादीजमाराशियां)	0.15	0.03
महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिकों को चुकता ब्याज	0.02	0.03
महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिकों से प्राप्त ब्याज	0.04	0.05

एएस 18 संबंधित पक्ष प्रकटन के परिच्छेद 9 में बैंक की अनुषंगी कंपनी और सहायक संस्थाओं के साथ संव्यवहार का प्रकटन नहीं किया गया है,जो कि राज्य नियंत्रित उद्यमों को अन्य संबंधित पक्ष जो कि अन्य राज्यों द्वारा नियंत्रित है, उनके संव्यवहारों से संबंधित किसी भी प्रकटन से छूट देता है।

10.8 लेखा मानक-19 - पट्टा

वित्तीय पट्टा :

पट्टा जिसके तहत बैंक स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को काफी हद तक मानता है, उन्हें वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसी आस्तियों को, आस्ति की उचित दर पर या पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर (देय राशियों का परिशोधन के पश्चात),जो भी कम हो, पूँजीकृत किया जाता है।

परिचालन पट्टा :

पट्टे की अवधि के बाद लाभ और हानि के विवरण में स्ट्रेट लाइन आधार पर परिचालन पट्टे के अंतर्गत पट्टा भुगतान व्यय के रूप में मान्य है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए परिचालन पट्टों के लिए लाभ और हानि खाते में पट्टा भुगतान की राशि रू.143.43 करोड़ (पिछले वर्ष रू.138.51 करोड़) है।

10.9 लेखा मानक-20 -प्रति शेयर अर्जन

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
मूल ई.पी.एस.	रू. (14.26)	रू. (8.98)
अनुकृत ई.पी.एस.	रू. (14.26)	रू.(8.98)
मूल / अनुकृत ई.पी.एस. की गणना		
क) कर उपरांत निवल लाभ (रु. लाख में)	(478387.63)	(114564.81)
ख) ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (लाख में)	33557	12754
ग) प्रति शेयर मूल अर्जन [(क) विभाजित (ख) द्वारा]	रू. (14.26)	रू. (8.98)
ङ) प्रति शेयर अभिहित मूल्य	रू. 10.00	रू. 10.00

10.10 लेखा मानक 21 - समेकित वित्तीय विवरण

सहायक कंपनी अर्थात महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक के परिणामों को मूल बैंक और अनुषंगी

(b) Associate of the Bank - Maharashtra Gramin Bank

(c) Key Management Personnel-

1) Shri R. P. Marathe, Managing Director and CEO (from 26.09.2016 to 30.11.2018)

2) Shri A S Rajeev, Managing Director & CEO (from 02.12.2018 till date)

3) Shri R K Gupta, Executive Director (from 31.12.2013 to 30.12.2018)

4) Shri A C Rout, Executive Director (from 31.03.2017 to till date)

5) Shri Hemant Kumar Tamta, Executive Director (from 31.12.2018 till date)

(B) Transactions with Related parties (Rs. in Crore)

Particulars	31.03.19	31.03.18
Salary & Allowances (including perquisites)	0.94	0.74
Loans & Advances to Key Management Personnel (Limit sanctioned)	1.53	0.00
Loans & Advances to Key Management Personnel (Outstanding Balance)	1.01	0.22
Deposits of Key Management Personnel (Saving accounts)	0.37	0.36
Placement of Deposits by Key Management Personnel (Term Deposits)	0.15	0.03
Interest paid to Key Management Personnel	0.02	0.03
Interest received from Key Management Personnel	0.04	0.05

The transactions with the subsidiary and associate of the bank have not been disclosed in view of para 9 of the AS- 18 Related Parties Disclosures, which exempts state controlled enterprises from making any disclosure pertaining to their transactions with other state controlled related parties.

10.8 Accounting Standard 19 - Leases

Finance Leases:

Lease under which the Bank assumes substantially all the risks and rewards of ownership are classified as finance leases. Such assets acquired are capitalized at fair value of the asset or present value of the lease payments (after due amortization), whichever is lower.

Operating Leases:

Lease payments under operating leases are recognized as an expense on straight line basis in Profit and Loss over the lease term. Amount of lease payments recognized in the Profit and Loss Account for operating leases amount to Rs.143.43 crore for the year 2018-19 (Previous year Rs.138.51 crore)

10.9 Accounting Standard 20- Earnings per Share

Particulars		31.03.2019	31.03.2018
Basic E.P.S.		Rs. (14.26)	Rs. (8.98)
Diluted E.P.S.		Rs. (14.26)	Rs.(8.98)
Calculation of Basic /Diluted EPS.			
a)	Net Profit after Tax (Rs. in Lakhs)	(478387.63)	(114564.81)
b)	Weighted Average number of Equity Shares (in Lakhs)	33557	12754
c)	Basic Earnings per share [(a) divided by (b)]	Rs. (14.26)	Rs. (8.98)
d)	Nominal Value per Share	Rs. 10.00	Rs. 10.00

10.10 Accounting Standard 21 - Consolidated Financial Statements

The results of the Associate viz. Maharashtra Gramin Bank has been

अर्थात महाराष्ट्र एक्जिक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि. के परिणामों में क्रमशः लेखांकन मानक 23 और लेखांकन मानक 21 के अनुपालन में समेकित किया गया है।

10.11 लेखा मानक 22 - आय पर करों हेतु लेखांकन

बैंक द्वारा की गई गहन पुनरीक्षा और भविष्य की करयोग्य आय, जिसके समक्ष संचयी हानि के लिए प्रावधान के कारण समय अंतराल उत्पन्न होते हैं, की उपलब्धता की उचित निश्चितता के आधार पर खराब व संदेहास्पद ऋणों (एनपीए), कर्मचारी लाभों इत्यादि को वसूला जा सकता है और तदनुसार वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक ने एएस 22 का पालन करते हुए कर का लेखांकन किया है. तदनुसार, आस्थगित कर-आस्तियां और आस्थगित कर देयताएँ निम्नानुसार हैं :

(रु. करोड़ में)

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
आस्थगित कर आस्तियां		
1) संचित हानियों के कारण	1164.15	1152.96
2) कर्मचारी अनुलाभ हेतु प्रावधानों के रूप में	131.07	259.06
3) अन्य प्रावधान जहां डीटीए बनाया गया है.	1966.02	1491.02
4) स्थिर आस्तियों पर मूल्यहास के कारण	37.14	46.67
उपजोड़ (क)	**3298.38**	**2949.71**
आस्थगित कर देयता		
1) धारा 36(1)(viii) के अन्तर्गत विशेष प्रारक्षित निधि के रूप में	173.35	171.68
2) निवेश पर मूल्यहास के रूप में	162.64	161.08
3) स्थिर आस्तियों पर मूल्यहास के रूप में	0.00	0.00
4) अन्य प्रावधान जहाँ डीटीएल तैयार किया गया	0.00	0.00
उपजोड (ख)	**335.99**	**332.76**
निवल आस्थगित कर आस्ति (क-ख)	**2962.39**	**2616.95**

10.12 लेखा मानक 24 - परिचालनों का समापन

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान अपनी किसी भी व्यवसाय गतिविधियों/परिचालनों का समापन नहीं किया जिसका परिणाम आस्तियों की वसूली तथा देयताओं का निपटान रहा है और अपनी समग्रता में व्यवसाय गतिविधि के समापन को अंतिम रूप देने का कोई निर्णय नहीं लिया गया जिसका उक्त प्रभाव पड़ेगा।

10.13 लेखा मानक 26 - अमूर्त आस्तियों का लेखांकन

कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर - आंतरिक रूप से निर्मित के अतिरिक्त:

उपयोग अवधि - 3 वर्ष
परिशोधन दर - 33.33%
परिशोधन पद्धति - लागत पर सरल रेखा पद्धति

(रूपये करोड़ में)

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
वर्ष के आरंभ में सॉफ्टवेयर	37.10	17.82
वर्ष के दौरान लिये गये सॉफ्टवेयर	33.79	58.23
वर्ष के दौरान परिशोधन	28.68	38.95
वर्ष की समाप्ति पर आगे ले जाई गई निवल राशि	42.21	37.10

नोट : सॉफ्टवेयर के पिछले साल के आंकड़ों को सही संतुलन पर पहुंचाने के लिए पुनर्मूल्यांकित किया गया और सुधारा गया है।

consolidated with the parent bank and subsidiary viz. Maharashtra Executor & Trustee Company Private Limited in compliance with Accounting Standard 23 and Accounting Standard 21 respectively.

10.11 Accounting Standard 22 - Accounting for Taxes on Income

Based on the thorough review by the bank and on reasonable certainty of availability of future taxable income against which timing differences arising on account of provision for accumulated losses, Bad & Doubtful Debts (NPA), employee benefits etc. can be realized and accordingly during the year 2018-19, the bank has accounted for taxes on income in compliance with AS 22. Accordingly, Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

(Rs. in Crores)

Particulars	31.03.2019	31.03.2018
Deferred Tax Assets		
1) On account of Accumulated Losses	1164.15	1152.96
2) On account of provisions for Employees benefits	131.07	259.06
3) Other Provisions where DTA is created	1966.02	1491.02
4) On account of depreciation on fixed assets	37.14	**46.67**
Sub-Total (A)	**3298.38**	**2949.71**
Deferred Tax Liability		
1) On account of Special Reserve u/s 36(1)(viii)	173.35	171.68
2) On account of Depreciation on Investment	162.64	161.08
3) On account of Depreciation on Fixed Assets	0.00	0.00
4) Other Provisions where DTL is created	0.00	0.00
Sub-Total (B)	**335.99**	**332.76**
Net Deferred Tax Asset (A-B)	**2962.39**	**2616.95**

10.12 Accounting Standard -24- Discontinuing Operations

The Bank, during the financial year 2018-19, has not discontinued any of its business activities/ op-erations which resulted in discharging of liabilities and realization of the assets and no decision has been finalized to discontinue a business activity in its entirety which will have the above effects.

10.13 Accounting Standard 26 - Accounting for Intangible Assets

Computer Software - other than internally generated:

Useful life - 3 years.
Amortization Rate - 33.33 %
Amortization Method - Straight line at cost

(Rs. in Crore)

Particulars	31.03.2019	31.03.2018
Software at the beginning of the year	37.10	17.82
Software acquired during the year	33.79	58.23
Amortization during the year	28.68	38.95
Net carrying amount at the end of the year	42.21	37.10

Note: Previous Year figures of software have been regrouped and rectified to arrive at the correct balance

10.14 लेखा मानक - 28 - आस्तियों का अनर्जक होना

बैंक ने अभिनिर्धारित किया है कि अचल आस्तियाँ अनर्जक नहीं हुई हैं, इसलिए लेखा मानक 28 के अनुसार कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है।

10.15 लेखा मानक 29 - प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां

प्रबंधन के मतानुसार अनुसूची 12 में संदर्भित आकस्मिक देयताओं के लिए कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं है।

11. ऋणों और अग्रिमों में धोखाधड़ी के मामले हेतु प्रावधान

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों को जालसाजी की पहचान के दिनांक से आरंभ करके 4 तिमाहियों में जालसाजी के मामलों के प्रति प्रावधान का परिशोधन करने की अनुमति है और जहां प्रावधान दो अलग-अलग वित्तीय वर्षों में किए गए हों वहां प्रावधान न की गई राशि संबंधित वर्ष की समाप्ति पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 18.04.2016 के परिपत्र क्र. डीबीआर.क्र.बीपी. बीसी.92/21.04.048/2015-16 द्वारा राजस्व आरक्षिति को प्रभारित की जानी है।

(रु. करोड़ में)

31.03.2019 को समाप्त वर्ष तक (मामलों की संख्या)	31.03.2019 को समाप्त तिमाही के दौरान (मामलों की संख्या)	31.03.2019 को समाप्त वर्ष तक (राशि)	31.03.2019 को समाप्त तिमाही के दौरान (राशि)	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान की मात्रा (राशि)	31.03.2019 को समाप्त वर्ष को राजस्व आरक्षिती को नामे परिशोधित प्रावधान की मात्रा (राशि)
167	42	1447.99	410.62	1447.99	0

बैंक ने वर्ष के दौरान पाई गई धोखाधड़ी के संबंध में रू.1447.99 करोड़ (रु.967.04 करोड़) का पूर्ण प्रावधान किया है और वर्ष के दौरान पाई गई धोखाधडियों के लिए कोई अपरिशोधित प्रावधान नहीं है।

12. वर्ष के अंत तक ऋण के रूप में स्वीकार न किए गए बैंक के खिलाफ दावे

(रू. करोड़ में)

श्रेणी	2018-19	2017-18
बकाया राशि	1559.64	1387.43
धारित प्रावधान	1994.72	1994.72

13. बैंक द्वारा भारतीय लेखा मानक (इंड-एएस) के साथ सम्मिलित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के कार्यान्वयन की स्थिति

1. भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार बैंक में आईएनडी-एएस के कार्यान्वयन के लिए तीन समितियां 1. स्टीयरिंग समिति, 2. कोर समिति, 3. कोर ग्रुप है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान निम्नलिखित कवरिंग पर कोर समूह और कोर समिति के सदस्यों की विभिन्न बैठकें आयोजित की गईं:

   क. इंड-एएस के कार्यान्वयन में चुनौतियां, मुद्दे

   ख. इंड-एएस परिवेश के अंतर्गत अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली और दृष्टिकोण

   ग. इंड-एएस अनुपालित सूचना और रिपोर्ट निर्मित करने के लिए सॉफ्टवेयर में किए जाने वाले तकनीक से संबंधित परिवर्तन

   घ. इंड-एएस के अंतर्गत तैयार वित्तीय विवरणों के प्रारूप का अनुमोदन तथा विमर्श

   वित्तीय विवरणों के प्रारूप का अनुमोदन/ विमर्श के लिए वर्तमान वर्ष के दौरान स्थायी समिति के सदस्यों की 3 बैठकें आयोजित की गईं।

   दिनांक 20.07.2018 के ई-मेल के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक ने जून, 2018 को समाप्त तिमाही से प्रत्येक तिमाही के लिए इंड-एएस वित्तीय विवरणों के प्रारूप को प्रस्तुत करने की सलाह दी है। तदनुसार बैंक ने निम्नलिखित वित्तीय विवरणों के प्रारूप को तैयार और प्रस्तुत किया है -

   क. 01.04.2018 के संक्रमण तुलनपत्र के साथ जून, 2018 को समाप्त अवधि

   ख. सितंबर, 2018 को समाप्त अवधि

   ग. दिसंबर, 2018 को समाप्त अवधि

   उपरोक्त वित्तीय विवरणों को बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति तथा निदेशक मंडल के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है।

10.14 Accounting Standard 28- Impairment of Assets

Bank has identified that there is no impairment of fixed assets and as such, no provision is required as per AS-28.

10.15 Accounting Standard 29- Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

In the opinion of the management, no further provision is required against contingent liabilities referred to in Schedule 12.

11 Provision for fraud cases in loans and advances:

In terms of RBI guidelines, the banks are permitted to amortise the provision towards fraud cases in four quarters beginning from the date of detection of fraud and where the provision is made in two different financial years, the unprovided amount has to be charged to Revenue Reserve vide RBI circular DBR. No. BP.BC.92/21.04.048/2015-16 dated 18.04.2016 as on the relevant year end.

(Rs. in crore)

Up to the year ended 31.03.2019 (No. of Cases)	During the quarter ended 31.03.2019 (No. of Cases)	Up to the year ended 31.03.2019 (Amount)	During the quarter ending 31.03.2019 (Amount)	Quantum of provision made during the year ended 31.03.2019 (Amount)	Quantum of amortised provision debited to "Revenue Reserves" as at the year ended 31.03.2019 (Amount)
167	42	1447.99	410.62	1447.99	0

During the year, the Bank has made full provision for the frauds of Rs. 1447.99 crore (Rs. 967.04) crore detected during the year and there is no un-amortised provision for frauds detected during the year.

12 Claims against the bank not acknowledged as debts as on Year End (Rs in Crore)

Category	2018-19	2017-18
Balance Outstanding	1559.64	1387.43
Provision Held	1.33	1.33

13 Status of implementation of International Financial Reporting Standards (IFRS) converged with Indian Accounting Standards (Ind-AS) by Bank

As per RBI directives, Bank is having 3 committees 1. Steering Committee, 2. Core Committee, 3. Core Group for implementation of Ind-AS in Bank. During the financial year 2018-19, various meetings of members of Core Group and Core Committee have been held on following covering following -

a. Issues, challenges in implementation of Ind-AS,

b. Approaches and methodologies to be adopted under Ind-AS environment,

c. Technology related changes to be made in software in order to generate Ind-AS complied information and reports,

d. Discussion and approval of proforma financial statements prepared under Ind-AS

3 meetings of Steering committee members have been held during the current year to discuss / approve proforma financial statements.

As per e-mail dated 20/07/2018, RBI has advised to submit proforma Ind-AS financial statements for every quarter starting from quarter ended June 2018. Accordingly Bank has prepared and submitted following proforma financial statements -

a. Period ended June 2018, along with transition balance sheet as on 01/04/2018

b. Period ended September 2018,

c. Period ended December 2018

The above financial statements have been put up to Audit committee of the Board and Board of Directors for approval.

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रगति की स्थिति का मूल्यांकन बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को मासिक आधार पर तथा निदेशक मंडल को तिमाही आधार पर किया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 05.04.2018 द्वारा इंड-एएस के अंतर्गत खातों के साथ संगत, बैंकिंग विनियामक अधिनियम के तीसरी अनुसूची में निर्धारित, वित्तीय विवरणों के प्रारूप में आवश्यक परिवर्तन/ संशोधन करने के लिए बैंक में इंड-एएस के कार्यान्वयन को एक वर्ष के लिए आस्थगित किया है। ये परिवर्तन/ संशोधन सरकार के पास विचाराधीन है।

उसके अतिरिक्त आरबीआई ने अपने दिनांक 22 मार्च, 2019 के परिपत्र क्रमांक डीबीआर.बीपी.बीसी.क्र.29/ 21.07.001/ 2018-19 के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित वैधानिक संशोधनों के भारत सरकार के पास विचाराधीन होने के कारण अगली सूचना तक इंड-एएस के कार्यान्वयन को आस्थगित किया है।

As per RBI guidelines, progress status has been appraised to the Audit committee of the Board on monthly basis and Board of Directors on quarterly basis.

RBI vide its press release dated 05/04/2018, deferred implementation of Ind-AS in Bank by one year to make necessary changes / amendments in the format of financial statements, prescribed in the Third Schedule to Banking Regulation Act, compatible with accounts under Ind-AS. Such changes / amendments are under consideration with Government.

Further, RBI vide Circular Number DBR.BP.BC. No.29/21.07.001/2018-19 dated March 22, 2019 deferred implementation of Ind-AS till further notice since the legislative amendments recommended by Reserve Bank are under consideration of the Government of India.

14 इंट्रा-समूह विगोपन का विवरण (दिनांक 11 फरवरी, 2014 का भारतीय रिज़र्व बैंक का क्र.डीबी ओडी क्र.बीपी.बीसी6/21.06.102/2013-14)
Details of Intra-Group Exposure (RBI circular no. DB OD No. BP. BC 6/21.06.102/2013-14 dated 11th Feb 2014

क्र. Sr. No.	विवरण Particulars	31.03.2019 के अनुसार (रु. '000 में) As of 31.03.2019 (Rs. in '000)	31.03.2018 के अनुसार (रु. '000 में) As of 31.03.2018 (Rs. in '000)
1	से उधारियां (यदि कोई हो) Borrowings from (if any)		
क. a.	महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (एमजीबी) Maharashtra Gramin Bank (MGB)	शून्य NIL	शून्य NIL
ख. b.	महाराष्ट्र एक्जिक्यूटर ट्रस्टी कं. (मेटको) Maharashtra Executor Trustee Co (METCO)	शून्य NIL	शून्य NIL
2	को उधार (यदि कोई हो) Lending's to (if any)		
क. a.	महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (एमजीबी) Maharashtra Gramin Bank (MGB)	8124000	8620000
ख. b.	महाराष्ट्र एक्जिक्यूटर ट्रस्टी कं. (मेटको) Maharashtra Executor Trustee Co (METCO)	शून्य NIL	शून्य NIL
3	में निवेश (यदि कोई हो) Investment in (if any)		
क. a.	महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (एमजीबी) Maharashtra Gramin Bank (MGB)	83 37 71	83 37 71
i.	इक्विटी (अधिमानी शेयरों सहित) Equity (incl Preference shares)	73 27 11	73 27 11
ii.	बॉन्ड/ डिबेंचर Bonds /Debentures	10 10 60	10 10 60
iii	कोई अन्य (उल्लेख करें) Any other (specify)		
ख. b.	महाराष्ट्र एक्जिक्यूटर ट्रस्टी कं. (मेटको) Maharashtra Executor Trustee Co (METCO)	15 00	15 00
i.	इक्विटी (अधिमानी शेयरों सहित) Equity (incl Preference shares)	15 00	15 00

15 केन्द्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश के लिए एएफएस पोर्टफोलियो में मूल्यह्रास हेतु एमटीएम हानियों के लिए प्रावधान के विवरण।
Details of Provision for MTM losses for depreciation in AFS portfolio for investment in Central and State Govt. Securities.

(रुपए करोड़ में) (Rs. in Crores)

पोर्टफोलियो Portfolio	विवरण Particulars	मूल्यह्रास के लिए एमटीएम हानियों हेतु प्रावधान Provision for MTM losses for depreciation
एएफएस AFS	केन्द्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियां (ए बास्केट) Central and State Govt. Securities (A Basket)	87.68

16 वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान खरीदे गए प्राथमिकता क्षेत्र उधारी प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) के विवरण
Details of Priority Sector lending Certificates (PSLCs) purchased during FY 2018-19

(रुपए करोड़ में) (Rs. in Crores)

क्र. S.No	पीएसएलसी की श्रेणी Category of PSLCs	2018-19
1	प्राथमिकता क्षेत्र उधारी प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) Priority Sector lending Certificates (PSLCs)	800.00

17 दिनांक 01.01.2019 के परिपत्र क्र. आरबीआई/ 2018-19/ 100 डीबीआर क्र.बीपी.बीसी18/ 21.04.048/ 2018-19 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान पुनर्संरचित खातों के विवरण

Details of accounts restructured during FY 2018-19 as per Circular No. RBI/2018-19/100 DBR No. BP.BC18/21.04.048/2018-19 dated 01.01.2019:

(रुपए करोड़ में) (Rs. in Crores)

पुनर्संरचित खातों की संख्या No. of Accounts restructured	राशि Amount
7556	411.69

18 आईएलएफएस और आईएलएफएस इकाईयों के संबंध में विगोपन (31.03.2019 की स्थिति)

Disclosure in respect of ILFS and ILFS Entities: (Position as on 31.03.2019)

(रुपए करोड़ में) (Rs. In Crores)

बकाया राशि Amount Outstanding	(1) में से एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं किए गए एवं आईआरएसी मानदंडों के अनुसार विगोपन वाले एनपीए की कुल राशि Of (1), total amount of exposures which are NPAs as per IRAC norms and not classified as NPA	आईआरएसी मानदंडों के अनुसार किएजाने वाले अपेक्षित प्रावधान Provision required to be made as per IRAC norms	वास्तविक धारित प्रावधान Provision actually held
387.53	लागू नहीं NA	94.19	387.53

19 वर्तमान वर्ष के आंकड़ों से तुलनीय बनाने हेतु जहां आवश्यक समझा गया वहां पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनःसमूहबध्द/ पुनःवर्गीकृत किया गया।

Previous year's figures have been regrouped / reclassified wherever considered necessary to make them comparable with current year's figure.

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण
STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2019

(₹ हजार में) (₹ in Thousand)

विवरण Particulars		31.03.2019 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2019		31.03.2018 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2018	
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह:					
A. Cash Flow From Operating Activities:					
आय Income					
वर्ष के दौरान अग्रिम, निवेश इत्यादि से प्राप्त ब्याज Interest received during the year from advances, Investments etc.		10849,60,26		11096,40,99	
अन्य आय Other Income		1547,45,43	12397,05,69	1506,05,48	12602,46,47
घटाएं:व्यय व प्रावधान Less: Expenditure & Provisions					
वर्ष के दौरान जमा व उधारी पर भुगतान किया ब्याज Interest Paid during the year on Deposits and Borrowings		7116,11,61		7706,67,86	
परिचालन व्यय Operating Expenses		3083,32,88		2704,38,79	
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं Provisions & Contingencies		6981,48,84	17180,93,33	3337,04,63	13748,11,28
व्यय के ऊपर आय अधिक होने के कारण नकदी में निवल वृद्धि Net Increase in Cash due to Increase of Income over Expenses			**-4783,87,64**		**-1145,64,81**
जोड़ें : गैर नकदी मदें एवं अलग विचारित मदें Add : Non Cash Items & Items Considered Separately					
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं Provisions & Contingencies		6981,48,84		3337,04,63	
अचल संपत्तियों हेतु मूल्यह्रास Depreciation on Fixed Assets		241,36,51		128,59,13	
अचल संपत्ति के विक्रय पर लाभ/हानि Profit/Loss on sale of Fixed Assets		6,96		-1,21,82	
राजस्व आरक्षिति निधि में वृद्धि Addition to reserve reserve		-		-	
बांड, पीसीपीएस व आईपीडीआईपर ब्याज Interest on Bonds, PCPS and IPDI		283,44,28	7506,36,59	461,78,29	3926,20,23
			2722,48,95		2780,55,42
घटाएं: प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (निवल) Less: Direct Taxes Paid (Net)			-		225,00,00
परिचालन से अर्जित नकद लाभ Cash Profit Generated From Operations	(I)		**2722,48,95**		**2555,55,42**
परिचालनगत देयताओं की वृद्धि/(कमी) : Increase / (Decrease) of Operating Liabilities:					
जमाराशियां Deposits		1668,90,94		-71,66,09	
बांड उधारियों के अलावा अन्य उधारियां Borrowings other than Bond Borrowings		6285,45,66		-2147,93,73	
अन्य देयताएं व प्रावधान Other Liabilities & Provision		-6822,54,82		-4452,12,01	
परिचालनगत देयताओं में कुल वृद्धि Total of Increase of Operating Liabilities		**1131,81,78**		**-6671,71,83**	
घटाएं:परिचालन आस्तियों की वृद्धि/(कमी) Less: Increase / (Decrease) of Operating Assets					
निवेश Investments		16074,25,26		5032,61,40	
अग्रिम Advances		-3131,06,64		-9717,95,24	
अन्य आस्तियां Other Assets		1733,80,27		2292,56,78	
कुल परिचालन आस्तियों की कुल वृद्धि Total of Increase of Operating Assets		**14676,98,89**		**-2392,77,06**	
परिचालनगत आस्तियों पर परिचालनगत देयताओं में निवल वृद्धि Net Increase Of Operating Liabilities Over Operating Assets	(II)		**-13545,17,11**		**-4278,94,77**
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह Cash Flow From Operating Activities	(क (A) = I+II)		**-10822,68,16**		**-1723,39,35**
ख निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह					
B. Cash Flow From Investing Activities					
अचल संपत्तियों का विक्रय Sale of Fixed Assets		6,80,51		5,26,80	
अचल संपत्तियों का क्रय Purchase of Fixed Assets		-132,73,90		-139,70,52	
सहयोगी प्रतिष्ठान में निवेश Investment made in Associates		-		-	
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह Net Cash Flow From Investing Activities	(ख) (B)		**-125,93,39**		**-134,43,72**

ग वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
C. Cash Flow From Financing Activities:			
i) बांडो को जारी /(मोचन) करना Issue/ (Redemption) of Bonds		-200,00,00	-1925,00,00
ii) ईक्विटी एवं पीएनसीपीएस पर लाभांश Dividend on Equity & PNCPS		-	-
iii) लाभांश वितरण कर Dividend Distribution Tax		-	-
iv) बांड, पीसीपीएस व आईपीडीआई पर ब्याज Interest on Bonds, PCPS and IPDI		-283,44,28	-461,78,29
v) ईक्विटी शेयरों को जारी करना / शेयर आवेदन राशि Issue of Equity Shares / Share Apllication Money		4703,00,00	3486,55,43
वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह (ग) **Cash Flow From Financing Activities (C)**		**4219,55,72**	**1099,77,14**
वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह **Total Cash Flow During The Year**	**(क+ख+ग)** **(A+B+C)**	**-6729,05,83**	**-758,05,93**

(₹ हजार में)
(₹ in Thousand)

ब्योरे Particulars	**31.03.2019 को समाप्त वर्ष** **Year Ended 31-03-2019**	**31.03.2018 को समाप्त वर्ष** **Year Ended 31-03-2018**
द्वारा प्रतिनिधित्व- Represented By-		
वर्ष के आरंभ में नकदी व नकदी के समतुल्य **Cash and Cash equivalents at the beginning of the year**		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी व अधिशेष Cash & Balance with RBI	**15809,06,25**	15274,71,92
बैंकों के पास शेष, मांग व अल्प नोटिस पर प्राप्य धन Balances with Banks & Money at Call & Short notice	**74,89,91**	1367,30,17
	15883,96,16	**16642,02,09**
वर्ष के अंत में नकदी व नकदी के समतुल्य **Cash and Cash equivalents at the end of the year**		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी व अधिशेष Cash & Balances with RBI	**7919,98,63**	15809,06,25
बैंकों के पास शेष, मांग व अल्प नोटिस पर प्राप्य धन Balance with banks & money at call & Short notice	**1234,91,70**	74,89,91
	9154,90,33	**15883,96,16**
वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह Total Cash Flow During The Year	**-6729,05,83**	**-758,05,93**

एल. डी. कौंडण्य
सहायक महाप्रबंधक, वि. प्र. व लेखा
L D KAUNDANYA
Asst. Gen Manager, FM&A

वी. पी. श्रीवास्तव
सीएफओ एवं महाप्रबंधक, वि. प्र. व लेखा
V. P. SRIVASTAVA
CFO & General Manager, FM&A

हेमन्त टम्टा
कार्यपालक निदेशक
HEMANT TAMTA
Executive Director

ए. सी. राउत
कार्यपालक निदेशक
A.C. ROUT
Executive Director

ए. एस. राजीव
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
A. S. RAJEEV
Managing Director & CEO

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED

कृते पी पारीख एंड एसोसिएट्स
एफआरएन: 107564डब्ल्यू
सनदी लेखाकार
For P Parikh & Associates
FRN: 107564W
Chartered Accountants

कृते एम डी गुजराती एंड कंपनी
एफआरएन: 005301एन
सनदी लेखाकार
For M D Gujrati & Co
FRN: 005301N
Chartered Accountants

कृते पी जी भागवत
एफआरएन: 101118डब्ल्यू
सनदी लेखाकार
For P G Bhagwat
FRN: 101118W
Chartered Accountants

कृते के गोपाल राव एंड कंपनी
एफआरएन: 000956एस
सनदी लेखाकार
For K Gopal Rao & Co.
FRN: 000956S
Chartered Accountants

सीए जितेश जैन
भागीदार
सदस्यता क्र.: 114920
CA Jitesh Jain
Parther
Membership No: 114920

सीए मनोहर दास गुजराती
भागीदार
सदस्यता क्र.: 081552
CA Manohar Das Gujrati
Parther
Membership No. 081552

सीए नचिकेत देव
भागीदार
सदस्यता क्र.: 117695
CA Nachiket Deo
Parther
Membership No. 117695

सीए के गोपाल राव
भागीदार
सदस्यता क्र.: 018230
CA K Gopal Rao
Parther
Membership No. 018230

स्थान : पुणे Place : Pune
दिनांक : 29 अप्रैल, 2019 Date : 29th April, 2019

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

मेसर्स पी. पारीख एंड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार 501, सुजाता चेंबर्स, ऑफ नरसी नाथा स्ट्रीट मुंबई 400009	**मेसर्स एम. डी. गुजराती एंड कंपनी** सनदी लेखाकार कृष्णाश्रय, जे - 8 (जीएफ) ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110016
मेसर्स पी. जी. भागवत सनदी लेखाकार सुइट 101-102, आर्केड, डॉ. पै मार्ग, बाणेर, पुणे 411 045	**मेसर्स के. गोपाल राव एंड कंपनी** सनदी लेखाकार 21, मुस्सा स्ट्रीट, टी नगर, चेन्नै - 600 017

प्रति,
बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सदस्यगण
एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट
अभिमत

1. हमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बैंक) के एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2019 का तुलन पत्र और उसी दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण एवं लाभ और हानि विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश सहित एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल हैं, इसमें उसी दिनांक को संगामी लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 1283 शाखाओं, और खजाना व अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग और 20 शाखाओं की विवरणियां सम्मिलित हैं। हमारे द्वारा लेखा परीक्षित व अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का चयन बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक के लिए जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। साथ ही, तुलन पत्र और लाभ व हानि विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरण में 573 शाखाएं जो लेखा परीक्षा के अधीन नहीं हैं, की विवरणियां भी शामिल हैं। इन अलेखापरीक्षित शाखाओं का अग्रिमों में हिस्सा 8.85% है।

2. हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुरूप, उक्त एकल वित्तीय विवरण बैंक के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 ("अधिनियम"), भारतीय रिज़र्व बैंक की आवश्यकताओं के अनुसार जानकारी प्रदान करता है तथा 31 मार्च, 2019 तक बैंक के मामलों की स्थिति और उसी दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए उसकी हानि और उसके नकदी प्रवाह पर द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानकों सहित सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक उचित और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है।

अभिमत का आधार

3. हमने भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षा (एसए) पर मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा संपन्न की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों का वर्णन हमारी रिपोर्ट के एकल वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में किया गया है। हम अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार स्वतंत्र हैं तथा हमने आचार संहिता और इन आवश्यकताओं के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं वे पर्याप्त हैं और एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए उपयुक्त है।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

4. प्रमुख लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में मौजूदा दौर के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण होते थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संदर्भ में और उसपर हमारी राय बनाने में संबोधित किया गया था और हम इन मामलों पर अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

M/s. P. Parikh & Associates Chartered Accountants, 501, Sujata Chambers, Off. Narsi Natha Street, Mumbai – 400009.	**M/s. M. D. Gujrati & Co.** Chartered Accountants, Krishnashraya, J-8 (GF), Green Park Extension, New Delhi-110016.
M/s. P. G. Bhagwat Chartered Accountants, Suites 101-102, Orchad, Dr. Pai Marg, Baner, Pune 411 045.	**M/s. K. Gopal Rao & Co.** Chartered Accountants, 21, Mossa Street, T Nagar, Chennai- 600 017.

To
The Members of Bank of Maharashtra
Report on the Audit of the Standalone Financial Statements
Opinion

1. We have audited the standalone financial statements of Bank of Maharashtra ("the Bank"), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2019, and the Statement of Profit and Loss and Statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to the standalone financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are included returns for the year ended on that date of 20 branches and Treasury and International Banking Division audited by us, 1283 branches audited by statutory branch auditors of the Bank. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also included in the Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and Statement of Cash Flows are the returns from 573 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 8.85% of advances.

2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 ("the Act"),the requirements of the Reserve Bank of India, in the manner so required for Bank and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India including accounting standards issued by The Institute of Chartered Accountants of India, of the state of affairs of the Bank as at March 31, 2019, and its loss and its cash flow for the year ended on that date.

Basis for Opinion

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SA's) issued by The Institute of Chartered Accountants of India. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the standalone financial statements under the provisions of the Act, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on the standalone financial statements.

Key Audit Matters

4. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

बैंक की लेखा परीक्षा के संबंध में प्रमुख लेखा परीक्षा मामले और लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया का विवरण इस प्रकार है:

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	मुख्य लेखा परीक्षा मामलों हेतु अनुसरित लेखा परीक्षा प्रक्रिया
1. आय अभिनिर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों पर प्रावधानीकरण मानदंडों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का अनुपालन करना। अनुसूची 17 समेकित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के बिंदु क्रमांक 4 का संदर्भ। अग्रिमों से आय, कुल आय का 52.97% है। गैर-निष्पादन आस्तियों के संबंध में प्रावधान रु7227 करोड़ है जो व्यय का 42.06% है। उधारकर्ताओं के लिए ऋण और अग्रिम बैंक की कुल आस्तियों का 50.24% है। यह अग्रिम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आय अभिनिर्धारण और आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण फ्रेमवर्क (आईआरएसी) द्वारा शासित होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने समय-समय पर मास्टर परिपत्रों और उसकी अनुवर्ती अधिसूचनाओं के माध्यम से ये विवेकपूर्ण दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत, ऋण सुविधा के संबंध में आय अभिनिर्धारण और प्रावधानीकरण इसके कार्यशील या गैर-कार्यशील के रूप में वर्गीकरण स्थिति पर आधारित होते हैं। कोई भी ऋण सुविधा तब गैर-निष्पादित हो जाती है "जब यह बैंक के लिए आय उत्पन्न करना बंद कर देती है"। विभिन्न प्रकार की ऋण सुविधाओं (मीयादी ऋण, नकद ऋण और ओवरड्राफ्ट, खरीदे तथा भांजित बिल और अन्य ऋण सुविधाएं) की स्थिति के अभिनिर्धारण के लिए विस्तृत दिशानिर्देश प्रदान किए गए हैं, जो आय अभिनिर्धारण, अग्रिमों के वर्गीकरण और उसके प्रावधानीकरण के उद्देश्य हेतु बैंक के लिए महत्वपूर्ण हैं। बैंक इन मानदंडों पर अपने अग्रिमों को वर्गीकृत करता है, जिन्हें अनुसूची 17 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के संदर्भित नोट क्रमांक 4 में स्पष्ट किया गया है। संव्यवहार की प्रकृति, इसके परिमाण, साथ ही विनियामक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जिसमें महत्ता के आधार पर प्रतिभूतियों का आकलन, निर्धारण और मूल्यांकन शामिल हैं, अग्रिमों पर आय की लेखा-परीक्षा और उस पर प्रावधानों के लिए महत्वपूर्ण प्रयासों की आवश्यकता होती है। यदि विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों का बैंक द्वारा पालन नहीं किया जाता है तो वर्ष के लिए लाभ/ हानि और निवल अग्रिम स्थिति के संबंध में गलत बयानी होगी। इसलिए हमने इसे मुख्य लेखा परीक्षा मामला माना है।	**हमने निम्नलिखित मौलिक लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का पालन किया है: -** • हमारे पास अनर्जक आस्तियों के अभिनिर्धारण और आगे इसके वर्गीकरण के लिए प्रणाली की मान्य और परीक्षित डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता है। इसमें विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों को समझना और इसे बैंक के समग्र संगठनात्मक और आईटी ढांचे में शामिल करना तथा विभिन्न आंतरिक परिपत्रों और रिपोर्टों के माध्यम से इसका संप्रेषण करना शामिल है। • हमने अग्रिमों की मंजूरी और निगरानी, अधिकारों के प्रत्यायोजन पर आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन किया है। महत्वपूर्ण मूल्यांकन निगरानी/ पर्यवेक्षी ढांचा यथा ऋण लेखा परीक्षा, संगामी लेखा परीक्षा और प्रणाली लेखा परीक्षा के साथ-साथ आंतरिक जांच और विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों के अनुपालन के उद्देश्य से इस तरह के ढांचे की प्रभावशीलता और तुलन का गहन मूल्यांकन किया है। • हमने विशेष रूप से हमें आबंटित शाखाओं में डाटा नमूने पर तैयार शंकाओं के साथ-साथ मानकीकृत रिपोर्टों का उपयोग कर खातों के संचालन पर ध्यान रखते हुए, अनर्जक आस्तियों के अभिनिर्धारण के लिए वित्तीय और साथ ही गैर-वित्तीय कारकों का नमूना परीक्षण किया है। • अनर्जक आस्ति के अभिनिर्धारण पर ब्याज प्रत्यावर्तन और वसूले न गए प्रभारों का नमूना सत्यापन किया है। • शाखाओं की लेखा परीक्षा करने के दौरान आईआरएसी से संबंधित मानदंडों, प्रक्रिया और सत्यापन दिशानिर्देशों के संबंध में शाखा लेखा परीक्षकों को सूचित और जागरूक किया गया। • शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा पारित परिवर्तनों के ज्ञापनों की पूर्णता और सत्यापन सुनिश्चित करना। • नमूना मामलों में प्रावधानीकरण के उद्देश्य से वसूली की संभावना, सुरक्षा मूल्यांकनों का अभिप्रायपूर्वक और गंभीर रूप से मूल्यांकन किया गया। • वर्तमान विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों के अनुसार, अवमानक, संदिग्ध, हानि में प्रणाली द्वारा आस्तियों की अनर्जकता के वर्गीकरण के लिए नमूना अग्रिमों पर सटीकता की जांच की गई और उसे समझा गया। • लेखांकन नीति के अनुसार अपनाई गई दरों पर आईआरएसी वर्गीकरण के आधार पर अनर्जक आस्तियों पर प्रावधानों का सत्यापन किया गया।

The Key Audit Matters in relation to audit of the Bank and description of auditor's response are as follows:-

Key Audit Matter	Audit Procedure followed to address the Key Audit Matter
1. Compliance of guidelines of Reserve Bank of India on Income Recognition, Assets classification and Provisioning Norms on advances. Refer Note No. 4 of Schedule 17 Significant Accounting Policies. The Income from Advances constitutes 52.97% of total income. The provision in respect of Non-Performing asset is Rs.7,227 crores which constitutes 42.06% of the expenditure. The Loans and Advances to borrowers constitutes 50.24% of total assets of the bank. These advances are governed by Income Recognition and Asset Classification and Provisioning Framework (IRAC) issued by Reserve Bank of India. Reserve Bank of India has issued these prudential guidelines from time to time by way of master circulars and subsequent notifications. Under the guidelines, income recognition, and provisioning in respect of a credit facility are based on its status of classification as performing or nonperforming. A credit facility becomes non-performing "when it ceases to generate income for a bank". Detailed guidelines have been laid down for determining the status of different kinds of credit facilities (term loans, cash credits and overdrafts, bills purchased and discounted, and other credit facilities) which are mandatory for bank for the purpose of recognition of income, classification of advances and provisioning thereof. The Bank classifies its advances on these norms which are also explained in the Note No. 4 of Schedule 17 Significant Accounting Policies. Considering the nature of transactions, its magnitude, as well as regulatory requirements which include estimation, judgment and valuation of securities on materiality basis, audit of Income on Advances and Provisions thereof required significant efforts. The profit/ Loss for the year and the net advances position will be materially misstated if the prudential guidelines are not followed by the bank. Hence we have considered this as Key Audit Matter.	**We have performed following substantive audit procedures:-** • We have Understood and Tested design and operative effectiveness of the system for identification of Non-Performing Assets and its further classification. This involved understanding of the prudential guidelines and incorporating the same in the overall organisational and IT framework of the bank and its communication through various internal circulars and reports. • We have evaluated Internal Controls over sanctioning and monitoring of advances, delegation of powers. Critically evaluated monitoring/ supervisory framework such as credit audit, concurrent audit and systems audit as well as internal check and balances and effectiveness of such framework for the purpose of compliance of prudential guidelines. • We have done sample testing of financial as well as non-financial factors for identification of non-performing assets by observing conduct of the accounts, using standardised reports as well as running structured queries on the data sample especially to the branches allotted to us. • Performed Sample verification of interest reversals and unrecovered Charges on identification of Non-Performing Asset. • Communicated and made aware to Branch auditors, about IRAC related norms, process and verification guidelines while conducting the audit at branches. • Ensured completeness and verification of Memorandum of Changes passed by Branch Auditors. • Deliberated and critically assessed the security valuation, probability of recovery for the purpose of provisioning in sample cases. • Understood and tested correctness on sample advances for Classification of Non-Performing Assets by the system in to Substandard, Doubtful, Loss as per extant prudential guidelines. • Verified provisions on the non-performing assets based on IRAC classification at the rates adopted as per accounting policy.

2.	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के निवेश का अनुपालन। निवेश को बैंक के व्यवसाय के प्रमुख हिस्से के रूप में लेते हुए हमने इस पहलू को प्रमुख लेखा परीक्षा मामला माना है।	**हमने निम्नलिखित मौलिक लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का पालन किया है: -** • बैंक से रिपोर्टिंग अवधि के अनुसार निवेशों की सूची प्राप्त की गई और लागू अनुसार डीमैट विवरण, एसजीएल/ आरबीआई धारिता विवरण आदि में धारिता की स्थिति के साथ सामंजस्य स्थापित कर उसकी पूर्णता का पता लगाया गया।
	बैंक द्वारा अपनाई गई मूल्यांकन पद्धति।	• निवेशों की वहन राशि की जाँच की गई और सुनिश्चित किया गया कि इसकी गणना भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार संगत आधार पर की जाए। इसकी गणना सामान्यत: बैंक की ई-ट्रेजरी प्रणाली द्वारा की जाती है; इसलिए परीक्षण आधार पर हमने सटीकता सुनिश्चित करने के लिए गणना की जाँच की। • जहां कहीं उद्धरण उपलब्ध थे, रिपोर्टिंग दिनांक पर बाजार मूल्य/ उचित मूल्य पर कब्जा करने के स्रोत की जाँच की गई। यदि उद्धरण उपलब्ध नहीं है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए रिपोर्टिंग दिनांक को उचित मूल्य के लिए गणना की जाँच की गई।
	अनर्जक निवेश और उस पर किए गए प्रावधान।	• भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर अनर्जक निवेश (एनपीआई) का अभिनिर्धारण और बैंक द्वारा उस पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान की गणना की समीक्षा की गई। • यह पुनरीक्षा की गई कि एनपीआई पर मूल्यह्रास को अन्य निष्पादनशील प्रतिभूतियों के संबंध में अभिमूल्यन के समक्ष सेट-ऑफ नहीं किया गया। • ब्याज/ मूल धन के रूपांतरण के परिणामस्वरूप निवेशों की एक अलग सूची प्राप्त की गई और जाँच की गई कि क्या इन निवेशों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यदि पुनर्गठन योजना के कार्यान्वयन पर ऋण को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
	निवेशों के विक्रय पर लाभ या हानि की गणना।	• निवेश के विक्रय पर लाभ या हानि की जांच की गई और समान आधार पर इसकी सतत और उचित गणना की गई। • परिपक्वता पर धारित (एचटीएम) निवेशों के मामले में, यह परीक्षण किया गया कि क्या इस श्रेणी में निवेशों के विक्रय पर निवल लाभ पहले लाभ और हानि खाते में ले जाया गया था और उसके बाद करों के निवल 'पूंजीगत आरक्षित खाते' को विनियोजित किया गया तथा तथा समानुपातिक को सांविधिक आरक्षिति को अंतरित किया गया, जबकि निवल हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी गई। • विक्रय हेतु उपलब्ध (एएफएस) और व्यापार हेतु धारित (एचएफटी) निवेशों के लिए उपलब्ध होने के मामले में, परीक्षण जांच आधार पर, निवेशों के विक्रय पर इस तरह के लाभ या हानि की गणना की पद्धति को स्वीकार किया गया और जांच की गई कि क्या इसे समुचित रूप से लाभ और हानि विवरण में नामे/ जमा किया गया।

2.	Compliance of Investments of the Bank as per the guidelines issued by Reserve Bank of India. Investment form major share of the business of the bank we have considered this aspect as Key Audit Matter	**We have performed following substantive audit procedures:-** • Obtained list of investments as at reporting period from Bank and ascertained the completeness of the same by reconciling with the holding status in the SGL/ RBI holding statement, Demat statement etc. as applicable.
	Valuation methodology adopted by the Bank.	• Checked the carrying amount of investments and ensured that the same is calculated on a consistent basis as per RBI guidelines. This is normally calculated by the Bank's E-treasury system; hence on test basis we checked the calculation for ensuring accuracy. • In case wherever quotes were available, checked the source of capturing market price/ fair value as at reporting date. In case quotes are not available, checked the calculation for fair value as at the reporting date to ensure compliance with RBI guidelines.
	Non-Performing Investments and provisions made thereon.	• Identified Non Performing Investments (NPI) based on RBI guidelines and reviewed the calculation of provision for depreciation thereon by the Bank. • Reviewed that the depreciation on NPI has not been set-off against the appreciation in respect of other performing securities. • Obtained a separate list of investments as a result of conversion of interest/ principal and checking whether these investments have been classified as NPI, if the loan's classification is NPA on implementation of the restructuring scheme.
	Computation of Gain or Loss on sale of investments.	• Examined whether the profit or loss on sale of investments has been computed properly and consistently on similar basis. • In case of Held to Maturity (HTM) investments, we test checked whether the Net Profit on sale of investments in this category was first taken to the Profit & Loss Account, and thereafter appropriated to the 'Capital Reserve Account' net of taxes and proportionate transferred to Statutory Reserve, whereas Net Loss was recognized in the Profit & Loss Account. • In case of Available for Sale (AFS) and Held for Trading (HFT) investments, on a test check basis, reconciled the method of computation of such gain or loss on sale of investments and checked whether the same was appropriately debited/ credited in the profit and loss statements.

3. अनिश्चित कर देयताओं (आकस्मिक) का मूल्यांकन। वित्तीय विवरण का भाग बनाने वाली अनुसूची 12 भाग का संदर्भ लें। लाभप्रदता/ हानि पर इसके संभावित प्रभाव को देखते हुए इस पर हमने मुख्य लेखा परीक्षा मामलों के रूप में विचार किया।	हमने निम्नलिखित मौलिक लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का पालन किया है: - • पूर्ण किए गए कर निर्धारण के ब्यौरे प्राप्त किए गए और प्रबंधन से 31 मार्च, 2019 तक अद्यतीत की मांग की गई। • हमने कर प्रावधान और विवादों के संभावित परिणामों का अनुमान लगाने में प्रबंधन की अंतर्निहित मान्यताओं के लिए अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं का प्रदर्शन किया। • हमने कानूनी अनिश्चितता पर भी विचार किया, इन अनिश्चित कर मुकदमों पर प्रबंधन की स्थिति के मूल्यांकन में विभिन्न मामले कानूनों और अन्य फैसलों का उल्लेख किया। • इसके अलावा, हमने 31 मार्च, 2019 को अनिश्चित कर स्थितियों के संबंध में नवीनतम जानकारी के प्रभाव पर विचार किया, ताकि यह मूल्यांकन किया जा सके कि इन अनिश्चितताओं पर प्रबंधन की स्थिति में कोई बदलाव आवश्यक था या नहीं।
4. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का मूल्यांकन। धोखाधड़ी को कम करने के लिए अपनी नीतियों और शासन के संबंध में आईटी नियंत्रण और प्रक्रियाओं की निगरानी करना और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का अनुपालन करना और ऋण क्षमता में संवर्धन करना। हमने आईटी विभाग के मूल्यांकन को एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामला माना है, क्योंकि बैंक की परिचालन और वित्तीय प्रक्रियाएँ काफी हद तक उसकी आईटी प्रणालियों पर निर्भर करती हैं। ऐसी प्रणालियों में गलतियों, चूकों/ गलत आउटपुट, यदि कोई हो, के परिणामस्वरूप वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत बयानी हो सकती है।	हमने निम्नलिखित मौलिक लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का पालन किया है: - • हमने आईटी नीतियों और प्रक्रियाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आईटी नीतियों और नियंत्रणों का प्रभावी मूल्यांकन, निगरानी और नियंत्रण प्राप्त करने में बैंक द्वारा अनुसरण की जाने वाली आईटी नीतियों और प्रक्रियाओं का कार्यान्वयन करने के लिए लेखा परीक्षा दिशानिर्देशों पर मानकों के अनुसरण में अपनी लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं की हैं। • हमने उस ढांचे की पुनरीक्षा की है जो समग्र संगठनात्मक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सख्त निगरानी और नियंत्रण के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है। • हमने मैन्युअल रूप से चुनिंदा मामलों को सत्यापित किया है और हम प्रणाली द्वारा निर्मित आउटपुट को वैधीकृत करने के लिए मैन्युअल गणनाओं के साथ रिपोर्ट की सटीकता के संबंध में संतुष्ट हैं।

वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

5. अन्य जानकारी के लिए होल्डिंग कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन रिपोर्ट और अध्यक्ष के वक्तव्य में शामिल जानकारी को शामिल किया गया है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट को शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम उस पर किसी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ने की है और ऐसा करने में यह विचार किया गया कि क्या वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी भौतिक रूप से असंगत हैं या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारे ज्ञान या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होते हैं। यदि हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में भौतिक गलत बयानी है; तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है।

3. Evaluation of uncertain tax Liabilities (Contingent). Refer Schedule 12 forming part of financial statement. Considering it's probable impact on Profitability / Loss, we have considered this as Key Audit Matters.	We have performed following substantive audit procedures:- • Obtained details of completed tax assessments and demands up to the year ended March 31, 2019 from management. • We performed our internal procedures to analyse the management's underlying assumptions in estimating the tax provision and the possible outcome of the disputes. • We also considered legal precedence, referred to various case laws and other rulings in evaluating management's position on these uncertain tax litigations. • Additionally, we considered the impact of latest information in respect of uncertain tax positions as on March 31, 2019 to evaluate whether any change was required to management's position on these uncertainties.
4. Evaluation of Information Technology (IT) Department. Monitoring IT Controls and procedures with regard to its policies and governance to reduce frauds and to increase credit worthiness and compliance with RBI Guidelines. We have considered evaluation of IT department as a key audit matter since operational and financial processes of the bank are largely dependent on its IT systems. Lapses, failures/ incorrect output, if any, of such systems may result in material misstatement in the Financial Statements.	We have performed following substantive audit procedures:- • We have carried out our audit procedures in accordance with standards on auditing, guidelines towards implementation of IT policies and procedures followed by the bank in order to have effective monitoring, control and evaluate the IT applications and controls to ensure effective implementation of IT policies and procedures. • We have reviewed the framework which ensure Strict monitoring and implementation of controls to ensure overall organisational objective is achieved. • We have manually verified select cases and satisfied about the accuracy of the reports with the manual calculations for validating the output generated by the system.

Information other than the Financial Statements and Auditor's Report Thereon

5. The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Management report and Chairman's Statement but does not include the financial statements and auditor's report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. If based on the work we performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information; we are required to report that fact. We have nothing to report in this regards.

एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी तथा उनपर शासन द्वारा लगाए गए प्रभार

6. बैंक के निदेशक मंडल इन एकल वित्तीय विवरणों को बनाने के संबंध में जिम्मेदार हैं जो आमतौर पर भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए लेखा मानक, और समय-समय पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी किए गए परिपत्र और दिशानिर्देश सहित वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और बैंक के नकदी प्रवाह के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। इस जिम्मेदारी में बैंक की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेख का रखरखाव; उचित लेखांकन नीतियों और आवेदन का चयन; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव भी शामिल है, जो कि लेखांकन के अभिलेख की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और जो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो रहे सामग्री के दुरुपयोग से मुक्त हैं।

   वित्तीय विवरणों को बनाने में, बैंक का निदेशक मंडल बैंक को एक कार्यशील संस्था के रूप में निरंतर कार्यक्षम, प्रकटीकरण, जो लागू हो, कार्यशील संस्था से संबंधित मामले और जब तक कि निदेशक मंडल या तो बैंक के परिसमापन या परिचालन बंद करना तय नही करता तब तक लेखांकन के आधार पर, कार्यशील संस्था के आधार पर उपयोग करने तथा आकलन करने के लिए ज़िम्मेदार है।

   संबंधित निदेशक मंडल बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

7. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण क्या संपूर्ण रूप से वित्तीय विवरण सामग्री के गलत अनुमान से मुक्त हैं और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी किए जाते हैं जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तरीय आश्वासन है लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि एसएएस के अनुसार की गई लेखा परीक्षा किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर हमेशा उसका पता लगाएगी। धोखाधड़ी या त्रुटि से गलतियाँ हो सकती हैं और वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए व्यक्तिगत या समेकित रूप से उनसे यथोचित अपेक्षा होने पर वस्तुपरक मानी जाती है।

   एसएएस के अनुसार एक लेखा परीक्षा के हिस्से के रूप में हम लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर निर्णय लेते हैं तथा पेशेवर संदेह रखते हैं। हम इसके अतिरिक्त :

- वित्तीय विवरणों की मूल विसंगतियों चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, के जोखिमों की पहचान करना और उनका आकलन करना और उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी लेखा परीक्षा प्रक्रिया को डिज़ाइन और निष्पादित करना तथा लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जोकि हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उचित हैं। धोखाधड़ी की मूल विसंगतियों का पता नहीं लगाने का जोखिम गलतियों के कारण से ज्यादा बड़ा होता है, धोखाधड़ी के अंतर्गत मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण को ओवरराइड करना शामिल हो सकता है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करें।
- नियमित मामले के रूप में जारी रखने के लिए बैंक की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकने वाली घटनाओं या शर्तों से संबंधित चाहे मूल विसंगतियां मौजूद हों, प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य और जारी लेखांकन के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि भौतिक अनिश्चितता मौजूद है तो हमें वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों पर अपने लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अवलोकन करना चाहिए या यदि ये प्रकटन अपर्याप्त हैं तो हमें अपने मत में संशोधन करना चाहिए। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परिक्षकों की रिपोर्ट के दिनांक को प्राप्त लेखापरिक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की घटनाएं और स्थितियां बैंक की सक्रियता को बाधित कर सकती हैं।

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

6. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by The Institute of Chartered Accountants of India, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India (RBI) from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

   In preparing the financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

   The respective Board of Directors are also responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

7. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

   As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.

- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की सामग्री, संरचना और समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित संव्यवहारों और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।
- हम अन्य मामलों में, लेखा परीक्षा की योजनाबद्ध संभावना और समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते हैं, जिसकी पहचान हम अपनी लेखा परीक्षा के दौरान करते हैं।
- हम उन लोगों को भी एक बयान के साथ प्रभार प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता हेतु और जहां लागू हो, सुरक्षा के लिए उचित माना जा सकता है।
- शासन के साथ जुड़े संप्रेषित मामलों से हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते थे और इसलिए वे लेखा परीक्षा के प्रमुख मामले हैं।
- हम अपने लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले का संचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसे संप्रेषण से सार्वजनिक हित लाभ को अतिभार देने हेतु यथोचित प्रतिकूल परिणामों की उम्मीद की जाएगी।

मामले पर बल

8. अपनी राय का समर्थन किए बिना, हम एमएसएमई उधारकर्ताओं से संबंधित खातों पर अनुसूची 18 के नोट क्र.18, एनपीए के साथ साथ मानक आस्तियों पर प्रावधान से संबंधित खातों को अनुसूची 18 के नोट क्र.4, आईएलएफएस समूह खातों के प्रावधान से संबंधित खातों पर अनुसूची 18 के नोट क्र.19 तथा आस्थगित कर आस्ति के अभिनिर्धारण से संबंधित खातों पर अनुसूची 18 के नोट क्र.10.11 पर ध्यान आकर्षित करते हैं।

अन्य मामले

9. हमने बैंक की एकल वित्तीय विवरणियों में शामिल उन 1283 शाखाओं के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2019 को ₹1,28,438.71 करोड़ की कुल आस्तियां और जैसा कि एकल वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है, उस दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए ₹6,589.28 करोड़ का कुल राजस्व दर्शाते हैं। इनकी लेखा परीक्षा सांविधिक शाखा परीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और इसमें हमारा मत, जहां तक शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटन का संबंध है, मात्र ऐसे सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है। साथ ही, हमने बैंक के एकल वित्तीय विवरणों में शामिल उन 573 शाखाओं के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2019 को ₹31,000.83 करोड़ की कुल आस्तियां और उस दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए ₹1776.73 करोड़ का कुल राजस्व दर्शाते हैं, जैसा कि एकल वित्तीय विवरणों में प्रबंधन द्वारा उल्लेख किया गया है।

   हमारी राय इस मामले के संबंध में संशोधित नहीं की गई है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

10. तुलन पत्र और लाभ व हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के 29 खंड के अनुसार तैयार किया गया है।
11. उपर्युक्त परिच्छेद 6, 7 तथा 9 में इंगित लेखा परीक्षा की सीमाओं के अध्यधीन तथा बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण व अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 द्वारा अपेक्षित तथा साथ ही, उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि :

    क) हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिये जो स्पष्टीकरण व सूचनाएं आवश्यक थीं, वह हमने प्राप्त कीं और हमने उन्हें संतोषजनक पाया।

    ख) बैंक के संव्यवहार जो हमारे ध्यान में आए हैं, वह बैंक के अधिकारों के भीतर हैं तथा

    ग) बैंक के कार्यालयों व शाखाओं से प्राप्त विवरणियां हमारे लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु पर्याप्त पायी गईं।

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieve fair presentation.

  We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

  We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

  From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters.

  We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Emphasis of Matter

8. Without qualifying our opinion, we draw attention to Note No.18 of Schedule 18 Notes on Accounts regarding MSME borrowers, Note No.4 of Schedule 18 Notes to Accounts regarding provisioning on NPA as well as Standard Assets, Note No. 19 of Schedule 18 Notes on Accounts regarding provisioning of ILFS group accounts and Note No.10.11 of Schedule 18 Notes on Accounts regarding recognition of Deferred Tax Assets.

Other Matter

9. We did not audit the financial statements of 1283 branches included in the standalone financial statements of the Bank whose financial statements reflect total assets of Rs.1,28,438.71 crores as at 31st March 2019 and total revenue of Rs.6,589.28 crores for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements have been audited by the statutory branch auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far it relates to the amounts and disclosures included in respect of branhes, is based solely on the report of such statutory branch auditors. Further we did not audit the financial statements of 573 branches inculded in the standalone financial statement if the Bank whose financial statements reflect total assets of Rs.31,000.83 crores as at 31st March, 2019 and total revenue of Rs.1,776.73 cores for the year ended on that date, as considered in the Standalone financial statements have been drawn by the management.

   Our opinion is not modified in respect of this matter.

   Report on Other Legal and Regulatory Requirements

10. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;
11. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 6, 7 and 9 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

    a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

    b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

    c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

12. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि

क) हमारी राय में, बैंक द्वारा विधि अपेक्षित उचित लेखा बहियां रखी गई हैं जैसा कि इन बहियों से तथा हमारी अब तक की जांच से पता चलता है तथा हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई शाखाओं से हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनार्थ उचित और पर्याप्त विवरणियां प्राप्त हुई है.

ख) इस रिपोर्ट द्वारा संचलित तुलनपत्र और लाभ हानि खाता तथा नकद प्रवाह के विवरण, विवरणियों और लेखा बहियों के अनुसरण में है।

ग) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अंतर्गत बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखा, कार्यालयों के खातों पर रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा उसका समुचित उपयोग किया गया है; तथा

घ) हमारी राय में द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए तुलन पत्र, लाभ हानि खाता व नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखा मानकों के इस सीमा तक अनुरूप हैं कि वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।

12. We further report that:

a) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us.

b) the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

c) the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and

d) in our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows comply with the applicable accounting standards issued by Institute of Chartered Accountants of India, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

कृते पी पारीख एंड एसोसिएट्स
एफआरएनः 107564डब्ल्यू
सनदी लेखाकार
For P Parikh & Associates
FRN: 107564W
Chartered Accountants

सीए जितेश जैन
भागीदार
सदस्यता क्र.: 114920
CA Jitesh Jain
Parther
Membership No: 114920

कृते एम डी गुजराती एंड कंपनी
एफआरएन: 005301एन
सनदी लेखाकार
For M D Gujrati & Co
FRN: 005301N
Chartered Accountants

सीए मनोहर दास गुजराती
भागीदार
सदस्यता क्र.: 081552
CA Manohar Das Gujrati
Parther
Membership No. 081552

कृते पी जी भागवत
एफआरएनः 101118डब्ल्यू
सनदी लेखाकार
For P G Bhagwat
FRN: 101118W
Chartered Accountants

सीए नचिकेत देव
भागीदार
सदस्यता क्र.: 117695
CA Nachiket Deo
Parther
Membership No. 117695

कृते के गोपाल राव एंड कंपनी
एफआरएन: 000956एस
सनदी लेखाकार
For K Gopal Rao & Co.
FRN: 000956S
Chartered Accountants

सीए के गोपाल राव
भागीदार
सदस्यता क्र.: 018230
CA K Gopal Rao
Parther
Membership No. 018230

स्थान : पुणे
दिनांक : 29 अप्रैल, 2019

Place : Pune
Date : 29th April, 2019

बेसल III - 31.03.2019 को समाप्त वर्ष हेतु पिलर 3 प्रकटन

भारतीय रिजर्व बैंक ने 01.04.2013 से लागू बेसल III दिशानिर्देश जारी किए हैं. ये दिशानिर्देश 31.03.2019 तक बेसल III के कार्यान्वयन हेतु प्राथमिक रूप से संक्रमण अनुसूची उपलब्ध कराते हैं. भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) के अंतर्गत 0.625% के अंतिम ट्रेंच के कार्यान्वयन के लिए संक्रमण अवधि को एक वर्ष से अर्थात् 31 मार्च, 2020 तक के लिए बढ़ा दिया है। बेसल III दिशानिर्देशों के पूर्ण कार्यान्वयन अर्थात 31 मार्च, 2020, पर न्यूनतम पूंजी, जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) की 11.50% होगी, न्यूनतम सामान्य इक्विटि टियर-1 अनुपात 8.00% होगा और न्यूनतम इक्विटि टियर-1 अनुपात 9.50% होगा. 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक द्वारा धारित की जाने वाली न्यूनतम आवश्यकता 7.375% की न्यूनतम सीईटी-1 (सीसीबी सहित) के साथ 10.875% है।

बेसल III ढांचे में तीन आपसी सुदृढ़ पिलर्स शामिल हैं -

(i) पिलर 1 : न्यूनतम पूंजी आवश्यकता (ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम)

(ii) पिलर 2 : पर्यवेक्षकीय समीक्षा और मूल्यांकन (Evaluation) प्रकिया

(iii) पिलर 3 : बाजार अनुशासन

बाजार अनुशासन (पिलर 3) में बैंक की पूंजी पर्याप्तता और जोखिम प्रबंधन ढांचे के प्रकटन शामिल हैं. ये प्रकटन निम्नलिखित खण्डों में दिए गए हैं.

सारणी डीएफ-1 : अनुप्रयोजन का विस्तार

समूह में शीर्ष बैंक का नाम जिस पर संरचना लागू हो - **बैंक ऑफ महाराष्ट्र**

BASEL III – PILLAR 3 DISCLOSURES FOR THE YEAR ENDED 31.03.2019

RBI issued Basel III guidelines, applicable w.e.f. 01.04.2013. These guidelines initially provided a transition schedule for Basel III implementation till 31.03.2019. RBI has extended the transition period for implementing the last tranche of 0.625% under the Capital Conservation Buffer (CCB), by one year, i.e., up to March 31, 2020. Upon full implementation i.e as on March 31 2020, Basel III guidelines target minimum capital to risk-weighted assets ratio (CRAR) would be 11.50%, minimum Common Equity Tier -1 ratio would be 8.00% and minimum Tier 1 ratio would be 9.50%. Minimum capital required to be held by Bank for the year ended 31st March 2019 is 10.875% with minimum CET 1 (incl. CCB) of 7.375%.

Basel III framework consists of three mutually reinforcing pillars:

(i) Pillar 1: Minimum Capital Requirement (Credit Risk, Market Risk and Operational Risk)

(ii) Pillar 2: Supervisory Review and Evaluation Process

(iii) Pillar 3: Market Discipline

Market Discipline (Pillar 3) consists of set of disclosures on capital adequacy and risk management framework of Bank. These disclosures have been set out as under:

TABLE DF-1: SCOPE OF APPLICATION

Name of head of the banking group to which framework applies: **BANK OF MAHARASHTRA**

(i) Qualitative Disclosures:

संस्था का नाम / निगमन देश Name of entity/ Country of incorporation	क्या संस्था समेकन की लेखांकन व्याप्ति में शामिल है (हां/नहीं) Whether entity is included under accounting scope of consolidation (yes / no)	समेकन की पद्धति Method of consolidation	क्या संस्था समेकन के विनियामक व्याप्ति के अंतर्गत शामिल है (हां/नहीं) Whether entity is included under regulatory scope of consolidation (yes / no)	समेकन की पद्धति Method of consolidation	समेकन की पद्धति में अंतर के कारण Reasons for difference in method of consolidation	यदि समेकन की केवल एक व्याप्ति के अंतर्गत समेकित की गई है तो समेकन के कारण Reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
दि महाराष्ट्र एक्जीक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि. (मेटको) / इंडिया The Maharashtra Executors & Trustee Co. Pvt Ltd (METCO)/ India	हां Yes	आईसीएआई द्वारा जारी एएस-21 के अनुसार पंक्ति-दर-पंक्ति आधार Line by Line basis as per AS-21 issued by ICAI	नहीं No	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	चूंकि यह संस्था बैंकिंग कंपनी नहीं है, अतः विनियामक समेकन के क्षेत्राधिकार के बाहर है. बैंक की सीईटी1 पूंजी से पूंजी निवेश घटाया है. Entity is not a banking company, hence outside the purview of regulatory consolidation Capital Investment is deducted from CET1 capital of Bank.
महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (एमजीबी)/ इंडिया Maharashtra Gramin Bank (MGB)/ India	हां Yes	आईसीएआई द्वारा जारी एएस-23 के अनुसार इक्विटी पद्धति आधार Equity method Basis as per AS-23 issued by ICAI	नहीं No	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	यह संस्था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, एक सहायक संस्था है. अतः विनियामक समेकन के क्षेत्राधिकार से बाहर है. निवेश 250% जोखिम भारित है. Entity is RRB, an associate, hence outside the purview of regulatory consolidation Investment is risk weighted at 250%.

(i) गुणात्मक प्रकटन :

क. समेकन हेतु विचारणीय समूह इकाईयों की सूची

1. दि महाराष्ट्र एक्जीक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि. (मेटको)
2. महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (एमजीबी)

ख. समेकन के लेखांकन और विनियामक प्रयोजनों के अंतर्गत समेकन हेतु विचार न की गई समूह संस्थाओं की सूची

a. List of group entities considered for consolidation

1. The Maharashtra Executors & Trustee Company Private Limited (METCO)
2. Maharashtra Gramin Bank (MGB)

b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

संस्था का नाम/ निगमन का देश Name of the entity / Country of incorporation	संस्था की मूल गतिविधि Principle activity of the entity	कुल तुलनपत्र इक्विटी (विधिक संस्था के लेखांकन तुलनपत्र में यथा सूचित) Total Balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का % % of bank's holding in the total equity	संस्था के पूंजी लिखतों में बैंक के निवेश की विनियामक आवश्यकता Regulatory treatment of bank's investments in the capital instruments of the entity	कुल तुलनपत्र आस्तियां (विधिक संस्था के लेखांकन तुलनपत्र में यथा सूचित) Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
शून्य NIL					

(ii) मात्रात्मक प्रकटन

ग. समेकन हेतु विचारणीय सामूहिक संस्थाओं की सूची (लेखांकन)

(ii) Quantitative Disclosures

c. List of group entities considered for consolidation (accounting)

(राशि ₹ मिलियन में) (Amount in ₹ million)

संस्था का नाम/निगमन देश Name of the entity / Country of incorporation	संस्था की प्रमुख गतिविधि Principle activity of the entity	कुल तुलनपत्र इक्विटी (विधिक संस्था के लेखांकन तुलनपत्र में यथा सूचित) Total Balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	कुल तुलनपत्र आस्तियां (विधिक संस्था के लेखांकन तुलनपत्र में यथा सूचित) Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
दि महाराष्ट्र एक्जीक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि. (मेटको)/ इंडिया The Maharashtra Executors & Trustee Co. Pvt Ltd (METCO)/ India	न्यासधारिता Trusteeship	44.05 (बीओएम शेयर 100%) (BOM share 100%)	156.73
महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (एमजीबी) Maharashtra Gramin Bank (MGB)/India	बैंकिंग Banking	4707.65 (बीओएम शेयर 35%) (BOM share 35%)	115732.81

घ. सभी अनुषंगी कंपनियों, जो समेकन के विनियामक विस्तार में शामिल नहीं हैं, में कुल पूंजी कमी की राशि अर्थात, जिनकी कटौति की गई.

बैंक की किसी भी अनुषंगी कंपनी में कोई पूंजी कमी नहीं है जिन्हें 31 मार्च 2019 को समेकन के विनियामक विस्तार हेतु शामिल नहीं किया गया है,

ङ. बीमा इकाईयां, जो जोखिम भारित हैं, में बैंक के कुल हितों की सकल राशि (उदाहरणार्थ चालू बही मूल्य)

d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted:

There is no capital deficiency in the subsidiary of Bank which is not included in regulatory scope of consolidation as of March 31, 2019.

e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk weighted

संस्था का नाम / निगमन देश Name of the insurance entity/ Country of incorporation	संस्था की प्रमुख गतिविधि Principle activity of the entity	कुल तुलनपत्र इक्विटी (विधिक संस्था के लेखांकन तुलनपत्र में यथा सूचित) Total Balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	वोटिंग अधिकार के अनुपात में/ कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का % % of bank's holding in the total equity / proportion of voting power	पूर्ण कटौति पद्धति विरुद्ध जोखिम भारित पद्धति का उपयोग करने से विनियामक पूंजी पर मात्रात्मक प्रभाव Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method versus using the full deduction method
बैंक की बीमा व्यवसाय वाली कोई सहायक संस्था नहीं है. Bank is not having any subsidiary having insurance business.				

च. बैंकिंग समूह के भीतर निधियों के अंतरण अथवा विनियामक पूंजी पर कोई प्रतिबंध अथवा अवरोध

बैंकिंग समूह के भीतर निधियों के अंतरण अथवा विनियामक पूंजी पर दिनांक 31 मार्च, 2019 को कोई प्रतिबंध अथवा अवरोध नहीं है.

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group

There is no restriction or impediments on transfer of funds or regulatory capital within banking group as of March 31, 2019.

सारणी डीएफ-2 पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटन

क. पूंजी प्रबंधन

बैंक की जोखिम रूपरेखा के संबंध में इसकी समग्र पूंजी पर्याप्तता के मूल्यांकन हेतु प्रक्रिया एवं इसके पूंजी स्तरों को बनाये रखने की रणनीति बैंक के पास है. इस प्रक्रिया से यह आश्वासन मिलता है कि बैंक के व्यवसाय में अन्तर्निहित समग्र जोखिमों को वहन करने हेतु बैंक के पास पर्याप्त पूंजी है. बैंक नियामक मानकों को प्राप्त करने के लिए पूंजी की उगाही के लिए उपलब्ध विकल्पों पर विचार कर अपनी पूंजी का सक्रियता से प्रबंधन करता है.

संगठनात्मक ढांचा:

बैंक के पूंजी प्रबंधन का प्रशासन समन्वित जोखिम प्रबंधन विभाग के समन्वय से बैंक के वित्तीय प्रबंधन एवं लेखा विभाग द्वारा निदेशक मंडल के पर्यवेक्षण में किया जाता है. बैंक ने मार्गदर्शन देने तथा तिमाही आधार पर हेतु पूंजी स्थिति का मूल्यांकन करने हेतु आयोजना समिति भी गठित की है.

पूंजी का आंतरिक मूल्यांकन:

बैंक के पूंजी प्रबंधन ढांचे में व्यापक आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) का समावेश है जो वार्षिक आधार पर किया जाता है जिससे नियामक मानकों एवं वर्तमान तथा भविष्य की व्यवसायिक आवश्यकताओं के लिए, जिसमें दबाव परिदृश्य के अंतर्गत की स्थितियां शामिल है, को प्राप्त करने हेतु बैंक के लिए पूंजीकरण के पर्याप्त स्तर का निर्धारण होता है. व्यापक आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) में बैंक के समक्ष आने वाले समस्त जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन एवं महत्व के पश्चात दो वर्षों की समय सीमा के लिए पूंजी आयोजना शामिल होती है जिसका इसकी वित्तीय स्थिति पर व्यापक प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. बैंक द्वारा निम्नलिखित को जोखिम माना जाता है जो बैंक के व्यवसाय हेतु सामान्य कामकाज के दौरान प्रतिपादित होता है और पूंजी आयोजना के लिए विचारणीय होता हैः

♦ समूह जोखिम	♦ देशीय जोखिम
♦ पूंजी जोखिम	♦ अनुपालन जोखिम
♦ तरलता जोखिम	♦ विधिक जोखिम
♦ संकेन्द्रण जोखिम	♦ प्रतिभूतिकरण का अवशिष्ट जोखिम
♦ बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम	♦ मॉडल जोखिम
♦ आरडब्ल्यूए के कम आकलन का जोखिम	♦ रणनीतिक जोखिम
♦ मुद्रा प्रेरित ऋण जोखिम	♦ प्रतिष्ठा-संबंधी जोखिम
♦ निपटान जोखिम	♦ पेंशन दायित्व जोखिम
♦ प्रतिभूतिकरण जोखिम	♦ अन्य अवशिष्ट जोखिम

बैंक द्वारा आवधिक रूप से इसके दबाव जांच का मूल्यांकन एवं निर्धारण एक प्रयास के रूप में यह सुनिश्चित करने हेतु किया जाता है कि दबाव परिदृश्य व्यापक जोखिमों का पता लगाने के साथ-साथ संभावित चरम बाजार संचलन, जो व्यवसाय वातावरण के परिणामस्वरूप उत्पन्न हो सकता है, को प्रदर्शित करता है. पूंजी आयोजना के उद्देश्य से बैंक की व्यवसाय आयोजना के अनुरूप दबाव जांच की जाती है.

निगरानी एवं रिपोर्टिंग :

बैंक के निदेशक मंडल द्वारा बैंक के पूंजी पर्याप्तता स्तरों की निगरानी की जाती है. पूंजी पर्याप्तता स्थिति और जोखिम धारित आस्तियों का विश्लेषण और पूंजी एवं जोखिम प्रबंधन पर बेसल III के विभिन्न पहलुओं का निदेशक मंडल द्वारा तिमाही आधार पर मूल्यांकन किया जाता है.

मात्रात्मक प्रकटन

ख. पूंजी आवश्यकता

ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत अवधि पद्धति और परिचालनगत जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण का

TABLE DF – 2: CAPITAL ADEQUACY

Qualitative Disclosures

a. Capital Management

Bank has a process for assessing its overall capital adequacy in relation to Bank's risk profile and a strategy for maintaining its capital levels. Process provides an assurance that Bank has adequate capital to support all risks inherent to its business. Bank actively manages its capital to meet regulatory norms by considering available options of raising capital.

Organisational Set-up:

Capital Management is administered by Financial Management and Accounts Department in co-ordination with Integrated Risk Management Department under the supervision of Board of Directors. Bank has also formed Capital Planning Committee to provide guidance and assess the capital position on quarterly basis.

Internal Assessment of Capital:

Bank's Capital Management framework includes a comprehensive Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) conducted annually which determines adequate level of capitalisation for Bank to meet regulatory norms and current and future business need, including under stressed scenarios. ICAAP encompasses capital planning for two years time horizon, after identification and evaluation of significance of all risks that Bank faces, which may have an adverse material impact on its financial position. Bank considers following as risks it is exposed to in the normal course of its business and considers them for capital planning:

♦ Group Risk	♦ Country Risk
♦ Capital Risk	♦ Compliance Risk
♦ Liquidity Risk	♦ Legal Risk
♦ Concentration Risk	♦ Residual risk of Securitization
♦ Interest Rate Risk in the Banking Book	♦ Model Risk
♦ Risk of under-estimation of RWAs	♦ Strategic Risk
♦ Currency Induced Credit Risk	♦ Reputational Risk
♦ Settlement Risk	♦ Pension Obligation Risk
♦ Securitization Risk	♦ Other residual Risk

Bank periodically assesses and refines its stress tests in an effort to ensure that stress scenarios capture material risks as well as reflect possible extreme market moves that could arise as a result of business environment conditions. Stress tests are used in conjunction with Bank's business plans for the purpose of capital planning.

Monitoring and Reporting:

The Board of Directors of the Bank monitors capital adequacy levels of Bank. An analysis of the capital adequacy position and risk weighted assets and an assessment of various aspects of Basel III on capital and risk management are undertaken by Board on a quarterly basis

Quantitative Disclosures

b. Capital Requirement

Bank's capital requirements have been computed using Standardized Approach for Credit Risk, Standardized Duration

उपयोग करते हुए बैंक की पूंजी आवश्यकताओं का परिकलन किया जाता है. ऋण, बाजार और परिचालनगत जोखिमों के लिए 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक द्वारा धारित की जाने वाली अपेक्षित न्यूनतम पूंजी 7.375% की न्यूनतम सीईटी-1 (सीसीबी सहित) के साथ 10.875% है, जो निम्नानुसार है:

(राशि ₹ मिलियन में)

क्र. सं.	विवरण	राशि	राशि
(क)	**ऋण जोखिम के लिए वांछित पूंजी**		
(i)	मानक दृष्टिकोण के अध्यधीन संविभाग	61415.74	
(ii)	प्रतिभूतिकरण विगोपन के लिए	0.00	
	मानक दृष्टिकोण के तहत ऋण जोखिम के लिए कुल पूंजी प्रभार (i+ii)		**61415.74**
(ख)	**बाजार जोखिम**		
(i)	ब्याज दर जोखिम	4441.84	
(ii)	विदेशी विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित)	45.00	
(iii)	इक्विटी जोखिम	989.35	
	मानक अवधि दृष्टिकोण के तहत बाजार जोखिम के लिए कुल पूंजी प्रभार (i+ii+iii)		***5476.19**
(ग)	**परिचालनगत जोखिम के लिए पूंजी प्रभार**		
	मूल संकेतक दृष्टिकोण के तहत		***7032.71**
	मानक दृष्टिकोण के तहत (समानांतर)		***7041.80**
(घ)	**पूंजी अनुपात**		**स्टैंडअलोन (% में)**
	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूँजी अनुपात (सीसीबी सहित)		**9.883%**
	टीयर I पूंजी अनुपात (सीसीबी सहित)		**9.912%**
	कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) सीसीबी सहित		**11.859%**

(* भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सीआरएआर की प्राप्ति हेतु लिए बाजार और परिचालन जोखिम पूंजीगत शुल्क का 12.50% की दर से आरएडब्लूए में अंतरण किया जाता है। डीएफ 7 और डीएफ 8 का विवरण)

सारणी-डीएफ-3 - ऋण जोखिम: सामान्य प्रकटन

गुणात्मक प्रकटन:

प्रतिपक्षों अथवा उधारकर्ताओं की ऋण गुणवत्ता में आई कमी से उत्पन्न हानियों की संभावनाओं के रूप में ऋण जोखिम परिभाषित है. बैंक के संविभाग में ग्राहकों अथवा प्रतिपक्षों की उधारी, ट्रेडिंग, निपटान और अन्य वित्तीय संव्यवहारों में प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करने की अक्षमता अथवा अनिच्छा के कारण सीधे चूक से हानि उत्पन्न होती है.

ऋण जोखिम प्रबंधन का संघटनात्मक ढांचा

बैंक में व्यापक ऋण जोखिम प्रबंधन संरचना है. बैंक के निदेशक मंडल ऋण जोखिम रणनीति का समर्थन और बैंक की ऋण जोखिम नीतियों को अनुमोदित करते हैं. बैंक में जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं, कार्यविधि और प्रणाली को देखने के लिए निदेशक मंडल ने समितियां गठित की हैं. जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) ऋण जोखिम प्रबंधन की नीति और रणनीति बनाने हेतु उत्तरदायी है. इस हेतु यह समिति बैंक के ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) के साथ समन्वय करती है. ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) बैंक में ऋण जोखिम प्रबंधन ढांचे के कार्यान्वयन को देखने और जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) की सिफारिशों को लागू करने की उत्तरदायी है.

Method for Market Risk and Basic Indicator Approach for Operational Risk. Minimum capital required to be held by Bank for the year ended 31st March 2019 is 10.875% with minimum CET 1 (incl. CCB) of 7.375% for credit, market and operational risks is given below:

(Amount in ₹ million)

Sr. No.	Particulars	Amount	Amount
(A)	**Capital Required for Credit Risk**		
(i)	Portfolios subject to Standardised Approach	61415.74	
(ii)	For Securitisation Exposure	0.00	
	Total capital charge for credit risks under standardized approach (i+ii)		**61415.74**
(B)	**Market Risk**		
(i)	Interest Rate Risk	4441.84	
(ii)	Foreign Exchange Risk (including Gold)	45.00	
(iii)	Equity Risk	989.35	
	Total capital charge for market risks under standardized duration approach (i+ii+iii)		***5476.19**
(C)	**Capital Charge for Operational Risk**		
	Under Basic Indicator Approach		***7032.71**
	Under The Standardized Approach (Parallel run)		***7041.80**
(D)	**Capital Ratios**		**Standalone (In %)**
	Common Equity Tier 1 Capital Ratio (Incl CCB)		**9.883%**
	Tier 1 Capital Ratio (Incl CCB)		**9.912%**
	Total Capital Ratio(CRAR) – Including CCB		**11.859%**

(*For market and operational risks capital charge is converted in RWA @ 12.50 to arrive at CRAR as per RBI guidelines. Details in DF7 and DF 8)

TABLE DF-3: CREDIT RISK - GENERAL DISCLOSURES

Qualitative Disclosures

Credit Risk is defined as possibility of losses associated with diminution in credit quality of borrowers or counterparties. In a bank's portfolio, losses stem from outright default due to inability or unwillingness of a customer or counterparty to meet commitments in relation to lending, trading, settlement and other financial transactions.

Organizational Structure for Credit Risk Management

Bank has comprehensive credit risk management architecture. Board of Directors of Bank endorses its Credit Risk strategy and approves credit risk policies. The Board has formed committees to oversee risk management processes, procedures and systems. Risk Management Committee (RMC) is responsible for devising policy and strategy for credit risk management. For this purpose, committee co-ordinates with Credit Risk Management Committee (CRMC) of Bank. CRMC is responsible for overseeing implementation of credit risk management framework across Bank and providing recommendations to RMC.

नीति व रणनीति

बैंक संतुलित जोखिम दर्शन का अनुपालन कर रहा है. जोखिम दर्शन के महत्वपूर्ण पहलुओं को विभिन्न नीतियों, परिपत्रों और दिशानिर्देशों में समाहित किया गया है. उठाए गए विभिन्न जोखिमों का स्तर, पूंजी का स्तर, प्रतियोगिता, बाजार परिदृश्य और लाभप्रदता इत्यादि बातों को ध्यान में लेकर बैंक के कारोबारी उद्देश्य और रणनीतियां तैयार की जाती हैं. बैंक अपनी आस्ति गुणवत्ता और आय के प्रति सतर्क है तथा जोखिम नियंत्रण के साथ लाभ को अधिकतम करने के लिए विवेकपूर्ण ढंग से संतुलन करता है.

बैंक ने निदेशक मंडल के अनुमोदन से निम्नलिखित नीतियां लागू की हैं

- I. उधारी और ऋण पुनरीक्षण नीति
- II. ऋण जोखिम प्रबंधन नीति
- III. ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक और सहायक प्रतिभूति प्रबंधन
- IV. निवेश प्रबंधन नीति
- V. रियल इस्टेट को विगोपन हेतु नीति
- VI. बैंक गारंटियों के जारीकरण हेतु नीति
- VII. एनबीएफसी के वित्तीयन हेतु नीति

उधारी और ऋण पुनरीक्षण नीति, ऋण जोखिम प्रबंधन नीति के दस्तावेज संगठनात्मक ढांचे, भूमिका और जिम्मेदारियों तथा प्रक्रियाओं और साधनों को परिभाषित करते हैं जिनकी सहायता से बैंक द्वारा उठाए जा रहे ऋण जोखिम और उसकी मात्रा का निर्धारण किया जा सकता है और उसे बैंक के विचार में उसके अधिदेश तथा जोखिम अपेटाइट के अनुसार निर्धारित फ्रेमवर्क में प्रबंधित किया जा सकता है. नीतियों में विभिन्न विवेकी और विगोपन सीमाओं, सहायक प्रतिभूति मानक तथा ऋण जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य से विभिन्न वित्तीय न्यूनतम सीमाओं का निर्धारण किया गया है. ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक और सहायक प्रतिभूति प्रबंधन नीति बेसल III फ्रेमवर्क के अंतर्गत ऋण जोखिम प्रशमन के लिए पात्र सहायक प्रतिभूतियों के विवरण निर्धारित करती है. निवेश प्रबंधन नीति, रियल इस्टेट को विगोपन हेतु नीति, बैंक गारंटियों के जारीकरण हेतु नीति और एनबीएफसी को वित्तीयन के लिए नीति बैंक की ऋण जोखिम नीति का अभिन्न अंग हैं.

ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए प्रणालियां / प्रक्रियाएं / साधन

ऋण मूल्यांकन मानक : ऋण प्रदान करने के एकरूप मानक, ऑफ बैलेन्स शीट मदों सहित सभी ऋण विगोपनों के दस्तावेजीकरण और रखरखाव हेतु बैंक की अपनी अग्र सक्रिय ऋण जोखिम प्रबंधन नीति है. आवधिक पुनरीक्षण, आवधिक निरीक्षण और सहायक प्रतिभूति प्रबंधन प्रणाली जैसी प्रणालियां बैंक में विद्यमान हैं.

विगोपन सीमाएं : एकल / समूह उधारकर्ता सीमाएं, बड़ी विगोपन सीमाएं और सेक्टर / उद्योग से संबंधित विगोपन सीमाओं सहित ऋण जोखिम सीमाएं लागू हैं. विगोपन की तुलना में सीमाओं की निगरानी तिमाही आधार पर की जाती है.

ऋण अनुमोदन समिति : अति विस्तृत शाखाओं/ अंचल कार्यालयों / प्रधान कार्यालय में संवर्धन या बिना संवर्धन के नए/ वर्तमान प्रस्तावों पर विचार करने के लिए विभिन्न स्तरों पर ऋण अनुमोदन समितियों का गठन किया गया है. विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक के ऋण प्रस्तावों पर विचार करने के लिए बैंक ने अंचल स्तर पर केंद्रीयकृत प्रसंस्करण कक्ष भी स्थापित किए है.

मंजूरी अधिकार : बैंक में ऋणों की मंजूरी हेतु एक सुपरिभाषित बहुस्तरीय विवेकाधिकार संरचना को अपनाया जाता है. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बेहतर रेटिंग वाले ग्राहकों को ऋण और अग्रिम मंजूर करने हेतु मंजूरकर्ता प्राधिकारियों को उच्चतर मंजूरी अधिकारों का प्रत्यायोजन किया गया है. उच्च मूल्य के ऋणों के संबंध में, समिति दृष्टिकोण को अपनाया गया है.

ऋण जोखिम योग्यताक्रम व मूल्यांकन प्रक्रिया : बैंक अपने ऋण जोखिम का प्रबंध हर बाध्यताधारी (उधारकर्ता) और संविभाग स्तर की जोखिमों के सतत परिमापण एवं निगरानी के जरिये करता है. बैंक के पास एक मजबूत आंतरिक ऋण जोखिम रेटिंग संरचना (सीआरआरएफ) और सुस्थापित मानकीकृत ऋण मूल्यांकन/ अनुमोदन प्रक्रियाएं हैं. ऋण जोखिम रेटिंग से बैंक को किसी ऋण प्रस्ताव में अन्तर्निहित जोखिम के सटीक निर्धारण और किसी भी ऋण प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय लेने में सहायता मिलती है. यह ऋण सुविधाओं के लिए जोखिम आधारित समझौताकारी तालमेल के अनुसार यथोचित जोखिम मूल्य निर्धारित करने में भी सहायक होता है.

कड़ी ऋण जोखिम प्रबंधन पद्धति के मापदंड के रूप में बैंक में ऋण जोखिम रेटिंग के अनुमोदन के लिए एक अवधारणा मौजूद है. हर उधारकर्ता की रेटिंग की वर्ष में कम से कम एक बार पुनरीक्षा की जाती है. ऋण जोखिम रेटिंग को एक संकल्पना के रूप में बैंक में भली-भांति रूप से आत्मसात किया गया है.

ऋण पुनरीक्षण तंत्र - बैंक में लागू ऋण पुनरीक्षण तंत्र के उद्देश्य हैं -

i) बैंक की उधारी नीति और प्रत्यायोजित उधारी अधिकारों के अनुसार विभिन्न

Policy & Strategy

Bank has been following a conservative risk philosophy. The important aspects of risk philosophy are embodied in various policies, circulars, guidelines etc. The business objectives and strategy of Bank are decided taking into account profit considerations, level of various risks faced, level of capital, market scenario and competition. Bank is conscious of its asset quality and earnings and judiciously matches profit maximization with risk control.

Bank has put in place following policies approved by Board.

- i) Lending & Loan Review Policy
- ii) Credit Risk Management Policy
- iii) Credit Risk Mitigation Techniques & Collateral Management
- iv) Investment Management Policy
- v) Policy for Exposure to Real Estate
- vi) Policy for Issuance of Bank Guarantees
- vii) Policy for Financing of NBFC

Lending & Loan Review Policy, Credit Risk Management Policy documents define organizational structure, role and responsibilities and, processes and tools whereby credit risks carried by Bank can be identified, quantified and managed within framework that Bank considers consistent with its mandate and risk appetite. The policies prescribe various prudential and exposure limits, collateral standards, financial benchmarks for the purpose of credit risk management. The policy on Credit Risk Mitigation Techniques & Collateral Management lays down details of eligible collaterals for credit risk mitigation under Basel III framework. The Investment Management Policy, Policy on Exposure to Real Estate, Policy for issuance of Bank Guarantee and Policy for Financing of NBFCs forms an integral part of credit risk management.

Systems / Process / tools for Credit Risk Management

Credit Appraisal standards: Bank has in place proactive credit risk management practices like consistent standard for credit origination, maintenance and documentation for all credit exposures including off balance sheet items. Systems of periodic reviews, periodic inspections and collateral management systems are in place.

Exposure Limits: Credit risk limits including single / group borrower limits, substantial exposure limits, exposure limits in respect of sectors / industries are in place. The exposure vis-à-vis the limits are monitored on a quarterly basis.

Credit Approval Committees: Credit Approval committees have been constituted at various levels covering very large branches / Zonal offices / Head Office for considering fresh / existing proposals with or without enhancement. Bank has also setup centralized processing cells at zonal level for considering credit proposals above specified limit.

Sanctioning Powers: Bank follows a well-defined multi-layered discretionary power structure for sanctioning of loans. Higher sanctioning powers are delegated to sanctioning authorities for sanctioning loans and advances to better rated customers in line with RBI guidelines. In respect of high value loans, committee approach is adopted.

Credit Risk Rating and Appraisal Process: Bank manages its credit risk through continuous measuring and monitoring of risks at each obligor (borrower) and portfolio level. Bank has in place an internal Credit Risk Rating Framework (CRRF) and well established standardized credit appraisal / approval processes. Credit risk rating enables Bank to accurately assess risk in a credit proposition and take a decision to accept or reject proposal based on risk appetite of Bank. It also enables risk pricing of credit facilities for risk return trade off.

As a measure of robust credit risk management practices, Bank has in place a framework for approval of credit risk ratings. Rating for every borrower is reviewed at least once in a year. Credit risk rating, as a concept, has been well internalized in Bank.

Loan review Mechanism: Objectives of Loan Review Mechanism are:

i) To ensure that credit decisions by various authorities are in

प्राधिकारियों द्वारा ऋण मंजूर करना सुनिश्चित करना.

ii) मंजूरी की शर्तों और निबंधनों का पालन और विभिन्न स्वीकृतियों उपरांत अनुवर्तन, निगरानी और बैंक द्वारा निर्धारित पर्यवेक्षी उपायों का पालन सुनिश्चित करना.

iii) सभी ऋण सुविधाओं का पुनरीक्षण / नवीकरण समय पर सुनिश्चित करना ताकि जोखिम संभावनाओं को संशोधित कर यदि आवश्यक हो तो तत्काल सुधारात्मक कदम उठाना सुनिश्चित करना.

iv) आस्ति की मानक गुणवत्ता बनाए रखने और अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में सुधार सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखना ताकि अनर्जक आस्तियों पर प्रतिबंध / कमी / कोटिउन्नयन द्वारा बैंक की लाभप्रदता पर अनुकूल प्रभाव डाला जा सके.

v) बैंक के ऋण संविभाग की गुणवत्ता की जांच करना और इसकी जानकारी समय-समय पर उच्च प्रबंधन को देना.

ऋण देने के लिए जांच और संतुलन का तंत्र है जैसे कि ऋण स्वीकृतियों से ऋण जोखिम प्रबंधन को अलग करना, ऋण जोखिम रेटिंग देने की प्रणाली, रेटिंग की जांच, ग्राहक की जोखिम रेटिंग के अनुसार ऋण सुविधा का मूल्यांकन करने का तंत्र, ऋण लेखा परीक्षा इत्यादि लागू हैं. प्रवेश स्तरीय न्यूनतम रेटिंग भी निर्धारित की गई हैं. अन्य बैंकों पर किए गए समग्र विगोपन और देश के ऋण विगोपनों की निगरानी करने के लिए तंत्र उपलब्ध है. एक विकेन्द्रीकृत ऋण संविभाग बनाए रखा गया है और समय-समय पर संविभाग का विश्लेषण किया जाता है ताकि जारी ऋण के सतत नियंत्रण को सुनिश्चित किया जा सके.

विगत में देय एवं अनर्जक ऋण:

आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने के संबंध में विनियामक दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है और अग्रिमों की निम्नलिखित श्रेणियों को अनर्जक आस्ति मानता है जहां -

- सावधि ऋण के संबंध में ब्याज और/या मूलधन की किस्त 90 दिनों या अधिक की अवधि हेतु अतिदेय रही हो.
- ओवरड्राफ्ट/नकदी ऋण (ओडी/ सीसी) के संबंध में खाता 90 दिन या अधिक 'अनियमित' रहा हो.
- बिल खरीद और भांजित बिल के संबंध में बिल 90 दिन या अधिक की अवधि हेतु अतिदेय रहा हो
- कृषि अग्रिमों के संबंध में ब्याज और/ या मूलधन की किश्त दो फसल मौसमों हेतु (कम अवधि वाली फसलों के संबंध में) और एक फसल मौसम (लम्बी अवधि वाली फसलों के संबंध में) अतिदेय रही हो.
- अन्य खातों के संबंध में 90 दिनों से अधिक की अवधि हेतु अतिदेय कोई भी प्राप्य रकम.

अनियमित स्थिति : एक खाता तब '**अनियमित**' माना जाता है जब खाते में बकाया शेष लगातार मंजूरी सीमा / आहरण अधिकारों से अधिक बना रहता है. ऐसे मामलों में जहां मूल परिचालित खाते में बकाया शेष मंजूरी सीमा / आहरण अधिकार से कम है किंतु खाते में तुलनपत्र की दिनांक से 90 दिनों तक लगातार कोई रकम जमा नहीं हुई है या खाते में जमा रकम अवधि के दौरान नामे की जाने वाली ब्याज की रकम को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो इस प्रकार के खातों को '**अनियमित**' माना जाएगा.

अतिदेय : किसी भी ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक हेतु देय कोई भी राशि अतिदेय होती है यदि इसका भुगतान बैंक द्वारा निर्धारित नियत दिनांक पर न किया जाए.

मीयादी जमाराशियों, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र और जीवन बीमा पॉलिसियों के प्रति अग्रिमों को अनर्जक आस्ति के रूप में माना जाना आवश्यक नहीं है बशर्ते कि खातों में पर्याप्त मार्जिन उपलब्ध हो. अतिदेय किन्तु केन्द्र सरकार गारंटियों द्वारा समर्थित ऋण सुविधाओं को केवल तभी एनपीए माना जा सकता है जब लागू करते समय सरकार अपनी गारंटी का परित्याग करे। राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियों में राज्य सरकार द्वारा गारंटी दिए गए अग्रिमों और निवेशों पर आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंड लागू होंगे यदि ब्याज और/ या मूल धन अथवा बैंक हेतु देय की अन्य राशि 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय बनी रहती है।

मात्रात्मक प्रकटन:

1. **कुल सकल ऋण विगोपन**

(₹ मिलियन में)

श्रेणी	31.03.2019
निधिक	1067695.80
गैर-निधिक	134325.30

conformity with Bank's Lending Policy and delegated lending powers.

ii) To ensure that stipulated terms & conditions of sanction are complied with and various post sanction follow up, monitoring and supervision measures prescribed by Bank are adhered to.

iii) To ensure that all credit facilities are reviewed / renewed well in time so as to revise risk perception and take necessary corrective action if necessary, immediately.

iv) To aim at achieving maintenance of standard assets quality and up gradation in non-performing assets (NPAs) so as to have a favourable impact on profitability of Bank through prevention / reduction / up gradation of NPAs.

v) To assess health of credit portfolio of Bank and to apprise Top Management about the same from time to time.

Checks and balances viz. separation of credit risk management from credit sanctions, system of assigning credit risk rating, validation of ratings, mechanism to price credit facilities depending on risk rating of customer, credit audit etc. are in place. Minimum entry level rating benchmarks are stipulated. A suitable mechanism is in place to monitor aggregate exposure on other banks and country exposures. A diversified credit portfolio is maintained and a system to conduct regular analysis of portfolio so as to ensure ongoing control of credit is in place.

Loans past due and Impaired:

Regulatory guidelines are adhered to in respect of income recognition, asset classification and provisioning. Bank considers following categories of loans and advances as Non-performing Assets, wherein:

- Interest and/or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a Term Loan
- Account remains 'out of order' in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC) for 90 days or more
- Bill remains overdue for a period of more than 90 days in case of Bills Purchased and Discounted
- In case of agricultural advances, interest and/or installment of principal remains overdue for 2 crop seasons (in respect of short duration crops) & 1 crop season (in respect of long duration crops).
- Any amount receivable that remains overdue for a period of more than 90 days in respect of other accounts.

'Out of Order' status: An account is treated as **'out of order'** if the outstanding balance remains continuously in excess of sanctioned limit/drawing power. In cases where outstanding balance in the principal operating account is less than sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on date of Balance Sheet or credits are not enough to cover interest debited during same period, these accounts are also treated as **'out of order'**.

Overdue: Any amount due to Bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on due date fixed by Bank.

Advances against term deposits, National Savings Certificates, Indira Vikas Patra, Kisan Vikas Patra and Life insurance policies need not be treated as NPAs, provided adequate margin is available in the accounts. Credit facilities backed by Central Government Guarantees though overdue may be treated as NPA only when the Government repudiates its guarantee when invoked. State Government guaranteed advances and investments in State Government guaranteed securities would attract asset classification and provisioning norms if interest and /or principal or any other amount due to the Bank remains overdue for more than 90 days.

Quantitative Disclosures

1. **Total Gross Credit exposure:**

(Amount in ₹ million)

Category	31.03.2019
Fund Based	1067695.80
Non-Fund Based	134325.30

2. ऋण विगोपनों का भौगोलिक वितरण:

(₹ मिलियन में)

श्रेणी	31.03.2019	
	समुद्रपारीय	घरेलू
निधिक	शून्य	1067695.80
गैर-निधिक	शून्य	134325.30

3. उद्योगवार वितरण

(₹ मिलियन में)

क्र.	उद्योग	निधिक विगोपन		गैर-निधिक विगोपन	
3.1	खनन व उत्खनन (कोयला सहित)		6857.80		159.40
3.2	खाद्य प्रसंस्करण		2638.40		7.30
3.2.1	चीनी	2044.60		0.00	
3.2.2	खाद्य तेल व वनस्पति	79.70		0.10	
3.2.3	चाय	0.70		0.00	
3.2.4	अन्य	513.40		7.20	
3.3	पेय (Beverage) व तंबाखू		11.60		17.00
3.4	वस्त्र		19606.30		2738.70
3.4.1	सूती वस्त्र	5093.70		821.70	
3.4.2	पटसन वस्त्र	27.30		0.00	
3.4.3	मानव निर्मित वस्त्र	18.80		0.80	
3.4.4	अन्य वस्त्र	14466.50		1916.20	
3.5	चमड़ा व चर्म उत्पाद		637.70		43.60
3.6	लकड़ी व लकड़ी के उत्पाद		1406.50		133.70
3.7	कागज व कागज उत्पाद		3500.80		280.00
3.8	पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद व न्यूक्लियर इंधन जिसमें से:		6212.40		84.50
3.8.1	पेट्रोलियम	3704.50		46.80	
3.9	केमिकल व केमिकल उत्पाद		24224.90		1275.40
3.9.1	उर्वरक	11264.10		48.20	
3.9.2	औषध व भेषज	6903.30		522.10	
3.9.3	पेट्रो केमिकल्स	3216.90		581.20	
3.9.4	अन्य	2840.60		123.90	
3.10	रबर, प्लास्टिक व उनके उत्पाद		6944.50		590.40
3.11	कांच और कांच की वस्तुएं		1133.70		234.60
3.12	सीमेंट व सीमेंट उत्पाद		18023.80		345.70
3.13	मूल धातु व धातु उत्पाद		41083.30		3846.30
3.13.1	लोहा व इस्पात	21862.70		1122.20	
3.13.2	अन्य धातु व धातु उत्पाद	19220.60		2724.10	
3.14	सभी अभियांत्रिकी		34429.10		19267.90
3.14.1	इलेक्ट्रॉनिक्स	7635.10		2667.10	
3.14.2	अन्य	26794.00		16600.80	
3.15	वाहन एवं वाहन के पुर्जे तथा परिवहन उपकरण		16565.50		810.40
3.16	रत्न और जेवरात		3407.20		562.30
3.17	निर्माण (मूलभूत संरचना के अलावा)		52.60		0.30
3.18	मूलभूत संरचना		94270.80		21921.60
3.18.1	पावर	52092.90		5668.80	
3.18.2	टेलीकम्यूनीकेशन	106.30		47.60	
3.18.3	रास्ते	26562.90		7062.00	
3.18.4	हवाई अड्डा	0.00		0.00	
3.18.5	पोर्ट	3223.30		0.70	

2. **Geographic Distribution of credit exposure :**

(Amount in ₹ million)

Category	31.03.2019	
	Overseas	Domestic
Fund Based	NIL	1067695.80
Non-Fund Based	NIL	134325.30

3. **Industry-wise Distribution:**

(Amount in ₹ million)

Sr. No.	Industry	Funded Exposure		Non-Fund Exposure	
3.1	Mining and Quarrying (incl. Coal)		6857.80		159.40
3.2	Food Processing		2638.40		7.30
3.2.1	Sugar	2044.60		0.00	
3.2.2	Edible Oil and Vanaspati	79.70		0.10	
3.2.3	Tea	0.70		0.00	
3.2.4	Others	513.40		7.20	
3.3	Beverage and Tobacco		11.60		17.00
3.4	Textiles		19606.30		2738.70
3.4.1	Cotton Textiles	5093.70		821.70	
3.4.2	Jute Textiles	27.30		0.00	
3.4.3	Man-Made Textiles	18.80		0.80	
3.4.4	Other Textiles	14466.50		1916.20	
3.5	Leather and Leather Products		637.70		43.60
3.6	Wood and Wood Products		1406.50		133.70
3.7	Paper and Paper Products		3500.80		280.00
3.8	Petroleum, Coal Products and Nuclear Fuels of which:		6212.40		84.50
3.8.1	Petroleum	3704.50		46.80	
3.9	Chemicals and Chemical Products		24224.90		1275.40
3.9.1	Fertiliser	11264.10		48.20	
3.9.2	Drugs & Pharmaceuticals	6903.30		522.10	
3.9.3	Petro Chemicals	3216.90		581.20	
3.9.4	Others	2840.60		123.90	
3.10	Rubber, Plastic & their Products		6944.50		590.40
3.11	Glass & Glassware		1133.70		234.60
3.12	Cement & Cement Products		18023.80		345.70
3.13	Basic Metal & Metal Product		41083.30		3846.30
3.13.1	Iron & Steel	21862.70		1122.20	
3.13.2	Other Metal & Metal Product	19220.60		2724.10	
3.14	All Engineering		34429.10		19267.90
3.14.1	Electronics	7635.10		2667.10	
3.14.2	Others	26794.00		16600.80	
3.15	Vehicles, Vehicle Parts & Transport Equipment		16565.50		810.40
3.16	Gems & Jewellery		3407.20		562.30
3.17	Construction (other than Infrastructure)		52.60		0.30
3.18	Infrastructure		94270.80		21921.60
3.18.1	Power	52092.90		5668.80	
3.18.2	Telecommunication	106.30		47.60	
3.18.3	Roads	26562.90		7062.00	
3.18.4	Airports	0.00		0.00	
3.18.5	Ports	3223.30		0.70	

क्र.	उद्योग	निधिक विगोपन		गैर-निधिक विगोपन	
3.18.6	रेल्वे (भारतीय रेल्वे के अलावा)	169.10		91.30	
3.18.7	अन्य मूलभूत संरचना	12116.3		9051.20	
3.19	**अन्य उद्योग**		**6022.40**		**713.80**
3.20	**अवशिष्ट अन्य अग्रिम**		**780666.50**		**81292.40**
	कुल		**1067695.80**		**134325.30**

उद्योग जिनमें सकल ऋण विगोपन 5% से अधिक है

उद्योग	विगोपन का %
शून्य	

4. आस्तियों का अवशिष्ट परिपक्वता विश्लेषण :

(₹ मिलियन में)

परिपक्वता स्वरूप	निवेश	अग्रिम	विदेशी मुद्रा आस्तियां
1 दिन	2799.40	6277.81	6886.07
2 से 7 दिन	12167.00	62327.13	24469.80
8 से 14 दिन	16467.25	12009.31	232.59
15 से 30 दिन	8380.37	40197.45	11645.90
31 दिन से 2 महीने	34470.82	20658.83	6242.11
2 महीने से अधिक व 3 महीने तक	27944.58	12747.59	5531.25
3 महीने से अधिक व 6 महीने तक	28829.95	83089.49	7235.95
6 महीने से अधिक व 1 वर्ष तक	13369.17	57722.85	25595.70
1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक	51399.57	366684.27	3598.35
3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक	22877.51	111251.92	0.00
5 वर्ष से अधिक	382991.23	161700.33	0.00
कुल	**601696.85**	**934666.98**	**91437.72**

5. अनर्जक आस्तियों और अनर्जक निवेश हेतु प्रकटन
घरेलू :

(₹ मिलियन में)

		31.03.2019
(क)	**सकल अनर्जक आस्तियाँ**	
	अवमानक	41652.5
	संदिग्ध 1	24522.9
	संदिग्ध 2	68632.9
	संदिग्ध 3	9802.8
	हानि	8633.8
	कुल	**153244.9**
(ख)	**निवल अजर्नक आस्तियां**	**45593.3**
(ग)	**अनर्जक आस्ति अनुपात**	
	सकल अग्रिमों में सकल अनर्जक आस्तियां (%)	16.40%
	निवल अग्रिमों में निवल अनर्जक आस्तियां (%)	5.52%
(घ)	**सकल अनर्जक आस्तियों की गतिशीलता**	
I	प्रारंभिक शेष	184332.4
II	जोड़ें-अवधि के दौरान वृध्दि	43042.2
III	घटाएं- अवधि के दौरान कमी	74129.6
	वर्ष की समाप्ति पर अंतिम शेष (i+ii-iii)	**153244.9**
(च)	**प्रावधानों की गतिशीलता**	

Sr. No.	Industry	Funded Exposure		Non-Fund Exposure	
3.18.6	Railways (other than Indian Railways)	169.10		91.30	
3.18.7	Other Infrastructure	12116.3		9051.20	
3.19	**Other Industries**		**6022.40**		**713.80**
3.20	**Residuary Other Advances**		**780666.50**		**81292.40**
	Total		**1067695.80**		**134325.30**

Industry having more than 5% of gross credit exposure

Industry	% of Exposure
NIL	

4. Residual Maturity break down of Assets:

(Amount in ₹ million)

Maturity Pattern	Investments	Advances	Foreign Currency Assets
1 day	2799.40	6277.81	6886.07
2 to 7 days	12167.00	62327.13	24469.80
8 to 14 days	16467.25	12009.31	232.59
15 to 30 days	8380.37	40197.45	11645.90
31 days to 2 months	34470.82	20658.83	6242.11
Over 2 months to 3 months	27944.58	12747.59	5531.25
Over 3 months and up to 6 months	28829.95	83089.49	7235.95
Over 6 months and up to 1 year	13369.17	57722.85	25595.70
Over 1 year and upto 3 years	51399.57	366684.27	3598.35
Over 3 years and upto 5 years	22877.51	111251.92	0.00
Over 5 years	382991.23	161700.33	0.00
Total	**601696.85**	**934666.98**	**91437.72**

5. Disclosures for NPAs & NPIs :
Domestic:

(Amount in ₹ million)

		31.03.2019
(A)	**Gross NPA**	
	Sub-standard	41652.5
	Doubtful 1	24522.9
	Doubtful 2	68632.9
	Doubtful 3	9802.8
	Loss	8633.8
	Total	**153244.9**
(B)	**Net NPA**	**45593.3**
(C)	**NPA Ratios**	
	% of Gross NPAs to Gross Advances	16.40%
	% of Net NPAs to Net Advances	5.52%
(D)	**Movement of Gross NPA**	
I	Opening Balance	184332.4
II	Add:-Addition during the period	43042.2
III	Less:- Reduction during the period	74129.6
	Closing balance as at the end of period (i +ii-iii)	**153244.9**

(₹ मिलियन में)

		31.03.2019
च1	**विशिष्ट प्रावधान**	
i.	प्रारंभिक शेष	85033.5
ii.	अवधि के दौरान किये गये प्रावधान	72268.2
iii.	अवधि के दौरान किये गये बट्टे खाते	51674.2
iv.	अधिक प्रावधानों का प्रतिलेखन	0.00
v.	प्रावधानों के बीच अंतरण सहित अन्य कोई समायोजन	0.00
vi.	अंतिम शेष (i+ii-iii-iv(+/-v)	**105627.4**
च2	**सामान्य प्रावधान**	
i.	आरंभिक शेष	1589.88
ii.	अवधि के दौरान किए प्रावधान	0.05
iii.	अवधि के दौरान किए गए बट्टे खाते	0.00
iv.	अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेख	0.00
v.	प्रावधानों के बीच अंतरण सहित कोई अन्य समायोजन	0.00
vi.	समापन शेष (i+ii-iii-iv(+/-v)	1589.93
(छ)	**वर्ष के दौरान बट्टे खाते**	**51674.2**
(ज)	**वर्ष के दौरान बट्टे डाले गए खातों में वसूली**	**2454.4**
(झ)	**अनर्जक निवेश (एनपीआई)**	**2660.37**
(ञ)	**अनर्जक निवेश के लिए प्रावधान**	**1287.92**
(ट)	**निवेशों के लिए मूल्यह्रास हेतु प्रावधान का संचलन (अनर्जक निवेशों, एमटीएम मूल्यह्रास और पुनर्संरचित निवेशों के प्रावधान सहित)**	
I	आरंभिक शेष	5400.60
II	अवधि के दौरान किए प्रावधान	3486.84
III	अवधि के दौरान किए गए बट्टे खाते	151.53
IV	वर्ष के दौरान किए अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेख	646.26
V	स्थानांतरण के दौरान उपयोग किए गए प्रावधान	3423.31
	समापन शेष (i+ii-iii-iv-v)	**4666.34**

(ठ)	**उद्योग**	
	अनर्जक आस्ति की राशि	76922.40
	विनिर्दिष्ट प्रावधान	65622.40
	सामान्य प्रावधान	0.00
	वर्ष के दौरान किए गए विनिर्दिष्ट प्रावधान	0.00
	वर्ष के दौरान बट्टे खाते	0.00

समुद्रपारीय - शून्य

पांच प्रमुख उद्योगों के उद्योगवार प्रावधान निम्नानुसार हैं:

(₹ मिलियन में)

		एनपीए	प्रावधान
क	**मूल धातू व धातू उत्पाद (लोहे व स्टील सहित)**	**18249.10**	**16755.10**
ख	**सभी इंजिनियरींग**	**16869.70**	**12560.30**
ग	**अवसंरचना**	**14043.00**	**13139.60**
	सड़कें	7547.10	7324.80
	ऊर्जा	3307.20	2850.30

(Amount in ₹ million)

		31.03.2019
(E)	**Movement of provision**	
E1	**Specific Provision**	
i.	Opening Balance	85033.5
ii.	Provisions made during the period	72268.2
iii.	Write-off made during the period	51674.2
iv.	Write-back of excess provisions	0.00
v.	Any other adjustments including transfer between provisions	0.00
vi.	Closing Balance (i+ii-iii-iv(+/-v)	**105627.4**
E2	**General Provisions**	
i.	Opening Balance	1589.88
ii.	Provisions made during the period	0.05
iii.	Write-off made during the period	0.00
iv.	Write-back of excess provisions	0.00
v.	Any other adjustments including transfer between provisions	0.00
vi.	Closing Balance (i+ii-iii-iv(+/-v)	1589.93
(F)	**Write off during the year**	**51674.2**
(G)	**Recovery in the written off accounts during year**	**2454.4**
(H)	**Non Performing Investments (NPI)**	**2660.37**
(I)	**Provisions for NPI**	**1287.92**
(J)	**Movement of provision for depreciation on investments (including provision of Non Performing Investments, MTM depreciation and Restructured Investments)**	
I	Opening balance	5400.60
II	Provisions made during the year	3486.84
III	Write-off made during the year	151.53
IV	Write – back of excess provision made during the year	646.26
V	Provisions used during shifting	3423.31
	Closing balance (i+ii-iii-iv-v)	**4666.34**

(K)	**Industries**	
	Amount of NPAs	76922.40
	Specific Provisions	65622.40
	General Provisions	0.00
	Specific Provisions made during the year	0.00
	Write offs during the year	0.00

Overseas - NIL

The Industry-wise Provision of five major industries is as below

(Amount in ₹ million)

		NPA	Provision
A	**Basic Metal & Metal Product (Incl Iron and Steel)**	**18249.10**	**16755.10**
B	**All Engineering**	**16869.70**	**12560.30**
C	**Infrastructure**	**14043.00**	**13139.60**
	Roads	7547.10	7324.80

		एनपीए	प्रावधान
घ	वाहन, वाहन के कलपूर्जे व परिवहन उपकरण	11859.50	11393.10
ड.	सीमेंट और सीमेंट उत्पाद	4872.10	3917.80

6. अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन (यूएफसीई) का प्रकटन :

(₹ मिलियन में)

क्रमांक	विवरण	31.03.2019
1.	यूएफसीई के कारण किए गए अतिरिक्त प्रावधान	24.90
2.	यूएफसीई के कारण धारित वृद्धिशील पूंजी	157.83

सारणी-डीएफ-4 - मानकीकृत दृष्टिकोण के आधार पर संविभाग हेतु ऋण जोखिम प्रकटन :

क. गुणात्मक प्रकटन:

मानकीकृत दृष्टिकोण के अन्तर्गत संविभागों के लिए:

बैंक, ऋण जोखिम हेतु पूंजी आवश्यकताओं के मापन हेतु मानक दृष्टिकोण का उपयोग कर रहा है. मानक दृष्टिकोण के अनुसार बैंक ऋण जोखिम रेटिंग के लिए आरबीआई द्वारा अनुमोदित ईसीएआई रेटिंग (बाह्य ऋण मूल्यांकन संस्था) स्वीकार करता है और जहां यह रेटिंग उपलब्ध हैं वहां जोखिम भारित आस्तियों की गणना के लिए इन रेटिंग का उपयोग करता है.

1. भारतीय क्रेडिट रेटिंग सूचना सेवा लिमिटेड (क्रिसिल)
2. क्रेडिट एनालिसिस एण्ड रिसर्च लिमिटेड (केअर)
3. इंडिया रेटिंग
4. ईक्रा लिमिटेड
5. ब्रिकवर्क
6. भारतीय एसएमई रेटिंग एजेन्सी लिमि. (एसएमईआरए)
7. इनफोमेरिक्स मूल्यांकन और रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड

विगोपन के प्रकार जिनके लिए प्रत्येक रेटिंग एजेंसी का प्रयोग किया गया है:

बैंक ने सभी पात्र विगोपनों के लिए उक्त अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा समनुदेशित रेटिंग का प्रयोग किया है. बैंक ने इन एजेंसियों द्वारा समनुदेशित रेटिंग में कोई पक्षपात नहीं किया है और न ही इन्हें किसी विशेष प्रकार के विगोपन में इनके प्रयोग के लिए बाधित किया है.

बैंक की बाह्य रेटिंग अनुप्रयोज्य रुपरेखा को लागू करने हेतु मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं -

- बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप तथा ऋणकर्ताओं द्वारा मांगी गई और स्वीकार्य उक्त किसी भी रेटिंग एजेंसी द्वारा समनुदेशित रेटिंग का प्रयोग करेगा.
- जहाँ भी उपलब्ध हो, बैंक ऋणकर्ताओं के रू 5 करोड़ से अधिक के जोखिम भारित विगोपन का निर्धारण करने के लिए सुविधा रेटिंग अथवा बैंक ऋण रेटिंग का उपयोग करता है. जहां जारीकर्ता रेटिंग उपलब्ध होती है बैंक वहाँ इसका प्रयोग करता है बशर्ते कि बैंक ऋण की विशिष्ट रेटिंग नहीं हुई हो.
- जब उधारकर्ता का रेटिंग निर्धारण 150% जोखिम भार को दर्शाता है तो उधारकर्ता की बिना रेटिंग वाली सभी सुविधाओं पर भी यह रेटिंग लागू होती है और उनका जोखिम भार भी 150% होता है.
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने एकाधिक रेटिंग वाली सुविधाओं के लिए विशेष परिस्थितियाँ सूचित की हैं. इस संदर्भ में प्रदत्त सुविधाओं के लिए जब दो रेटिंग दी गई हों तो निम्नतर रेटिंग और जब दो या अधिक रेटिंग दी गई हो तो दूसरी निम्नतम रेटिंग (सेकेंड लोएस्ट रेटिंग) का प्रयोग होता है.
- क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा की गई रेटिंग का प्रयोग/ लागू करते समय बैंक विनियामक दिशानिर्देशों से मार्गदर्शन प्राप्त करता है.
- दिनांक 25.08.2017 के भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र के अनुसार कार्पोरेट, एएफसी तथा एनबीएफसी- आईएफसीएस पर दावे जिनका बैंकिंग प्रणाली से समग्र विगोपन रु100 करोड़ से अधिक है जिन्हें पूर्व में रेट किया गया और अनुवर्ती रूप से वे अमूल्यांकित (अनरेटेड) हो गये उन पर 150% का जोखिम भार लगेगा.
- दिनांक 22.02.2019 के भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र के अनुसार कोर निवेश

		NPA	Provision
	Power	3307.20	2850.30
D	Vehicles, Vehicle Parts & Transport Equipment	11859.50	11393.10
E	Cement and Cement Products	4872.10	3917.80

6. Disclosures of Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE) :

(Amount in ₹ million)

Sr. No.	Particulars	31.03.2019
1.	Additional provisioning made on account of UFCE	24.90
2.	Incremental Capital held on account of UFCE	157.83

TABLE DF-4 - CREDIT RISK DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDIZED APPROACH

a. Qualitative Disclosures:

For portfolios under Standardised Approach:

Bank uses standardized approach to measure capital requirements for credit risk. As per Standardised Approach, Bank accepts rating of following RBI approved ECAI (External Credit Assessment Institution) for credit risk rating and has used these ratings for calculating risk weighted assets wherever such ratings are available.

1. Credit Rating Information Services of India Limited (CRISIL),
2. Credit Analysis and Research limited (CARE),
3. India Ratings,
4. ICRA Limited,
5. Brickwork,
6. SME Rating Agency of India Ltd. (SMERA)
7. INFOMERICS Valuation and Rating Private Limited

Types of exposures for which each agency is used:

Bank has used solicited ratings assigned by the above approved credit rating agencies for all eligible exposures. Bank has neither made any discrimination among ratings assigned by these agencies nor has restricted their usage to any particular type of exposure.

Key aspects of Bank's External Ratings application framework are as follows:

- Bank uses ratings assigned by any of these credit rating agencies as solicited and accepted by borrowers in line with RBI guidelines.
- Wherever available, Bank uses facility rating or bank loan rating for risk weighting borrower's exposures above Rs 5 crore. Where issuer rating is available Bank uses such ratings unless bank loan is specifically rated.
- When a borrower is assigned a rating that maps to a risk weight of 150%, then this rating is applied on all the unrated facilities of the borrower and risk weighted at 150%.
- RBI guidelines outline specific conditions for facilities that have multiple ratings. In this context, lower rating, where there are two ratings and second-lowest rating where there are two or more ratings are used for a given facility.
- While mapping/applying the ratings assigned by credit rating agencies, Bank is guided by Regulatory guidelines.
- As per RBI circular dated 25.08.2017, claims on Corporates, AFCs and NBFC – IFCs having aggregate exposure from banking system of more than Rs 100.00 crore which were rated earlier and subsequently have become unrated will attract a risk weight of 150%.
- As per RBI circular 22.02.2019, Risk weights for exposures to

कंपनियों (सीआईसी) को छोड़कर एनबीएफसी हेतु विगोपन के लिए जोखिम भार को रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदत्त रेटिंग्स के अनुसार इस तरह जोखिम भारित किया जाता है कि वो कार्पोरेट्स के समान हो.

अनाहरित विगोपनों से व्यवहार :

विनियामक मानदंडों की अपेक्षानुसार बैंक ऋण सुविधाओं के अनाहरित भाग के लिए भी पूंजी धारित करता है जो प्रयोज्य ऋण परिवर्तनकारक (सीसीएफ) पर आधारित समकक्ष ऋण प्रकटन में इन ऋणों को परिवर्तित कर बैंक द्वारा पूर्वसूचना के बिना शर्तहीन रूप से निरस्त करने योग्य होते हैं. ऋण सुविधा, जो बिना पूर्व सूचना के बिना शर्त के रद्द की जा सकती है, के लिए बैंक अनाहरित विगोपन पर शून्य प्रतिशत का सीसीएफ लागू करता है.

ख. मात्रात्मक प्रकटन

निम्नलिखित प्रमुख जोखिम बकेट्स के अंतर्गत प्रकट बैंक की बकाया (रेट की गई और रेट न की गई) राशियां, मानकीकृत दृष्टिकोण के आधार पर जोखिम प्रशमन के उपरान्त 31.03.2019 को विगोपन राशियाँ निम्नानुसार हैं-

(राशि ₹ मिलियन में)

क्र.	विवरण	शेष विगोपन
i	100% जोखिम भार से कम	1397813.27
ii	100% जोखिम भार	176137.73
iii	100% जोखिम भार से अधिक	88297.20
	उप जोड	**1662248.20**
iv	**काटा गया सीआरएम मूल्य**	**74174.54**
	कुल विगोपन	**1736422.73**

सारणी-डीएफ-5-- ऋण जोखिम प्रशमन - मानकीकृत दृष्टिकोण का प्रकटन

गुणात्मक प्रकटन

- **ऋण जोखिम प्रशमन हेतु नीतियाँ**

  बैंक में संपार्श्विक प्रतिभूति प्रबंधन और ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक हेतु निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति है जिसमें अन्य पहलुओं के साथ-साथ स्वीकार्य संपार्श्विक प्रतिभूतियों के प्रकार, संपार्श्विक प्रतिभूतियों की निरंतर निगरानी और निगरानी की बारंबारता तथा उनके मूल्यांकन का आधार और ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक को लागू करना सम्मिलित है.

- **संपार्श्विक प्रबंधन**

  बैंक को दी गई प्राथमिक प्रतिभूति या उसके स्थान पर दी गई प्रतिभूति के ऊपर या अतिरिक्त दी गई प्रतिभूति के रूप में संपार्श्विक प्रतिभूति को परिभाषित किया है. यह चूक की स्थिति में बैंक को ऋण की वसूली में अतिरिक्त सुविधा/अनुकूल स्थिति प्रदान करती है. कई बार ये प्रतिभूतियाँ ऋणकर्ता के मुख्य व्यवसाय से संबंध नहीं रखतीं अथवा ऋणकर्ता द्वारा क्रय नहीं की गई होतीं. बैंक यह सुनिश्चित करता है कि संपार्श्विक प्रतिभूति संबंधी पूर्वाधिकार दस्तावेज बैंक को प्रतिपक्ष द्वारा चूक की स्थिति में उस प्रतिभूति अथवा ऋण संवर्धन के अन्य प्रकारों पर उपयुक्त अधिकार प्रदान करते हैं जिसमें निर्धारित समय में परिसमापन करना अथवा विधिक कब्जा करना सम्मिलित है.

- **संपार्श्विक मूल्यांकन**

  भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक संपार्श्विक प्रतिभूति हेतु व्यापक दृष्टिकोण अपनाता है. इस दृष्टिकोण में बैंक बेसल - III द्वारा विनिर्दिष्ट संपार्श्विक प्रतिभूति के द्वारा प्रदान किए गए ऋण जोखिम प्रशमन की सीमा तक अपनी पूंजी आवश्यकता की गणना करते समय अपने प्रतिपक्ष पर विगोपन को कम कर देता है. बैंक उपयुक्त मार्जिन भी लागू करता है. बैंक ने निदेशक मंडल द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित ऋण नीति भी कार्यान्वित की है जिसमें ऋण देते समय बैंक द्वारा सामान्यतः स्वीकार्य सभी प्रकार की प्रतिभूतियों, उनके प्रशासन / निगरानी के बारे में उल्लेख किया गया है ताकि बैंक का हित सुरक्षित रह सके तथा इससे जुड़ा जोखिम न्यूनतम हो सके. बैंक निर्धारित नीति के अंतर्गत स्वीकृत ऋणों को सुरक्षित करने के लिए जिन चल और अचल आस्तियों को प्राप्त करता है, उन सभी का मूल्यांकन बैंक द्वारा पैनल में शामिल बाह्य मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किया जाना अनिवार्य होता है. उच्च मूल्य की संपार्श्विक प्रतिभूतियों का मूल्यांकन दो या उससे अधिक मूल्यांकनकर्ताओं से कराया जाए.

NBFCs, excluding Core Investment Companies (CICs) is risk weighted as per ratings assigned by the rating agencies in a manner similar to that of corporates.

Treatment of undrawn exposures:

As required by the regulatory norms, Bank holds capital even for the undrawn portion of credit facilities which are not unconditionally cancellable without prior notice by Bank, by converting such exposures into a credit exposure equivalent based on the applicable Credit Conversion Factor (CCF). For credit facilities, which are unconditionally cancellable without prior notice, Bank applies a CCF of zero percent on the undrawn exposure.

b. Quantitative Disclosures:

Exposure amounts as of 31.03.2019 after risk mitigation subject to Standardized Approach, amount of a Bank's outstandings (rated and unrated) disclosed under following major risk buckets:-

(Amount in ₹ million)

Sr. No.	Particulars	Exposure Outstanding
i	Below 100 % risk weight	1397813.27
ii	100 % risk weight	176137.73
iii	More than 100 % risk weight	88297.20
	sub total	**1662248.20**
iv	Deducted CRM Value	74174.54
	Total Exposure	**1736422.73**

TABLE DF-5 – CREDIT RISK MITIGATION: DISCLOSURES FOR STANDARDISED APPROACHES

Qualitative Disclosures

- **Policies for Credit Risk Mitigation:**

  Bank has a Board approved policy framework for collateral management and credit risk mitigation techniques, which include among other aspects guidelines on acceptable types of collateral, ongoing monitoring of collateral including frequency and basis of valuation and application of credit risk mitigation techniques.

- **Collateral Management**

  Bank defines collateral as it is an additional security given, over and above primary security or in substitution thereof. It serves as an additional comfort to Bank for recovery of loans in default situations. At times, these securities are not connected to main business of the borrower or may not be owned by the borrower. Bank ensures that underlying documentation for collateral provides Bank appropriate rights over collateral or other forms of credit enhancement including right to liquidate/retain or take legal possession of it in a timely manner in the event of default by counterparty.

- **Collateral Valuation**

  As stipulated by RBI guidelines, Bank uses comprehensive approach for collateral valuation. Under this approach, Bank reduces its exposure to counterparty when calculating its capital requirements to the extent of risk mitigation provided by eligible financial collateral as specified in Basel III guidelines. Bank also applies appropriate haircuts. Bank has also put in place Lending Policy duly approved by Board, which lay down the types of securities normally accepted by Bank for lending, and administration / monitoring of such securities in order to safeguard/protect the interest of Bank so as to minimize risk associated with it. Both fixed and current assets obtained to secure loans granted by Bank as per policy prescription are subjected to valuation by outside valuers empanelled by Bank. In respect of high value of collateral, valuation from two or more valuers is obtained.

- **बैंक द्वारा ली गई संपार्श्विक प्रतिभूतियों के मुख्य प्रकारों का विवरण**

  ऋण जोखिम की पूंजी आवश्यकता की गणना के लिए बैंक केवल उन्हीं संपार्श्विक प्रतिभूतियों को स्वीकार करता है जो भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अंतर्गत जोखिम को कम करने हेतु पात्र हैं. ये प्रतिभूतियाँ निम्नलिखित हैं -

  - बैंकों में नकद जमा
  - स्वर्ण, बुलियन और आभूषणों सहित
  - केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ
  - किसान विकास पत्र और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र
  - बीमा क्षेत्र के विनियामक द्वारा विनियामित बीमा कंपनी द्वारा घोषित समर्पण मूल्य की जीवन बीमा पॉलिसियाँ
  - कम-से-कम बीबीबी, ए3 की रेटिंग वाली जमा प्रमाणपत्र सहित ऋण प्रतिभूतियाँ.
  - म्युच्युअल फंड के यूनिट जिसका निवेश उक्त उल्लिखित लिखतों में से एक है.

- **प्रतिपक्ष के गारंटीदाता के मुख्य प्रकार और उनकी ऋण साख**

  जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, बैंक ऋण जोखिम को कम करने के लिए अतिरिक्त कुशन के रूप में व्यक्तिगत अथवा निगमित गारंटी प्राप्त करता है जिससे गारंटीदाता पर सीधे दावा किया जा सकता है और जो बिना शर्त और अविकल्पी होती है. बैंक सुरक्षा कवच के रूप में राज्य/ केंद्रीय सरकार /ईसीजीसी/ सीजीटीएमएसई / एनसीजीटीजी द्वारा दी गई गारंटी भी स्वीकार करता है.

- **ऋण जोखिम प्रशमन में केंद्रीकरण**

  भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अंनुसार पात्र ऋण जोखिम प्रशमन हेतु शर्तों के अंतर्गत यह अपेक्षित है कि उधारकर्ता के ऋण की गुणवत्ता और स्वीकार्य संपार्श्विक प्रतिभूति के मूल्य में कोई तात्विक सकारात्मक सह-संबंध नहीं है. सीआरएम (ऋण जोखिम प्रशमन)/ गारंटीपूर्ण विगोपन किसी भी बाजार संबंधी उतार-चढाव के अधीन नहीं हैं और ये विगोपन वैविध्यपूर्ण हैं. वर्तमान में, बैंक के पास ऋण जोखिम प्रशमन के अंतर्गत कोई केंद्रीकृत जोखिम नहीं है.

मात्रात्मक प्रकटन:

क) अलग -अलग प्रकट ऋण जोखिम प्रत्येक संविभाग के लिए मार्जिन लागू करने के बाद पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों से रक्षित कुल विगोपन (जहां लागू है वहां ऑफ या आन बेलेंस शीट नेटिंग के बाद)

(₹ मिलियन में)

	31.03.2019
मार्जिन लागू करने के पश्चात पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा कवर किए गए कुल विगोपन (तुलनपत्र पूर्व या तुलनपत्र पश्चात समायोजन करने के बाद, जहां कहीं लागू हो)	74174.54

ख) अलग -अलग प्रकट प्रत्येक संविभाग (जहां लागू है वहां ऑफ या आन बेलेंस शीट नेटिंग के बाद) के लिए गारंटियों/ ऋण डेरिवेटिव्स (जहां विशेष रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनुमति दी है) से रक्षित कुल विगोपन(₹ मिलियन में)

	31.03.2019
गारंटियों द्वारा कवर किए गए कुल विगोपन	28542.55

सारणी-डीएफ-6-- प्रतिभूतिकरण विगोपन

गुणात्मक प्रकटन:

बैंक ने वर्ष 31.03.2019 के दौरान किसी भी आस्ति का प्रतिभूतिकरण नहीं किया है.

मात्रात्मक प्रकटन:

मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए मात्रात्मक प्रकटन **लागू नहीं है**.

- **Description of main types of collateral taken by Bank**

  For computation of capital requirement for Credit Risk, Bank recognizes only those collaterals that are considered as eligible for risk mitigation in RBI guidelines, which are as under:

  - Cash Deposit with bank
  - Gold, including bullion and Jewellery
  - Securities issued by Central and State Governments
  - Kisan Vikas Patra and National Savings Certificate
  - Life Insurance Policies with a declared surrender value of an insurance company which is regulated by the insurance sector regulator
  - Debt securities including Certificate of Deposit rated at least BBB,A3
  - Units of Mutual Funds, where the investment is in instruments mentioned above

- **Main types of guarantor counterparty and their creditworthiness**

  Wherever required Bank obtains personal or corporate guarantee as an additional comfort for mitigation of credit risk which can be translated into a direct claim on the guarantor which is unconditional and irrevocable. Bank also accepts guarantee given by State / Central Government/ECGC/CGTMSE/NCGTC as a security comfort.

- **Concentrations within Credit Risk Mitigation**

  RBI guidelines, among its conditions for eligible credit risk mitigants, require that there should not be a material positive correlation between the credit quality of the counterparty and the value of the collateral being considered. The CRM (Credit Risk Mitigation)/ Guaranteed exposure are not subject to any market fluctuation and these exposures are well diverse. Currently, Bank does not have any concentration risk within credit risk mitigation.

Quantitative Disclosures:

(a) For each separately disclosed credit risk portfolio total exposure (after, where applicable, on or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after application of haircuts.

(Amount in ₹ million)

	31.03.2019
Total exposure (after, where applicable, on or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after application of haircuts	74174.54

(b) For each separately disclosed portfolio total exposure (after, where applicable, on- or off-balance sheet netting) that is covered by guarantees/credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI)

(Amount in ₹ million)

	31.03.2019
Total exposure that is covered by Guarantees	28542.55

TABLE DF-6 SECURITIZATION EXPOSURE

Qualitative Disclosures:

The Bank does not have any case of securitization of its assets as on 31st March 2019.

Quantitative Disclosures:

Quantitative Disclosure for Standardized Approaches is **Not Applicable.**

सारणी-डीएफ-7-- व्यापार की बहियों में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटन:

बाजार जोखिम:

बैंक को बाजार के व्युत्पन्नों जैसे ब्याज दरों, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों, इक्विटी मूल्यों और वस्तु मूल्यों में प्रतिकूल संचलनों के कारण होने वाली हानि की संभावना के रूप में बाजार जोखिम को परिभाषित किया जाता है. बाजार जोखिम में बैंक का ऋण जोखिम विदेशी मुद्रा विनिमय स्थितियों, व्यापार बहियों (एएफएस और एचएफटी दोनो श्रेणियां) में घरेलू निवेशों (ब्याज से सम्बंधित लिखत और इक्विटी) से पैदा होता है. बैंक वस्तुओं में व्यापार नही करता है. बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य बाजार जोखिम से उत्पन्न आय तथा इक्विटी पूंजी से सम्बंधित हानियों के प्रभाव को न्यूनतम करना है.

बाजार जोखिम के प्रबंधन हेतु नीतियां, रणनीतियां और कार्यपद्धतियां

बैंक में बाजार जोखिम के प्रभावी प्रबंधन हेतु निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित निवेश प्रबंधन नीति और निवेश जोखिम प्रबंधन नीति, जोखिम प्रबंधन नीति, बाज़ार जोखिम प्रबंधन नीति और आस्ति देयता प्रबंधन नीति (एएमएल) विद्यमान है. उक्त नीतियों में बाजार जोखिम प्रबंधन के कार्यो हेतु सुपरिभाषित संगठनात्मक ढांचे एवं प्रक्रियाओं का निर्धारण किया गया है जिनके द्वारा बैंक को होने वाले बाजार जोखिमों का अभिनिर्धारण, परिमापन, निगरानी और नियंत्रण किया जाता है जो बैंक की जोखिम सहन करने की क्षमता के अनुरूप नीतिगत संरचना के भीतर आता हो. नीतियों में बाजार जोखिम के प्रभावी निगरानी हेतु रिर्पोटिंग संरचना का भी समावेश है. नीतियों में बाजार जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन हेतु रिपोर्टिंग ढांचा है और विभिन्न जोखिम सीमाओं जैसे ओवरनाईट लिमिट, इन्ट्राडे लिमिट, एग्रीगेट गैप लिमिट, स्टॉप लॉस लिमिट, वीएआर लिमिट आदि का भी निर्धारण किया गया है. प्रतिपक्ष बैंकों के लिए भी ऋण जोखिम सीमाएं निर्धारित की गई हैं जिनकी निगरानी दैनिक आधार पर की जाती है.

आस्ति देयता प्रबंधन नीति (एएलएम) विशेष रूप से तरलता जोखिम प्रबंधन व ब्याज दर जोखिम प्रबंधन संरचना से सम्बंधित है. बैंक ने तरलता प्रबंधन हेतु अल्पकालिक गतिशील तरलता प्रबंधन तंत्र तथा आकस्मिक योजना तैयार की है. प्रभावी आस्ति देयता प्रबंधन हेतु अलग अलग अवशिष्ट परिपक्वता अवधि श्रेणियों के लिए विवेकपूर्ण (सह्य-सीमा) सीमाएं निर्धारित की गई हैं. तरलता प्रबंधन हेतु बैंक की आकस्मिक योजना में तरलता स्थिति पर पड़ने वाले सभी प्रकार के दबाबों से निपटने हेतु किये जाने वाले विभिन्न आकस्मिक उपाय शामिल हैं. बैंक ने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित तनाव परीक्षण नीति लागू की है और वह तरलता जोखिम, ब्याज दर जोखिम और विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम के संबंध में आवधिक रूप से तनाव परीक्षण आयोजित करता है.

आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ)/निदेशक मंडल बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन की निगरानी करता है और बाजार की स्थितियों के अनुरूप रणनीति निर्धारित करता है. डीलिंग रूम के कार्य केन्द्रीकृत हैं और डीलिंग रूम के कार्यो पर निगरानी रखने हेतु एक प्रणाली मौजूद है. खजाना एवं अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग विभाग (टीआईबीडी) का मिड-ऑफिस भी सतत आधार पर विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन पर निगरानी रखता है.

ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन अस्थिर भाव वाली आस्तियों व देयताओं के गैप एनालिसेस के जरिये किया जाता है और निगरानी की जाती है.. बैंक ने ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन हेतु डयूरेशन गैप एनालिसस फ्रेमवर्क भी तैयार किया है. बैंक निवल ब्याज आय (एनआईआई) तथा इक्विटी के आर्थिक मूल्य (ईवीई) पर प्रभाव के निर्धारण हेतु जोखिम भरे अर्जनों (ईएआऱ) और ब्याज दर की प्रतिकूल गतिशीलता के विरुध्द संशोधित डयूरेशन गैप (जीजीएपी) का प्राक्कलन करता है.

बाज़ार जोखिम प्रबंधन नीति - यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक के परिचालन बाज़ार जोखिम के समक्ष आय की प्रबंधन की अपेक्षाओं के अनुरूप ही हैं, यह अत्यावश्यक है कि बैंक क्रय-विक्रय या बैंक की बहियों में उसके सामने आ रहे बाजार जोखिमों का प्रबंध करने के लिए किस प्रकार योजना बनाता है, इसे व्यक्त करने के लिए बैंक के पास सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का एक परिभाषित सेट रहे.

बैंक की बाज़ार जोखिम प्रबंधन नीति का लक्ष्य प्रक्रियाओं की विस्तृत रूपरेखा बनाना है जिसके द्वारा बैंक द्वारा उठाए जा रहे जोखिमों का प्रबंध किया जा सके अर्थात इसका अभिनिर्धारण, मापन, नियंत्रण, निगरानी इस प्रकार की जा सके कि उठाया गया जोखिम अनुमोदित जोखिम सह्य सीमाओं के भीतर हो. इस नीति की व्यापकता बैंकिंग बही के निवेश भाग और बैंक की व्यापार बही के कारण उत्पन्न हो रहे बाज़ार जोखिम को कवर करती है.

TABLE DF-7 MARKET RISK IN TRADING BOOK

Qualitative Disclosures:

Market Risk:

Market Risk is defined as the possibility of loss to a bank caused by adverse movements in market variables such as interest rates, foreign currency exchange rates, equity prices and commodity prices. Bank's exposure to market risk arises from domestic investments (interest related instruments and equities) in trading book (both AFS and HFT categories), Foreign exchange positions. Bank is not trading in commodities. The objective of the market risk management is to minimize impact of losses on earnings and equity arising from market risk.

Policies, strategies and processes for management of Market Risk

Bank has put in place Board approved Investment Management Policy, Market Risk Management Policy and Asset Liability Management (ALM) Policy for effective management of market risk. The above policies lay down well-defined organization structure for market risk management functions and processes whereby market risks carried by Bank are identified, measured, monitored and controlled within policy framework consistent with Bank's risk tolerance. Policies deal with reporting framework for effective monitoring of market risk and also set various risk limits such as Overnight Limit, Intra-day limit, Aggregate Gap limit, Stop Loss limit, VaR limit etc. Exposure limits are set for counterparty banks and exposures are monitored on daily basis.

ALM Policy deals with liquidity risk and interest rate risk management framework. Bank has put in place mechanism of short term dynamic liquidity management and contingency plan for liquidity management. Prudential (Tolerance) limits are set for different residual maturity time buckets for efficient asset liability management. Bank's contingency plan for liquidity management comprises various contingent measures to deal with any kind of stress on liquidity position. Bank has put in place Board approved Stress Testing Policy and conducts periodic stress tests on liquidity risk, interest rate risk and foreign exchange risk.

Asset Liability Management Committee (ALCO) / Board monitors adherence of prudential limits fixed by Bank and determines strategy in light of market conditions. Dealing room activities are centralized and system is in place to monitor dealing room activities. Mid-Office at Treasury & International Banking Department (TIBD) also monitors adherence of prudential limits on a continuous basis.

Interest rate risk is monitored through use of Gap Analysis of rate sensitive assets and liabilities. Bank has also put in place Duration Gap Analysis framework for management of interest rate risk. Bank estimates Earnings at Risk (EaR) and Modified Duration Gap (DGAP) periodically against adverse movement in interest rate for assessing impact on Net Interest Income (NII) and Economic Value of Equity (EVE).

Market Risk Management Policy - To ensure that Bank's operations are in line with Management expectations of return vis-à-vis market risk, it is crucial that Bank has a defined set of principles and processes in place for articulating how it plans to manage market risks it faces, in Trading or Banking Book.

Bank's Market Risk Management Policy aims to set out broad outlines of processes by which market risks carried by Bank shall be managed i.e. identified, measured, controlled and monitored in such a way that risk taken is within the approved risk tolerance limits. The scope of this policy covers market risks arising from Bank's "Trading book" and investment portion of "Banking book".

मात्रात्मक प्रकटन:

बाजार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताएं निम्नानुसार हैं-

(राशि ₹ मिलियन में)

	जोखिम श्रेणी	31.03.2019	
		पूंजी प्रभार	जोखिम भारित आस्तियां
i.	ब्याज दर जोखिम	4441.84	55522.99
ii.	इक्विटी स्थिति जोखिम	989.35	12366.90
iii.	विदेशी विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित)	45.00	562.50
	मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण के अंतर्गत बाजार जोखिमों हेतु कुल पूंजी प्रभार (i+ii+iii)	**5476.19**	**68452.39**

(*बाजार जोखिमों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पूंजी प्रभार को सीआरएआर पर पहुंचने के लिए 12.50 की दर से आरडब्ल्यूए में परिवर्तित किया गया है)

सारणी डीएफ-8--परिचालन जोखिम

गुणात्मक प्रकटन:

परिचालन जोखिम

परिचालन जोखिम अपर्याप्त या विफल हो चुकी आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों और प्रणालियों या बाहरी घटनाओं के परिणामस्वरूप होने वाली हानियों का जोखिम होता है. परिचालन जोखिम में विधिक जोखिम शामिल होता है किन्तु रणनीतिक व प्रतिष्ठात्मक जोखिम शामिल नहीं होता है.

परिचालन जोखिम के प्रबंधन हेतु नीतियां

बैंक ने परिचालन जोखिम के लिए उन्नत दृष्टिकोणों (टीसीए एवं एएमए) हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है. परिचालन जोखिम के प्रबंधन हेतु अन्य नीतियों यथा क) सूचना प्रणाली सुरक्षा नीति ख) व्यवसाय निरंतरता आयोजन नीति ग) अनुपालन नीति घ) बाह्यस्त्रोत-उपयोग नीति और ङ) धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन का समावेश है

रणनीतियां और प्रक्रियाएं - बैंक की परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया ठोस परिचालन प्रक्रियाओं और मजबूत संगठनात्मक संस्कृति द्वारा संचालित है जिसमें प्रभावी आंतरिक रिपोर्टिंग आंतरिक नियंत्रण संस्कृति, कार्पोरेट मूल्यों को शामिल किया गया है. बैंक में परिचालन जोखिम के प्रभावी प्रबंधन के लिए नीतियां लागू की हैं.

बैंक विधिक प्रलेखों की पर्याप्तता तथा प्रवर्तनीयता सुनिश्चित करने हेतु विधिक प्रलेखों की सतत रूप से पुनरीक्षा करता है. जोखिम प्रशमन के उपाय के रूप में बैंक ने अपने स्वामित्व में आने वाली सभी आस्तियों के लिए बीमा सुरक्षा प्राप्त की है. यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि जोखिम प्रशमन उपाय के रूप में बैंक द्वारा वित्तपोषित सभी आस्तियाँ भी पर्याप्त रूप से बीमांकित हैं. परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति में संगठनात्मक ढांचे तथा परिचालन जोखिम प्रबंधन की विस्तृत प्रक्रियाओं की रूपरेखा दी गई है. नीति का मुख्य उद्देश्य महत्वपूर्ण परिचालनगत हानियों सहित परिचालनगत जोखिम विगोपनों की समय से रिपोर्टिंग द्वारा और परिचालन जोखिमों के नियंत्रण/प्रशमन ,निर्धारण, निगरानी और प्रभावी अभिनिर्धारण हेतु स्पष्ट रूप से भूमिकायें तय करने के द्वारा बैंक की दैनंदिन जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रणाली को ध्यानपूर्वक एकीकृत करना है.

सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित जोखिमों और बाहरी घटनाओं से जोखिमों के लिए एक बढ़ते हुए खतरे की धारणा है और इसलिए बैंक ने 'सूचना प्रणाली सुरक्षा नीति' लागू की है. निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित व्यवसाय निरंतरता योजना को भी लागू किया गया है. प्रमुख जोखिम संकेतक (केआरआई) और जोखिम नियंत्रण और स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए) पर संबंधित कार्यात्मक विभागों के अधिकारियों को निरंतर आधार पर प्रशिक्षण दिया जाता है।

बैंक में परिचालन जोखिम का प्रबंधन एक व्यापक एवं सुस्पष्ट आंतरिक नियंत्रण संरचना के जरिए किया जाता है.

Quantitative Disclosure:

Capital requirement for Market Risk is as under:

(Amount in ₹ million)

	Risk Category	31.03.2019	
		Capital Charge	Risk Weighted Assets
i	Interest Rate Risk	4441.84	55522.99
ii	Equity Position Risk	989.35	12366.90
iii	Foreign Exchange Risk (including gold)	45.00	562.50
	Total capital charge for market risks under standardized duration approach (i+ii+iii)	**5476.19**	**68452.39**

(*For market risks capital charge is converted in RWA @ 12.50 to arrive at CRAR as per RBI guidelines.)

TABLE DF-8 OPERATIONAL RISK

Qualitative disclosures:

Operational risk:

Operational Risk is risk of loss resulting out of inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. Operational risk includes Legal risk but excludes Strategic and Reputation Risk.

Policies on management of Operational Risk:

Bank has framed Operational Risk Management Policy in line with RBI Guidelines for Advanced Approaches for Operational Risk (TSA & AMA). Other policies which deal with management of operational risk are (a) Information System Security Policy, (b) Business Continuity Planning Policy, (c) Compliance Policy, (d) Outsourcing Policy and (e) Fraud Risk Management Policy.

Strategies and processes: Operational Risk Management process of Bank is driven by a strong organizational culture and sound operating procedures, involving corporate values, internal control culture, effective internal reporting. Policies are put in place for effective management of Operational Risk in Bank.

Bank has been constantly reviewing legal documents to ensure that legal documents are comprehensive and enforceable. As a measure of risk mitigation, Bank has obtained insurance cover for all assets owned by Bank. It is also ensured that assets financed by Bank are also adequately insured, as a risk mitigation measure. The operational risk management policy outlines organization structure and detail processes for management of operational risk. Basic objective of policy is to closely integrate operational risk management system into day-to-day risk management processes of Bank by clearly assigning roles for effectively identifying, assessing, monitoring and controlling / mitigating operational risks and by timely reporting of operational risk exposures including material operational losses.

There has been an increasing threat perception from Information Technology related risks and risks from external events and hence Bank has put in place 'Information System Security Policy'. Business Continuity Plan duly approved by the Board is also put in place. Training on Key Risk Indicators (KRI) & Risk Control & Self Assessment (RCSA) is given to the officers of the concerned functional departments on an ongoing basis.

Operational risks in Bank are managed through comprehensive and well-articulated internal control framework.

परिचालन जोखिम हेतु पूंजी प्रभार परिकलन के लिए अपनाया गया दृष्टिकोण:

बैंक ने परिचालन जोखिम हेतु पूंजी प्रभार का परिकलन करने के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) को अपनाया है. बैंक को परिचालन जोखिम हेतु पूँजी जोखिम प्रभार की गणना के लिए समकक्ष विकल्प के तौर पर मानकीकृत दृष्टिकोण (टीएसए) में प्रस्थापन हेतु समानांतर संचालन का अनुमोदन प्राप्त हुआ है. तथापि, बैंक को विनियामक उद्देश्य हेतु मूल संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) के अंतर्गत गणना किए अनुसार पूँजी प्रभार के रखरखाव की अनुमति दी गई है.

गुणात्मक प्रकटन:

मूल संकेतक दृष्टिकोण के अंतर्गत परिचालन जोखिम के लिए पूँजी प्रभार ₹7032.71 मिलियन है .

सारणी डीएफ-9 - बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटन:

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम:

बैंकिंग बहियों में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबी) ब्याज दरों में होने वाले परिवर्तनों से बैंक की बहियों पर पड़ने वाले संभावित प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव का संदर्भ लेता है. ऋण पूर्व भुगतान और गैर-परिपक्वता जमा से संबंधित धारणाओं का भी ध्यान रखा जाता है. ब्याज दर जोखिम का मापन और निगरानी दो विधियों से की जाती है.

i. **जोखिम पर आय** - आय पर पड़ने वाले प्रभाव (अर्जन परिप्रेक्ष्य) का मापन पारंपरिक अंतराल विश्लेषण के उपयोग के माध्यम से 100 आधार अंकों तक कल्पित दर शॉक (आस्तियों और देयताओं में ब्याज दर में समानांतर बदलाव) लागू करते हुए एक वर्ष के लिए किया गया है.

ii. **इक्विटी का आर्थिक मूल्य (ड्यूरेशन गैप एनालिसिस)** - बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सुझाई गई पद्धति के अनुसार इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर (आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य) प्रभाव के निर्धारण हेतु (प्रतिशत के रूप में) ड्यूरेशन गॅप एनालिसस को अपनाया है.

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इंगित 200 बीपीएस रेट शॉक हेतु इक्विटी के आर्थिक मूल्य के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है. इक्विटी का आर्थिक मूल्य का मापन और निगरानी मासिक आधार पर की जाती है.

मात्रात्मक प्रकटन: जोखिम पर अर्जन:

(₹ मिलियन में)

ब्याज दर में परिवर्तन	1 वर्ष के लिए 100 बीपीएस का समांतर अंतरण	
	31.03.2019	
निवल ब्याज आय पर प्रभाव	(+)100 आधार पॉईंट	(-)100 आधार पॉईंट
	2089.90	- 2089.90

इक्विटी का आर्थिक मूल्य

इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव	31.03.2019	
	(+)200 आधार पॉईंट	(-)200 आधार पॉईंट
	4792.85	-4792.85

सारणी डीएफ 10 : काउंटर पक्ष ऋण जोखिम संबंधी विगोपन हेतु सामान्य प्रकटन

गुणात्मक प्रकटन :

बैंक व्युत्पन्न बाजार में अपने स्वयं के और अपने ग्राहकों के रेखांकित विगोपन के बचाव के लिए उपयोगकर्ता के रूप में भाग लेता है. बैंक के व्यावसायिक घटक, ग्राहकों के मिश्रण और स्वरूप, पूंजी आवश्यकता के साथ-साथ जोखिम प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए बैंक निम्नलिखित व्युत्पन्न उत्पादों का लेन-देन करता है :

- मुद्रा वायदा
- विदेशी मुद्रा वायदा संविदा और मुद्रा क्रय-विक्रय
- ब्याज दर क्रय-विक्रय - ओआईएस एवं आईआरएस

Approach adopted for capital charge computation for operational risk:

Bank is following Basic Indicator Approach (BIA) for calculating capital charge for Operational Risk. Bank has received approval for migration to 'The Standardised Approach' (TSA) for calculating Operational Risk Capital Charge as a parallel run. However, Bank has been allowed to maintain capital charge as per Basic Indicator Approach (BIA) for regulatory purpose.

Quantitative Disclosure:

Capital charge for Operational Risk under Basic Indicator approach is **₹ 7032.71 Million.**

TABLE DF-9 INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)

Qualitative Disclosures:

Interest Rate Risk in the Banking Book:

Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) refers to potential adverse financial impact on Bank's Banking Book from changes in interest rates. The assumptions regarding loan prepayments and behaviour of non-maturity deposits are also taken care of. Interest rate risk is measured and monitored through two approaches.

(i) **Earnings at Risk:** Impact on income (Earning Perspective) is measured through use of Traditional Gap Analysis by applying notional rate shock (parallel shift in interest rates across assets and liabilities) upto 100 basis point (bps) for a period of one year.

(ii) **Economic Value of Equity (Duration Gap Analysis):** Bank has adopted Duration Gap Analysis for assessing impact (as a percentage) on economic value of equity (Economic Value Perspective) in line with the method suggested by RBI.

Impact on Economic Value of Equity is analysed for a 200 bps rate shock as indicated by RBI. The Economic Value of Equity is measured and monitored on a monthly basis.

Quantitative Disclosure: Earning at Risk:

(Amount in ₹ Million)

Change in Interest rate	Parallel shift of 100 bps for 1 Year period	
	31.03.2019	
	(+) 100 basis point	(-) 100 basis point
Impact on Net Interest Income	2089.90	- 2089.90

Economic Value of Equity:

Impact on economic value of equity	31.03.2019	
	(+) 200 basis point	(-) 200 basis point
	4792.85	-4792.85

TABLE DF-10: GENERAL DISCLOSURE FOR EXPOSURES RELATED TO COUNTERPARTY CREDIT RISK

Qualitative Disclosures:

Bank is participating in derivative market as a user to hedge risk of underlying exposure of its own and that of its customers. Keeping in view business composition of Bank, nature and mix of clients, capital requirement as also risk appetite, Bank is dealing in following derivative products:

- Currency futures
- Foreign Exchange Forward contracts and currency swaps.
- Interest Rate Swaps – OIS & IRS.

वर्तमान में बैंक ऋण डिफॉल्ट सेट स्वैप और मुद्रा विकल्प के अंतर्गत लेन-देन नहीं कर रहा है.

विभिन्न स्तरों पर अलग-अलग लिमिट्स जैसे, काउंटर पक्ष लिमिट्स, स्टॉप लॉस लिमिट्स, डे-लाईट लिमिट्, ओवर नाईट लिमिट्स, और विगोपन लिमिट्स इत्यादि का निर्धारण करते हुए विभिन्न जोखिमों का आंकलन और प्रबंधन किया जाता है. इन लिमिट्स का उपयोग निवेश प्रबंधन नीति तथा भारतीय रिज़र्व बैंक/ सेबी/विनिमय केन्द्रों के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है.

विनिमय की ओर से विनिर्दिष्ट लिमिट्स (1) आरंभिक मार्जिन (2) बाजार हेतु चिन्हित मार्जिन (3) मुक्त ब्याज हैं. बैंक द्वारा इन लिमिटस का अनुपालन किया गया है.

मुद्रा वायदा लेन-देनों के मामले में बैंक ने विनिमय केंद्र द्वारा अनुमोदित बैंक में समाशोधन और लेन-देनों के निपटान हेतु खाता रखा है साथ ही, बैंक नकदी/बैंक जमाराशियों/बैंक गारंटियों/सरकारी प्रतिभूतियों अथवा किसी अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में मार्जिन भी रखता है.

वायदा संविदाओं की बुकिंग का उद्देश्य विनिमय जोखिम संबंधी लेन-देन के विगोपन से बचाव है, जिसके लिए फेमा 1999 के अंतर्गत विदेशी मुद्रा खरीदने और/अथवा बिक्री की अनुमति है. अपने विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम से बचाव के लिए बैंक अपने ग्राहकों को वायदा संविदा एक उत्पाद के रूप में प्रस्तुत करता है.

बैंक केवल उन काउंटर पक्ष बैंकों के साथ आईआरएस/ एफआरए संव्यवहार करता है जिन्होंने आईएसडीए मास्टर समझौता/ सीएसए किया है और जिसके लिए बैंक ने काउंटर पक्ष विगोपन सीमा निर्धारित की है.

बैंक ने वर्तमान विगोपन पद्धति और भारतीय रिज़र्व बैंक तथा निवेश प्रबंधन नीति के दिशानिर्देशों के अनुसार आकलित व्युत्पन्न संविदाओं के ऋण विगोपन के लिए अपेक्षित प्रावधान किए हैं.

- जब भी बैंक जोखिम और तत्संबंधी पूंजी आवश्यकता के आंकलन हेतु उन्नत दृष्टिकोण में अंतरित होता है, बैंक द्वारा प्रतिपक्ष ऋण विगोपन हेतु पद्धतियां और आर्थिक पूंजी का निर्धारण किया जाएगा.

(क) मात्रात्मक प्रकटन :

(₹ मिलियन में)

अ.क्र.	विवरण	31.03.2019
1	प्रतिस्थापित लागत	1947.60
2	संभावित वायदा विगोपन	3003.30
3	सकल ऋण तुल्य	4950.90
	समाविष्ट :	
3.1	ब्याज दर संविदा	0.00
3.2	ऋण व्युत्पन्न संविदा	0.00
3.3	ईक्विटी संविदाएं	0.00
3.4	विदेशी मुद्रा संविदाएं और स्वर्ण	4950.90
3.5	वस्तु संविदाएं	
4	सकल ऋण तुल्य राशि	4950.90
5	घटाएं : निवल व्यवस्था का प्रभाव	0.00
6	**निवल उपरांत ऋण तुल्य राशि (4-5)**	**4950.90**
7	**घटाएं : संपार्श्विक राशि**	
7.1	पात्र वित्तीय संपार्श्विक	0.00
7.2	अन्य पात्र संपार्श्विक	0.00
8	**निवल ऋण तुल्य राशि**	**4950.90**

Bank at present is not undertaking transactions under Credit Default Swaps and Currency options.

Measurement and management of various risks is ensured by setting up various limits such as counter party limits, stop loss limits, Day light Limits, Overnight limit, Stop Loss Limits and exposure limits etc. at various levels. Utilization of such limits would be subject to guidelines of Investment Management Policy and RBI/SEBI/Exchanges.

From exchange side, limits stipulated are (1) initial margin (2) mark to market margins (3) open interest. Bank is complying with these limits.

In respect of currency futures transactions, Bank is maintaining account with exchange approved Bank for purpose of clearing and settlement of transactions and also maintains margin in the form of cash/bank deposits/bank guarantees/ G-Sec or any other approved securities.

Purpose of booking forward contracts is to hedge an exposure to exchange risk in respect of transaction for which sale and/or purchase of foreign exchange is permitted under FEMA 1999. Bank offers to its customers, forward contract as a product for hedging their foreign currency exchange risk.

Bank is doing IRS/FRA deals only with those counterparty banks which have executed ISDA Master agreement/CSAs and for whom Bank has set up counterparty exposure limits. Bank has made requisite provision on credit exposure of derivative contracts computed as per current exposure method & as per RBI guidelines and Investment Management Policy.

- Bank will describe methodology and will assign economic capital for counter party credit exposure, as and when Bank migrates to Advanced Approach of measurement of Risk and related Capital requirement.

(a) Quantitative Disclosures

(Amount in ₹ million)

Sr. No.	Particulars	31.03.2019
1	Replacement Cost	1947.60
2	Potential Future Exposure	3003.30
3	Gross Credit Equivalent	4950.90
	Comprising:	
3.1	Interest Rate Contract	0.00
3.2	Credit Derivatives Contract	0.00
3.3	Equity Contracts	0.00
3.4	Foreign Exchange Contracts and Gold	4950.90
3.5	Commodities Contracts	
4	Gross Credit Equivalent Amount	4950.90
5	Less: Effect of Netting Arrangements	0.00
6	**Credit Equivalent Amount after netting (4-5)**	**4950.90**
7	**Less: Collateral Amount**	
7.1	Eligible Financial Collateral	0.00
7.2	Other Eligible Collateral	0.00
8	**Net Credit Equivalent Amount**	**4950.90**

आईएसडीए समझौतों और पात्र संपार्श्विक की पहचान के माध्यम से विगोपन निवल द्वारा काउंटर पक्ष ऋण विगोपन का न्यूनीकरण किया गया, जिसके प्रभाव यथोचित रूप से विनियामक पूंजी गणनाओं में शामिल किए गए हैं.

(ख) ऋण व्युत्पन्न लेन-देन -

(₹ मिलियन में)

विवरण	खरीदा गया सुरक्षा अनुमानित अंश	बेची गई ऋण व्युत्पन्न सुरक्षा
स्वयं का ऋण संविभाग	शून्य	शून्य
ग्राहक की मध्यस्थता गतिविधियां	शून्य	शून्य
कुल	शून्य	शून्य
ऋण चूक अदलाबदली	शून्य	शून्य
कुल अदलाबदलियों की वापसी	शून्य	शून्य
कुल	शून्य	शून्य

Counterparty credit exposure is mitigated by exposure netting through ISDA agreements and recognition of eligible collateral, effect of which have been included in regulatory capital calculations wherever appropriate.

(b) Credit Derivatives Transactions-

(Amount in ₹ Million)

Particulars	Notional of Protection Bought	Credit Derivatives Protection Sold
Own Credit Portfolio	NIL	NIL
Client Intermediation Activities	NIL	NIL
Total	NIL	NIL
Credit default swaps	NIL	NIL
Total return swaps	NIL	NIL
Total	NIL	NIL

सारणी डीएफ -11 : पूंजी संमिश्र

(₹ मिलियन में)

	विनियामक समायोजनों के अंतरण (अर्थात 31 मार्च, 2017) के दौरान उपयोगार्थ बेसल III सामान्य प्रकटन टेम्प्लेट	दिनांक 31.03.19 को	संदर्भ क्रमांक
	कॉमन ईक्विटी टीयर I पूंजी : लिखतें और आरक्षितियां		
1	संबंधित स्टॉक अधिशेष सहित प्रत्यक्ष जारी पात्र सामान्य शेयर पूंजी (शेयर प्रीमियम)*	125951.71	ए1 + बी1+ ई1
2	रोकी गई आय	-73602.92	बी8(a)
3	अन्य समाविष्ट संचयी आय (और अन्य आरक्षितियां, मूल्यांकन आरक्षितियाँ एवं डीटीए)	42473.55	बी2 + बी3 + बी4 + बी5 + बी6(a)
4	सीईटी 1 से फेज आउट होने के अधीन प्रत्यक्ष जारी पूंजी (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों हेतु लागू)	0.00	
	दिनांक 1 जनवरी, 2018 तक संरक्षित सार्वजनिक क्षेत्र पूंजी प्रत्यारोपण	0.00	
5	अनुषंगियों द्वारा जारी और तृतीय पक्षों द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी (सीईटी 1 समूह में अनुमत्य राशि)	0.00	
6	**विनियामक समायोजनों से पूर्व सामान्य ईक्विटी टीयर I पूंजी**	**94822.34**	
	सामान्य ईक्विटी टीयर I पूंजी : विनियामक समायोजन		
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	0.00	
8	साख (संबंधित कर देयता घटाकर)	0.00	
9	बंधक सेवी अधिकारों के अतिरिक्त अमूर्तताएं (संबंधित कर देयता को घटाकर)	407.50	के1(बी)
10	आस्थगित कर आस्तियां	29623.90	
11	नकदी-प्रवाह बचाव आरक्षिति	0.00	
12	संभावित हानियों के प्रावधानों में कमी	0.00	
13	बिक्री पर प्रतिभूतिकरण लाभ	0.00	
14	उचित मूल्य देयताओं पर स्वयं के ऋण जोखिम में परिवर्तनों के कारण लाभ और हानि	0.00	
15	परिभाषित लाभ पेंशन निधि निवल आस्तियां	0.00	
16	स्वयं के शेयरों में निवेश (यदि सूचित तुलनपत्र में अदा पूंजी पहले से कम न की गई हो)	0.00	
17	सामान्य ईक्विटी में पारस्परिक प्रतिधारिताएं	0.00	
18	विनियामक समेकन के दायरे से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाईयों की पूंजी में निवेश जहां पात्र अल्पकालीन स्थितियों को घटाकर बैंक का स्वामित्व जारी शेयर पूंजी का 10 प्रतिशत से अधिक न हो (प्रारंभिक 10 प्रतिशत से अधिक राशि)		
19	विनियामक समेकन के दायरे से बाहर सामान्य बैंकिंग स्टॉक, वित्तीय और बीमा इकाईयों में (पात्र अल्पकालीन स्थितियों के बाद) उल्लेखनीय निवेश (प्रारंभिक10 प्रतिशत से अधिक राशि)	0.00	
20	बंधक सेवी अधिकार (प्रारंभिक 10 प्रतिशत से अधिक राशि)	0.00	
21	अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां (संबंधित कर देयता के बाद प्रारंभिक 10 प्रतिशत से अधिक राशि)	0.00	
22	प्रारंभिक 15 प्रतिशत से अधिक राशि	0.00	
23	जिसमें से : वित्तीय इकाईयों के सामान्य स्टॉक में उल्लेखनीय निवेश	0.00	
24	जिसमें से : बंधक सेवी अधिकार	0.00	
25	जिसमें से : अस्थायी अंतरों के कारण उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां	0.00	

TABLE DF-11- COMPOSITION OF CAPITAL

(₹ in Million)

	Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from March 31, 2017)	As on 31.03.19	Ref. No.
	Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves		
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	125951.71	A1+B1+E1
2	Retained earnings	-73602.92	B8(a)
3	Accumulated other comprehensive income (other reserves, revaluation reserves and DTA)	42473.55	B2+B3+B4+ B5 +B6(a)
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	0.00	
	Public sector capital injections grandfathered until 1 January 2018	0.00	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0.00	
6	**Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments**	**94822.34**	
	Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments		
7	Prudential valuation adjustments	0.00	
8	Goodwill (net of related tax liability)	0.00	
9	Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)	407.50	K1(b)
10	Deferred tax assets	29623.90	
11	Cash-flow hedge reserve	0.00	
12	Shortfall of provisions to expected losses	0.00	
13	Securitisation gain on sale	0.00	
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	0.00	
15	Defined-benefit pension fund net assets	0.00	
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-up capital in reported balance sheet)	0.00	
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	0.00	
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	0.00	
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	0.00	
20	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	0.00	
21	Deferred tax assets arising from timing differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	0.00	
22	Amount exceeding the 15% threshold	0.00	
23	of which: significant investments in the common stock of financials entities	0.00	
24	of which: mortgage servicing rights	0.00	
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences	0.00	

(₹ मिलियन में)

	विनियामक समायोजनों के अंतरण (अर्थात 31 मार्च, 2017) के दौरान उपयोगार्थ बेसल III सामान्य प्रकटन टेम्प्लेट	दिनांक 31.03.19 को	संदर्भ क्रमांक
26	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (26क+26ख+26ग+26घ)	1.50	
26क	जिसमें से : असमेकित बीमा अनुषंगियों की ईक्विटी पूंजी में निवेश	0.00	
26ख	जिसमें से : असमेकित गैर-वित्तीय अनुषंगियों की ईक्विटी पूंजी में निवेश	1.50	
26ग	जिसमें से : प्रमुख स्वामित्व वित्तीय इकाईयों की ईक्विटी पूंजी में कमी, जिसका बैंक के साथ समेकन नहीं किया गया हो	0.00	
26घ	जिसमें से : अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय	0.00	
27	कटौतियों को कवर करने हेतु अतिरिक्त टीयर I और टीयर II की अपर्याप्तता के कारण सामान्य ईक्विटी टीयर I पर लागू विनियामक समायोजन	0.00	
28	**सामान्य ईक्विटी टीयर I की तुलना में कुल विनियामक समायोजन**	**30032.90**	
	समय अंतरों के साथ जुड़े डीटीए को (सीईटी 1 के अधिकतम 10 % तक) वापस शामिल किया गया	6478.94	
29	**सामान्य ईक्विटी टीयर I पूंजी (सीईटी 1)**	**71268.37**	
	अतिरिक्त टीयर I पूंजी : लिखतें		
30	प्रत्यक्ष जारी संबंधित स्टॉक अधिशेष सहित पात्र अतिरिक्त टीयर I लिखतें (31+32)	700.00	
31	जिसमें से : लागू लेखा मानकों के अंतर्गत ईक्विटी के रूप में वर्गीकृत (निरंतर गैर-संचयी अधिमानी शेयर)	0.00	
32	जिसमें से : लागू लेखा मानकों के अंतर्गत देयताओं के रूप में वर्गीकृत (निरंतर ऋण लिखतें)	700.00	
33	अतिरिक्त टीयर I से फेज आउट के अधीन प्रत्यक्ष जारी पूंजी लिखतें	490.00	
34	अनुषंगियों द्वारा जारी और तृतीय पक्षों द्वारा धारित (एटी 1 समूह में अनुमत्य राशि) अतिरिक्त टीयर I लिखतें (और पंक्ति 5 में शामिल न की गई सीईटी 1 लिखतें)	0.00	
35	जिसमें से : फेज आउट के अधीन अनुषंगियों द्वारा जारी लिखतें	0.00	
36	**विनियामक समायोजनों से पूर्व अतिरिक्त टीयर I पूंजी**	**210.00**	
	अतिरिक्त टीयर I पूंजी : विनियामक समायोजन		
37	स्वयं की अतिरिक्त टीयर I लिखतों में निवेश	0.00	
38	अतिरिक्त टीयर I लिखतों में पारस्परिक प्रतिधारिता	0.00	
39	विनियामक समेकन के दायरे से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाईयों की पूंजी में निवेश, जहां पात्र अल्पकालीन स्थितियों को घटाकर बैंक का स्वामित्व जारी कॉमन शेयर पूंजी का 10 प्रतिशत से अधिक न हो (प्रारंभिक 10 प्रतिशत से अधिक राशि)	0.00	
40	बैंकिंग पूंजी, विनियामक समेकन के दायरे से बाहर वित्तीय और बीमा इकाईयों में (पात्र अल्पकालीन स्थितियों को घटाकर) उल्लेखनीय निवेश	0.00	
41	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41क+41ख)	0.00	
41क	जिसमें से : असमेकित बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टीयर1 पूंजी में निवेश	0.00	
41ख	जिसमें से : प्रमुख स्वामित्व वित्तीय इकाईयों की अतिरिक्त टीयर I पूंजी में कमी, जिसका बैंक के साथ समेकन नहीं किया गया हो	0.00	

(₹ in Million)

	Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from March 31, 2017)	As on 31.03.19	Ref. No.
26	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)	1.50	
26a	Of which: Investments in the equity capital of unconsolidated insurance subsidiaries	0.00	
26b	Of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries	1.50	
26c	Of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00	
26d	Of which: Unamortised pension funds expenditures	0.00	
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	0.00	
28	**Total regulatory adjustments to Common Equity Tier 1**	**30032.90**	
	DTA associated with timing differences (max up to 10% of CET) added back	6478.94	
29	**Common Equity Tier 1 capital (CET1)**	**71268.37**	
	Additional Tier 1 capital: instruments		
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	700.00	
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	0.00	
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	700.00	
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	490.00	
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	0.00	
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0.00	
36	**Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments**	**210.00**	
	Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments		
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	0.00	
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	0.00	
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	0.00	
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0.00	
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b)	0.00	
41a	Of which: Investments in the Additional Tier 1 Capital of unconsolidated insurance subsidiaries	0.00	
41b	*Of which: Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank*	0.00	

(₹ मिलियन में)

विनियामक समायोजनों के अंतरण (अर्थात 31 मार्च, 2017) के दौरान उपयोगार्थ बेसल III सामान्य प्रकटन टेम्प्लेट		दिनांक 31.03.19 को	संदर्भ क्रमांक
42	कटौतियों को कवर करने के लिए टीयर II की अपर्याप्तता के कारण अतिरिक्त टीयर I पर लागू विनियामक समायोजन	0.00	
43	**अतिरिक्त टीयर I पूंजी की तुलना में कुल विनियामक समायोजन**	**00.00**	
44	**अतिरिक्त टीयर I पूंजी (एटी 1)**	**210.00**	
45	**टीयर I पूंजी (टी 1 = सीईटी 1 + एटी 1) (पंक्ति 29 + पंक्ति 44)**	**71478.37**	
	टीयर II पूंजी : लिखतें और प्रावधान		
46	संबंधित स्टॉक अधिशेष सहित प्रत्यक्ष जारी पात्र टीयर II लिखतें	5000.00	
47	टीयर II से फेज आउट के अधीन प्रत्यक्ष जारी पूंजी लिखतें	15300.00	
48	अनुषंगियों द्वारा जारी और तृतीय पक्षों द्वारा धारित (टीयर II समूह में अनुमत्य राशि) टीयर II लिखतें (और पंक्ति 5 अथवा 34 में शामिल न की गई सीईटी 1 और एटी1 लिखतें)	0.00	
49	जिसमें से : फेज आउट शर्त पर अनुषंगियों द्वारा जारी लिखतें	0.00	
50	प्रावधान और अन्य आरक्षितियां	4937.46	
51	**विनियामक समायोजनों से पूर्व टीयर II पूंजी**	**25237.46**	
	टीयर II पूंजी : विनियामक समायोजन		
52	स्वयं की टीयर II लिखतों में निवेश	0.00	
53	टीयर II लिखतों में पारस्परिक प्रतिधारिता	0.00	
54	विनियामक समेकन के दायरे से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाईयों की पूंजी में निवेश जहां पात्र अल्पकालीन स्थितियों को घटाकर बैंक का स्वामित्व इकाई की जारी सामान्य शेयर पूंजी का 10 प्रतिशत से अधिक न हो (प्रारंभिक 10 प्रतिशत से अधिक राशि)	101.10	
55	विनियामक समेकन के दायरे से बाहर बैंकिंग पूंजी, वित्तीय और बीमा इकाईयों में (पात्र अल्पकालीन स्थितियों को घटाकर) उल्लेखनीय निवेश	0.00	
56	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56क + 56ख)	0.00	
56क	जिसमें से : असमायोजित अनुषंगियों का टीयर 2 पूंजी में निवेश	0.00	
56ख	जिसमें से : प्रमुख स्वामित्व वित्तीय इकाईयों की टीयर 2 पूंजी में कमी, जिसका बैंक के साथ समेकन नहीं किया गया है	0.00	
	राशि के संबंध में टीयर 2 हेतु प्रयुक्त विनियामक समायोजन जो कि पूर्व बेसल-III अनुप्रयोग के अध्यधीन है	11100.00	
57	**टीयर II पूंजी हेतु कुल विनियामक समायोजन**	**11201.10**	
58	**टीयर II पूंजी (टी 2)**	**14036.36**	
59	**कुल पूंजी (टीसी = टी1 + टी2) (45+58)**	**85514.73**	
60	**कुल जोखिम भारित आस्तियां (60क + 60ख + 60ग)**	721103.72	
60क	जिसमें से : कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियां	564742.47	
60ख	जिसमें से : कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां	68452.39	
60ग	जिसमें से : कुल परिचालन जोखिम भारित आस्तियां	87908.86	
	पूंजी अनुपात तथा बफर्स		
61	सामान्य ईक्विटी टीयर I (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत स्वरूप)	9.883%	
62	टीयर I (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत स्वरूप)	9.912%	
63	कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत स्वरूप)	11.859%	
64	संस्थान विशिष्ट बफर आवश्यकता (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत स्वरूप दर्शाया गया पूंजी संरक्षण और प्रति चक्रीय बफर आवश्यकताओं सहित न्यूनतम सीईटी 1 आवश्यकता)	7.375%	

(₹ in Million)

Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from March 31, 2017)		As on 31.03.19	Ref. No.
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions	0.00	
43	**Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital**	**00.00**	
44	**Additional Tier 1 capital (AT1)**	**210.00**	
45	**Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (row 29 + row 44)**	**71478.37**	
	Tier 2 capital: instruments and provisions		
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	5000.00	
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	15300.00	
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	0.00	
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0.00	
50	Provisions & Other Reserves	4937.46	
51	**Tier 2 capital before regulatory adjustments**	**25237.46**	
	Tier 2 capital: regulatory adjustments		
52	Investments in own Tier 2 instruments	0.00	
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	0.00	
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	101.10	
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0.00	
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)	0.00	
56a	Of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries	0.00	
56b	Of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00	
	REGULATORY ADJUSTMENTS APPLIED TO TIER 2 IN RESPECT OF AMOUNTS SUBJECT TO PRE- BASEL III TREATMENT	11100.00	
57	**Total regulatory adjustments to Tier 2 capital**	**11201.10**	
58	**Tier 2 capital (T2)**	**14036.36**	
59	**Total capital (TC = T1 + T2) (45+ 58)**	**85514.73**	
60	**Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)**	721103.72	
60a	of which: total credit risk weighted assets	564742.47	
60b	of which: total market risk weighted assets	68452.39	
60c	of which: total operational risk weighted assets	87908.86	
	Capital ratios and Buffers		
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	9.883%	
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	9.912%	
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	11.859%	
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	7.375%	

(₹ मिलियन में)

	विनियामक समायोजनों के अंतरण (अर्थात 31 मार्च, 2017) के दौरान उपयोगार्थ बेसल III सामान्य प्रकटन टेम्प्लेट	दिनांक 31.03.19 को	संदर्भ क्रमांक
65	जिसमें से : पूंजी संरक्षण बफर आवश्यकता	1.875%	
66	जिसमें से : बैंक विशिष्ट प्रति चक्रीय बफर आवश्यकता	0.00	
67	जिसमें से : जी-एसआईबी बफर आवश्यकता	0.00	
68	बफर की पूर्ति हेतु उपलब्ध सामान्य ईक्विटी टीयर I (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत स्वरूप)	2.859%	
	राष्ट्रीय न्यूनतम सीमा (यदि बेसल III से भिन्न हो)		
69	राष्ट्रीय सामान्य ईक्विटी टीयर I न्यूनतम अनुपात (यदि न्यूनतम बेसल III से भिन्न हो)	7.375%	
70	राष्ट्रीय टीयर I न्यूनतम अनुपात (यदि न्यूनतम बेसल III से भिन्न हो)	8.875%	
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि न्यूनतम बेसल III से भिन्न हो)	10.875%	
	कटौती हेतु प्रारंभिक राशियों से कम राशियां (जोखिम भार से पूर्व)		
72	अन्य वित्तीय इकाइयों की पूंजी में गैर-उल्लेखनीय निवेश	0.00	
73	वित्तीय इकाइयों के सामान्य स्टॉक में उल्लेखनीय निवेश	0.00	
74	बंधक सेवी अधिकार (संबंधित कर देयता घटाकर)	0.00	
75	अस्थायी अंतरों के कारण उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां (संबंधित कर देयता घटाकर)	0.00	
	टीयर 2 में प्रावधानों को शामिल करने हेतु लागू सीमाएं		
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन विगोपन के मामले में टीयर II में शामिल करने हेतु पात्र प्रावधान (सीमा लागू करने से पूर्व)	4937.46	
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत टीयर II में प्रावधानों को शामिल करने की सीमा	7059.28	
78	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अधीन विगोपन के मामले में टीयर II में शामिल करने हेतु पात्र प्रावधान (सीमा लागू करने से पूर्व)	लागू नहीं	
79	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अंतर्गत टीयर II में प्रावधानों को शामिल करने की सीमा	लागू नहीं	
	फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन पूंजी लिखतें (केवल 31 मार्च, 2017 से 31 मार्च 2022 तक लागू)	लागू नहीं	
80	फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन सीईटी 1 लिखतों हेतु वर्तमान सीमा	लागू नहीं	
81	सीमा के कारण सीईटी 1 से बाहर राशि (मोचन और परिपक्वताओं के बाद सीमा के अतिरिक्त अधिशेष)	लागू नहीं	
82	फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन एटी 1 लिखतों हेतु वर्तमान सीमा	लागू नहीं	
83	सीमा के कारण एटी 1 से बाहर राशि (मोचन और परिपक्वताओं के बाद सीमा के अतिरिक्त अधिशेष)	लागू नहीं	
84	फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन टी 2 लिखतों की वर्तमान सीमा	लागू नहीं	
85	सीमा के कारण टी 2 से बाहर राशि (मोचन और परिपक्वताओं के बाद सीमा के अतिरिक्त अधिशेष)	लागू नहीं	

(₹ in Million)

	Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from March 31, 2017)	As on 31.03.19	Ref. No.
65	of which: capital conservation buffer requirement	1.875%	
66	of which: bank specific countercyclical buffer requirement	0.00	
67	of which: G-SIB buffer requirement	0.00	
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	2.859%	
	National minima (if different from Basel III)		
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7.375%	
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	8.875%	
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	10.875%	
	Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)		
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities	0.00	
73	Significant investments in the common stock of financial entities	0.00	
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	0.00	
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	0.00	
	Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2		
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	4937.46	
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach	7059.28	
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	N.A	
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	N.A	
	Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between March 31, 2017 and March 31, 2022)	N.A	
80	**Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements**	N.A	
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	N.A	
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	N.A	
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	N.A	
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	N.A	
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	N.A	

टेम्पलेट नोट

टेम्पलेट पंक्ति क्रमांक	ब्यौरे	₹ मिलियन में
10	संचयी हानियों से संबद्ध आस्थगित कर आस्तियां	11641.56
	आस्थगित कर देयताओं को घटाकर (संचयी हानियों से संबद्ध के अतिरिक्त) आस्थगित कर आस्तियां	17982.34
	पंक्ति 10 में दर्शाए अनुसार जोड़	29623.90
19	यदि बीमा सहायक कंपनियों में निवेशों की पूंजी से पूर्ण कटौती न की गई हो और इसके बजाय कटौती के प्रारंभिक 10 प्रतिशत के अंतर्गत विचार किया गया हो तो परिणामस्वरूप बैंक की पूंजी में हुई वृद्धि	0.00
	जिसमें से : सामान्य ईक्विटी टीयर I पूंजी में वृद्धि	0.00
	जिसमें से : अतिरिक्त टीयर I पूंजी में वृद्धि	0.00
	जिसमें से : टीयर II पूंजी में वृद्धि	0.00
26ख	यदि असमेकित वित्तीय/गैर-वित्तीय सहायक/संबद्ध कंपनियों की ईक्विटी पूंजी के निवेशों की कटौती न की गई हो, जिसके कारण जोखिम भार	
	i) सामान्य ईक्विटी टीयर I पूंजी में वृद्धि	732.71
	ii) जोखिम भारित आस्तियों में वृद्धि	1831.78
44क	पूंजी पर्याप्तता हेतु गैर-अभिनिर्धारित अधिशेष अतिरिक्त टीयर I पूंजी (पंक्ति 44 में रिपोर्ट किए गए एटी1 और पंक्ति 44क में रिपोर्ट किए गए अनुमत्य एटी1 के बीच अंतर)	0.00
	जिसमें से : अधिशेष एटी 1, जिसे पंक्ति 58 ख के अंतर्गत विचारित टीयर II पूंजी माना गया	0.00
50	टीयर 2 पूंजी में शामिल पात्र प्रावधान	4937.46
	टीयर 2 पूंजी में शामिल पात्र पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियाँ	0.00
	पंक्ति 50 का कुल	4937.46

सारणी : डीएफ-12 : पूंजी संमिश्र - समाधान आवश्यकता

चरण 1

(₹ मिलियन में)

		प्रकाशित वित्तीय विवरणियों के अनुसार तुलनपत्र	तुलन पत्र - समेकन के विनियामक दायरे के अधीन
		31.03.2019 को	**31.03.2019 को**
क	**पूंजी व देयताएं**		
i	प्रदत्त पूंजी	27531.71	
	आरक्षितियां एवं अधिशेष	29862.69	
	अल्प ब्याज	0.00	
	कुल पूंजी	**57394.40**	
ii	जमाराशियां जिसमें से :	**1406500.86**	
	बैंकों से जमाराशियां	2176.78	
	ग्राहक जमाराशियां (बचत खाता)	566670.36	
	अन्य जमाराशियां	837653.73	

Notes to Template

Row No. of Template	Particulars	₹ In Million
10	Deferred tax assets associated with accumulated losses	11641.56
	Deferred tax assets (excluding those associated with accumulated losses) net of Deferred tax liability	17982.34
	Total as indicated in row 10	29623.90
19	If investments in insurance subsidiaries are not deducted fully from capital and instead considered under 10% threshold for deduction, the resultant increase in the capital of bank	0.00
	of which: Increase in Common Equity Tier 1 capital	0.00
	of which: Increase in Additional Tier 1 capital	0.00
	of which: Increase in Tier 2 capital	0.00
26b	If Investments in the Equity Capital of unconsolidated financial/non-financial subsidiaries/ Associates are not deducted and hence, risk weighted then,	
	i) Increase in Common Equity Tier 1 Capital	732.71
	ii) Increase in Risk Weighted Assets	1831.78
44a	Excess Additional Tier 1 Capital not reckoned for capital adequacy (difference between AT1 as reported in row 44 and admissible AT1 as reported in 44a	0.00
	of which: Excess AT1 which is considered as Tier 2 capital under row 58b	0.00
50	Eligible Provisions included in Tier 2 capital	4937.46
	Eligible Revaluation Reserves included in Tier 2 capital	0.00
	Total of Row 50	4937.46

TABLE DF-12: COMPOSITION OF CAPITAL – RECONCILIATION REQUIREMENT

Step 1

(₹ In Million)

		Balance sheet as in published financial statements	Balance Sheet Under regulatory scope of consolidation
		As on 31.03.2019	As on 31.03.2019
A	Capital & Liabilities		
i	Paid-up Capital	27531.71	
	Reserves & Surplus	29862.69	
	Minority Interest	0.00	
	Total Capital	**57394.40**	
ii	Deposits of which:	1406500.86	
	Deposits from banks	2176.78	
	Customer deposits (SB)	566670.36	
	Other deposits	837653.73	

(₹ मिलियन में)

		प्रकाशित वित्तीय विवरणियों के अनुसार तुलनपत्र	तुलन पत्र - समेकन के विनियामक दायरे के अधीन
		31.03.2019 को	**31.03.2019 को**
iii	उधारियां जिसमें से:	**101491.71**	
	भारतीय रिज़र्व बैंक से	15000.00	
	बैंकों से	0.00	
	अन्य संस्थानों एवं एजेंसियों से	55137.85	
	बॉण्डस एवं डिबेंचर पूंजी लिखतों के रूप में उधारियां	31000.00	
	भारत के बाहर से उधारियां	353.86	
iv	अन्य देयताएं व प्रावधान	**79968.33**	
	जिसमें से शेयर आवेदन राशि	**44980.00**	
	कुल पूंजी एवं देयताएं	**1645355.32**	
ख	**आस्तियां**		
i	**भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और खाता शेष**	**79199.86**	
ii	**बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन**	**12349.17**	
iii	**निवेश जिसमें से:**	**596970.51**	
	जिसमें से : सरकारी प्रतिभूतियां	424120.61	
	जिसमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	0.00	
	जिसमें से : शेयर्स	2639.58	
	जिसमें से : डिबेंचर एवं बॉण्ड	24449.87	
	जिसमें से : सहायक/संयुक्त उद्यम/सहयोगी प्रतिष्ठान	734.21	
	जिसमें से : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युचुअल फंड इत्यादि)	145026.25	
iv	**ऋण और अग्रिम जिसमें से :**	**826662.11**	
	बैंकों को ऋण और अग्रिम	89.75	
	ग्राहकों को ऋण और अग्रिम	**826572.36**	
v	**स्थिर आस्तियां**	**17755.30**	
vi	**अन्य आस्तियां जिसमें से :**	**112418.36**	
vii	समेकन पर साख	0.00	
viii	लाभ और हानि खाते में नामे शेष	0.00	
	कुल आस्तियां	**1645355.32**	

(₹ In Million)

		Balance sheet as in published financial statements	Balance Sheet Under regulatory scope of consolidation
		As on 31.03.2019	**As on 31.03.2019**
iii	Borrowings of which:	**101491.71**	
	From RBI	15000.00	
	From Banks	0.00	
	From other institutions & agencies	55137.85	
	Borrowings in the form of bonds & debentures capital instruments	31000.00	
	Borrowings from outside India	353.86	
iv	Other Liabilities and Provision	**79968.33**	
	of which Share Application Amount	**44980.00**	
	Total Capital & Liabilities	**1645355.32**	
B	**Assets**		
i	**Cash and Bank Balance with Reserve Bank of India**	**79199.86**	
ii	**Balance with banks and money at call and short notice**	**12349.17**	
iii	**Investments of which:**	**596970.51**	
	of which: Government securities	424120.61	
	of which: Other approved securities	0.00	
	of which: Shares	2639.58	
	of which: Debentures & Bonds	24449.87	
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	734.21	
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	145026.25	
iv	**Loans and Advances of which:**	**826662.11**	
	Loans and Advances to banks	89.75	
	Loan and Advances to Customers	826572.36	
v	**Fixed Assets**	**17755.30**	
vi	**Other Assets of which:**	**112418.36**	
vii	Goodwill on Consolidation	0.00	
viii	Debit Balance in Profit and Loss Account	0.00	
	Total Assets	**1645355.32**	

चरण 2

		संदर्भ क्रमांक	प्रकाशित वित्तीय विवरणियों के अनुसार तुलनपत्र	समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत
			31.03.2019 को	31.03.2019 को
क	पूंजी और देयताएं			
i	प्रदत्त पूंजी जिसमें से	ए	27531.71	
	सीईटी 1 हेतु पात्र राशि	ए1	27531.71	
	एटी 1 हेतु पात्र राशि	ए2	0.00	
	आरक्षितियां एवं अधिशेष जिसमें से :	बी	29862.69	
	ईक्विटी शेयर प्रीमियम	बी 1	53439.99	
	सांविधिक आरक्षितियां	बी 2	12524.93	
	पूंजी आरक्षितियां	बी 3	3633.97	
	राजस्व आरक्षितियां और अन्य आरक्षितियां	बी 4	15155.68	
	विशेष आरक्षितियां	बी 5	4980.00	
	पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियां जिसमें से:	बी 6	13731.04	
	सीईटी 1 के लिए पात्र	बी 6(क)	6178.97	
	निवेश आरक्षितियां	बी 7	0.00	
	लाभ और हानि खाते में शेष जिसमें से :	बी 8	-73602.92	
	सीईटी 1 हेतु पात्र	बी 8 (ए)	-73602.92	
	अल्प ब्याज	बी 9	0.00	
	कुल पूंजी	ए+बी	**57394.40**	
ii	जमाराशियां जिसमें से :	सी	**1406500.86**	
	बैंकों से जमाराशियां	सी 1	2176.78	
	ग्राहक जमाराशियां	सी 2	566670.36	
	अन्य जमाराशियां	सी 3	837653.73	
iii	उधारियां जिसमें से :	डी	**101491.71**	
	भारतीय रिजर्व बैंक से	डी1	15000.00	
	बैंकों से	डी2	353.86	
	अन्य संस्थानों एवं एजेंसियों से	डी3	55137.85	
	बॉण्डस एवं डिबेंचर पूंजी लिखतों के रूप में उधारियां, जिसमें से	डी4	31000.00	
	विनियामक समायोजन से पूर्व एटी1 हेतु पात्र	डी4(ए)	700.00	
	विनियामक समायोजन से पूर्व टीयर II हेतु पात्र	डी4(बी)	20300.00	
	अन्य देयताएं और प्रावधान जिसमें से :	ई	**79968.33**	
	शेयर आवेदन राशि	ई1	44980.00	
	साख संबंधी डीटीएल	ई2	0.00	
	अमूर्त आस्तियों संबंधी डीटीएल	ई3	0.00	
	कुल		**1645355.32**	
ख	**आस्तियां**			
i	भारतीय रिजर्व बैंक में नकद एवं खाता शेष	एफ	**79199.86**	
	बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	जी	**12349.17**	
ii	निवेश जिसमें से :	एच	**596970.51**	
	सरकारी प्रतिभूतियां	एच 1	424120.61	
	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	एच 2	0.00	
	शेयर्स	एच 3	2639.58	
	डिबेंचर एवं बॉण्ड	एच 4	24449.87	
	सहायक/संयुक्त उद्यम	एच 5	734.21	

Step 2

		Ref. No.	Balance sheet as in published financial statements	Under regulatory scope of consolidation
			As on 31.03.2019	As on 31.03.2019
A	**Capital & Liabilities**			
I	Paid-up Capital of which	A	27531.71	
	Amount eligible for CET 1	A1	27531.71	
	Amount eligible for AT1	A2	0.00	
	Reserves & Surplus of which:	B	29862.69	
	Equity Share Premium	B1	53439.99	
	Statutory Reserve	B2	12524.93	
	Capital Reserve	B3	3633.97	
	Revenue Reserve and Other Reserves	B4	15155.68	
	Special Reserve	B5	4980.00	
	Revaluation Reserve of which:	B6	13731.04	
	Eligible for CET 1	B6(a)	6178.97	
	Investment Reserve	B7	0.00	
	Balance in Profit and Loss Account of which	B8	-73602.92	
	Eligible for CET 1	B8(a)	-73602.92	
	Minority Interest	B9	0.00	
	Total Capital	A+B	**57394.40**	
ii	Deposits Of which:	C	**1406500.86**	
	Deposits from banks	C1	2176.78	
	Customer deposits (SB)	C2	566670.36	
	Other deposits	C3	837653.73	
iii	Borrowings Of which:	D	**101491.71**	
	From RBI	D1	15000.00	
	From banks	D2	353.86	
	From other institutions & agencies	D3	55137.85	
	Borrowings in the form of bonds & debentures capital instruments of which:	D4	31000.00	
	Eligible for AT1 before regulatory adjustments	D4(a)	700.00	
	Eligible for Tier 2 before regulatory adjustments	D4(b)	20300.00	
	Other Liabilities and Provision of which	E	**79968.33**	
	Share Application Amount	E1	44980.00	
	DTLs related to Goodwill	E2	0.00	
	DTLs related to Intangible Assets	E3	0.00	
	Total		**1645355.32**	
B	**Assets**			
i	Cash and Bank Balance with Reserve Bank of India	F	**79199.86**	
	Balance with banks and money at call and short notice	G	**12349.17**	
ii	Investments of which:	H	**596970.51**	
	Government Securities	H1	424120.61	
	Other Approved Securities	H2	0.00	
	Shares	H3	2639.58	
	Debentures and Bonds	H4	24449.87	
	Subsidiaries/Joint Ventures	H5	734.21	
	Others(Mutual Funds, CoDs, RIDF, PTCs)	H6	145026.25	

		संदर्भ क्रमांक	प्रकाशित वित्तीय विवरणियों के अनुसार तुलनपत्र	समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत
			31.03.2019 को	31.03.2019 को
	अन्य (म्युचुअल फंड, सीओडी, आरआईडीएफ, पीटीसी)	एच 6	145026.25	
iii	ऋण और अग्रिम जिसमें से :	आई	**826662.11**	
	बैंकों को ऋण और अग्रिम	आई 1	89.75	
	ग्राहकों को ऋण और अग्रिम	आई 2	826572.36	
iv	स्थिर आस्तियां	जे	**17755.30**	
v	अन्य आस्तियां जिसमें से :	के	**112418.36**	
	साख और अमूर्त आस्तियां जिसमें से :	के 1	0.00	
	साख	के 1(ए)	0.00	
	अन्य अमूर्त (एमएसआर के अतिरिक्त)	के 1(बी)	0.00	
	आस्थगित कर आस्तियां	के1 (सी)	29623.90	
	अपरिशोधित पेंशन	के1 (डी)	0.00	
vi	समेकन पर साख	एल	0.00	
vii	लाभ और हानि खाते में नामे शेष	एम	0.00	
	कुल आस्तियां		**1645355.32**	

चरण 3

बेसल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट सार (जोड़े गए कॉलम सहित) - डीएफ11			
सामान्य ईक्विटी टीयर I पूंजी : लिखतें और आरक्षितियां			
		बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई विनियामक पूंजी संमिश्र	**चरण 2 के समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलनपत्र के पत्रों/ संदर्भ क्रमांकों पर आधारित स्रोत**
1	संबंधित स्टॉक अधिशेष सहित प्रत्यक्ष जारी पात्र सामान्य शेयर पूंजी (और गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों के समरूप)	125951.71	ए1+बी1+ई1
2	रोकी गई आय	-73602.92	बी 8 (ए)
3	अन्य समाविष्ट आय संचयी (और अन्य आरक्षितियां)	42473.55	बी2 + बी3 + बी4 + बी5 + बी6(a)
4	सीईटी 1 से फेज आउट के अधीन प्रत्यक्ष जारी पूंजी (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों हेतु लागू)	0.00	
5	सहायक कंपनियों द्वारा जारी और तृतीय पक्षों द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी (सीईटी 1 समूह में अनुमत्य राशि)	0.00	
6	**विनियामक समायोजनों से पूर्व सामान्य ईक्विटी टीयर I पूंजी (सीईटी में शामिल करने के लिए मान्यता प्राप्त डीटीए को छोड़कर)**	**94822.34**	
	समय अंतरों के साथ जुड़े डीटीए को (सीईटी 1 के अधिकतम 10 % तक) सीईटी 1 में शामिल किया गया	6478.94	
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	0.00	
8	साख (संबंधित कर देयता के बाद)	0.00	

		Ref. No.	Balance sheet as in published financial statements	Under regulatory scope of consolidation
			As on 31.03.2019	As on 31.03.2019
iii	Loans and Advances of which:	I	**826662.11**	
	Loans and Advances to banks	I1	89.75	
	Loan and Advances to Customers	I2	826572.36	
iv	Fixed Assets	J	**17755.30**	
v	Other Assets of which:	K	**112418.36**	
	Goodwill and Intangible Assets out of which	K1	0.00	
	Goodwill	K1(a)	0.00	
	Other Intangibles (Excluding MSRs)	K1(b)	0.00	
	Deferred Tax Assets	K1 (c)	29623.90	
	Unamortised Pension	K 1 (d)	0.00	
vi	Goodwill on Consolidation	L	0.0	
vii	Debit Balance in Profit and Loss Account	M	0.00	
	Total Assets		**1645355.32**	

Step 3

Extract of Basel III common disclosure template (with added column) – DF 11			
Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves			
		Component of regulatory capital reported by bank	**Source based on reference numbers/ letter s of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation from step 2**
1	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	125951.71	A1+B1+E1
2	Retained earnings	-73602.92	B8(a)
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	42473.55	B2+B3+B4 +B5+B6(a)
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	0.00	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0.00	
6	**Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments (Excl DTA Recognized for inclusion in CET)**	**94822.34**	
	DTA associated with timing differences (max up to 10% of CET) included in CET 1	6478.94	
7	Prudential valuation adjustments	0.00	
8	Goodwill (net of related tax liability)	0.00	

डीएफ-13 विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं DF-13: Main Features of the Regulatory Capital Instruments

		एटी1 **AT1**	टीयर II बॉण्डस **Tier II Bonds**			
1	जारीकर्ता Issuer	बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra	बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra	बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra	बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra	बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra
2	विशिष्ट पहचान कर्ता अर्थात (जैसे निजी स्थापन हेतु क्यूसिप, आईएसआईएन अथवा ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता) Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE457A09165	INE457A09157	INE457A09173	INE457A09199	INE457A08035
3	लिखत हेतु शासकीय नियम Governing law(s) of the instrument	भारतीय कानून Indian Laws	भारतीय कानून Indian Laws	भारतीय कानून Indian Laws	भारतीय कानून Indian Laws	भारतीय कानून Indian Laws
	नियामक प्रतिपादन ***Regulatory treatment***					
4	परिवर्ती बेसल III नियम Transitional Basel III rules	अतिरिक्त टीयर I Additional Tier I	टीयर II बॉण्डस Tier II Bonds	टीयर II बॉण्डस Tier II Bonds	टीयर II बॉण्डस Tier II Bonds	टीयर II बॉण्डस Tier II Bonds
5	उत्तर परिवर्ती बेसल III नियम Post-transitional Basel III rules	अपात्र Ineligible	अपात्र Ineligible	अपात्र Ineligible	अपात्र Ineligible	अपात्र Ineligible
6	एकल/समूह/एकल एवं समूहमें पात्र Eligible at solo/group/ group & solo	एकल Solo	एकल Solo	एकल Solo	एकल Solo	एकल Solo
7	लिखत का प्रकार Instrument type	निरंतर ऋण लिखत Perpetual Debt Instruments	उपरी टीयर 2 - ऋण लिखत Upper Tier II-Debt Instruments	उपरी टीयर 2 - ऋण लिखत Upper Tier II-Debt Instruments	गौण टीयर 2 ऋण लिखत Subordinated Tier II-Debt Instruments	गौण टीयर 2 ऋण लिखत Subordinated Tier II-Debt Instruments
8	विनियामक पूंजी के रूप में पहचानी गई राशि (हालकी रिपोर्टिंग दिनांक को ₹ मिलियन में) Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	210	300	900	3000	5000
9	लिखत का सममूल्य (₹ मिलियन में) Par value of instrument (₹ in million)	1	1	1	1	1
10	लेखा वर्गीकरण Accounting classification	देयता-उधारियां Liability-borrowing	देयता-उधारियां Liability-borrowing	देयता-उधारियां Liability-borrowing	देयता-उधारियां Liability-borrowing	देयता-उधारियां Liability-borrowing
11	जारी करने का मूल दिनांक Original date of issuance	30.09.2009	30.09.2009	01.02.2010	31.12.2012	27.06.2016
12	निरंतर अथवा दिनांकित Perpetual or dated	निरंतर Perpetual	दिनांकित Dated	दिनांकित Dated	दिनांकित Dated	दिनांकित Dated
13	मूल परिपक्वता दिनांक Original maturity date	कोई परिपक्वता नहीं No Maturity	30.09.2024	01.02.2025	31.12.2022	27.09.2026
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन अधीन जारीकर्ता कॉल Issuer call subject to prior supervisory approval	हां Yes	हां Yes	हां Yes	नहीं No	नहीं No
15	वैकल्पिक कॉल दिनांक, आकस्मिक कॉल दिनांक और मोचन राशि Optional call date, contingent call dates and redemption amount	30.09.2019	30.09.2019	01.02.2020	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA

		एटी1 AT1	टीयर II बॉण्डस Tier II Bonds			
16	अनुवर्ती मांग दिनांक, यदि लागू हो Subsequent call dates, if applicable	एसबीआई के अनुमोदन के अधीन 30.09.2019 के पश्चात प्रत्येक वर्षगांठ पर On each anniversery after 30.09.2019 subject to RBI Approval	नहीं No	नहीं No	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
	कूपन / लाभांश ***Coupons / dividends***					
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश / कूपन Fixed or floating dividend/coupon	स्थिर Fixed	स्थिर Fixed	स्थिर Fixed	स्थिर Fixed	स्थिर Fixed
18	कूपन दर और संबंधित कोई सूचकांक Coupon rate and any related index	9.25% pa	8.95%pa	8.65%pa	9.00%pa	9.20%pa
19	लाभांश स्टॉपर की उपस्थिति Existence of a dividend stopper	हां Yes	हां Yes	हां Yes	नहीं No	हां Yes
20	पूर्णतः विवेकाधीन / अंशतः विवेकाधीन अथवा अनिवार्य Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	अंशतः विवेकाधीन Partially Discretionary	अंशतः विवेकाधीन Partially Discretionary	अंशतः विवेकाधीन Partially Discretionary	अनिवार्य Mandatory	Full Discretionary
21	उन्मोचन हेतु कोटिउन्नयन अथवा अन्य प्रोत्साहन की उपलब्धता Existence of step up or other incentive to redeem	हां Yes	हां Yes	नहीं No	नहीं No	नहीं No
22	असंचयी अथवा संचयी Noncumulative or cumulative	असंचयी Non Cumulative	असंचयी Non Cumulative	असंचयी Non Cumulative	असंचयी Non Cumulative	असंचयी Non Cumulative
23	परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय Convertible or non-convertible	अपरिवर्तनीय Non Convertible	अपरिवर्तनीय Non Convertible	अपरिवर्तनीय Non Convertible	अपरिवर्तनीय Non Convertible	अपरिवर्तनीय Non Convertible
24	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन उत्प्रेरक If convertible, conversion trigger (s)	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
25	यदि परिवर्तनीय तो पूर्णतः अथवा आंशिक If convertible, fully or partially	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर If convertible, conversion rate	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
27	यदि परिवर्तनीय तो अनिवार्य अथवा वैकल्पिक परिवर्तन If convertible, mandatory or optional conversion	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
28	यदि परिवर्तनीय तो यह स्वरूप जिसमें लिखत परिवर्तित हुआ If convertible, specify instrument type convertible into	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
29	यदि परिवर्तनीय लिखत जिसमें परिवर्तित हुआ, के जारीकर्ता का उल्लेख If convertible, specify issuer of instrument it converts into	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
30	अवलेखन विशेषता Write-down feature	नहीं No	नहीं No	नहीं No	नहीं No	हां Yes

		एटी1 **AT1**	टीयर II बॉण्डस **Tier II Bonds**			
31	यदि अवलेखन हुआ तो अवलेखन के उत्प्रेरक If write-down, write-down trigger(s)	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	गैर व्यवहार्यता ट्रिगर के बिंदु Point of Non-viability trigger
32	यदि अवलेखन हुआ तो पूर्णतः अथवा आंशिक If write-down, full or partial	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	पूर्ण Full
33	यदि अवलेखन हुआ तो स्थायी अथवा अस्थायी If write-down, permanent or temporary	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	स्थायी Permanent
34	यदि अस्थायी अवलेखन तो अवलेखन तंत्र का ब्यौरा If temporary write-down, description of write-up mechanism	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
35	परिसमापन में गौण वरिष्ठता की स्थिति (तत्काल वरिष्ठ लिखत का स्वरूप विर्निर्दिष्ट करें) Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता, लेनदार और टीयर II बॉण्डधारक All other Depositors, Creditors and Tier II Bond holders of the Bank	बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता और लेनदार All other Depositors and Creditors of the Bank	बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता और लेनदार All other Depositors and Creditors of the Bank	बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता और लेनदार All other Depositors and Creditors of the Bank	बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता और लेनदार All other Depositors and Creditors of the Bank
36	गैर-अनुपालित परिवर्ती विशेषताएं Non-compliant transitioned features	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	नहीं No
37	अगर हां तो गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें If yes, specify non-compliant features	हानि अवशोषण उपाय Loss-absorption feature	हानि अवशोषण उपाय Loss-absorption feature	हानि अवशोषण उपाय Loss-absorption feature	हानि अवशोषण उपाय Loss-absorption feature	लागू नहीं NA

सारणी : डीएफ-14 : पूंजी लिखतों की पूर्ण विनियामक शर्तें एवं निबंधन

डीएफ 14 बैंक की वैब साईट www.bankofmaharashtra.in की बेसल III प्रकटन मद के अंतर्गत उपलब्ध है.

सारणी : डीएफ-15 : पारिश्रमिक हेतु प्रकटन आवश्यकताएं

मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रकटन : लागू नही.

सारणी : डीएफ-16 : इक्विटी : बैंक बही स्थिति हेतु प्रकटन

गुणात्मक प्रकटन:

इक्विटी जोखिम के संबंध में आवश्यक सामान्य गुणात्मक प्रकटन.

- निवेश वर्गीकरण एवं मूल्यांकन पर भारतीय रिजर्व बैंक तथा बैंक की निवेश प्रबंधन नीति के अनुरूप दिशानिर्देशों के अनुसरण में क्रय की तारीख पर निवेशों का वर्गीकरण 'ट्रेडिंग के धारित' (एचएफटी), 'विक्रय हेतु उपलब्ध' (एएफएस) तथा 'परिपक्वता के लिए धारित' (एचटीएम) श्रेणियों में किया जाता है. परिपक्वता तक धारित करने हेतु बैंक के प्रयोजन के निवेशों को एचटीएम प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.
- भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार सहायक एवं संयुक्त कंपनियों की इक्विटी में निवेश को एचटीएम श्रेणी में वर्गीकृत करना आवश्यक है. इन्हें रणनितीक संबंध बनाए रखने अथवा रणनितीक व्यवसाय प्रयोजन के उद्देश्यों से धारित किया जाता है.
- एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश उनके अधिग्रहण लागत पर लिए गये है और उन्हे बाजार पर चिन्हित नहीं किया गया है. इक्विटी निवेशों के मूल्य में गिरावट, अस्थाई गिरावट को छोडकर, का प्रावधान किया गया है. एचटीएम श्रेणी में निवेशों की बिक्री पर किसी भी हानि को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी गई है. एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत निवेशो की बिक्री से किसी भी लाभ को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी गई है तथा इसे भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में 'पूंजी आरक्षिति' के प्रति सांविधिक आरक्षिति और करों के निवल के रूप में समायोजित किया गया है.
- भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशनुसार, प्रारम्भिक 3 वर्षों की अवधि के लिए तथा इस अवधि के दौरान लागत पर मूल्यांकित उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ) के यूनिटें में निवेश को बैंकिंग बही (एचटीएम श्रेणी) में धारित करने की अनुमति है.

मात्रात्मक प्रकटन

1. निवेशों के मूल्य

(राशि ₹ मिलियन में)

निवेश	तुलनपत्र के अनुसार मूल्य	उचित मूल्य	सार्वजनिक रूप से उद्धृत शेयर मूल्य (यदि उचित मूल्य से भौतिक रूप से अलग हैं
बिना भाव वाले	849.31	849.31	लागू नहीं
भाव वाले	शून्य	शून्य	शून्य

2. निवेशों का प्रकार एवं स्वरूप

(राशि ₹ मिलियन में)

निवेश	सार्वजनिक रूप से व्यापारित	निजी रूप से धारित
सहायक, संबद्ध और संयुक्त कंपनियां	शून्य	734.21
पीएसयू/कंपनियों के अन्य शेयर जो कि 02.09.2004 को बैंक की बहियों में एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत थे तथा जिन्हें आरबीआई दिशानिर्देशानुसार जिन्हें प्रतिधारित किया जा सकता है.	शून्य	शून्य
उद्यम पूंजी निधि	शून्य	115.10

TABLE DF 14 – FULL TERMS AND CONDITIONS OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS

DF 14 is available on the Bank's website www.bankofmaharashtra.in under the line "Basel III Disclosures"

TABLE DF – 15: DISCLOSURE REQUIREMENT FOR REMUNERATION

Quantitative and Qualitative Disclosures: Not Applicable

TABLE DF – 16: EQUITIES: DISCLOSURE FOR BANKING BOOK POSITIONS

Qualitative Disclosure:

General qualitative disclosure requirement with respect to Equity Risk.

- In accordance with RBI guidelines and in line with Bank's Investment Management Policy on investment classification and valuation, Investments are classified on the date of purchase into "Held for Trading" (HFT), "Available for Sale" (AFS) and "Held to Maturity" (HTM) categories. Investments which Bank intends to hold till maturity are classified as HTM securities.
- Investments in equity of subsidiaries and joint ventures are required to classify under HTM category in accordance with RBI guidelines. These are held with a strategic objective to maintain strategic relationships or for strategic business purposes.
- Investments classified under HTM category are carried at their acquisition cost and not marked to market. Any diminution, other than temporary, in the value of equity investments is provided for. Any loss on sale of investments in HTM category is recognised in the Statement of Profit and Loss. Any gain from sale of investments under HTM category is recognised in the Statement of Profit and Loss and is appropriated, net of taxes and statutory reserve, to "Capital Reserve" in accordance with the RBI Guidelines.
- As per RBI guidelines, Bank is allowed to hold investments in units of Venture Capital Fund (VCF) under Banking Book (HTM category) for initial period of 3 years and valued at cost during this period.

Quantitative Disclosures

1. Value of Investments

(Amount in ₹ million)

Investments	Value as per Balance Sheet	Fair Value	Publicly Quoted Share Values (if materially different from fair value
Unquoted	849.31	849.31	N.A
Quoted	NIL	NIL	NIL

2. Type and Nature of Investments

(Amount in ₹ million)

Investments	Publicly Traded	Privately Held
Subsidiary, Associate and Joint Ventures	NIL	734.21
Other shares of PSU/Corporate, which were in the books of the Bank under HTM category as on 02.09.2004 and as per RBI guidelines, can be retained as such.	NIL	NIL
Venture Capital Funds	NIL	115.10

3. लाभ/हानि विवरण

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	राशि
वसूले गए संचयी लाभ (रिपोर्टिंग अवधि के दौरान बिक्री एवं नकदीकरण से उद्भूत हानियां)	शून्य
वसूले न गए कुल लाभ (हानियां)	शून्य
कुल अप्रकटित मूल्यांकन लाभ (हानियां)	शून्य
उपर्युक्त में से कोई भी रकम टीयर I एवं टीयर II पूंजी में सम्मिलित है	शून्य

4. बैंकिंग बही हेतु पूंजी आवश्यकता

(राशि ₹ मिलियन में)

निवेश	बेसल III के अधीन व्यवहार	विगोपन	जोखिम आधारित आस्तियां	पूंजी आवश्यकता 10.875% की दर से
सहायक, संबद्ध और संयुक्त उद्यम कंपनियां, उद्यम पूंजी निधियां	250% पर जोखिम भारित	732.71	1831.78	199.21
	150% पर जोखिम भारित	115.10	172.65	18.78
पीएसयू/कंपनियों के अन्य शेयर जो कि 02.09.2004 को बैंक की बहियों में एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत थे तथा जिन्हें आरबीआई दिशानिर्देशानुसार जिन्हें प्रतिधारित किया जा सकता है.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

लिवरेज अनुपात प्रकटन

सारणी डीएफ - 17 - लेखांकन आस्तियों बनाम लिवरेज अनुपात विगोपन उपाय का तुलनात्मक सार

क्र. सं.	मद	(₹ मिलियन में)
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल समेकित आस्तियां	**1645355.32**
2	बैंकिंग, वित्तपोषण, बीमा तथा वाणिज्यिक इकाईयों में निवेशों का समायोजन जिन्हें लेखांकन प्रयोजनों हेतु समेकित किया है किंतु वे विनियामक समेकन की परिधि से बाहर है (उपर्युक्त 1 में से)	**(0.00)**
3	प्रचालनगत लेखांकन ढांचे के अनुसरण में तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त, प्रत्ययी आस्तियों के लिए समायोजन, जिन्हें लिवरेज अनुपात विगोपन उपाय में शामिल नहीं किया है	**0.00**
4	व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों के लिए समायोजन	**4038.10**
5	प्रतिभूति वित्तीय व्यवहारों के लिए समायोजन (यथा रेपो एवं सामान्य प्रतिभूतित उधारी)	**0.00**
6	तुलनपत्र में शामिल न किए गए मदों का समायोजन (यथा तुलनपत्र में शामिल न किए गए विगोपनों की राशि के समकक्ष ऋण का परिवर्तन)	**89805.87**
7	अन्य समायोजन (टीयर 1 पूंजी से कटौती की गई अमूर्त आस्तियां)	**(30032.91)**
8	**लिवरेज अनुपात विगोपन**	**1709166.38**

3. Gain/ Loss Statement

(Amount in ₹ million)

Particulars	Amount
Cumulative realized gains (losses arising from sales and liquidations in the reporting period.)	NIL
Total unrealized gains (losses)	NIL
Total latent revaluation gains (losses)	NIL
Any amount of the above included in Tier I and Tier II capital	NIL

4. Capital Requirement for Banking Book

(Amount in ₹ million)

Investments	Treatment under Basel III	Exposure	Risk Weighted Assets	Capital Requirement @10.875%
Subsidiary, Associate and Joint Ventures ,Venture Capital Funds	Risk weighted at 250%	732.71	1831.78	199.21
	Risk weighted at 150%	115.10	172.65	18.78
Other shares of PSU/Corporate, which were in the books of the Bank under HTM category as on 02.09.2004 and as per RBI guidelines, can be retained as such.	NIL	NIL	NIL	NIL

LEVERAGE RATIO DISCLOSURE

Table DF-17 – Summary Comparison of accounting assets vs. leverage ratio exposure measure

Sr. No.	Item	(₹ in millions)
1	Total consolidated assets as per published financial statements	**1645355.32**
2	Adjustments for Investments in Banking, Financial, Insurance and Commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation (Out of 1 above)	**(0.00)**
3	Adjustments for fiduciary assets recognized on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	**0.00**
4	Adjustments for derivative financial instruments	**4038.10**
5	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	**0.00**
6	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off-balance sheet exposures)	**89805.87**
7	Other adjustments	**(30032.91)**
8	**Leverage Ratio Exposure**	**1709166.38**

सारणी डीएफ-18 - लिवरेज अनुपात सामान्य प्रकटन ढांचा		
क्र. सं.	**मद**	**(₹ मिलियन में)**
	तुलनपत्र में शामिल विगोपन	
1	तुलनपत्र में शामिल मदें (व्युत्पन्न एवं एसएफटी को छोड़कर परंतु समर्थक को शामिल करते हुए)	**1624683.01**
2	(बेसल III टीयर 1 पूंजी निर्धारित करने हेतु कटौती की गई आस्तियों की रकम)	**(30032.90)**
3	**तुलनपत्र में शामिल कुल विगोपन** (व्युत्पन्न एवं एसएफटी के अलावा) (पंक्ति क्र. 1 एवं 2 का जोड़)	**1594650.11**
	व्युत्पन्न विगोपन	
4	सभी व्युत्पन्न व्यवहारों से संबद्ध बदली की लागत (यथा पात्र नकद विचलन मार्जिन का निवल)	**1947.60**
5	सभी व्युत्पन्न व्यवहारों से संबद्ध पीएफई की ॲड-ऑन रकम	**2090.50**
6	प्रचालनगत लेखांकन ढांचे के अनुसरण में जहां तुलनपत्र आस्तियों से प्रदत्त व्युत्पन्न समर्थक मदों के सकल जोड़ की कटौती की गई है	**0.00**
7	(व्युत्पन्न व्यवहारों में प्रदान किए गए नकद विचलन मार्जिन हेतु प्राप्य आस्तियों की कटौती)	**0.00**
8	(ग्राहक द्वारा स्पष्ट किए गए व्यापार विगोपनों में सीसीपी का छूट प्राप्त अंश)	**0.00**
9	बट्टे खाते डाले ऋण व्युत्पन्नों की समायोजित प्रभावी अनुमानित रकम	**0.00**
10	(बट्टे खाते डाले ऋण व्युत्पन्नों के समायोजित प्रभावी अनुमानित ऑफ-सेट एवं ॲड-ऑन)	**0.00**
11	**कुल व्युत्पन्न विगोपन (पंक्ति क्र. 4 से 10 का जोड़)**	**4038.10**
	प्रतिभूति वित्तपोषण संव्यवहार विगोपन	
12	विक्री लेखांकन व्यवहारों का समायोजन करने के बाद सकल एसएफटी आस्तियों (निवल जोड़ को मान्यता न देते हुए)	**20672.30**
13	(सकल एसएफटी आस्तियों के नकद देय एवं नकद प्राप्यों की निवल रकम)	**0.00**
14	एसएफटी आस्तियों के लिए सीसीआर विगोपन	**0.00**
15	एजेंट व्यवहार विगोपन	**0.00**
16	**कुल प्रतिभूति वित्तपोषण व्यवहार विगोपन (पंक्ति क्र. 12 से 15 का जोड़)**	**20672.30**
	तुलनपत्र में शामिल न किए गए अन्य विगोपन	
17	तुलनपत्र में शामिल न किए गए विगोपनों की सकल अनुमानित रकम	**226062.48**
18	(ऋण की समकक्ष रकमों में परिवर्तित हेतु समायोजन)	**(136256.61)**
19	**तुलनपत्र में शामिल न की गई मदें (पंक्ति क्र. 17 एवं 18 को जोड़)**	**89805.87**
	पूंजी एवं कुल विगोपन	
20	**टीयर 1 पूंजी**	**71478.38**
21	**कुल विगोपन (पंक्ति क्र. 3, 11, 16 एवं 19 को जोड़)**	**1709166.38**
	लिवरेज अनुपात	
22	**बेसल III लिवरेज अनुपात**	**4.18%**

Table DF-18 – Leverage Ratio Common Disclosure Template		
Sr. No.	**Item**	**(₹ in million)**
	On-Balance Sheet Exposure	
1	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	**1624683.01**
2	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	**(30032.90)**
3	**Total on-balance sheet exposures** (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)	**1594650.11**
	Derivative Exposure	
4	Replacement cost associated with all *derivatives* transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	**1947.60**
5	Add-on amounts for PFE associated with *all* derivatives transactions	**2090.50**
6	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	**0.00**
7	(Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	**0.00**
8	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	**0.00**
9	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	**0.00**
10	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	**0.00**
11	**Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)**	**4038.10**
	Securities Financing Transaction Exposures	
12	Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	**20672.30**
13	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	**0.00**
14	CCR exposure for SFT assets	**0.00**
15	Agent transaction exposures	**0.00**
16	**Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)**	**20672.30**
	Other Off-Balance Sheet Exposure	
17	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	**226062.48**
18	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	**(136256.61)**
19	**Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18)**	**89805.87**
	Capital and total Exposures	
20	**Tier 1 Capital**	**71478.38**
21	**Total Exposures (sum of lines 3,11,16 and 19)**	**1709166.38**
	Leverage Ratio	
22	**Basel III Leverage Ratio**	**4.18%**

तरलता कवरेज अनुपात

(राशि ₹ करोड़ में)

		वित्तीय वर्ष 2018- 2019		वित्तीय वर्ष 2017 - 2018	
		कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियां					
1	कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां (एचक्यूएलएएस)		31366.06		22538.72
नकद बहिर्वाह					
2	रिटेल जमाराशियां और लघु व्यवसाय ग्राहकों से जमाराशिया, जिनमें से :	113293.15	9733.77	110071.86	9423.44
(i)	स्थिर जमाराशियां	31910.82	1595.54	31674.91	1583.75
(ii)	कम स्थिर जमाराशियां	81382.33	8138.23	78396.95	7,839.70
3	अप्रत्याभूत थोक निधियन, जिसमें से :	19343.96	11333.58	21146.07	12331.89
(i)	परिचालनगत जमाराशियां (सभी प्रतिपक्ष)	25.69	6.42	80.31	20.08
(ii)	गैर-परिचालनगत जमाराशियां (सभी प्रतिपक्ष)	19318.27	11327.16	21065.77	12311.81
(iii)	अप्रत्याभूत ऋण	0	0	0	0
4	प्रत्याभूत थोक निधियन	806.41	0	236.85	0
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें से :	10904.95	1253.97	15760.49	1841.35
(i)	डेरिवेटिव विगोपन और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह	0	0	0	0
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधियन की हानि से संबंधित बहिर्वाह	0	0	0	0
(iii)	ऋण और तरलता उत्पाद	10904.95	1253.97	15760.49	1841.35
6	अन्य संविदात्मक निधियन दायित्व	74.94	74.94	261.87	261.87
7	अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व	15063.76	539.64	13330.16	426.21
8	**कुल नकद बहिर्वाह**		**22,935.90**		**24284.76**
नकद अंतर्वाह					
9	प्रत्याभूत उधारी (उदाहरणार्थ - प्रति रेपो)	5342.42	0.00	9,079.50	0.00
10	संपूर्ण कार्यनिष्पादक विगोपन से अंतर्वाह	5216.31	4239.11	12918.05	12150.28
11	अन्य नकद अंतर्वाह	1877.41	1,718.70	1852.22	1746.12
12	**कुल नकद अंतर्वाह**	**12436.14**	**5957.81**	**23849.77**	**13896.4**
		कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य	
21	**कुल एचक्यूएलए**		31366.06		22538.72
22	**कुल निवल नकद बहिर्वाह**		16978.09		10388.36
23	**तरलता कवरेज अनुपात (%)**		**184.74%**		**216.96%**

LIQUIDITY COVERAGE RATIO

(Amount ₹ in crore)

		FY 2018- 2019		FY 2017- 2018	
		Total Unweighted Value (average)	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value (average)	Total Weighted Value (average)
High quality Liquid assets					
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLAs)		31366.06		22538.72
Cash outflows					
2	Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	113293.15	9733.77	110071.86	9423.44
(i)	Stable deposits	31910.82	1595.54	31674.91	1583.75
(ii)	Less stable deposits	81382.33	8138.23	78396.95	7839.70
3	Unsecure wholesale funding, of which:	19343.96	11333.58	21146.07	12331.89
(i)	Operational deposits (all counterparties)	25.69	6.42	80.31	20.08
(ii)	Non operational deposits (all counterparties)	19318.27	11327.16	21065.77	12311.81
(iii)	Unsecured debt	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Secured wholesale funding	806.41	0.00	236.85	0.00
5	Additional requirements, of which:	10904.95	1253.97	15760.49	1841.35
(i)	*Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements*	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	*Outflows related to loss of funding on debt products*	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	*Credit and liquidity products*	10904.95	1253.97	15760.49	1841.35
6	Other contractual funding obligations	74.94	74.94	261.87	261.87
7	Other contingent funding obligtations	15063.76	539.64	13330.16	426.21
8	**Total Cash Outflows**		**22935.90**		**24284.76**
Cash inflows					
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	5342.42	0.00	9079.50	0.00
10	Inflows from fully performing exposures	5216.31	4239.11	12918.05	12150.28
11	Other cash inflows	1877.41	1718.70	1852.22	1746.12
12	**Total Cash Inflows**	**12436.14**	**5957.81**	**23849.77**	**13896.40**
			Total Adjusted Value		Total Adjusted Value
21	**Total HQLA**		31366.06		22538.72
22	**Total Net Cash Outflows**		16978.09		10388.36
23	**Liquidity Coverage Ratio (%)**		**184.74%**		**216.96%**

तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक में भाररहित उच्च-गुणवत्ता की तरल आस्तियों (एचक्यूएसए) का पर्याप्त स्टॉक है, जो कि तरलता अनुपात परिदृश्य में 30 कैलेण्डर दिनों की समय सीमा के लिए अपनी तरलता आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसे तत्काल और सरलता से नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है।

एलसीआर का परिकलन 30 कैलेण्डर दिनों की दबावग्रस्त अवधि पर अनुमानित निवल बहिर्वाह द्वारा भाररहित उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियों (एचक्यूएसए) की की राशि को विभाजित किया जाता है। निवल नकद बहिर्वाह का परिकलन देयताओं की विभिन्न श्रेणियों (जमाराशियों, प्रत्याभूत व गैरप्रत्याभूत थोक उधारियां) के साथ ही 30 दिनों के भीतर परिपक्व होने वाली आस्तियों से होने वाले अंतर्वाह द्वारा समायोजित अनाहरित प्रतिबद्धताओं और व्युत्पन्न संबंधित विगोपनों हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट बहिर्वाह घटकों को लागू कर किया जाता है।

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए दैनिक आधार पर औसत एलसीआर 184.74% है, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 100.00% की न्यूनतम आवश्यकता से अधिक है।

The Liquidity Coverage Ratio (LCR) aims to ensure that a bank has an adequate stock of unencumbered High-Quality Liquid Assets (HQLA) that can be converted into cash easily and immediately to meet its liquidity needs for a 30 calendar day liquidity stress scenario.

The LCR is calculated by dividing the amount of High Quality Liquid unencumbered Assets (HQLA) by the estimated net outflows over a stressed 30 calendar day period. The net cash outflows are calculated by applying RBI prescribed outflow factors to the various categories of liabilities (deposits, unsecured and secured wholesale borrowings), as well as to undrawn commitments and derivative-related exposures, netted by inflows from assets maturing within 30 days.

Average LCR on a daily basis for the year ended 31st March 2019 is 184.74%, above RBI prescribed minimum requirement of 100.00%.

31मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलनपत्र
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2019

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2019 (Current Year)	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March 2018 (Previous Year)
पूंजी एवं दायित्व CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी Capital	1	**2753,17,14**	2598,45,44
आरक्षितियां और अधिशेष Reserves & Surplus	2	**3129,91,00**	7468,51,96
जमाराशियां Deposits	3	**140636,22,85**	138966,60,84
उधारियां Borrowings	4	**10149,17,14**	4063,71,48
अन्य देयताएं एवं प्रावधान Other Liabilities & Provisions	5	**8007,98,95**	3351,26,78
जोड़ TOTAL		**164676,47,07**	**156448,56,51**
आस्तियां ASSETS			
नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में शेष Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	**7919,98,72**	15809,06,35
बैंकों में शेष, मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Balances with Banks, Money at call & short notice	7	**1234,96,79**	74,95,09
निवेश Investments	8	**59837,27,45**	43742,47,49
अग्रिम Advances	9	**82666,21,11**	85797,27,75
स्थिर आस्तियां Fixed Assets	10	**1775,53,01**	1516,68,42
अन्य आस्तियां Other Assets	11	**11242,49,99**	9508,11,40
जोड़ TOTAL		**164676,47,07**	**156448,56,51**
आकस्मिक देयताएं Contingent Liabilities	12	**27054,53,73**	23584,23,91
वसूली हेतु बिल Bills for Collection		**4390,31,12**	4196,85,28
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां Significant accounting policies	17		
खातों पर टिप्पणियां Notes on Accounts	18		

अनुसूचियां 1 से 18 खातों का अभिन्न भाग हैं.
The Schedules 1 to 18 form an integral part of the Accounts.

डॉ. अर्चना आर. धोलकिया
निदेशक
Dr. ARCHANA R. DHOLAKIA
Director

आर. तामोधरन
निदेशक
R. THAMODHARAN
Director

वंदिता कौल
निदेशक
VANDITA KAUL
Director

दीनदयाल अग्रवाल
निदेशक
DEENDAYAL AGRAWAL
Director

जी. श्रीकुमार
निदेशक
G. SREEKUMAR
Director

हेमन्त टम्टा
कार्यपालक निदेशक
HEMANT TAMTA
EXECUTIVE DIRECTOR

ए. सी. राउत
कार्यपालक निदेशक
A.C. ROUT
EXECUTIVE DIRECTOR

ए. एस. राजीव
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
A.S. RAJEEV
MANAGING DIRECTOR & CEO

एल. डी. कौंडण्य
सहायक महाप्रबंधक, वि. प्र. व लेखा
L. D. KAUNDANYA
Asst.Gen. Manager, FM&A

वी. पी. श्रीवास्तव
सीएफओ एवं महाप्रबंधक, वि. प्र. व लेखा
V. P. SRIVASTAVA
CFO & General Manager, FM&A

स्थान : पुणे
दिनांक : 29 अप्रैल, 2019

Place : Pune
Date : 29th April, 2019

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि खाता
CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2019

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31st March 2019 (Current Year)	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year ended 31st March 2018 (Previous Year)
I. आय INCOME			
अर्जित ब्याज Interest earned	13	**10849,68,78**	11096,42,54
सहयोगी संस्थाओं में आय/हानि का हिस्सा Share of earnings/ loss in Associates		**19,80,14**	32,85,43
अन्य आय Other Income	14	**1548,42,58**	1506,87,67
जोड़ TOTAL		**12417,91,50**	12636,15,64
II. व्यय EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज Interest expended	15	**7115,15,22**	7705,77,39
परिचालन व्यय Operating Expenses	16	**3084,17,94**	2705,11,18
प्रावधान और आकस्मिकताएं Provisions & contingencies		**6981,83,08**	3337,29,87
जोड़ TOTAL		**17181,16,24**	13748,18,44
लाभ/हानि PROFIT/LOSS			
वर्ष के लिए समेकित निवल लाभ Consolidated Net Profit for the year		**-4763,24,74**	-1112,02,80
जोड़ें : आगे लाया गया लाभ Add: Profit brought forward		**-2479,96,09**	-1361,92,07
जोड़ें : निवेश आरक्षिति से आहरण Add: Drawing from Investment Reserve		**-**	20,48,15
जोड़ TOTAL		**-7243,20,83**	**-2453,46,72**
विनियोग APPROPRIATIONS			
सांविधिक आरक्षिति को अंतरण Transfer to Statutory Reserve		-	-
पूंजी आरक्षिति को अंतरण Transfer to Capital Reserve		**32,75,72**	26,49,37
राजस्व आरक्षिति को अंतरण Transfer to Revenue Reserve		-	-
विशेष आरक्षिति को अंतरण Transfer to Special Reserve		-	-
निवेश आरक्षिति को अंतरण Transfer to Investment Reserve		-	-
लाभांश पर कर Tax on Dividend		-	-
लाभांश पर कर (अनुषंगी) Tax on Dividend (Subsidary)		-	-
शेष को तुलनपत्र में आगे ले जाया गया Balance carried over to Balance Sheet		**-7275,96,55**	-2479,96,09
जोड़ TOTAL		**-7243,20,83**	**-2453,46,72**
प्रति शेयर अर्जन (मूल व डाईल्यूटेड) (₹) Earning per share (Basic & Diluted) (₹)		**-14.19**	-8.72

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां लाभ / हानि खाते के अभिन्न भाग हैं
The Schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account

कृते पी पारिख एंड एसोसिएट्स एफआरएन: 107564डब्ल्यू सनदी लेखाकार **For P Parikh & Associates** FRN:107564W Chartered Accountants	**कृते एम डी गुजराती एंड कंपनी** एफआरएन: 005301एन सनदी लेखाकार **For M D Gujrati & Co** FRN: 005301N Chartered Accountants	**कृते पी जी भागवत** एफआरएन: 101118डब्ल्यू सनदी लेखाकार **For P G Bhagwat** FRN: 101118W Chartered Accountants	**कृते के गोपाल राव एंड कंपनी** एफआरएन: 000956एस सनदी लेखाकार **For K Gopal Rao & Co.** FRN: 000956S Chartered Accountants
सीए जितेश जैन भागीदार सदस्यता क्र. 114920 **CA Jitesh Jain** Parther Membership No. 114920	**सीए मनोहर दास गुजराती** भागीदार सदस्यता क्र. 081552 **CA Manohar Das Gujrati** Parther Membership No. 081552	**सीए नचिकेत देव** भागीदार सदस्यता क्र. 117695 **CA Nachiket Deo** Parther Membership No. 117695	**सीए के गोपाल राव** भागीदार सदस्यता क्र. 018230 **CA K Gopal Rao** Parther Membership No. 018230

स्थान : पुणे Place : Pune
दिनांक : 29 अप्रैल, 2019 Date : 29th April, 2019

अनुसूची -1 : पूंजी
SCHEDULE- 1 :CAPITAL

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2019 (Current Year)		31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2018 (Previous Year)	
प्राधिकृत पूंजी Authorised Capital		**4000,00,00**		3000,00,00
400,00,00,000 Equity Shares (Previous year 300,00,00,000) of Rs. 10/- each				
जारी व अभिदत्त Issued & Subscribed				
275,31,71,388 Equity Shares (Previous year 259,84,54,407) of Rs.10/- each				
प्रारंभिक शेष Opening Balance	**2598,45,44**		1168,33,37	
वर्ष के दौरान वृद्धि Additions during the year	**154,71,70**	**2753,17,14**	1430,12,07	2598,45,44
प्रदत्त पूंजी Paid Up Capital				
क. केंद्र सरकार द्वारा धारित a. Held by Central Government 241,56,40,414 (Previous year 226,09,23,433) Equity shares of Rs.10/- each	**2415,64,04**		2260,92,34	
ख. जनता व अन्य द्वारा धारित b. Held by the Public & Others 33,75,30,974 (Previous year 33,75,30,974) Equity Shares of Rs.10/- each	**337,53,10**		337,53,10	
घटाएं : देय आबंटन राशि Less: Allotment money due	**-**		-	
		2753,17,14		2598,45,44
जोड़ TOTAL		**2753,17,14**		2598,45,44

अनुसूची - 2 : आरक्षितियां और अधिशेष
SCHEDULE - 2 : RESERVES AND SURPLUS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2019 (Current Year)		31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2018 (Previous Year)	
I. सांविधिक आरक्षिति STATUTORY RESERVE				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	**1272,21,48**		1272,21,48	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	-	**1272,21,48**	-	1272,21,48
II. पूंजीगत आरक्षिति CAPITAL RESERVE				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	**330,63,98**		304,14,61	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	**32,75,72**		26,49,37	
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	-	**363,39,70**	-	330,63,98
III. शेयर प्रीमियम SHARE PREMIUM				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	**5293,71,60**		2937,28,24	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	**50,28,29**	**5343,99,89**	2356,43,36	5293,71,60
IV. राजस्व व अन्य आरक्षितियां REVENUE AND OTHER RESERVES				
क) राजस्व आरक्षिति a) REVENUE RESERVE				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	**1423,91,85**		1423,91,85	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	131,24,22		-	
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	-	**1555,16,07**	-	1423,91,85

	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2019 (Current Year)		31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2018 (Previous Year)	
ख) **विशेष आरक्षितियां** b) SPECIAL RESERVE				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	**498,00,00**		498,00,00	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	-	**498,00,00**	-	498,00,00
ग) **पुनर्मूल्यन आरक्षितियां** c) REVALUATION RESERVE				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	**1129,99,14**		1206,45,94	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	374,35,49		-	
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	**131,24,22**	**1373,10,41**	76,46,80	1129,99,14
घ) **निवेश आरक्षिति खाता** d) INVESTMENT RESERVE ACCOUNT				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	**-**		20,48,15	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	-		-	
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	**-**	**-**	20,48,15	-
V. **लाभ व हानि खाते में शेष BALANCE IN PROFIT AND LOSS ACCOUNT**	**-7275,96,55**	**-7275,96,55**	-2479,96,09	-2479,96,09
जोड़ TOTAL (I, II, III, IV & V)		**3129,91,00**		7468,51,96

अनुसूची - 3 : जमाराशियां
SCHEDULE - 3 : DEPOSITS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2019 (Current Year)		31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2018 (Previous Year)	
क **A.** **मांग जमाराशियां DEMAND DEPOSITS**				
i) बैंकों से From Banks	**110,68,73**		203,15,70	
ii) अन्यों से From others	**13051,79,01**	**13162,47,74**	11548,66,00	11751,81,70
II. **बचत बैंक जमाराशियां SAVINGS BANK DEPOSITS**		**56666,83,66**		54592,13,82
III. **मीयादी जमाराशियां TERM DEPOSITS**				
i) बैंकों से From Banks	**106,99,05**		1130,83,91	
ii) अन्यों से From others	**70699,92,40**	**70806,91,45**	71491,81,41	72622,65,32
जोड़ TOTAL (I, II & III)		**140636,22,85**		138966,60,84
ख B. (i) भारत में सहायक कंपनियों की जमाराशियां, विदेशी कार्यालयों सहित, यदि कोई हाे Deposits of subsidiaries in India including foreign offices, if any		-		-
(ii) भारत के बाहर की सहायक कंपनियों की जमाराशियां, भारतीय कार्यालयों सहित, यदि कोई हाे Deposits of subsidiaries outside India including Indian offices, if any		-		-
(iii) मूल कंपनी की जमाराशियां Deposits of Parent		**140636,22,85**		138966,60,84
जोड़ TOTAL (i, ii & iii)		**140636,22,85**		138966,60,84
ग.C. (i) मूल कंपनी की भारत में जमाराशियां Deposits of parent in India		**140636,22,85**		138966,60,84
(ii) भारत में सहायक कंपनियों की जमाराशियां Deposits of subsidiaries in India		-		-
(iii) भारत में कुल जमाराशियां Total Deposits in India (i + ii)		**140636,22,85**		138966,60,84
(iv) मूल कंपनी की भारत से बाहर जमाराशियां Deposits of parent outside India		-		-
(v) सहयोगी कंपनियों की भारत से बाहर जमाराशियां Deposits of subsidiaries outside India		-		-
(vi) भारत से बाहर कुल जमाराशियां Total Deposits outside India (iv + v)		-		-
जोड़ TOTAL (III & VI)		-		-
जोड़ TOTAL (C iii + C vi)		**140636,22,85**		138966,60,84

अनुसूची - 4 : उधारियां
SCHEDULE - 4 : BORROWINGS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2019 (Current Year)		31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2018 (Previous Year)	
I.	**भारत में उधारियां BORROWINGS IN INDIA**				
	i) भारतीय रिजर्व बैंक से Reserve Bank Of India	**1500,00,00**		-	
	ii) अन्य बैंकों से Other Banks	**-**		-	
	iii) अन्य संस्थानों और एजेंसियों से Other Institutions and Agencies	**5513,78,46**		715,40,87	
	iv) डिबेंचर Debenture	**-**		-	
	v) अन्य उधारियां Other Borrowings				
	क) a) नवोन्मेष बेमीयादी ऋण लिखतें (आईपीडीआई) Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	**70,00,00**		70,00,00	
	ख) b) बांड के रूप में जारी संमिश्र ऋण पूंजी लिखतें Hybrid Debt Capital Instruments issued as Bonds	**400,00,00**		400,00,00	
	ग) c) गौण ऋण बांड Subordinated Debt Bonds	**1630,00,00**		1830,00,00	
	घ) d) इंफ्रा बांड Infra Bonds	**1000,00,00**	**10113,78,46**	1000,00,00	4015,40,87
II.	भारत के बाहर उधारियां **BORROWINGS OUTSIDE INDIA**		**35,38,68**		48,30,61
	जोड़ TOTAL (I & II)		**10149,17,14**		4063,71,48
III.	उपर्युक्त I व II में जमानती उधारियां शामिल हैं. **SECURED BORROWINGS INCLUDED IN I & II ABOVE**		**6781,11,42**		-

अनुसूची - 5 : अन्य देयताएं और प्रावधान
SCHEDULE - 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2019 (Current Year)		31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2018 (Previous Year)	
I.	देय बिल Bills Payable		**416,59,84**		498,90,27
II.	अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-office adjustments (net)				
	क मूल कंपनी Parent Company		**432,87,65**		-
	ख सहायक कंपनी Subsidiary		**-**		-
III.	अंतर समूह समायोजन (निवल) Inter group adjustment (net)		**-**		-
IV.	उपचित ब्याज Interest Accrued		**307,60,34**		188,77,02
V.	अन्य (प्रावधान सहित): Others (including provisions):				
	i) मानक आस्तियों पर प्रावधान Provision against standard assets	**623,10,68**		549,85,02	
	ii) अन्य देयताएं (प्रावधान सहित) Other liabilities (including provisions)	**6227,80,44**	**6850,91,12**	2113,74,46	2663,59,48
	जोड़ TOTAL		**8007,98,95**		3351,26,78

अनुसूची - 6 : नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में अधिशेष
SCHEDULE - 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2019 (Current Year)		31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2018 (Previous Year)	
I.	हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट शामिल है) Cash in hand (including foreign currency notes)		**699,14,34**		764,39,73
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक में अधिशेष Balances with Reserve Bank of India				
	i) चालू खातों में In Current Accounts	**6310,84,38**		6644,66,62	
	ii) अन्य खातों में In other Accounts	**910,00,00**	**7220,84,38**	8400,00,00	15044,66,62
	जोड़ TOTAL (I & II)		**7919,98,72**		15809,06,35

अनुसूची - 7 : बैंको में शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य धन
SCHEDULE - 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2019 (Current Year)		31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2018 (Previous Year)	
I.	भारत में In India				
	i) बैंकों में अधिशेष Balances with Banks in				
	(क) चालू खातों में				
	(a) Current Accounts	**15,04,25**		11,60,10	
	(ख) अन्य जमा खातों में				
	(b) Other Deposit Accounts	**15,18,56**	**30,22,81**	15,18,56	26,78,66
	ii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Money at call and short notice				
	(क) बैंकों के पास				
	(a) With Banks	**-**		-	
	(ख) अन्य संस्थानों के पास				
	(b) With Other Institutions	**1157,23,03**	1157,23,03	-	-
	जोड़ TOTAL (i & ii)		**1187,45,84**		26,78,66
II.	भारत के बाहर Outside India				
	बैंकों में अधिशेष Balances with Banks in				
	(क) चालू खातों में				
	(a) Current Accounts	**-**		-	
	(ख) अन्य जमा खातों में				
	(b) Other Deposit Accounts	**47,50,95**		48,16,43	
	(ग) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन				
	(c) Money at Call & Short Notice	**-**	**47,50,95**	-	48,16,43
	जोड़ TOTAL		**47,50,95**		48,16,43
	कुल जोड़ GRAND TOTAL (I & II)		**1234,96,79**		74,95,09

अनुसूची - 8 : निवेश
SCHEDULE - 8 : INVESTMENTS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2019 (Current Year)		31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2018 (Previous Year)	
I. **भारत में निवेश** Investments in India in				
क) सरकारी प्रतिभूतियां (खजाना बिल व जीरो कूपन बांडों सहित) a) Government Securities (inclusive of treasury bills & zero coupon bonds)		**42413,04,84**		38108,94,50
ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां b) Other approved securities		**-**		-
ग) शेयर्स c) Shares		**263,95,75**		356,80,21
घ) डिबेंचर्स और बांड d) Debentures and Bonds		**2444,98,67**		1909,99,18
ङ) सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश (₹ 231822 की साख सहित, गत वर्ष ₹ 231822) e) Investment in Associates (Including Goodwill of ₹ 231822, previous year ₹ 231822)		**212,65,67**		192,85,53
च) अन्य f) Others				
i) यूटीआई / म्युच्युअल फंडों के यूनिट Units of U T I/ Mutual funds	**390,04,59**		275,88,69	
ii) जमा प्रमाणपत्र Certificate of Deposits	**14073,23,60**		2611,48,61	
iii) वाणिज्यिक प्रपत्र Commercial Papers	**39,34,33**		286,50,77	
iv) पीटीसी PTCs	**-**		-	
v) अन्य Others	**-**	**14502,62,52**	-	3173,88,07
जोड़ TOTAL		**59837,27,45**		43742,47,49
II. **भारत से बाहर निवेश** Investments outside India				
i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकारियों सहित) Govt. Securities (including Local Authorities)		**-**		-
ii) सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश Investment in Associates		**-**		-
iii) अन्य निवेश (स्पष्ट करें) Other Investment (to be specified)		**-**		-
जोड़ TOTAL		**-**		-
कुल जोड़ (I व II) GRAND TOTAL (I & II)		**59837,27,45**		43742,47,49
III **भारत में सकल निवेश** Investments in India				
i) निवेशों का सकल मूल्य Gross Value of Investments		**60303,90,78**		44282,53,50
ii) मूल्य-ह्रास हेतु प्रावधानों का जोड Aggregate of Provisions for Depreciation		**466,63,33**		540,06,01
iii) निवल निवेश (i-ii) Net Investment (i-ii)		**59837,27,45**		43742,47,49
निवेशों के विवरण Details of Investments:				
i) सहयोगी प्रतिष्ठानों में निवेश Investment in Associates		**212,65,67**		192,85,53
ii) अन्य निवेश Other Investments		**59624,61,78**		43549,61,96
जोड़ (i व ii) TOTAL (i & ii)		**59837,27,45**		43742,47,49

अनुसूची - 9 : अग्रिम
SCHEDULE - 9 : ADVANCES

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2019 (Current Year)		31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2018 (Previous Year)	
क A.	i) बट्टाकृत व खरीदे गए बिल Bills purchased and discounted	610,24,20		534,35,91	
	ii) नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय ऋण Cash Credits, Overdrafts & Loans repayable on demand	41155,34,62		39857,84,48	
	iii) मीयादी ऋण Term Loans	40900,62,29		45405,07,36	
	iv) प्राप्य लीज Lease Receivable	-	82666,21,11	-	85797,27,75
	जोड़ TOTAL		82666,21,11		85797,27,75
ख B.	i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण पर अग्रिमें सहित) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debts)	72556,48,11		80257,35,70	
	ii) बैंक / सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा संरक्षित Covered by Bank/Government Guarantees	5,22,33		2,34,71	
	iii) असंरक्षित Unsecured	10104,50,67	82666,21,11	5537,57,34	85797,27,75
	जोड़ TOTAL		82666,21,11		85797,27,75
ग C.	I. भारत में अग्रिम Advances in India				
	i) प्राथमिकता क्षेत्र Priority Sector	33173,96,10		34882,77,74	
	ii) सार्वजनिक क्षेत्र Public Sector	7520,95,76		4723,79,78	
	iii) बैंक Banks	8,97,45		56,31	
	iv) अन्य Others	41962,31,80	82666,21,11	46190,13,92	85797,27,75
	II. भारत से बाहर अग्रिम Advances outside India				
	i) बैंकों से देय Due from banks	-		-	
	ii) अन्यों से देय Due from others	-		-	
	iii) बट्टाकृत व खरीदे गए बिल Bills purchased and discounted	-		-	
	iv) संघीय ऋण Syndicated Loans	-		-	
	v) अन्य Others	-	-	-	-
	जोड़ TOTAL (C.I & C.II)		82666,21,11		85797,27,75

अनुसूची - 10 : स्थिर आस्तियां
SCHEDULE - 10 : FIXED ASSETS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2019 (Current Year)		31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2018 (Previous Year)	
I	**परिसर Premises**		-		
	1. विगत वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर (कुछ परिसरों के पुनर्मूल्यांकन के कारण हुई कीमत में वृद्धि शामिल है) At cost as on 31st March of the preceding year (includes increase in the value on account of revaluation of certain premises)	1561,29,97		1562,01,55	
	2. वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the Period	23,91		-	
	3. वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यन के कारण वृद्धि Addition on account of revaluation during the year	1504,34,63		-	
		3065,88,51		1562,01,55	
	4. वर्ष के दौरान कमी Deduction during the Period	1401,91,40		71,58	
		1663,97,11		1561,29,97	
	5 अद्यतन मूल्य-हास Depreciation to date	201,55,30	1462,41,81	338,79,60	1222,50,37

II	प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य Capital Work in progress		34,38,07		30,07,39
III	अन्य स्थिर आस्तियां (फर्निचर व फिक्स्चर सहित) Other Fixed Assets (including furniture and fixtures)				
	1. विगत वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	1226,44,55		1116,28,48	
	2. वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the Period	128,19,31		131,68,99	
		1354,63,86		1247,97,47	
	3. वर्ष के दौरान कमी Deduction during the Period	25,57,56		21,52,92	
		1329,06,30		1226,44,55	
	4 अद्यतन मूल्य-ह्रास Depreciation to date	1050,33,17	278,73,13	962,33,89	264,10,65
	जोड़ TOTAL (I & II)		1775,53,01		1516,68,42

अनुसूची - 11 : अन्य आस्तियां
SCHEDULE - 11 : OTHER ASSETS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2019 (Current Year)	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2018 (Previous Year)
I.	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-office adjustments (net)		
	क a. मूल कंपनी Parent Company	-	340,39,03
	ख b. सहायक कंपनी Subsidiaries Company		
II	उपचित ब्याज Interest accrued	1111,34,92	937,59,39
III.	अग्रिम रूप से प्रदत्त कर / स्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/tax deducted at source	1168,80,70	1518,04,65
IV.	लेखन सामग्री और स्टांप Stationery and Stamps	2,96,27	3,70,52
V.	दावों के निपटान हेतु अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियां Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	-	-
VI.	अन्य * Others *(incl RIDF)	8959,38,10	6708,37,81
	जोड़ TOTAL (I, II, III, IV, V & VI)	11242,49,99	9508,11,40

*आस्थगित कर, यदि कोई हो, सहित.
*includes deferred tax if any.

अनुसूची - 12 : आकस्मिक देयताएं
SCHEDULE - 12 : CONTINGENT LIABILITIES

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2019 (Current Year)		31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2018 (Previous Year)	
I.	बैंक के विरूद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है. Claims against the Bank not acknowledged as debts		1559,63,83		1387,43,77
II.	आंशिक संदत्त निवेशों के लिए दायित्व Liability for partly paid investments		-		-
III.	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत दायित्व Liability on account of outstanding forward exchange contracts*		15016,28,24		9781,97,60
IV.	संघटकों की ओर से दी गई प्रतिभूतियां Guarantees given on behalf of constituents				
	(क) भारत में (a) In India	8664,26,39		8837,63,70	
	(ख) भारत के बाहर (b) Outside India	100,75,40	8765,01,79	546,63,27	9384,26,97
V.	स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं Acceptances, endorsements and obligations		1456,56,65		2705,92,47
VI.	अन्य बाध्यताएं जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी है. Other items for which Bank is contigently liable		257,03,22		324,63,40
	जोड़ TOTAL (I, II, III, IV, V & VI)		27054,53,73		23584,23,91

* वायदा विनिमय संविदाओं के संबंध में आकस्मिक देयताओं में बिक्री व खरीद दोनों प्रकार की संविदाएं शामिल हैं.
* Contingent liabilities in respect of forward exchange contracts include both sale and purchase contracts

अनुसूची - 13 : अर्जित ब्याज
SCHEDULE - 13 : INTEREST EARNED

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31st March 2019 (Current Year)		31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year ended 31st March 2018 (Previous Year)	
I.	अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा Interest/Discount on Advances/Bills		**6566,64,36**		7072,70,61
II.	निवेशों पर ब्याज Interest on Investments	**3794,62,04**		3069,38,04	
	घटाएं - निवेशों का परिशोधन Less - Amortisation of Investments	**104,92,67**	**3689,69,37**	106,95,63	2962,42,41
III.	भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India & other inter bank funds		**356,42,07**		589,67,93
IV	अन्य Others		**236,92,98**		471,61,59
	जोड़ TOTAL (I, II, III & IV)		**10849,68,78**		**11096,42,54**

अनुसूची - 14 : अन्य आय
SCHEDULE - 14 : OTHER INCOME

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31st March 2019 (Current Year)		31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year ended 31st March 2018 (Previous Year)	
I.	कमीशन विनिमय और दलाली Commission, exchange, and brokerage		**785,63,29**		766,88,79
II.	निवेशों के विक्रय पर लाभ Profit on sale of investments	**276,87,27**		416,08,88	
	घटाएं : निवेशों के विक्रय पर हानि Less : Loss on sale of Investments	**18,13,45**	**258,73,82**	7,45,03	408,63,85
III.	निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ Profit on revaluation of Investments	**-**		-	
	घटाएं : निवेशों के पुनर्मूल्यन पर हानि Less: Loss on revaluation of Investments	**-**	**-**	-	-
IV.	भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ Profit on sale of land, buildings and other assets	**1,81,08**		3,20,33	
	घटाएं : भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि Less : Loss on sale of land,buildings and other assets	**1,88,04**	**6,96**	1,98,51	1,21,82
V.	विनिमय संव्यवहारों पर लाभ Profit on Exchange Transactions	**131,81,34**		110,05,09	
	घटाएं : विनिमय संव्यवहारों पर हानि Less: Loss on Exchange Transactions	1	**131,81,33**	-	110,05,09
VI.	भारत / विदेशों में स्थित संयुक्त उद्यमों / सहायक कंपनियों इत्यादि से लाभांशों के रूप में अर्जित आय Income earned by way of dividends etc. from subsidiaries/ companies and/or Joint Ventures abroad/in India		**1,52,41**		4,10,13
VII.	विविध आय Miscellaneous Income		**370,78,69**		215,97,99
	जोड़ TOTAL (I, II, III, IV, V, VI & VII)		**1548,42,58**		1506,87,67

अनुसूची - 15 : व्यय किया गया ब्याज
SCHEDULE - 15 : INTEREST EXPENDED

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31st March 2019 (Current Year)	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year ended 31st March 2018 (Previous Year)
I.	जमाराशियों पर ब्याज Interest on deposits	**6749,97,18**	7132,26,81
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधारियों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India / inter-bank borrowings	**29,57,25**	11,48,75
III.	अन्य Others	**335,60,79**	562,01,83
	जोड़ TOTAL (I, II & III)	**7115,15,22**	7705,77,39

अनुसूची - 16 : परिचालन व्यय
SCHEDULE - 16 : OPERATING EXPENSES

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31st March 2019 (Current Year)	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year ended 31st March 2018 (Previous Year)
I.	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	**1794,77,93**	1618,61,13
II.	किराया, कर और बिजली Rent,taxes and lighting	**207,02,51**	201,57,35
III.	मुद्रण और लेखन सामग्री Printing and stationery	**17,50,25**	18,26,95
IV.	विज्ञापन और प्रचार Advertisement and publicity	**15,10,01**	13,39,84
V.	बैंक की संपत्ति पर मूल्य-ह्रास (वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए मूल्य-ह्रास घटाकर पुनर्मूल्यन आरक्षिति को अंतरित) Depreciation on Bank's property (Net of depreciation transferred to Revaluation Reserve for FY 2017-18)	**241,37,33**	128,59,71
VI.	निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय Directors' fees, allowances and expenses	**62,75**	54,03
VII.	लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (इसमें शाखा लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय शामिल हैं) Auditors' fees and expenses (incl. branch auditors' fees and expenses)	**19,06,09**	15,69,96
VIII	विधि प्रभार Law Charges	**22,82,55**	17,87,95
IX	डाक, तार और टेलीफोन आदि Postage, Telegrams, Telephones, etc.	**46,29,53**	40,65,40
X	मरम्मत और अनुरक्षण Repairs and maintenance	**133,14,13**	106,66,77
XI	बीमा Insurance	**135,47,30**	134,84,62
XII	अन्य व्यय Other expenditure	**450,97,56**	408,37,47
	जोड़ TOTAL (I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI & XII)	**3084,17,94**	2705,11,18

अनुसूची 17- महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

(31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित लेखों के साथ संलग्न और उसका भाग)

1. **वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार :**

1.1 ऐसे स्थानों को छोड़कर जहां अन्यथा उल्लेख हो संलग्न समेकित वित्तीय विवरण पूर्व लागत प्रथाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं और यह सामान्यतः अनुमोदित लेखा सिद्धान्तों (जीएएपी) जिसमें सांविधिक प्रावधानों और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाओं, विनियामक/ भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों/ दिशानिर्देश टिप्पणियों का समावेश है।

1.2 **अनुमान का उपयोग**

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन को यह अपेक्षित है कि रिपोर्टाधीन अवधि हेतु आय और व्यय की रिपोर्ट तथा वित्तीय विवरणों के दिनांक को आस्ति और देयताएं (समाश्रित दायित्व सहित) की रिपोर्ट की गई राशि में प्राक्कलन और धारणाओं पर विचार किया जाए। प्रबंधन का यह विचार है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन विवेकपूर्ण और तर्कसंगत है। भविष्य के परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखा अनुमान में किसी संशोधन की पहचान भविष्यलक्षी प्रभाव से की जाएगी जबतक कि अन्यथा का उल्लेख न हो।.

1.3 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 21 - "समेकित वित्तीय विवरण" और लेखा मानक 23- "समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश हेतु लेखांकन" के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार किये गये हैं।

1.4 ऐसे स्थानों को छोड़कर जिनका उल्लेख परिच्छेद 7.1 में किया गया है, राजस्व और लागत को उपचय आधार पर लेखाबध्द किया गया है।

1.5 बैंकिंग व्यवसाय के संदर्भ में राजस्व अभिनिर्धारण, निवेशों व अग्रिमों से संबंधित लेखा नीतियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित विवेकपूर्ण लेखा मानदंडों के अनुसार हैं।

1.6 समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करने में सहायक और सहयोगी प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2019 के अनुसार बनाये गये हैं।

2. **समेकन के सिद्धांत**

क) **मूल इकाई** : वित्तीय विवरण बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मूल इकाई और इसके सहायक प्रतिष्ठान सहित इसके अनुषंगियों को शामिल कर निम्नानुसार समेकित किए गए हैं।

ख) **संबद्ध इकाई** : लेखा मानक 21 - "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुसार निम्नलिखित सहायक प्रतिष्ठान को समेकन में शामिल किया गया है।

कंपनी का नाम	देश/आवास	संबंध	स्वामित्व हित
दी महाराष्ट्र एक्जिक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि. (अब मेटको के रुप में निर्दिष्ट)	भारत	पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी	100 %

लेखा मानक 23 - समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश हेतु लेखांकन " के अनुसार इक्विटी पद्धति से निम्नलिखित सहायक प्रतिष्ठान का लेखांकन किया गया है.

कंपनी का नाम	देश/आवास	संबंध	मालिकाना हित
महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा प्रायोजित)	भारत	सहायक उद्यम	35 %

SCHEDULE 17 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

(ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE CONSOLIDATED ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2019.)

1. **Basis of Preparation of Financial Statements:**

1.1 The financial statements are prepared under the historical cost conventions except as otherwise stated and conform to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) which include statutory provisions, practices prevailing within the Banking Industry in India, the regulatory/ Reserve Bank of India ("RBI") guidelines, applicable Accounting Standards/ Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

1.2 **Use of Estimates**

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of the date of financial statements and reported income and expenses for the period under report. Management is of the view that the estimates used in the preparation of financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates. Any revisions to the accounting estimates shall be recognized prospectively unless otherwise stated.

1.3 The Consolidated Financial Statements have been prepared in accordance with Accounting Standard 21 – "Consolidated Financial Statements" and Accounting Standard 23 – "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements", issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

1.4 Revenue and costs are accounted for on accrual basis except as stated in para 7.1 below.

1.5 The accounting policies with regard to Revenue Recognition, Investments and Advances in relation to Banking Business are in conformity with the prudential norms issued by the Reserve Bank of India from time to time.

1.6 The financial statements of the subsidiary and associate considered in preparation of Consolidated Financial Statement are drawn up to 31st March 2019.

2. **Principles of Consolidation:**

A) **Parent Entity**: The Financial Statements are consolidated for Bank of Maharashtra, the parent entity and its subsidiary along with associated enterprise as follows.

B) **Related Entity:**

The following subsidiary has been consolidated as per Accounting Standard 21 – "Consolidated Financial Statement".

Name of the company	Country / Residence	Relationship	Ownership Interest
The Maharashtra Executor & Trustee Co. Pvt. Ltd. (hereafter referred to as "METCO")	India	Wholly Owned Subsidiary	100%

The following associate enterprise has been accounted for under the Equity Method as per Accounting Standard 23 – "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements"

Name of the company	Country / Residence	Relationship	Ownership Interest
Maharashtra Gramin Bank (sponsored by Bank of Maharashtra)	India	Associate Enterprise	35%

ग) **समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार और उसका प्रभाव**

बैंक और उसके सहायक प्रतिष्ठान के समेकित वित्तीय विवरणों को अंतर्समूह शेषों/ संव्यवहारों को पूर्ण रूप से समाप्त करते हुए, आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय इत्यादि जैसी मदों को लाइन-दर-लाइन आधार पर आपस में जोड़कर समेकित किया गया है। अपनी सहायक कंपनी के इक्विटी शेयरों में निवेश के दिनांक को, मूल कंपनी के समानुपातिक निवेश की लागत के आधिक्य को साख माना गया है। जबकि इक्विटी में सहायक प्रतिष्ठान के हिस्से के आधिक्य को आरक्षित पूंजी में जमा किया गया है।

बैंक और उसके सहायक प्रतिष्ठान के समेकित वित्तीय विवरणों को इक्विटी पध्दति आधार पर एकत्र किया गया है। सहायक प्रतिष्ठान में बैंक के निवेश की रखाव लागत के आधिक्य को वित्तीय विवरणों में साख माना गया है।

जहां कहीं आवश्यक है, वहां सहायक प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों को मूल बैंक के साथ पुनःसमूहबध्द किया गया है।

सहायक प्रतिष्ठान ने कुछ मामलों में समान परिस्थितियों और समान संव्यवहारों के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई पध्दति से अलग पध्दति को अपनाया है। समेकित वित्तीय विवरण बनाते समय जब इनका उपयोग किया गया तब सहायक प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों में कोई समायोजन नहीं किया गया है। तथापि समेकित वित्तीय विवरणों की मद के वे भाग, जहां सहायक प्रतिष्ठान द्वारा अलग लेखांकन नीतियों का उपयोग किया गया है, महत्वहीन हैं।

3. **विदेशी मुद्रा संव्यवहार:**

3.1 विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा पिछले सप्ताह के लिए प्रकाशित साप्ताहिक औसत अंतिम दरों पर निर्धारित किया गया है। तुलनपत्र के दिनांक को विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं का पुनर्मूल्यन विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा प्रकाशित अंतिम दरों पर किया गया है, और परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ / हानि को लाभ व हानि खाते में लेखाबद्ध किया गया है।

3.2 बकाया वायदा एक्सचेंज संविदाओं को संविदात्मक दरों पर दर्शाया गया है और विशिष्ट परिपक्वता अवधियों के लिए "नियत आय मुद्रा बाजार एवं भारतीय व्युत्पन्न संघ" (फिमडा) - रायटर द्वारा प्रकाशित मायफर दर अर्थात पीवी01 आधार पर लागू दरों पर बट्टे डालते हुए, फेडाई द्वारा प्रकाशित विनिमय दरों पर तुलन पत्र की दिनांक पर तिमाही आधार पर पुनर्मूल्यांकित/ बाजार हेतु चिन्हित किया गया है। पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ/ हानि को लाभ हानि खाते में भारतीय रिजर्व बैंक/ फेडाई दिशानिर्देशों के अनुसार लेखाबद्ध किया गया है और लाभ के मामले में इसका प्रभाव "अन्य आस्तियों" और हानि के मामले में इसका प्रभाव "अन्य देयताओं" को प्रभारित किया गया है।

3.3 विदेशी मुद्रा में जारी गारंटियों और साख पत्रों के कारण उत्पन्न आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र में, फेडाई द्वारा प्रकाशित अंतिम विनिमय दरों पर दर्शाया गया है।

3.4 अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन के ऋण विगोपन, यदि कोई हो, हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान और पूंजी आवश्यकता की व्यवस्था करनी होगी।

4. **निवेश**

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का वर्गीकरण एवं मूल्यन निम्नानुसार किया गया है :

i. निवेश निम्नांकित श्रेणियों में वर्गीकृत किए गए हैं.

क. परिपक्वता तक धारित

ख. बिक्री के लिए उपलब्ध

ग. व्यापार के लिए धारित

ii. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म -ए की आवश्यकता के साथ अनुसारिता में सभी निवेशों को आगे निम्नांकित छह श्रेणियों में वर्गीकृत किया गयाहै :

क. सरकारी प्रतिभूतियां

ख. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां

ग. शेयर्स

घ. डिबेंचर तथा बांड

C) **Basis of Preparation of Consolidated Financial Statements & its impact**

The Consolidated financial statements of the Bank & its subsidiary have been combined on a line-by-line basis by adding together the like items of assets, liabilities, income & expenses, after fully eliminating intra-group balances/transactions. The excess of the cost of investment to the parent over and above its proportionate share in equity of the subsidiary as on date of investment is recognized as Goodwill. While excess of share in equity of the subsidiary over the cost of investment is credited to Capital Reserve.

The Consolidated financial statements of the bank & its associate have been combined on equity method basis. The excess of carrying cost of bank's investment in associate is recognized in the financial statements as goodwill.

The financial statements of the subsidiary have been regrouped with that of the parent bank, wherever necessary.

The subsidiary has used accounting policies other than those adopted by the Bank in certain cases for like transactions & events in similar circumstances. No adjustments have been made to the financial statements of the subsidiary, when they are used in preparing the consolidated financial statements. However, the proportion of the items in the consolidated financial statements to which the different accounting policies are applied by the subsidiary is insignificant.

3. **Foreign Exchange Transactions:**

3.1 The foreign currency transactions are translated at the weekly average closing rates for the preceding week as published by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI). Revaluation of foreign currency assets and liabilities as on Balance Sheet date is done at the closing exchange rate published by FEDAI and the resultant profit/ loss is accounted for in the Profit & Loss Account.

3.2 Outstanding Forward Foreign Exchange Contracts are stated at contracted rates and revalued/ marked to market as on quarterly basis and on Balance Sheet date at the exchange rates published by FEDAI for specified maturities by discounting the same at the applicable MIFOR rate published by Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India [FIMMDA] - Reuter, i.e. on PV01 basis. The resulting profit/loss, on revaluation, is recognized in the Profit & Loss Account in accordance with RBI / FEDAI guidelines and the effect is taken to "Other Assets" in case of gain or to "Other Liabilities" in case of loss.

3.3 Contingent Liabilities on account of Guarantees and Letters of Credit issued in foreign currency are stated in the Balance Sheet at the closing exchange rates published by FEDAI

3.4 Credit exposure of the un-hedged foreign currency exposure, if any, of the constituents shall attract provisioning and capital requirements as per RBI guidelines.

4. **Investments:**

As per Reserve Bank of India guidelines, the investments are classified and valued as under:

i. Investments are classified in following categories:

a. Held to maturity

b. Available for sale

c. Held for trading

ii. All the investments are further classified in the following six baskets in conformity with the requirement of Form-A of Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949:

a. Government Securities

b. Other approved securities

c. Shares

d. Debentures and bonds

ङ. सहायक कंपनियां तथा संयुक्त उद्यम

च. अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युच्युअल फंड यूनिट इत्यादि)

iii बैंक अधिग्रहण के समय प्रत्येक निवेश की श्रेणी का निर्धारण करता है और तदनुसार उनका वर्गीकरण करता है। "व्यापार हेतु धारित" से "बिक्री हेतु उपलब्ध" श्रेणी में अंतरण को छोडकर, निदेशक मंडल के अनुमोदन से वर्ष में एक बार अंतरण की तारीख को अधिग्रहण लागत/ बही मूल्य/ बाजार मूल्य, तीनों में से जो मूल्य कम हो उस पर प्रतिभूतियों का एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में अंतरण किया जाता है। ऐसे अंतरण के कारण यदि कोई मूल्यह्रास लागू होता है तो उसका प्रावधान किया जाता है और तदनुसार प्रतिभूतियों का बही मूल्य समायोजित किया जाता है। एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में अंतरण भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों या उसकी अनुमति से किया जाता है। "व्यापार हेतु धारित" श्रेणी से निवेशों का "बिक्री हेतु उपलब्ध" श्रेणी में अंतरण, अपवादात्मक परिस्थितियों जैसे कठिन तरलता स्थितियों के कारण 90 दिनों में प्रतिभूतियों की बिक्री न कर पाने या अत्यधिक उतार-चढाव या बाज़ार के एक ही दिशा में संचलन के कारण उत्पन्न स्थितियों में ही किया जाएगा।

iv. **रेपो/रिवर्स रेपो** :

रेपो और रिवर्स रेपो संव्यवहारों को लेखाबद्ध करने के लिए बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्विर्दिष्ट समान लेखा पद्धति को अपनाया है। रेपो और रिवर्स रेपो संव्यवहारों को सहमत शर्तों पर पुनर्खरीद के समझौते के साथ सहायक उधारियां/ ऋण परिचालन माना जाता है। रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियों को निवेश के अंतर्गत दर्शाया जाना जारी रखा जाता है और रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियों को निवेश में शामिल नहीं किया जाता है। बकाया रेपो/ मीयादी रेपो का प्रकटन उधारियों के रूप में और बकाया रिवर्स रेपो का प्रकटन ऋण के रूप में किया जाता है। लागत और राजस्व का लेखांकन ब्याज व्यय/आय, जैसा भी मामला हो, के रूप में किया जाता है।

v. **लागत भारित औसत मूल्य पद्धति के आधार पर निवेशों का निर्धारण किया जाता है.**

खंडित अवधि के लिए ब्याज अवधि/ खरीद के समय खंडित अवधि के लिए प्राप्त ब्याज/ स्थिर आय प्रतिभूतियों की बिक्री को राजस्व व्यय के रूप में समझा जाएगा।

निवेश की राशि से ब्रोकरेज/ निवेश के समय प्राप्त प्रोत्साहन की कटौती की गई है.

vi. **निवेशों का मूल्यन** :

क. परिपक्वता तक धारित :

i परिपक्वता तक धारित प्रतिभूतियों का मूल्यन भारित औसत लागत पर किया गया है. जहां कहीं लागत, अंकित मूल्य से अधिक है, वहां प्रीमियम का परिशोधन परिपक्वता की शेष अवधि में सीधी रेखा पद्धति से किया गया है. निवेशों के मामले में जहां लागत मूल्य अंकित मूल्य से कम है, इस अंतर पर ध्यान नहीं दिया गया है.

ii सहायक प्रतिष्ठानों और संयुक्त उद्यमों में निवेशों के मामले में मूल्यों में आई स्थायी कमी को अभिनिर्धारित तथा प्रावधान किया गया है. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में निवेशों को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया गया है.

iii इस श्रेणी में निवेश के विक्रय पर (क) निवल लाभ को पहले लाभ हानि लेखे में लेखाबध्द किया गया और उसके बाद ऐसे लाभ (लागू कर और आनुपातिक सांविधिक आरक्षिति का निवल) को आरक्षित पूंजी खाते में विनियोजित किया गया तथा (ख) निवल हानि को लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया गया है.

ख. बिक्री हेतु उपलब्ध :

इस श्रेणी के अंतर्गत वैयक्तिक प्रतिभूतियों को तिमाही आधार पर बाज़ार हेतु चिन्हित (मार्क-टू-मार्केट) किया गया है. केंद्र/राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यन "नियत आय मुद्रा बाजार एवं भारतीय व्युत्पन्न संघ" (फिमडा) द्वारा घोषित बाजार मूल्यों पर किया गया है. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, डिबेंचर एवं बांड का मूल्यन प्रतिफल, औसत ऋण प्रसार रेटिंग और फिमडा द्वारा सुझाई गई पध्दति से किया गया है. उद्धृत (कोटेड) शेयरों का मूल्यन बाजार दर से किया गया है. अनुद्धृत (अनकोटेड) शेयरों का मूल्यन नवीनतम उपलब्ध तुलनपत्र, अर्थात तत्काल पिछले वर्ष के तुलनपत्र से प्राप्त बही मूल्य से किया गया है तथा यदि नवीनतम तुलनपत्र उपलब्ध नहीं है तो शेयर का मूल्यन ₹ 1/- प्रति कंपनी/शेयर किया गया है.

e. Subsidiaries and Joint Ventures

f. Others (Commercial Papers, Mutual Fund Units etc).

iii Bank decides the category of each investment at the time of acquisition and classifies the same accordingly. Shifting of securities from one category to another, other than shifting / transfer from HFT to AFS category, is done once in a year with the approval of Board of Directors, at the least of acquisition cost / book value / market value on the date of shifting. The depreciation, if any, on such shifting is provided for and the book value of the security is adjusted accordingly. The transfer of securities from one category to another is made as per permission from or guidelines of RBI. Transfer / shifting of investments from HFT to AFS category will be executed under exceptional circumstances, like not being able to sell the securities within 90 days due to tight liquidity conditions, or extreme volatility, or market becoming unidirectional.

iv **REPO / Reverse REPO**

The Bank has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of Market Repo and Reverse Repo transactions. Repo and Reverse Repo transactions are treated as Collateralized Borrowing / Lending Operations with an agreement to repurchase on the agreed terms. Securities sold under Repo are continued to be shown under investment and securities purchased under Reverse Repo are not included in investment. Outstanding Repo / Term Repo is disclosed as borrowing and outstanding Reverse Repo is disclosed as lending. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

v. **Cost of investments is determined on the basis of Weighted Average Price method**

Interest paid for broken period / interest received for broken period at the time of purchase / sale of fixed income securities is treated as revenue expenditure / income.

Brokerage / incentive received / paid at the time of purchase/ sale of investment is deducted / added from the amount of investment.

vi **Valuation of investments**

a. Held to Maturity:

i Securities under the category 'Held to Maturity' are valued at weighted average cost. Wherever the cost of security is higher than the face value, the premium is amortized over the remaining period of maturity on straight line basis. In case of investments, where the cost price is less than the face value, the difference is ignored.

ii In case of investments in subsidiaries and joint ventures, permanent diminution in value is recognized and provided for; investment in RRB is valued at carrying cost.

iii On sale of investments in this category (a) the net profit is initially taken to profit and loss account and thereafter such profit (net of applicable taxes and proportionate statutory reserve) is appropriated to the ‘Capital Reserve account’ and (b) the net loss is charged to Profit & Loss Account.

b. Available for Sale:

The individual securities under this category are marked to market on a quarterly basis. Central/State Government securities are valued at market rates declared by Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India [FIMMDA]. Other approved securities, Debentures and Bonds are valued as per the yield curve; average credit spread rating and methodology suggested by FIMMDA. Quoted Shares are valued at market rates. Unquoted shares are valued at break up value ascertained from the latest available balance sheet i.e. balance sheet of immediate preceding year and in case the latest balance sheet is not available, the same is valued at Re.1/- per company / Scrip.

बट्टागत लिखतों में निवेश, जैसे खजाना बिल, जमाराशि प्रमाणपत्र और वाणिज्यिक पेपर्स, जीरो कूपन बांड का मूल्यन, रखाव लागत पर किया गया है. म्युच्युअल फंड लिखतों का मूल्यन क्रमशः बाजार मूल्य पर अथवा उनकी उपलब्धता के आधार पर पुनर्खरीद मूल्य या निवल आस्ति मूल्य पर किया गया है. आस्ति पुनर्गठन कंपनियों को बेची गई वित्तीय आस्तियों के मामले में आस्ति पुनर्गठन कंपनियों (एआरसी) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों/ पीटीसी में निवेशों का मूल्यन वित्तीय आस्तियों के उन्मोचन मूल्य और निवल बही मूल्य में से (अर्थात बही मूल्य में से किया गया प्रावधान घटाकर) जो भी कम हो, उस कीमत पर किया जाता है.

बिक्री हेतु उपलब्ध" श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत छः उप-श्रेणियों के उपर्युक्त मूल्यांकन के आधार पर :

(i) यदि आंकड़ों का परिणाम अधिमूल्यन है तो इस पर ध्यान नहीं दिया गया है.

(ii) यदि आंकड़ों का परिणाम निवल मूल्यह्रास है तो उसे लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया गया है और इसे देयता भाग में निवेशों पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान खाते में जमा किया गया है.

(iii) जहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक हो, वहाँ छोड़कर पुनर्मूल्यन के बाद बाज़ार हेतु चिन्हित प्रतिभूतियों के बही मूल्य को बदला नहीं गया है.

(iv) इस श्रेणी में निवेश के विक्रय से हुए लाभ या हानि को लाभ तथा हानि खाते में लेखाबध्द किया गया है.

ग. **व्यापार हेतु धारित** :

(i) इस श्रेणी के अंतर्गत वैयक्तिक प्रतिभूतियों को मूल लागत पर धारित किया गया है और प्रत्येक माह इन्हें बाजार हेतु चिन्हित किया गया है. केंद्र/राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यन "नियत आय मुद्रा बाजार एवं भारतीय व्युत्पन्न संघ" (फिमडा) द्वारा घोषित बाजार दरों पर किया गया है. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, डिबेंचर एवं बांड का मूल्यन प्रतिफल, औसत ऋण प्रसार रेटिंग और फिमडा द्वारा सुझाई गई पध्दति से किया गया है. उद्धृत (कोटेड) शेयरों का मूल्यन बाजार दरों से किया गया है.

(ii) बट्टाकृत लिखतों में निवेश जैसे खजाना बिल, जमाराशि प्रमाणपत्र और वाणिज्यिक पेपर्स, जीरो कूपन बांड का मूल्यन रखाव लागत पर किया गया है. म्युच्युअल फंड लिखतों का मूल्यन क्रमशः बाजार मूल्य पर अथवा उनकी उपलब्धता के आधार पर पुनर्खरीद मूल्य या निवल आस्ति मूल्य पर किया गया है. आस्ति पुनर्गठन कंपनियों को बेची गई वित्तीय आस्तियों के मामले में आस्ति पुनर्गठन कंपनियों (एआरसी) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों/ पीटीसी में निवेशों का मूल्यन वित्तीय आस्तियों के उन्मोचन मूल्य और निवल बही मूल्य (अर्थात बही मूल्य में से किया गया प्रावधान घटाकर) में से जो भी कम हो, उस कीमत पर किया जाता है.

(iii) निवल श्रेणीवार मूल्यह्रास, यदि कोई हो, को लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया गया है और इसे देयताओं के अंतर्गत निवेशों के मूल्यह्रास हेतु प्रावधान खाते में जमा किया गया है. यदि निवल अधिमूल्यन है तो उस पर ध्यान नहीं दिया गया है. जहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक हो, वहाँ छोड़कर पुनर्मूल्यन के बाद प्रतिभूतियों के बही मूल्य को बदला नहीं गया है.

(iv) निवेशों की बिक्री से हुए लाभ या हानि को लाभ एवं हानि खाते में लेखाबद्ध किया गया है.

घ. पुनर्निवेशों सहित लागत का प्रावधान एवं वर्गीकरण किया गया और भारतीय रिज़र्व बैंक के समय समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यह्रास / प्रावधान किया गया है

ङ. प्रतिभूतियों के अर्जन के समय उपचित लागतों यथा दलाली, फीस, कमीशन, करों इत्यादि को पूंजीकृत किया गया है.

च. ब्याज दर स्वैप :

(i) मूल्यांकन :

(क) **हेजिंग स्वैप :** हेजिंग आस्तियों और देयताओं की ब्याज दर स्वैप, बाज़ार हेतु चिन्हित (मार्क्ड टू मार्केट) नहीं है,

(ख) **ट्रेडिंग स्वैप :** ट्रेडिंग उद्देश्य से ब्याज दर स्वैप बाज़ार हेतु चिन्हित (मार्क्ड टू मार्केट) है.

(ii) डेरिवेटिव सौदों पर आय का लेखांकन :

(क) **हेजिंग स्वैप:** वसूली के आधार पर आय का लेखांकन किया गया. व्यय यदि कोई है, को उपचय आधार पर, यदि निर्धारणयोग्य है, लेखाबद्ध किया गया है.

Investments in discounted instruments, viz. Treasury bills, Certificate of deposits and commercial papers, Zero coupon Bonds are valued at carrying cost. Mutual Fund Instruments are valued at market rate or repurchase price or net asset value in that order depending on their availability. Investments in Security Receipts /PTCs issued by Asset Reconstruction Companies (ARCs) in respect of financial assets sold to ARCs are carried at lower of redemption value and net book value (i.e. book value less provision held), of the financial assets.

Based on the above valuation under each of six-sub classifications under `Available for Sale':

(i) If it results in appreciation, the same is ignored.

(ii) If it results in net depreciation, the same is charged to Profit & Loss account and credited to Provision for Depreciation on Investments (AFS) in the liability side.

(iii) The book value of securities is not changed in respect of marked to market (MTM) except as required by the RBI guidelines.

(iv) Profit or Loss on sale of investment in this category is accounted for in the Profit and loss account.

c. Held for Trading:

(i) The individual securities under this category are held at original cost and are marked to market every month. Central/ State Government securities are valued at market rates declared by Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India [FIMMDA]. Other approved securities, Debentures and Bonds are valued as per the yield curve, average credit spread rating and methodology suggested by FIMMDA. Quoted Shares are valued at market rates.

(ii) Investments in discounted instruments, viz. Treasury bills, Certificate of deposits and commercial papers, Zero coupon Bonds are valued at carrying cost. Mutual Fund Instruments are valued at market rate or repurchase price or net asset value in that order depending on their availability. Investments in Security Receipts /PTCs issued by Asset Reconstruction Companies (ARCs) in respect of financial assets sold to ARCs are carried at lower of redemption value and net book value (i.e. book value less provision held), of the financial assets.

(iii) Net basket-wise depreciation if any, is charged to Profit & Loss Account and credited to Provision on Depreciation on Investment (HFT) under liability. Net appreciation, if any is ignored. The book value of the securities is not changed after revaluation except as required by the RBI guidelines.

(iv) Profit or loss on sale of investment in this category is accounted for in the Profit & Loss Account

d. Classification of provisions on investments, including on restructured investments, are made in accordance with the prudential norms prescribed by and guidelines of RBI from time to time.

e. Costs such as brokerage, fees, commission, taxes etc. incurred at the time of acquisition of securities are capitalized

f. Interest Rate Swaps:

(i) Valuation:

(a) **Hedging Swaps:** Interest Rate Swaps for hedging assets and liabilities are not marked to market.

(b) **Trading Swaps:** Interest Rate Swap for trading purpose is marked to market.

(ii) Accounting of income on derivative deals:

(a) **Hedging Swaps:** Income is accounted for on realization basis. Expenditure, if any, is accounted for on accrual basis, if ascertainable.

(ख) **ट्रेडिंग स्वैप :** आय या व्यय को निपटान के दिनांक पर वसूली के आधार पर लेखाबध्द किया गया है.

(iii) स्वैप समाप्ति पर आय या हानि का लेखा:

(क) **हेजिंग स्वैप :** निरस्त हुए स्वैप पर किसी भी लाभ या हानि को (क) स्वैप की शेष बची संविदात्मक अवधि या (ख) आस्ति / देयता की शेष अवधि में से जो अवधि कम हो, के लिए अभिनिर्धारित किया गया है.

(ख) **ट्रेडिंग स्वैप :** स्वैप निरसन पर किसी भी लाभ या हानि को निरसन के वर्ष में ही हानि या लाभ के रूप में निर्धारित किया गया है.

5. **अग्रिम**:

5.1 दर्शाए गए अग्रिम बट्टे खाते लिखे, अनर्जक आस्तियों हेतु किए गए प्रावधानों, ऋण गारंटी संस्थानों के साथ निपटाए गए दावों, मानक पुनर्संरचित अग्रिमों के प्रावधानों और पुनर्भाजन से निवल हैं.

5.2 प्रावधानों और अग्रिमों का वर्गीकरण भा.रि.बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किया गया है.

5.3 मानक पुनर्संरचित अग्रिमों के प्रावधानों को छोड़कर अर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान को "अन्य देयताएं व प्रावधान" शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया गया है.

5.4 पुनर्निर्धारित/ पुनर्संरचित खातों के संबंध में पुनर्संरचित अग्रिमों के उचित मूल्य में ह्रास हेतु प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार वर्तमान मूल आधार पर किया गया है.

5.5 एसडीआर के अंतर्गत अग्रिमों के संबंध में चार महीनों की अधिकतम अवधि के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में प्रावधान के जाएंगे.

5.6 वित्तीय परिसंपत्तियों की परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी)/ प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) की बिक्री के मामले में, यदि बिक्री निवल बही मूल्य से अधिक मूल्य पर हुई है, तो अधिशेष प्रावधान को बनाए रखा जाएगा और एससी/ एआरसी को अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री पर घाटे/हानि की पूर्ति हेतु इसका उपयोग किया जाए. यदि बिक्री मूल्य निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम हो, (अर्थात बकाया घटाएं प्रावधान धारित) तो घाटे को लाभ एवं हानि खाते के नामे किया जाना है. तथापि अधिशेष उपलब्ध है तो ऐसे घाटे को अधिशेष में अवशोषित किया जाएगा. अनर्जक आस्तियों के विक्रय के कारण उत्पन्न घाटे को दो वर्षों की अवधि के लिए परिशोधित किया जाएगा, यदि अधिशेष में अवशोषित नहीं किया जाए.

अनर्जक आस्तियों के विक्रय के कारण उत्पन्न अतिरिक्त प्रावधान को केवल तभी प्रत्यावर्तित किया जाता है जब प्राप्त नकद (एसआरएस/ पीटीसी के मोचन) आस्ति के निवल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक होता है. अतिरिक्त प्रावधान का प्रत्यावर्तन उस सीमा तक सीमित होगा जिस पर प्राप्त नकद आस्ति के एनबीवी से अधिक हो जाता है.

6. **स्थिर आस्तियां एवं मूल्यह्रास**:

6.1 परिसरों एवं अन्य स्थिर आस्तियों को लागत पर लेखाबध्द किया गया है, कतिपय परिसरों को छोड़कर जिनका पुनर्मूल्यन किया गया है तथा पुनर्मूल्यांकित राशि का उल्लेख किया गया है.

6.2 पुनर्मूल्यांकित परिसंपत्तियों के मामलों को छोड़कर स्थिर आस्तियों (निम्न परिच्छेद 6.3, और 6.4, को छोड़कर) पर मूल्यह्रास का प्रावधान, ह्रासमान शेष पध्दति से निम्नानुसार दरों पर किया गया है, जिनके संबंध में इन परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी शेष अवधि के आधार पर उच्च मूल्यह्रास किया गया है.

अ.क्र.	आस्तियों की श्रेणी	मूल्यह्रास की दर (%)
1	भवन एवं परिसर	5.00
2	सेफ सहित सामान्य वस्तुएं	18.10
3	विद्युत उपकरण	13.91
4	कार्यालय मशीनरी	13.91
5	मोटर वाहन	25.89
6	सेफ डिपॉजिट वॉल्ट	13.91
7	सायकिल	20.00

(b) **Trading Swaps:** Income or expenditure is accounted for on realization basis on settlement date.

(iii) Accounting of gain or loss on termination of swaps:

(a) **Hedging Swaps:** Any gain or loss on the terminated swap is recognized over the shorter of (a) the remaining contractual life of the swap or (b) the remaining life of the asset/ liability.

(b) **Trading Swaps:** Any gain or loss on terminated swap is recognized as income or expenses in the year of termination.

5. **Advances:**

5.1 Advances shown are net of write offs, provisions made for non-performing assets, claims settled with the credit guarantee institutions, provision for diminution in fair value for restructured advances and bills rediscounted.

5.2 Classification of advances and provisions are made in accordance with the prudential norms prescribed by RBI from time to time.

5.3 Provision for performing assets, other than provision on standard restructured advances, is shown under the head “Other liabilities and provisions”.

5.4 In respect of Rescheduled/ Restructured accounts, provision for diminution in fair value of restructured advances is made on present value basis as per RBI guidelines.

5.5 In respect of advances under SDR, provision is made in accordance with RBI guidelines, within a maximum period of four quarters.

5.6 In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC)/ Securitization Company (SC), if the sale is at a price higher than the NBV, the surplus is retained and utilised to meet the shortfall/loss on account of sale of other financial assets to SC/ARC. If the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. outstanding less provision held) the shortfall is to be debited to the Profit and Loss account. However if surplus is available, such shortfall will be absorbed in the surplus. Any shortfall arising due to sale of NPA will be amortised over a period of two years if not absorbed in the surplus.

Excess provision arising out of sale of NPAs are reversed only when the cash received (by way of initial consideration only/or redemption of SRS/PTC) is higher then the net book value (NBV) of the asset. Reversal of excess provision will be limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset.

6. **Fixed Assets and Depreciation:**

6.1 Premises and other fixed assets are accounted for at cost except for certain premises, which were revalued and stated at revalued amount.

6.2 Depreciation on fixed assets (other than those referred in para 6.3 and 6.4 below) is provided for on the diminishing balance method at the rates specified below, except in case of revalued assets, in respect of which higher depreciation is provided on the basis of estimated useful life of these assets.

S.N.	Category of Asset	Rate of Depreciation (%)
1	Building & Premises	5.00
2	General items including Safe	18.10
3	Electrical Equipments	13.91
4	Office Machinery	13.91
5	Motor Vehicles	25.89
6	Safe Deposit Vault	13.91
7	Bicycle	20.00

6.3 कंप्यूटरों पर मूल्यह्रास सीधी रेखा पध्दति से 33.33% की दर पर किया गया है ताकि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आस्ति का मूल्यह्रासित मूल्य तीन वर्षों में 1 रुपया रह जाए. कम्प्यूटरों में साफ्टवेअर, यूपीएस और एटीएम भी शामिल हैं.

6.4 वर्ष के दौरान खरीदी गई आस्तियों के मामले में पूरे वर्ष के मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है. वर्ष के दौरान नष्ट हुई / बेची गई संपत्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान नहीं किया गया है.

6.5 पुनर्मूल्यांकित आस्तियों की लागत से अधिक मूल्यांकित राशि से संबंधित मूल्यह्रास का प्रावधान परिच्छेद 6.2 में दिए अनुसार और पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति की तुलना में समायोजन के अनुसार स्थिर आस्तियों की शेष अवधि हेतु ह्रासमान शेष पद्धति से किया गया है और लाभ व हानि खाते के नामे किया गया. पूर्णतः मूल्यह्रासित परिसंपत्तियों पर पुनर्मूल्यांकित आरक्षिति का ऋण परिशोधन उसकी शेष अवधि के आधार पर अनुमोदित मूल्यांककों द्वारा प्रमाणित किए अनुसार किया गया है. इसके साथ ही, सममूल्य राशि को मूल्यांकन आरक्षिति से राजस्व आरक्षिति में अंतरित किया गया.

6.6 पट्टेवाली भूमि लागत एसएलएम आधार पर पट्टे की अवधि के दौरान परिशोधित है.

सहायक प्रतिष्ठान के मामले में :

6.7 मेटको के मामले में, स्थिर आस्तियों का मूल्यन लागत में से मूल्यह्रास और अनर्जक हानियों को कम करते हुए किया गया है. इस लागत में आस्ति को इच्छित उपयोग के लिए कार्यशील स्थिति में लाने हेतु किए गए सभी व्यय शामिल हैं. बेची गई आस्तियों को स्थिर आस्तियों से घटा दिया गया और मूल्यह्रास का प्रभाव देखते हुए लाभ/हानि की गणना की गई. आस्तियों की उपयोगी शेष अवधि के आधार पर कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार नए मानक लगाते हुए ह्रासमान शेष पध्दति से मूल्यह्रास लगाया गया है.

7. राजस्व अभिनिर्धारण:

7.1 निम्नांकित नकदी आधार पर लेखाबध्द मदों को छोड़कर, समस्त राजस्व तथा लागतों को उपचय आधार पर लेखाबध्द किया गया है :

क. भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अनर्जक आस्ति के रूप में अभिनिर्धारित अग्रिमों एवं निवेशों पर ब्याज.

ख. कमीशन अर्थात गारंटियों, साख-पत्रों, सरकारी व्यवसाय, बैंक एश्योरेंस, म्युच्युअल फंड व्यवसाय, जारी किए गए क्रेडिट व डेबिट कार्ड और लॉकर किराए से आय.

ग. खरीदे गए तथा बट्टाकृत बिलों पर अतिदेय अवधि के लिए ब्याज.

घ बीमा दावे.

ड. डिबेंचर ट्रस्टी कारोबार का पारिश्रमिक.

च. प्रोसेसिंग शुल्क.

छ. व्यापारी बैंकिंग परिचालनों तथा हामीदारी कमीशन से आय.

ज. इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से यूटिलिटी बिल भुगतान सेवाओं से प्राप्त संव्यवहार प्रोसेसिंग शुल्क.

7.2 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में अतिदेय मीयादी जमाराशियों पर देय ब्याज का प्रावधान उपचित आधार पर बचत खाता ब्याज दर पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 22.08.2008 के परिपत्र के दिनांक से और शेष का नवीकरण के समय किया गया है.

8. कर्मचारी अनुलाभ:

परिभाषित अंशदान योजना : परिभाषित अंशदान अनुलाभ योजनाओं के अंतर्गत अदा किए गए/अदा किए जाने वाले अंशदान को लाभ-हानि खाते को प्रभारित किया गया है.

परिभाषित अनुलाभ योजना : परिभाषित अनुलाभ योजनाओं हेतु बैंक की देयताओं का निर्धारण प्रत्येक तिमाही/ वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उपचित मूल्यांकन आधार पर किया गया है. बीमांकिक लाभ और हानि को लाभ-हानि खाते में दर्शाया गया है.

6.3 On computers, depreciation is provided at the rate of 33.33% on Straight Line Method so as to write down the asset value in three years to rupee one as per RBI guidelines. Computers include software, ATMs and UPS also.

6.4 Depreciation is provided for full year in respect of assets purchased during the year. No depreciation is provided on assets sold / discarded during the year.

6.5 Depreciation relating to revalued amount over and above the cost of the revalued assets, is provided on diminishing balance method over the residual life of the fixed assets as stated in para 6.2 and is debited to Profit & Loss Account. Revaluation Reserve on fully depreciated properties is amortized on the basis of their residual life as certified by approved valuers. Further Equivalent amount has been transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve.

6.6 Leasehold land cost is amortized over the period of lease on SLM basis.

In case of the subsidiary:

6.7 In the case of METCO, fixed assets are stated at cost, less accumulated depreciation and impairment losses, if any. Cost includes all expenditure necessary to bring the asset to its working conditions for its intended use. Assets sold are reduced from the fixed assets and after taking effect of depreciation, profit / loss has been calculated. Depreciation is provided on the written down value basis applying new standards as per Companies Act 2013, on the basis of useful life of assets.

7. Revenue Recognition

7.1 All revenues and costs are accounted for on accrual basis except the following items, which are accounted for on cash basis:-

a. Interest on Advances and Investments identified as Non-Performing Assets according to the prudential norms issued by Reserve Bank of India, from time to time.

b. Income from commission viz on Guarantees, Letter of Credit, Government business, Bancassuarance, Mutual Fund business, credit & debit cards issued and Locker Rent.

c. Interest for overdue period on bills purchased and bills discounted.

d. Insurance claims.

e. Remuneration on Debenture Trustee Business.

f. Processing Fees.

g. Income from Merchant Banking Operations and Underwriting Commission.

h. Transaction processing fees received on utility bill pay services through internet banking.

7.2 Pursuant to RBI guidelines, the interest payable on overdue term deposit is provided on accrual basis at saving bank rate effective from date of RBI circular dated 22.08.2008, and the balance at the time of renewal.

8. Employees' Benefits:

Defined Contribution Plan: The contribution paid/payable under defined contribution benefit schemes are charged to profit and loss account.

Defined Benefit Plan: Bank's liabilities towards defined benefit schemes are determined on the basis of an actuarial valuation made at the end of each quarter /financial year. Actuarial gains and losses are recognized in the Profit and Loss account.

9. आस्तियों का अनर्जक होना:

पुनर्मूल्यन आस्तियों सहित अचल संपत्तियों के अनर्जक होने के कारण हुई हानि को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 28- आस्तियों का अनर्जक होना, के अनुसार अभिनिर्धारित कर लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया गया है.

10. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक आस्तियां:

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी मानक 29 - "प्रावधान, आकस्मिक देयता और आकस्मिक आस्ति" के अनुसार बैंक केवल किसी पिछली घटना के कारण उत्पन्न वर्तमान प्रतिबध्दता के लिए प्रावधान करता है. यह संभावित है कि जब प्रतिबधदता राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता हो और प्रतिबध्दताओं की पूर्ति हेतु आर्थिक लाभ सहित किसी संसाधन के बहिर्गमन की आवश्यकता पड़े.

आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में नहीं दर्शाया गया है, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप ऐसी आय का अभिनिर्धारण हो सकता है जो कभी प्राप्त न हो.

11. निवल लाभ, प्रावधान एवं आकस्मिकताएं :

निवल लाभ का प्रकटन आकस्मिकताओं व प्रावधानों के उपरांत किया गया है, जिसमें निवेशों के मूल्य का समायोजन, अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते डालना, कराधान के लिए प्रावधान (आस्थगित कराधान सहित) और धोखाधड़ी व आकस्मिकताओं/अन्य के रूप में अभिनिर्धारित मामलों सहित अग्रिमों के लिए प्रावधान शामिल हैं.

12. आयकर :

वर्ष के दौरान किये गये कर प्रावधानों में चालू आयकर, संपत्ति कर और आस्थगित कर के प्रति देयताएं शामिल हैं. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक 22 की शर्तों के अनुसार कर-योग्य आय और लेखा-योग्य आय के बीच समयान्तर और विवेकपूर्ण विचार की शर्त के अधीन आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं की पहचान की गई है. आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं ब्याज दर में परिवर्तन के प्रभाव को इस परिवर्तन के लागू होने की अवधि में लाभ और हानि खाते में अभिनिर्धारित किया गया है.

आस्थगित कर आस्तियों व देयताओं का मापन उन कर दरों व कर कानूनों का उपयोग कर किया गया है जो तुलन पत्र के दिनांक को अधिनियमित किए गए हैं या पर्याप्त रूप से अधिनियमित हैं.

आस्थगित कर आस्तियों को केवल उस सीमा तक मान्यता दी गई है जिसमें उचित निश्चितता हो कि भविष्य में आस्तियों को वसूला जा सकेगा. कराधान कानूनों के अंतर्गत आगे लाई गई हानि या अनवशोषित मूल्यह्रास के मामले में सभी आस्थगित कर आस्तियों को केवल तभी मान्यता दी जाती है यदि ठोस साक्ष्यों के साथ ऐसी आस्तियों की वसूली की वास्तविक निश्चितता हो. आस्थगित कर आस्तियों को प्रत्येक तुलन पत्र दिनांक को पुनरीक्षित किया जाता है और इसे उस राशि को प्रदर्शित करने के लिए समुचित रूप से समायोजित किया जाता है जो वास्तविक रूप से/ यथोचित रूप से वसूले जाने हेतु निश्चित है.

आयकर के रिफंड पर ब्याज आय का लेखांकन उस वर्ष में किया गया है, जिस वर्ष संबंधित प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया.

आयकर प्राधिकारियों द्वारा की गई मांग, ब्याज सहित, का प्रावधान किया गया जब उच्च न्यायालय द्वारा मांग को उचित ठहराया गया.

समेकित वित्तीय विवरणों में दर्शाए कर व्यय मूल व सहायक कंपनी के अलग-अलग वित्तीय विवरण में उल्लेखित कर व्ययों की राशि का जोड़ हैं.

13. प्रति शेयर अर्जन :

प्रति इक्विटी शेयर मूल और शिथिल अर्जन की रिपोर्ट भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक (एएस - 20) "प्रति शेयर अर्जन" के अनुरूप की गई है. प्रति शेयर मूल अर्जन संबंधित अवधि हेतु बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा निवल लाभ को भागकर निकाली गई है. संबंधित अवधि के दौरान बकाया शिथिल संभावित इक्विटी शेयर और भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या का उपयोग कर प्रति इक्विटी शेयर शिथिल अर्जन की गणना की गई है.

अवधि के दौरान इक्विटी शेयर जारी करने के लिए यदि प्रतिभूति या अन्य संविदाओं का उपयोग किया जाता है तो प्रति शेयर कम किया गया अर्जन संभावित मन्दन को प्रतिबिंबित करता है जो अर्जन में प्रदर्शित हो सकता है।

9. Impairment of Assets

Impairment losses if any, on fixed assets including revalued assets are recognized in accordance with Accounting Standard 28 - “Impairment of Assets” issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and charged to profit and loss account.

10. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

As per the Accounting Standard 29 -“Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets” issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of the income that may never be realized.

11. Net Profit, Provisions and Contingencies:

The Net Profit disclosed is after making the Provisions and Contingencies which include adjustment to the value of investments, write off of bad debts, provision for taxation (including deferred taxation), and provision for advances including cases identified as fraud and contingencies /others.

12. Income tax:

The provision for tax for the year comprises liability towards Current Income Tax and Deferred Tax. The deferred tax asset/ liability is recognized, subject to the consideration of prudence, taking into account the timing differences between the taxable income and accounting income, in terms of the Accounting Standard 22 issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). The effect of change in tax rates on deferred tax assets and liabilities is recognized in the profit and loss account in the period of applicability of the change.

Deferred tax assets and liabilities are measured using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date.

Deferred tax assets are recognized only to the extent there is reasonable certainly that the assets can be realized in future. In cases of unabsorbed depreciation or carried forward loss under taxation laws, all deferred tax assets are recognized only if there is virtual certainty of realization of such assets supported by convincing evidence. Deferred tax assets are reviewed at each balance sheet date and appropriately adjusted to reflect the amount that is reasonably/ virtually certain to be realized.

Interest income on refund of Income Tax is accounted for in the year the order is passed by the concerned authority.

The demand raised by the Income Tax authorities including the interest thereon is provided for when such demand is upheld by High Court.

The tax expenses shown in the Consolidated Financial Statements is the aggregate of the amounts of tax expenses appearing in the separate financial statements of the parent & subsidiary.

13. Earnings Per Share:

Basic and Diluted earnings per equity share are reported in accordance with the Accounting Standard (AS-20) “Earnings Per Share” issued by ICAI. Basic Earnings per share is arrived by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. The diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

Diluted earnings per share reflects the potential dilution that could occur in earnings per share if securities or other contracts to issue equity share are exercised or converted during the period.

अनुसूची 18- खातों पर टिप्पणिया

(नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं)

1. निवेश:

बैंक ने निवेश संविभाग को तीन श्रेणियों क्रमशः "परिपक्वता धारित", "बिक्री हेतु उपलब्ध" और "विपणन हेतु धारित" में वर्गीकृत किया है और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का मूल्यांकन किया है।

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान मूल बैंक के संबंध में करों के निवल की ₹शून्य करोड़ की राशि को एएफएस एवं एचएफटी श्रेणियों में धारित निवेश के लिए अपेक्षित मूल्यह्रास के कारण निवेश आरक्षित खाते से आहरित किया गया, 31.03.2018 को निवेश आरक्षिती खाते में कोई बकाया शेष नहीं है.

पिछले वित्तीय वर्ष 2017-18 में ₹20.48 करोड़ की राशि कर समानुपातिक अंतरण मूल्यह्रास के कारण निवेश आरक्षित खाते से सांविधिक आरक्षित जिसे एएफएस एवं एचएफटी श्रेणियों में निवेश के अंतर्गत रखने के लिए आवश्यक होगा।

2. बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों का लागू सीमा तक निम्नानुसार पालन किया है:

2.1 लेखा मानक 5 - अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, पूर्व अवधि मदें तथा लेखा नीतियों में परिवर्तन

चूंकि आय/ व्यय की पूर्व अवधि मदें वास्तविक नहीं हैं इसलिए उन्हें संबंधित लेखा शीर्ष में प्रभारित/ लेखाबध्द किया गया है।

2.2. लेखा मानक 9 - राजस्व निर्धारण

उक्त दी गई महत्वपूर्ण लेखा नीति 7(i) के अनुसार सांविधिक आवश्यकताओं या वास्तविकता के कारण आय की कतिपय मदों का निर्धारण वसूली के आधार पर किया गया है।

3. अचल संपत्ति:

3.1 चालू वर्ष के लिए मूल्यह्रासित कुल राशि ₹131.24 करोड़ (₹75.75 करोड़) पुनर्मूल्यांकित आस्तियों पर पुनर्मूल्यांकित आरक्षिति से राजस्व आरक्षित में राशि के इसी स्थानांतरण के साथ लाभ हानि खाते में नामे किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित हिस्से पर मूल्यह्रास ₹75.75 करोड़ को पुनर्मूल्यांकित आरक्षिति के समक्ष समायोजित किया गया है.

3.2 बैंक की नीति के अनुसार, 31.03.2019 को 124 पात्र संपत्तियों का पुनर्मुल्यांकन किया गया. इस प्रकार की शामिल की गई पुनर्मूल्यित संपत्तियों/ परिसरों की सकल राशि वर्ष के अंत में ₹1504.35 करोड (₹1401.91 करोड़) है तथा पुनर्मुल्यांकन पर मूल्यह्रास की राशि ₹1373.09 करोड़ (₹1129.99 करोड़) मानी गई है.

3.3 31.03.2019 को संपत्तियों के पुनर्मुल्यांकन के कारण, पहले के पुनर्मुल्यांकन आरक्षित की ₹1129.99 करोड़ की डब्ल्यूडीवी लौटाई गई.

3.4 ₹ 6.54 करोड़ (₹ 6.54 करोड़) के पुनर्मूल्यित संपत्तियों/परिसरों 4 (4) के स्वत्व विलेख के संबंध में कुछ लंबित / विलंबित औपचारिकताओं के कारण बैंक के पक्ष में अभी तक निष्पादित/पंजीकृत नहीं किए गए हैं।

3.5 प्रगतिधीन पूंजी कार्य में स्थिर आस्तियों की लागत शामिल है जो रिपोर्टिंग दिनांक को उनके अभिप्रेत उपयोग के लिए अभी तैयार नहीं है। ₹34.39 करोड़ (₹30.07 करोड़) राशि के प्रगतिधीन पूंजी कार्य में किदवई नगर, नई दिल्ली में भवन का निर्माण शामिल है। यह संपत्ति एनबीसीसी लिमिटेड से खरीदी गई है और वर्तमान में निर्माणाधीन है तथा शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को भुगतान कार्य की पूर्णता की पूर्ण होने के चरण के साथ लिंक है। आस्ति व भुगतान शर्तों की प्रकृति तत्व पर विचार करते हुए उक्त निर्माणाधीन संपत्ति को प्रगतिधीन पूंजी के रूप में वर्गीकृत किया गया है और तदनुसार प्रकट किया गया।

4. लेखा मानक (एएस) 15 (संशोधित 2005) - "कर्मचारी अनुलाभ" (मूल बैंक):

क. परिभाषित अंशदान योजना :

(₹.करोड़ में)

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
क. भविष्य निधि	0.47	0.54
ख. कर्मचारी कल्याण में अंशदान - आकस्मिकता कल्याण निधि	0.00	0.00

SCHEDULE 18 – NOTES ON ACCOUNTS

(*Note: Figures in bracket relate to previous year*)

1. Investments:

The Bank has classified the investment portfolio into three categories i.e. “Held to Maturity”, “Available for Sale” and “Held for Trading” and valued the investments in terms of the Reserve Bank of India guidelines.

In respect of Parent Bank, during the current financial year 2018-19, an amount of ₹ Nil crore net of taxes has been drawn down from Investment Reserve Account on account of depreciation required to be made for investment held under AFS & HFT categories, since as on 31.03.2018 there is nil balance outstanding in Investment Reserve Account.

In the previous FY i.e. 2017-18, amount of ₹ 20.48 crore net of taxes had been drawn down from Investment Reserve on account of depreciation required to be made for investment held under AFS & HFT categories

2. The Bank has complied with the Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) to the extent applicable as under:

2.1 Accounting Standard 5 – Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies.

As prior period items of income/expenditure are not material, the same have been charged/accounted for in respective heads of accounts.

2.2 Accounting Standard 9 – Revenue Recognition

As per Accounting Policy No. 7(i), certain items of income are recognized on realization basis on account of statutory requirements or materiality.

3. Fixed Assets:

3.1 Depreciation for the current year amounting to ₹131.24 crore on revalued assets has been debited to profit & loss account, with a corresponding transfer of amount from Revaluation Reserve to Revenue Reserve.

Depreciation on revalued portion of assets for financial year 2017-18 amounting to ₹75.75 crores has been adjusted against Revaluation Reserve.

3.2 As per bank’s policy, revaluation of 124 eligible properties has been done as on 31.03.2019. The gross amount of such revaluation included in properties/premises at the end of the year is ₹1504.35 crore (₹1401.91 crore) and considering the depreciation on revaluation, the amount is ₹1373.09 crore (₹1129.99 crore).

3.3 On account of revaluation of properties as on 31.03.2019, the WDV of earlier Revaluation Reserve of ₹1129.99 crore has been reversed.

3.4 The title deeds in respect of 4 (4) revalued properties / premises having cost of ₹ 6.54 crores (₹ 6.54 crore) were not yet executed / registered in favour of the Bank due to certain pending / delayed formalities.

3.5 Capital work-in-progress comprises of the cost of fixed assets that are not yet ready for their intended use at the reporting date. Capital work in progress (CWIP) amounting to ₹ 34.39 crore (₹ 30.07 crore) includes construction of building at Kidwai Nagar, New Delhi. This property has been purchased from the NBCC Ltd and currently under construction, and payment to Ministry of Urban Development, GOI, is linked with stage of completion of work. Considering the substance of the nature of asset and payment terms, said under construction property is classified as Capital Work in progress and disclosed accordingly.

4. Accounting Standard (AS) 15 (Revised 2005)- “Employee Benefits” (Parent Bank):

A. <u>Defined Contribution Plans:</u>

(₹ in Crores)

Particulars	31.03.2019	31.03.2018
a. Provident Fund	0.47	0.54
b. Contribution to Staff Welfare – Welfare Fund Contingency	0.00	0.00

ख. परिभाषित अनुलाभ योजना :

क) **पेंशन योजना -** यह सेवा पश्चात अनुलाभ है, जो कि अधिकतम 33 वर्षों की पेंशन योग्य सेवा हेतु अंतिम वेतन का 50% है। यह निधिगत योजना है।

ख) **उपदान योजना -** यह सेवा पश्चात अनुलाभ है तथा यह कंपनी के नियमों व यथासंशोधित उपदान अधिनियम 1972 के अंतर्गत उच्च उपदान के रूप में संदेय है। यह निधिगत योजना है।

ग) **छुट्टी नकदीकरण/क्षतिपूर्ति की गई अनुपस्थिति -** यह सेवा पश्चात अनुलाभ है तथा अंतिम वेतन पर आधारित 240 दिनों की संचयी छुट्टियों की अधिकतम सीमा के प्रति संदेय है। यह गैर-निधिगत योजना है।

B. Defined Benefit Plans:

a) **Pension Plan-** This is a post-employment benefit, which is 50% of final pay for a maximum of 33 years of pensionable service. This is a funded scheme.

b) **Gratuity Plan-** This is a post-employment benefit and is payable as higher of Gratuity as per Company's Rules and Gratuity under Payment of Gratuity Act 1972 as amended. This is a funded scheme.

c) **Leave Encashment/ Compensated Absences-** This is a post-employment benefit and is payable for a maximum limit of 240 days of accumulated leave based on final pay. This is an unfunded scheme.

I. **परिभाषित अनुलाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन :Change in the Present value of Defined Benefit Obligations:**

(₹करोड़ में) (₹ in Crores)

अ.क्र. S N	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS		छुट्टी का नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
1	परिभाषित अनुलाभ दायित्वों का आरंभिक वर्तमान मूल्य Opening Present Value of Defined Benefit Obligation	5290.29	4793.48	580.31	482.84	289.16	301.62
2	ब्याज लागत Interest Cost	374.33	350.03	39.48	33.78	20.67	21.73
3	वर्तमान सेवा लागत Current Service Cost	204.37	92.16	22.30	25.97	35.07	18.52
4	पूर्व सेवा लागत Past Service Cost	--	-	--	147.86	--	0.00
5	भुगतान किए अनुलाभ Benefits Paid	(422.29)	(375.62)	(132.68)	(90.35)	(40.02)	(40.27)
6	वर्ष के लिए बीमांकिक (लाभ)/हानि Actuarial (Gains)/Losses for the year	294.20	430.24	26.82	(19.79)	(25.88)	(12.44)
7	परिभाषित अनुलाभ दायित्वों का अंतिम वर्तमान मूल्य Closing Present Value of Defined Benefit Obligation	**5740.90**	**5290.29**	**536.22**	**580.31***	**279.00**	**289.16**

*As per IBA guidelines dated 27.04.2018 the Bank is allowed to amortize additional provision on Gratuity due to increase in limit to ₹ 20 Lakhs. Accordingly the Bank has assessed additional liability to the extent of ₹ 147.86 Crore to be amortized over four quarters starting from quarter ended March 2018.

*भारतीय बैंकिंग संघ के दिनांक 27.04.2018 के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक को ₹20 लाख की सीमा में वृद्धि के कारण उपदान पर परिशोधित अतिरिक्त प्रावधान करने की अनुमति दी गई है। तदनुसार बैंक ने मार्च 2018 को समाप्त तिमाही से लेकर चार तिमाहियों से अधिक के लिए ₹147.86 करोड़ की सीमा तक परिशोधित किए जाने हेतु अतिरिक्त देयता का आकलन किया है।

II. **योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन Change in the Fair Value of Plan Assets:**

(₹ करोड़ में) (₹ in Crores)

अ.क्र. S N	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS	
		31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
1	योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य Opening fair value of plan assets	5361.50	4769.00	441.97	467.43
2	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected return on plan assets	437.50	375.80	40.66	41.73
3	दिया गया अंशदान Contributions made	350.32	569.70	181.50	26.00
4	भुगतान किया गया अनुलाभ Benefits paid	(422.29)	(375.62)	(132.68)	(90.35)
5	बीमांकिक लाभ / हानि Actuarial gains/losses	(2.70)	22.62	2.23	(2.86)
6	योजना आस्तियों का अंतिम उचित मूल्य Closing fair value of plan assets	**5724.33**	**5361.50**	**533.72**	**441.97**

III. तुलन पत्र में मान्यताप्राप्त राशि Amount recognized in the Balance Sheet:

(₹ करोड़ में) (₹ in Crores)

क्र. सं. S N	विवरण Particulars	निधिक परिभाषित लाभ दायित्व FUNDED DEFINED BENEFIT OBLIGATIONS						गैरनिधिक परिभाषित लाभ दायित्व UNFUNDED DEFINED BENEFIT OBLIGATIONS	
		पेंशन योजनाएं PENSION PLANS		उपदान योजनाएं GRATUITY PLANS		कुल TOTAL		छुट्टी नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.19	31.03.18	31.03.19	31.03.18	31.03.19	31.03.18	31.03.19	31.03.18
1	परिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य Present Value of Defined Benefit Obligations	5740.90	5290.29	534.84	579.65	6276.43	5870.00	279.00	289.16
2	योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Plan Assets	5724.33	(5361.50)	532.97	(441.31)	(6257.36)	(5802.87)	0.00	0.00
3	निर्धारित निवल देयता Net liability to be recognized	16.57	(71.21)	2.50	138.34	19.07	67.13	279.00	289.16
4	तुलनपत्र में निर्धारित अन्य रकम Other amount recognized in the Balance Sheet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	तुलनपत्र में निर्धारित निवल देयता Net liability recognized in the Balance Sheet	16.57	(71.21)	2.50	138.34	19.07	67.13	279.00	289.16

IV. लाभ व हानि खाते में मान्यताप्राप्त राशि Amount recognized in the Profit & Loss Account:

(₹ करोड़ में) (₹ in Crores)

अ.क्र. S N	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS		छुट्टी का नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
1	चालू सेवा लागत Current Service Cost	204.37	92.16	22.28	25.95	35.07	18.52
2	ब्याज लागत Interest Cost	374.33	350.03	39.43	33.74	20.67	21.73
3	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected Return on Plan Assets	(437.5)	(375.80)	(40.61)	(41.69)	0.00	0.00
4	वर्ष के लिए बीमांकिक (लाभ)/हानि Actuarial (Gains)/Losses for the year	296.9	407.61	(24.53)	(16.95)	(25.88)	(12.44)
5	पूर्व सेवा लागत Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	147.86	0.00	0.00
6	**मान्यता हेतु व्यय Expense to be recognized**	**438.10**	**474.00**	**45.66**	**148.93**	**29.86**	**27.81**
7	वर्ष के दौरान किया गया अतिरिक्त प्रावधान/(प्रतिलेखन) Additional provision made / (write back) during the year	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	**लाभ व हानि खाते में मान्यता प्राप्त तथा स्टाफ लागत में शामिल निवल व्यय Net expense recognized in Profit & Loss Account and included in Staff Cost**	**438.10**	**474.00**	**45.66**	**148.93***	**29.86**	**27.81**

*As per IBA guidelines the Bank is allowed to amortize the additional provision on account of increase in Gratuity limit to ₹20 lacs over four quarters from the period ended March 2018. Accordingly Bank has amortized expenses of ₹36.96 crores in June 2018, September 2018 and December 2018 quarter respectively.

* भारतीय बैंकिंग संघ के दिशानिर्देशों के अनुसार मार्च 2018 की समाप्त अवधि से बैंक को चार तिमाहियों पर ₹20 लाख की उपदान सीमा में वृद्धि के कारण उपदान पर परिशोधित अतिरिक्त प्रावधान करने की अनुमति दी गई है। तदनुसार, बैंक द्वारा ₹36.96 करोड़ के खर्च को क्रमशः जून 2018, सितंबर 2018 तथा दिसंबर 2018 तिमाही में परिशोधित किया गया है.

V. तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयता में समाधान Reconciliation in the Net Liability recognized in the Balance Sheet

(₹ करोड़ में) (₹ in Crores)

अ.क्र. Sr. No	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS		छुट्टी का नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
1	आरंभिक निवल देयता Opening Net Liability	(71.22)	24.48	138.34	15.41	289.16	301.62
2	मान्यताप्राप्त व्यय Expense recognized	438.10	474.00	45.66	148.93	29.86	27.81
3	अंशदान/अनुलाभ का भुगतान Contributions/Benefits paid	(350.32)	(569.70)	(181.50)	(26.00)	(40.02)	(40.27)
4	**अंतिम निवल देयता Closing Net Liability**	**16.57**	**(71.22)**	**2.50**	**138.34***	**279.00**	**289.16**

*As per IBA guidelines the Bank is allowed to amortize the additional provision on account of increase in Gratuity limit to ₹20 lacs over four quarters from the period ended March 2018. Accordingly Bank has amortized expenses of ₹36.96 crores in June 2018, September 2018 and December 2018 quarter respectively.

बैंकिंग संघ के दिशानिर्देशों के अनुसार मार्च 2018 की समाप्त अवधि से बैंक को चार तिमाहियों पर ₹20 लाख की उपदान सीमा में वृद्धि के कारण उपदान पर परिशोधित अतिरिक्त प्रावधान करने की अनुमति दी गई है। तदनुसार, बैंक द्वारा ₹36.96 करोड़ के खर्च को क्रमशः जून 2018, सितंबर 2018 तथा दिसंबर 2018 तिमाही में परिशोधित किया गया ह

VI. योजना आस्तियों पर वास्तविक आय Actual Return on Plan Assets

(₹ करोड़ में) (₹ in Crores)

अ.क्र. Sr No	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS	
		31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
1	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected return on plan assets	437.50	375.80	40.66	41.73
2	योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ (हानि) Actuarial gain (loss) on plan assets	2.70	22.62	2.23	(2.68)
3	**योजना आस्तियों पर वास्तविक आय Actual return on plan assets**	**434.80**	**398.42**	**42.89**	**39.05**

VII. मूल बीमांकिक मान्यताएं (भारित औसत के रूप में व्यक्त) Principal Actuarial Assumptions (expressed as weighted averages)

अ.क्र. Sr No	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS		छुट्टी का नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
1	बट्टा दर Discount rate	7.37%	7.60%	7.68%	7.72%	7.68%	7.72%
2	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected return on plan assets	8.16%	7.88%	9.20%	8.93%	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
3	वेतन वृद्धि की अपेक्षित दर Expected rate of salary increases	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%

ग. अन्य दीर्घावधि अनुलाभ :

(₹.करोड में)

अ.क्र.	विवरण	लाभ व हानि खाते में मान्यता प्राप्त	
		31.03.2019	31.03.2018
1	पुनर्वास भत्ता	0.20	0.10
2	छुट्टी किराया रियायत	14.80	11.68
3	रजत जयंती अवार्ड	0.06	(0.12)
	कुल	**15.11**	**11.66**

C. Other Long Term Benefits:

(₹ in Crores)

Sr No	Particulars	Recognized in Profit & Loss Account	
		31.03.2019	31.03.2018
1	Resettlement Allowance	0.20	0.10
2	Leave Fare Concession	14.80	11.68
3	Silver Jubilee Award	0.06	(0.12)
	Total	**15.11**	**11.66**

5. समेकित खंड रिपोर्टिंग (लेखा मानक 17) Consolidated Segment Reporting (AS-17):

(₹ करोड़ में) (₹ in Crores)

व्यवसाय खंड Business Segments	खजाना Treasury		निगमित / थोक बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking		रिटेल बैंकिंग Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other bankin Operations		कुल Total	
विवरण Particulars	**2018-19**	**2017-18**	**2018-19**	**2017-18**	**2018-19**	**2017-18**	**2018-19**	**2017-18**	**2018-19**	**2017-18**
राजस्व Revenue	4472.65	4205.45	3764.18	3664.35	3753.34	4229.37	427.75	536.99	12417.92	12636.16
परिणाम Result	1263.22	1342.42	(4919.49)	(3946.29)	(1533.73)	(838.02)	81.65	209.98	(5108.34)	(3231.91)
अनाबंटित खर्च Unallocated expenses									0.00	0.00
परिचालनगत लाभ Operating profit									(5108.34)	(3231.91)
आस्थगित कर सहित कर Taxes including deferred taxes									(345.10)	(2119.89)
असाधारण लाभ/हानि Extraordinary profit/ loss	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	-	-
निवल लाभ Net profit									(4763.24)	(1112.02)
अन्य जानकारी Other Information:										
खंड आस्तियां Segment assets	62703.19	52772.29	51300.76	51366.48	33809.90	36761.07	12590.90	11294.27	160404.75	152194.11
अनाबंटित आस्तियां Unallocated assets									4130.78	4134.64
कुल आस्तियां Total assets									**164535.53**	**156328.75**
खंड देयताएं Segment liabilities	61826.98	52086.15	49846.16	50086.37	32765.02	35708.42	14357.93	8503.84	158796.09	146384.79
अनाबंटित देयताएं Unallocated liabilities									0.00	0.00
पूंजी और अन्य आरक्षितियां Capital & Other Reserves									5739.44	9943.96
कुल देयताएं Total liabilities									**164535.53**	**156328.75**

क) खजाना खंड में निवेश, भारत के बाहर स्थित बैंकों में अधिशेष, निवेशों पर उपचित ब्याज और उनसे संबंधित आय इत्यादि को शामिल किया गया है।

ख) निगमित और थोक बैंकिंग खंड में न्यासों, भागीदारी फर्मों, कंपनियों और सांविधिक निकायों को दिए गए सभी अग्रिम शामिल हैं जिन्हें रिटेल बैंकिंग खंड में शामिल नहीं किया गया है.

ग) रिटेल बैंकिंग में वैयक्तिक व्यक्ति / व्यक्तियों अथवा ऐसे लघु व्यवसायों को विगोपन शामिल है, जहां

  i. कुल वार्षिक औसत आवर्त ₹50.00 करोड़ से कम है, और
  ii. किसी भी एक प्रतिपक्ष को दी गई सकल उधारियां बैंक के समग्र रिटेल संविभाग के 0.2% से अधिक नहीं है, और
  iii. एक प्रतिपक्ष को प्रदान किया गया अधिकतम सकल रिटेल उधार ₹5.00 करोड़ तक है

घ) ऊपर विनिर्दिष्ट खंडों के अधीन शामिल नहीं किए गए अन्य सभी बैंकिंग संव्यवहारों को अन्य बैंकिंग प्रचालन खंड में शामिल किया गया है।

ङ) गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अनुषंगी कंपनी के व्यवसाय प्रचालन को अन्य बैंकिंग संव्यवहारों में शामिल किया गया है।

भौगोलिक खंड

चूंकि बैंक का प्रचालन केवल भारत की सीमा के अंदर है अत: कोई भौगोलिक खंड लागू नहीं है।

a) Treasury ssegment includes Investment, balances with Banks outside India, Interest accrued on Investments and related income there from.

b) Corporate/ Wholesale Banking Segments include all advances to trusts, partnership firms, companies and statutory bodies which are not included in Retail Banking Segments.

c) Retail Banking Segments include exposure to the individual person/ persons or to a small business where

  i. Total average annual turnover is less than ₹ 50.00 Crores and
  ii. No aggregate exposure to one counterpart exceeds 0.2% of the overall retail portfolio of the Bank and
  iii. The maximum aggregated retail exposure to one counterpart is up to ₹ 5.00 crores.

d) Other Banking Operations segment includes all other banking transaction not covered under segments, specified above.

e) Business operations of subsidiary company is included in other banking operation on account of materiality.

Geographical Segment

Since the operations of the Bank are within India only, Geographical Segment is not applicable.

6. **लेखा मानक 18- संबध्द पक्ष प्रकटन**:

इस संबंध में ब्योरे निम्नानुसार हैं:

(क) संबंधित पक्षों का नाम और उनके संबंध:

क. बैंक की अनुषंगी कंपनी - दी महाराष्ट्र एक्जिक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि.

ख. बैंक की सहायक संस्था - महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक

ग. **महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मी -**

1) श्री रविंद्र मराठे, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (दिनांक 26.09.2016 से 30.11.2018 तक)

2) श्री ए. एस. राजीव, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (दिनांक 02.12.2018 से आज तक)

3) श्री आर. के. गुप्ता, कार्यपालक निदेशक (दिनांक 31.12.2013 से 30.12.2018 तक)

4) श्री ए. सी. राउत, कार्यपालक निदेशक (दिनांक 31.03.2017 से आज तक)

5) श्री हेमन्त कुमार टम्टा कार्यपालक निदेशक (दिनांक 31.12.2018 से आज तक)

(ख) संबंधित पक्षों से संव्यवहार

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.19	31.03.18
वेतन व भत्ते (अनुलाभ सहित)	0.94	0.74
महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मी को ऋण एवं अग्रिम (मंजूर सीमा)	1.53	0.00
महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मी को ऋण एवं अग्रिम (बकाया शेष)	1.01	0.22
महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मियों की जमाराशि (बचत खाता)	0.37	0.36
महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मियों द्वारा जमा संग्रहण	0.15	0.03
महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मी को प्रदत्त ब्याज	0.02	0.03
महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मी से प्राप्त ब्याज	0.04	0.05

मूल बैंक की अनुषंगी और सहायक इकाईयों के साथ संव्यवहारों को संबंधित पक्ष प्रकटन लेखा मानक-18 के परिच्छेद क्र.9 को ध्यान में रखते हुए प्रकट नहीं किया गया है जिससे राज्य नियंत्रित उद्यमों को अन्य राज्य नियंत्रित संबंधित पार्टी के साथ उनके संव्यवहारों के संबंधित किसी प्रकार के प्रकटन से छूट मिलती है.

7. **लेखा मानक 19 - पट्टा**

वित्तीय पट्टा :

पट्टा जिसके तहत बैंक स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को काफी हद तक मानता है, उन्हें वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया है। ऐसी आस्तियों को, आस्ति की उचित दर पर या पट्टे की शुरूआत में पट्टे के भुगतान द्वारा, जो भी कम हो, पूँजीकृत किया जाता है।

परिचालन पट्टा :

पट्टे की अवधि के बाद लाभ और हानि के विवरण में स्ट्रेट लाइन आधार पर परिचालन पट्टे के अंतर्गत पट्टा भुगतान व्यय के रूप में मान्य है। परिचालन पट्टों के लिए लाभ और हानि खाते में पट्टा भुगतान की राशि ₹143.43 करोड़ (पिछले वर्ष ₹138.51 करोड़) है।

6. **Accounting Standard 18 – Related party disclosures:**

The details in this regard are as under:

(A) Name of the Related Parties and their relationship:

(a) Subsidiary of the Bank – The Maharashtra Executor & Trustee Co. Pvt. Limited

(b) Associate of the Bank - Maharashtra Gramin Bank

(c) **Key Management Personnel-**

1) Shri Ravindra Marathe, Managing Director and CEO (from 26.09.2016 to 30.11.2018)

2) Shri A S Rajeev, Managing Director & CEO (from 02.12.2018 till date)

3) Shri R K Gupta, Executive Director (from 31.12.2013 to 30.12.2018)

4) Shri A C Rout, Executive Director (from 31.03.2017 to till date)

5) Shri Hemant Kumar Tamta, Executive Director (from 31.12.2018 till date)

(B) Transactions with Related parties

(₹ in Crores)

Particulars	31.03.19	31.03.18
Salary & Allowances (including perquisites)	0.94	0.74
Loans & Advances to Key Management Personnel (Limit sanctioned)	1.53	0.00
Loans & Advances to Key Management Personnel (Outstanding Balance)	1.01	0.22
Deposits of Key Management Personnel (Saving accounts)	0.37	0.36
Placement of Deposits by Key Management Personnel	0.15	0.03
Interest paid to Key Management Personnel	0.02	0.03
Interest received from Key Management Personnel	0.04	0.05

The transactions with the subsidiary and associate of the parent bank have not been disclosed in view of para 9 of the AS- 18 Related Parties Disclosures, which exempts state controlled enterprises from making any disclosure pertaining to their transactions with other state controlled related parties.

7. **Accounting Standard 19 - Leases**

Finance Leases:

Lease under which the Bank assumes substantially all the risks and rewards of ownership are classified as finance leases. Such assets acquired are capitalized at fair value of the asset or lease payments at the inception of the lease, whichever is lower.

Operating Leases:

Lease payments under operating leases are recognized as an expense as and when incurred in the statement of Profit and Loss over the lease term. Amount of lease payments recognized in the Profit and Loss Account for operating leases is ₹ 143.43 crore (Previous year ₹ 138.51 crore)

8. **लेखा मानक 20 - प्रति शेयर आय**

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
मूल/डायलुटेड प्रति शेयर आय	(14.19)	(8.72)
मूल/डायलुटेड प्रति शेयर आय की गणना		
क) अधिमान शेयरों पर लाभांश तथा कर के बाद निवल लाभ (₹ लाख में)	(476324.74)	(11202.80)
ख) इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्या लाख में)	33557	12754
ग) प्रति शेयर मूल आय (ख) द्वारा विभाजित (क)	(14.19)	(8.72)
घ) प्रति शेयर नाममात्र मूल्य	10.00	10.00

9. **समेकित वित्तीय विवरण पर लेखा मानक (एएस-21)**

सहायक इकाई अर्थात महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक के परिणामों का मूल बैंक और अनुषंगी अर्थात महाराष्ट्र एक्सक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लिमिटेड के साथ क्रमशः लेखा मानक 23 तथा लेखा मानक 21 के अनुपालन में समेकन किया गया है और यह समेकन ऐसी सहायक कंपनी की अलेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर किया गया है.

10. **लेखा मानक - 22 - आय पर करों का लेखा** :

बैंक द्वारा की गई गहन पुनरीक्षा और भविष्य की करयोग्य आय, जिसके समक्ष संचयी हानि के लिए प्रावधान के कारण समय अंतराल उत्पन्न होते हैं, की उपलब्धता की उचित निश्चितता के आधार पर खराब व संदेहास्पद ऋणों (एनपीए), कर्मचारी लाभों इत्यादि को वसूला जा सकता है और तदनुसार वर्ष 2018-19 के दौरान मूल बैंक ने लेखा मानक 22 के अनुसार आयकर का लेखांकन किया है. तदनुसार आस्थगित कर आस्तियों और आस्थगित कर दायित्वों का अभिनिर्धारण किया गया है. आस्थगित कर आस्तियों और आस्थगित कर दायित्वों के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
आस्थगित कर आस्तियां		
1) संचित हानि के कारण	1164.15	1152.96
2) कर्मचारी अनुलाभ हेतु प्रावधान की रकम के कारण	131.07	259.06
3) अन्य प्रावधान - जहां डीटीए बनाया गया है	1966.02	1491.02
4) अचल आस्तियों के मूल्य-हास के कारण	37.14	46.67
कुल	**3298.38**	**2949.71**
आस्थगित कर देयता		
1) धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षितियों के कारण	173.35	171.68
2) निवेश में ह्रास के कारण	162.64	161.08
3) अचल आस्तियों के मूल्य-हास के कारण	0.00	0.00
4) अन्य प्रावधान जहां डीटीएल तैयार किया गया है	0.00	0.00
उप-जोड़ (बी)	**335.99**	**332.76**
निवल आस्थगित कर आस्तियां (ए-बी)	**2962.39**	**2616.95**

11. **लेखा मानक 26 - अमूर्त आस्तियों का लेखांकन**

आंतरिक रूप से निर्मित कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के अतिरिक्त :

उपयोगी अवधि	3 वर्ष
परिशोधन दर	33.33%
परिशोधन पद्धति	लागत पर सीधी रेखा पद्धति

8. **Accounting Standard 20- Earning per Share**

Particulars	31.03.2019	31.03.2018
Basic / Diluted E.P.S.	(14.19)	(8.72)
Calculation of Basic /Diluted EPS.		
a) Net Profit after Tax and dividend on preference shares (₹ in lakhs)	(476324.74)	(11202.80)
b) Weighted Average number of Equity Shares (Nos. in Lakhs)	33557	12754
c) Basic Earnings per share (a) divided by (b)	(14.19)	(8.72)
d) Nominal Value per Share	10.00	10.00

9. **Accounting Standard on Consolidated Financial Statements (AS – 21)**

The results of the Associate viz. Maharashtra Gramin Bank has been consolidated with the parent bank and subsidiary viz. Maharashtra Executor & Trustee Company Private Limited in compliance with Accounting Standard 23 and Accounting Standard 21 respectively.

10. **Accounting for Taxes on Income (AS-22):**

Based on the thorough review by the bank and on reasonable certainty of availability of future taxable income against which timing differences arising on account of provision for accumulated losses, Bad & Doubtful Debts (NPA), employee benefits etc. can be realized and accordingly during the year 2018-19, the parent bank has accounted for Income Tax in compliance with AS 22. Accordingly, Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are recognized. Major Components of Deferred Tax Assets & Deferred Tax Liabilities are as under:

(₹ in Crores)

Particulars	31.03.2019	31.03.2018
Deferred Tax Assets		
1) On account of Accumulated Losses	1164.15	1152.96
2) On account of provisions for Employees benefits	131.07	259.06
3) Other Provisions where DTA is created	1966.02	1491.02
4)On account of depreciation on fixed assets	37.14	46.67
Total	**3298.38**	**2949.71**
Deferred Tax Liability		
1) On account of Special Reserve u/s 36(1) (viii)	173.35	171.68
2) On account of Depreciation on Investment	162.64	161.08
3) On account of Depreciation on Fixed Assets	0.00	0.00
4) Other Provisions where DTL is created	0.00	0.00
Sub-Total (B)	**335.99**	**332.76**
Net Deferred Tax Asset (A-B)	**2962.39**	**2616.95**

11. **Accounting Standard 26—Accounting for Intangible Assets.**

Computer Software – other than internally generated:

Useful life	-	3 years.
Amortization Rate	-	33.33 %
Amortization Method	-	Straight line at cost

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
वर्ष के आरंभ में सॉफ्टवेयर	37.10	17.82
वर्ष के दौरान लिए गये सॉफ्टवेयर	33.79	58.23
वर्ष के दौरान परिशोधन	28.68	38.95
वर्ष की समाप्ति पर आगे ले जाई गई निवल राशि	42.21	37.10

नोट- सॉफ्टवेयर के पिछले साल के आंकड़ों को सही संतुलन पर पहुंचाने के लिए पुनर्मूल्यांकित किया गया और सुधारा गया है।

12. आस्तियों का अनर्जक होना (लेखा मानक - 28):

बैंक ने अभिनिर्धारित किया है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कोई भी अचल आस्तियाँ अनर्जक नहीं हुई हैं, इसलिए लेखा मानक 28 के अनुसार कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है।

13. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां (लेखा मानक - 29)

प्रबंधन के मतानुसार अनुसूची 12 में संदर्भित आकस्मिक देयताओं के लिए कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं है।

14. अन्य आस्तियों व अन्य देयताओं के अन्तर्गत पुरानी प्रविष्टियों, नाममात्र खातों सहित अन्य बैंकों / संस्थाओं के पास संव्यवहारों, अंतरशाखा संव्यवहारों के समायोजन/समाधान/समापन का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त अन्य आस्तियों/देयताओं, समाशोधन खातों और कुछ जमा खातों के संबंध में सामान्य खाता बही और अनुषंगी में शेष के बीच समाधान और अचल आस्तियों पर प्रभार तथा अचल आस्तियों के अंतरशाखा अंतरण का कार्य प्रगति पर है। राजस्व पर इनके प्रभाव के साथ ही इनके परिणामी प्रभाव का पता लगाया नहीं जा सकता. प्रबंधन के अभिमत में इनका राजस्व पर परिणामी प्रभाव मामूली है।

15. खातों पर अन्य विशिष्ट टिप्पणियां

इनका उल्लेख "खातों पर टिप्पणियां" के अधीन बैंक और इसके सहायक प्रतिष्ठानों तथा सहयोगियों के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों में किया गया है।

16. ऋण एवं अग्रिमों में धोखाधड़ी के मामलों का प्रावधान:

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों को जालसाजी की पहचान के दिनांक से आरंभ करके 4 तिमाहियों में जालसाजी के मामलों के प्रति प्रावधान का परिशोधन करने की अनुमति है और जहां प्रावधान दो अलग अलग वित्तीय वर्षों में किए गए हों वहां प्रावधान न की गई राशि संबंधित वर्ष की समाप्ति पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 18.04.2016 के परिपत्र क्र. डीबीआर.क्र.बीपी.बीसी.92/21.04.048/2015-16 द्वारा राजस्व आरक्षिती को प्रभारित की जानी है।

(₹ In Crores)

Particulars	31.03.2019	31.03.2018
Software at the beginning of the year	37.10	17.82
Software acquired during the year	33.79	58.23
Amortization during the year	28.68	38.95
Net carrying amount at the end of the year	42.21	37.10

Note: Previous Year figures of software have been regrouped and rectified to arrive at the correct balance

12. Impairment of Assets (AS-28):

Bank has identified that there is no impairment of fixed assets during current financial year and as such no provision is required as per AS-28.

13. Provisions, Contingent Liabilities & Contingent Assets (AS-29):

In the opinion of the management, no further provision is required against contingent liabilities referred in Schedule 12.

14. Work is in progress for adjustment/ reconciliation/elimination of inter-branch transactions, transactions with other banks/ institutions, nominal accounts and old entries under other assets and liabilities. Further reconciliation between balances in subsidiary and general ledger in respect of certain deposit accounts, clearing accounts, other assets & liabilities and inter-branch transfer of fixed assets is still under progress. The effect of these including the consequential impact thereof on the revenue is not ascertainable. In the opinion of the management consequential impact thereof on revenue is not material

15. Other significant Notes on Accounts.

These are set out under "Notes on Accounts" as given in the standalone financial statements of the bank, its subsidiary and the associate.

16. Provision for fraud cases in loans and advances:

In terms of RBI guidelines, the banks are permitted to amortize the provision towards fraud cases in four quarters beginning from the date of detection of fraud and where the provision is made in two different financial years, the unprovided amount has to be charged to Revenue Reserve vide RBI circular DBR. No. BP.BC.92/21.04.048/2015-16 dated 18.04.2016 as on the relevant year end.

(₹ करोड़ में) (₹ in crores)

31.03.2019 को समाप्त वर्ष तक (मामलों की संख्या) Up to the year ended 31.03.2019 (No. of Cases)	31.03.2019 को समाप्त तिमाही के दौरान (मामलों की संख्या During the quarter ended 31.03.2019 (No. of Cases)	31.03.2019 को समाप्त वर्ष तक (राशि) Up to the year ended 31.03.2019 (Amount)	31.03.2019 को समाप्त तिमाही के दौरान (राशि) During the quarter ending 31.03.2019 (Amount)	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रावधान की मात्रा (राशि) Quantum of provision made during the year ended 31.03.2019 (Amount)	31.03.2019 को समाप्त वर्ष को राजस्व आरक्षित को नामे डाली गई परिशोधित प्रावधान की मात्रा (राशि) Quantum of amortised provision debited to "Revenue Reserves" as at the year ended 31.03.2019 (Amount)
167	42	1447.99	410.62	1447.99	0

वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक ने वर्ष में पाई गई धोखाधड़ी के संबंध में ₹1447.99 करोड़ (₹967.04 करोड़) का पूर्ण प्रावधान किया है और वर्ष 2018-19 के दौरान पाई गई धोखाधड़ियों के लिए कोई अपरिशोधित प्रावधान नहीं है।

17. जहां कहीं आवश्यक हुआ, गत वर्ष के आंकड़ों को पुनःसमूहबद्ध/ पुनःवर्गीकृत किया गया है ताकि उन्हें चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलनयोग्य बनाया जा सके।

During the year 2018-19, the bank has made full provision for the frauds of ₹1447.99 (Rs. 967.04) crores detected during the year and there is no un-amortized provision for frauds detected during 2018-19.

17. Previous year's figures have been regrouped / reclassified wherever considered necessary to make them comparable with current year's figures.

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह का विवरण
STATEMENT OF CONSOLIDATED CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2019

(रू. हजार में) (Rs. in thousands)

विवरण Particulars		31.03.2019 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2019		31.03.2018 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2018	
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह:					
A. Cash Flow From Operating Activities:					
आय Income					
वर्ष के दौरान अग्रिम, निवेश इत्यादि से प्राप्त ब्याज					
Interest received during the year from advances, Investments etc.		10849,68,78		11096,42,54	
अन्य आय Other Income		1568,22,72	**12417,91,50**	1539,73,10	**12636,15,64**
घटाएं:व्यय व प्रावधान Less: Expenditure & Provisions					
वर्ष के दौरान जमा व उधारी पर भुगतान किया ब्याज					
Interest Paid during the year on Deposits and Borrowings		7115,15,22		7705,77,39	
परिचालन व्यय Operating Expenses		3084,17,94		2705,11,18	
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं Provisions & Contingencies		6981,83,08	**17181,16,24**	3337,29,87	**13748,18,44**
व्यय के ऊपर आय अधिक होने के कारण नकदी में निवल वृद्धि					
Net Increase in Cash due to Increase of Income over Expenses			**-4763,24,74**		**-1112,02,80**
जोड़ें : गैर नकदी मदें एवं अलग विचारित मदें					
Add : Non Cash Items & Items Considered Separately					
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं Provisions & Contingencies		6981,83,08		3337,29,87	
अचल संपत्तियों हेतु मूल्यह्रास Depreciation on Fixed Assets		241,37,33		128,59,71	
आय का हिस्सा / सहयोगी संस्था में हानि Share of Earnings/Loss in associates		19,80,14		-32,85,43	
अचल संपत्ति के विक्रय पर लाभ/हानि					
Profit/Loss on sale of Fixed Assets		6,96		-1,21,82	
राजस्व आरक्षिति निधि में वृद्धि					
Addition to reserve reserve				-	
बांड, पीसीपीएस व आईपीडीआईपर ब्याज					
Interest on Bonds, PCPS and IPDI		283,44,28	**7526,51,79**	461,78,29	**3893,60,62**
			2763,27,05		**2781,57,82**
घटाएं: प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (निवल) Less: Direct Taxes Paid (Net)			**19**		**225,22,32**
परिचालन से अर्जित नकद लाभ					
Cash Profit Generated From Operations	(I)		**2763,26,86**		**2556,35,50**
परिचालनगत देयताओं की वृद्धि/(कमी) :					
Increase / (Decrease) of Operating Liabilities:					
जमाराशियां Deposits		1669,62,01		-73,59,09	
बांड उधारियों के अलावा अन्य उधारियां					
Borrowings other than Bond Borrowings		6285,45,66		-2147,93,73	
अन्य देयताएं व प्रावधान Other Liabilities & Provision		-6823,10,91		-4451,35,79	
परिचालनगत देयताओं में कुल वृद्धि					
Total of Increase of Operating Liabilities		**1131,96,76**		**-6672,88,61**	
घटाएं:परिचालन आस्तियों की वृद्धि/(कमी)					
Less: Increase / (Decrease) of Operating Assets					
निवेश Investments		16114,60,10		5032,61,40	
अग्रिम Advances		-3131,06,64		-9717,95,24	
अन्य आस्तियां Other Assets		1734,38,41		2292,23,41	
कुल परिचालन आस्तियों की कुल वृद्धि					
Total of Increase of Operating Assets		**14717,91,87**		**-2393,10,43**	
परिचालनगत आस्तियों पर परिचालनगत देयताओं में निवल वृद्धि					
Net Increase Of Operating Liabilities Over Operating Assets	(II)		**-13585,95,12**		**-4279,78,18**
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह					
Cash Flow From Operating Activities	(क (A) = I+II)		**-10822,68,26**		**-1723,42,68**
ख निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह					
B. Cash Flow From Investing Activities					
अचल संपत्तियों का विक्रय Sale of Fixed Assets		6,80,51		5,26,80	
अचल संपत्तियों का क्रय Purchase of Fixed Assets		-132,73,90		-139,70,96	
सहयोगी प्रतिष्ठान में निवेश Investment made in Associates		–		–	
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	(ख)				
Net Cash Flow From Investing Activities	(B)		**-125,93,39**		**-134,44,16**

ग वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
C. Cash Flow From Financing Activities:				
i) बांडों को जारी /(मोचन) करना Issue/ (Redemption) of Bonds	-200,00,00		-1925,00,00	
ii) ईक्विटी एवं पीएनसीपीएस पर लाभांश Dividend on Equity & PNCPS	-		-	
iii) लाभांश वितरण कर Dividend Distribution Tax	-		-	
iv) बांड, पीसीपीएस व आईपीडीआई पर ब्याज Interest on Bonds, PCPS and IPDI	-283,44,28		-461,78,29	
v) ईक्विटी शेयरों को जारी करना/(शेयर आवेदन राशि) Issue of Equity Shares /(Share Apllication Money)	4703,00,00		3486,58,43	
वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह (ग) Cash Flow From Financing Activities (C)		**4219,55,72**		**1099,80,14**
वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह Total Cash Flow During The Year (क+ख+ग) (A+B+C)		**-6729,05,93**		**-758,06,70**

Note : जहां आवश्यक हुआ पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित और पुन:वर्गीकृत किया गया है। Previous year figures have been regrouped and reclassified whenever necessary.

(₹ हजार में) (₹ in Thousand)

ब्योरे Particulars	**31.03.2019 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2019**	**31.03.2018 को समाप्त वर्ष** Year Ended 31-03-2018
द्वारा प्रतिनिधित्व- Represented By-		
वर्ष के आरंभ में नकदी व नकदी के समतुल्य Cash and Cash equivalents at the beginning of the year		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी व अधिशेष Cash & Balance with RBI	**15809,06,35**	15274,72,19
बैंकों के पास शेष, मांग व अल्प नोटिस पर प्राप्य धन Balances with Banks & Money at Call & Short notice	**74,95,09**	1367,35,95
	15884,01,44	**16642,08,14**
वर्ष के अंत में नकदी व नकदी के समतुल्य Cash and Cash equivalents at the end of the year		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी व अधिशेष Cash & Balances with RBI	**7919,98,72**	15809,06,35
बैंकों के पास शेष, मांग व अल्प नोटिस पर प्राप्य धन Balance with banks & money at call & Short notice	**1234,96,79**	74,95,09
	9154,95,51	**15884,01,44**
वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह Total Cash Flow During The Year	**-6729,05,93**	**-758,06,70**

एल. डी. कौंडण्य
सहायक महाप्रबंधक, वि. प्र. व लेखा
L D KAUNDANYA
Asst. Gen Manager, FM&A

वी. पी. श्रीवास्तव
सीएफओ एवं महाप्रबंधक, वि. प्र. व लेखा
V. P. SRIVASTAVA
CFO & General Manager, FM&A

हेमन्त टम्टा
कार्यपालक निदेशक
HEMANT TAMTA
Executive Director

ए. सी. राउत
कार्यपालक निदेशक
A.C. ROUT
Executive Director

ए. एस. राजीव
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
A. S. RAJEEV
Managing Director & CEO

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED

कृते पी पारिख एंड एसोसिएट्स
एफआरएन - 107564डब्ल्यू
सनदी लेखाकार
For P Parikh & Associates
FRN - 107564W
Chartered Accountants

कृते एम डी गुजराती एंड कंपनी
एफआरएन: 005301एन
सनदी लेखाकार
For M D Gujrati & Co
FRN: 005301N
Chartered Accountants

कृते पी जी भागवत
एफआरएन - 101118डब्ल्यू
सनदी लेखाकार
For P G Bhagwat
FRN - 101118W
Chartered Accountants

कृते के गोपाल राव एंड कंपनी
एफआरएन: 000956एस
सनदी लेखाकार
For K Gopal Rao & Co.
FRN: 000956S
Chartered Accountants

सीए जितेश जैन
भागीदार
सदस्यता क्र.: 114920
CA Jitesh Jain
Parther
Membership No: 114920

सीए मनोहर दास गुजराती
भागीदार
सदस्यता क्र.: 081552
CA Manohar Das Gujrati
Parther
Membership No. 081552

सीए नचिकेत देव
भागीदार
सदस्यता क्र.: 117695
CA Nachiket Deo
Parther
Membership No. 117695

सीए के गोपाल राव
भागीदार
सदस्यता क्र.: 018230
CA K Gopal Rao
Parther
Membership No. 018230

स्थान : पुणे Place : Pune
दिनांक : 29 अप्रैल, 2019 Date : 29th April, 2019

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

मेसर्स पी. पारीख एंड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार 501, सुजाता चेंबर्स, ऑफ नरसी नाथा स्ट्रीट मुंबई-400009	**मेसर्स एम. डी. गुजराती एंड कंपनी** सनदी लेखाकार कृष्णाश्रय, जे-8 (जीएफ) ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110016
मेसर्स पी. जी. भागवत सनदी लेखाकार सुइट 101-102, आर्केड, डॉ. पै मार्ग बाणेर, पुणे 411045	**मेसर्स के. गोपाल राव एंड कंपनी** सनदी लेखाकार 21, मुस्सा स्ट्रीट, टी नगर चेन्नै -600017

प्रति,

बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सदस्य,

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

1. बैंक ऑफ महाराष्ट्र ('द होल्डिंग कंपनी') और उसकी सहायक कंपनी (धारक कंपनी और उसकी सहायक कंपनी को एक साथ 'समूह (द ग्रुप)' के रूप में संदर्भित किया गया है), इसके सहयोगी संस्थान के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों, जिसमें 31 मार्च 2019 का समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ और हानि विवरण तथा समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश सहित समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां और अन्य स्पष्टीकरण संबंधी सूचनाओं (इसके बाद 'समेकित वित्तीय विवरणों' के रूप में संदर्भित) की हमने लेखा परीक्षा की है।

2. हमारी राय में और हमारी श्रेष्ठ जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 ("अधिनियम"), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक जानकारी तथा 31 मार्च, 2019 को समूह, इसकी सहयोगी कंपनियों के मामलों की समेकित स्थिति, उस दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह और समेकित हानि का भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखा मानकों सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसरण में बैंक के लिए आवश्यक तरीके के अनुसार सही तथा निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

मत के लिए आधार

3. हमने अपनी लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखा परीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरण खंड की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों में विस्तृत रूप से प्रदर्शित किया गया है। हम समूह, इसकी सहयोगी कंपनियों से इसकी नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार स्वतंत्र हैं, जो अधिनियम के प्रावधानों और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिक संहिता (कोड ऑफ एथिक्स) के अनुसरण में भारत के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा से संबद्ध है और हमने नैतिक संहिता (कोड ऑफ एथिक्स) और इन आवश्यकताओं के अनुसरण में अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारे मत को एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मुख्य लेखा परीक्षा मामले

4. हमारे व्यावसायिक अनुमान में मुख्य लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं, जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों पर समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संदर्भ में और इस पर हमारा मत बनाने में विचार किया गया तथा हम इन मामलों पर कोई अलग मत प्रदान नहीं करते हैं।

   बैंक की लेखा परीक्षा के संबंध में मुख्य लेखा परीक्षा मामले और लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया का विवरण निम्नानुसार है:

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

M/s. P. Parikh & Associates Chartered Accountants, 501, Sujata Chambers, Off. Narsi Natha Street, Mumbai – 400009.	**M/s. M. D. Gujrati & Co.** Chartered Accountants, Krishnashraya, J-8 (GF), Green Park Extension, New Delhi-110016.
M/s. P. G. Bhagwat Chartered Accountants, Suites 101-102, Orchad, Dr. Pai Marg, Baner, Pune 411 045.	**M/s. K. Gopal Rao & Co.** Chartered Accountants, 21, Mossa Street, T Nagar, Chennai- 600 017.

To,

The Members of Bank of Maharashtra

Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying consolidated financial statements of Bank of Maharashtra ("the Holding Company") and its subsidiary (Holding Company and its subsidiary together referred to as "the Group"), its associate, which comprise the consolidated Balance Sheet as at March 31, 2019, and the consolidated Statement of Profit and Loss and the Consolidated Statement of Cash Flow for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "the consolidated financial statements").

2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid consolidated financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949("the Act"), the requirements of Reserve Bank of India (RBI). in the manner so required for Bank and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India including accounting standards issued by The Institute of Chartered Accountants of India of the consolidated state of affairs of the Group, its associates as at March 31, 2019, of consolidated loss and its consolidated cash flow for the year ended on that date.

Basis for Opinion

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SA's) issued by The Institute of Chartered Accountants of India. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group, its associate in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in India in terms of the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the provisions of the Act, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

4. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

The Key Audit Matters in relation to audit of the Bank and description of auditor's response are as follows:-

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	मुख्य लेखा परीक्षा मामलों हेतु अनुसरित लेखा परीक्षा प्रक्रिया
1. आय अभिनिर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों पर प्रावधानीकरण मानदंडों पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का अनुपालन करना। अनुसूची 17 समेकित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के बिंदु क्रमांक 5 का संदर्भ। अग्रिमों से आय, कुल आय का 52.88% है। गैर-निष्पादन आस्तियों के संबंध में प्रावधान ₹7227 करोड़ है जो व्यय का 42.06% है। उधारकर्ताओं के लिए ऋण और अग्रिम बैंक की कुल आस्तियों का 50.24% है। यह अग्रिम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आय अभिनिर्धारण और आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण फ्रेमवर्क (आईआरएसी) द्वारा शासित होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने समय-समय पर मास्टर परिपत्रों और उसकी अनुवर्ती अधिसूचनाओं के माध्यम से ये विवेकपूर्ण दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत, ऋण सुविधा के संबंध में आय अभिनिर्धारण और प्रावधानीकरण इसके कार्यशील या गैर-कार्यशील के रूप में वर्गीकरण स्थिति पर आधारित होते हैं। कोई भी ऋण सुविधा तब गैर-निष्पादित हो जाती है "जब यह बैंक के लिए आय उत्पन्न करना बंद कर देती है"। विभिन्न प्रकार की ऋण सुविधाओं (मीयादी ऋण, नकद ऋण और ओवरड्राफ्ट, खरीदे तथा भांजित बिल और अन्य ऋण सुविधाएं) की स्थिति के अभिनिर्धारण के लिए विस्तृत दिशानिर्देश प्रदान किए गए हैं, जो आय अभिनिर्धारण, अग्रिमों के वर्गीकरण और उसके प्रावधानीकरण के उद्देश्य हेतु बैंक के लिए महत्वपूर्ण हैं। बैंक इन मानदंडों पर अपने अग्रिमों को वर्गीकृत करता है, जिन्हें अनुसूची 17 समेकित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के संदर्भित नोट क्रमांक 5 में स्पष्ट किया गया है। संव्यवहार की प्रकृति, इसके परिमाण, साथ ही विनियामक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जिसमें महत्ता के आधार पर प्रतिभूतियों का आकलन, निर्धारण और मूल्यांकन शामिल हैं, अग्रिमों पर आय की लेखा-परीक्षा और उस पर प्रावधानों के लिए महत्वपूर्ण प्रयासों की आवश्यकता होती है। यदि विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों का बैंक द्वारा पालन नहीं किया जाता है तो वर्ष के लिए लाभ/ हानि और निवल अग्रिम स्थिति के संबंध में भौतिक गलत बयानी होगी। इसलिए हमने इसे मुख्य लेखा परीक्षा मामला माना है।	हमने निम्नलिखित मौलिक लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का पालन किया है: - • हमारे पास अनर्जक आस्तियों के अभिनिर्धारण और आगे इसके वर्गीकरण के लिए प्रणाली की मान्य और परीक्षित डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता है। इसमें विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों को समझना और इसे बैंक के समग्र संगठनात्मक और आईटी ढांचे में शामिल करना तथा विभिन्न आंतरिक परिपत्रों और रिपोर्टों के माध्यम से इसका संप्रेषण करना शामिल है। • हमने अग्रिमों की मंजूरी और निगरानी, अधिकारों के प्रत्यायोजन पर आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन किया है। महत्वपूर्ण मूल्यांकन निगरानी/ पर्यवेक्षी ढांचा यथा ऋण लेखा परीक्षा, संगामी लेखा परीक्षा और प्रणाली लेखा परीक्षा के साथ-साथ आंतरिक जांच और विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों के अनुपालन के उद्देश्य से इस तरह के ढांचे की प्रभावशीलता और तुलन का गहन मूल्यांकन किया है। • हमने विशेष रूप से हमें आबंटित शाखाओं में डाटा नमूने पर तैयार शंकाओं के साथ-साथ मानकीकृत रिपोर्टों का उपयोग कर खातों के संचालन पर ध्यान रखते हुए, अनर्जक आस्तियों के अभिनिर्धारण के लिए वित्तीय और साथ ही गैर-वित्तीय कारकों का नमूना परीक्षण किया है। • अनर्जक आस्ति के अभिनिर्धारण पर ब्याज प्रत्यावर्तन और वसूले न गए प्रभारों का नमूना सत्यापन किया है। • शाखाओं की लेखा परीक्षा करने के दौरान आईआरएसी से संबंधित मानदंडों, प्रक्रिया और सत्यापन दिशानिर्देशों के संबंध में शाखा लेखा परीक्षकों को सूचित और जागरूक किया गया। • शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा पारित परिवर्तनों के ज्ञापनों की पूर्णता और सत्यापन सुनिश्चित करना। • नमूना मामलों में प्रावधानीकरण के उद्देश्य से वसूली की संभावना, सुरक्षा मूल्यांकनों का अभिप्रायपूर्वक और गंभीर रूप से मूल्यांकन किया गया। • वर्तमान विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों के अनुसार, अवमानक, संदिग्ध, हानि में प्रणाली द्वारा आस्तियों की अनर्जकता के वर्गीकरण के लिए नमूना अग्रिमों पर सटीकता की जांच की गई और उसे समझा गया। • लेखांकन नीति के अनुसार अपनाई गई दरों पर आईआरएसी वर्गीकरण के आधार पर अनर्जक आस्तियों पर प्रावधानों का सत्यापन।

Key Audit Matter	Audit Procedure followed to address the Key Audit Matter
1. Compliance of guidelines of Reserve Bank of India on Income Recognition, Assets classification and Provisioning Norms on advances. Refer Note No. 5 of Schedule 17 Consolidated Significant Accounting Policies. The Income from Advances constitutes 52.88% of total income. The provision in respect of Non-Performing asset is ₹7227 crores which constitutes 42.06% of the expenditure. The Loans and Advances to borrowers constitutes 50.24% of total asset of the bank. These advances are governed by Income Recognition and Asset Classification and Provisioning Framework (IRAC) issued by Reserve Bank of India. Reserve Bank of India has issued these prudential guidelines from time to time by way of master circulars and subsequent notifications. Under the guidelines, income recognition, and provisioning in respect of a credit facility are based on its status of classification as performing or nonperforming. A credit facility becomes non-performing "when it ceases to generate income for a bank". Detailed guidelines have been laid down for determining the status of different kinds of credit facilities (term loans, cash credits and overdrafts, bills purchased and discounted, and other credit facilities) which are mandatory for bank for the purpose of recognition of income, classification of advances and provisioning thereof. The Bank classifies its advances on these norms which are also explained in the Refer Note No. 5 of Schedule 17 Consolidated Significant Accounting Policies. Considering the nature of transactions, its magnitude, as well as regulatory requirements which include estimation, judgment and valuation of securities on materiality basis, audit of Income on Advances and provisions thereof required significant efforts. The profit/ Loss for the year and the net advances position will be materially misstated if the prudential guidelines are not followed by the bank. Hence we have considered this as Key Audit Matter.	We have performed following substantive audit procedures:- • We have Understood and Tested design and operative effectiveness of the system for identification of Non-Performing Assets and its further classification. This involved understanding of the prudential guidelines and incorporating the same in the overall organisational and IT framework of the bank and its communication through various internal circulars and reports. • We have evaluated Internal Controls over sanctioning and monitoring of advances, delegation of powers. Critically evaluated monitoring/ supervisory framework such as credit audit, concurrent audit and systems audit as well as internal check and balances and effectiveness of such framework for the purpose of compliance of prudential guidelines. • We have done sample testing of financial as well as non-financial factors for identification of non-performing assets by observing conduct of the accounts, using standardised reports as well as running structured queries on the data sample especially to the branches allotted to us. • Performed Sample verification of interest reversals and unrecovered Charges on identification of Non-Performing Asset. • Communicated and made aware to Branch auditors, about IRAC related norms, process and verification guidelines while conducting the audit at branches. • Ensured completeness and verification of Memorandum of Changes passed by Branch Auditors. • Deliberated and critically assessed the security valuation, probability of recovery for the purpose of provisioning in sample cases. • Understood and tested correctness on sample advances for Classification of Non Performing of Assets by the system in to Substandard, Doubtful, Loss as per extant prudential guidelines. • Verified provisions on the non-performing assets based on IRAC classification at the rates adopted as per accounting policy.

2.	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के निवेश का अनुपालन। निवेश को बैंक के व्यवसाय के प्रमुख हिस्से के रूप में लेते हुए हमने इस पहलू को प्रमुख लेखा परीक्षा मामला माना है। बैंक द्वारा अपनाई गई मान्यता पद्धति।	हमने निम्नलिखित मौलिक लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का पालन किया है: - • बैंक से रिपोर्टिंग अवधि के अनुसार निवेशों की सूची प्राप्त की गई और लागू अनुसार डीमैट विवरण, एसजीएल/ आरबीआई धारिता विवरण आदि में धारिता की स्थिति के साथ सामंजस्य स्थापित करके उसकी पूर्णता का पता लगाया गया। • निवेशों की वहन राशि की जाँच की गई और सुनिश्चित किया गया कि इसकी गणना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार संगत आधार पर की जाए। इसकी गणना सामान्यतः बैंक की ई-ट्रेजरी प्रणाली द्वारा की जाती है; इसलिए परीक्षण आधार पर हमने सटीकता सुनिश्चित करने के लिए गणना की जाँच की। • जहां कहीं उद्धरण उपलब्ध थे, रिपोर्टिंग दिनांक पर बाजार मूल्य/ उचित मूल्य प्राप्त करने के स्रोत की जाँच की गई। यदि उद्धरण उपलब्ध नहीं है, तो भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए रिपोर्टिंग दिनांक को उचित मूल्य के लिए गणना की जाँच की गई।
	अनर्जक निवेश और उस पर किए गए प्रावधान।	• भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर अनर्जक निवेश (एनपीआई) का अभिनिर्धारण और बैंक द्वारा उस पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान की गणना की पुनरीक्षा की गई। • यह पुनरीक्षा की गई कि एनपीआई पर मूल्यह्रास को अन्य निष्पादनशील प्रतिभूतियों के संबंध में अभिमूल्यन के समक्ष सेट-ऑफ नहीं किया गया। • ब्याज/ मूल धन के रूपांतरण के परिणामस्वरूप निवेशों की एक अलग सूची प्राप्त की गई और जाँच की गई कि क्या इन निवेशों को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यदि पुनर्गठन योजना के कार्यान्वयन पर ऋण को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
	निवेशों के विक्रय पर लाभ या हानि की गणना।	• निवेश के विक्रय पर लाभ या हानि की जांच की गई और समान आधार पर इसकी सतत और उचित गणना की गई। • परिपक्वता पर धारित (एचटीएम) निवेशों के मामले में, यह परीक्षण किया गया कि क्या इस श्रेणी में निवेशों के विक्रय पर निवल लाभ पहले लाभ और हानि खाते में ले जाया गया था और उसके बाद करों के निवल 'पूंजीगत आरक्षित खाते' को विनियोजित किया गया तथा समानुपातिक को सांविधिक आरक्षिति को अंतरित किया गया, जबकि निवल हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी गई। • विक्रय हेतु उपलब्ध (एएफएस) और व्यापार हेतु धारित (एचएफटी) निवेशों के लिए उपलब्ध होने के मामले में, परीक्षण जांच आधार पर, निवेशों के विक्रय पर इस तरह के लाभ या हानि की गणना की पद्धति को स्वीकार किया गया और जांच की गई कि क्या इसे समुचित रूप से लाभ और हानि विवरण में नामे/जमा किया गया।

2. Compliance of Investments of the Bank as per the guidelines issued by Reserve Bank of India. Investment form major share of the business of the bank we have considered this aspect as Key Audit Matter Valuation methodology adopted by the Bank.	We have performed following substantive audit procedures:- • Obtained list of investments as at reporting period from Bank and ascertained the completeness of the same by reconciling with the holding status in the SGL/ RBI holding statement, Demat statement etc. as applicable. • Checked the carrying amount of investments and ensured that the same is calculated on a consistent basis as per RBI guidelines. This is normally calculated by the Bank's E-treasury system; hence on test basis we checked the calculation for ensuring accuracy. • In case wherever quotes were available, checked the source of capturing market price/ fair value as at reporting date. In case quotes are not available, checked the calculation for fair value as at the reporting date to ensure compliance with RBI guidelines.
Non-Performing Investments and provisions made thereon.	• Identified Non Performing Investments (NPI) based on RBI guidelines and reviewed the calculation of provision for depreciation thereon by the Bank. • Reviewed that the depreciation on NPI has not been set-off against the appreciation in respect of other performing securities. • Obtained a separate list of investments as a result of conversion of interest/ principal and checking whether these investments have been classified as NPI, if the loan's classification is NPA on implementation of the restructuring scheme.
Computation of Gain or Loss on sale of investments.	• Examined whether the profit or loss on sale of investments has been computed properly and consistently on similar basis. • In case of Held to Maturity (HTM) investments, test checked whether the Net Profit on sale of investments in this category was first taken to the Profit & Loss Account, and thereafter appropriated to the 'Capital Reserve Account' net of taxes and proportionate transferred to Statutory Reserve, whereas Net Loss was recognized in the Profit & Loss Account. • In case of Available for Sale (AFS) and Held for Trading (HFT) investments, on a test check basis, reconciled the method of computation of such gain or loss on sale of investments and checked whether the same was appropriately debited/ credited in the profit and loss statements.

3. अनिश्चित कर देयताओं (आकस्मिक) का मूल्यांकन। समेकित वित्तीय विवरण का भाग बनाने वाली अनुसूची 12 का संदर्भ लें। लाभप्रदता/ हानि पर इसके संभावित प्रभाव को देखते हुए इस पर हमने मुख्य लेखा परीक्षा मामलों के रूप में विचार किया।	हमने निम्नलिखित मौलिक लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का पालन किया है: - • पूर्ण किए गए कर निर्धारण के ब्यौरे प्राप्त किए गए और प्रबंधन से 31 मार्च, 2019 तक अद्यतित की मांग की गई। • हमने कर प्रावधान और विवादों के संभावित परिणामों का अनुमान लगाने में प्रबंधन की अंतर्निहित मान्यताओं के विश्लेषण के लिए अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं का निष्पादन किया। • हमने कानूनी अनिश्चितता पर भी विचार किया, इन अनिश्चित कर मुकदमों पर प्रबंधन की स्थिति के मूल्यांकन में विभिन्न मामले कानूनों और अन्य फैसलों का संदर्भ लिया है। • इसके अलावा, हमने 31 मार्च, 2019 को अनिश्चित कर स्थितियों के संबंध में अद्यतन जानकारी के प्रभाव पर विचार किया, ताकि यह मूल्यांकन किया जा सके कि इन अनिश्चितताओं पर प्रबंधन की स्थिति में कोई बदलाव आवश्यक था या नहीं।
4. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का मूल्यांकन। धोखाधड़ी को कम करने के लिए अपनी नीतियों और शासन के संबंध में आईटी नियंत्रण और प्रक्रियाओं की निगरानी करना और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का अनुपालन करना और ऋण क्षमता में संवर्धन करना। हमने आईटी विभाग के मूल्यांकन को एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामला माना है, क्योंकि बैंक की परिचालन और वित्तीय प्रक्रियाएँ काफी हद तक उसकी आईटी प्रणालियों पर निर्भर करती हैं। ऐसी प्रणालियों में गलतियों, चूकों/ गलत आउटपुट, यदि कोई हो, के परिणामस्वरूप वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत बयानी हो सकती है।	हमने निम्नलिखित मौलिक लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का पालन किया है: - • हमने आईटी नीतियों और प्रक्रियाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आईटी नीतियों और नियंत्रणों का प्रभावी मूल्यांकन, निगरानी और नियंत्रण प्राप्त करने में बैंक द्वारा अनुसरण की जाने वाली आईटी नीतियों और प्रक्रियाओं का कार्यान्वयन करने के लिए लेखा परीक्षा दिशानिर्देशों पर मानकों के अनुसरण में अपनी लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं की हैं। • हमने उस ढांचे की पुनरीक्षा की है जो समग्र संगठनात्मक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सख्त निगरानी और नियंत्रण के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है। • हमने मैन्युअल रूप से चुनिंदा मामलों को सत्यापित किया है और हम प्रणाली द्वारा निर्मित आउटपुट को वैधीकृत करने के लिए मैन्युअल गणनाओं के साथ रिपोर्ट की सटीकता के संबंध में संतुष्ट हैं।

वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

5. अन्य जानकारी के लिए होल्डिंग कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन रिपोर्ट और अध्यक्ष के वक्तव्य में शामिल जानकारी को शामिल किया गया है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

   वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम उस पर किसी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

   वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ने की है और ऐसा करने में यह विचार किया गया कि क्या वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी भौतिक रूप से असंगत हैं या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारे ज्ञान या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होते हैं। यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में भौतिक गलत बयानी है; तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है।

   समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और अभिशासन प्रभारित का उत्तरदायित्व

6. होल्डिंग कंपनी का निदेशक मंडल, इन वित्तीय समेकित विवरणों की तैयारी और प्रस्तुतिकरण के लिए जिम्मेदार है, जो समूह और इसकी सहयोगी कंपनी सहित इसकी

3. Evaluation of uncertain tax Liabilities (Contingent). Refer Schedule 12 forming part of consolidated financial Statement. Considering its probable impact on profitability/ Loss. We have considered as Key Audit Matters	We have performed following substantive audit procedures:- • Obtained details of completed tax assessments and demands up to the date of March 31, 2019 from management. • We performed our internal procedures to analyse the management's underlying assumptions in estimating the tax provision and the possible outcome of the disputes. • We also considered legal precedence, referred to various case laws and other rulings in evaluating management's position on these uncertain tax litigations. • Additionally, we considered the impact of latest information in respect of uncertain tax positions as on March 31, 2019 to evaluate whether any change was required to management's position on these uncertainties.
4. Evaluation of Information Technology Department. Monitoring IT Controls and procedures with regard to its policies and governance to reduce frauds and to increase credit worthiness and compliance with RBI Guidelines. We have considered evaluation of IT department as a key audit matter since operational and financial processes of the bank are largely dependent on its IT systems. Lapses, failures/ incorrect output, if any, of such systems may result in material misstatement in the Financial Statements.	We have performed following substantive audit procedures:- • We have carried out our audit procedures in accordance with standards on auditing guidelines towards implementation of IT policies and procedures followed by the bank in order to have effective monitoring, control and evaluate the IT application and controls to ensure effective implementation of IT policies and procedures. • We have reviewed the framework which ensure Strict monitoring and implementation of controls to ensure overall organisational objective is achieved. • We have manually verified select cases and satisfied about the accuracy of the reports with the manual calculations for validating the output generated by the system.

Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report Thereon

5. The Holding Company's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Management report and Chairman's Statement but does not include the financial statements and auditor's report thereon.

   Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

   In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information; we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

   Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

6. The Holding Company's Board of Directors is responsible for the preparation

समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्यनिष्पादन और समेकित नकद प्रवाह का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है, जो समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक ('RBI') द्वारा जारी किए गए परिपत्रों और दिशानिर्देशों तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखा मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसरण में हैं। समूह और इसके सहयोगी सहित संबंधित कंपनियों का निदेशक मंडल समूह की आस्तियों की सुरक्षा के लिए अधिनियम के अनुसरण में पर्याप्त लेखांकन अभिलेख के रखरखाव और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं की पहचान और रोकथाम, समुचित लेखांकन नीतियों के चयन और उन्हें लागू करने तथा ऐसे निर्णय और अनुमान तैयार करने जो व्यवहार्य और विवेकपूर्ण है तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को लागू करने और उसके रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं जो लेखा अभिलेखों की सटीकता और पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से परिचालित थे जो उन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने से संबंधित है जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और चाहे वह चूक या धोखाधड़ी से किसी भी भौतिक गलत बयानी से मुक्त है, जो उक्तानुसार होल्डिंग कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य से उपयोग किए गए हैं।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, समूह और उसकी सहयोगी कंपनियों में शामिल संबंधित कंपनियों का निदेशक मंडल समूह और उसकी सहयोगी कंपनियों को लाभकारी व्यवसाय वाले संस्थान बने रहने की क्षमता का आकलन करने, लाभकारी व्यवसाय वाले संस्थान से संबंधित मामलों का प्रकटन, लागू अनुसार, करने तथा लेखांकन के आधार पर लाभकारी व्यवसाय वाला संस्थान बने रहने का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार हैं, जब तक कि निदेशक मंडल या तो समूह का समापन करने या परिचालनों को बंद करने का इच्छुक न हो अथवा ऐसा न करने के लिए उनके पास कोई अन्य यथार्थपरक विकल्प न हो।

समूह और सहयोगियों में शामिल कंपनियों का संबंधित निदेशक मंडल समूह और उसके सहयोगी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण हेतु जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

7. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण क्या समेकित वित्तीय विवरण सामग्री की भौतिक गलत बयानी से मुक्त हैं और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना हैं जिसमें हमारी राय शामिल है। यथोचित आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखा परीक्षा कोई भी भौतिक गलत बयानी होने पर हमेशा उसका पता लगाएगी। धोखाधड़ी या त्रुटि से गलत बयानी हो सकती है और इसे व्यक्तिगत या समेकित रूप से महत्वपूर्ण माना जा सकता है यदि इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को उनके द्वारा पर्याप्त रूप से प्रभावित करना अपेक्षित हो।

एसए के अनुसार लेखा परीक्षा के एक हिस्से के रूप में हम लेखा परीक्षा के दौरान व्यावसायिक निर्णय लेते हैं तथा व्यावसायिक संदेह रखते हैं। हम इसके अतिरिक्त :

- समेकित वित्तीय विवरणों की मूल विसंगतियों, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, के जोखिमों की पहचान करना और उनका आकलन करना और उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी लेखा परीक्षा प्रक्रिया को तैयार और निष्पादित करना तथा लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जोकि हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उचित हैं। भौतिक गलत बयानी का पता नहीं लगाने का जोखिम गलतियों के परिणाम से ज्यादा बड़ा हो सकता है क्योंकि धोखाधड़ी के अंतर्गत मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत प्रस्तुतिकरण या आंतरिक नियंत्रण को ओवरराइड करना शामिल हो सकता है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटनों की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करना।
- प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य और लेखांकन के लाभकारी व्यवसाय वाले संस्थान आधार पर प्रबंधन का इनके उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष देना कि क्या कोई ऐसी घटना या परिस्थिति से संबंधित महत्वपूर्ण आकस्मिकता विद्यमान है जो समूह और इसके सहयोगी का लाभकारी व्यवसाय वाले संस्थान बने रहने की क्षमता पर कोई महत्वपूर्ण संदेह तो नहीं डालती है। यदि यह हमारा निष्कर्ष होता है कि कोई महत्वपूर्ण आकस्मिकता विद्यमान है तो हमें समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन हेतु अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इस पर ध्यानाकर्षण करना आवश्यक होता है या यदि ऐसा प्रकटन अपर्याप्त है तो हमारे मत को संशोधित करना होता है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के लिए प्राप्त अद्यतित लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित होते हैं तथापि भविष्य की घटनाएं या परिस्थितियां समूह और इसके सहयोगी का लाभकारी व्यवसाय वाले संस्थान बने रहने को समाप्त कर सकती हैं।

and presentation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group including its associate in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by The Institute of Chartered Accountants of India, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. The respective Board of Directors of the companies included in the Group and of its associate are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Group and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error, which have been used for the purpose of preparation of the consolidated financial statements by the Directors of the Holding Company, as aforesaid.

In preparing the consolidated financial statements, the respective Board of Directors of the Companies included in the Group and of its associate are responsible for assessing the ability of the Group and of its associate to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The respective Board of Directors of the companies included in the Group and of the associates are responsible for overseeing the financial reporting process of the Group and of its associate.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

7. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's and its associate ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group and its associate to cease to continue as a going concern.

- प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरणों की सामग्री, संरचना और समग्र प्रस्तुति और क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित संव्यवहारों और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण प्राप्त करते हैं, का मूल्यांकन करना।
- समेकित वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करने के लिए समूह और उसकी सहयोगी संस्थाओं या इकाइयों की व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के संबंधित पर्याप्त समुचित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए गए। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी इकाइयों के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और कार्यनिष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनके समेकित वित्तीय विवरणों के हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य अनुषंगी इकाई और सहयोगी कंपनी, जिनकी लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है और अलेखापरीक्षित वित्तीय आंकड़ों को सहयोगी कंपनी के प्रबंधन द्वारा अनुमोदित किया गया है, के लिए ऐसे अन्य लेखा परीक्षक और सहयोगी कंपनी का प्रबंधन उनके द्वारा की गई लेखा परीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और कार्यनिष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। हम अपने लेखा परीक्षा मत के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं।
- हम होल्डिंग कंपनी के अभिशासन का प्रभार प्रदत्त लोगों और इस तरह की अन्य इकाइयों के साथ संवाद करते हैं जो समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल हैं, जिसके लिए हमारी लेखा परीक्षा के दौरान हमारे द्वारा अभिनिर्धारित आंतरिक नियंत्रण में किसी महत्वपूर्ण कमी सहित लेखा परीक्षा और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा परिणामों की योजनाबद्ध व्यवहार्यता और समय सूची और अन्य मामलों के संबंध में हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं।
- हमने कंपनी के अभिशासन का प्रभार प्रदत्त लोगों को बयान भी प्रदान किया है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और उन्हें उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के संबंध में संप्रेषण दिया है जिनका हमारी स्वतंत्रता और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों पर यथोचित असर डालना संभावित है।
- अभिशासन का प्रभार प्रदत्त लोगों को संप्रेषित मामलों से, हमने उन मामलों का निर्धारण किया है जो चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए वे लेखा परीक्षा के प्रमुख मामले हैं। हम अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियम सार्वजनिक रूप से मामले के बारे में प्रकटीकरण को अलग नहीं करते हैं या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के विपरीत परिणामों से ऐसे संप्रेषण के सार्वजनिक हित के लाभों को पर्याप्त रूप से दबा दिया जाना संभावित है।

मामले पर जोर

8. अपनी राय को तरजीह दिए बिना, हम एमएसएमई उधारकर्ताओं के संबंध में अनुसूची 19 खातों पर एकल टिप्पणियां के नोट क्रमांक 18, मानक आस्तियों के साथ ही एनपीए पर प्रावधानीकरण से संबंधित अनुसूची 18 खातों पर एकल टिप्पणियां के नोट क्रमांक 4, आईएलएफएस समूह खातों के प्रावधानीकरण के संबंध में अनुसूची 18 खातों पर एकल टिप्पणियां के नोट क्रमांक 19 और आस्थगित कर आस्तियों के अभिनिर्धारण के संबंध में अनुसूची 18 खातों पर समेकित टिप्पणियां के नोट क्रमांक 10 पर ध्यान आकर्षित करते हैं।

अन्य मामले

9. हमने बैंक की एकल वित्तीय विवरणियों में शामिल उन 1283 शाखाओं के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2019 को ₹1,28,438.71 करोड़ की कुल आस्तियां और जैसा कि एकल वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है, उस दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए ₹6,589.28 करोड़ का कुल राजस्व दर्शाते हैं। इनकी लेखा परीक्षा सांविधिक शाखा परीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और इसमें हमारा मत, जहां तक शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटन का संबंध है, मात्र ऐसे सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है। साथ ही, हमने बैंक के एकल वित्तीय विवरणों में शामिल उन 573 शाखाओं के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2019 को ₹31,000.83 करोड की कुल आस्तियां और उस दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए ₹1776.73 करोड का कुल राजस्व दर्शाते हैं, जैसा कि एकल वित्तीय विवरणों में प्रबंधन द्वारा उल्लेख किया गया है।

   इसके साथ ही, हमने सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की है, जिसके वित्तीय विवरण/ वित्तीय जानकारी 31 मार्च, 2019 को समेकित वित्तीय विवरणों में विचार किए अनुसार ₹15.67 करोड़ की कुल आस्तियां प्रदर्शित करती है, कुल राजस्व ₹2.69 करोड़ है और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए निवल नकद प्रवाह ₹-0.71 करोड़ रहा। समेकित वित्तीय विवरणों में एक सहयोगी कंपनी, जिसके वित्तीय विवरणों/ वित्तीय जानकारी की अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities of the Group and its associate to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of the financial statements of such entity included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors. For the other subsidiary entity and associate company included in the consolidated financial statements, which have been audited by other auditor and the unaudited financials approved by management of the associate company, such other auditor and the management of the associate company remains responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion.

  We communicate with those charged with governance of the Holding Company and such other entities included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

  We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

  From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Emphasis of Matter

8. Without qualifying our opinion, we draw attention to Note No.18 of Schedule 19 Standalone Notes to Accounts regarding MSME borrowers, Note No.4 of Schedule 18 Standalone Notes to Accounts regarding provisioning on NPA as well as Standard Assets, Note No. 19 of Schedule 18 Standalone Notes to Accounts regarding provisioning of ILFS group accounts and Note No.10 of Schedule 18 Consolidated Notes to Accounts regarding recognition of Deferred Tax Assets.

Other Matter

9. We did not audit the financial statements of 1283 branches included in the standalone financial statements of the Bank whose financial statements reflect total assets of ₹1,28,438.71 crores as at 31st March 2019 and total revenue of ₹6,589.28 crores for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements have been audited by the statutory branch auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far it relates to the amounts and disclosures included in respect of branhes, is based solely on the report of such statutory branch auditors. Further we did not audit the financial statements of 573 branches inculded in the standalone financial statement if the Bank whose financial statements reflect total assets of ₹31,000.83 crores as at 31st March, 2019 and total revenue of ₹1,776.73 cores for the year ended on that date, as considered in the Standalone financial statements have been drawn by the management.

   Also, we did not audit the financial statements of subsidiary company whose financial statement / financial information reflect total assets of ₹15.67 crores as at March 31, 2019, total revenues of ₹2.69 crores and net cash flows amounting to ₹ – 0.71 crores for the year ended on that date, as considered in the consolidated financial statements. The consolidated financial statements also include the Group's share of net profit of ₹0.03 crores for the year ended 31st March, 2019, as considered in the consolidated financial statements, in respect of one Associate, whose

नहीं की गई है और कंपनी के एसोसिएट द्वारा प्रबंधन द्वारा अनुमोदित किया गया है, के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों में विचार किए अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ₹0.03 करोड़ के निवल लाभ की समूह की साझेदारी को भी शामिल किया गया है। सहयोगी कंपनी के वित्तीय विवरण/ वित्तीय जानकारी की लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है और एसोसिएट कंपनी के वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित हैं, जिनकी रिपोर्ट और विवरण प्रबंधन द्वारा हमें उपलब्ध कराया गया है तथा इस सहायक और सहयोगी कंपनी के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटनों के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा मत संबद्ध है तथा अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (3) के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट उक्त सहायक कंपनियों और सहयोगियों से संबंधित है, वह सहायक कंपनियों के संबंध में अन्य लेखा परीक्षक की रिपोर्टों और एसोसिएट कंपनी के प्रबंधन द्वारा अनुमोदित अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय तथा नीचे अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर हमारे रिपोर्ट किए गए कार्य पर हमारी निर्भरता और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों/ वित्तीय जानकारी द्वारा इस मामले के संबंध में संशोधित नहीं की गई है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

10. बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के खंड 29 के अनुसार तुलन पत्र और लाभ व हानि खाता तैयार किया गया है।
11. उपर्युक्त परिच्छेद 6, 7 तथा 9 में उल्लिखित लेखा परीक्षा की सीमाओं के अध्यधीन तथा बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण व अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 द्वारा अपेक्षित तथा साथ ही, उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि :
   क) हमारी श्रेष्ठ जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के लिये जो स्पष्टीकरण व सूचनाएं आवश्यक थीं, वह सभी हमने प्राप्त की हैं और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है।
   ख) बैंक के संव्यवहार, जो हमारे ध्यान में आए हैं, वे बैंक के अधिकारों के भीतर हैं, और
   ग) बैंक के कार्यालयों व शाखाओं से प्राप्त विवरणियां हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु पर्याप्त पायी गईं।

12. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि

   क) हमारी राय में, उक्त समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित विधि अपेक्षित उचित लेखा बहियां रखी गई हैं जैसा कि इन बहियों की जांच से पता चलता है तथा हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई शाखाओं से हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु उचित और पर्याप्त विवरणियां प्राप्त हुई हैं।
   ख) इस रिपोर्ट द्वारा संचलित समेकित तुलनपत्र और समेकित लाभ हानि खाता तथा नकद प्रवाह के समेकित विवरण संबंधित लेखा बहियों के अनुसरण में हैं।
   ग) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अंतर्गत हमें बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों पर रिपोर्ट भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा इनका समुचित उपयोग किया गया है और
   घ) हमारी राय में तुलन पत्र, लाभ हानि खाता व नकदी प्रवाह विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लागू लेखा मानकों का उस सीमा तक अनुपालन करते हैं कि वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हों।

financial statements / financial information have not been audited and has been approved by the management by the associate of the Company. The financial statements / financial information of the subsidiary company have been audited by other auditors and financial statements of the associate company are unaudited, whose reports and statements have been furnished to us by the management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of this subsidiary and associate company, and our report in terms of sub-section (3) of Section 143 of the Act, in so far it relates to the aforesaid subsidiaries and associate, is based solely on the reports of the other auditor in respect of subsidiary company and unaudited financial statements approved by the management of the associate company.

Our opinion on the consolidated financial statements and our report on Other Legal and Regulatory Requirements below is not modified in respect of this matters with respect to our reliance on the work done and the report of the other auditors and the financial statements / financial information certified by the Management.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

10. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;
11. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 6, 7 and 9 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 / 1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:
    a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
    b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and
    c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

12. We further report that:

    a) in our opinion, proper books of account as required by law relating to preparation of the aforesaid consolidated financial statements have been kept so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us.
    b) The Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Statement of Profit and Loss Account and the Consolidated Statement of Cash Flow dealt with by this Report are in agreement with the relevant books of account .
    c) the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and
    d) In our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows comply with the applicable accounting standards issued by Institute of Chartered Accountants of India to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

कृते पी पारीख एंड एसोसिएट्स	**कृते एम डी गुजराती एंड कंपनी**	**कृते पी जी भागवत**	**कृते के गोपाल राव एंड कंपनी**
एफ़आरएनः 107564डब्ल्यू	एफ़आरएनः 005301एन	एफ़आरएनः 101118डब्ल्यू	एफ़आरएनः 000956एस
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
For P Parikh & Associates	**For M D Gujrati & Co**	**For P G Bhagwat**	**For K Gopal Rao & Co.**
FRN: 107564W	FRN: 005301N	FRN: 101118W	FRN: 000956S
Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants
सीए जितेश जैन	**सीए मनोहर दास गुजराती**	**सीए नचिकेत देव**	**सीए के गोपाल राव**
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्यता क्र.: 114920	सदस्यता क्र.: 081552	सदस्यता क्र.: 117695	सदस्यता क्र.: 018230
CA Jitesh Jain	**CA Manohar Das Gujrati**	**CA Nachiket Deo**	**CA K Gopal Rao**
Parther	Parther	Parther	Parther
Membership No: 114920	Membership No. 081552	Membership No. 117695	Membership No. 018230

स्थान : पुणे Place : Pune
दिनांक : 29 अप्रैल, 2019 Date : 29th April, 2019

व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट 2018-19

खंड क : कंपनी संबंधित सामान्य जानकारी

1	कंपनी की कार्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	लागू नहीं
2	कंपनी का नाम	बैंक ऑफ महाराष्ट्र
3	पंजीकृत पता	लोकमंगल, "1501", शिवाजीनगर, पुणे - 411005
4	वेबसाइट	www.bankofmaharashtra.in
5	ई-मेल आईडी	compsec@mahabank.co.in
6	वित्तीय वर्ष	2018-19
7	जिस सेक्टर(रों) से कंपनी संबंधित है (औद्योगिक गतिविधि कोडवार)	"बैंकिंग और वित्त"
8	कंपनी द्वारा उत्पादित/ प्रदान किए गए तीन मुख्य उत्पादों/ सेवाओं की सूची (तुलनपत्र के अनुसार)	जमाराशियाँ और ऋण उत्पाद तथा विप्रेषण इत्यादि
9	कंपनी द्वारा व्यवसाय किए जाने वाले कुल स्थानों की संख्या	1832
क	विदेश में शाखाओं की संख्या	शून्य
ख	देश के अंदर शाखाओं की संख्या	31.03.2019 को बैंक के 30 अंचल कार्यालय और 1858 एटीएम हैं।
10	कंपनी द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले बाजार - स्थानीय/ राज्य/ देश/ विदेश	राष्ट्रीय

खंड ख : कंपनी की वित्तीय जानकारी

1	प्रदत्त पूंजी (रुपये में)	रु. 2753.17 करोड़
2	कुल व्यवसाय (रुपये में)	रु. 234116.79 करोड़
3	निवल हानि (रुपये में)	रु. 4783.88 करोड़
4	कर (%) देने के बाद लाभ के प्रतिशत का कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर कुल व्यय	शून्य (बैंक द्वारा 2018-19 में हानि उपस्थित की गई) हालांकि बैंक ने समुदाय विकास परियोजनाओं का प्रयोजन किया है।
5	उपरोक्त चारों के लिए किए गए व्यय की गतिविधियों की सूची	शून्य

खंड ग : अन्य विवरण

1	क्या कंपनी की कोई अनुषंगी कंपनी/ कंपनियां हैं?
क	अनुषंगी
	बैंक के पास 100% स्वामित्व वाली एक अनुषंगी है अर्थात दि महाराष्ट्र एक्जेक्युटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
ख	सहयोगी :
	महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक में बैंक का 35% स्वामित्व है जिसका प्रधान कार्यालय औरंगाबाद, महाराष्ट्र में है।
2	क्या अनुषंगी कंपनी/ कंपनियां अपने मूल कंपनी के बीआर पहलों में सहभाग लेती हैं? यदि हां, तो ऐसी अनुषंगी कंपनी(यों) की संख्या इंगित करें।
	नहीं
3	क्या कंपनी के साथ व्यवसाय करने वाली कोई अन्य इकाई/ इकाईयां (उदाहरण आपूर्तिकर्ता, वितरक इत्यादि) कंपनी की बीआर पहल में सहभाग लेती है? यदि हां, तो ऐसी इकाई/ इकाईयों का प्रतिशत इंगित करें। (30% से कम, 30-60%, 60% से अधिक)
	नहीं

Business Responsibility Report 2018-19

SECTION A: GENERAL INFORMATION ABOUT THE COMPANY

1	Corporate Identity Number (CIN) of the Company	NOT APPLICABLE
2	Name of the Company	Bank of Maharashtra
3	Registered address	Lokmangal,"1501", Shivajinagar, Pune -411005
4	Website	www.bankofmaharashtra.in
5	E-mail id	compsec@mahabank.co.in
6	Financial Year reported	2018-19
7	Sector(s) that the Company is engaged in (industrial activity code-wise)	"Banking and Finance"
8	List three key products/ services that the Company manufactures/provides (as in balance sheet)	Deposits and Loan products and Remittances etc.
9	Total number of locations where business activity is undertaken by the Company	1832
a	Number of International Locations	NIL
b	Number of National Locations	Bank has 30 Zonal Offices and 1858 ATM's as on 31.03.2019
10	Markets served by the Company – Local/State/ National/International	National

SECTION B: FINANCIAL DETAILS OF THE COMPANY

1	Paid up Capital	Rs 2753.17 Crore
2	Total Business	Rs 234116.79 crore
3	Net Loss	Rs 4783.88 crore
4	Total Spending on Corporate Social Responsibility (CSR) as percentage of profit after tax (%)	NIL (As loss incurred by bank in 2018-19). However, bank has sponsored community development projects
5	List of activities in which expenditure in 4 above has been incurred	NIL

SECTION C: OTHER DETAILS

1	Does the Company have any Subsidiary Company/ Companies
A	Subsidiaries
	Bank has one subsidiary viz The Maharashtra Executor and Trustee Company Private Limited with 100% ownership
B	Associates:
	Bank has 35 % ownership in Maharashtra Gramin Bank with its Head Office at Aurangabad, Maharashtra.
2	Do the Subsidiary Company/Companies participate in the BR Initiatives of the parent company? If yes, then indicate the number of such subsidiary company(s)
	No
3	Do any other entity/entities (e.g. suppliers, distributors etc.) that the Company does business with, participate in the BR initiatives of the Company? If yes, then indicate the percentage of such entity/entities? [Less than 30%, 30-60%, More than 60%]
	No

खंड घ : बी आर विवरण

1. बीआर (बोर्ड सचिवालय) के लिए जिम्मेदार निदेशक/ निदेशकों का विवरण

क) बीआर नीति/ नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार निदेशक/ निदेशकों का विवरण

क्र. सं.	ब्यौरे		विवरण
1	डीआईएन संख्या	:	08359559
2	नाम	:	श्री हेमन्त टम्टा
3	पदनाम	:	कार्यपालक निदेशक

ख) बीआर प्रमुख का विवरण

क्र. सं.	ब्यौरे		विवरण
1	डीआईएन संख्या	:	8239833
2	नाम	:	श्री एम. जी. महाबळेश्वरकर
3	पदनाम	:	महाप्रबंधक
4	दूरभाष संख्या	:	020-25614216
5	ई-मेल आईडी	:	gmrespln@mahabank.co.in

2. सिद्धांतवार (एनवीजी के अनुसार) बीआर नीति/ नीतियाँ (हां/ नहीं में उत्तर)

क्र.सं.	प्रश्न	पी1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
		नैतिक व्यवसाय	उत्पाद	कर्मचारी	हितधारक	मानवाधिकार	पर्यावरण	लोक नीति	सीएसआर	ग्राहक सेवाएं
1	क्या आपके पास ---- के लिए नीति/ नीतियां हैं?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
2	क्या संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श कर नीति तैयार की गई है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
3	क्या नीति को किसी राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय मानकों से मान्यता प्राप्त है? यदि हां, तो स्पष्ट करें? (50 शब्दों में)*	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
4	क्या नीति को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है? यदि हां, तो क्या इस पर एमडी/ मालिक/ सीईओ/ समु ित बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
5	क्या नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कंपनी के पास बोर्ड/ निदेशक/ अधिकारियों की निर्दिष्ट समिति हैं?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
6	नीति को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक इंगित करें।	www.bankofmaharashtra.in								
7	क्या नीति की औप ारिक ानकारी सभी संबंधित आंतरिक और बाह्य हितधारकों को दी गई है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
8	क्या कार्यान्वयन हेतु कंपनी के पास आंतरिक सख्त कानून है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
9	क्या नीति/ नीतियों से संबंधित हितधारकों की शिकायतों के निवारण के लिए कंपनी के पास शिकायत निवारण तंत्र है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
10	क्या कंपनी अपनी नीति के कार्यान्वयन का आंतरिक या बाह्य ए ेंसी द्वारा स्वतंत्र लेखा परीक्षा/ मूल्यांकन करवाती है?	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

SECTION D: BR INFORMATION

1. Details of Director/Directors responsible for BR (Board Secretariat)

a) Details of the Director/Directors responsible for implementation of the BR policy/ policies

S. No.	Particulars		Details
1	DIN No.	:	08359559
2	Name	:	Shri Hemant Tamta
3	Designation	:	Executive Director

b) Details of the BR Head

S. No.	Particulars		Details
1	DIN No.	:	8239833
2	Name	:	Shri M.G.Mahabaleshwarkar
3	Designation	:	General Manager
4	Telephone number	:	020-25614216
5	E-mail id	:	gmrespln@mahabank.co.in

2. Principle-wise (as per NVGs) BR Policy/policies (Reply in Y/N)

S. No.	Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
		Ethical Bus.	Prod-ucts	Em-ploy-ees	Stake-hold-ers	Hu-man Rights	Envi-ron-ment	Public Policy	CSR	Cust-omer Svs
1	Do you have policy/ policies for....?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2	Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
3	Does the policy confirm to any national/ international standards? If yes, specify? (50 words)*	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
4	Has the policy been approved by the Board? If yes, has it been signed by MD/owner/ CEO/ appropriate Board Director?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
5	Does the company have a specified committee of the Board/ Director/ Official to oversee the implementation of the policy	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
6	Indicate the link for the policy to be viewed online?	www.bankofmaharashtra.in								
7	Has the policy been formally communicate to all relevant internal and external stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
8	Does the company have in-house stricter to implement	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
9	Does the company have a grievances redressal mechanism related to the policy/policies to address stakeholders grievances related to the policy/policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
10	Has the company carried out independent audit/evaluative of the working of this policy by an internal or external agency?	N	N	N	N	N	N	N	N	N

2क. यदि क्रम संख्या 1 के किसी सिद्धांत का उत्तर 'नहीं' है तो कृपया उसका कारण बताएं: (2 विकल्पों तक टिक करें)

क्र. सं.	प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
1	कंपनी ने सिद्धांतों को नहीं समझा है।	लागू नहीं								
2	कंपनी निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीति निर्माण और कार्यान्वयन की स्थिति में नहीं है									
3	कार्य के लिए कंपनी के पास वित्तीय या मानव बल संसाधन नहीं है									
4	अगले 6 महीनों के भीतर इसे संपन्न करने की योजना है									
5	अगले 1 वर्ष के भीतर इसे संपन्न करने की योजना है									
6	कोई अन्य कारण (कृपया स्पष्ट करें)									

3. **बीआर से संबंधित प्रशासन**

❖ **कंपनी के बीआर प्रदर्शन के आंकलन के लिए निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति या सीईओ की बारंबारता इंगित करें। 3 महीने के भीतर, 3-6 महीने, वार्षिक, 1 वर्ष से अधिक।**

वार्षिक

❖ **क्या कंपनी बीआर या स्थिरता रिपोर्ट का प्रकाशन करती है? इसे देखने के लिए हाइपरलिंक की जानकारी दें?**

बैंक ने तीसरी बार अपने बीआर रिपोर्ट का प्रकाशन किया है। यह http://www.bankofmahrashtra.in वेबसाइट पर उपलब्ध है।

खंड च: सिद्धांत-वार प्रदर्शन

सिद्धांत 1: व्यवसायों द्वारा स्वयं को नैतिक सिद्धांतों, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ संचालित और नियंत्रित करना चाहिए।

1. **क्या नैतिक सिद्धांतों, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति सिर्फ कंपनी को कवर करती है? हां/ नहीं। क्या वे समूह/ संयुक्त उद्यम/ आपूर्तिकर्ता/ ठेकेदार/ एनजीओ/ अन्य को भी कवर करते हैं?**

हां, यह बैंक को कवर करती है और अखंडता संधि को अपनाकर समूह/ आपूर्तिकर्ता/ ठेकेदार (सीमा-रेखा से अधिक) को भी कवर करती है।

बैंक के पास स्टाफ उत्तरदायित्व और धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति पर नीतियां हैं।

यद्यपि प्रचलन में कोई स्पष्ट नीति नहीं है, पारदर्शिता और नैतिकता को बैंक ऑफ महाराष्ट्र अधिकारी सेवा विनियमावली और द्विपक्षीय समझौता के अंतर्गत कवर किया जाता है।

भ्रष्टाचार, कदाचार, गबन और निधियों के दुरुपयोग की जांच करने के लिए बैंक के पास सतर्कता संबंधी प्रणाली है -

1. अधिकारियों द्वारा एपीआर का ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण
2. संदिग्ध निष्ठा के अधिकारियों की सहमत सूची तैयार करना
3. कार्मिकों का रोटेशन
4. तकनीक का लाभ
5. कार्मिक खातों की जांच
6. नियमित/ आकस्मिक/ संगामी लेखा परीक्षा/ निरीक्षण
7. शीघ्र दंडात्मक कार्रवाई
8. अखंडता संधि
9. विसिल ब्लोअर पोर्टल

2a. **If answer to S.No. 1 against any principle, is 'No', please explain why: (Tick up to 2 options)**

S. No.	Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1	The company has not understood the Principles	NA								
2	The company is not at a stage where it finds itself in a position to formulate and implement the policies on specified principles									
3	The company does not have financial or manpower resources available for the task									
4	It is planned to be done within next 6 months									
5	It is planned to be done within the next 1 year									
6	Any other reason (please specify)									

3. **Governance related to BR**

❖ **Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO to assess the BR performance of the Company. Within 3 months, 3-6 months, Annually, More than 1 year.**

Annually

❖ **Does the Company publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this?**

The Bank has published its BR Report for the third time. It is available on the website http://www.bankofmaharashtra.in.

SECTION E: PRINCIPLE-WISE PERFORMANCE

Principle 1: Businesses should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and Accountability

1. **Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the company? Yes/ No. Does it extend to the Group/Joint Ventures/ Suppliers/Contractors/NGOs / Others?**

Yes, it covers the Bank and is extended to the group/suppliers/ contractors (above threshold limit) by adoption of the Integrity Pact.

Bank is having policy on Staff accountability & Fraud Risk Management Policy

Though there is no specific policy in vogue, the transparency and ethics are covered under Bank of Maharashtra Officers Service Regulations & Bi-Partite Settlement.

Bank has system in place regarding vigilance to check corruption, malpractices, embezzlements and misappropriation of funds through-

1. Online submission of APR by officers
2. Preparation of Agreed List of Officers of Doubtful Integrity
3. Rotation of Staff
4. Leveraging of Technology
5. Scrutiny of Staff Accounts
6. Regular/Surprise/Concurrent Audit/Inspections
7. Prompt punitive action
8. Integrity Pact
9. Whistle Blower portal

2. पिछले वित्तीय वर्ष में हितधारकों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत का संतोष ानक रूप से निवारण किया गया? यदि ऐसा है तो लगभग 50 शब्दों में उसका विवरण दें।

बैंक को अपने शेयरधारकों से 146 शिकायतें प्राप्त हुईं जिसमें से सभी शिकायतों का संतोषजनक रूप से निवारण किया गया।

सिद्धांत 2: व्यवसायों द्वारा उत्पादों और सेवाओं को प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो सुरक्षित हो और अपने जीवनचक्र में सतत अच्छी सेवाएं प्रदान करे।

1. अपने 3 उत्पादों या सेवाओं की सूची प्रदान करें जिनमें सामाजिक या पर्यावरण संबंधी चिंताओं, जोखिमों और/ या अवसरों को शामिल किया गया हो।

मुद्रा ऋण : प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत बैंक उत्पादन, व्यवसाय और सेवा में संलग्न गैर-कृषि उद्यमों जिनकी ऋण आवश्यकता रु10.00 लाख से कम हो पर विशेष ध्यान दे रहा है।

स्व सहायता समूह को लघु वित्त : बैंक ने हमेशा से ही ग्रामीण और शहरी गरीबों के आर्थिक विकास के लिए ऋण के महत्व को समझा है। वह स्व सहायता समूहों, महिला स्व सहायता समूह और विशेष तौर पर उनकी वित्तीय सुरक्षा, जागरूकता बढ़ाने और समुदाय के संपूर्ण विकास के लिए वित्त प्रदान कर रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र और नैशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट द्वारा गठित एनजीओ ग्रामीण महिला व बालक विकास मंडल (जीएमवीबीवीएम) इनका गठन करने, पोषण, प्रशिक्षण और स्व सहायता समूह के साथ बैंक ऋण लिंक सुनिश्चित करने में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है।

कृषक साथी योजना : साहूकारों से राहत के लिए योजना। यह योजना गैर-संस्थागत उधारदाताओं के पास कर्जदार किसानों पर लागू है। कुल ऋण राशि ₹ 50000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।

महाबैंक किसान तत्काल योजना : कृषक समुदाय के लिए तत्काल ऋण ताकि वे अस्थायी कठिनाईयों पर काबू पाने के लिए कृषि और घरेलू उद्देश्य की आपातकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। न्यूनतम सीमा ₹ 5000/- अधिकतम सीमा ₹ 50000/-

एमसेटी : बैंक ने ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को लघु व्यवसाय उद्यमों द्वारा स्व रोजगार के लिए कौशल प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए प्रशिक्षण देने हेतु सात महाबैंक स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (एमसेटी) स्थापित किए हैं। संस्थान के केन्द्र पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, अमरावती, जालना, ठाणे और नाशिक में स्थित हैं।

2. ऐसे प्रत्येक उत्पादों के उत्पाद की प्रत्येक इकाई (वैकल्पिक) के लिए प्रयुक्त संसाधनों (ऊर्जा, जल, कच्चा माल आदि) से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें :

क) पिछले वर्ष की तुलना में संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के स्रोत/ उत्पादन/ वितरण के दौरान हुई कमी?

ख) पिछले वर्ष की तुलना में उपभोक्ताओं (ऊर्जा, जल) के प्रयोग के दौरान हुई कमी?

वित्तीय सेवा संस्था होने के कारण यह अनुभाग लागू नहीं है।

3. क्या कंपनी के पास सतत सोर्सिंग (परिवहन सहित) की प्रक्रियाएं हैं? अगर हां, तो आपके निवेश का कितना प्रतिशत सतत सोर्सिंग था? उसका विवरण लगभग 50 शब्दों में दें।

वित्तीय सेवा संस्था होने के कारण यह अनुभाग लागू नहीं है।

4. क्या कंपनी ने स्थानीय और अपने कार्य क्षेत्र के आसपास के समुदायों सहित छोटे उत्पादकों से माल और सेवाएं प्राप्त करने हेतु कोई कदम उठाया है? अगर हां, तो स्थानीय और छोटे विक्रेताओं की क्षमता और योग्यता में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्तीय सेवा संस्था होने के कारण माल और सेवाओं की खरीदी के सीमित अवसर हैं।

2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.

The bank received 146 complaints from its shareholders of which all the complaints have been resolved satisfactorily.

Principle 2: Businesses should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle

1. List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and/or opportunities.

Mudra Loans: Under the Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY), Bank is giving special attention to financing non-farm enterprises engaged in manufacturing, trading and services whose credit needs are below Rs. 10.00 lakh.

Microfinance to SHGs: The Bank has always recognized the importance of credit to rural and urban poor for taking upon economic activity. It is financing SHGs, women SHGs more specifically for their financial security, creating awareness and overall development of the entire community. Gramin Mahila Va Balak Vikas Mandal (GMVBVM), an NGO formed by Bank of Maharashtra and National Institute of Bank Management is actively involved in formation, nurturing, training and ensuring linkage of SHGs to Bank Credit.

KRISHAK SATHI SCHEME: Scheme for Relief from private Money lender. The scheme is applicable to the farmers indebted to non-institutional lenders. Total loan amount should not exceed Rs. 50,000/-

Mahabank Kisan Tatkal Scheme: An instant credit for farming community to meet the emergency requirements for Agriculture and Domestic purposes for tiding over temporary difficulties. Minimum limit: Rs. 5000 /- Maximum limit: Rs. 50000 /-

MSETI: The Bank has established Seven Mahabank Self Employment Training Institutes (MSETI) for providing training to rural youth and women to enable them to acquire skills for self-employment through small business enterprises. The Institute has centers located at Pune, Nagpur, Aurangabad, Amravati Jalna, Thane and Nasik.

2. For each such product, provide the following details in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) per unit of product(optional):

a) Reduction during sourcing/production/ distribution achieved since the previous year throughout the value chain?

b) Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since the previous year?

Being a financial service organization this section is not applicable.

3. Does the company have procedures in place for sustainable sourcing (including transportation)? If yes, what percentage of your inputs was sourced sustainably? Also, provide details thereof, in about 50 words or so.

Being a financial service organization this section is not applicable.

4. Has the company taken any steps to procure goods and services from local & small producers, including communities surrounding their place of work?

If yes, what steps have been taken to improve the capacity and capability of local and small vendors?

Being a financial service organization, there is limited scope to procure goods and services.

5. क्या कंपनी के पास उत्पादों और अपशिष्ट (waste) को पुन: चक्रित (रिसाइकिल) करने का कोई तंत्र है? अगर हां तो उत्पादों और अपशिष्ट को पुन: चक्रित (अलग से यथा <5%, 5-10%, >10%) करने का प्रतिशत क्या है? उसका विवरण भी लगभग 50 शब्दों में दें।

बैंक पर्यावरण को संरक्षित रखने हेतु प्रतिबद्ध है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (ईईई) जिसमें सीसा, कैडमियम, पारा, पॉलिविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) जैसे घटक मिले हों, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरनाक हैं। अगर ऐसे ई-कचरे का निपटान उचित तरीके से नहीं किया गया तो इससे पर्यावरण को हानि पहुंचती है। अत: पर्यावरण को बचाने के लिए ई-कचरा नीति का कार्यान्वयन अत्यंत आवश्यक है, जिसेका अनुसरण बैंक कड़ाईपूर्वक कर रहा है।

सिद्धांत 3: व्यवसायों को सभी कर्मचारियों के कल्याण का समर्थन करना चाहिए

1. कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या इंगित करें।

12913

2. कृपया अस्थायी/संविदा/ आकस्मिक आधार पर बहाल किए गए कुल कर्मचारियों की संख्या इंगित करें।

5

3. कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या सूचित करें।

3593

4. कृपया स्थायी विकलांग कर्मचारियों की संख्या इंगित करें?

246

5. क्या आपके पास प्रबंधन द्वारा मान्यताप्राप्त कर्मचारी संस्था है?

हां

6. आपके कितने प्रतिशत स्थायी कर्मचारी इस मान्यताप्राप्त कर्मचारी संस्था के सदस्य हैं?

अधिनिर्णयाधीन कर्मचारी यूनियन :

1. ऑल इंडिया बैंक ऑफ महाराष्ट्र इम्पलॉइज फेडरेशन (एआईबी) : 74.00%
2. बैंक ऑफ महाराष्ट्र कर्मचारी महासंघ : 14.68%
3. बैंक ऑफ महाराष्ट्र कर्मचारी सेना : 3.66%
4. महाबैंक नवनिर्माण सेना (एमएनएस) : 1.95%

अधिकारी यूनियन :

1. बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऑफिसर्स ऑर्गनायझेशन : 52.53%
2. बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऑफिसर्स असोसिएशन : 39.75%
3. बैंक ऑफ महाराष्ट्र कर्मचारी सेना : 0.58%
4. महाबैंक नवनिर्माण अधिकारी सेना (एमएनएस) : 0.18%

कृपया पिछले वर्ष के दौरान बाल मजदूर, बंधुआ मजदूर, अनैच्छिक मजदूर, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या इंगित करें जो कि वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित थीं।

शून्य

7. आपके द्वारा उल्लिखित कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत को पिछले वर्ष सुरक्षा और कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण दिया गया?

स्थायी कर्मचारी 56.14% और विकलांग कर्मचारी 7.62%

5. Does the company have a mechanism to recycle products and waste? If yes what is the percentage of recycling of products and waste (separately as <5%, 5-10%, >10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.

The Bank is committed towards environment protection. The Electrical and Electronic Equipment's (EEE) containing substances like lead, cadmium, mercury, polyvinyl chloride (PVC) are hazardous to human health and environment. If such e-waste is not disposed of properly, it causes harm to the environment. Thus it is very essential to implement e–waste policy for protection of environment; which Bank is following scrupulously

Principle 3: Businesses should promote the well-being of all employees

1. Please indicate the Total number of employees

12913

2. Please indicate the Total number of employees hired on temporary/contractual/casual basis.

5

3. Please indicate the Number of permanent women employees.

3593

4. Please indicate the Number of permanent employees with disabilities?

246

5. Do you have an employee association that is recognized by management?

Yes

6. What percentages of your permanent employees are members of this recognized employee association?

Award Staff Unions:

1) All India Bank of Maharashtra Employees Federation (AIBOA) : 74.00 %

2) Bank of Maharashtra Karmachari Maha Sangh (NOBW) : 14.68 %

3) Bank of Maharashtra Karmachari Sena : 3.66 %

4) Mahabank Navnirman Sena (MNS) : 1.95 %

Officers Unions:

1) Bank of Maharashtra Officers Organization : 52.53 %

2) Bank of Maharashtra Officers Association : 39.75 %

3) Bank of Maharashtra Karmachari Sena : 0.58 %

4) Mahabank Navnirman Adhikari Sena : 0.18 %

Please indicate the Number of complaints relating to child labour, forced labour, involuntary labour, sexual harassment in the last financial year and pending, as on the end of the financial year.

NIL

7. What percentage of your under mentioned employees were given safety & skill up-gradation training in the last year?

Permanent Employees: 56.14 % and Employees with disability: 7.62%

सिद्धांत 4: व्यवसायों को समस्त हितधारकों, विशेष तौर पर वंचित, कमजोर और हाशिये पर के हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।

1. **क्या कंपनी ने अपने आंतरिक और बाह्य हितधारकों की पहचान की है?**

   बैंक ने अपने प्रमुख हितधारकों की पहचान की है यथा, सरकार, बैंक/ वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियां, विदेशी संस्थागत निवेशक, घरेलू कंपनियां, ट्रस्ट, वैयक्तिक और ओवरसीज कार्पोरेट निकाय।

   आंतरिक ग्राहकों को आगे बड़े कार्पोरेट, लघु और मध्यम उद्यमों और रिटेल ग्राहकों में विभाजित किया गया है।

2. **क्या कंपनी ने उपरोक्त में से वंचित, कमजोर और हाशिये पर के हितधारकों की पहचान की है?**

   हां

3. **क्या कंपनी ने वंचित, कमजोर और हाशिये पर के हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए कोई विशेष पहल की है? अगर हां, तो लगभग 50 शब्दों में उसका विवरण दें।**

   - बैंक ने वंचित, कमजोर और हाशिये पर के हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए कई पहलें की हैं।
   - बैंक हमेशा से ही कमजोर वर्ग को ऋण देने के लिए अग्रणी रहा है। कमजोर वर्ग के लिए बैंक के अग्रिम भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित एएनबीसी के अनिवार्य 10% से अधिक है। भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं में बैंक सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। बैंक ने इन योजनाओं के लिए प्रसंस्करण शुल्क और अन्य प्रभारों से पूर्णतः छूट दी है। बैंक एमएसएमई उद्यमियों को ₹ 10.00 लाख तक के लिए संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान कर रहा है।
   - बैंक ने अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को वित्त प्रदान करने और अग्रिमों की वसूली में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली शाखा के लिए भारतरत्न डॉ. बी. आर. आंबेडकर के नाम से एक रोलिंग ट्रॉफी देने और श्रेष्ठ तीन शाखाओं को नकदी पुरस्कार देने की शुरूवात की है। डॉ. बी. आर. आंबेडकर की जयंती के दिन पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाता है।

सिद्धांत 5: व्यवसायों द्वारा मानवाधिकारों को सम्मान और बढ़ावा दिया जाना चाहिए

1. **क्या मानवाधिकार पर कंपनी की नीति सिर्फ कंपनी को कवर करती है या समूह/ संयुक्त उद्यमों/ आपूर्तिकर्ताओं/ ठेकेदारों/ एनजीओ/ अन्यों को भी कवर करती है?**

   बैंक सभी मनुष्यों को स्वतंत्र और व्यक्ति मानता है और उनके अधिकारों का सम्मान करता है। बैंक ने सुनिश्चित किया है कि कार्य स्थल पर कोई यौन उत्पीड़न न हो। बैंक ने ग्राहक शिकायत निपटान तंत्र का श्रेष्ठ कार्यान्वयन किया है जो शिकायतों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करता है। बैंक ने ग्राहक सेवा में और तेजी लाने के लिए सीसीएसओ (प्रधान कार्यालय में आंतरिक लोकपाल) नियुक्त किया है।

2. **विगत वित्तीय वर्ष में हितधारकों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत का संतोषजनक रूप से निवारण किया गया?**

   बैंक को अपने शेयरधारकों से 146 शिकायतें प्राप्त हुईं जिसमें से सभी शिकायतों का संतोषजनक रूप से निवारण किया गया।

सिद्धांत 6: व्यवसायों द्वारा सम्मान, संरक्षण और पर्यावरण बहाल करने का प्रयत्न करना चाहिए।

1. **क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति सिर्फ कंपनी को कवर करती है या समूह/ संयुक्त उद्यमों/ आपूर्तिकर्ताओं/ ठेकेदारों/ एनजीओ/ अन्यों को भी कवर करती है?**

   यह नीति केवल बैंक ऑफ महाराष्ट्र को कवर करती है।

Principle 4: Businesses should respect the interests of, and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalized.

1. **Has the company mapped its internal and external stakeholders?**

   Bank has identified its major stakeholders as Government, Banks/Financial Institutions, Insurance Companies, Foreign Institutional Investors, Domestic Companies, Trusts, Individuals and Overseas Corporate Bodies.

   The internal customers are further segregated into the large corporates, small and medium enterprises and retail customers.

2. **Out of the above, has the company identified the disadvantaged, vulnerable & marginalized stakeholders?**

   Yes

3. **Are there any special initiatives taken by the company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.**

   - Bank has taken various initiatives to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders.
   - Bank is always in the forefront for lending to weaker sections. Bank's advances to weaker section is above mandated 10% of ANBC set by RBI. Bank is actively participating in various schemes sponsored by Government of India and various state governments. Bank has totally exempted these schemes from processing fee and other charges. Bank is extending collateral free loans to MSME entrepreneurs up to Rs. 10.00 lakh.
   - Bank has started giving one Rolling Trophy in the name of Bharat Ratna Dr. B. R. Ambedkar to the best performing branch in extending finance and recovering advances to SC/STs beneficiaries and giving cash reward to top three performing branches. Award giving ceremony is held on the eve of birthday celebrations of Dr. B. R. Ambedkar.

Principle 5: Businesses should respect and promote human rights

1. **Does the policy of the company on human rights cover only the company or extend to the Group/Joint Ventures/ Suppliers/Contractors/NGOs/Others?**

   Bank recognizes all human beings as free and individual and respect their rights. Bank has ensured that there is no sexual harassment at workplace. The bank has well placed customer complaint redressal mechanism which ensures fast redressal of complaints. The bank has appointed CCSO (internal ombudsman at HO) to further boost the customer service.

2. **How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?**

   The bank received 146 complaints from its shareholders of which all the complaints have been resolved satisfactorily.

Principle 6: Business should respect, protect, and make efforts to restore the environment

1. **Does the policy related to Principle 6 cover only the company or extends to the Group/Joint Ventures/ Suppliers/Contractors/NGOs/others**

   The Policy covers Bank of Maharashtra only.

2. **क्या कंपनी के पास वैश्विक पर्यावरण मामलों जैसे जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि का सामना करने के लिए रणनीतियां/ पहलें हैं? हां/ नहीं। यदि हां, तो कृपया वेबपेज आदि के लिए हाइपरलिंक प्रदान करें।**

   हां, बैंक ने पर्यावरण संबंधी चिंताओं के निवारण हेतु सूची में दिए अनुसार कुछ महत्वपूर्ण पहलें की हैं।

   - बैंक द्वारा वास्तविक यात्रा/ हार्ड कॉपी प्रेषित करने के स्थान पर वीडियो/ टेली-कॉन्फरंसिंग, एसएमएस, ई-मेल तकनीक का अधिकतम इस्तेमाल करने का प्रयत्न किया जा रहा है।
   - कागज के इस्तेमाल को कम करने के लिए बैंक द्वारा ई-संव्यवहार और ई-चैनलों जैसे पीओएस मशीन, डेबिट/ क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग को अधिकतम करने का प्रयास किया जा रहा है।

3. **क्या कंपनी द्वारा संभावित पर्यावरण जोखिम की पहचान और मूल्यांकन किया गया है? हां/ नहीं**

   हां, बैंक द्वारा पर्यावरण के अनुकूल प्रस्तावों को उचित महत्व दिया जाता है और पर्यावरण के लिए संभावित रूप से खतरनाक हो सकने वाली परियोजनाओं से बचा जाता है।

4. **क्या कंपनी के पास स्वच्छ विकास तंत्र से संबंधित कोई परियोजना है? अगर ऐसा है, तो लगभग 50 शब्दों में उसका विवरण दें। साथ ही, अगर हां, तो क्या कोई पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट दायर की गई है?**

   - कागजरहित बैंकिंग सुनिश्चित करने के लिए बैंक इंटरनेट/ एसएमएस/ मोबाइल बैंकिंग द्वारा ई-बैंकिंग को प्रोत्साहित कर रहा है।
   - बैंक ने ई-लॉबी की स्थापना की है और अपने ग्राहकों को ई-एफडी की सुविधा प्रदान की है।

- विक्रेताओं को एनइएफटी/ आरटीजीएस द्वारा भुगतान किया जा रहा है।

5. **क्या कंपनी ने स्वच्छ तकनीक, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि पर कोई अन्य पहल की है? हां/ नहीं। अगर हां, तो वेब पेज आदि के लिए हाइपरलिंक प्रदान करें।**

   बैंक इलेक्ट्रिकल लेखापरीक्षा का आयोजन कर इलेक्ट्रिकल अपव्यय (वेस्टेज) को न्यूनतम करने के लिए प्रयासरत है।

6. **क्या रिपोर्ट किए गए वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा निर्मित उत्सर्जन/ अपव्यय, सीपीसीबी/ एसपीसीबी द्वारा स्वीकार्य सीमा के भीतर है?**

   लागू नहीं

7. **वित्तीय वर्ष के अंत में सीपीसीबी/ एसपीसीबी से प्राप्त कारण बताओ/ विधिक नोटिस की लंबित संख्या (अर्थात जिनका संतोषजनक रूप से समाधान न हुआ हो)**

   शून्य

सिद्धांत 7: जनता को प्रभावित करने और नियामक नीति से जुड़ने पर व्यवसायों द्वारा उसे जिम्मेदारीपूर्वक निभाया जाना चाहिए

1. **क्या आपकी कंपनी किसी व्यापार और चेंबर या संघ की सदस्य है? अगर हां, तो सिर्फ उन प्रमुख संस्थाओं का नाम बताएं जिनके साथ आप व्यापार कर रहे हैं :**

   हां। बैंक निम्नलिखित का सदस्य है-

   1) भारतीय बैंक संघ (आईबीए)
   2) इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग और फाइनान्स (आईआईबीएफ)
   3) इन्स्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन (आईबीपीएस)
   4) नैशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट (एनआईबीएम)
   5) नैशनल पेमेंट्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई)
   6) दि क्लियरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल)

2. **Does the company have strategies/ initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming, etc? Y/N. If yes, please give hyperlink for webpage etc.**

   Yes, Bank has taken certain important initiatives to address the environmental concerns as enlisted

   - Bank tries to maximize the use of technology such as video/ tele-conferencing, sms, emails rather than physical travel / sending hard copies
   - To reduce the paper consumption, Bank is trying to maximize the e-transactions and sage of e-channels such as POS machines, debit/ credit cards and internet banking.

3. **Does the company identify and assess potential environmental risks? Y/N**

   Yes, Bank gives due weightage to the proposals which are environment friendly and consciously avoids the projects which could be potentially hazardous to the environment.

4. **Does the company have any project related to Clean Development Mechanism? If so, provide details thereof, in about 50 words or so. Also, if yes, whether any environmental compliance report is filed?**

   - To ensure paperless banking, Bank is promoting e-banking via internet/ sms/ mobile banking.
   - Bank has established e-lobbies; has given facility of e-FD to its customers
   - The payments to the vendors are being made through NEFT/ RTGS

5. **Has the company undertaken any other initiatives on – clean technology, energy efficiency, renewable energy, etc Y/N. If yes, please give hyperlink for web page etc**

   The Bank strives for minimization of electrical wastage by conducting electrical audit

6. **Are the Emissions/Waste generated by the Company within the permissible limits given by CPCB/SPCB for the financial year being reported?**

   Not Applicable

7. **Number of show cause/ legal notices received from CPCB/SPCB which are pending (i.e. not resolved to satisfaction) as at end of Financial Year**

   NIL

Principle 7: Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner

1. **Is your company a member of any trade and chamber or association? If Yes, Name only those major ones that your business deals with**

   Yes. The Bank is a member of

   1) Indian Banks Association (IBA)
   2) Indian Institute of Banking & Finance (IIBF)
   3) Institute of Banking Personnel Selection (IBPS)
   4) National Institute of Bank Management (NIBM)
   5) National Payments Corporation of India (NPCI)
   6) The Clearing Corporation of India Ltd (CCIL)

2. **क्या आपने जनता की भलाई या उन्नति के लिए उपरोक्त संस्थाओं के माध्यम से वकालत/ पैरवी की है? हां/ नहीं, अगर हां तो व्यापक क्षेत्र (ड्रॉप बॉक्स: गवर्नेंस और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियाँ, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, स्थायी व्यवसाय सिद्धांत, अन्य) का विवरण दें।**

   बैंक वित्तीय सेवाओं में सुधार के लिए नियामकों और नीति निर्माताओं के साथ निकट समन्वय हेतु तत्पर है।

सिद्धांत 8: व्यवसायों द्वारा समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास का समर्थन किया जाना चाहिए।

1. **क्या बैंक के पास सिद्धांत 8 से संबंधित नीति के अनुशीलन हेतु निर्दिष्ट कार्यक्रम/ पहलें/ परियोजनाएं हैं? अगर हां तो उनका ब्यौरा दें।**

   कमजोर वर्गों को ऋण

   बैंक द्वारा छोटे/ सीमान्त किसानों, बटाईदार, भूमिहीन मजदूर, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों, स्व सहायता समूहों/ संयुक्त दायित्व समूहों को ऋण सुविधा प्रदान की जा रही है।

   अल्पसंख्यकों के लिए ऋण

   क) अल्पसंख्यक समुदाय को निर्बाध रूप से ऋण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने और उसकी पुनरीक्षा करने के लिए प्रधान कार्यालय में एक विशेष कक्ष स्थापित किया गया है। अल्पसंख्यक केन्द्रित जिलों की शाखाओं की पहचान कर ली गई है और अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण देने के लिए इन शाखाओं हेतु विशेष लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

   ख) बैंक द्वारा महाराष्ट्र में स्थित अपने 7 महाबैंक आरसेटी के माध्यम से बेरोजगार युवकों को स्व- रोजगार हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन आरसेटी के प्रभारियों को सलाह दी गई है कि वे इन संस्थाओं द्वारा पढ़ाए जा रहे पाठ्यक्रम को और अधिक प्रचारित करें और अल्पसंख्यक समुदायों के उम्मीदवारों की सहभागिता में वृद्धि करें।

   ग) अल्पसंख्यक संकेन्द्रित जिलों और शहरों में स्थित शाखाओं का अभिनिर्धारण किया गया है और उन्हें अल्पसंख्यक समुदायों के अग्रिम को बढ़ाने हेतु प्रयत्न की सलाह दी गई है। इसका अनुवर्तन संबंधित अंचल कार्यालयों के माध्यम से प्रधान कार्यालय द्वारा किया जा रहा है।

   घ) क्षेत्र स्थित पदाधिकारियों को जब कभी भी प्रधान कार्यालय में प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाता है उन्हें अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण देने हेतु सजग किया जाता है।

   ङ) हमने क्षेत्र स्थित पदाधिकारियों को मेधावी छात्रों के लिए शिक्षा ऋण अभियान आयोजित करने और उसमें अल्पसंख्यक समुदायों और कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को प्रमुखता देने की सलाह दी है।

   च) अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण पर विशेष सत्र की व्यवस्था करने के लिए कर्मचारी महाविद्यालय को पत्र भेजा गया है।

   एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस योजना - बेरोजगारी के मुद्दे से निपटने और कृषि क्षेत्र में नए उभरते हुए क्षेत्रों में कृषि स्नातकों को लाभप्रद रोजगार प्रदान करना।

2. **यौन उत्पीड़न की रोकथाम:**

   बैंक यह सुनिश्चित करता है कि कार्यस्थल पर कोई यौन उत्पीड़न न हो। कार्यस्थल पर विशेष रूप से महिला कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों के निपटान के लिए बैंक ने प्रधान कार्यालय स्तर पर सहायक महाप्रबंधक के पद की महिला अधिकारी की नियुक्ति की है।

3. **क्या घरेलू टीम/ स्व संस्थान/ बाह्य एनजीओ/ सरकारी संरचना/ अन्य कोई संस्थान द्वारा कार्यक्रम/ परियोजनाओं का आरंभ किया गया है?**

   उप महाप्रबंधक की अध्यक्षता वाले विशेष कक्ष द्वारा वित्तीय समावेशन का आंतरिक कार्यान्वयन किया जा रहा है।

   वित्तीय समावेशन कार्यक्रम को सुगम बनाने के लिए बैंक द्वारा सभी सात अग्रणी जिलों में **वित्तीय समावेशन केन्द्रों (एफएलसी)** की स्थापना की गई है ताकि बड़ी संख्या में सामान्य बैंकिंग ज्ञान और सुविधाओं से वंचित लाभार्थियों तक पहुंच

2. **Have you advocated/lobbied through above associations for the advancement or improvement of public good? Yes/No; if yes specify the broad areas (drop box: Governance and Administration, Economic Reforms, Inclusive Development Policies, Energy security, Water, Food Security, Sustainable Business Principles, Others).**

   Bank works in close coordination with the regulators and policy makers for improvement of financial services

Principle 8: Businesses should support inclusive growth and equitable development

1. **Does the company have specified programs/initiatives/ projects in pursuit of the policy related to Principle 8? If yes details thereof.**

   Credit to Weaker Sections

   Bank is providing credit facilities to small / marginal farmers, share cropper, landless labor, SC /ST Beneficiaries, Self Help Groups/ Joint Liability Groups.

   Credit to Minorities

   a) A special cell has been set up at Head Office to review and ensure smooth flow of Credit to minority community. The branches were identified in minority concentrated districts and special targets were allotted to these branches for lending to minority communities.

   b) Bank has been training unemployed youth for self-employment through its 7 Mahabank RSETIs located in Maharashtra. Officers- in-charge of these RSETIs have been advised to give more publicity for the courses conducted by these institutes and to increase the participation of candidates belonging to minority communities.

   c) Branches in Minority Concentrated Districts and Towns are identified and have been advised to step up efforts for increasing advances to Minority Communities. This is being followed up by Head Office through respective Zonal Offices.

   d) Field functionaries are sensitised for lending to Minority Communities whenever called for training at Head Office.

   e) The field functionaries have been identified to arrange Education Loan Campaign for meritorious students where focus shall be given to students of minority communities and weaker section.

   f) Communication sent to Staff College to arrange special session on Credit to Minority community.

   Agri Clinic Agri Business Scheme: To provide gainful employment to agriculture graduates in new emerging areas in agricultural sector & to tackle the issue of unemployment.

2. **Prevention of Sexual Harassment:**

   Bank has ensured that there is no sexual harassment at workplace. For addressing issues specifically related to women employees at workplace, the Bank has appointed Lady Officer of executive cadre in the rank of Assistant General Manager at the Head Office level.

3. **Are the programmes/projects undertaken through in-house team/own foundation/external NGO/government structures/any other organization?**

   Financial Inclusion is being undertaken in-house through a special cell headed by the rank of Deputy General Manager

   For facilitating financial inclusion programs **Financial Literacy Centres (FLCs)** are established by the Bank in all seven lead districts to access large number of beneficiaries deprived of

बनाई जा सके। प्रत्येक केन्द्र में आउटसोर्स एफएलसी प्रभारी हैं। एफएलसी प्रभारी जिले के एलडीएम के साथ समन्वय कर कार्य कर रहे हैं। एफएलसी प्रभारी ग्रामों को भेंट देते हैं, वित्तीय साक्षरता शिविर जैसे, विशेष शिविरों और लक्ष्य समूह के लिए शिविरों और जरूरतमंद किसानों को परामर्श प्रदान करना आदि का आयोजन करते हैं।

4. **क्या आपने अपनी पहल के प्रभाव का कोई आंकलन किया है?**

- 31.03.2019 को पीएमजेडीवाई खातों की शेष राशि ₹1466.43 रही।
- शून्य शेष खातों का प्रतिशत 31.03.2018 के 33.34% से घटकर 31.03.2019 को 27.26% हो गया है।
- व्यवसाय प्रतिनिधियों का संव्यवहार 110.74 लाख (₹5764.23 करोड़) से बढ़कर 133.17 लाख (₹7546.75 करोड़) हो गया है।
- वर्ष के दौरान आधार सीडिंग 82.55% से बढ़कर 88.87% हो गई है।
- बैंक ने अपने सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ाकर 27.35 लाख ग्राहक किया है।
- बैंक ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में पीएमजेडीवाई के तहत 5.94 लाख खाते खोले जबकि पीएमएसबीवाई के तहत 2.88 लाख, पीएम जेजेबीवाई के तहत 1.25 लाख और एपीवाई के तहत 0.41 लाख नामांकन किए।

5. **समुदाय विकास परियोजनाओं, राशि- आईएनआर में, हेतु आपकी कंपनी के प्रत्यक्ष योगदान और शुरूकी गई परियोजनाओं का विवरण दें?**

क्र.	विवरण	राशि (₹ लाख में)
1	जामखंडी कर्नाटक के सहायक आयुक्त कार्यालय को प्रायोजन	1.00
2	नागपुर में मेयर इनोवेशन अवार्ड	3.00
3	खेलो इंडिया का प्रायोजन	12.50
4	शिरूर, पुणे पूर्व में कृषि एक्जीबिशन	1.00
5	एमएसआरएलएम ठाणे प्रायोजन	3.00
6	सरकार द्वारा नागपुर में आयोजित स्टार्ट अप फेस्ट का प्रयोजन, जिसमें बहुत सी स्टार्टअप कंपनियों ने सहभाग लिया।	3.00
7	स्वच्छता अभियान के दौरान रैलियों इत्यादि के लिए सक्रिय आयोजन व सहभाग	0.50

6. **क्या आपने इस समुदाय विकास पहल को समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक स्वीकार करना सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं? कृपया उसका विवरण लगभग 50 शब्दों में दें।**

बैंक द्वारा दी गई राशि के इष्टतम उपयोग की जांच जमीनी स्तर पर भेंट देकर या कार्यक्रम के ऑनसाइट फोटो को देखकर की जाती है।

सिद्धांत 9: व्यवसायों को जिम्मेदारीपूर्वक अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं के साथ संलग्न होना चाहिए और उन्हें महत्व देना चाहिए।

1. **वित्तीय वर्ष के अंत में ग्राहक शिकायतों/ उपभोक्ता मामलों का कितना प्रतिशत लंबित है?**

31.03.2019 को 1.65%

2. **क्या कंपनी द्वारा उत्पाद लेबल पर उत्पाद की जानकारी स्थानीय नियमों के अनुसार अनिवार्यताओं से अधिक प्रदर्शित की जाती है? हां/ नहीं/ लागू नहीं/ टिप्पणियां (अतिरिक्त जानकारी)**

बैंक के सभी उत्पादों और प्रदत्त सेवाओं से संबंधित जानकारी ग्राहकों के लिए शाखाओं में उपलब्ध कराई गई है। यह बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

formal Banking knowledge & facilities. Each centre is having outsourced In Charge FLC. In Charge FLCs are functioning in co- ordination with LDM of the district. FLC in charge undertakes visits to villages, conducts financial literacy camps viz. special camps & camps for target group and imparts individual counseling to needy farmers etc.

4. **Have you done any impact assessment of your initiative?**

1. Balance in PMJDY Accounts was Rs.1466.43 Crore as on 31.03.2019
2. Percentage of Zero Balance accounts has been brought down from 33.34% as on 31.03.2018 to 27.26% as on 31.03.2019
3. Transaction by business correspondents have increased from 110.74 lakh (Rs.5764.23 Cr.) to 133.17 Lakhs (Rs. 7546.75 Cr.).
4. Aadhar seeding during the year improved from 82.55 % to 88.87%
5. Bank has increased its social security coverage to 27.35 lakh customers.
6. Bank has opened 5.94 lakh account under PMJDY in the FY 2018-19. Enrolment under PMJJBY stood at 1.25 lakh, PMSBY at 2.88 Lakhs and under APY at 0.41 lakh.

5. **What is your company's direct contribution to community development projects-Amount in INR and the details of the projects undertaken?**

S. No.	Particulars	Amount (₹ In lakhs)
1	Sponsorship to Asst. Commissioner's office Jamkhandi, Karnataka	1.00
2	Mayor Innovation Award at Nagpur	3.00
3	Khelo India sponsorship	12.50
4	Agriculture exhibition at Shirur Pune East	1.00
5	MSRLM Thane sponsorship	3.00
6	Sponsorship in the Startup Fest in Nagpur organized by Govt. with the participation of lot of Startup companies	3.00
7	Organizing and active participation during Swatchtha Abhiyan for rallies etc	0.50

1. **Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community? Please explain in 50 words, or so.**

End use of the funds given by Bank is verified through ground level visits or on-site photographs of the events.

Principle 9: Businesses should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner

1. **What percentage of customer complaints/consumer cases are pending as on the end of financial year.**

1.65 % as on 31.03.2019

2. **Does the company display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws? Yes/No/N.A. /Remarks(additional information)**

Information pertaining to all the products and services offered by the Bank are made available to the branches for the customers. They are also available on Bank's website

3. **क्या विगत पांच वर्षों में किसी हितधारक द्वारा कंपनी के विरुद्ध अनुचित व्यापार पद्धतियों, गैर जिम्मेदाराना विज्ञापन और/ या विरोधी-प्रतिस्पर्धी व्यवहार से संबंधित कोई मामला दायर किया गया है, जो वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित था। अगर हां तो लगभग 50 शब्दों में उसका विवरण दें।**

   शून्य

4. **क्या आपकी कंपनी ने कोई उपभोक्ता संतुष्टि प्रवृत्तियों / ग्राहक सर्वेक्षण किया है?**

   बैंक अपने ग्राहकों को त्वरित और कार्यक्षम ग्राहक सेवा प्रदान करने को सर्वाधिक प्राथमिकता देता है।

3. **Is there any case filed by any stakeholder against the company regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/or anti-competitive behavior during the last five years and pending as at the end of financial year. If so, provide details thereof, in about 50 words or so**

   NIL

4. **Did your company carry out any consumer survey/ consumer satisfaction trends?**

   Bank gives utmost priority to providing prompt and efficient customer service to its customers.

टिप्पणियाँ
Notes

टिप्पणियाँ
Notes

बैंक द्वारा जीते पुरस्कार

Awards won by the Bank (2018-19)

Enhanced Access & Service Excellence (EASE) Banking reform Award by IBA on 28th February 2019 under Top Improvers Category.

IBA Banking Technology Innovation Award for Best IT Risk Management & Cyber Security Initiatives in Mid-Sized banks on 20th February 2019.

Rajbhasha Kirti Puraskar received by Executive Director at the Hands of Vice President of India on 14th September 2018 for better implementation of Rajbhasha Hindi.

For Promotion and Implementation of the official language in the Bank Aashirwad Institution has awarded Rajbhasha Gaurav Award on 27th September 2018.

Best Employer Award 2018 from World HRD Congress.

Banking Technology Awards 2018 IBA award for Best Financial Inclusion Initiative in Medium Banks.

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

Proud to be Associated with

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana

स्वच्छ भारत — एक कदम स्वच्छता की ओर

mudra

Toll-Free No.: 1800-233-4526 Website: www.bankofmaharashtra.in Net Banking : https://www.mahaconnect.in

वार्षिक रिपोर्ट 2018-19
ANNUAL REPORT **2018-19**

सहज सरल बैंकिंग एक क्लिक से
BANKING MADE EASY ON ONE CLICK

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

आपका सहयोगी होने पर हमें गर्व है
Proud to be Associated with

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

प्रधानमंत्री जन-धन योजना
मेरा खाता भाग्य विधाता

प्रधानमंत्री mudra योजना
पूँजी, राष्ट्रता की कुंजी

टोल फ्री क्र./Toll Free No.: 1800-233-4526
वेबसाइट/Website: www.bankofmaharashtra.in   नेट बैंकिंग/Net Banking: https://www.mahaconnect.in